बी एच ई एल
BHEL
एक महारत्न कंपनी

सतत नेतृत्व...
विकास के नए अवसरों का सृजन

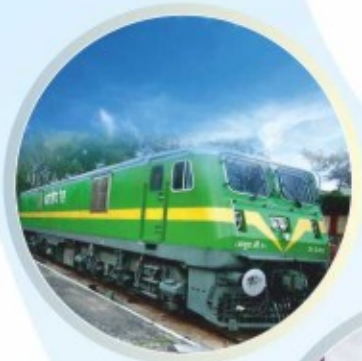

वार्षिक रिपोर्ट
2012-13

बी एच ई एल

BHEL

एक महारत्न कंपनी

विजन

बेहतर कल के लिए समाधान प्रदान करने वाला वैश्विक अभियांत्रिकी उद्यम

मिशन

ऊर्जा, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में संधारणीय व्यावसायिक समाधान प्रदान करना

मूल्य

अभिशासन	:	हम अपने शेयरधारकों के निवेशों के संरक्षक हैं इस दायित्व को अत्यंत गंभीरतापूर्वक निभाते हैं। हमसे जुड़े लोगों के जीवन को विशिष्ट बनाने हेतु उत्तम परिणाम देने के लिए हम जिम्मेदार और जवाबदेह हैं।
सम्मान	:	हम प्रत्येक व्यक्ति के अद्वितीय योगदान को महत्व देते हैं। हम मानव प्रतिष्ठा के सम्मान में विश्वास करते हैं एवं पर्यावरण को संरक्षित रखने की आवश्यकता का सम्मान करते हैं।
उत्कृष्टता	:	हम अपने हर कार्य को उत्कृष्टतापूर्वक करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
निष्ठा	:	हम अपने ग्राहक, कंपनी और एक दूसरे के प्रति निष्ठावान हैं।
सत्यनिष्ठा	:	हम उच्चतम नैतिक मानकों को कायम रखते हुए ईमानदारीपूर्ण, शालीन एवं निष्पक्ष व्यवहार करते हैं। हम उच्चतम स्तर की व्यक्तिगत और संस्थागत निष्ठा के प्रति समर्पित हैं।
प्रतिबद्धता	:	हम अपने लिए व्यक्तिगत रूप से एवं टीम के स्तर पर उच्च निष्पादन मानकों को स्थापित करते हैं। हम अपनी प्रतिबद्धताओं को समय पर पूरा करते हैं।
नवप्रवर्तन	:	हम नई प्रौद्योगिकियों और उत्पादों, उन्नत प्रक्रियाओं तथा बेहतर सेवाओं एवं प्रबंधन प्रणालियों को निरंतर प्रोत्साहित करते हैं।
टीम कार्य	:	हम अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम समाधान और सेवाएं प्रदान करने के लिए सामूहिक रूप से एक टीम भावना के साथ कार्य करते हैं। सभी पणधारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों के द्वारा हम अपने ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करते हैं।

विषय सूची

1. शेयरधारकों को पत्र 2
2. निदेशक मंडल 3
3. प्रबंध समिति 4
4. कॉर्पोरेट संगठनात्मक संरचना 6
5. कॉर्पोरेट रूपरेखा 8
6. वर्ष एक नज़र में 15
7. पुरस्कार 18
8. निदेशकों की रिपोर्ट 19
   – प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण 25
   – निदेशकों का संक्षिप्त विवरण 62
   – कॉर्पोरेट अभिशासन 64
   – ऊर्जा संरक्षण 91
   – कंपनी अधिनियम, 1956 के खंड 212 के अनुपालनार्थ सहायक कंपनी से संबंधित विवरण 93
   – स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 94
   – नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 100
9. वार्षिक लेखे (स्टैण्डएलोन) 101
   – नकद प्रवाह विवरण और टिप्पणियों के साथ लेखापरीक्षित लेखे 103
   – महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 120
10. सहायक कंपनियां 147
   भारत हेवी प्लेट एंड वैसल्स लिमिटेड
   – निदेशकों की रिपोर्ट 149
   – लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 162
   – भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 167
   – नकद प्रवाह विवरण और टिप्पणियों के साथ लेखापरीक्षित लेखे 168
   – महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 186
   बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड
   – निदेशकों की रिपोर्ट 197
   – लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 199
   – भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 203
   – नकद प्रवाह विवरण और टिप्पणियों के साथ लेखापरीक्षित लेख 204
   – महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 215
11. समेकित वित्तीय विवरण 221
   – स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 223
   – नकद प्रवाह विवरण और टिप्पणियों के साथ लेखापरीक्षित लेख 225
   – महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 243
12. स्टेकहोल्डर्स के लिए अतिरिक्त सूचना 259
   – दस वर्षों का सार 261
   – अमरीकी जीएएपी के अनुसार निवल आय 263
   – आर्थिक मूल्यवर्धन (ईवीए) 265
   – मूल्यवर्धन विवरण 266
   – कार्यनिष्पादन वार्षिक योजना 267
   – राजकोष में अंशदान 267
   – उत्पाद रूपरेखा 268
   – भारत में बीएचईएल 277
   – वैश्विक व्यवसाय 278
13. बीएचईएल की व्यवसाय दायित्व रिपोर्टः 2012–13 280
14. सूचना 285
15. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व 295

शेयरधारकों को पत्र

प्रिय शेयरधारको,

बीता वर्ष आपकी कंपनी बीएचईएल के लिए एक विशिष्ट वर्ष रहा है, क्योंकि हम एक 'महारत्न' कंपनी बने, ₹ 50,000 करोड़ के कारोबार के चिह्न को पार कर लिया और अपने समय के सर्वाधिक कठिन, आर्थिक और व्यावसायिक वातावरण से गुजरते हुए भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता में अब तक की सबसे अधिक 10,340 मेगावाट की वृद्धि की। भारतीय उद्योग के लिए चुनौतीपूर्ण वातावरण के बावजूद, आपकी कंपनी ने शेयरधारकों के मूल्य सृजन पर अपने फ़ोकस को ध्यान में रखा है। वर्ष 2012–13 के दौरान हमने निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं:

- बीएचईएल ने 2012–13 के दौरान प्रतिकूल व्यावसायिक स्थितियों के बावजूद 1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ करते हुए अब तक के सबसे अधिक ₹ 50,156 करोड़ का कारोबार किया है। ₹ 6,615 करोड़ के निवल लाभ के साथ, हम विनिर्माण दक्षताओं पर मज़बूत फ़ोकस की पृष्ठभूमि में पिछले पांच वर्षों (2007–12) के 14 प्रतिशत के औसत लाभ अंतर को बनाए रखने में समर्थ रहे हैं।
- लंबी समयावधि के दौरान सतत् कार्यनिष्पादन को मान्यता देते हुए, आपकी कंपनी को भारत सरकार ने प्रतिष्ठित 'महारत्न' के दर्जे से सम्मानित किया है, जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड का अधिक से अधिक दक्ष व्यवसाय हेतु सशक्तिकरण हुआ है।
- आपकी कंपनी को कुल ₹ 31,650 करोड़ के आदेश प्राप्त हुए, जो कि 2011–12 के मुकाबले 43% अधिक है। इसमें 8 नग टीजी, 9 नग बायलर्स और 7 नग सुपरक्रिटिकल सेटों हेतु ईएसपी पैकेजों के लिए है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय बाज़ार में तीव्र प्रतिस्पर्धा के बावजूद बीएचईएल विद्युत क्षेत्र में 67% बाज़ार हिस्से के साथ अग्रणी स्थान बनाए हुए है।
- त्वरित परियोजना निष्पादन हेतु हाल के वर्षों में आपकी कंपनी द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। हम यूटीलिटी खंड में 9,328 मेगावाट सहित अब तक के सर्वाधिक 10,340 मेगावाट के विद्युत संयंत्र उपस्करों को सिंक्रोनाइज़/चालू करने में सफल रहे हैं। आपकी कंपनी ने उत्तरी चेन्नई में ईपीसी आधार पर 600 मेगावाट रेटिंग के भारत के पहले स्वदेशी विनिर्मित सुपरक्रिटिकल सेट को सफलतापूर्वक चालू किया है।
- स्वच्छ, दक्ष, विश्वसनीय और किफ़ायती उत्पादों, प्रणालियों तथा प्रौद्योगिकियों के अभिनव विकासकर्ता बनने के उद्देश्य के साथ, हम लगातार अपनी प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने के प्रयास जारी रखे हुए हैं। बीएचईएल ने वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर ₹ 1,252 करोड़ का निवेश किया है। अब तक के सर्वाधिक 385 पेटेंट्स और कॉपीराइट्स दायर किए गए जिससे बीएचईएल की बौद्धिक पूंजी बढ़कर 2,170 हो गई है।

आपकी कंपनी ने भीलवाड़ा में मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल हेतु हरित क्षेत्र कोच फैक्ट्री की स्थापना के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे विविधीकरण प्रयासों में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

भावी योजना

हम अपने इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं क्योंकि हम वृद्धि की गति में निरन्तरता, शेयरधारकों की पूंजी में वृद्धि और एक वैश्विक इंजीनियरी उद्यम बनने के अपने लक्ष्य के प्रति प्रयासरत हैं। हमें आपकी कंपनी द्वारा विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने, परियोजना निष्पादन के प्रयासों में वृद्धि, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्षमताओं को मज़बूत करने और लोगों के विकास के लिए किए गए कार्यों पर गर्व है।

- कंपनी ने अपनी स्ट्राटैजिक योजना 2012–17 तैयार कर ली है। इस योजना का उद्देश्य आपकी कंपनी को एक वैश्विक इंजीनियरिंग उद्यम बनाने की दिशा में अग्रसर करना है। हमारी सफलता के प्रमुख संचालक – ईपीसी क्षमता निर्माण से विद्युत क्षेत्र में अपने प्रस्ताव, औद्योगिक व्यवसाय पर फ़ोकस, स्पेयर्स एवं सेवाओं का विस्तार तथा सहयोगात्मक दृष्टि को अपनाना है।
- विद्युत क्षेत्र हमारे कारोबार में प्रमुख योगदानकर्ता बना रहेगा और साथ में परिवहन और ट्रांसमिशन अगले बड़े व्यावसायिक कार्यक्षेत्र होंगे। परमाणु, अक्षय ऊर्जा और जल खंडों में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ करने की रणनीति जारी है।
- आपूर्ति श्रृंखला को दक्ष बनाने, वेंडर आधार विस्तार, प्रौद्योगिकी प्रयासों, उन्नत विनिर्माण कार्रवाई, वैश्विक सोर्सिंग आदि के जरिए परियोजना निष्पादन को त्वरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- हम सुपरक्रिटिकल पैरामीटर्स के साथ लोअर रेटिंग सेटों के विकास की दिशा में कार्यरत हैं जिससे यूटीलिटीज़ को इस पारिस्थितिकी अनुकूल और ईंधन दक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- अपने परमाणु ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए, परमाणु व्यवसाय में परंपरागत क्षेत्र के अलावा उत्पादों को प्रस्तुत करते हुए संभावनाएं बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।
- मेट्रो और उपनगरीय रेलवे सहित रेल परिवहन में बढ़ती मांग क्षमता को पूरा करने के लिए बीएचईएल के सहयोगात्मक प्रयासों में राजस्थान में हरित क्षेत्र मेनलाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (मेमू) कोच फैक्ट्री की स्थापना के लिए भारतीय रेलवे के साथ उठाए गए कदम शामिल हैं।
- अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों से 2020 तक 15 प्रतिशत बिजली उत्पादन के लक्ष्य के साथ जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्रवाई योजना पर विचार करते हुए बीएचईएल फोटो वोल्टेईक मॉडयूल्स और सैल्स के निर्माण की क्षमता के विस्तार के प्रति ध्यान दे रही है।
- हमने विद्युत संयंत्रों के अक्षय ऊर्जा और आधुनिकीकरण में उभरते अवसरों को ध्यान में रखते हुए आरएंडएम सिस्टम्स ग्रुप (आरएमएसजी) का गठन किया है।
- औद्योगिक बॉयलर, न्यूक्लीयर स्टीम जेनरेटर का प्रमुख आपूर्तिकर्ता और प्रोसेस उद्योगों के लिए उपकरणों का आपूर्तिकर्ता बनने के लिए कंपनी की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में बीएचपीवी, विज़ाग का बीएचईएल में विलय करने की कार्रवाई जारी है। इसके अलावा ट्रैक्शन एप्लीकेशन्स के लिए अल्टरनेटर्स जैसे नए उत्पाद क्षेत्रों में अग्रणी बनने के प्रयासों में बीएचईएल और केरल सरकार के एक संयुक्त उद्यम बीएचईएल–ईएमएल कासरगोड में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
- इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी' हमारी ताकत है। हमारी मुख्य क्षमता में उत्कृष्टता के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, हम वर्तमान उत्पादों को समकालीन स्तरों तक उन्नत करने और लगातार घरेलू प्रयासों के साथ–साथ नई प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण के जरिए नए उत्पादों का विकास जारी रखेंगे।

निष्कर्ष

आपकी कंपनी का बोर्ड और प्रबंधन अग्रसर रहते हुए वर्तमान परिसंपत्तियों के विकास, विविधीकरण के जरिए व्यवसाय पोर्टफोलियो के इष्टतमीकरण, वित्तीय कार्यनिष्पादन के सुदृढ़ीकरण और संपूर्ण संगठन में प्रचालन दक्षताओं के संचालन के लिए विभिन्न कार्यनीतियों का निष्पादन जारी रखेगी। मुझे विश्वास है कि हमारे कार्यनीतिक प्रयासों से सतत् विकास सृजित होगा, मजबूत नकदी प्रवाह और पूंजी पर बेहतर प्रतिफल प्राप्त होंगे और शेयरधारक की सम्पत्ति में बड़ा सुधार होगा।

मैं अपने साथी निदेशकों और प्रबंधन समिति के सदस्यों को उनकी बुद्धिमत्ता और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं बीएचईएल के प्रत्येक शेयरधारक का भी विशेष धन्यवाद देता हूँ, जिनका भरोसा और विश्वास हमारे सभी प्रयासों में प्रेरणादायक बना हुआ है। मैं भारत और विदेश में अपने सभी ग्राहकों और सहयोगियों को हमारे उत्पादों और सेवाओं के प्रति सतत् निष्ठा और दृढ़ संरक्षण रखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषकर भारी उद्योग विभाग, हमारे प्रयासों में मूल्यवान निर्देशन और समर्थन प्रदान कर रहे हैं। अंततः बीएचईएल के 48,000 हजार से अधिक कर्मचारियों को भी धन्यवाद, जो इन सफलताओं को मूर्त दे रहे हैं। मुझे इस अवधि के दौरान उनके उत्कृष्ट कार्य पर अत्यधिक गर्व है और आगे इससे से कहीं ज्यादा सफलताएं हासिल करने की उनकी क्षमता पर पूरा भरोसा है।

सफलता के सभी अवयवों, समर्पित लोगों, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकीय उत्कृष्टता और लागू सही व्यापारिक रणनीतियों के साथ आपकी कंपनी बढ़ते उद्योग की मांग को पूरा करने और सतत परिणामों की सुपुर्दगी की सही स्थिति में है, जिसके लिए यह कंपनी जानी जाती है।

मैं आने वाले वर्षों में भी विकास की गति बनाए रखने में आपके अटूट समर्थन की आशा करता हूं।

शुभकामनाओं के साथ,

शवबीपी

नई दिल्ली
अगस्त 14, 2013

(बी. प्रसाद राव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक मण्डल

01.08.2013 को

श्री बी. प्रसाद राव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सुश्री कुसुमजीत सिधू
अपर सचिव एवं
वित्तीय सलाहकार

श्री अंबुज शर्मा
संयुक्त सचिव

श्री त्रिंबकदास एस. जंवर
निदेशक

श्री एस. रवि
निदेशक

श्री अतुल सराया
निदेशक (पॉवर)

श्री पी. के. बाजपेयी
निदेशक (वित्त)

श्री आर. कृष्णन
निदेशक (मा.स.)

श्री डब्ल्यू. वी. के. कृष्णा शंकर
निदेशक (आई एस एंड पी)

श्री आई.पी. सिंह
कम्पनी सचिव

प्रबंध समिति

18.07.2013 को

खड़े हुए (बाएं से दाएं) : अखिल जोशी, के.एस. शिवप्रसाद, राजीव श्रीवास्तव, एस.वी.एस. नारायण, डॉ. एस. शेखर, अरुण सिंघल, प्रकाश चंद, अनुज भटनागर, एन. रविचंदर, राकेश माथुर, एस.आर. प्रसाद, ए.एस. नागराज, वी.के. मिधा, अरविंद गुप्ता, ए.के. घोष, राजीव पुरी, एस. गोपीनाथ

बैठे हुए दूसरी पंक्ति में (बाएं से दाएं) : के.सी. राममूर्ति, एस.सी. मित्तल, डॉ. सुकुल लोमश, अनिल आहुजा, एन.के. बंसल, अतुल सोबती, के.एस. माथुर, सी.के. श्रीखंडे, ए.के. दवे, उमेश माथुर, ए. दासगुप्ता, सुबोध गुप्ता, टी.एन. वीरराघवन, बी. शंकर, जैनेंद्र कुमार

बैठे हुए पहली पंक्ति में (बाएं से दाएं) : पी.के. उप्पल, ए.वी. कृष्णन, पी.के. बाजपेयी, अतुल सराया, बी. प्रसाद राव, एम. के. दुबे, आर. कृष्णन, एम. राजीव कुमार, डब्ल्यू.वी.के. कृष्णा शंकर

बी. प्रसाद राव	- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं निम्नलिखित का अतिरिक्त प्रभारः - इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास - कॉर्पोरेट इंजीनियरिंग एवं उत्पाद विकास - कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास - उन्नत अनुसंधान परियोजनाएं - कॉर्पोरेट विनिर्माण प्रौद्योगिकी एवं निवेश योजना - कॉर्पोरेट मॉनीटरिंग - कॉर्पोरेट सामग्री प्रबंध - प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग एवं संयुक्त उद्यम तथा अधिग्रहण एवं विलयन - केंद्रीयकृत स्टैंपिंग यूनिट एवं फैब्रीकेशन प्लांट
अतुल सराया	- पावर सेक्टर व्यवसाय (विपणन, परियोजना इंजीनियरिंग, ईएंडसी, परियोजना प्रबंधन, तकनीकी सेवाएं, स्पेयर्स और सेवाएं)
एम.के. दुबे	- औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद व्यवसाय (कैप्टिव विद्युत संयंत्र, ट्रांसमिशन, परिवहन, रक्षा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स, परियोजना प्रबंधन) - सेरामिक व्यवसाय - कम्पोनेंट फेब्रीकेशन संयंत्र - परियोजना इंजीनियरी एवं प्रणाली प्रभाग - क्षेत्रीय प्रचालन प्रभाग
पी. के. बाजपेयी	- कॉर्पोरेट वित्त - बजटिंग एवं नियंत्रण - लागत प्रबंधन - कोष प्रबंधन - लेखा एवं लेखापरीक्षा - कराधान - विदेशी मुद्रा प्रबंधन - आंतरिक लेखा परीक्षा - वित्तीय सेवाएं
आर. कृष्णन	- मानव संसाधन - कॉर्पोरेट संचार - कॉर्पोरेट प्रणाली एवं सूचना प्रौद्योगिकी - सीएसआर, स्वास्थ्य, संरक्षा एवं पर्यावरण
ए. वी. कृष्णन	- हाई प्रेशर बॉयलर संयंत्र - सीमलैस स्टील ट्यूब संयंत्र - औद्योगिक वाल्व संयंत्र - वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान
एम. राजीव कुमार	- पावर सेक्टर–पूर्वी क्षेत्र
पी. के. उप्पल	- अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन
सुबोध गुप्ता	- कैप्टिव विद्युत संयंत्र व्यवसाय - रक्षा व्यवसाय - उद्योग क्षेत्र–परियोजना प्रबंधन
जैनेंद्र कुमार	- पावर सेक्टर–परियोजना प्रबंधन
बी. शंकर	- मानव संसाधन एवं कॉर्पोरेट संचार
टी. एन. वीरराघवन	- बॉयलर सहायक उपकरण संयंत्र
डब्ल्यू.वी.के. कृष्णा शंकर	- उद्योग क्षेत्र
ए. दासगुप्ता	- कॉर्पोरेट प्रणाली एवं सूचना प्रौद्योगिकी
उमेश माथुर	- ट्रांसमिशन व्यवसाय
ए. के. दवे	- ट्रांसफार्मर संयंत्र
सी. के. श्रीखंडे	- पावर सेक्टर–उत्तरी क्षेत्र
के. एस. माथुर	- पावर सेक्टर–प्रबंधन सेवाएं
अतुल सोबती	- औद्योगिक प्रणाली समूह
एन. के. बंसल	- पावर सेक्टर–तकनीकी सेवाएं
अनिल आहुजा	- औद्योगिक उत्पाद व्यवसाय (इले. एवं मैके.) - परिवहन व्यवसाय
डॉ. सुकुल लोमश	- विशेष कार्याधिकारी कार्पो. कार्यालय
एस. सी. मित्तल	- वित्त रिसीवेबल्स - प्रबंधन, संविदा क्लोजिंग
के. सी. राममूर्ति	- इलेक्ट्रानिक्स प्रभाग - इलेक्ट्रानिक्स प्रणाली प्रभाग
एस. गोपीनाथ	- पाइपिंग सेंटर - पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट, तिरूमयम
राजीव पुरी	- परियोजना इंजीनियरिंग प्रबंधन
ए. के. घोष	- पावर सेक्टर–दक्षिणी क्षेत्र
अरविंद गुप्ता	- परियोजना इंजीनियरिंग एवं प्रणाली प्रभाग
वी. के. मिधा	- अक्षय ऊर्जा एवं जल व्यवसाय
ए. एस नागराजा	- सिरामिक बिजनेस
एस. आर. प्रसाद	- हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट - इलेक्ट्रिकल मशीन मरम्मत संयंत्र
राकेश माथुर	- पावर सेक्टर–विपणन
एन. रविचंदर	- हेवी विद्युत उपकरण संयंत्र
अनुज भटनागर	- कॉर्पोरेट गुणवत्ता
प्रकाश चंद	- हेवी इलेक्ट्रिकल उपकरण संयंत्र - प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान
अखिल जोशी	- प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग एवं संयुक्त उद्यम - विलयन एवं अधिग्रहण
अरुण सिंघल	- पावर सेक्टर–पश्चिमी क्षेत्र
डॉ. एस. शेखर	- कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास
एस. वी. एस. नारायण	- केंद्रीय फाउंड्री फोर्ज़ संयंत्र
राजीव श्रीवास्तव	- स्पेयर्स एवं सर्विस बिजनेस हेवी उपकरण मरम्मत संयंत्र नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण
के. एस. शिव प्रसाद	- सचिव प्रबंधन समिति

कॉर्पोरेट संगठनात्मक संरचना

01.08.2013 को

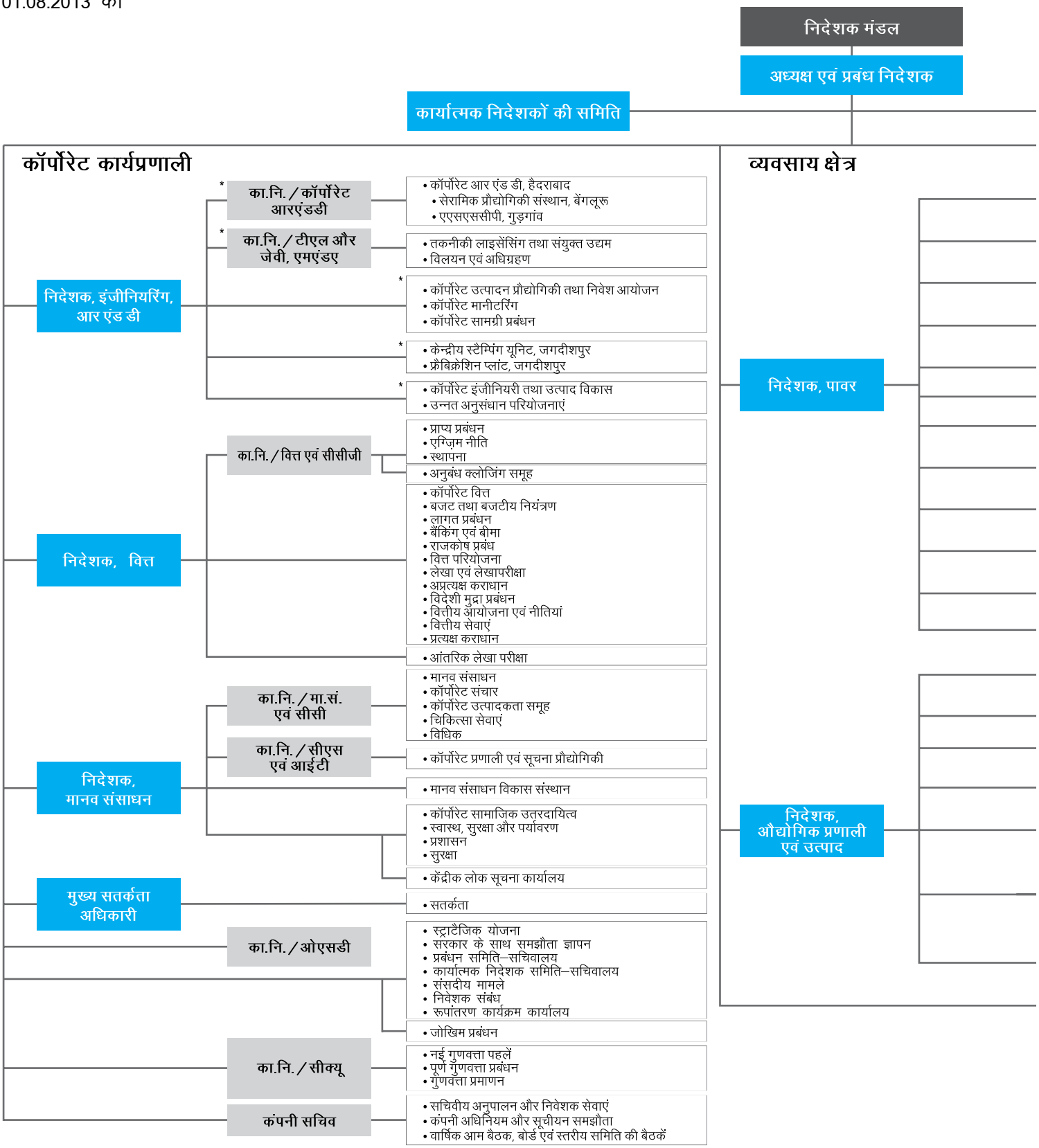

प्रबंध समिति

- का.नि./पा.से.–मार्केटिंग
  - पावर सेक्टर – मार्केटिंग
- का.नि./ हाइड्रो एवं परमाणु
  - पीएस–मार्केटिंग, हाइड्रो एवं न्यूक्लियर
- का.नि./पीएस–परियोजना प्रबंधन
  - परियोजना प्रबंधन
- का.नि./पीएस–एसएसबीजी
  - पूर्जे और सेवा व्यवसाय समूह[$]
  - हैवी इक्विपमेंट रिपेयर प्लांट, वाराणसी
  - आर एंड एम प्रणाली समूह, भोपाल
- का.नि./पीएस–पीईएम
  - परियोजना इंजीनियरी प्रबंध
  - तकनीकी सेवाएं
- का.नि./पीएस–ईआर
  - पा.से. पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता
- का.नि./पीएस–एनआर
  - पा.से. उत्तरी क्षेत्र, नोएडा
- का.नि./पीएस–डब्ल्यूआर
  - पा.से. पश्चिमी क्षेत्र,नागपुर
- का.नि./पीएस–एसआर
  - पा.से. दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई
- का.नि./एमएसएक्स, एससीटी, आईटी
  - प्रबंध सेवाएं
  - पा.से.मु.–गुणवत्ता, संरक्षा और एमएम
  - पा.से–मानव संसाधन
- का.नि./सीपीपी, रक्षा, पीएमजी
  - कैप्टिव विद्युत संयंत्र व्यवसाय
  - रक्षा व्यवसाय
  - परियोजना प्रबंधन समूह
  - अक्षय ऊर्जा एवं जल व्यवसाय
- का.नि./टीबीजी
  - ट्रांसमिशन व्यवसाय समूह
- का.नि./टीबीडी, आईपीएम एवं आईपीई
  - परिवहन व्यवसाय
  - परिवहन प्रणाली समूह
  - औद्योगिक उत्पाद व्यवसाय (इले.एवं मैके.)
- का.नि./आरओडी एवं सीएफपी
  - क्षेत्रीय प्रचालन प्रभाग
  - कंपोनेंट फेब्रिकेशन संयंत्र, रुद्रपुर
- का.नि./सीबीयू
  - इलेक्ट्रो पोर्सिलेन्स डिवीजन, बंगलौर
  - इंसुलेटर संयंत्र, जगदीशपुर
- का.नि./पीई एवं एसडी
  - परियोजना इंजी. एवं सिस्टम्स प्रभाग, हैदराबाद
- का.नि./अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन
  - विदेशी व्यवसाय

प्रचालन

- का.नि./भोपाल
  - हेवी इलेक्ट्रिकल संयंत्र, भोपाल
  - सेंटर फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन, भोपाल
  - ईएमआरपी, मुंबई
- का.नि./झांसी
  - ट्रांसफार्मर संयंत्र, झांसी
- का.नि./एचईईपी, हरिद्वार
  - हेवी इलेक्ट्रिकल उपकरण संयंत्र, हरिद्वार
  - प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार
- का.नि./सीएफएफपी, हरिद्वार
  - केंद्रीय फाउंड्री फोर्ज़ संयंत्र, हरिद्वार
- का.नि./एचपीईपी, हैदराबाद
  - हेवी पावर उपकरण संयंत्र, हैदराबाद
- का.नि./तिरुचि
  - हाई प्रेशर बायलर संयंत्र, तिरुचि
  - सीमलैस स्टील ट्यूब संयंत्र, तिरुचि
  - वैल्डिंग अनुसंधान संस्थान, तिरुचि
  - औद्योगिक वॉल्वस संयंत्र, गोइंदवाल
- का.नि./थिरुमयम एवं पीसी
  - पाइपिंग सेंटर, चेन्नई
  - पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट, थिरुमयम
- का.नि./बीएपी, रानीपेट
  - बॉयलर ऑग्ज़िलियरी संयंत्र, रानीपेट
- का.नि./ईडीएन, बेंगलुरु
  - इलेक्ट्रानिक्स डिवीजन, बेंगलुरु
  - इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम्स डिवीजन, बेंगलुरु
- का.नि./आईएसजी बेंगलुरु
  - औद्योगिक सिस्टम्स ग्रुप, बेंगलुरु

$ मैट्रिक्स उद्योग क्षेत्र व्यवसाय के लिए निदेशक (आईएसएंडपी) को रिपोर्टिंग
* वर्तमान में सीएमडी को रिपोर्टिंग

कॉर्पोरेट रूपरेखा

1964 में स्थापित, बीएचईएल अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों अर्थात विद्युत, पारेषण, उद्योग, परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, तेल एवं गैस और रक्षा आदि के लिए व्यापक रेंज के उत्पादों और सेवाओं के डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग और सर्विसिंग में संलग्न अपनी तरह की भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनियों में से एक है। कंपनी 1971–72 से लेकर लगातार लाभ अर्जित कर रही है और 1976–77 से लाभांश का भुगतान कर रही है। इसके लगातार उच्च कार्यनिष्पादन को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने बीएचईएल को 1 फरवरी, 2013 को 'महारत्न' का दर्ज़ा प्रदान किया है। अब यह सात महारत्न सा.क्षे.उ. में से एक है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने बीएचईएल की 16वीं विनिर्माण इकाई पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट, तिरूमायाम तमिलनाडु को 2 अगस्त 2013 को राष्ट्र को समर्पित किया। बीएचईएल 16 विनिर्माण इकाइयों, दो मरम्मत इकायों, चार क्षेत्रीय कार्यालयों, आठ सेवा केंद्रों, आठ विदेश कार्यालयों, 15 क्षेत्रीय केंद्रों, सात संयुक्त उद्यमों और भारत तथा विदेश में 150 से अधिक परियोजना स्थालों के निष्पादन के लिए अवसंरचना के साथ अपने व्यापक नेटवक्र के जरिए ग्राहकों को दक्षतापूर्ण और प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर उत्पाद, प्रणालियां और सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। कंपनी ने विद्युत उत्पादन उपकरणों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विद्युत उपकरणों की प्रति वर्ष 20,000 मेगावाट की सुपुर्दगी की क्षमता विस्तारित कर ली है। बांद्रा, महाराष्ट्र में बीएचईएल के नये हरितक्षेत्र विद्युत उपकरण फेब्रिकेशन संयंत्र की आधारशिला महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री ने 14 मई, 2013 को रखी। कंपनी का नवप्रवर्तन और नई प्रौद्योगिकियों के सृजनात्मक विकास पर मुख्य ज़ोर है। हमारे अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) प्रयास हमें बाज़ार में आने वाले परिवर्तनों के अनुसार एक मज़बूत ग्राहक उन्मुखीकरण के लिए सक्षम बनाते हैं।

हमारे उत्पादों की उच्चस्तरीय गुणवत्ता और विश्वसनीयता अपने स्वयं के आरएंडडी केंद्रो में विकसित की गई प्रौद्योगिकियों के साथ–साथ जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, अल्स्टाम एसए, सीमैन्स एजी और मित्सुबिशि हेवी इंडस्ट्रीज लिमि. सहित विश्व की प्रमुख कंपनियों से कुछ एक श्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों के प्रापण और अनुकूलन से अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन करने के कारण बनी हुई है।

हमारी अधिकांश विनिर्माण इकाइयों और अन्य संस्थानों को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001:2008), पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 14001:2004) तथा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स (ओएचएसएएस 180001:2007) से मान्यता प्राप्त है।

बीएचईएल ने, जहां अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त गुणवत्ता प्रणालियों ने जड़ें गहरी कर ली हैं, निम्नलिखित पुरस्कार हासिल हासिल करते हुए एक बार फिर महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं:– (क) स्थायित्व के प्रति मज़बूत वचनबद्धता के लिए दो 'सीआईआई–आईटीसी स्थायित्व पुरस्कार 2012' और (ख) बीएचईएल की दो इकाइयों द्वारा 'टीक्यूएम में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए प्रशस्ति–पत्र'।

प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने की अपनी परंपरा को जारी रखते हुए संगठन और इसके कर्मचारियों ने वर्ष के दौरान कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें 'मानव संसाधन प्रबंध के लिए स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार'य अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी और अभिनवता श्रेणी में इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स 'पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड'; '3 बीएचईएल इकाइयों को गुणवत्ता चक्रमों के लिए स्टार गोल्ड पुरस्कार'। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को व्यक्तिगत श्रेणी में प्रदत्त महत्वपूर्ण पुरस्कारों में 'एनआईटीआईई प्रतिष्ठित एल्युम्नस पुरस्कार 2012', बीटी–स्टा वर्ष का श्रेणी सा.क्षे.उ. पुरूष पुरस्कार 2012', एनरेटिया 'पावर मैन ऑफ दि ईयर अवार्ड' आदि कुछेक नाम सम्मिलित हैं। बीएचईएल को डुन एंड ब्रैडस्ट्रीट ने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक्स श्रेणी में श्रेष्ठ सा.क्षे.उ. घोषित किया था। विद्युत क्षेत्र के लिए भी पहली बार माह जनवरी 2013 में ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण का आयोजन किया गया था।

विद्युत उत्पादन

बीएचईएल भारत में विद्युत उत्पादन उपकरणों का सबसे बड़ा विनिर्माता है जो ताप, परमाणु, गैस और जलविद्युत आधारित उपयोगिता और केप्टिव पावर प्लांट्स के लिए व्यापक रेंज के उत्पाद और सिस्टम्स की आपूर्ति करता है। बीएचईएल के पास संकल्पना से कमीशनिंग तक विद्युत परियोजनाओं को निष्पादित करने की सिद्ध टर्नकी/ईपीसी आधारित क्षमताएं हैं।

एचईईपी, हरिद्वार में बारा परियोजना के लिए 660 मेगावाट टरबाईन एलपी रोटर समन्वययोजन के दौरान।

2x800 मेगावाट कृष्णापट्टनम टीपीएस

बीएचईएल 800 मेगावाट तक की स्टील टरबाइनों, जनरेटरों, बॉयलरों और उसके अनुरूप आग्जिलियरों के साथ–साथ सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित 600/700/800 मेगावाट के सेटों की भी आपूर्ति करता है। बीएचईएल के पास 1000 मेगावाट यूनिट आकार तक जाने की सुविधा है। भारत में उपलब्ध उच्च राख तत्व वाले कोयले का कुशल उपयोग करने के लिए बीएचईएल थर्मल संयंत्रों के लिए सर्कुलेटिंग फ्ल्युडाइज़्ड बैड कम्ब्युशंस (सीएफबीसी) बॉयलरों की भी आपूर्ति करता है। बीएचईएल अकेली भारतीय कंपनी है जो बड़े आकार के गैस आधारित संयंत्र बनाती है, जिसमें ओपन एवं कंबाइंड प्रचालनों के लिए 289 मेगावाट (आईएसओ) तक की उन्नत श्रेणी की गैस टरबाइनें शामिल हैं। बीएचईएल कस्टम–निर्मित हाइड्रो विद्युत उपस्करों की इंजीनियरी और उनका निर्माण करते हैं। इसकी श्रृंखला में फ्रांसिस, पेल्टन और कप्लान रनर्स टरबाइनें, पंप टरबाइनें, बल्ब टरबाइनें तथा मिनी–माइक्रो हाइड्रो संयंत्र तथा विभिन्न हैड–डिस्चार्ज मिश्रणों के लिए इसके अनुरूप जनरेटर शामिल है। बढ़ाई गई क्षमता की प्राप्ति के साथ, कंपनी देश में विद्युत संयंत्र उपकरणों के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने की अच्छी स्थिति में है।

बीएचईएल विश्व की कुछेक कंपनियों में से एक है जो इंटिग्रेटिड गैसीफिकेशन कंबाइंड साइकिल (आईजीसीसी) प्रौद्योगिकी के विकास में लगी हुई है, इससे स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का विकास होगा। 1,15,500 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ बीएचईएल ने यूटिलिटी सेटों का निर्माण किया, 31 मार्च, 2013 की स्थिति अनुसार बीएचईएल ने ताप, जलविद्युत और परमाणु सेटों वाली देश की कुल स्थापित क्षमता में अपना 57 प्रतिशत प्रमुख हिस्सा अनुरक्षित रखा है। बीएचईएल ने 10,340 मेगावाट तक के अब तक के सबसे उच्चतर विद्युत संयंत्र का सिंक्रोनाइजेशन/कमीशनिंग किया है जिसमें वर्ष के दौरान 10 नग 500 मेगावाट सेट और नार्थ चेन्नई में 600 मेगावाट रेटिंग का भारत का पहला स्वदेशी विनिर्मित सबक्रिटिकल सेट शामिल है। उत्कृष्ट गुणवत्ता के उपकरणों के विनिर्माण के अपने कौशल के प्रमाण के तौर पर बीएचईएल के 500 मेगावाट ताप सेटों ने पिछले छह वर्षों में 90 प्रतिशत से अधिक की सतत उपलब्धता को हासिल किया है।

उद्योग

बीएचईएल औद्योगिक प्रणालियों और उत्पादों का भी एक प्रमुख विनिर्माता है। कंपनी के उद्योग व्यवसाय का उद्देश्य केप्टिव/औद्योगिक उपयोगिताओं के अलावा कई उद्योगों जैसे कि धातुकर्मीय, खान, सीमेंट, कागज, उर्वरक, रिफाइनरी एवं पेट्रो–रसायन की बढ़ती मांग को पूरा करना है। बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले उत्पादों और प्रणालियों में सेंट्रीफ्यूगल कम्प्रैसर, ड्राइव टरबाइन, औद्योगिक बॉयलर एवं आक्जलरी, वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, गैस टरबाइन, पंप, हीट एक्सचेंजर, विद्युत मशीनें, वाल्व, हेवी कास्टिंग एवं फोर्सिंग, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रीसिपीटेटर, आईडी, एफडी फैन सीमलैस स्टील ट्यूबों आदि की आपूर्ति शामिल है।

बीएचईएल कंट्रोल्स एवं इंस्ट्रुमेंटेशन प्रणाली विशेषकर विभिन्न विद्युत संयंत्रों एवं उद्योगों के लिए वितरित डिजीटल कंट्रोल प्रणाली के मुख्य आपूर्तिकर्ता के रूप में भी उभरा है। कंपनी का उद्योग व्यवयाय संकल्पना से कमीशनिंग तक कैप्टिव विद्युत संयंत्रों हेतु ईपीसी संविदाओं को निष्पादित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वर्ष दर वर्ष बीएचईएल ने अपने औद्योगिक उत्पादों और प्रणालियों की प्रस्तुति में अभिनवता प्रदान की है और यह उद्योग के सनराइज सेक्टर्स के लिए प्रमुख आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरा है। बीएचईएल कंट्रोल्स एवं इंस्ट्रुमेंटेशन प्रणाली विशेषकर विभिन्न विद्युत संयंत्रों एवं उद्योगों के लिए वितरित डिजिटल कंट्रोल प्रणाली के मुख्य आपूर्तिकर्ता के रूप में भी उभरा है। बीएचईएल ओईएम पंप के साथ सिंचाई क्षेत्र में एक मोटर आपूर्तिकर्ता के तौर पर अपने को स्थापित करने में भी सफल रहा है। कंपनी का उद्योग व्यवयाय संकल्पना से कमीशनिंग तक कैप्टिव विद्युत संयंत्रों हेतु ईपीसी संविदाओं को निष्पादित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

आईओसीएल की पारादीप रिफ़ाइनरी में 366 मेगावाट सीसीपीपी

परिवहन

बीएचईएल भारतीय रेलवे को, जो कि यात्री यातायात और वस्तुओं के बड़े हिस्से के साथ भारत की सार्वधिक महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना है, विभिन्न क्षमताओं की इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन प्रणाली, कंट्रोल्स और रोलिंग स्टॉक्स उपलब्ध करवाता है। प्रस्तुत उत्पादों की रेंज में ट्रैक्शन मोटर्स, ट्रैक्शन जनरेटर्स/अल्टरनेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, उपकेंद्र उपकरण, वैक्यूम सक्रिट ब्रेकर्स, लोकोमोटिव बोगियां, समूथनिंग रिएक्टर्स, एक्साइटर्स, कन्वर्टर्स, इन्वर्टर्स, चोपर्स और संबद्ध नियंत्रण उपकरण जैसे कि मास्टर कंट्रोलर्स, चोपर कंट्रोलर्स, ब्रेक और डोर उपकरण, इलेक्ट्रानिक कंट्रोल्स–साफ्टवेयर आधारित कंट्रोल्स सहित जो कि रोलिंग स्टॉक और अन्य परिवहन अनुप्रयोगों से जुड़े हैं, शामिल हैं। सप्लाई की गई प्रणालियों में पारंपरिक डीजी तथा आधुनिकतम एसी ड्राइव्स शामिल हैं। कंपनी प्रोसेस उद्योगों, मेट्रो रेल और कोलफील्डस को भी डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की आपूर्ति करती है। लगभग सभी ईएमयूज में बीएचईएल द्वारा विनिर्मित और आपूर्ति किये गये इलेक्ट्रिक्स लगे हुए हैं। भारत की पहली भूमिगत मेट्रो कोलकाता में बीएचईएल द्वारा सप्लाई किये गये ड्राइव्स और कंट्रोल्स पर चलती हैं।

परस्पर लाभकारी कार्यनीतिक सहयोग के जरिए व्यापार में अधिकता लाने के उद्देश्य के साथ बीएचईएल ने अधिक स्थानीय और उपनगरीय ट्रेनों के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने के वास्ते राजस्थान में हरितक्षेत्र मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (मेमू) की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। भारतीय रेलवे की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के वास्ते झांसी इकाई में लोको विनिर्माण क्षमता विस्ताराधीन है। बीएचईएल ने एसी ड्राइव्स के लिए ऊर्जा कुशल आईजीबीटी आधारित प्रोपल्शन प्रणाली का घरेलू उत्पादन के रूप में स्वयं को सफलतापूर्वक स्थापित करके फिर से अपनी क्षमता और प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता को साबित किया है, जो परिवहन सेक्टर में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव (25 केवी एसी, टाइप डब्ल्यूएजी 7)

बीएचईएल भारतीय रेलवे के लिए ट्रैक अनुरक्षण मशीनों और कोच निर्माण के क्षेत्र में भी विविधता लेकर आया है और वह रोलिंग स्टॉक की रेट्रोफिटिंग और ओवरहालिंग का कार्य संचालित करता है।

अक्षय ऊर्जा

वैश्विक गर्मी, जलवायु परिवर्तन, जीवाष्म ईंधन की बढ़ती कीमतें अक्षय ऊर्जा पर नवीकृत फ़ोकस की मांग को संचालित कर रही हैं। इस क्षेत्र में त्वरित विकास के लिए सरकार द्वारा महत्व दिये जाने से, बीएचईएल बड़े आकार के स्टैंड एलोन के साथ–साथ ग्रिड इंटरेक्टिव सौर विद्युत संयंत्रों की आपूर्ति और कमीशनिंग में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कंपनी ने मांडया, कर्नाटक में केपीसीएल के लिए 5 मेगावाट एसपीसी संयंत्र को चालू करने के अलावा लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीपों पर करीब 2 मेगावाट एसपीवी

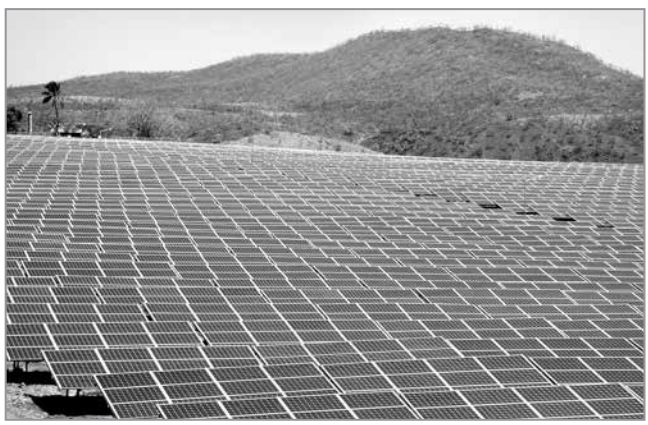

कर्नाटक में ग्रिड–कनेक्टिड 5 मेगावाट सोलर पीवी संयंत्र

संयंत्रों को चालू किया है। वर्तमान में, एनटीपीसी के लिए 10 मेगावाट के दो सौर पीवी परियोजनाएं निष्पादित की जा रही हैं। हरित प्रयास के अधीन सतत विकास के प्रति वचनबद्धता के भाग के तौर पर, बीएपी, बीएचईएल रानीपेट में एक 5 मेगावाट एसपीवी संयंत्र भी संस्थापनाधीन है। विनिर्माण एसपीवी मॉडयूल्स की क्षमता विस्तार हेतु विकल्पों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सघनीकृत सौर थर्मल विद्युत (सीएसपी) क्षेत्रों में, ईपीसी समाधान प्रदान करने में सौर परियोजनाओं में अग्रणी एबेनगोवा, स्पेन के साथ एक करार पर पहले ही समझौता किया जा चुका है। कंपनी सघनीकृत सौर ताप क्षेत्र में उत्पादों और प्रणालियों की अनुसंधान डिज़ाइन और विकास गतिविधियों के लिए आईआईटी–राजस्थान और आईओसीएल के साथ मिलकर काम कर रही है।

तेल एवं गैस

बीएचईएल के पास भारतीय स्थितियों के अनुकूल विभिन्न प्रकार की ऑनशोर रिगों के डिजाइन, निर्माण एवं सेवा की विशेषता उपलब्ध है। बीएचईएल भारत की प्रमुख तेल एवं प्राकृतिक गैस

अन्वेषण कंपनियों को ऑनशोर ड्रिलिंग रिग उपस्कर जैसे ड्रा वर्क्स, रेटेरी–टेबल, ट्रेवलिंग ब्लॉक स्विवेल, मास्ट एवं सब स्ट्रक्चर, मड सिस्टम, एवं रिग इलेक्ट्रिक्स की आपूर्ति करता है। बीएचईएल के पास अब 9,000 मीटर तक की गहराई की ऑनशोर डीप ड्रिलिंग, 3,000 मीटर की गहराई की मोबाइल रिग तथा 6100 मीटर तक के गहरे कुंओं के लिए वेल सर्विसिंग रिग बनाने की क्षमता है।

कंपनी ऑनशोर तथा ऑफशोर उपयोग के लिए 10,000 पीएसआई रेटिंग के वेल हेड्स एवं एक्स–मैस ट्री की आपूर्ति ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लि. और निजी ड्रिलिंग कंपनियों को कर रही है। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और अन्य ड्रिलिंग कंपनियों जैसे ग्राहाकें ने 2012–13 के दौरान वैल हैडस और एक्स–मैस ट्री की आपूर्ति के लिए और कच्चे तेल की बढ़ंती मांग को पूरा करने के लिए ऑयल रिग्स के नवीनीकरण और उन्नयन हेतु पुनः आदेशों के साथ बीएचईएल में एक बार फिर अपना विश्वास जताया है।

ट्रांसमिशन

बीएचईएल की भारत में विद्युत ट्रांसमिशन के क्षेत्र में ट्रांसमिशन प्रणाली एवं उत्पादों की व्यापक श्रृंखला के साथ एक मजबूत स्थिति है। बीएचईएल द्वारा निर्मित उत्पादों में पावर ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रुमेंट ट्रांसफार्मर, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, शंट रिएक्टर वैक्यूम एवं एसएफ 6 स्विचगीयर, गैस इंसुलेटिड स्विचगीयर, सेरामिक इंसुलेटर आदि शामिल हैं। प्रमुख महत्वपूर्ण हार्डवेयर जैसे कैपीसिटर बैंक, सक्रिट ब्रेकर, कंट्रोल एवं रक्षात्मक उपस्कर तथा थाईरिस्टर वाल्व इसकी निर्माण श्रृंखला में है।

बीएचईएल ने 36 केवी और 145 केवी जीआईएस और 765 केवी ट्रांसफार्मर्स और शंट रिएक्टर्स का स्वदेशी विकास और व्यवसायीकरण किया है।

कंपनी ने देश में प्रथम 1200 केवी परीक्षण केंद्र के लिए 1200 केवी सीवीटी और 1200 केवी ट्रांसफार्मर्स का विकास और आपूर्ति भी की है। बीएचईएल ने अतिरिक्त तौर पर 1200 केवी पारेषण लाइनों के लिए 420 केएन डिस्क इंसुलेटर्स का विकास और परीक्षण किया है और अब 1200 केवी एसी और +/–800 केवी डीसी तक के ईएचवी और यूवी एसी/डीसी अनुप्रयोगों के लिए डिस्क इंसुलेटर्स, 400 केवी तक सोलिड कोर इंसुलेटर्स तथा 765 केवी एसी तक होलो पोरसीलेन इंसुलेटर्स की रेंज है।

बीएचईएल ने 400 केवी लाइनों के लिए फिक्स्ड श्रृंखला प्रतिपूर्ति और 400 केवी लंबी ट्रांसमिशन लाइनों के डायनामिक रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट के लिए कंट्रोल्ड शंट रिएक्टर (सीएसआर) जैसे फैक्टस उपकरणों का प्रयोग करते हुए स्वदेशी विकास और योजनाओं का निष्पादन किया है। 400 केवी प्रणालियों में विद्युत प्रवाह पर नियंत्रण के लिए बीएचईएल ने स्वदेशी फेस शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर्स का विकास किया है। अपने मज़बूत इंजीनियरिंग आधार के साथ, कंपनी 765 केवी परियोजना तक के उपकेंद्र/स्विचयार्डस का टर्नकी निष्पादन संचालित करती है। बीएचईएल लंबी दूरी की थोक विद्युत के दक्ष पारेषण के लिए पहले + 800 केवी एचवीडीसी उत्तर पूर्व–आगरा बहु टर्मिनल परियोजना का निष्पादन कर रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

बीएचईएल ने विश्व के सभी भागों में 75 देशों में अपने संपर्क स्थापित किए हैं। इन संदर्भों में बीएचईएल उत्पादों और सेवाओं की लगभग सभी रेंज शामिल हैं, जो कि थर्मल, हाइड्रो और गैस आधारित टर्नकी विद्युत परियोजनाओं, उपकेंद्र परियोजनाओं, पुनर्वास परियोजनाओं से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, कम्प्रेशर, वाल्व, आयल फील्ड उपकरण, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स, फोटोवालटियक उपकरण, इंसुलेटर, हीट एक्सचेंजर, स्विचगियर, कास्टिंग और फोर्जिंग आदि उत्पादों की विभिन्न किस्में हैं।

कंपनी कार्य की जटिलता के साथ–साथ प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता और अन्य अपेक्षाओं के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अपेक्षाओं को पूरा करने में सफल रही है। बिक्री उपरांत सेवाओं पर निरंतर फ़ोकस

गैस–आधारित विद्युत संयंत्र ओटीपीसी, पलटाना में 400 केवी सब–स्टेशन

4X125 मेगावाट कोस्ती ताप विद्युत संयंत्र, सूडान

से इंडोनेशिया, भूटान, ओमान, मलेशिया, बंगलादेश, वियतनाम, श्रीलंका, सऊदी अरब और यूएई से 2012–13 के दौरान आर्डर्स प्राप्त हुए हैं। बीएचईएल के पास बड़ी परियोजनाओं के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ इंटरफेस एवं सहायता के लिए अपेक्षित लचीलापन भी है, साथ ही इसने इंटरमीडिएट उत्पादों के निर्माण एवं आपूर्ति में अनुकूलता भी दर्शाई है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्यनीतिक सहयोग के जरिए अपने प्रस्तावों के विस्तार के उद्देश्य के भाग के तौर पर एक समझौता ज्ञापन पर ताजिकिस्तान के ऊर्जा और उद्योग मंत्रालय के साथ ज़ेरावशान नदी पर दो जल विद्युत परियोजनाओं (2x50मेगावाट) की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं। प्रमुख ग्राहकों के साथ दीर्घावधि संबंध स्थापित किये जाने के भाग के तौर पर, जो कंपनी के लिए अत्यधिक मूल्यवान साबित हो सकते हैं, एशिया प्रशांत, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप और अफ्रीका में चुनिंदा शैल स्थनों को गैस टरबाईन जनरेटर (जीटीजी) पैकेजों की आपूर्ति के लिए शैल के साथ इंटरप्राइज फ्रेमवक्र एग्रीमेंट (ईएफए) पर हस्ताक्षर किये गये हैं। कंपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे वृद्धि करने के वास्ते बड़ी संख्या में कार्यनीतिक व्यापारिक कदमों के जरिए अपनी योजना के विस्तार के लिए दृढ़तापूर्वक शिखर पर है जिसमें सौर ऊर्जा संबंध परियोजनाओं, पारेषण और वितरण क्षेत्र में उपकरणों और परियोजनाओं में अवसरों को तलाशना शामिल है।

यूरो क्षेत्र में जारी अनिश्चितताओं के वातावरण में, अन्य विकसित देशों में आशा से कम वृद्धि और उत्तर अफ्रीका में राजनीतिक अस्थिरता ने बीएचईएल के अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार लक्ष्यों को जबर्दस्त प्रभावित किया है। परियोजनाओं में पूंजी निवेश के स्थगन से उत्पन्न विपरीत अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक स्थितियों के बावजूद भी कंपनी वर्ष 2012–13 के दौरान 1760 मेगावाट मूल्य के विद्युत संयंत्र उपकरणों के लिए आर्डर हासिल करने में कामयाब रहीं है। वर्ष के दौरान विदेशी बाजारों में, लीबिया, वियतनाम, ताजिकिस्तान, इंडोनेशिया और इथियोपिया में पांच विद्युत संयंत्रों की कमीशनिंग की गई।

प्रौद्योगिकी उन्नयन, अनुसंधान एवं विकास

आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में अनुसंधान, विकास और तैनाती (आरडीएंडडी) की सतत प्रक्रिया के जरिये व्यवसाय मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक तत्व में अभिनवता एक प्रमुख कड़ी है। बीएचईएल लगभग आधी सदी की समयावधि के दौरान सफलतापूर्वक एक अभिनव–अनुकूल संगठन के तौर पर खड़ा हुआ है जिसमें प्रेरणादायक विकास संस्कृति के साथ इंजीनियरिंग संगठन की इसकी रणनीतिक भावना के वास्तविकीकरण के लक्ष्य में अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकी विकास पर ज़ोर दिया गया है। तदनुसार बीएचईएल ने भारत सरकार द्वारा घोषित ''नवप्रवर्तन का दशक (2010–2020)'' के अनुरूप नवप्रवर्तन को प्रोत्साहन

सेंट्रीफ्युगल कम्प्रेसर्स के श्रॉडिड 3डी इम्पैलर्स के विनिर्माण के लिए 5–एक्सिस स्कूप मिलिंग टेक्नोलॉजी

देते हुए घरलू उत्पाद विकास की रणनीति अपनाई है। इस दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में कंपनी ने अपनी अनुसंधान एवं विकास नीति को अद्यतन किया है। गौरतलब है कि 2012–13 में, बीएचईएल ने अनुसंधान एवं विकास पर ₹ 1,252 करोड़ रूपये का निवेश किया है जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 4.4% अधिक है। नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए बीएचईएल के प्रयासों के परिणामस्वरूप बीएचईएल का आईपीआर कैपिटल टेली 2170 पेटेंटस और कापीराइटस तक पहुंच गया। घरेलू विकसित उत्पादों और सेवाओं से ₹ 9643 करोड़ के कारोबार में पिछले वर्ष के मुकाबले 19% वृद्धि दर्ज़ की गई है।

हैदराबाद स्थित कॉर्पोरेट आर एंड डी प्रभाग इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी उद्देश्य के अनुरूप विकसित होती हुई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके आधुनिक इंजीनियरी संसाधनों को प्रस्तुत करने में प्रौद्योगिकी के साथ–साथ वैश्विक बेंचमाक्र को केंद्र बिंदु रखते हुए आधुनिकता बनाए रखने में देश के फ़ोकस के अनुरूप बीएचईएल के अनुसंधान प्रयासों में अग्रणी है। हर निर्माणकारी प्रभाग में कार्यरत अनुसंधान एवं उत्पाद विकास केंद्र एक अनुपूरक भूमिका निभा रहा हैं।

कई तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं और विशेषज्ञ जनशक्ति के साथ केंद्रित क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में सुविधा के लिए बीएचईएल ने 13 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की है। वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास कार्यों के तहत अधिकतम बेंचमाक्र समाधानों को प्रस्तुत करने के लिए कंपनी के सभी प्रमुख उत्पादों के लिए ऑटोमेशन और ज्ञान आधारित इंजीनियरिंग (केबीई) डिज़ाइन किया गया है। गौरतलब है कि, यूएचवी ट्रांसमिशन, परिवहन, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल संयंत्रों, अक्षय ऊर्जा, आईजीसीसी, जल आदि के क्षेत्रों में आत्म पर्याप्तता की स्थापना हेतु 1500 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में 146 प्रौद्योगिकी योजनाओं की पहचान की गई है।

कार्पोरेट आरएंडडी में सीओई–एटीएस में स्थापित रियल टाइम डिजिटल सिमुलेशन फेसिलिटी

कार्पोरेट आरएंडडी प्रभाग के अलावा बीएचईएल के चार विशेष संस्थान हैं। ये हैं त्रिची में वैल्डिंग अनुसंधान संस्थान, बंगलौर में सिरामिक प्रौद्योगिकीय संस्थान, भोपाल में हाइड्रो लैब और हरिद्वार में प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान।

मानव संसाधन विकास संस्थान

एच आर डी मिशन अभिकथन ''बीएचईएल मिशन को प्राप्त करने हेतु मानव संसाधन के संपूर्ण सामर्थ्य का उपयोग करते हुए मूल्य–आधारित संस्कृति का संवर्धन एवं विकास करना'' द्वारा निदेशित, मा.सं.वि.सं. विस्तृत संगठनात्मक अनुसंधान पर आधारित दीर्घकालीन प्रशिक्षण प्रक्रिया तथा आवश्यकता पर आधारित कई अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मानव संसाधन को उनके सामर्थ्य को बाहर निकालने और उसे निखारने में समर्थ बनाता है। बीएचईएल के मानव संसाधन प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया को उत्तरदायी, ग्राहक–केंद्रित और बाजार केंद्रित संस्कृति उत्पन्न करने के वास्ते तैयार किया गया है जिनसे उभरते बाजार अवसरों के अनुकूल सांगठनिक क्षमता में वृद्धि और जीवनशक्ति से लैस करने में मदद मिलती है।

परिवर्तित बाज़ार अपेक्षाओं के अनुरूप, बीएचईएल की अपने कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल के उन्नयन में निवेश के प्रति लगातार प्रतिबद्धता से कार्यनिष्पादन में उत्कृष्टता सुनिश्चित होती है। नेतृत्व विकास पर लगातार ज़ोर के एक हिस्से के तौर पर, वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों के लिए उनका बीएचईएल के नेतृत्व क्षमता दायरे पर आधारित सक्षमता स्तर के मूल्यांकन के लिए विकास केंद्र संचालित किये गये। वर्ष 2012–13 के दौरान इस मूल्यांकन के तहत करीब 352 कार्यपालक शामिल किए गए और उनकी शक्तियों तथा विकास के क्षेत्रों में फीडबैक दी गई।

2012–13 के दौरान प्रति कर्मचारी 4.95 मानव दिवस विकासपरक कार्यक्रम आयोजित किए और विभिन्न इकाइयों में 2202 ग्राहक कार्मिक प्रशिक्षित किए गए। वर्ष 2012–13 के दौरान आंतरिक पणधारियों के लिए आयोजित किए गए कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में रणनीतिक आधारित कार्यक्रम, क्षमता आधारित कार्यक्रम तथा उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम जैसे संकार्य कार्यक्रम, सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम, रणनीतिक प्रबंधन कार्यक्रम, वरिष्ठ प्रबंधन कार्यक्रम और प्रबंधकों के लिए युवा प्रबंधन कार्यक्रम शामिल हैं। विभिन्न संकार्य क्षेत्रों जैसे कि गुणवत्ता प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, संविदा प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन, पर्यावरण में बदलावों के साथ कर्मचारियों को अद्यतन करने के लिए वित्त एवं लेखा में तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इसके अलावा एचआरडीआई यूनिटों/डिवीजनों में कार्पोरेट एचआर और एचआरडीसी को प्रोफेशनल सहायता उपलब्ध करवाता है। एचआरडीआई चुनिंदा तौर पर अन्य संगठनों से भी परामर्शी असाइनमेंट स्वीकार करता है।

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंध

विश्वभर में यह बात महसूस की जा रही है कि गरीबी, पर्यावरणीय गिरावट और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न सामाजिक परिवर्तन विश्व में व्यापार की भविष्य की स्थिरता के प्रति अप्रत्याशित रूप से ख़तरा बनते जा रहे हैं। बीएचईएल सभी पणधारियों को सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद कार्य वातावरण प्रदान करते हुए अपने सभी कार्यकलापों. उत्पादों और सेवाओं के क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल कंपनी होने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण के प्रति अपने सरोकार के अनुरूप बीएचईएल ने 2012–13 के दौरान कई पर्यावरण सुधार परियोजनाएं (ईआईपी) शुरू की हैं। इनमें पौधों की रूपाई, जल संचय, एफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट संयंत्रों की स्थापना, ऊर्जा और संसाधन संरक्षण परियोजनाएं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, शोर स्तर गिरावट प्रणाली आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, हरित प्रयासों के प्रति वचनबद्धता और सतत विकास में योगदान को ध्यान में रखते हुए बीएचईएल रानीपेट में इसके बायलर सहायक संयंत्र में 5 एमडब्ल्यूपी ग्रिड–इंटरेक्टिव एसपीवी पावर प्लांट की स्थापना कर रहा है। वर्ष के दौरान बीस परियोजनाओं में ऊर्जा आडिट पूरा किया गया। इन परियोजनाओं ने पर्यावरण को समृद्ध करने, ऊर्जा, जल, ईंधन तेल, कूलैंट, लुब्रिकैंट जैसे मूल्यवान संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरणीय प्रदूषण के न्यूनीकरण में सहायता की है।

विद्युत उत्पादन के लिए बीएचईएल सक्रिय रूप से स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का विकास एवं अधिग्रहण कर रहा है ताकि ग्राहकों को विद्युत उत्पादन से पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव को कम से कम करने में समर्थ हो सकें।

प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपभोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता तथा पर्यावरण हेतु अपने सरोकार पर पुनः बल देने के लिए बीएचईएल ने बॉयलर की कम्ब्यूशन की कुशलता में

सुधार लाने और छवग उत्सर्जन में कमी लाने के लिए डॉयनामिक क्लासीफायर–प्रणाली का विकास किया है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को अधिक केंद्रित और सशक्त रूप में कम करने के प्रयासों के तहत कंपनी ने ताप विद्युत संयंत्रों की उभरती आवश्यकता को पूरा करने के वास्ते ईंधन गैस से सल्फर डाईऑक्साइड (SO_2) को हटाने के लिए अत्याधुनिक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, जिसे फ्यूल गैस डीसल्फरवाइजेशन (एफजीडी) सिस्टम पुकारा जाता है, के विनिर्माण और आपूर्ति के लिए कमर कस ली है। स्वच्छ कोयल प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन के तत्वावधान में बीएचईएल आईजीसीएआर, एनटीपीसी और अन्य संगठनों के साथ मिलकर उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है। कंपनी ने व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स से व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा 2011 हेतु प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कार जीता है।

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

बीएचईएल व्यवसाय और कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के बीच, अपनी व्यावसायिक कार्यनीति के एक अभिन्न भाग के तौर पर, तालमेल बनाने की आवश्यकता को पूर्णतः जीवित रखने के प्रति वचनबद्ध है। इस दिशा में, पूर्ववर्ती वर्षों की भांति, बीएचईएल ने देशभर में फैले अपने विनिर्माण संयंत्रों और परियोजना स्थलों के निकट स्थित गांवों और समुदायों में शिक्षा, रहन–सहन दशाओं, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता में सुधार लाने हेतु वर्ष 2012–13 के दौरान सामाजिक–आर्थिक तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम संचालित किये हैं। बीएचईएल ने 100 प्रतिभाशाली बालिकाओं को, जिन्होंने कक्षा 10 उत्तीर्ण की है, 'उड़ायन शालिनी' नामक कार्यक्रम के तहत स्नातकोत्तर शिक्षा स्तर तक उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। कंपनी ने जम्मू एवं कश्मीर के युवाओं की रोज़गारपरकता बढ़ाने और उन्हें

असम के कामरूप जिले में स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन पहुँचाने के लिए अक्षय पात्र फाउण्डेशन को बीएचईएल द्वारा उपलब्ध करवाई गई फूड डिलीवरी वैन

ऋषिकेश में उत्तराखंड आपदा के पीड़ितों को चिकित्सा सहायता

देश की मुख्य धारा में शामिल करने के वास्त भारत सरकार की 'परियोजना उड़ान' के साथ हाथ मिलाया है।

बीएचईएल ने लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीएसआर दिशानिर्देशों के अनुरूप भी एक सीएसआर नीति लागू की है।

बीएचईएल के कंपनी–व्यापी अभियान 'बीएचईएल का यह अभियान मिले सबको दृष्टि का वरदान' के प्रत्युत्तर में कर्मचारियों और उनके परिवारों से अपनी आंखें दान करने के लिए 51,000 से अधिक शपथ प्राप्त हुए हैं। कंपनी ने अंग दान के लिए एक अन्य नेक काम भी शुरू किया है।

2012–13 के दौरान, सामाजिक वचनबद्धता के भाग के तौर पर, कंपनी में 6,139 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों से 8390 छात्रों/प्रशिक्षुओं ने व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल काम्पैक्ट कार्यक्रम में भागीदारी

विश्व के सबसे बड़े कॉर्पोरेट नागरिक के पहल के रूप में, ग्लोबल कॉम्पैक्ट कार्यक्रम सबसे पहला सरोकार है जो व्यवसाय और बाज़ार की सामाजिक वैधता को दर्शाता और बनाता है। मानव अधिकारों, श्रम मानदंड, पर्यावरण और भ्रष्टाचार रोधी के प्रमुख मूल्यों को बढ़ावा देने के माध्यम से बीएचईएल सीएसआर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के ग्लोबल कॉम्पैक्ट कार्यक्रम में एक भूमिका निभा रहा है और इन्हें अपनी कार्यनीति एवं संस्कृति का हिस्सा बना लिया है। बीएचईएल ने यूएनजीसी की वेबसाइट पर नियमित प्रगति के सम्प्रेषण (सीओपी) के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। बीएचईएल पर्यावरणीय मुद्दो के संबंध में ग्लोबल कम्पैक्ट के संगत सिद्धांतों पर प्रगति के संबंध में वार्षिक सम्प्रेषण आवधिक रूप से प्रस्तुत करती है। कंपनी सार्वजनिक रूप से अपने कर्मचारियों तथा अन्य सहयोगियों का समर्थन करती है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट, प्रेस कांफ्रेंस तथा अन्य सार्वजनिक दस्तावेजों के माध्यम से ग्लोबल कम्पैक्ट कार्यक्रम में नियमित रूप से अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करती है।

वर्ष एक नज़र में

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2011-12	परिवर्तन (%)
कारोबार	**50156**	49510	1.3
कर पूर्व लाभ	**9432**	10302	-8.4
कर पश्चात लाभ	**6615**	7040	-6.0
प्रतिधारित अर्जन	**5071**	5219	-2.8
कुल परिसंपत्तियां	**70128**	66776	5.0
निवल मूल्य	**30444**	25373	20.0
दीर्घावधि ऋण	**129**	123	4.9
ऋणः इक्विटी	**0.01**	0.01	-
प्रतिशेयर (₹ में) :			
– निवल मूल्य	**124.38**	103.67	20.0
– अर्जन	**27.03**	28.76	-6.0
आर्थिक मूल्यवर्धन	**2657**	4032	-34.1
कर्मचारी (संख्या)	**48399**	49390	-2.0

वित्तीय चार्ट

कुल कारोबार (₹ करोड़ में)

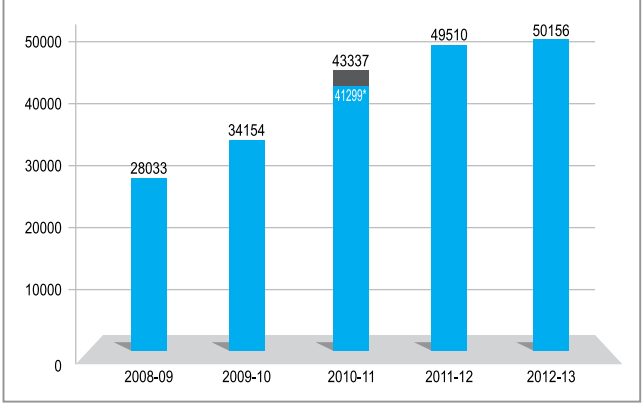

कर–पूर्व लाभ/कर–पश्चात लाभ (₹ करोड़ में)

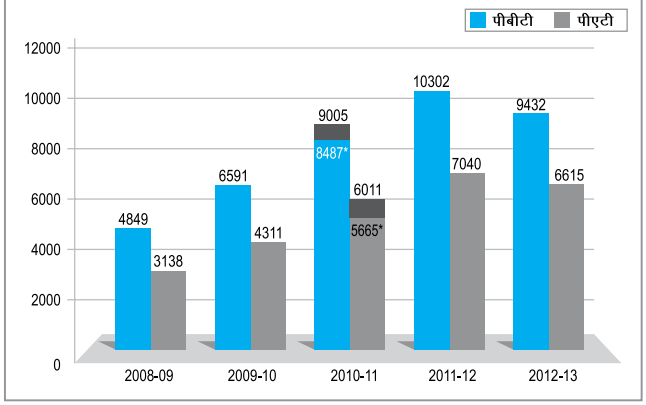

*पूर्ववर्ती वर्षों के लिए वारंटी बाध्यता की नीति में परिवर्तन के एक बार के प्रभाव को छोड़कर

वित्तीय चार्ट

प्राप्त ऑर्डर/बकाया ऑर्डर (₹ करोड़ में)

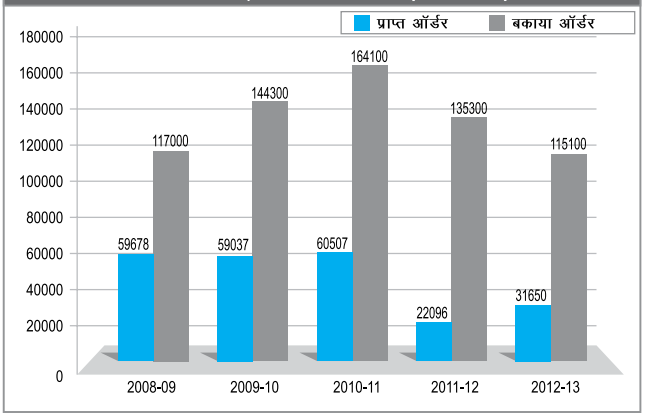

प्रति शेयर निवल मूल्य (₹ में)

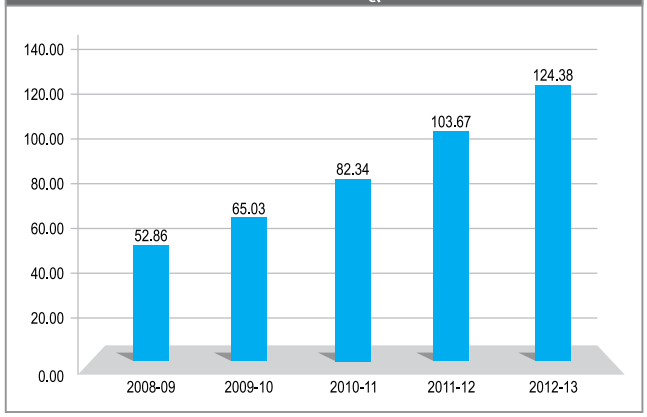

2011–12 से पूर्व के आंकड़े विभाजन पश्चात् शेयरों की संख्या पर समान आधार पर दोहराए गए हैं।

लाभांश (₹ करोड़ में)/लाभांश भुगतान अनुपात

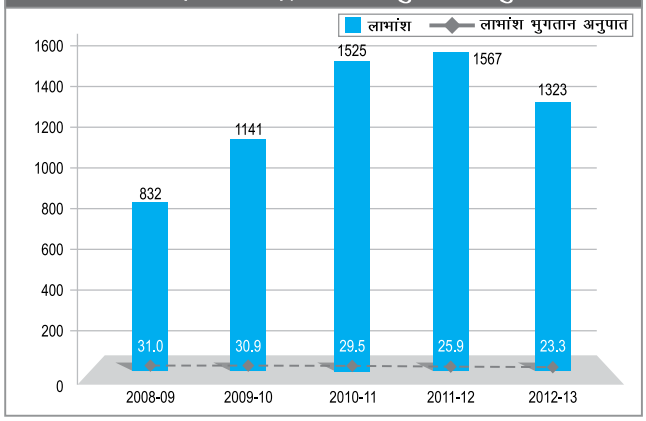

टिप्पणी:लाभांश भुगतान अनुपात में लाभांश कर शामिल है।

प्रति शेयर अर्जन (₹ में)

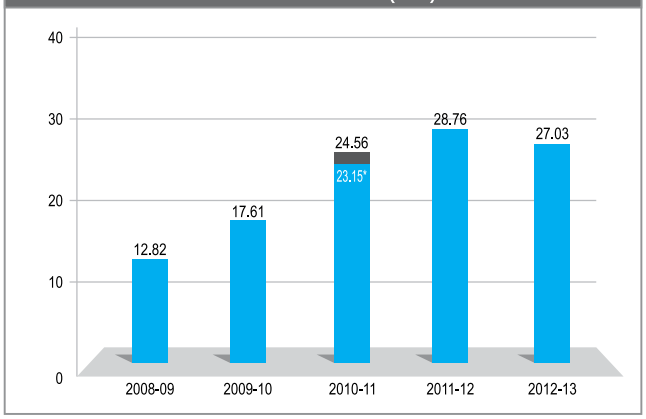

2011–12 से पूर्व के आंकड़े विभाजन पश्चात् शेयरों की संख्या पर समान आधार पर दोहराए गए हैं।
*गत वर्षों की वारंटी अनुबंध नीति में बदलाव से हुए एक बारी प्रभाव को छोड़कर।

मानव शक्ति (संख्या में)

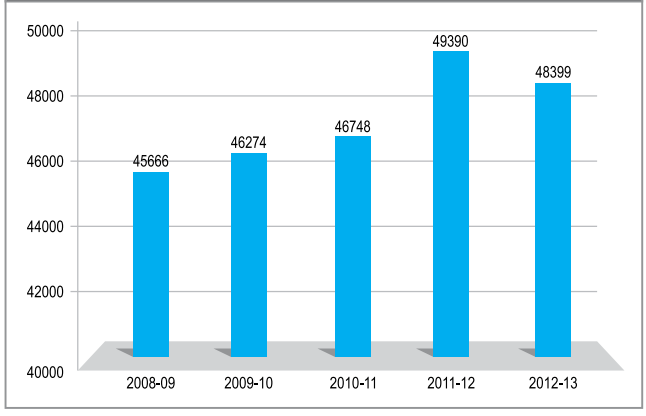

प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)

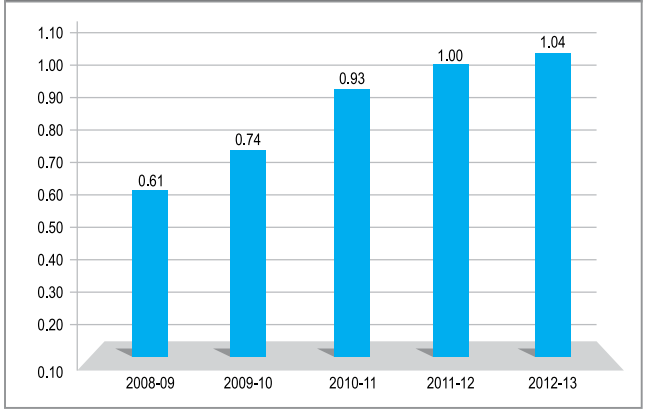

वित्तीय चार्ट

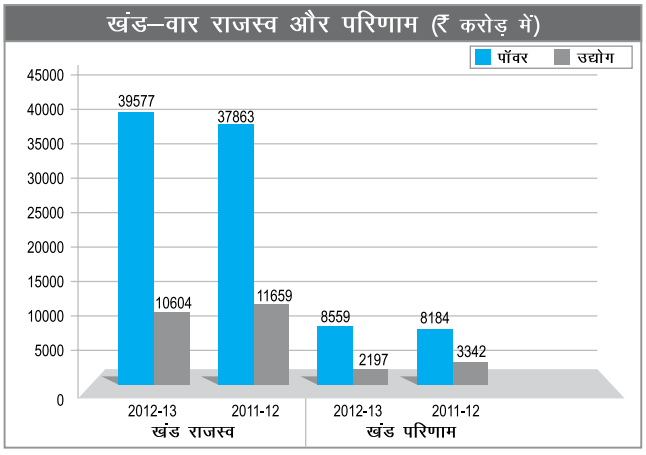
खंड–वार राजस्व और परिणाम (₹ करोड़ में)
पॉवर
उद्योग
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
39577
10604
37863
11659
8559
2197
8184
3342
2012-13
2011-12
2012-13
2011-12
खंड राजस्व
खंड परिणाम

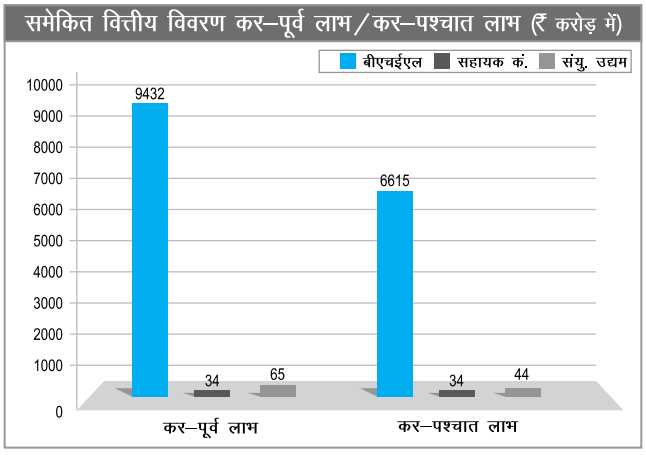
समेकित वित्तीय विवरण कर–पूर्व लाभ/कर–पश्चात लाभ (₹ करोड़ में)
बीएचईएल
सहायक कं.
संयु. उद्यम
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
9432
34
65
6615
34
44
कर–पूर्व लाभ
कर–पश्चात लाभ

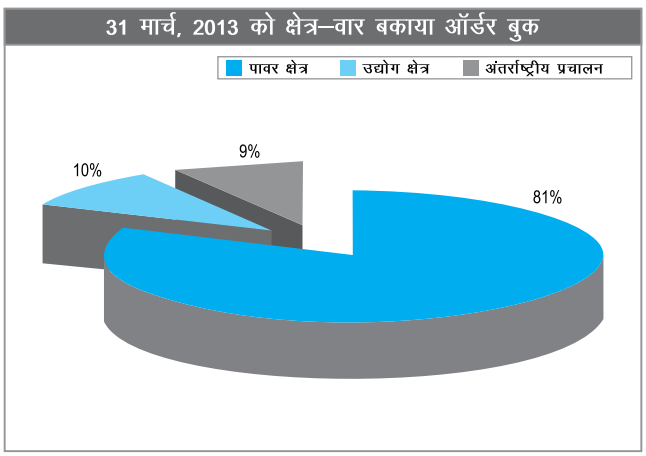
31 मार्च, 2013 को क्षेत्र–वार बकाया ऑर्डर बुक
पावर क्षेत्र
उद्योग क्षेत्र
अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन
10%
9%
81%

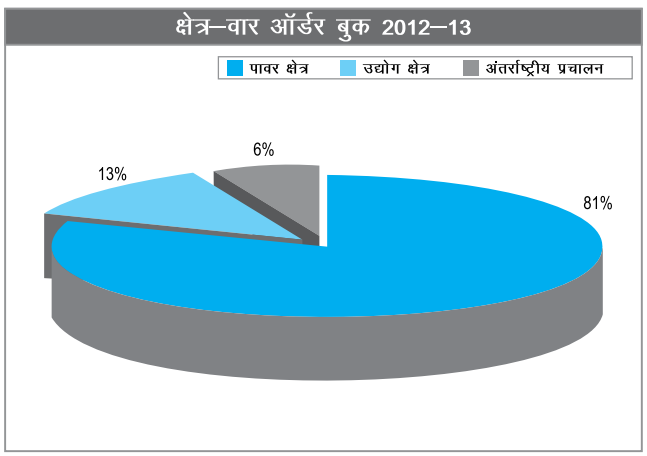
क्षेत्र–वार ऑर्डर बुक 2012–13
पावर क्षेत्र
उद्योग क्षेत्र
अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन
13%
6%
81%

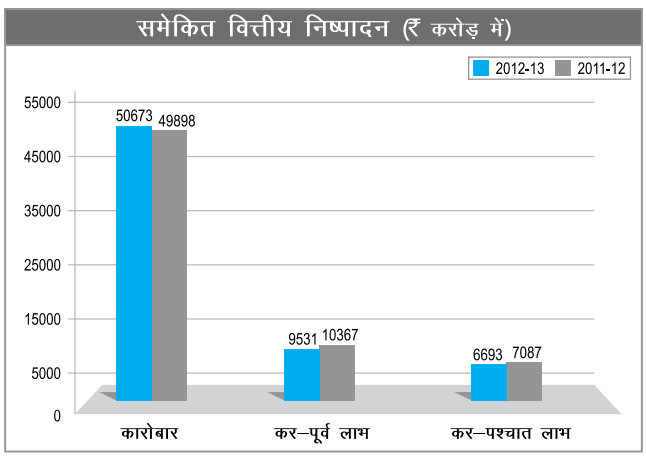
समेकित वित्तीय निष्पादन (₹ करोड़ में)
2012-13
2011-12
55000
45000
35000
25000
15000
5000
0
50673
49898
9531
10367
6693
7087
कारोबार
कर–पूर्व लाभ
कर–पश्चात लाभ

पुरस्कार

अ.प्र.नि., बीएचईएल भारत के माननीय राष्ट्रपति से सीआईआई–आईटीसी सस्टेनेब्लिटी पुरस्कार प्राप्त करते हुए

भारत के माननीय राष्ट्रपति अ.प्र.नि., बीएचईएल को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2012 प्रदान करते हुए

अ.प्र.नि., बीएचईएल भारत के माननीय राष्ट्रपति से 'वर्ष के उत्कृष्ट पी.एस.यू.' के लिए आइमा मैनेजिंग इंडिया पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं

अ.प्र.नि., बीएचईएल माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री से भारी उद्योगों में उत्कृष्टता हेतु भारत स्वाभिमान पुरस्कार 2012–13 प्राप्त करते हुए

निदेशक (वित्त), बीएचईएल कार्पोरेट मामलों के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से सीएनबीसी टीवी18 श्रेष्ठ सीएफओ अवार्ड 2013 प्राप्त करते हुए

अ.प्र.नि., बीएचईएल इंजीनियरी वर्ग में एनडीटीवी प्रोफिट बिज़नेस लीडरशिप अवार्ड 2012 उपाध्यक्ष, योजना आयोग से प्राप्त करते हुए

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के व्यवसाय और परिचालन पर 49वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशकगण अत्यंत प्रसन्न हैं।

वित्तीय निष्पादन

		वित्तीय वर्ष	
आंकड़े (₹ करोड़ में, प्रति शेयर आंकड़ों को छोड़कर)		**2012-13**	**2011-12**
(क)	**करोबार (सकल)**	**50156**	49510
(ख)	प्रचालन से राजस्व (शुद्ध)	**47618**	47228
(ग)	अन्य प्रचालन आय	**807**	751
(घ)	प्रचालन व्यय	**39037**	38092
(ड़)	प्रचालन लाभ	**9388**	9887
(च)	जोड़ें: अन्य आय	**1122**	1266
(छ)	**मूल्यह्रास, वित्त लाभ एवं कर व्यय पूर्व लाभ**	**10510**	11153
(ज)	घटाएं: मूल्यह्रास	**953**	800
(झ)	घटाएं: वित्त लागत	**125**	51
(ट)	**कर पूर्व लाभ**	**9432**	10302
(ठ)	घटाएं: व्यय	**2817**	3262
(ड)	**कर उपरांत लाभ**	**6615**	7040
(ढ)	जोड़ें: विगत वर्ष से अग्रेनीत शेष	**1031**	812
(ण)	**विनियोजन के लिए उपलब्ध शेष**	**7646**	7852
	i) लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित)	**1323**	1567
	ii) कॉर्पोरेट लाभांश कर (अंतरिम लाभांश सहित)	**221**	254
	iii) सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित राशि	**5000**	5000
(त)	**लाभ एवं हानि में शेष**	**1102**	1031
(थ)	प्रति शेयर अर्जन (₹)	**27.03**	28.76
(द)	प्रति शेयर एनएवी (₹)	**124.38**	103.67
(ध)	आर्थिक मूल्य वर्धन (₹ करोड़)	**2657**	4032

वित्तीय उपलब्धियां

2012–13 के दौरान बीएचईएल ने अपना अब तक का सर्वोच्च ₹ 50156 करोड़ का कारोबार दर्ज़ किया। कर पूर्व लाभ ₹ 9432 करोड़ और कर पश्चात् यह ₹ 6615 करोड़ रहा है।

कम्पनी का निवल मूल्य ₹ 25373 करोड़ से बढ़कर ₹ 30444 करोड़ हो गया, इस प्रकार इसमें 19.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। प्रति शेयर निवल परिसम्पत्ति मूल्य (एनएवी) 2011–12 में 103.67 की तुलना में 2012–13 में ₹ 124.38 करोड़ हो गया है।

लाभांश

बोर्ड ने वर्ष 2012–13 के लिए 164.5 प्रतिशत (₹ 3.29 प्रति शेयर) अर्थात ₹ 804.11 करोड़ के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। वर्ष 2012–13 के लिए ₹ 489.52 करोड़ की शेयर पूंजी पर 106 प्रतिशत (₹ 2.12 प्रति शेयर) अर्थात् ₹ 518.89 करोड़ के अंतरिम लाभांश का पहले ही भुगतान किया जा चुका है। अतः वर्ष 2012–13 के लिए लाभांश का कुल भुगतान पिछले वर्ष में अदा किए गए ₹ 1566.47 करोड़ (₹ 6.40 प्रति शेयर) (लाभांश कर सहित) था।

बीएचईएल के अ.प्र.नि. वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए अंतरिम लाभांश का चैक माननीय केंद्रीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री को सौंपते हुए

प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कॉर्पोरेट लाभांश कर के लिए ₹ 136.66 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अंतरिम लाभांश पर ₹ 84.81 करोड़ का कॉर्पोरेट लाभांश कर पहले से ही अदा किया जा चुका है।

प्राप्त आर्डर

वर्ष के दौरान 2011–12 में ₹ 22096 करोड़ की तुलना में ₹ 31650 करोड़ के आर्डर प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रवार बुक किए गए:

आर्डर निम्नानुसार हैं:–

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2011-12
पावर सेक्टर	**25560**	14012
उद्योग क्षेत्र*	**4086**	7850
अंतर्राष्ट्रीय परिचालन	**2004**	234
बुक किए गए कुल आर्डर	**31650**	22096
वर्ष के अंत में बकाया आर्डर बुक	**115100**	135300

*अंतर क्षेत्र बुक किए गए आर्डर्स को घटाकर

समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों की तुलना में बीएचईएल का दर्जा निर्धारण

वर्ष 2011–12 के लिए बीएचईएल के कार्यनिष्पादन को भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार 'उत्कृष्ट' का दर्जा दिया गया है। बीएचईएल की समझौता ज्ञापन का मिश्रित अंक '1.085' प्रदान किया गया है।

महारत्न दर्ज़ा

अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण में सतत कार्यनिष्पादन से बीएचईएल को प्रतिष्ठित 'महारत्न' दर्ज़ा प्राप्त हुआ है और इसकी गणना इस दर्ज़े को रखने वाले सात चुनिंदा सा.क्षे.उ. में हो गई है।

भारत के माननीय राष्ट्रपति अ.प्र.नि., बीएचईएल को महारत्न दर्ज़े की ट्रॉफी प्रदान करते हुए

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण पर एक रिपोर्ट अनुबंध–1 में दी गई है।

निदेशक मण्डल

नियुक्ति

श्रीमती चंद्रा अयंगर को 01.04.2013 से अंशकालिक निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है।

सुश्री कुसुमजीत सिधू, आईएएस, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार औद्योगिकी नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को 10.05.2013 से अंशकालिक निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है।

श्री डब्ल्यू. वी. के. कृष्णा शंकर को निदेशक (आईएस एंडपी) के कार्यालय का प्रभार लेने के लिए 01.08.2013 से अतिरिक्त निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 260 और अन्तर्नियमावली के अनुच्छेद 67 (IV) के अनुसार सुश्री कुसुमजीत सिधू और श्री डब्ल्यू. वी. के. कृष्णा शंकर कम्पनी की 49वीं वार्षिक आम बैठक तक अपने निदेशक पद पर बने रहेंगे और बैठक में निदेशकों के रूप में निदेशक की नियुक्ति हेतु पात्र हैं।

सेवा समाप्ति

श्री वी के जैरथ जिन्हें 12.11.2009 से अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया था, 11.11.2012 को अपना कार्यकाल पूरा करने पर वे कंपनी के निदेशक नहीं रहे हैं।

श्री विजय एस मदान, आईएएस, पूर्व अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी के तौर पर उनकी नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप 22.03.2013 से अंशकालिक सरकारी निदेशक के तौर पर अपना छोड़ दिया है।

श्रीमती चंद्रा अयंगर, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक ने महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के तौर पर उनकी नियुक्ति होने से 29.05.2013 से बीएचईएल बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया है।

श्री ओ पी भुटानी, जिन्हें 24.12.2009 से निदेशक (ई, आर एंड डी) के तौर पर नियुक्त किया गया था, 31.05.2013 को सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने पर कंपनी के निदेशक नहीं रहे हैं।

श्री एम. के. दुबे, जिन्हें 25.06.2011 से निदेशक (आईएसएंडपी) के तौर पर नियुक्त किया गया था, 31.07.2013 को सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने पर कंपनी के निदेशक नहीं रहे हैं।

निदेशक मण्डल ने श्री वी. के. जैरथ, श्री विजय एस मदान, श्रीमती चंद्रा अयंगर, श्री ओ. पी. भुटानी और श्री एक के दुबे को उनके कार्यकाल के दौरान की गई महत्वपूर्ण सेवाओं तथा दिए गए सलाह, मार्ग निर्देशन की प्रशंसा को अपने रिकार्ड में रखा है।

इसके अलावा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 255 व 256 तथा कम्पनी की अन्तर्नियमावली के अनुच्छेद 67(i) के अनुसार में सर्वश्री पी के बाजपेयी और श्री अतुल सराया वार्षिक आम बैठक में चक्रानुक्रम में सेवानिवृत होंगे और पात्र होने पर स्वंय की पुनर्नियुक्ति हेतु पेशकश करेंगे।

सूचीकरण करार के खंड 49 IV(जी) (i) के अनुपालन में, नियुक्त और पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण, विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति और उन कंपनियों, जिनमें वे निदेशक और निदेशक मंडल की समितियों में सदस्य रहे हैं, के नाम निदेशकों की रिर्पोट का भाग होकर अनुबंध–2 में दिए गए हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन

1. कॉर्पोरेट कार्यालय को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली ने राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया।
2. श्री आर सी पुरम, हैदराबाद ने नराकास, हैदराबाद से उत्कृष्ट रा.भा. कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार जीता।
3. पा.से.–प.क्षे. को नराकास, नागपुर से उनकी हिंदी पत्रिका 'तरंगिनी' के उत्कृष्ट संपादन के लिए तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।
4. पा.से.–पू.क्षे. को नराकास, कोलकाता ने उनकी हिंदी पत्रिका 'पूर्वभा' के उत्कृष्ट संपादन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया।
5. पा.से.–प.क्षे. को नराकास, नागपुर से नराकास, नागपुर के सक्रिय सदस्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ।
6. कंपनी में हिंदी के प्रयोग के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने के दृष्टिगत कारपोरेट कार्यालय सहित सभी इकाइयों/प्रभागों में हिंदी दिवस और हिंदी सप्ताह/पखवाड़ा/माह मनाया गया, जिसके दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कारपोरेट कार्यालय में 11 हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिताओं में 230 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और उनमें से 85 को नकद पुरस्कार प्रदान किये गये।

बीएचईएल में 14 सितंबर, 2012 को हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है।

7. इसके अलावा विभिन्न इकाइयों/प्रभागों के कर्मचारियों के बच्चों को, जिन्होंने 12वीं कक्षा में हिंदी विषय में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक और कक्षा 10 परीक्षा में बी2 ग्रेड प्राप्त किया, नकद पुरस्कार दिये गए।
8. 'कॉर्पोरेट कार्यालय ने नराकास (उपक्रम), दिल्ली के तत्वावधान में हिंदी शब्दकोष ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित गई। विभिन्न इकाइयों/प्रभागों ने भी अपने शहरों में मौजूद नराकास के तत्वावधान में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए।
10. वर्ष के दौरान कंपनी की इकाइयों और प्रभागों ने 13 हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित कीं। कारपोरेट कार्यालय ने भी वर्ष के दौरान अपनी अर्द्ध वार्षिक हिंदी पत्रिका ''अरूणिमा'' के दो अंक प्रकाशित किये।
11. वर्ष के दौरान कंपनी की विभिन्न इकाइयों/प्रभागों में 40 अनुवाद सहायक (एफटीए) और 14 टंकण सहायकों (एफटीए) की भर्ती की गई। अनुवाद सहायकों के लिए 6 दिवसीय राजभाषा अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया।

संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक समझौते में भागीदारी

बीएचईएल अपने सभी पणधारियों को सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद कार्य वातावरण प्रदान करने के अतिरिक्त, अपने सभी कार्यकलापों, उत्पादों और सेवाओं में एक पर्यावरण अनुकूल कंपनी है और इसने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौता कार्यक्रम को कंपनी की कार्यनीति, संस्कृति और दिन–प्रतिदिन के परिचालनों का हिस्सा बनाया है।

बीएचईएल संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौता (यूएनजीसी) कार्यक्रम तथा मानवाधिकार, श्रम मानक, पर्यावरण और भ्रष्टाचार रोध पर इसके दस सिद्धांतों में शामिल मुख्य मूल्यों के समूह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। बीएचईएल अब वैश्विक कम्पैक्ट नेटवक्र, इंडिया का जीवन पर्यन्त कॉर्पोरेट सदस्य है।

सतर्कता

बीएचईएल के सतर्कता संगठन का प्रमुख मंत्रालय द्वारा नियुक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) होता है। बीएचईएल की प्रत्येक इकाई क्षेत्र में वरिष्ठ सतर्कता कार्यपालक के नेतृत्वाधीन एक सतर्कता ढांचा है, जो मुख्य सतर्कता अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं।

सभी वर्षों में बीएचईएल के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवारक सतर्कता रही है और वर्ष के दौरान इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है, 2012–13 के दौरान लाभकारी प्रौद्योगिकी के जरिए प्रभावी सतर्कता प्रशासन के लिए भी अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया गया। इससे सक्रिय और संभावित सतर्कता प्रबंधन में मदद मिली।

कर्मचारियों को कंपनी की नीतियों, नियमों और प्रक्रियाओं पर अद्यतन जानकारी देने के वास्ते प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। बीएचईएल की विभिन्न इकाइयों, क्षेत्रों और कार्यालयों में वर्ष 2012–13 के दौरान ऐसे 119 कार्यक्रम आयोजित किए गए। कम्पनी के नियमों, कार्यविधियों तथा नीतियों के बारे में जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लाइन कार्यपालकों के साथ विचार–विमर्श सत्र आयोजित किए गए।

बीएचईएल में प्रापण की प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने, सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का विस्तार करने और मामला अध्ययनों की जानकारी परस्पर बांटने के वास्ते तिमाही ई–न्यूजलैटर ''दिशा' का प्रथम अंक 01.07.2013 को जारी किया गया।

कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के दृष्टिगत वर्ष 2012–13 के दौरान सतक्रता ने प्रणाली अध्ययन संचालित किये हैं जिनके आधार पर प्रणाली सुधार के प्रति सुझाव प्रस्तुत किये गये। ऐसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों का नीचे उल्लेख किया गया है, जिनमें सुधार के लिए सुझाव दिये गये हैं:

- क्रय नीति
- 'वेंडर्स पंजीकरण प्रक्रियाओं–एसईएआरपी, 2010'' में संशोधन
- 'रिवर्स नीलामी दिशानिर्देशों' में प्रणालीगत परिवर्तन
- वेंडर्स के साथ व्यापारिक गतिविधियों के निलंबन के लिए दिशानिर्देशों' में कुछेक संशोधन।
- निविदाओं के मूल्यांकन में संयुक्त लोडिंग मानदंड तैयार किया जाना।

शिकायतों के प्रभावी और समय पर निपटारे के लिए तंत्र के पुनर्गठन के दृष्टिगत 24.06.2013 को एक 'शिकायत निपटारा नीति' जारी की गई जिसमें सीवीसी द्वारा जारी विद्यमान अनुदेशों के अनुरूप प्राप्त शिकायतों को सतर्कता द्वारा सतत तरीके से निपटारा किया जा सकेगा।

कॉर्पोरेट कार्यालय में 29.05.2013 को एक कार्यशाला आयोजित की जिसमें रिवर्स नीलामी (आरए) हेतु विभिन्न सा.क्षे.उ. द्वारा लागू किये जा रहे श्रेष्ठ व्यवहारों के बारे में जानकारी के आदान–प्रदान हेतु प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों–सेल, ओएनजीसी, आईओसीएल, ईआईएल, एनएलसी, आईआईएनएल, बीपीसीएल के वरिष्ठ अधिशासियों ने भाग लिया। इससे प्राप्त इनपुट बीएचईएल के आरए दिशानिर्देशों को संशोधित करने में मददगार होगा।

केंद्रीय सतक्रता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों के अनुरूप कंपनी ने वेब पर सही समय आधार पर सभी संगत सूचना उपलब्ध करवाने के वास्ते कई कदम उठाए हैं। वेब पर सभी संगत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए निम्नलिखित सुनिश्चित किया गया है:

- क्रय आदेशों की स्थिति, हर महीने पूरे किए कार्य संविदाओं की स्थिति, सीवीसी फ़ॉर्मेट में सभी इकाइयों द्वारा अपलोड की जाती हैं।
- वेंडर्स पंजीकरण के सम्बन्धित कार्यविधि एवं फ़ॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
- वेंडर्स पंजीकरण आवेदनों की स्थिति को वेब पर डाला जाता है और वेंडर्स इसे देख सकते हैं।
- पूरे संगठन में विक्रय बिलों का ई–भुगतान किया जाता है विक्रेता बिलों के भुगतान में नियमतःपहले आओ पहले पाओ सिद्धान्त का पालन किया जा रहा है।
- वेंडर्स बिलों के भुगतान की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।
- ज़्यादातर इकाइयों में इंडेंट ऑन–लाइन उपलब्ध करवाये जाते है।
- कंपनी के नियमों/कार्यविधि से संबंधित सूचना बीएचईएल/इकाइयों की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- इस वर्ष कंपनी ने, सीवीसी द्वारा उठाए गए कदम के तौर पर, परियोजना निष्पादन के दौरान संभावित विसंगतियों पर अलर्टस देने के दृष्टिगत वीआईजीईवाईई जीपीएमएस पर परियोजना प्रलेखन की अपलोडिंग हेतु कदम उठाए हैं।

सुरक्षा

कम्पनी का सुरक्षा तंत्र पर्याप्त है और प्रत्येक संयंत्र/इकाई को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि कम्पनी के अधिकांश संयत्रो की सुरक्षा सीआईएसएफ द्वारा की जाती है फिर भी कुछ छोटे संयंत्रों में कम्पनी की अपनी सुरक्षा व्यवस्था है। अन्य संयंत्रों, कॉर्पोरेट कार्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख पुनर्वास महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित निजी एजेंसियों या एक्स सर्विसमेन कॉरर्पोरेशन द्वारा की जाती है।

कम्प्यूटरों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त उपाय किए गए हैं। इलैक्ट्रानिक विभाग, भारत सरकार (एसआरएसी) ने भी हमारे साफ्टवेयर सुरक्षा तंत्र का निरीक्षण कराया है और उनके सुझाव क्रियान्वित किए गए हैं।

प्रमुख संयंत्रों की सुरक्षा लेखापरीक्षा अधिकारिक रूप में आसूचना ब्यूरो द्वारा की जाती है और उनके द्वारा इंगित किए जाने पर अतिरिक्त अपेक्षाएँ संबंधित यूनिटों द्वारा तत्काल पूरी की जाती है। सुरक्षा की समीक्षा समय–समय पर आंतरिक रूप में भी की जाती है। मा.सं. और सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार विभिन्न सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर तिमाही रिपोर्ट के साथ

चोरी/उठाईगिरि और आग की घटनाओं पर मासिक रिपोर्ट को कार्पोरेट सुरक्षा विभाग द्वारा संकलित किया जाता है।

किसी भी सुरक्षा ख़तरे से निपटने के लिए सीसीटीवी संस्थापित किये जा रहे हैं और मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार की जा रही है।

प्रबंधन, सुरक्षा स्टाफ और कंपनी के कर्मचारियों को कंपनी की सुरक्षा आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील किया जाता है।

संधारणीयता

संधारणीयता की अवधारणा बीएचईएल के रोम–रोम में बसी है जिसका प्रमाण मिशन वक्तव्य है – ''ऊर्जा, उद्योग और अवसंरचना के क्षेत्रों में संधारणीय व्यवसाय समाधान उपलब्ध कराना''। संधारणीयता कम्पनी की रणनीति का एक अभिन्न अंग है। बीएचईएल अपने सभी क्रियाकलाप क्षेत्रों, उत्पादों और सेवाओं में पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनाने, सुरक्षित तथा स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कम्पनी की कार्यनीति के अनुरूप पर्यावरण सुधार परियोजनाओं/सतत विकास परियोजनाएं और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाता है।

बीएचईएल ने गतिविधियों, उत्पादों और सेवाओं के पैमाने और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनी संधारणीय विकास नीति परिभाषित की है। 2012–13 में संचालित की गई सामाजिक विकास परियोजनाएं वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण, सौर ऊर्जा पर आधारित कैप्टिव विद्युत उत्पादन, अक्षय ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण, तथा जिम्मेदारीपूर्ण कचरा प्रबंधन से संबंधित हैं। बीएचईएल में इसके उत्पाद और सेवाओं के साथ–साथ आंतरिक गतिविधियों के जरिए सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कार्यनीतिक प्रबंधन दायरा भी विकसित किया गया है।

इन कदमों के जरिए संगठन सांगठनिक गतिविधियों के कार्बन फुटप्रिंट को न्यूनतम करने के इसके प्रयासों को निदेशित कर रहा है। इसके अतिरिक्त यह ग्राहकों को अपने प्रचालनों में कार्बन फुटप्रिंट घटाने के साथ–साथ स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के विकास के जरिए सहायता प्रदान कर रही है।

विनिर्माण इकाइयों में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रति अपनी वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने 2012–13 में भोपाल यूनिट में 250 केडब्ल्यूपी सौ विद्युत संयंत्र और त्रिची यूनिट में रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की है। कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अपनी इकाइयों में 1200 से अधिक टर्बो वेंटिलेटर्स भी स्थापित किये हैं।

ऊर्जा दक्षता के भाग के तौर इकाइयों में 20 से अधिक ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को पूरा किया गया। वर्ष 2012–13 के लिए सतत विकास परियोजनाओं के अधीन ऐसी गतिविधियों पर किया गया कुल व्यय ₹ 7.44 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले रू 8.16 करोड था।

कंपनी की सभी विनिर्माण इकाइयों/क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत मान्यता प्राप्त है–उदाहरणार्थ पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए आईएसओ–14001 प्रमाणन और व्यवसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए ओएचएसएएस–18001 प्रमाणन।

बीएचईएल को 'सस्टेनेब्लिटी के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कार'' प्रदान किया गया है।

मैसर्स ग्रीनटैक फाउण्डेशन ने संरक्षा प्रबंधन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए 2012 के दौरान ईपीडी बंगलौर को ''स्वर्ण पुरस्कार'' से सम्मानित किया गया।

बीएचईएल के भारत के एक सर्वाधिक संधारणीय संगठन होने के लिए इसकी ईपीडी–बेंगलौर और बीएचईएल, तिरुची इकाइयों को ''सीआईआई–आईटीसी सस्टेनेब्लिटी पुरस्कार 2012'' प्राप्त हुआ है।

निदेशकों का दायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2कक) के अनुसरण में एतद्द्वारा यर पुष्टि की जाती है कि:

(i) 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते समय महत्वपूर्ण विचलनों के संबंध में समुचित व्याख्या के साथ – साथ लागू लेखाकरण मानकों' का अनुपालन किया गया है;

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो कि इतने तक्रसंगत और उपयुक्त हैं कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के अंत में कंपनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ–हानि का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।

(iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं से बचाव के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार लेखा का समुचित रिकार्ड रखे जाने पर उपयुक्त एवं पर्याप्त ध्यान दिया।

(iv) निदेशकों ने 'गोइंग कंसर्न' आधार पर 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार किया है।

कारपोरेट अभिशासन

सूचीकरण करार के खंड 49 की अपेक्षा अनुसार निम्नलिखित के साथ कॉरपोरेट अभिशासन की विस्तृत रिपोर्ट अनुबंध III में दी गई है:

(i) सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र (खंड 49 (V) के अनुसार), और

(ii) कंपनी के लेखापरीक्षकों से प्रमाणपत्र (खंड 49 (VII) के अनुसार

अन्य प्रकटन

ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय से संबंधित कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ब्यौरों का प्रकटन) नियम, 1998 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1) (ड) के उपबंधों के अनुसार सूचना **अनुबंध–IV** में दी गई है।

कम्पनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियम, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) के अधीन किसी भी कर्मचारी ने वर्ष के दौरान विहित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक नहीं किया है।

कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 212 के अनुपालनार्थ सहायक कंपनी का विवरण **अनुबंध–V** में दिया गया है।

तुलन पत्र तिथि के उपरांत घटित घटनाएं

तुलन पत्र तिथि के उपरांत कोई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित नहीं हुई है।

लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। वर्ष 2012–13 के लिए नियुक्त लेखापरीक्षकों के नाम वार्षिक रिपोर्ट के अलग से मुद्रित है।

2012–13 के लिए नियुक्त किए गए लागत लेखापरीक्षकों का विवरण तथा लागत लेखापरीक्षा विवरण का मुद्रण वार्षिक रिपोर्ट में अलग से किया गया है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित बिंदुओं के उत्तर तथा भारत के नियंत्रण एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों के उत्तर **अनुबंध–VI** में दिए गए है।

आभार

निदेशक मंडल कंपनी के भारत और विदेश में महत्वपूर्ण ग्राहकों के प्रति संगठन में उनके द्वारा व्यक्त विश्वास और प्रदान किए गए सहयोग के लिए हार्दिक सराहना करता है और भविष्य में आपस में सहयोगपूर्ण संबंधों को बनाए रखने की आशा करता है।

निदेशक मंडल कंपनी के परिचालन और विकास संबंधी योजनाओं में भारत सरकारके विभिन्न मंत्रालयों, विशेषकर भारी उद्योग विभाग से प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन के लिए भी कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है। निदेशकगण भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों, सांविधिक लेखापरीक्षकों, शाखा लेखापरीक्षकों और लागत लेखापरीक्षकों का भी हार्दिक धन्यवाद देते हैं। कंपनी सभी प्रौद्योगिकी सहयोगियों और आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त निरंतर सहयोग और वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकरों द्वारा प्रदान किए गए समर्थन के लिए आभार व्यक्त करती है। निदेशक मंडल बीएचईएल परिवार के सभी सदस्यों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहता है, जिनके उत्साह, समर्पण और सहयोग से उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन संभव हो सका।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के
निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

राव बी पी

(बी. प्रसाद राव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 3 अगस्त, 2013

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–I

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

क. कंपनी का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(i) स्टैंडएलोन वित्तीय परिणाम

तुलन पत्र

1. शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
अधिकृत शेयर पूंजी	**2000**	2000
जारी अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी	**490**	490

वर्ष 2012–13 के दौरान शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं है।

2. प्रारक्षित निधि और अधिशेष

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
प्रारक्षित पूंजी	**3**	3
सामान्य प्रारक्षित निध	**28850**	23850
लाभ और हानि का अधिशेष	**1102**	1031
	29955	24884

प्रतिधारित आय में विस्तार के उपरांत प्रारक्षित निधि और अधिशेष वर्ष 2012–13 में ₹ 5071 करोड़ बढ़ गया। वर्ष 2012–13 के लिए लाभ में से ₹ 5000 करोड़ की राशि को सामान्य प्रारक्षित निधि में स्थानांतरित कर दी गई।

3. ऋण

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2012–13			वित्तीय वर्ष 2011–12		
	लंबी अवधि	**लघु अवधि**	**कुल**	लंबी अवधि	लघु अवधि	कुल
असुरक्षित ऋण–वित्तीय लीज़	**129**	**0**	**129**	123	0	123
सुरक्षित ऋण–निर्यात क्रेडिट	**0**	**1286**	**1286**	0	0	0
	129	**1286**	**1415**	**123**	**0**	**123**

नकदी प्रवाहों को व्यवस्थित करने के लिए निर्यात क्रेडिट के जरिये लघु अवधि ऋणों के कारण ऋणों में बढ़ोतरी हुई है।

4. अन्य दीर्घावधि/चालू देनदारियों

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2012–13			वित्तीय वर्ष 2011–12		
	अन्य दीर्घावधि देनदारियां	वर्तमान देनदारियां	कुल	अन्य दीर्घावधि देनदारियां	वर्तमान देनदारियां	कुल
व्यापार भुगतान (स्वीकृतियों सहित)	**756**	**9675**	**10431**	617	10255	10872
ग्राहकों और अन्य से प्राप्त जमा	**74**	**481**	**555**	105	444	549
ग्राहकों और अन्य से प्राप्त अग्रिम	**4960**	**11261**	**16221**	6837	13144	19981
अन्य देयताएं/देनदारियां	**-**	**2120**	**2120**	-	2236	2236
	5790	**23537**	**29327**	7559	26079	33638

अन्य दीर्घावधि देनदारियों और वर्तमान देनदारियों में 2012–13 में ₹ 4311 करोड़ की कमी ग्राहकों से अग्रिमों के निवल शेष में बढ़ोतरी के कारण है।

5. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2012–13			वित्तीय वर्ष 2011–12		
	लंबी अवधि	**लघु अवधि**	**कुल**	लंबी अवधि	लघु अवधि	कुल
कर्मचारी लाभार्थ प्रावधान	**2185**	**488**	**2673**	2076	401	2477
संविदा दायित्व हेतु प्रावधान	**3603**	**1387**	**4990**	2793	1057	3850
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	**-**	**941**	**941**	-	1047	1047
अन्य प्रावधान	**145**	**193**	**338**	136	130	266
	5933	**3009**	**8942**	**5005**	**2635**	**7640**

2012–13 में ₹ 1302 करोड़ की कुल प्रावधान में निवल वृद्धि संविदा दायित्व के लिए अतिरिक्त प्रावधान के कारण है।

6. स्थाई परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
सकल ब्लॉक	**10783**	9707
घटाएं–मूल्यह्रास / परिशोधन	**6328**	5413
घटाएं–पट्टा समायोजन लेखा	**(3)**	(3)
निवल ब्लॉक	**4458**	4297
चालू पूंजीगत कार्य प्रगति पर	**1134**	1324
विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां	**38**	23
	5630	**5644**

वर्ष के दौरान सकल ब्लॉक में ₹ 1076 करोड़ की वृद्धि, और विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों सहित प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य में ₹ 175 करोड़ की कमी रही है। शुद्ध वृद्धि विभिन्न विनिर्माण इकाइयों और विद्युत परियोजना स्थलों पर सुविधाएं शुरू करने पर पूंजीगत व्यय के कारण हुई है।

7. गैर चालू निवेश

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
दीर्घावधि व्यापार निवेश	**429**	462

दीर्घावधि व्यापार निवेश में ₹ 33 करोड़ की कमी उडानगुडी पावर कारपोरेशन लिमि. में बीएचईएल के हिस्से की बिक्री के कारण हुई है।

8. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	**1551**	1546

आस्थगित कर आस्तियां (निवल) में ₹ 5 करोड़ की सामान्य वृद्धि मुख्यतः आयकर पर अधिभार के कारण हुई है।

9. ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2012–13			वित्तीय वर्ष 2011–12		
	लंबी अवधि	लघु अवधि	कुल	लंबी अवधि	लघु अवधि	कुल
ऋण एवं अग्रिम	**905**	**2029**	**2934**	900	2112	3012

ऋणों और अग्रिमों ₹ 78 करोड़ की कमी मुख्यतः क्रय के लिए अग्रिमों में कमी के कारण हुई है।

10. मालसूची

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
मालसूची	**11764**	13549

निचले स्तर पर मालसूची के अनुरक्षण के लिए सभी प्रयास किये गये हैं। कुल कारोबार के दिनों के रूप में यह वर्ष 2011–12 में 100 दिनों के कम होकर 86 दिन रह गई है।

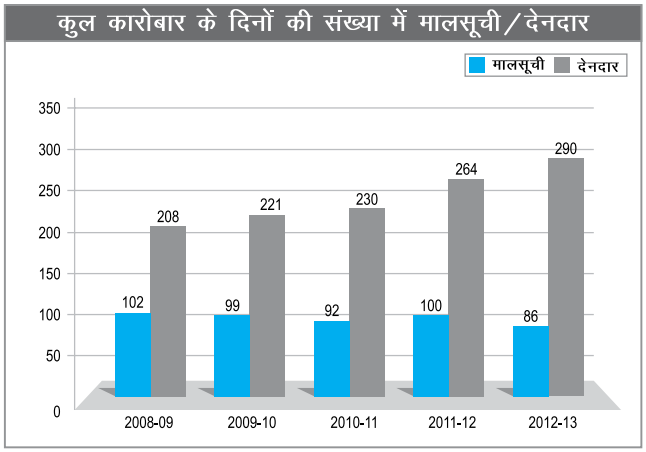

11. प्राप्य

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2012–13			वित्तीय वर्ष 2011–12		
	लंबी अवधि	लघु अवधि	कुल	लंबी अवधि	लघु अवधि	कुल
व्यापार प्राप्य (निवल)	**10654**	**29234**	**39888**	9384	26357	35741

प्राप्तियों में ₹ 4147 करोड़ की वृद्धि हुई। कारोबार के दिनों की संख्या में 2011–12 में 264 दिनों से बढ़कर यह 2012–13 में 290 दिन हो गई।

12. नकद और बैंक अधिशेष

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
नकद एवं बैंक अधिशेष	**7732**	6672

2012–13 के अंत में नकद और बैंक अधिशेष लघु अवधि के ₹ 1286 करोड़ का ₹ 6446 करोड़ निवल होगा।

13. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
नकद एवं बैंक अधिशेष	**200**	151

अन्य चालू परिसंपत्तियां बैंक जमाओं और निवेशों पर प्राप्त ब्याज है।

लाभ एवं हानि विवरण

14. प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
सकल कारोबार	**50156**	49510
घटाएं : उत्पादक शुल्क	**1904**	1847
घटाएं : सेवा कर	**634**	435
प्रचालनों से राजस्व (निवल)	**47618**	47228

2012–13 के दौरान बीएचईएल ने ₹ 50156 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक कारोबार दर्ज़ किया है। कंपनी के कुल राजस्व में में विद्युत क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र ने क्रमशः 79 प्रतिशत और 21 प्रतिशत का योगदान किया।

15. अन्य प्रचालन आय

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
निर्यात प्रोत्साहन	**24**	12
स्क्रैप बिक्री	**283**	308
अन्य	**500**	431
	807	751

अन्य प्रचालन आय में सामान्य वृद्धि किराए और बीमा आय में वृद्धि का परिणाम है।

16. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
विनिमय विभिन्नता (निवल)	**143**	99
ब्याज आय	**605**	814
अन्य आय	**374**	353
	1122	1266

वर्ष की दौरान अन्य आय में ₹ 144 करोड़ की कमी मुख्यतः ब्याज आय में कमी के कारण हुई है।

17. सामग्री की खपत, निर्माण एवं इंजीनियरी व्यय

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
कच्ची सामग्री एवं संघटकों की खपत की लागत	**23044**	24549
स्टोर्स एवं स्पेअर्स की खपत	**584**	564
निर्माण एवं इंजीनियरी व्यय	**4271**	3795
	27899	28908

डब्ल्यूआईपी एवं एफजी में अभिवृद्धि/कमी के समायोजन के उपरांत शुद्ध कारोबार का प्रतिशत 2011–12 में 60.49 प्रतिशत से घटकर 2012–13 में 59.13% हो गया।

18. कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
कर्मचारी लाभ व्यय	**5753**	5465

कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभों में 5 प्रतिशत, यानी 288 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि 2011–12 में ₹ 5465 करोड़ के मुकाबले 2012–13 में ₹ 5753 करोड़ हो गये।

19. वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
ब्याज और अन्य उधार लागत	**125**	51

ब्याज लागत वित्त लीज पर ली गई परिसंपत्तियों पर लीज किराये के ब्याज घटक तथा वर्ष के दौरान लघु अवधि ऋणों पर ब्याज का प्रतिनिधित्व करती है।

20. विनिर्माण, प्रशासन बिक्री और वितरण के अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
विनिर्माण, प्रशासन, बिक्री और वितरण के अन्य	**3777**	3223

विनिर्माण, प्रशासन, बिक्री एवं वितरण के अन्य व्ययों में वृद्धि 2011–12 की तुलना में ₹ 554 करोड़ है जो कि प्रचालनों की मात्रा और वर्ष के दौरान प्रभारित लिक्विडेटिड हानियों के भी कारण है।

21. प्रावधान (निवल)

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
प्रावधान (निवल)	**1566**	1403

पिछले साल की तुलना में प्रावधान (निवल) में 163 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः संविदागत देनदारियों के लिए प्रावधान में निवल वृद्धि के कारण है।

22. मूल्यह्रास

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
मूल्यह्रास	**953**	800

मूल्यह्रास में ₹ 153 करोड़ की वृद्धि परिसंपत्तियों की कमीशनिंग पर सकल ब्लॉक में वृद्धि के कारण है।

23. कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
आयकर–चालू वर्ष	**3042**	3277
– पिछले वर्ष	**(220)**	(632)
आस्थगित कर प्रभार / (क्रेडिट)	**(4)**	617
कर व्यय (निवल)	**2818**	3262

वर्ष में लाभ में परिवर्तन के अनुरूप कर व्यय (निवल) घटा है।

24. कर पश्चात् लाभ

(₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
कर पश्चात लाभ	**6615**	7040

25. लाभांश

कंपनी ने वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 489.52 करोड़ की शेयर पूंजी पर 106% (₹ 2.12 प्रति शेयर) अर्थात ₹ 518.89 करोड़ का अंतरिम लाभांश अदा किया है। निदेशक मंडल ने 164 प्रतिशत (₹ 3.29 प्रति शेयर) अर्थात् ₹ 804.11 करोड़ के अंतिम लाभांश की भी सिफारिश की है।

वर्ष 2012–13 के लिए कुल लाभांश पिछले वर्ष में ₹ 1566.47 करोड़ (प्रति शेयर ₹ 6.40) की तुलना में ₹ 1323 करोड़ (₹ 5.41 प्रति शेयर) है।

प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कॉर्पोरेट लाभांश कर के लिए ₹ 136.66 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अंतरिम लाभांश पर ₹ 84.18 करोड़ कॉर्पोरेट लाभांश कर का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

26. सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरण

2012–13 के दौरान ₹ 5000 करोड़ सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित किये गये हैं।

(ii) सहायक कंपनियों का वित्तीय पुनरीक्षण

क) भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी)

भारत हेवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी) बीएचईएल की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है जिसका अधिग्रहण 10.05.2008 को किया गया था। 2012–13 में बीएचपीवी ने ₹ 240.27 करोड़ के कारोबार पर ₹ 35.04 करोड़ का लाभ कमाया।

बीएचपीवी की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
इक्विटी में बीएचईएल का निवेश	**₹1/- पर**	₹1/- पर
शेयरों को जारी करने के लिए अग्रिम	**34.00**	34.00
कारोबार	**240.27**	155.80
कर पश्चात् लाभ	**35.04**	10.44

ख) बीएचईएल इलेक्ट्रिकल्स मशीन्स लिमिटेड

19 जनवरी, 2011 को ₹ 5.36 करोड़ की इक्विटी निवेश के साथ बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड के नाम से एक सहायक कम्पनी का निगमन किया गया जिसने बीएचईएल के पास 51% का मुख्य अंश है और केरल सरकार के पास 49% है। 2012–13 में बीएचईएल ईएमएल ने ₹ 26.53 करोड़ के कारोबार पर ₹ 0.50 करोड़ का घाटा दर्ज़ किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
इक्विटी में बीएचईएल का निवेश	**5.36**	5.36
कारोबार	**26.53**	21.14
कर पश्चात लाभ	**-0.55**	-0.38

(iii) संयुक्त उद्यम कंपनियों की वित्तीय समीक्षा

क) बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीजीजीटीएस)

बीजीजीटीएस, बीएचईएल तथा जीई, यूएसए के बीच एक संयुक्त उपक्रम है। इसका गठन जीई द्वारा डिजाइन की गई गैस टर्बाइनों की मरम्मत और सर्विस के लिए किया गया है। कंपनी वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
इक्विटी में बीएचईएल का निवेश	**2.38**	2.38
कारोबार	**813.78**	513.28
कर पश्चात लाभ	**81.70**	60.76
निवल मूल्य	**157.38**	114.48

वर्ष के दौरान बीजीजीटीएस ने ₹ 4.76 करोड़ की इक्विटी शेयर पूंजी पर 500 प्रतिशत अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है और प्रस्तावित अंतिम लाभांश 200% है।

ख) एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजैक्टस प्रा. लि. मि. (एनबीपीपीपीएल)

विद्युत क्षेत्र में ईपीसी कार्यों के निष्पादन के लिए 28 अप्रैल, 2008 को बीएचईएल तथा एनटीपीसी के बीच संयुक्त उपक्रम शुरू किया गया। इसकी वित्तीय उपलब्धियाँ निम्नलिखित है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
इक्विटी में बीएचईएल का निवेश	**25.00**	25.00
कारोबार	**116.25**	145.55
कर पश्चात लाभ	**5.66**	13.06

*अनंतिम आंकड़ों पर आधारित

ग) उडनगुड़ी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल)

उडनगुडी में 1600 मेगावाट (2x800 मेगावाट) सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट निर्मित, प्रापण एवं परिचालन के लिए बीएचईएल तथा टीएनईबी में दिनांक 26 दिसंबर, 2008 को एक संयुक्त उपक्रम शुरू किया गया है। बीएचईएल ने 26.03.2013 को यूपीसीएल में अपना संपूर्ण हिस्सा बेच दिया।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
इक्विटी में बीएचईएल का निवेश	-	32.50
निवल ब्लॉक	-	29.09
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	-	41.75

घ) रायचूर पावर कारपोरेशन लिमि.

बीएचईएल के बनाने, अपनाने और परिचालित करने के आधार पर कर्नाटक में सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के हेतु कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम कम्पनी प्रवर्तित किया है। इस संयुक्त उद्यम को ''रायचुर पावर कारपोरेशन लिमिटेड के नाम से 15 अप्रैल, 2009 को निगमित किया गया।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
इक्विटी में बीएचईएल का निवेश	**331.52**	331.52
निवल ब्लॉक	**3.35**	3.40
प्रगति में पूंजीगत कार्य (पूंजी व्यय के लिए अग्रिमों सहित)	**3531.85**	1469.07

*अनंतिम आंकड़ों पर आधारित

ड़) दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड

बीएचईएल ने निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन आधार पर खाण्डवा, मध्यप्रदेश में 2x800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने हेतु मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम प्रवर्तित किया है। यह संयुक्त उद्यम ''दादा धुनीवाले खाण्डवा पावर लिमिटेड'' के नाम 25 फरवरी, 2010 को निगमित किया गया था।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2012–13	वित्तीय वर्ष 2011–12
इक्विटी में बीएचईएल का निवेश	**22.50**	22.50
निवल ब्लॉक	**0.02**	0.03
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	**1.63**	0.75

*अनंतिम आंकड़ों पर आधारित

च) लातूर पावर कंपनी लिमि

बीएचईएल ने लातूर, महाराष्ट्र में 2x660 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र अथवा 1500 मेगावाट गैस आधारित संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र (सीसीपीपी) की स्थापना के लिए महाराष्ट्र विद्युत उत्पादन कंपनी लिमि0 (महाजेनको) के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी प्रमोट की है। ये संयुक्त उद्यम कंपनी 06.04.2011 को ''लातुर पावर कंपनी लिमिटेड'' के नाम से निगमित की गई। जेवीसी की वर्तमान प्रदत्त इक्विटी ₹ 5 करोड़ है जो कि दोनों ही साझेदारों ने समान रूप से अंशदान के रूप में देने की स्वीकृति दी है।

क) पावर प्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड

बीएचईएल तथा सीमेन्स के बीच संयुक्त उपक्रम अभी परिसमापन अधीन है।

(iv) समेकित वित्तीय विवरण (सीएफ़एस)

''संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग पर'' समेकित वित्तीय विवरण तथा लेखांकन मानक – 27 पर लेखांकन मा. क्र. 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

उपयफ्रक्त के अनुरूप वित्तीय निष्पादन पर परिणामों का संक्षिप्त सार निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	2012–13	2011–12	2011–12 की तुलना में प्रतिशत की वृद्धि
लाभ हानि खाते का विवरण			
कारोबार	50673	49898	1.55
कर पूर्व लाभ	9531	10367	-8.06
कर पश्चात लाभ	6693	7087	-5.56
तुलन पत्र			
निधियों के स्रोत			
शेयरधारक निधि	30533	25403	20.19
अल्प ब्याज	5	5	0.00
गैर चालू देनदारियां	13007	12880	0.99
चालू देनदारियां	28208	29142	-3.20
कुल	**71753**	**67430**	**6.41**
निधियों का अनुप्रयोग			
निवल ब्लॉक (सीडब्ल्यूआईपी सहित)	7036	6282	12.00
गैर चालू निवेश	6	6	0.00
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	1556	1549	0.45
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	11744	10374	13.21
चालू परिसंपत्तियां	51411	49219	4.45
कुल	**71753**	**67430**	**6.41**

पावर क्षेत्र

बीएचईएल द्वारा 2x660 बाढ़ सुपरक्रिटिकल विद्युत परियोजना निष्पादनाधीन है।

ख. व्यवसाय खण्ड का कार्यनिष्पादन

पावर सेक्टर

पिछले कुछ वर्षों से भारतीय विद्युत क्षेत्र में धीमी गति प्रदर्शित हो रही है। कोयला संपक्र, पर्यावरणीय स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण और धन की कमी के मुद्दों के परिणामस्वरूप नई परियोजनाओं को, विशेषकर निजी क्षेत्र में, अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और वर्तमान में चल रही कुछ परियोजनाओं के निष्पादन की गति धीमी है।

- पावर सेक्टर व्यवसाय खंड में, इन चुनौतियों और जबर्दस्त प्रतिस्पर्धा के दबाव के बावजूद, बीएचईएल ने यूटिलिटी सेटों के लिए घरेलू बाजार में अपनी प्रमुखता को बनाए रखा है:
  - ❒ पावर सेक्टर ने ₹ 25,560 करोड़ मूल्य के आर्डर प्राप्त किये पिछले साल से 82% अधिक।
  - ❒ वर्ष के दौरान 8 नग टरबाईन जनरेटर पैकेज और 9 नग सुपरक्रिटिकल सेटों के लिए बॉयलर के आर्डर प्राप्त किये।
  - ❒ ग्राहकों का विश्वास बनाए रखा 2x700 मेगावाट ईआरएपीपी 7 एवं 8 के लिए टीजी पैकेज के पुनः आदेश।
  - ❒ कड़ी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के तहत सुपुरक्रिटिकल सेटों के लिए 7 नग स्टैंडअलोन ईएसपी पैकेजों के आदेश।

पावर सेक्टर में प्राप्त महत्वपूर्ण आर्डरों में शामिल हैं:

थर्मल:

सब–क्रिटिकल आर्डर्स:

- 1x500 कि.वा. एनटीपीसी, विंध्याचल चरण–V: स्टील जनरेटर, टरबाईन जनरेटर एवं ईएसपी पैकेज

सुपर–क्रिटिकल रेटिंग्स:

- 2x660 मेगावाट एनटीपीसी/मौडा: ईएसपी पैकेज
- 2x660 मेगावाट एनटीपीसी/शोलापुर: ईएसपी पैकेज
- 2x660 मेगावाट डीवीसी/रघुनाथपुर: टीजी पैकेज
- 3x660 मेगावाट एनपीजीसीएल/नबीनगर: एसजी, ईएसपी पैकेज
- 2x800 मेगावाट एनटीपीसी/गदरवारा: एसजीए टीजी पैकेज
- 2x660 मेगावाट आआरवीयूएनएल/सूरतगढ़: निर्माण प्रापण एवं कमीशनिंग पैकेज
- 2x660 मेगावाट ओपीजीसीएल/आईबी घाटी: बायलर टरबाईन जनरेटर पैकेज

हाइड्रो

- 3x57 मेगावाट एनटीपीसी/लता तपोवन: इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल पैकेज

गैस

- 160 मेगावाट आरआरवीयूएनएल/रामगढ़ सीसीपीपी चरण–IV: बीटीजी पैकेज

न्यूक्लियर

- 2x700 मेगावाट एनपीसीआईएल/आरएपीपी 7 एवं 8: टीजीए कंट्रोल एवं इंस्ट्रयमेंटेशन और कंट्रोल सेंटर इंस्ट्रयुमेंटेशन पैकेज
- 2x700 मेगावाट एनपीसीआईएल/केएपीपी 3 एव 4: सीसीआई पैकेज

स्पेयर्स एवं सेवाएं व्यवसाय समूह (एसएसबीजी)

स्पेयर्स एवं सेवाएं व्यवसाय खण्ड में ₹ 2885 करोड़ का आदेश प्रवाह: 2011–12 में ₹ 2250 करोड़ पर 28% (व.द.व.) की वृद्धि।

बीएचईएल ईएसपी और सीएंडआई रेट्रोफिट बिजनेस के क्षेत्र में बाज़ार का सफाया कर दिया और कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच ₹ 499 करोड़ मूल्य के आर्डर प्राप्त किये।

प्रमुख कमीशनिंग

- अब तक सर्वोच्च 10340 मेगावाट के विद्युत संयंत्र उपकरण समकालिक/कमीशन किये गये जिनमें देश में 9328 मेगावाट यूटिलिटी, 703 मेगावाट केप्टिव/औद्योगिक सेट और विदेशी बाज़ारों में 309 मेगावाट के उपकरण शामिल हैं।

ओपीजीसीएल/आईबी टीपीएस, बनहारपल्ली के लिए 2x660 मेगावाट हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर

2x600 मेगावाट नार्थ चेन्नई टीपीएस–चालू किया गया, यह भारत का ईपीसी आधार पर 600 मेगावाट का पहला स्वदेशी विनिर्मित सब–क्रिटिकल सेट है।

2x270 मेगावाट आधुनिक टीपीएस–यूनिट 1 चालू की गई

2x363 मेगावाट गैस आधारित विद्युत संयंत्र, ओटीपीसी–पलटाना

- वर्ष के दौरान अब तक की सर्वोच्च 9328 मेगावाट की यूटिलिटी परियोजना को कमीशन/सिंक्रोनाइज़ किया गया। पिछले पांच वर्षों में सतत रूप से ऊपरी रूझान बनाए रखे हुए है।
- वर्ष के दौरान अब तक की सर्वोच्च 9,298 मेगावाट यूटिलिटी क्षमता जोड़ी गई। पिछले वर्ष से 14% अधिक और 30 मेगावाट समकालिक की गई, क्षमता विस्तार हेतु यूटिलिटीज से मंजूरी का इंतजार है।
- पिछले साल के 21 के मुकाबले कुल 29 यूटिलिटी सेट कमीशन किए गए।
- बीएचईएल आपूर्तिकृत यूटिलिटी सेटों की स्थापित क्षमता 1,15,500 मेगावाट पहुंच गई जिससे देश में ताप, विद्युत, जलविद्युत और परमाणु सेटों को मिलाकर कुल स्थापित क्षमता में सर्वाधिक 57% हिस्सा बरकरार रखा गया।
- देश में क्षमता विस्तार में बीएचईएल का अंशदान पिछली तिमाही में 56% था।
- यूटिलिटी सेटों के लिए मार्च, 13 में 4,621 मेगावाट की कमीशनिंग।
- 58 प्रमुख संयंत्र पैकेजों के लिए कार्यनिष्पादन गारंटी परीक्षण के पूरा करने की दृष्टि से केंद्रीय निगरानी प्रणाली भुगतान लाभांश की स्थापना।

(टीजी, बायलर, ईएसपी, मिल्स)

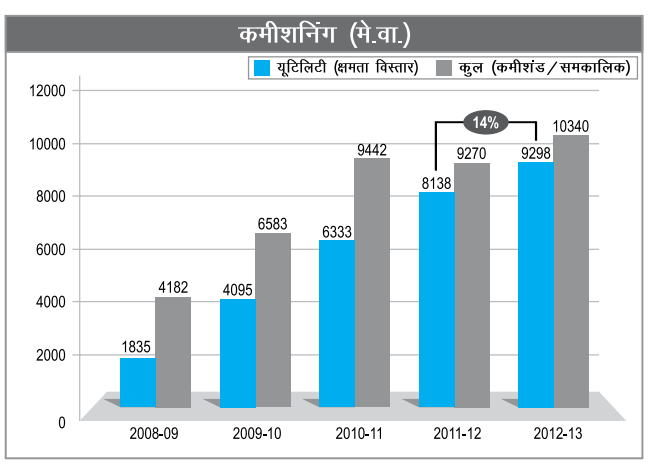

पहली बार उपलब्धियां

- नार्थ चेन्नई में ईपीसी आधार पर भारत का पहला स्वदेशी विनिर्मित 600 मेगावाट का सब–क्रिटिकल सेट चालू किया गया।
- टीजी बायलर हेतु मैथन पर 525 मेगावाट की उच्चतम क्षमता का 'कार्यनिष्पादन गारंटी परीक्षण' संचालित किया गया।
- 1000 मेगावाट जनरेटर स्टेटर वाइंडिंग एचवी टैस्ट (कुडानकुलम 1 एवं 2) संचालित किया गया।

वर्ष के दौरान चालू किये गये 29 यूटिलिटी सेटों की संख्या निम्नानुसार है–

- छत्तीसगढ़ में कोरबा पश्चिम (500 मेगावाट)
- दिल्ली में प्रगति सीसीपीपी जीटी–3 (250 मेगावाट)
- गुजरात में पिपावाव मॉडयूल–II सीसीपीपी (351 मेगावाट), उकाई यू 6 (500 मेगावाट)
- हरियाणा में झज्जर यू 3 (500 मेगावाट)
- जम्मू एवं कश्मीर में छुतक एचईपी यू 1,2,3 एवं 4 (4x11 मेगावाट)
- झारखंड में आधुनिक यू 1, 2 (2x270 मेगावाट), कोडरमा यू 2 (500 मेगावाट)
- मध्य प्रदेश में बीना यू 1 एवं 2 (2x250 मेगावाट), सतपुड़ा यू 10 (250 मेगावाट), विंध्याचल यू 11 एवं 12 (2x500 मेगावाट)
- महाराष्ट्र में अमरावती यू 1 (270 मेगावाट), बेला यू 1 (270 मेगावाट), मोडा यू 1 एवं 2 (2x500 मेगावाट)
- राजस्थान में रामगढ़ जीटी (110 मेगावाट)
- तमिलनाडु में नार्थ चेन्नई यू 2 (600 मेगावाट), वेल्लूर यू 2 (500 मेगावाट)

बीएचईएल–निर्मित 200 मेगावाट (यूनिट 5) सिंगरौली एसटीपीएस में वर्ष भर निर्बाध प्रचालन शुरू

बीएचईएल आपूरित 500 मेगावाट (यूनिट 5)–ट्राम्बे टीपीएस ने वर्षभर निर्बाध प्रचालन किया।

- त्रिपुरा में ओटीपीसी त्रिपुरा (363.3 मेगावाट)
- उत्तर प्रदेश में हरदुआगंज यू 9 (250 मेगावाट), परिछा यू 5 एवं 6 (2x250 मेगावाट), रिहंद यू 5 (500 मेगावाट)

बीएचईएल द्वारा विदेशों में कमीशन किए गए सेटों में पश्चिमी माउंटेन एक्सटेंशन लीबिया, यूनिट–6 (157 मेगावाट), फिनचा शूगर फैक्ट्री, इथियोपिया यूनिट–1 (12.5 मेगावाट), पीटी एमएसडब्ल्यू इंडोनेशिया–बायलर (30 मेगावाट), वरजोब–हाईड्रो पावर स्टेशन तजिकिस्तान–यूनिट I एवं II (2x4.75 मेगावाट), नामचेन हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट, वियतनाम–यूनिट–I (100 मेगावाट)

बीएचईएल यूटिलिटी सेटों का कार्यनिष्पादन

- बीएचईएल थर्मल सेटों (कोयला+लिग्नाइट) पिछले वर्ष के 4,59,706 मि.यू. के मुकाबले 4,83,431 मि.यू. का उत्पादन किया और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले 5.16% की वृद्धि देखी गई तथा थर्मल यूटिलिटी सेटों से देश के उत्पादन में लगभग 70 प्रतिशत वृद्धि के साथ कुल 6,91,340 मि.यू. का योगदान किया।
- बीएचईएल कोयल आधारित सेटों ने 69.95 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 73.7 प्रतिशत का पीएलएफ दर्ज़ किया।
- वर्ष के दौरान बीएचईएल द्वारा आपूरित 195 मेगावाट और अधिक थर्मल सेटों, जो कि देश के ताप उत्पादन क्षमता की रीढ़ हैं, का उत्पादन 77.3 प्रति के पीएलएफ के साथ और 89.3 प्रतिशत के ओए के साथ 4,54,304 मि.यू. रहा।
- बीएचईएल उपकरणों से सज्जित 13 स्टेशनों ने 90 प्रतिशत से अधिक का पीएलएफ दर्ज़ किया:

  उ.क्षे. : रिहंद चरण–II (92.5), सिंगरौली (92.3) ऊंचाहार (92.8)

  प.क्षे : बज बज (93.5)

  प.क्षे. : भिलाई (96.8), डहानु (100.2), कोरबा (एनटीपीसी) (90.1), विंध्याचल (91.3), रायगढ़ (90.2)

  द.क्षे. : काकतिया (90.9), नार्थ मद्रास (91.9), रामागुंडम (90.7), तुतिकोरिन (90.4)

- 187 बीएचईएल आपूरित कोयला आधारित सेटों ने 70 प्रतिशत से अधिक पीएलएफ हासिल किया। इनमें से 57 सेटों ने 90 प्रतिशत से अधिक और 73 सेटों ने 80 से 90 प्रतिशत के बीच पीएलएफ हासिल किया है।
- बीएचईएल कोयला सेटों ने 86.3 प्रतिशत की प्रचालन उपलब्धता (ओ.ए) दर्ज़ की है।
- बीएचईएल आपूरित 500 मेगावाट सेटों ने पिछले छह वर्षों में 90 प्रतिशत से अधिक की सतत उपलब्धता दर्ज़ की।
- 167 बीएचईएल थर्मल सेटों ने 90 प्रतिशत से अधिक या समकक्ष ओ.ए. हासिल किया है।
- 182 बीएचईएल आपूरित कोयला आधारित सेटों ने वर्ष के दौरान 90 दिनों से अधिक के लिए निर्बाध प्रचालन हासिल किया है, जिनमें से:
  - 59 सेट वर्ष के दौरान 90 से अधिक दिनों के लिए लगातार चल
  - 27 सेट 200 से अधिक दिनों के लिए लगातार चले
- ट्राम्बे यू 5 (500 मेगावाट) और सिंगरौली यू 5 (200 मेगावाट) में वर्ष भर निर्बाध प्रचालन जारी रहा–बीएचईएल की उत्पाद उत्कृष्टता की एक परीक्षा।

सेवाएं

बीएचईएल ने निर्बाध विद्युत आपूर्ति की सुविधा और विद्युत संयंत्रों को अच्छी चालू हालत में रखते के उद्देश्य से दक्ष ग्राहक सेवा को जारी रखा।

- सेवा क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 12–13 में रू 533.58 करोड़ में 30 प्रतिशत बढ़ते आर्डर प्रवाह के साथ असाधारण वृद्धि हासिल की।
- वर्ष के दौरान बीएचईएल ने 176 सेटों को ओवरहाल किया जिनमें एक गैर बीएचईएल सेट शामिल है–ये संख्या पिछले पांच वर्षों में सर्वाधिक है।

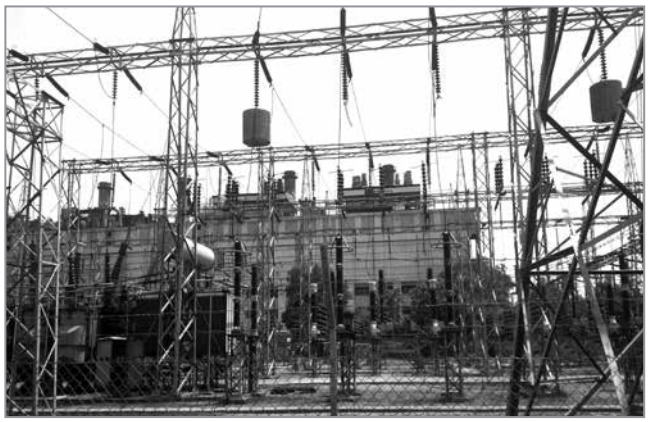

पीएसपीसीएल जीएनडीटीपी भटिण्डा टीपीएस–3 में 110मेगावाट यूनिट का दर्ज़ा बढ़ाकर 120 मेगावाट किया गया।

- वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान आरएंडएम में 485 की अब तक की सर्वाधिक कमीशनिंग। सेटों का विवरण:
- जेएसईबी पतरातु टीपीएस–10 (110 मेगावाट)
- पीएसपीसीएल जीएनडीटीपी भटिण्डा टीपीएस–3 (110 मेगावाट) उन्नत करके 120 मेगावाट किया गया।
- ओएचपीसी रेंगाली एचईपी–1 (50 मेगावाट)
- जीएसईसीएल उकाई एचईपी–1 (75 मेगावाट)
- जेएसईबी सुबर्णरेखा एचईपी, सिकिदिरी (2x65 मेगावाट)
- सतपुड़ा (210 मेगावाट) में बायलर का आरएंडएम जिससे 30 वर्षों के बाद भी पूर्ण लोड पर इसका प्रचालन संभव हुआ है।

विदेशी परियोजना में सेवाएं कार्य:

- चूखा भूटान यूनिट–284 मेगावाट (आरएंडएम कार्य)
- वारजोब–हाइड्रो पावर स्टेशन ताजिकिस्तान–यूनिट I–II (आरएंडएम और अपरेटिंग)
- लीबिया (एसएएस) में जनरेटर–3 (153 मेगावाट) की ओवरहालिंग और 'स्टेटर बार रिप्लेसमेंट'

ग्राहक संतुष्टि

हमारे मूल्यावान ग्राहकों ने बीएचईएल के बड़ी संख्या में प्रयासों, जैसे कि वर्तमान प्रणालियों में सुधार, चुनौतीपूर्ण स्थितियों में निर्धारित समय से पहले कार्यों को पूरा करने के वास्ते की प्रशंसा पत्रों, पुरस्कारों आदि के साथ सराहना की है।

उल्लेखनीय प्रशंसापत्र एमडी, जिंदल पावर लिमि. से प्राप्त हुआ जो कि जेपीएल रायगढ़ में प्री असेम्बल्ड कन्डेंसर को सही स्थान पर सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए किए गए श्रेष्ठ प्रेक्टिसों को लेकर है।

कई प्रतिष्ठित ग्राहकों (जैसे कि कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, दामोदर घाटी निगम, एमएसपीजीसीएल, एनटीपीसी, तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आदि) से बीएचईएल द्वारा प्रदत्त उत्कृष्ट सहयोग के लिए प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए हैं।

एनटीपीसी के लिए पिछले साल 1000 मेगावाट के मुकाबले 2012–13 में 3500 मेगावाट क्षमता विस्तार किया गया। इसके साथ ही एनटीपीसी की 41,184 मेगावाट की क्षमता में बीएचईएल का योगदान 70 प्रतिशत हो जाता है।

भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के अनुरूप समूचे विद्युत क्षेत्र के लिए पहली बार ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित किया गया। ये सर्वेक्षण 77 ग्राहक स्थलों पर बाहरी एजेंसी के जरिए संचालित किया गया जिसमें 271 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया।

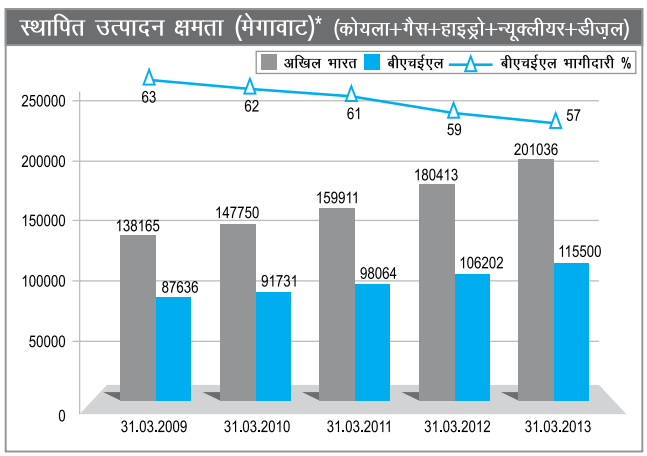

गैर परंपरागत विद्युत उत्पादन सेट शामिल नहीं. मेगावाट अपरेटिंग/डीरेटिंग विचारित नहीं

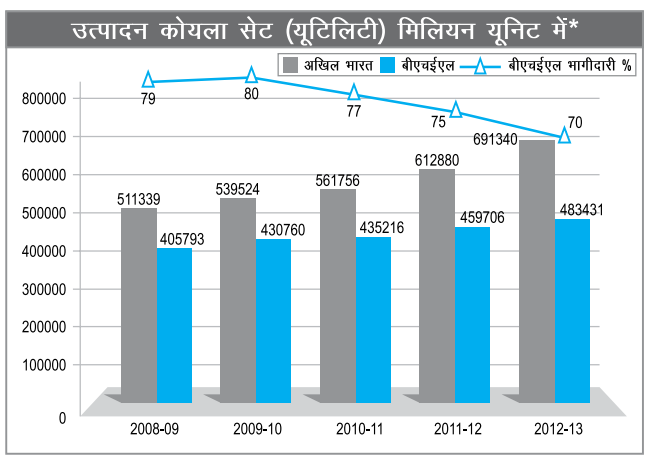

*बीएचईएल के 30 मेगावाट रेटिंग के सेटों और 3 प्राइवेट यूटिलिटीज (तोरंगालु, टाटा जोजोबेरा, सूरत लिग्नाइट) के उत्पादन शामिल नहीं है।

उद्योग क्षेत्र

औद्योगिक खंड में बीएचईएल के पहले दो–सिलेंडर अपरेटिड 150 मेगावाट (रीहीट) रेटिंग टरबाईन महान में हिंडाल्को के लिए चालू किया गया।

उद्योग क्षेत्र

उद्योग क्षेत्र में बीएचईएल ने कैप्टिव पावर, रेल परिवहन, विद्युत ट्रांसमिशन, तेल एवं गैस, नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में ₹ 4500 करोड़ के आर्डर प्राप्त किए।

वर्ष के दौरान उद्योग खंडवार प्राप्त मुख्य आर्डर/अन्य व्यावसायिक उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:–

कैप्टिव विद्युत संयंत्र

- मैसर्स नालको से उसके दामनजोड़ी संयंत्र के लिए चीनी वेंडर्स से जबर्दस्त प्रतिस्पर्धा के बीच 5वां बैक प्रेशर टरबाईन जनरेटर (19.5 मेगावाट सेट) के लिए आर्डर। विभिन्न विस्तार चरणों के लिए 4 नग 18.5 मेगावाट बीएचईएल टरबाईन पहले ही आपूर्ति किये जो चुके हैं और सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं।
- जबर्दस्त प्रतिस्पर्धा के बीच मैसर्स पारादीप फास्फेट से उसके पारादीप में उर्वरक संयंत्र हेतु 23 मेगावाट एसटीजी सेट के लिए आर्डर। वर्तमान में बीएचईएल निर्मित 2 नग 16 मेगावाट एसटीजी सेट 1986 से संतोषजनक ढंग से प्रचालन में हैं।
- जबर्दस्त प्रतिस्पर्धा के बीच आदित्य बिरला केमिकल (इंडिया) लिमि. से उनके पालामाउ, बिहार कॉस्टिक संयंत्र हेतु एक अन्य 33 मेगावाट भाप टरबाईन एवं जनरेटर सेट का आर्डर। बीएचईएल निर्मित 30 मेगावाट एसटीजी सेट वर्ष 2000 से संतोषजनक ढंग से प्रचालन में हैं, इसके अलावा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के लिए 150 मेगावाट के 12 सेट और ग्रासिम (आदित्य बिरला ग्रुप कंपनीज़) के लिए 4x20–32 मेगावाट एसटीजी सेट निर्माण/कमीशनिंग के विभिन्न चरणों में हैं।

परियोजना कमीशनिंग

- माहन में हिंडाल्को के लिए औद्योगिक खंड में बीएचईएल का पहला दो–सिलेंडर अपरेटिड 150मेगावाट (रिहीट) रेटिंग टरबाईन चालू की गई।
- बीएचईएल ने कैप्टिव पावर/औद्योगिक खंड में 703.3 मेगावाट कमीशन किया गया।
- भारत में पहली बार एचएमईएल के जीजीएसआर रिफाइनरी के लिए रिफाइनरी ईंधन गैस से चलने वाला गैस टरबाईन चालू किया गया। इसके लिए ग्राहक की प्रशंसा भी प्राप्त हुई है।

नवीकरणीय व्यवसाय

- एनटीपीसी से ऊंचाहार और तालचर प्रत्येक 10 मेगावाट के लिए 2 सौर फोटो वाल्टियक हेतु आर्डर मिले। यह बीएचईएल द्वारा प्राप्त अब तक सबसे उच्च रेटिड एसपीवी विद्युत संयंत्र आर्डर है।
- मांडया, कर्नाटक में केपीसीएल के लिए 5 मेगावाट ग्रिड कनेक्टिड एसपीवी संयंत्र चालू किया गया।

लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीपों में बिजली विभाग हेतु कुल 1.9 मेगावाटपी एसपीवी संयंत्र के तौर पर ग्रिड इंटरेक्टिव सोलर पावर प्लांट चालू किये गये।

- लक्षद्वीप के एंडरोट (320 कि.वा.) कावारत्ती (760 कि.वा.) और काडमत (270 कि.वा.) द्वीपों में एवपीवी संयंत्र चालू किये गये। इसके साथ ही बीएचईएल ने लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीपों में कुल 1900 कि.वा. एसपीवी संयंत्रों को चालू किया है। सौर फोटो वाल्टियक मॉड्यूल्स का प्रयोग करते हुए ये सबसे बड़ी द्वीप विद्युतीकरण कार्यक्रम है।

परिवहन व्यवसाय समूह

- स्थानीय और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से जबर्दस्त प्रतिस्पर्धा के बीच भारतीय रेलवे से परंपरागत एसी ईएमयू/डेमू हेतु इलेक्ट्रिक्स के 319 सेटों, 756 नग ट्रैक्शन मोटर्स और 252 नग ट्रैक्शन अल्टरनेटर के लिए आर्डर प्राप्त हुए।
- सीएलडब्ल्यू, चित्तरंजन से 6000 एचपी डब्ल्यूएजी–9 लोकोमोटिव के लिए कंट्रोल इलेक्ट्रानिक्स के साथ पावर कन्वर्टर के 47 सेटों के लिए सबसे बड़ा एकल आर्डर।
- विभिन्न गैर रेलवे ग्राहकों से 350–1400 एचपी की रेंज में 12 नग डीजल इलेक्ट्रिक शंटिंग लोकोमोटिव के लिए आर्डर प्राप्त किए।

बीएचईएल के झांसी में ट्रांसफार्मर संयंत्र में एसी ईएमयू का विनिर्माण किया जा रहा है

राजस्थान में हरित क्षेत्र मेमू सुविधा के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौते पर हस्ताक्षर

मुंबई में उपनगरीय सेवाएं संचालित करने के लिए मध्य और पश्चिमी रेलवे हेतु बीएचईएल ने पुरानी डीसी ईएमयू रैकों को एसीईएमयू में उन्नत किया

- रेलवे कोचों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बीएचईएल ने रेलवे के लिए मेमू कोचों के विनिर्माण हेतु राजस्थान में एक हरित क्षेत्र निर्माणी की स्थापना के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
- रेलवे बोर्ड के 30 सेटों के आदेशों के तहत इलेक्ट्रिक लोको हेतु आईजीबीटी आधारित परपल्शन सिस्टम के 15 सेटों की आपूर्ति पूरी की गई। इनमें से ज्यादातर सेटों को लोकोज में कमीशन किया जा चुका है और वे व्यावसायिक सेवा में हैं। आईजीबीटी आधारित परपल्शन सिस्टम के प्रथम प्रोटोटाइप सेट युक्त लोकोमोटिव पहले ही व्यावसायिक सेवा में 1 लाख कि.मी. तय कर चुके हैं।
- भारतीय रेलवे को 63 नग 25 केवी एसी वैग–7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की अपूर्ति की गई जो कि किसी एकल वित्तीय वर्ष में रेलवे को आपूर्ति की गई लाको की सबसे बड़ी संख्या है।
- एसी सप्लाई पर चलन हेतु पश्चिमी और मध्य रेलवे के पुराने डीसी ईएमयू रैकों का निर्माण करने के लिए बीएचईएल ने वर्तमान 1000 केवीए एसी ईएमयू ट्रांसफार्मर्स के बाहरी क्षेत्र में परिवर्तन किये बगैर 1200 केवीए के अपरेटिड एसी ईएमयू विकसित किये हैं ताकि उन्हें पुराने कोचों में उपलब्ध सीमित स्थान में ही फिट किया जा सके। इससे रेलवे को मुंबई में उपनगरीय सेवाओं का संचालन जारी रखने में मदद मिलेगी जहां डीसी आपूर्ति को चरणबद्ध रूप से हटाया जा रहा है।
- भारतीय रेलवे को सर्वोच्च एसी ईएमयू इलेक्ट्रिक के 237 सेटों की आपूर्ति की गई।
- भारत की पहली भूमिगत मेट्रो के विस्तार के लिए अपेक्षित कोलकाता मेट्रो कोचों के 13 रैकों के लिए इलेक्ट्रिक्स की सुपुर्दगी निर्धारित समय पर पूरी कर ली गई। साथ ही रेलवे को आईसीएफ/आरसीएफ आर्डर्स की एसी ईएमयू इलेक्ट्रिक्स और डेमू इलेक्ट्रिक्स की आपूर्ति भी समय पर पूरी कर ली गई।
- एसी लोकोमोटिव्स के लिए रेलवे की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए झांसी संयंत्र में विनिर्माण क्षमता को और बढ़ाकर 60 लोको प्र.व. से 75 लोगो प्र.व. किया गया।
- बीएचईएल भारतीय रेलवे को आईजीबीटी आधारित परपल्सन के साथ 6000 एचपी वैग–9 एसी लोकोमोटिव्स के विनिर्माण और आपूर्ति के लिए पूरी कमर कस ली है।

औद्योगिक उत्पाद–इलेक्ट्रिकल

- आंध्र प्रदेश में चिंतलापुडी लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए मैसर्स क्साइलेम वाटर साल्यूशन्स इंडिया प्रा. लिमि. के जरिए 10 नग वर्टिकल सिंक्रोनियस मोटर्स के लिए आर्डर प्राप्त किया। इससे सिंचाई क्षेत्र में पंप ओईएमएस ऑपरेटिंग के तौर पर बीएचईएल को स्थापित करने में मदद मिलेगी।
- रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमि. के साथ उनकी हज़ीरा, जामनगर परियोजनाओं और अन्य स्थलों के लिए 160–470 कि.वा. एचटी मोटर्स की आपूर्ति हेतु दर संविदा को अंतिम रूप दिया गया।
- बीएचईएल ने निम्नलिखित का विकास करते हुए एक और मील का पत्थर कायम किया:–
  - कलपक्कम में 500 मेगावाटई प्रोटो टाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के प्राइमरी सोडियम पम्पस एप्लीकेशन के लिए 3600 कि वा 10 पोल वर्टिकल मोटर स्थापित की गई। किर्लोस्करवाडी में पंप वेंडर मैसस केबीएल वर्क्स में पंप, कन्वर्टर और पोनी मोटर के साथ मोटर की ऑन लोड एकीकृत टैस्टिंग संचालित की गई।
  - एनपीसीआईएल भाविनी के लिए समुद्र जल पंप अनुप्रयोग हेतु 4370 कि.वा., 6.6 केवी की सबसे बड़ी 20 पोल सीएसीए वर्टिकल इंडक्शन मोटर का सफलतापूर्वक विकास।

- 600 मेगावाट प्रयागराज एसटीपीपी के आईडी फैन अनुप्रयोग के लिए सबसे बड़ी रेटिंग 5450 कि.वा., 11 केवी, 8 पोल सीएसीडब्ल्यू एच–माउॅयल मोटर।
- ईएमएल, कासरगोड एलटी मोटरों की वाइंडिंग के लिए कम लागत आपूर्तिकर्ता के तौर पर विकसित हुआ। एचईपी भोपाल द्वारा उनसे मश वाइंडिंग के साथ स्टाटर कैप्सूल अर्जित किया गया और मोटरों को टैस्ट और डिस्पैच किया गया।

औद्योगिक उत्पाद–मैकेनिकल

- ओएनजीसी ने ओएनजीसी/सिबसागर के अन्य चार रिग्स के रिफर्बीशमेंट और उन्नयन के लिए आर्डर प्रस्तुत करते हुए बीएचईएल में भरोसा जताया है।
- ओएनजीसी, ओआईएल और अन्य ड्रिलिंग कंपनियों से 2012–13 के दौरान डब्ल्यूएच और एक्स–मस ट्रीज की आपूर्ति के लिए अब तक का वर्ष के दौरान सर्वोच्च आर्डर बुकिंग हासिल की।
- आरआईएनएल, विजाग के लिए 5.75 केएससीए के डिस्चार्ज प्रेशर पर 4,18,000 Nm3/hr की क्षमता वाले बीएचईएल के सबसे बड़े टर्बो ब्लोअर को सफलतापूर्वक चालू किया गया।
- एमआरपीएल पीएफसीसीयू रिफाइनरल के लिए बीएचईएल ने कम्प्रेशर (2MCL1007 कम्प्रेशर) की आपूर्ति की। कम्प्रेशर को 243733 किग्रा./घंटा के बड़े प्रवाह के संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। बीएचईएल ने भाप टरबाईन ईएचएनके 40/56–3 के साथ इस कम्प्रेशर का यांत्रिक चलन परीक्षण और पूर्ण यूनिट परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया और साथ ही कम्प्रेशर का कार्यनिष्पादन परीक्षण भी पूरा किया।

ट्रांसमिशन प्रणाली–उपकेंद्र/स्विचयार्ड

- एनपीजीसीएल से प्रतिस्पर्धी बोली के तहत नबीनगर में 400/132 केवी स्विचयार्ड के लिए आर्डर प्राप्त किया।
- मै. बीएसईबी से प्रतिस्पर्धी बोली के तहत 220 केवी पुसौली न्यू एस/स्टे. एवं दिहरी (एस/स्टे एक्स) के लिए आर्डर प्राप्त किया।
- ± 800 केवी 6000 मेगावाट, मल्टी–टर्मिनल एचवीडीसी एनई आगरा परियोजना के लिए, विश्व में सबसे बड़ी एचवीडीसी परियोजना निर्माणाधीन, डीसी वाल्व हाल का डिज़ाइन कार्य पूरा कर लिया गया है। 77 मी फैलाव और 40 मी ऊंचाई वाले डीसी यार्ड उपकरण इन्डोर्स को रखने के लिए डीसी हाल के लिए प्री–फैब्रिकेटिड बिल्डिंग पहली बार भारत में डिज़ाइन की गई है।
- 2500 मेगावाट एचवीडीसी बलिया–भिवाड़ी का पोल 2 जून, 2012 में चालू किया गया जिसकी संपूर्ण आपूर्ति बीएचईएल ने की है और इसमें भोपाल वर्क्स से 4 नग कन्वर्टर ट्रांसफार्मर शामिल हैं। सितंबर, 2012 में 1250 मेगावाट का पूर्ण लोड विद्युत प्रवाह हासिल कर लिया गया। इसके साथ परियोजना को 2500 मेगावाट की पूर्ण क्षमता के साथ लोड कर दिया गया।
- बीएचईएल ने आंतरिक इंजीनियरी एवं एकीकरण विशेषज्ञता के बल पर 33 केवी से शुरू करते हुए जीआईएस के क्षेत्र में अपनी ईपीसी की मौजूगी को विस्तारित किया है और इसके अंतर्गत जीआईएस रेटिंग 66 केवी, 132 केवी, 220 मेगावाट तथा 400 मेगावाट तक शामिल है।
- मैसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड की पारादीप रिफाइनरी में ट्रांसमिशन बिजनेस ग्रुप द्वारा अक्तूबर 12 में 66 केवी गैस इंसुलेटिड स्विचगियर (जीआईएस) को टर्नकी संविदा के भाग के तौर पर चार्ज किया गया।
- 2x600 मेगावाट नार्थ चेन्नई टीपीएस चरण–2, यूनिट–2 के लिए 400 केवी गैस इन्सुलेटिड स्विचगियर (जीआईएस) को दिसंबर 12 में बीएचईएल के ट्रांसमिशन बिजनेस ग्रुप ने कमीशन किया। ईपीसी ताप विद्युत परियोजना में कमीशन की गई। ये पहला 400 केवी जीआईएस है।

बीना में पीजीसीआईएल परीक्षण में 1200 केवी ट्रांसफार्मर

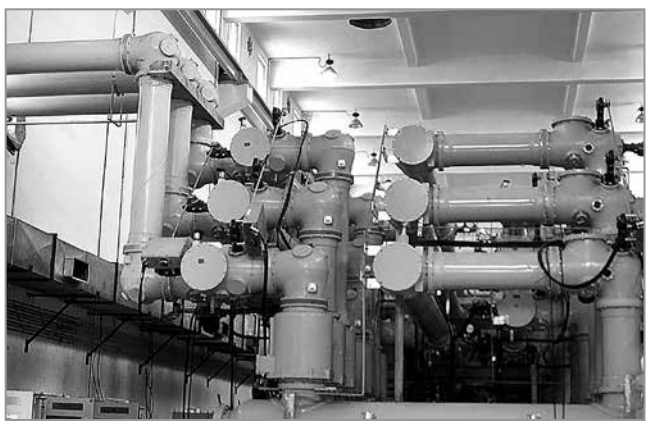

2x600 मेगावाट नार्थ चेन्नई टीपीएस चरण–II, यूनिट–2 के लिए 400 केवी जीआईएस कमीशन किया

- बीना में पीजीसीआईएल के राष्ट्रीय प्रायोगिक उपकेंद्र का फेस–1 मई 2012 में बीएचईएल के 1200 केवी UHVAC ट्रांसफार्मर, 1200 केवी CVT और डिस्क इंसुलेटर्स सें चार्ज़ किया गया था। तब से यह परियोजना सफल प्रचालन में है। बीएचईएल 1200 केवी ट्रांसफार्मर का सफलतापूर्वक डिज़ाइन, विनिर्माण और परीक्षण करने वाला भारत में पहला विनिर्माता है।
- बीएचईएल ने प्रथम 400 केवी, 315 एमसीए फेस शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर को सफलतापूर्वक विकसित और परीक्षित किया है जो कि कोठगुडम टीपीएस में संस्थापना के लिए एपीजीईएनसीओ को सप्लाई किया गया है।
- बीएचईएल ने एचवीडीसी और एफएसीटीएस अनुप्रयोगों के लिए थाईरिस्टर वाल्स माडॅयूल्स की असेम्बली और टैस्टिंग के लिए ईडीएन, बंगलौर में थइरिस्टर वाल्स हेतु अत्याधुनिक सुविधा स्थापित की है।
- एचवीडीसी और एफएसीटीएस परियोजनाओं के लिए विनिर्माण कैपेसिटर्स हेतु आईएसओ –146441–1 के अनुरूप स्वच्छता श्रेणी 6 की पुष्टिकरण के लिए भोपाल में कैपेसिस्टर शॉप का उन्नयन किया गया है।
- ± 800 केवी एचवीडीसी परियोजना के लिए कन्वर्टर ट्रांसफार्मर के विनिर्माण और परीक्षण के लिए भोपाल वर्क्स में अतिरिक्त निवेश किया गया है।

ट्रांसमिशन उत्पाद

- एक और मील का पत्थर कायम करते हुए, बीएचईएल ने 765 केवी ट्रांसफार्मर बिजनेस में प्रवेश किया करते हुए दो महत्वपूर्ण आर्डर हासिल किये हैं:
  - पश्चिमी उ.प्र. पारेषण प्रणाली उन्नयन के लिए 765 केवी ऑटो ट्रांसफार्मर और शंट रिएक्टर्स, साथ में अन्य ट्रांसफार्मर के लिए मेगा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमि.
  - 765 केवी जनरेटर ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर्स के लिए बीआईडीसीओ और आगामी ललितपुर 3x660 मेगावाट टीपीएस के लिए शंट रिएक्टर्स।

    आर्डर में कुल 53 नग 12365 एमवीए 765 केवी ट्रांसफार्मर और रिएक्टरों के डिजाइन, विनिर्माण, परीक्षण और आपूर्ति शामिल है जिनका विनिर्माण भोपाल में अत्याधुनिक ट्रांसफार्मर संयंत्र में किया जाएगा।

± 500 केवी, 2500 मेगावाट बलिया–भिवाड़ी एचवीडीसी परियोजना के लिए 498 एमवीए, 500 केवी कन्वर्टर ट्रांसफार्मर

765 केवी रेंज ट्रांसफार्मर में बीएचईएल की छलांग ने ईएचवी खण्ड में बीएचईएल की स्थिति को और मज़बूत कर दिया है।

- विभिन्न ग्राहकों जैसे कि पीएसटीसीएल (पंजाब), एनटीपीसी (टांडा), रिलायंस (डहानु), छत्तीसगढ़, दादरा और नगरहवेली आदि से बातचीत आधार पर कई ट्रांसफार्मर/स्विचगियर आर्डर प्राप्त होने से ग्राहकों का बीएचईएल में भरोसा मजबूत हुआ है।
- विद्युत ट्रांसफार्मर्स/स्विचगियर/बस डक्टस के लिए प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण आर्डर्स हैं:
  - आरआरवीपीएनएल (राजस्थान) – 9 नग 160 एमवीए, 220 केवी ऑटो ट्रांसफार्मर
  - टेंट्रेंस्को (त.) – 6 नग 100 एमवीए, 220 केवी ऑटो ट्रांसफार्मर
  - एमपी ट्रांसको एवं डिस्काम – 1378 नग वैक्यूम सक्रिट ब्रेकर्स
  - यूपी डिस्काम – 809 नग वैक्यूम सक्रिट ब्रेकर
  - एनटीपीसी (नबीनगर, मौडा और सोलापुर) – 7x660 मेगावाट टीपीएस के लिए 7 सेट बसडक्टस
- > 100 एमवीए, 220/66 केवी सिस्टम पावर ट्रांसफार्मर की शार्ट सक्रिट टैस्टिंग भारत में पहली बार सफलतापूर्वक की गई। इस ट्रांसफार्मर का पीएसटीसीएल के लिए बीएचईएल झांसी में विनिर्माण किया गया और सीपीआरआई में परीक्षण किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय

न्यू कैलेडोनिया में निष्पादनाधीन दो 135 मेगावाट सर्कुलेटिंग फ्ल्युडाइज्ड बेड कम्ब्यूशन (सीएफबीसी) बॉयलर

अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय

अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में, पिछले कुछ सालों से आर्थिक अनिश्चितताओं और राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण कठिनाइयां पेश आई हैं जिससे विश्वव्यापी पूंजीनिवेश को बुरी तरह प्रभावित किया है। विशेषकर हमारे लक्षित बाजारों में नई परियोजनाएं नहीं आ रही हैं और योजनागत परियोजनाएं भी रोक ली गई हैं अथवा धीमा कार्यनिष्पादन मार्ग पर चल रही हैं। इन चुनौतीपूर्ण रूझानों के बावजूद बीएचईएल 2012–13 में 20 देशों से ₹ 2004 करोड़ के भौतिक निर्यात आदेश इन्फलो के साथ निर्यात की गति को बनाए रखने में कामयाब रहा है और उसे पिछले साल के मुकाबले आठ गुणा वृद्धि दर्ज़ की है। वर्तमान बाजारों में कंपनी की मौजूदगी को स्थापित करने के अलावा नए बाजारों और नए उत्पाद क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कदम बढ़ाते हुए वैश्वीकरण के प्रति वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण कदम बढ़ाये गये।

2012–13 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

वर्ष के दौरान बीएचईएल ने निम्नलिखित प्रतिष्ठित आर्डर अर्जित किये हैं:

- भूटान से प्रमुख आर्डर–भूटान में अपनी त्वरित सफल दर्शाते हुए बीएचईएल ने 1020 मेगावाट पुनातसंगछु–II हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट के लिए इलेक्ट्रो–मैकेनिकल पैकेज के लिए और 720 मेगावाट मांगडेछु हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट के इलेक्ट्रो मैकेनिकल पैकेज के लिए आर्डर अर्जित किया। इस आर्डर के साथ भूटान में बीएचईएल द्वारा अनुबंधित कुल क्षमता 4356 मेगावाट (भूटान की कुल क्षमता का करीब 98%) पहुंच गई है। एक अन्य प्रमुख उपलब्धि जबर्दस्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच पुनात्संगछु–II हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट के लिए ट्रांसफार्मर पैकेज हेतु आर्डर प्राप्त करना था।
- नये बाज़ारों में प्रवेश – पूर्वी अफ्रीका में अपनी उपस्थिति

भूटन में 720 मेगावाट मांगडेचु हाइड्रो पावर प्रोजैक्टर के इलेक्ट्रो–मैकेनिकल पैकेज की आपूर्ति के समझौते पर हस्ताक्षर

विश्व भर में सैल के साथ चयनित सैल स्थलों पर गैस टरबाईन जनरेटर पैकेज की आपूर्ति के लिए उद्यम फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर

के समेकन के साथ बीएचईएल ने बुरूंडी में 2x10 मेगावाट काबु हाइड्रो परियोजना के लिए आर्डर अर्जित करते हुए वहां सफलतापूर्वक प्रवेश किया। बीएचईएल ने पहली बार मै. एब्सोल्यूट अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से ओएलटीसी की आपूर्ति के लिए आर्डर प्राप्त किया।

- पुनः आदेश – वैलहैडस के पूर्व के आदेशों के सफलतापूर्वक निष्पादन के अनुरूप, बीएचईएल ने जिंदल पेट्रोलियम ऑपरेटिंग कंपनी, जॉर्जिया और अमरान एस्टेब्लीशमेंट एलएलसी, ओमान से वैलहैडस के लिए रिपीट आर्डर प्राप्त किये। बीएचईएल द्वारा 4 नग फ्रेम 6बी गैस टरबाईन्स की सफल सुपुर्दगी के बाद मैसर्स आईईआर, यूएई ने एफआर–6बी गैस टरबाईन के रोटर के लिए एक आर्डर जारी किया। इसके अलावा मेटसो ऑटोमेशन, अमरीका से बस एक्सटेंशन मॉडयूल के लिए भी रिपीट आर्डर (समान ग्राहक से तीसरी बार) प्राप्त किया। इसके अलावा बीएचईएल ने मोमबासा सीमेंट लिमि. केन्या से 1900 किवा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की आपूर्ति के लिए रिपीट आर्डर प्राप्त किया।
- बिक्री उपरांत सेवाओं पर सतत फ़ोकस से स्पेअर्स और सर्विसिज के लिए अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, ज्योर्जिया, इंडोनेशिया, ईरान, जार्डन, केन्या, लीबिया, मलेशिया, मालटा, न्यू कैलेडोनिया, नाईजीरिया, ओमान, श्रीलंका, यूएई, अमरीका और यमन से आर्डर प्राप्त हुए हैं।

प्रमुख विदेशी आर्डरों का निष्पादन

वर्ष 2012–13 में बीएचईएल ने विदेशी बाजारों में 309 मेगावाट के विद्युत संयंत्र क्षमता को सफलतापूर्वक कमीशन किया है। वर्ष के दौरान कमीशन किये गये प्रमुख संयंत्रों में लीबिया, ताजिकिस्तान, इथियोपिया, वियतनाम और इंडोनेशिया में विद्युत संयंत्रों का संचालन रहा।

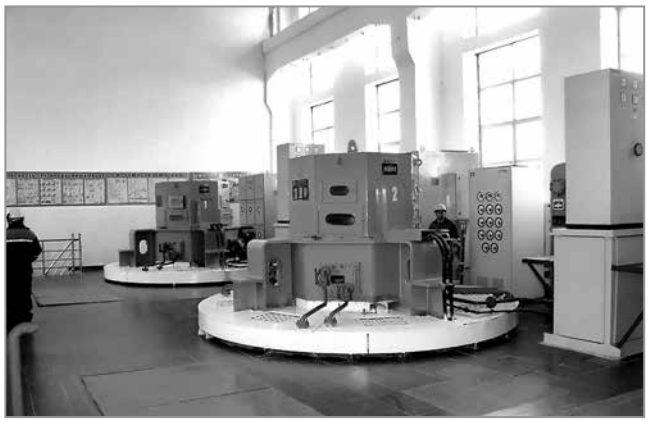

2x4.75 मेगावाट वारज़ोब पावर प्लांट का आधुनिकीकरण और ऑपरेटिंग करके उसे चालू किया गया तथा ताजिकिस्तान सरकार को सौंपा गया

- **लीबिया** – यूनिट–6 (157 मेगावाट) वर्ष के दौरान लीबिया की जनरल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए वेस्टर्न माउंटेन जीटीपीपी को कमीशन किया गया। इसके साथ ही बीएचईएल की लीबिया में स्थापित क्षमता 1,182 मेगावाट हो गई है।
- **ताजिकिस्तान** – 2x4.75 मेगावाट वारज़ोब पावर प्लांट का आधुनिकीकरण और अपरेटिंग करके उसे कमीशन किया और परियोजना को ताजिकिस्तान सरकार को सौंपा गया।
- **इथियोपिया** – फिन्चा शुगर फैक्ट्री की पहली यूनिट (12.5 मेगावाट) को सफलतापूर्वक कमीशन की गई।

इंडोनेशिया में पीटी–एमएसडब्ल्यू इंडोनेशिया सीएफबीसी बायलर परियोजना की पहली यूनिट (30 मेगावाट) सफलतापूर्वक सिंक्रोनाइज की गई

- वियतनाम – नाम चिन हाइड्रो प्रोजैक्ट की पहली यूनिट (100 मेगावाट) को सफलतापूर्वक कमीशन किया।
- इंडोनेशिया – पीटी – एमएसडब्ल्यू इंडोनेशिया सीएफबीसी बायलर परियोजना की पहली यूनिट (30 मेगावाट) को सफलतापूर्वक समकालिक किया गया।

वर्तमान में हम विश्व के 23 देशों में फैली 30 परियोजनाओं पर काम कर रहे है, कुछेक देशों के नाम हैं–अफगानिस्तान, बेलारूस, भूटान, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, इथियोपिया, इंडोनेशिया, न्यू कैलेडोनिया, ओमान, रवांडा, सूडान, सीरिया और यमन आदि।

ग्राहक प्रशंसा

- **ओमान** – 2 x Fr 5 जीटीजी मिना अल रिफाइनरी–ओमान ऑयल रिफाइनरीज़ और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज कंपनी एसएओसी से चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ।
- **यूएई** – 2 x Fr 6B जीटीजी अल घाइल पावर प्रोजैक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अल घाइल पावर एलएलसी से प्रशंसा का प्रमाण–पत्र प्राप्त।
- **अजरबाईजान** – इमिशली और काला पावर ट्रांसमिशन प्रोजैक्ट के सफल निष्पादन और बिक्री उपरांत समर्थन के लिए जेएससी अजरेन्जी से प्रशस्ति प्राप्त।

चेक गणराज्य के व्यापार और उद्योग मंत्री बीएचईएल को ''प्रोडक्ट ग्रुप ऑफ प्रोजैक्ट एक्सपोर्टस लार्ज इंटरप्राइज'' में वर्ष 2011–12 के लिए ईईपीसी स्टार परफारमर अवार्ड प्रदान करते हुए

पूंजी निवेश

माननीय केंद्रीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री बीएचईएल, तिरूचिरापल्ली में नई बिलेट चार्जिंग मशीन का उद्घाटन करते हुए

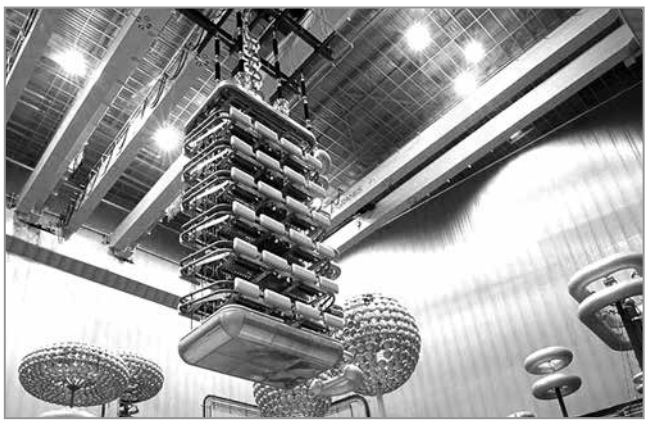

± 800 केवी, 6000 मेगावाट एनई–आगरा एचवीडीसी परियोजना थाइरिस्टर वाल्व मॉडयूल डी'–इलेक्ट्रिक परीक्षण के अधीन

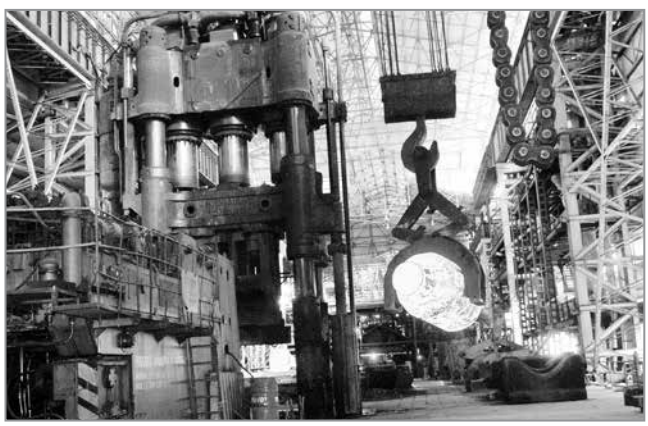

सीएफएफपी, हरिद्वार में 500/600 मेगावाट रोटर फोर्जिंग सुविधा

ईडीएन, बंगलुरू में नई ऑटोमेटिड सोलर फोटोवाल्टेईक पैनल विनिर्माण सुविधा

ग. पूंजी निवेश

- बीएचईएल ने विनिर्माण यूनिटों और विद्युत परियोजना कार्यस्थलों में विनिर्माण क्षमता की वृद्धि और सुविधाओं के आधुनिकीकरण 2012–13 के दौरान ₹ 752 करोड़ का पूंजी निवेश किया।
- मौजूदा पुरानी सुविधाओं की अवधि, विश्वसनीयता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए ₹ 83 करोड़ के अतिरिक्त निवेश के माध्यम से उनके पुनःनिर्माण तथा रिट्रोफिटिंग पर ध्यान केन्द्रित किया गया।
- त्रिची में हमारे सीमलैस स्टील ट्यूब प्लांट के होट मिल के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए प्रमुख क्षमता विस्तार के एक भाग के तौर पर, प्रति वर्ष क्षमता में दोगुणा वृद्धि करते हुए 86,500 मी.ट. करने हेतु उत्पादन ट्रायल चल रहा है, जिसके लिए प्रमुख सुविधाओं में रोटरी हीर्थ फर्नेस, वाकिंग बीम फर्नेस और स्ट्रैच रिडयूशिंग को कमीशन किया जा रहा है। इससे बायलर विनिर्माण के लिए एक प्रमुख इनपुट के लिए सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित हो सकेगी। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की शुरूआत के साथ, उत्पादन में काफी सुधार होगा, प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी।
- हमारी इलेक्ट्रानिक्स डिवीजन, बंगलुरू में अल्ट्रामार्डन 20 मेगावाट सोलर पीवी माडयूल विनिर्माण लाइन की संस्थापना के साथ फोटोवोल्टेईक माडयूल विनिर्माण क्षमता में वृद्धि की गई है।
- बीएचईएल ± 800 केवी एचवीडीसी ट्रांसमिशन प्रणाली और एसी ईएमयू, डेमू तथा 6000 एचपी एसी लोकोमोटिव्स के लिए आईजीबीटी आधारित परपल्सन सिस्टम्स के लिए अपनी विनिर्माण और परीक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रहा है।
- पर्यावरण के संरक्षण और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की दिशा में बीएचईएल ने हरिद्वार में अपने केंद्रीय फाउण्ड्री फोर्ज़ प्लांट में डीजल तेल संचालित फर्नेसिस को प्राकृतिक गैस में कन्वर्जन के लिए कदम उठाये हैं।
- हरित प्रयासों के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए प्रयासों और सतत विकास के लिए योगदान हेतु, बीएचईएल अपने रानीपेट स्थित बायलर सहायक संयंत्र में 5 मेगावाटपी ग्रिड–इंटरेक्टिव एसपीवी विद्युत संयंत्र की स्थापना कर रहा है।
- बीएचईएल विद्युत पारेषण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी समर्थन, विकास और उन्नयन के प्रयासों के तहत अपने कारपोरेट आरएंडडी, हैदराबाद में उन्नत ट्रांसमिशन प्रणाली हेतु उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कर रहा है और उसने ट्रांसमिशन उत्पादों के विकास के लिए 1200 केवी तक ट्रांसमिशन वोल्टेज को सिमुलेट करने की क्षमता युक्त रियल टाइम डिजिटल सिमुलेटर (आरटीडीएस) को कमीशन किया है।

घ. संयुक्त उद्यम

I) बीएचईएल जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीजीजीटीएस)

जीई द्वारा डिजाइन की गई गैस टर्बाइनों की मरम्मत और सर्विसिंग के लिए बीएचईएल और जीई, यूएस द्वारा संयुक्त उपक्रम के रूप में संवर्धित बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज लिमिटेड (बीजीजीटीएस) ने अपने परिचालन के पन्द्रह पूर्ण वित्तीय वर्ष पूरे कर लिए हैं।

बीजीजीटीएस ने वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 81.70 करोड़ के कर उपरांत लाभ के साथ ₹ 813.78 करोड़ का कुल कारोबार किया। वर्ष के दौरान बीजीजीटीएस द्वारा लगभग ₹ 489.20 करोड़ के आर्डर बुक किए। बीजीजीटीएस ने सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के ग्राहकों को सफलतापूर्वक गैस टर्बाइन सर्विसिंग पूरी करने के साथ–साथ कुल–पुर्जे सप्लाई किए हैं। वर्ष 2012–13 के लिए बीजीजीटीएस ने लगातार सुधरा हुआ रिकार्ड कार्यनिष्पादन दर्शाते हुए 700 प्रतिशत लाभांश की घोषणा की।

II) पावर प्लांट परफार्मेंस इंप्रूवमेंट लिमिटेड (पीपीआईएल)

पुराने जीवाश्म ईंधन चालित पावर प्लांटों के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए बीएचईएल ने सीमेंस, जर्मनी के साथ संयुक्त उपक्रम कंपनी पावर प्लांट परफार्मेंस इंप्रूवमेंट लिमिटेड (पीपीआईएल) को संवर्धित किया गया है।

पीपीआईएल बकाया मामलों के समाधान तथा लंबित अनुबंधों के रुके हुए भुगतान की प्राप्ति के लिए प्रक्रियारत है। चूंकि, कंपनी की पर्याप्त व्यवसाय व्यवहार्यता दिखाई नहीं देती, इसलिए दोनों प्रवर्तक साझेदार पारस्परिक रूप से धीरे–धीरे कंपनी को बंद करने पर सहमत हो गए हैं।

II) एनटीपीसी, बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (एनबीपीपीएल)

बीएचईएल ने भारत और विदेश में विद्युत संयंत्रों और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ईपीसी संविदा पूरी करने के लिए संयुक्त उपक्रम कंपनी "एनटीपीसी– बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड" को संवर्धित किया है। जेवीसी ने मन्नवरम, आन्ध्र प्रदेश में भूमि का अधिग्रहण कर लिया है और ईपीसी के संचालन और विद्युत संयंत्रों के लिए शेष संयंत्र उपकरणों के विनिर्माण के लिए निवेश के चरण–I का कार्यान्वयन प्रक्रिया में है।

एनबीपीपीएल ने कोयला आधारित संयंत्रों के विनिर्माण और आपूर्ति के लिए मै. डीएमडब्ल्यू, अमरीका के साथ एक तकनीकी सहयोग समझौता किया है। वर्तमान में जेवीसी उसे सौंपे गये बकाया संयंत्र उपकरणों के लिए आदेशों का निष्पादन कर रही है। जेवीसी की वर्तमान प्रदत पूंजी ₹ 50 करोड़ है और इसमें बीएचईएल और एनटीपीसी का प्रत्येक

का ₹ 25 करोड़ का हिस्सा है। इसके अलावा जेवीसी को चरण–I के कार्यान्वयन हेतु इसकी पूंजीगत व्यय अपेक्षा को पूरा करने के लिए मई, 2013 दो प्रोमोटर्स ने, प्रत्येक ने ₹ 25 करोड़ का इक्विटी अंशदान किया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए जेवीसी ने ₹ 116.25 करोड़ का कुल कारोबार और अनुमानतः कर पश्चात लाभ (गैर अंकेक्षित) ₹ 5.66 करोड अर्जित किया है।

IV) उडनगुडी पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल)

बीएचईएल ने उडनगुडी, तूतीकोरिन, तमिलनाडु में बनाने, अपनाने और परिचालित करने के आधार पर 2x800 मेगावाट सुपरक्रिटीकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ संयुक्त उपक्रम कंपनी संवर्धित की है। संयुक्त उपक्रम कंपनी 26 दिसंबर, 2008 को 'उडनगुडी पावर कारपोरेशन लिमिटेड' के नाम से निगमित की गई थी। संयुक्त उपक्रम की प्रदत्त इक्विटी ₹ 65 करोड़ थी जिसमें टीएनईबी और बीएचईएल ने समान रूप से ₹ 32.5 करोड़ का अभिदान किया है।

जेवीसी बीएचईएल को मुख्य संयंत्र उपकरण को अंतिम रूप देने के लिए कोयला संपक्र और पर्यावरण और तथा वन मंत्रालय की स्वीकृति का इंतजार कर रही है। मार्च, 2012 में तमिलनाडू सरकार ने संकेत दिया कि वह इस परियोजना को संयुक्त उद्यम की बजाए एक राज्य परियोजना के तौर पर आगे बढ़ाएगी तथा बीएचईएल से परस्पर सहमतिआधार पर जेवीए को समाप्त करने के लिए सहमत होने का आग्रह किया। सभी संभव विकल्पों पर विचार करने के उपरांत बीएचईएल कुल ₹ 64 करोड़ मूल्य के बीएचईएल के इक्विटी को बेचने पर सहमत हो गए। बिक्री समझौते की प्राप्ति और यूपीसीएल में बीएचईएल के शेयर का टानगेडको में अंतरण के साथ ही बीएचईएल के नामांकित निदेशकों ने यूपीसीएल के बोर्ड से 26 मार्च, 2013 को इस्तीफा दे दिया और इसका जेवीए दर्जा समाप्त हो गया।

V) रायचूर पावर कारपोरेशन लिमिटेड

बीएचईएल ने येरामारुस, रायचूर, कर्नाटक में 2x800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट तथा एदलापुर, रायचूर, कर्नाटक में 1x800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को बनाने, अपनाने और परिचालित करने के आधार पर स्थापित करने के लिए कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) के साथ संयुक्त उपक्रम कंपनी संवर्धित की है। केपीसीएल के साथ संयुक्त उपक्रम करार पर 12 जनवरी, 2009 को हस्ताक्षर किया गया था और सं.उ.कं. को 15 अप्रैल, 2009 को 'रायचूर पावर कारपोरेशन लिमिटेड' के नाम से निगमित किया गया था। संयुक्त उपक्रम में प्रारंभिक अधिकृत तथा प्रदत्त इक्विटी ₹ 10 करोड़ है। इसमें केपीसीएल और बीएचईएल द्वारा समान रूप से अभिदान किया गया है। नवंबर 2011 में वित्तीय क्लोजर के अनुरूप और आईएफसीआई को तीसरा इक्विटी साझेदार के रूप में जोड़ने पर इक्विटी ढांचे में बदलाव पर सहमति हुई और अंततः केपीसीएल 50 प्रतिशत, बीएचईएल 26 प्रतिशत और आईएफसीआई 24 प्रतिशत इक्विटी धारण करेगा।

2012–13 के अंत में जेवीसी की कुल प्रदत्त पूंजी लगभग ₹ 775.9 करोड़ थी जिसमें बीएचईएल का अंशदान ₹ 331.5 करोड़, केपीसीएल का अंशदान ₹ 344.4 करोड़ और आईएफसीआई का अंशदान ₹ 100 करोड़ है। जेवीसी ने मैसर्स पीएफसी के साथ अपेक्षित ऋण तथा वाणिज्यिक बैंकों की कंसोर्टियम के साथ भी समझौता किया है।

संयुक्त उपक्रम कंपनी ने 2x800 मेगावाट की येरामारुस विद्युत परियोजना के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त कर ली है और 2x800 मेगावाट की येरामारुस परियोजना के लिए मुख्य संयंत्र उपस्कर की आपूर्ति और इएंडसी हेतु बीएचईएल को आर्डर दिया गया है जिसका मूल्य ₹ 6300 करोड़ है। कोयला संचालन प्रणाली और एश हेंडलिंग सिस्टम का कार्य भी बीएचईएल को ₹ 966 करोड़ (कर सहित) के निर्धारित संविदा मूल्य के तहत प्रदान किया गया है। 1x800 मेगावाट एदलापुर परियोजना जिसका मूल्य ₹ 3100 करोड़ है, के लिए एलओए तय कर लिया गया है और आगे बढ़ने के लिए सूचना पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्वीकृति प्रदान होने के बाद जारी की जाएगी।

VI) दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड

बीएचईएल ने बनाने, अपनाने और परिचालित करने के आधार पर खंडवा, मध्यप्रदेश में 2x800 मेगावाट के सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) के साथ एक संयुक्त उपक्रम कंपनी संवर्धित की है। एमपीपीजीसीएल के साथ संयुक्त उपक्रम करार पर दिनांक 28 जनवरी, 2010 को हस्ताक्षर किया गया था और संयुक्त उपक्रम कंपनी "दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड" के नाम से दिनांक 25 फरवरी, 2010 को निगमित की गई थी। संयुक्त उपक्रम कंपनी की प्रारंभिक प्राधिकृत और चुकता इक्विटी ₹ 5 करोड़ है, जिसमें एमपीपीजीसीएल और बीएचईएल का बराबर का अभिदान होगा।

वर्तमान में प्रदत्त इक्विटी पूंजी को ₹ 45 करोड़ है, इसमें बीएचईएल एवं एमपीपीजीसीएल का प्रत्येक का अंशदान ₹ 22.5 करोड़ है ताकि जेवीसी भूमि अधिग्रहण खर्चों को पूरा कर सके। भूमि का अधिग्रहण प्रगति पर है साथ में भूमि के लिए पहुंच मार्ग और पानी पाइपलाइन कोरिडोर के लिए अनुच्छेद 9 अधिसूचना और मुख्य संयंत्र के लिए भूमि हेतु अनुच्छेद 6 अधिसूचना जारी कर दी गई है। कोयला लिंकेज प्रदान करने के लिए आवेदन कोयला मंत्रालय के पास

27 जनवरी, 2010 को दायर किया गया था और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित टीओआर के अधीन ईआईए अध्ययन और सार्वजनिक सुनवाई सहित सभी अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं।

जेवीसी को बीएचईएल को मुख्य संयंत्र उपकरण को अंतिम रूप देने के लिए आगे कार्य सौंपने से पूर्व कोयला संपक्र और पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्वीकृति का इंतजार है। भारत सरकार द्वारा घोषित सरकारी कंपनियों को कोयला ब्लाक आंबंटन के लिए नई नीति के अधीन कोयला ब्लॉक आबंटन हेतु जनवरी'13 में आवेदन किया है। बोर्ड ने इक्विटी संरचना में परिवर्तन को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें बीएचईएल की होल्डिंग 26%, एमपीपीजीसीएल की 10%, पीएसयूज/पीएसयू–एफआईज/पीएसयू बैंक 16% और शेष होल्डिंग रणनीतिक साझेदार की है।

VII) लातूर पावर कम्पनी लिमिटेड (एलपीसीएल)

बीएचईएल ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत जेनरेशन कम्पनी लि. (महाजेनको) के साथ मिलकर लातूर, महाराष्ट्र में 2x600 मेगावॉट थर्मल पावर प्लान्ट या 1500 मेगावाट गैस आधारित कम्बाइन्ड साइकिल पावर प्लान्ट (सीसीपीपी) लगाने के लिए एक संयुक्त उद्यम कम्पनी बनाई है। महाजेनको के साथ संयुक्त उद्यम करार 11 नवम्बर, 2010 को हस्ताक्षर किए गए और ''लातूर पावर कम्पनी लिमिटेड'' के नाम से 6 अप्रैल, 2011 को जेवीसी का निगमन किया गया। जेवीसी की वर्तमान प्रदत्त इक्विटी रू 5 करोड़ है।

जेवीसी ने कोयला आधारित या गैस आधारित परियोजना की स्थापना के विभिन्न ईंधन विकल्पों की व्यवहार्यता की समीक्षा की है। कोयला लिंकेज और घरेलू गैस की उपलब्धता भी 2015 तक नहीं होगी, जेवी साझेदार सौर पीवी प्लांट की स्थाना के विकल्प पर विचार कर रही है।

ड. अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी उपलब्धियां

बीएचईएल उन्नयन एवं रचनात्मक विकास पर अधिक ज़ोर देता है। अतः कंपनी के अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों का उद्देश्य विद्यमान उत्पादों के निष्पादन एवं कुशलता में सुधार करने के साथ–साथ आधुनिकतम प्रौद्योगिकी तथा प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए नए उत्पादों का विकास करना है ताकि वे प्रौद्योगिकी एवं विशेषताओं के अलावा वैश्विक बेन्चमार्कों की आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

तदनुसार बीएचईएल दो तीखी रणनीतियाँ यथा–आक्रामक आन्तरिक प्रयास और नवीनता को प्रेरित करना रहा है, जो भारत सरकार द्वारा घोषित ''नवीनता दशक (2010–2020)'' के अनुरूप हैं इसके परिणामस्वरूप, कम्पनी ने आर एंड डी के खर्च में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की है (₹ 1199 करोड़ से ₹ 1252 करोड), और आन्तरिक रूप से विकसित उत्पादों एवं सेवाओं का ₹ 9643 करोड़ का कारोबार हुआ है, कम्पनी के कुल कारोबार का लगभग 19 प्रतिशत है। उन्नयन के लिए प्रोत्साहन हेतु बीएचईएल के प्रयासों के परिणामस्वरूप बीएचईएल की आईपीआर पूंजी टेली आज की तिथि को 2170 पहुंच गई, जो कि इस वर्ष का सबसे उच्च आईपीआर (385 नं.) है।

वर्ष के दौरान किये गये कुछ महत्वपूर्ण विकास कार्य निम्नानुसार हैं:–

- अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप 600 मेगावाट विद्युत संयंत्रों के लिए एक लागत प्रभारी उच्च–दबाव फीड वाटर हीटर को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। इसे 2x600 मेगावाट नार्थ चेन्नई में स्थापित किया गया है।
- भाविनी के परमाणु विद्युत संयंत्र आधारित 500 मेगावाट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कठिन संरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एक अत्याधुनिक एकीकृत सीएंडआई प्लेटफार्म, जिसमें भाप जनरेटर, टरबाईन, सहायक बायलर और स्टेशन सीआई जैसे प्रमुख उपकरण शामिल हैं, डिज़ाइन और कार्यान्वित किया गया है।
- पावर स्टीम्स की स्थिरता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए बीएचईएल ने अत्याधुनिक विशेषताओं के साथ एक 3 फेस, 315 एमवीए, 400 केवी क्लास, फेस शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर का विकास और विनिर्माण किया गया है। इसे एपीजीईएनसीओ कोठागुडम में स्थापित किया गया है।

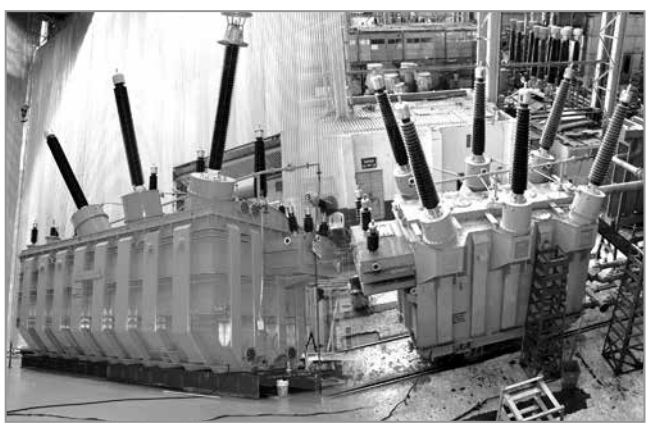

बीएचईएल द्वारा अत्याधुनिक विशेषताओं के साथ विकसित और विनिर्मित 3–फेस, 315 एमवीए, 400 केवी क्लास फेस शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर

लिक्विड बेलेंसिंग प्रणाली पर आधारित स्वदेशी विकसित सौर ताप सूर्य ट्रैकर

- अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 250 कि.वा ग्रिड–कनेक्टिड पावर कंडीशनिंग यूनिट का विकास, कमीशन और गिड के साथ समकालिक किया गया है।
- पीवी एरेज से दिन के दौरान ओवरआल सौर ऊर्जा विलयन में वृद्धि करने के लिए, बीएचईएल ने एक माडयूलर सौर ताप सूर्य ट्रैकर का विकास किया है जो कि नोवेल तरल बैलेंसिंग प्रणाली पर संचालित होता है। दिन के दौरान ये 25 प्रतिशत अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन करता है।
- बीएचईएल ने 182 मेगावाट इंटिग्रेटिड गैसीफिकेशन कम्बाइंड साइकल (आईजीसीसी) संयंत्रों के गतिशील व्यवहार के लिए गणितीय माडल का विकास किया है।
- बीएचईएल ने वर्तमान 270 मेगावाट के टरबाईन मॉडयूल कम्बीनेशन को रखते हुए एचपी, आईपी और एलबी टरबाईन्स के प्रवाह मार्गों के आप्टिमाइजेशन से 3.9 प्रतिशत ऊपर के 300 मेगावाट भाप टरबाईन का विकास किया है। टरबाईन को 1x300 मेगावाट अभिजीत इन्फ्रा, विशाखापत्तनम के लिए प्रस्तावित किया गया है।
- परिवहन क्षेत्र में, वर्तमान डीसी ईएमयूज के 25 केवी एसी ईएमयूज में परिवर्तन के लिए आरडीएसओज में कैटरिंग के लिए बीएचईएल ने 1200 केवीए एसी ईएमयू ट्रांसफार्मर का सफलतापूर्वक टाइप परीक्षण किया है जो कि 20 प्रतिशत अधिक आउटपुट के साथ परंपरागत एसी ईएमयू ट्रांसफार्मर के डाइमेन्शन को मैच करता है।
- आयल रिग्स की विश्वसनीयता में सुधार के वास्ते बीएचईएल ने रीविंग इन या आउट ऑपरेशन के दौरान रस्सी की विफलता को दूर करने के लिए बिजली प्रचालित ब्रेकिंग प्रणाली युक्त केसिंग लाइन स्पूलर यूनिट के सुधरे हुए डिजाइन का विकास किया है।
- पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास के प्रति अपने प्रयासों के तहत बीएचईएल ने थिन फिल्म सोलर सैल्स के आब्जरवर लेअर के लिए कॉपर इंडियम गैलियम डि–सेलेनाईड नैनो–मैटीरियल का विकास किया है। डिफ़्यूज़्ड लाइट के अधीन सीआईजीएस का बेहतर कार्यनिष्पादन होता है। प्रयोगशाला स्तर पर 6.20% दक्षता हासिल की गई है।
- इसरो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विश्वसनीय भागीदार के तौर पर, बीएचईएल ने जीसैट–10 और रीसैट सेटेलाइटों पर अपने स्पेस ग्रेड सोलर पैनलस और सेटेलाइट बैटरियां सफलतापूर्वक तैनात करके एक बड़ी उपलब्धि हासिम की है। बीएचईएल ने 278 वर्ग मीटर स्पेस ग्रेड सोलर पैनल्स और 42 बैटरियों की आपूर्ति की है, जो इस समय पृथ्वी की कक्षा में मौजूद विभिन्न सेटेलाइटों में लगाई गई हैं।
- हैदराबाद में 1000 मेगावाट तक के विद्युत संयंत्रों के लिए बायलर फीड बूस्टर पंपों के लिए अत्याधुनिक बायलर फीड परीक्षण सुविधा स्थापित की गई है। इसे पूर्ण लोड निष्पादन के लिए पंप के परीक्षण और वैक्यूम कंट्रोल के साथ एनपीएसएच (नेट पाजिटिव सक्शन हैड) के साथ परीक्षण किया जाता है। इस सुविधा में 660 मेगावाट एनटीपीसी बाढ़–2 यूनिट के लिए बूस्टर पंप का परीक्षण किया गया।
- भारतीय, आयातित और ब्लेंडिड कोयलों के परीक्षण के लिए कायला अनुसंधान केंद्र, त्रिची में एक ड्राप टयूब फर्नेस सुविधा की स्थापना की गई है। इसे बायलर निष्पादन और दक्ष फर्नेस डिज़ाइन के सही अनुमान के लिए प्रयोग में लाया जायेगा।

च. गुणवत्ता कार्यनिष्पादन विशेषताएं

1. उत्कृष्टता हासिल करने की इसकी सतत परंपरा को जारी रखते हुए बीएचईएल की दो इकाइयों (हैदराबाद और ईडीएन) को 2012–13 में वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त गुणवत्ता प्रबंध के लिए यूरोपीय फाउंडेशन (ईएफक्यूएम) के मॉडल के अनुरूप व्यवसाय उत्कृष्टता के लिए सीआईआई एग्जिम बैंक पुरस्कार योजना के तहत ''महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए प्रशंसा' से सम्मानित किया गया है।
2. मैसर्स आईएमआरबी इंटरनेशनल, गुड़गांव द्वारा बीएचईएल के विद्युत क्षेत्र के लिए 2012–13 में ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित किया गया। सीएसएस सभी चार पावर सेक्टर क्षेत्रों और पीईएम के लिए संचालित किया गया। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बीएचईएल का कुल ग्राहक संतुष्टि सूचकांक 100 में से 65 है।

3. गुणवत्ता नियंत्रण मानदंडों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीक्यूसीसी–2012) 14–17 अक्तूबर 2012 के दौरान क्वालालम्पुर, मलेशिया में आयोजित किया गया जिसमें बीएचईएल की 4 यूनिटों (तिरुचि, एईईपी, हरिद्वार, ईडीएन और ईपीडी) ने भाग लिया। बीएचईएल तिरुचि, ईडीएन और ईपीडी ने ''3 स्टार गोल्ड'' पुरस्कार जबकि एचईईपी हरिद्वार ने '2 स्टार सिल्वर' पुरस्कार प्राप्त किये।

छ. मानव संसाधन प्रबंधन

1) औद्योगिक संबंध

1. वर्ष के दौरान भागीदारिता की संस्कृति पर बल देना जारी रहा और कंपनी की विभिन्न यूनिटों और सेवा प्रभागों में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे। अतः वर्ष 2012–13 के दौरान मानव दिवसों की हानि शून्य थी।

2. वर्ष के दौरान सहभागिता संस्कृति और सम्प्रेषण पर ज़ोर दिया जाना जारी रहा। शीर्ष–स्तरीय द्विपक्षीय मंच नामतः "बीएचईएल की संयुक्त समिति" की वर्ष के दौरान 02 बैठकें हुईं। संयंत्र परिषदों की 64 बैठकें और शॉप परिषदों की 365 बैठकें हुईं। इसके अलावा बिजनेस सेक्टर/कार्यालय सहित विभिन्न विनिर्माण इकाइयों के कार्यपालकों और पर्यवेक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ ही बैठकें आयोजित की गईं।

3. बीएचईएल की संयुक्त समिति की ओर से एक संयुक्त अपील भी जारी की गई जिसमें सभी कर्मचारियों को मौजूद व्यावसायिक वातावरण, आर्डर बुक स्थिति, विभिन्न वित्तीय पैरामीटर्स और सघन प्रतिस्पर्धा, जिसका कंपनी सामना कर रही है, की भी जानकारी दी गई। अपील में कर्मचारियों से आहवान किया गया कि वे न केवल इस अवसर पर आगे बढ़ें बल्कि अपने सभी प्रयासों के साथ इन चुनौतियों से पार पाएं।

'विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2010 और राष्ट्रीय संरक्षा पुरस्कार 2010' के विजेता साथ में निदेशक (मा.सं.) और तत्कालीन निदेशक (आईएसएंडपी) माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री से पुरस्कार प्राप्त करने के उपरांत

2) बीएचईएल, यूनिटों तथा कर्मचारियों द्वारा जीते गए पुरस्कार

प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीतने की परंपरा को जारी रखते हुए संगठन और इसके कर्मचारियों ने वर्ष 2012–13 के दौरान कई पुरस्कार जीते। इनमें से प्रमुख हैं:

- सीएमडी, बीएचईएल ने 'भारी उद्योगों में उत्कृष्ट हेतु इंडिया प्राइड अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन हेवी इंडस्ट्री 2012–13' केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, श्री एम वीरप्पा मोइली से प्राप्त किया।
- अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी और अभिनवता श्रेणी में इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स, पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड श्री ओ. पी. रावत, सचिव, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार से प्राप्त किया।
- बीएचईएल के सेंट्रल फोर्ज प्लांट (सीएफएफपी), हरिद्वार ने उद्योगों में फाउण्ड्री उप क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2012 जीता। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को सीएमडी, बीएचईएल को माननीय राष्ट्रपति, श्री प्रणव मुखर्जी ने पुरस्कार प्रदान किया।
- आल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए) द्वारा वर्ष के उत्कृष्ट पीएसयू होने का ''आइमा मैनेजिंग इंडिया अवार्ड'। यह पुरस्कार सीएमडी, बीएचईएल को भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने प्रदान किया।
- श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया, योजना आयोग के उपाध्यक्ष से इंजीनियरिंग श्रेणी में ''एनडीटीवी प्रोफिट बिजनेस लीडरशिप अवार्ड 2012' प्राप्त किया गया। बीएचईएल ने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लगातार तीसरे वर्ष जीता है।
- 'तेज़ी से विकसित हो रहे महारत्न पीएसयू के लिए डीएसयू अवार्ड'। यह पुरस्कार श्री अजीत सिंह, माननीय केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ने सीएमडी, बीएचईएल को प्रदान किया।
- बीएचईएल को डून एंड ब्रैडस्ट्रीट ने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक्स श्रेणी में श्रेष्ठ पीएसयू घोषित किया गया।
- एक दशक से अधिक के अंतर के बाद बीएचईएल ने 'गोल्डन पीकॉक नेशनल ट्रेनिक अवार्ड 2012' जीता है। ये पुरस्कार संगठन में उत्कृष्ट प्रशिक्षण की सुविधाओं की झलक है।

- इलेक्ट्रानिक्स उद्योग में 'उत्कृष्टता की भावना' को मान्यता देने में इलेक्ट्रानिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रिक फार यू द्वारा संस्थापित 37वां एलकिना–इफी पुरस्कार'।
- परंपरागत ऊर्जा (ताप, परमाणु आदि) के लिए प्रौद्योगिकी और उन्नयन की श्रेणी के तहत 'एनेर्टिया अवार्ड 2011'
- अपने उत्कृष्ट निर्यात कार्य निष्पादन के लिए बीएचईएल ने 23वें वर्ष के लिए इंजीनियरिंग निर्यात प्रोत्साहन परिषद (ईईपीसी) का सर्वाच्च निर्यात पुरस्कार जीता है।
- 'ड्राइंग एवं प्रलेख प्रबंधन प्रणाली' के विकास और कार्यान्यन के लिए पीएसयू श्रेणी में 'स्कोच डिजिटल इन्कलुजन 2012' स्वर्ण पुरस्कार ट्रॉफी।
- महारत्न/नवरत्न श्रेणी में 'बीटी–स्टार अवार्ड 2013 फार एक्सीलेंस इन इनोवेशन (टेक/आरएंडडी) सीएमडी, बीएचईएल ने श्री शेखर दत्त, छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल से हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपिंदर सिंह हुडा की उपस्थिति में प्राप्त किया।
- ई–अभिशासन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2012–13 के तहत स्वर्ण पुरस्कार' बीएचईएल को ग्राहकों के लाभ के लिए पीएसयूज द्वरा आईसीटी के इस्तेमाल के वास्ते प्रदान किया गया। बीएचईएल को ये पुरस्कार राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री, श्री अशोक गहलोत ने ई–अभिशासन पर 16वें राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदान किया।
- 7 कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार जीते हैं जिनमें 1 श्रम भूषण, 5 श्रम देवी और 1 श्रमश्री तथा 3 विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल है जो कि बीएचईएल तिरुचि के 13 कर्मचारियों ने लागत में कमी, उच्चतर उत्पादकता, संरक्षा और उत्पादों की गुणवत्ता हेतु इनोवेटिव सुझावों के लिए संयुक्त रूप से हासिल किया है।
- बीएचईएल की तिरुचि यूनिट और ईपीडी, बंगलौर को 5 'राष्ट्रीय सुरक्षा 2010' सबसे लंबी दुर्घटना मुक्त अवधि और अपने कार्यों में निचली दुर्घटना फ्रीकवेन्सी दर के वास्ते उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए।
- भारी उद्योग की श्रेणी में केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में उत्कृष्टता के लिए 'दैनिक भास्कर इंडिया प्राइड गोल्ड अवार्ड 2012'।

व्यक्तिगत श्रेणी में निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किये गये:

- श्री बी. पी. राव, सीएमडी, बीएचईएल ने श्री ऑस्कर फर्नाडीज से भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार श्री टी. के. ए. नायर की मौजूदगी में 'बीटी–स्टार बेस्ट पीएसयू मैन ऑफ दि ईयर 2012' प्राप्त किया।
- श्री फारूक अब्दुला, माननीय केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने श्री बी पी राव, सीएमडी, बीएचईएल को विद्युत क्षेत्र में व्यक्तिगत योगदान के लिए 'पावर मैन ऑफ दि ईयर अवार्ड' प्रदान किया।
- सीएमडी, बीएचईएल को 'एनआईटीआईई प्रतिष्ठित एल्युमनस अवार्ड 2012'
- श्री अजय शंकर, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद से सीएमडी, बीएचईएल को सर्वोच्च रैंकर्स 'इंटरप्रिन्योरियल पाथ ब्रेकर अवार्ड 2013'
- 'सीएनबीसी टीवी 18 बेस्ट सीएफओ अवार्ड 2012' कारपोरेट मामलों के माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री सचिन पायलट से निदेशक (वित्त) ने प्राप्त किया।
- 'बीटी यश बैंक सीएफओ ऑफ पीएसयू (बड़े) पुरस्कार' निदेशक (वित्त) ने श्री आनंद शर्मा, माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने प्राप्त किया।
- निदेशक (वित्त), बीएचईएल को उनके द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन में किये गये मूल्यवान योगदान के लिए आईपीई 'वित्त नेतृत्व पुरस्कार' प्रदान किया गया। पुरस्कार लोक उद्यम संस्थान (आईपीई) द्वारा प्रदान किये जाते हैं और वर्ल्ड सीएसआर कांग्रेस, वर्ल्ड सीएसआर डे, सीएमओ एशिया और एशियान कन्फेडेरेशन ऑफ बिजनेस पृष्ठांकित करता है।
- निदेशक (वित्त), बीएचईएल को कॉर्पोरेट अभिशासन/वित्तीय नियंत्रण में 'सीएफओ 100 रोल ऑफ ऑनर 2013'
- निदेशक (मा.सं.), बीएचईएल को मा.सं. नेतृत्व पुरस्कार
- निदेशक (विद्युत), बीएचईएल ने महारत्न/नवरत्न श्रेणी में निदेशक (परियोजनाएं) के तौर पर उत्कृष्टता हेतु बीटी–स्टार अवार्ड 2013 शेखर दत्त, माननीय राज्यपाल, छत्तीसगढ़ से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा की उपस्थिति में प्राप्त किया।
- निदेशक (विद्युत), बीएचईएल को 'ब्यूरोक्रेसी टुडे पीएसयू डायरेक्टर ऑफ दि ईयर अवार्ड।

3) मानव संसाधन विकास

- **प्रशिक्षण**

- वर्ष 2012–13 के दौरान, प्रति कर्मचारी 3 प्रशिक्षण मानव दिवसों के एमओयू लक्ष्य के मुकाबले कुल प्रशिक्षण मानव दिवस प्रति कर्मचारी 4.95 है।

- 2012–13 के दौरान 152 बहु–कौशल/कौशल उन्नयन कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें लगभग 3000 आर्टिजनों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

- बीएचईएल में ग्राहक प्रशिक्षण एक नियमित गतिविधि है। वर्ष के दौरान 2202 ग्राहकों को 9921 मानव दिवस प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

- विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों से 8390 व्यावसायिक प्रशिक्षुओं को भी 386586 मानव दिवस प्रशिक्षण प्रदान किये गये।

- विभिन्न इकाइयों में 6139 एक्ट अप्रेंटिसिस को 1103205 मानव दिवस प्रशिक्षण दिया गया।

- हमारे सम्मानित ग्राहकों जैसे कि एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, एनएचपीसी, औरएनजी और आईओसीएल ने एचआरडीसी भोपाल में प्रभावी ग्राहक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हमारी प्रशांसा की।

- डीवीसी ने एचआरडीसी झांसी में प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए इसे मूल्यवान और ज्ञानपूर्ण बताया और इसने स्थलों पर प्रचालन और अनुरक्षण में मदद प्रदान की'।

- **व्यक्ति विकास कार्यशालाएं** – बीएचईएल कर्मचारी नियुक्ति सर्वेक्षण के निष्कर्षों और संगठन में नए आगंतुकों के तक्रसंगत और भावनात्मक प्रतिबद्धताओं का केंद्रित समूह चर्चा मापन के आधार पर एचआरडीआई और कारपोरेट एचआर/एनआईसी ने एचआरडीआई, नोएडा में लोगों के विकास के लिए प्रशिक्षकों के लिए तीन कार्यशालाएं आयोजित की गई। यहां पर प्रशिक्षित भागीदारों (ई4–ई7) ने अपनी यूनिटों/क्षेत्रों में वापस जाकर कुल 82 वर्कशॉप आयोजित की जिनमें 2110 कार्यपालकों को शामिल किया गया।

- **ज्ञान अंतररण कार्यशाला** – ज्ञान अंतरण कार्याशालाएं एक ऐसे तंत्र के तौर पर तैयार की गई हैं जिनमें वरिष्ठ लोगों से, जो कि सेवानिवृत्त हो गए हैं अथवा सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके मौजूदा ज्ञान को हासिल किया जाता है और उनके ज्ञान को भविष्य में आने वाले बीएचईएल के इंजीनियरों के लाभ के लिए प्रलेखित किया जाता है।

- **''बीएचईएलः आर्टिजनों के लिए समय की मांग**– दस्तकारों की प्रवीणता और बीएचईएल के विकास के लिए कार्य करने की उनकी वचनबद्धता को बढ़ाने के लिए भोपाल, हरिद्वार, हैदराबाद, तिरुचि और रूद्रपुर में छह कार्यशालाएं आयोजित की गईं। कार्यशालाओं में 315 आर्टिजनों ने भाग लिया।

- **पर्यवेक्षकों के लिए 'जीवन शिक्षा कार्यशालाएं'**– उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यवेक्षकों के लिए कार्य स्थल पर सकारात्मक ओरिएन्टेशन तथा वचनबद्ध ता के वास्ते एचआरडीआई ने हरिद्वार में दो जीवन शिक्षा कार्यशालाएं आयेाजित कीं। इस कार्यक्रम में हरिद्वार यूनिट के 111 पर्यवेक्षकों ने भाग लिया।

- **बोर्ड सदस्यों के लिए प्रशिक्षणः** – हर स्तरों पर प्रशिक्षण की हमारी नीति को ध्यान में रखते हुए, हमारे तीन बोर्ड सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान (आईएमआई), नई दिल्ली द्वारा 28–29 सितंबर, 2012 को आयोजित दो दिन की ''डाइरेक्टर्स कनकलेवःटूअर्डस वैल्यू एडिंग बोर्ड''

- **एनटीपीसी के सहयोग से सर्वोच्च प्रबंधन कार्यक्रम**– "वैश्विक कार्यनीतिक नेतृत्व के प्रति नेतृत्व प्रभावकारिता के लिए रणनीतिक प्रबंधन पहल (स्माइल)" पर 11 दिनों का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा ग्रेटर नोएडा, बर्लिन, मिलान और पेरिस में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नौ कार्यपालक निदेशकों, एक महाप्रबंधक (प्रभारी) और दो वरि. महाप्रबंधकों + एक भारी उद्योग विभाग के प्रतिनिधि ने भाग लिया।

- **मेंटरिंग कार्यशाला** – वर्ष 2012–13 के दौरान वाराणसी, हरिद्वार, भोपाल, तिरुचि, बंगलौर, दिल्ली, हैदराबाद, झांसी, रानीपेट और पावर सेक्टर (पूर्वी क्षेत्र) में 742 मेंटर्स और मेंटीज को प्रशिक्षित करने के लिए 23 कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

- **क्षमता विकास** – 'क्षमता विकास पहलों के भाग के तौर पर व्यवहार्य क्षमता मूल्यांकन का तीसरा चरण वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों के लिए विकास केंद्र दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए परामर्शदाता की मदद से किया गया। वर्ष के दौरान 352 कार्यपालकों को इस

कार्यक्रम में शामिल किया गया जिससे सभी यूनिटों में मूल्यांकन कार्य पूरा किया गया। प्रत्येक भागीदार के साथ बीएचईएल के क्षमता दायरे के संबंध में शक्तियां और सुधार के क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया और फीडबैक सत्र के दौरान प्रत्येक के लिए विकासात्मक योजना सुझाई गई।

4) मानव शक्ति संख्या

कंपनी की 31.03.2013 को मानवशक्ति संख्या 48,399 थी।

5) राष्ट्रपति के निर्देशों से संबंधित स्थिति

आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति संबंधी निर्देश

आरक्षण नीति के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश निर्दिष्ट पदों और निर्दिष्ट आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों अर्थात अ.जा., अ.ज.जा. और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में कुछ प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त इन निर्देशों में निर्दिष्ट श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में रियायतों और शिथिलताओं तथा आवास में आरक्षण के भी प्रावधान भी निहित हैं। इस विषय पर समय–समय पर जारी राष्ट्रपति आदेशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है और सरकार द्वारा निर्धारित पद आधारित रोस्टर प्रणाली के माध्यम से आरक्षण प्रतिशत को सुनिश्चित किया जाता है। तथापि इन दिशानिर्देशों से कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ा है।

I. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/कर्मचारियों का प्रतिनिधित्वः

कर्मचारियों की कुल संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व दिनांक 31.12.2012 को क्रमशः 19.81 प्रतिशत, 5.76 प्रतिशत तथा 25.02 प्रतिशत था। तथापि वर्ष के दौरान सीधी भर्ती में आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए 19.06 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 5.83 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33.66 प्रतिशत था। इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं हैं जिन्हें ऑफर जारी कर दिए गए थे लेकिन उन्होंने 01.01.2013 के बाद से 31.03.2013 तक कार्यग्रहण किया। इस मामले में अपेक्षित प्रतिशत आरक्षण का ध्यान रखा गया था।

दिनांक 31.12.2012 तक की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व और पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाते हुए निर्धारित प्रपत्र में सरकार को प्रस्तुत वार्षिक विवरण **अनुबंध–क** में दिया गया है।

II. 31.12 2012 तक की स्थिति के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की संख्या

दिनांक 31.12.2012 तक की स्थिति के अनुसार बीएचईएल में शारीरिक रूप से विकलांग कुल 930 कर्मचारी हैं। 31.12.2012 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी में शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की समूहवार संख्या **अनुबंध–ख** में दी गई है।

ज. कॉर्पोरेट सामजिक दायित्व के मुख्य अंश

बीएचईएल का हमेशा से प्रयास रहा है कि वह जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक की तरह काम करते हुए क्षमता निर्माण के लक्ष्य वाले समावेशी विकास, समुदायों का सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, पिछड़े क्षेत्रों का विकास तथा समाज के सुविधाओं से वंचित एवं हाशिये पर जीवन यापन करने वाले लोगों के उत्थान सहित समाज के कल्याण के लिए समर्पित रहे। इस प्रतिबद्धता के मद्देनजर कम्पनी देश भर में शिक्षा, सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य, पर्यावरण में सुधार, व्यवसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास, आपदा/त्रासदी प्रबंधन और अवसंरचना विकास जैसी विविध सामाजिक पहलों का समर्थन करती है। वर्ष 2012–2013 के दौरान, कम्पनी ने विविध सीएसआर पहलों और गतिविधियों पर 63 करोड़ रुपये की राशि लगाई।

शिक्षा

कम्पनी समाज के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल)/कमजोर वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत बीएचईएल की इकाइयों द्वारा गोद लिए गए स्कूलों तथा गांवों में रहने वाली विधवाओं के बच्चों को वित्तीय सहायता दी जाती है। कम्पनी देश के पिछड़े क्षेत्रों/जिलों की विविध शिक्षा संस्थाओं में आवश्यकता के अनुसार छात्रावासों, कक्षाओं और शौचालयों के निर्माण के लिए भी सहायता देती है।

बीएचईएल ने दिल्ली में ''कथा रीडिंग लीग इन 10 एमसीडी स्कूल्स'' शीर्षक वाली एक परियोजना में सहयोग किया। इस परियोजना का कार्यान्वयन 'कथा' नामक एक गैर सरकारी संगठन ने किया था। इस परियोजना ने स्कूली पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले बच्चों सहित झुग्गी बस्तियों के बच्चों में कहानी

सुनाने की पद्धति के माध्यम से उनमें अध्ययन/शिक्षा के लिए लगाव उत्पन्न कर उनके पुनर्वास का लक्ष्य हासिल किया।

कम्पनी ने समाज के वंचित/कमजोर आर्थिक वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 'लिफ्टिंग एनी वॉयस ऑफ चिल्ड्रन' शीर्षक वाली परियोजना का संचालन किया। इस परियोजना का लक्ष्य दिल्ली की पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चे थे। इस परियोजना के तहत 10 समेकित शिक्षण केंद्रों के माध्यम से 300 बच्चों को कवर किया गया, जहां उनके अच्छे पोषण/स्वास्थ्य के लिए मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराया गया। कक्षा के वातावरण को बच्चों के अनुकूल और सहयोगपूर्ण बनाने के लिए कॉपी, पेंसिल, स्लेट, रबर आदि जैसी शिक्षण सामग्री, साथ ही साथ खिलौने और बालवाड़ी की सजावट के लिए अन्य सामान भी इन बच्चों को उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा, बच्चों के विकास को गति प्रदान करने के लिए खेलों जैसी कई गतिविधियों का भी आयोजन किया गया।

समाज की समावेशी वृद्धि की दिशा में अपने प्रयास आगे बढ़ाते हुए बीएचईएल ने गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों की बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलाने में सहायता करने के लिए 'उदायन केयर' नामक एक गैर सरकारी संगठन के साथ हाथ मिलाया है। यह सीएसआई परियोजना बीएचईएल की हरिद्वार इकाई से संबंद्ध है, बेहद गरीब पृष्ठभूमि वाले परिवारों की बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में यह कम्पनी एक और कदम है, ताकि वे विकास की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। 'उद्दयन शलिनी' शीर्षक वाले कार्यक्रम के तहत दसवीं पास कर चुकीं 100 प्रतिभाशाली छात्राओं के व्यक्तित्व एवं नियोजन की क्षमता के विकास/संवर्धन के साथ साथ स्नात्कोत्तर स्तर तक की शिक्षा अर्जित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

सामुदायिक विकास

बीएचईएल ने हमारे स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करने के लिए बिहार के पिछड़े मुंगेर जिले के 25 गांवों में 'अनहद ग्राम' नामक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के जरिये, इन गांवों की परिस्थितियों में सम्पूर्ण सुधार लाने के मद्देनजर निम्नलिखित उद्देश्यों –1) डेयरी विकास, 2) जैव ईंधन, 3) महिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और 4) खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण इकाई की पूर्ति हो सकेगी। इन परियोजनाओं के नाम – स्वाधार (दूध शीतलन इकाइयां), सुलंधन (जैव ईंधन), सुकन्या (कम लागत वाले सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने वाली इकाई) और सुआहार (खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण इकाई) हैं।

1. **स्वाधार** : यह कार्यक्रम गांव में फायदेमंद पशुपालन प्रबंधन के लिए दूध शीतलन इकाई लगाने से संबंधित है। गांव में दूध के फायदेमंद और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए ग्रामीण आबादी में सहकारी समितियां बनाई गई हैं। खेत और खेत में होने वाली उपज के लिए ऑर्गेनिक प्रमाणन के लिए भी किसानों का एक समूह बनाया गया है, अपने मवेशियों की उचित देखरेख के लिए किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है ताकि बेहतर गुणवत्ता और मात्रा वाला दूध सुनिश्चित किया जा सके। इस क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों के टिकाऊ विकास के लिए इस कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है।

2. **सुलंधन** : ग्रामीण महिलाओं को दिन का काफी समय जलावन के लिए ईंधन जमा करने में लगाना पड़ता है और परम्परागत ईंधन और तरीकों से खाना बनाने की नीरसता और धूंआ बर्दाश्त करना पड़ता है, ऐसे में खेती–बाड़ी के अपशिष्ट से ब्रिकेट बनाने का काम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत करीब 55 मिनट की ज्वलन क्षमता वाली ब्रिकेट्स बनाई गई हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रदूषण में कमी आई है और खाना पकाते समय ईंधन की क्षमता में वृद्धि हुई है।

3. **सुकन्या** : इस कार्यक्रम के तहत बीएचईएल गांवों में सस्ते सेनेटरी नैपकिन तैयार करने की इकाई लगा रही है। इस इकाई का संचालन और प्रबंधन गांव के स्व सहायता समूह करेंगे। इस कार्यक्रम की परिकल्पना महिलाओं के सशक्तिकरण, क्षेत्र की महिलाओं/लड़कियों को बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए सस्ते सेनेटरी नैपकिन का विकल्प मुहैया करवाकर गांवों की महिलाओं को आत्म–निर्भर और क्षेत्र में अग्रणी बनाने के दृष्टिकोण से गई है।

4. **सुआहार** : इस कार्यक्रम के तहत, गांवों में खाद्य प्रसंस्करण केंद्र बनाए जा रहे हैं, ताकि फसलों को अतिरिक्त मूल्य मुहैया कराया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आमदनी बढ़ सके। चुनींदा लाभार्थी गांवों में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया गया है ताकि क्षेत्र में कृषि के टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन दिया जा सके। आर्गेनिक खेती की पद्धति से कृषि

पर आने वाली लागत में कमी लाई जा सकेगी और किसानों को अपनी उपज का अच्छा दाम मिलेगा, जिसमें फसलों और फलों की महत्वपूर्ण किस्मे उपलब्ध होंगी। इस परियोजना में कम से कम 40 हैक्टेयर जमीन वाले करीब 100 किसान अपनी जमीन के आर्गेनिक प्रमाणन के लिए काम करेंगे।

स्वास्थ्य प्रबंधन

जरूरतमंदों और वंचितों, खासतौर पर दूरदराज/पिछड़े इलाकों में रहने वाले वृद्धों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध बीएचईएल ने प्रख्यात गैर सरकारी संगठन हैल्प एज इंडिया से हाथ मिलाया है। कम्पनी ने अपने पॉवर सैक्टर क्षेत्रों के दूरदराज के परियोजना स्थलों–पीएसएनआर, पीएसएसआर, पीएसईआर और पीएसडब्ल्यूआर में संचालन के लिए उन्हें 04 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (एमएमयू) उपलब्ध कराई हैं।

एमएमयू बुनियादी निदान उपकरणों मसलन–स्टैथोस्कोप, बीपी ऑपरेट्स, ब्लड शूगर का स्तर मापने के लिए ग्लूकोमीटर, वजन तोलने वाली मशीन आदि जैसी सुविधाओं से सम्पन्न है। इसमें सामान्य बीमारियों जैसे–उच्च रक्तचाप, मधुमेह, आर्थराइटिस आदि जैसी दवाइयां भी शामिल हैं। हैल्प एज टीम में सामाजिक संरक्षण अधिकारी, चिकित्सा सलाहकार, फिजियोथेरेपिस्ट फार्मासिस्ट और विशेष जानकार चालक शामिल हैं, जो लेह के निम्मो बाजगोह, अंगुल (ओडिशा), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) और नागपुर (महाराष्ट्र) में एमएमयू के संचालन के काबिल हैं, ताकि इन इलाकों में रहने वाले गरीबों को निशुल्क दवाइयां और स्वास्थ्य की देखभाल उपलब्ध कराई जा सके, जो अपने इलाज का खर्च खुद नहीं उठा सकते।

बीएचईएल ने ठाणे हिल्स के रोटरी क्लब के तहत ट्राइअम्फ फाउंडेशन को डे केयर सेंटर और थेलासीमिया से पीड़ित मरीजों के लिए ब्लड बैंक, लगाने में मदद की है। यह एक ऐसी ऐसी बीमारी है, जो लाल रक्त कणिकाओं के कमजोर या क्षतिग्रस्त होने से होती है, जिनकी वजह से हड्डियों में विकार तथा हृदयरोग होते हैं।

बीएचईएल ने ब्लड बैंक को न्यूक्लिक एसिड के प्रावधान और नाममात्र की कीमत पर रक्त के संघटक उपलब्ध कराने, स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के आयोजन के लिए मोबाइल वैन सुविधा, 1000 यूनिट रक्त भंडारण की सुविधा, रक्तदाता और मरीज की पहचान के लिए सभी नमूनों और रक्त की यूनिट्स और संघटकों की बारकोडिंग, सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी है।

आपदा प्रबंधन

उत्तराखंड क्षेत्र में गंगा और उसकी सहायक नदियों में हाल में आई बाढ़ से बर्बाद हुए हजारों लोगों के प्रति एकजुटता और उनकी सहायता के लिए, बीएचईएल उन्हें राहत पहुंचाने तथा उन्हें भोजन, पानी, दवाइयां और साथ ही साथ मोबाइल मेडिकेयर सर्विसिज (एमएमयू) उपलब्ध कराने के लिए तत्काल हरकत में आ गई।

बाढ़ से तबाह उत्तराखंड क्षेत्र के पीड़ितों तक मदद का हाथ बढ़ाते हुए बीएचईएल ने परेशानी से घिरे लोगों की तकलीफे मिटाने के लिए कम्पनी की सीएसआर पहल के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राहत कोष में दो करोड़ रुपये का विनीत योगदान दिया।

मुख्यमंत्री राहत कोष में दी गई राशि के अलावा, बीएचईएल के कर्मचारियों ने भी आगे बढ़कर उत्तराखंड में बरपे कुदरत के कहर से बर्बाद हुए लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने और उनकी सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में अपने एक दिन के वेतन के तौर पर ₹ 6.38 करोड़ की राशि जमा कराई। बीएचईएल के कर्मचारियों की यह महानता की भावना एक बार फिर से, समाज के जरूरतमंदों और कमजोर वर्गों की सहायता करने के कर्मचारियों के दृढ़निश्चय और उत्साह का कम्पनी के संस्थागत मूल्यों के साथ एकीकरण के अंतर्निहित मूल्यों की ताकत का ही प्रतीक है।

इससे पहले भी बीएचईएल ने सिक्किम में आए भूकम्प के कारण बर्बाद हुए लोगों की भी करूणा के साथ मदद की थी। कम्पनी ने भूकम्प में तबाह हुए राज्य के स्कूलों का नवीनीकरण कराया।

पर्यावरण संरक्षण

पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने दायित्व को पूरी तरह समझते हुए बीएचईएल ने कर्नाटक के कुप्पाल जिले में रामदुर्ग की एक बंजर भूमि के वनरोपण की परियोजना का दारोमदार हाथ में लिया है। इस परियोजना के तहत पूरी तरह बंजर पड़ी जमीन के एक टुकड़े पर फलदार वृक्ष लगाना तथा इन वृक्षों को पक्षियों तथा पशुओं के लिए बचाकर रखना और इस प्रकार प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देना शामिल है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

महिलाओं को स्व–रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा उन्हें अपना सामाजिक–आर्थिक दर्जा बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए झांसी के सिमरावाड़ी (खैलार) और गोपालपुरा गांवों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए दो

प्रशिक्षण कार्यक्रम– 'कटिंग और टेलरिंग' तथा 'ब्यूटी कल्चर' आयोजित किए गए।

उदायन परियोजना

भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के शिक्षित युवाओं, जिनमें राष्ट्र की वृद्धि/विकास में योगदान प्रदान करने की सम्भावना हो, को प्रशिक्षित करने के लिए 'विशेष उद्योग पहल' (एसआईआई) नामक एक योजना तैयार की है। 'उद्दयन' नाम की यह पहल स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री धारी 40,000 युवकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना करती है। बीएचईएल ने पिछले पांच वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर के 500 युवकों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाकर इस पहल में योगदान दिया है।

100 युवाओं वाले प्रथम बैच का प्रशिक्षण कार्यक्रम बीएचईएल ने 14.02.2013 को स्कोप परिसर, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में औपचारिक रूप से प्रारम्भ किया था। इस समारोह की अध्यक्षता भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में सचिव, भारी उद्योग, श्री एम.एफ. फारूकी ने की थी।

बीएचईएल के सीएमडी श्री बी.पी. राव, संयुक्त सचिव (भारी उद्योग) श्री अम्बुज शर्मा, हमारे निदेशक – निदेशक (पॉवर) श्री अतुल सराया, निदेशक (ईआरएंडडी) श्री ओ. पी. भूटानी, निदेशक (आईएसएंडपी) श्री एम. के. दूबे, निदेशक (वित्त), श्री पी. के. बाजपेयी, निदेशक, (एचआर) श्री आर. कृष्णन और संयुक्त सचिव, (एमएचए कश्मीर मामले) श्री आर. के श्रीवास्तव और राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक श्री दिलीप शिनॉय कई अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया।

सी एस आर प्रशिक्षण और विकास

सीएसआर के प्रति अपने कर्मचारियों और स्टाफ को प्रशिक्षित एवं संवेदनशील बनाने की आवश्यकता में दृढ़ विश्वास रखते हुए बीएचईएल ने अपनी भिन्न–भिन्न इकाइयों/क्षेत्रों/मंडलों के 45 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया ताकि वे सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए सी एम आर दिशानिर्देशों को भलीभांति समझ कर उनका कार्यान्वयन कर सकें।

झ. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

बीएचईएल सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 को अक्षरशः लागू करने में अग्रणी है।

आरटीआई समूह के भाग के रूप में कंपनी स्तर पर एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा एक केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) एवं सहायता के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी (विधि) और भोपाल में एक क.लो.सू.आ. और प्रत्येक प्रशासनिक यूनिट के लिए 15 मुख्य लोक सूचना अधिकारी कार्यरत हैं।

आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले आवेदकों की सहायता और सुविधा के लिए बीएचईएल की वेबसाइट पर सूचना प्राप्त करने और अधिनियम के तहत प्रथम अपील दाखिल करने की प्रक्रिया का विवरण देते हुए उचित दिशानिर्देश दिए गए हैं।

अधिनियम की अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक इकाइयों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

बीएचईएल की वेबसाइट पर सूचना की विभिन्न श्रेणियों का विस्तार करते हुए अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अनुरूप पूर्वक्रियात्मक प्रकटन किए गए हैं, ताकि सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को इस अधिनियम का इस्तेमाल कम से कम करना पड़े।

बीएचईएल स्टैडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (एस सी ओ पी ई) द्वारा गठित सूचना का अधिकार संबंधी संचालन समिति की सक्रिय सदस्य है। बीएचईएल के सीएमडी ने एससीओपीई के विशेष अंक 'क्लाइडोस्कोप' में बीएचईएल द्वारा अपनी प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए आरटीआई को पारदर्शिता के एक साधन के रूप में इस्तेमाल अपनाने की बीएचईएल की यात्रा का वर्णन किया।

सीपीआईओ और अन्य हितधारकों को विभिन्न प्रशिक्षणों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से अधिनियम के तहत उनके दायित्वों के बारे में नियमित रूप से संवेदनशील बनाया जाता है। बीएचईएल ने 29 और 30 नवंबर 2012 को मुम्बई में ''सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005'' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में हिस्सा लिया। बीएचईएल के नए और वर्तमान सीपीआईओ/सीएपीआईओ के लाभार्थ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर वार्षिक कार्यशाला 5.10.2012 को आयोजित की गई। जिसमें अन्य वक्ताओं के अलावा केंद्रीय सूचना आयोग की माननीय सूचना आयुक्त सुश्री सुषमा सिंह ने भी प्रतिभागियों को सम्बोधित किया।

वर्ष 2012–13 के दौरान बीएचईएल को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 1425 आवेदन प्राप्त हुए। इन सभी का अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निपटान किया गया।

ञ. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

- कंपनी की प्रमुख विनिर्माण इकाइयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और कारपोरेट कार्यालयों में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ स्थापित हैं, जो बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार लेखापरीक्षा करते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग विभिन्न नीतियों तथा प्रक्रियाओं की नियमित लेखापरीक्षा, प्रणाली पुनरीक्षा और अनुपालन की देखरेख के जरिये आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता और प्रभाव की जांच करता है। कम्पनी में उसके संचालन के आकार के अनुरूप आंतरिक लेखा विभाग हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा के कामकाज और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की पुनरीक्षा बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समितियों द्वारा की जाती है जिन्हें यूनिट स्तर की लेखा परीक्षा समितियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

- कंपनी की आंतरिक नियंत्रण और दस्तावेजी प्रक्रिया की उचित और पर्याप्त प्रणाली है, जिसमें सभी वित्तीय और प्रचालनात्मक कार्य आते हैं। पर्याप्त आंतरिक उपाय विभिन्न कोड्स, मैनुअल्स और प्रक्रियाओं के रूप में हैं, जिन्हें प्रबंधन नें जारी किया है। इसमें सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां जैसे खरीद, सामग्री, भंडारण, निर्माण, वित्त और कार्मिक आदि आते हैं। इन कोड्स, मैनुअल्स और प्रक्रियाओं को समय–समय पर अद्यतन किया जाता है और उनका सख्ती से पालन किया जाता है जिसकी निगरानी आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा की जाती है। कंपनी ने अपनी प्रक्रियाओं और नियंत्रण को विश्व की सर्वोत्तम पद्धतियों के साथ समायोजित करना जारी रखा है।

ट. विलयन और अधिग्रहण

बीएचईएल बाजार और उत्पाद वर्ग को वैविध्यपूर्ण बनाने के रणनीतिक प्रयास के तहत, यूरोप और अमरीका के ऊर्जा क्षेत्र में कोर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र जिसमें नवीकरणीय तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे परिवहन और पारेषण शामिल हैं, सक्रियतापूर्वक अधिग्रहणों के लिए कार्रवाई कर रही है ताकि प्रौद्योगिकी और वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई जा सके, वैश्विक आपूर्ति स्रोत सुरक्षित किए जा सकें, संबंधित और नए व्यापारिक क्षेत्रों आदि को वैविध्यपूर्ण बनाया जा सके ताकि रणनीतिक योजना 2017 में यथापरिकल्पित वृद्धि लक्ष्यों की ऊपरी सीमा और निचली सीमा को प्राप्त किया जा सके।

इस कार्य में बीएचईएल अपने प्रौद्योगिकी प्रोफाइल, उत्पाद मिश्रण का आकलन कर रही है और अपने पैनलबद्ध अंतर्राष्ट्रीय एम एंड ए सलाहकारों के साथ समन्वय कर उपयुक्त लक्षित अवसरों के लिए नए मजबूत बाजारों की तलाश कर रही है।

बीएचईएल के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारत हेवी प्लेट एंड वेसेल्स, (बी एच पी वी) से होने वाले सभी लाभों का पता लगाने के लिए बीएचपीवी के बीएचईएल में विलय के प्रस्ताव को रूग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) के तहत बीएचईएल बोर्ड ने 23 मई 2012 को मंजूरी दी। परिणामस्वरूप केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 21 फरवरी 2013 को इस विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के साथ एसआईसीए के प्रावधानों के तहत संशोधित मसौदा पुनर्वास योजना (एमडीआरएस) माननीय बीआईएफआर के समक्ष दाखिल की गई।

बीएचपीवी और बीएचईएल के हितधारकों की विशेष आम सभाएं क्रमशः 20 जून 2013 और 27 जून 2013 के बीच हुईं, जिनमें बीएचईएल के साथ बीएचपीवी के विलय का प्रस्ताव विशेष संकल्प के जरिए पारित कर दिया गया।

यह परिकल्पना की गई है कि बीएचपीवी के बीएचईएल के साथ विलय के साथ ही, समन्वित इकाई औद्योगिकी ब्वॉयलर्स के उत्पादन और संयंत्र उपकरण की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाते हुए रणनीतिक और प्रतिस्पर्धी लाभ दिलाएगी।

ठ. अवसर और खतरे

विश्व

वैश्विक अर्थव्यवस्था को कई महत्वपूर्ण और परस्पर सम्बद्ध चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी वजह से आधे दशक से बरकरार आर्थिक संकट से उबरने में रूकावट आ रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी तक संकट से जूझ रही है– जर्मनी में सुधार के कुछ संकेतों और अमरीका में बढ़ी मौद्रिक एवं वित्तीय कटौतियों के बावजूद 2013 की पहली तिमाही में यूरो–जोन मंदी बरकरार रही।

विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के बारे में, आईएमएफ की 2013 की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2013 में 3 प्रतिशत वृद्धि के पूर्वानुमान के बावजूद, इसके सिकुड़कर 0.2 प्रतिशत रहने की सम्भावना है। इसकी वजह अमरीका की वृद्धि दर 2012 के 2.2 प्रतिशत से वर्ष 2013 में घटकर 1.6 हो जाना है, जो मितव्ययिता जारी रहने, यूरोजोन में मंदी जारी रहने और अन्य विकसित देशों में 'नवीन मौद्रिक उपाय' अपनाने की वजह से उबरे कुछ मध्यावधि जोखिमों के परिणामस्वरूप हैं। एशिया में (और विशेषकर आसियान देशों में) जहां घरेलू मांग में वृद्धि चुनिंदा क्षेत्रों में प्रोत्साहन की सम्भावना के साथ तेज रही है, वर्ष 2013–14 की सम्भावना सकारात्मक दिखाई

देती है। यूरोजोन ऋण संकट की चिंताओं से डॉलर को यूरो और अन्य जोखिम वाली मुद्राओं के मुकाबले मजबूती मिलेगी। पूरा परिदृश्य चालू और अगले वित्त वर्ष में संतुलित जोखिम के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमे सुधार की सम्भावनाओं की ओर इशारा कर रहा है।

वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में बड़े बदलाव और पुनर्निर्धारण हुए हैं और शैल गैस की खोज बड़े बदलाव का कारण साबित हुई है। फुकुशिमा त्रासदी ने परमाणु कार्यक्रम की अहमियत घटा दी है, जबकि प्रमुख प्रौद्योगिकीय और लागत की दिशा में हासिल सफलताओं ने नवीकरणीय की सम्भावनाओं में बढ़ोत्तरी की है। बढ़ती आबादी, पर्यावरण संबंधी कड़े नियम और नई प्रौद्योगिकियां ऊर्जा के परिदृश्य को बदल रही हैं। आर्थिक वृद्धि को दीर्घकाल तक बरकरार रखने के लिए वैश्विक एनर्जी मिक्स में वैकल्पिक ऊर्जा की सम्भावनाएं दाखिल हो रही हैं। वैकल्पिक ऊर्जा के विकास की बढ़ती जरूरत के साथ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक बिरादरी ने जलवायु परिवर्तन के बारे में महत्वपूर्ण समझौतों, निष्फल जीवाश्म–ईंधन सब्सीडी और विकास तथा वैश्विक ऊर्जा प्रणालियों को परिवर्तित करने की क्षमता वाली कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकियां लागू करके नीति निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के तहत जीवाश्म ईंधन की तुलना में नवीनकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा से बिजली बनाने की हिस्सेदारी के साथ तेज गति से बढ़ रही है, जो पवन ऊर्जा का स्थान ले रही है।

वैश्विक संदर्भ में, वर्ष 2011–2035 की अवधि के दौरान ऊर्जा की मांग में करीब 01 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से वृद्धि होने की संभावना है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस की मांग सबसे ज्यादा रहेगी, हालांकि वर्ष 2025 तक कोयला प्रमुख ईंधन बना रहेगा। इसके बाद इसमें कमी आएगी और कम कार्बन वाले ऊर्जा को प्रमुखता मिलेगी और इस क्षेत्र में ओ ई सी डी तथा चीन आगे रहेंगे। 2011–2035 के बीच ऊर्जा आपूर्ति की अवसंरचना में वैश्विक निवेश 38 ट्रिलियन डॉलर होने की संभावना है। वर्ष 2035 तक चीन में विश्व की ऊर्जा की मांग के 22 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी होगा जबकि 2012 में यह मांग 17 प्रतिशत थी। इसके बाद दूसरे स्थान पर भारत रहेगा जिसका इस वृद्धि में 18 प्रतिशत हिस्सा होगा।

ऊर्जा सैक्टर के संदर्भ में, उपलब्धता, पहुंच और जवाबदेही की चुनौतियों का सामना करने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों का और ज्यादा कारगर ढंग से इस्तेमाल करने के लिए नीतिगत नवाचर और प्रौद्योगिकीय नवप्रवर्तन की जरूरत है ताकि टिकाऊ आर्थिक विकास बरकरार रखा जा सके।

भारत

वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्याप्त अनिश्चितताओं के बीच घरेलू खपत की मांग घटने, बढ़ती मुद्रास्फीति और कमजोर निवेश में परिलक्षित होते विनिर्माण एवं पूंजीगत वस्तुओं के खराब प्रदर्शन की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था समग्र रूप से प्रभावित हुई है। वित्त वर्ष 2012–13 का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पांच प्रतिशत रहा जबकि आरम्भ में ज्यादातर वित्तीय संस्थानों की ओर से इसके 5.3–5.5 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था। चुनौतीपूर्ण घरेलू और बाहरी हालात और वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान उम्मीद से कम विस्तार की वजह से वित्त वर्ष 2014 में 6 प्रतिशत जीडीपी की वृद्धि दर हासिल करने के लिए भी देश को ज्यादा संघर्ष करना होगा।

वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान आईआईपी के क्षेत्रवार संकेतक भी निराशाजनक रहे, क्योंकि बिजली और विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि धीमी रही, जबकि खनन संकुचित रहा। विशाल चालू खाता घाटे, उच्च वित्तीय घाटे और मौद्रिक नीति की सुगमता में विलम्ब जैसे वृहद आर्थिक कारकों की वजह से भारतीय रुपया अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर, 56 रुपये प्रति डॉलर तक जा पहुंचा। सी पी ओ द्वारा जारी किए गए आई आई पी आंकड़ों के अनुसार, औद्योगिक वृद्धि दर फरवरी में 0.6 प्रतिशत तक लुढ़क गई और उसके बाद मार्च 2013 के दौरान, उसमें 2.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पूंजीगत वस्तुओं के सैक्टर में उच्च ब्याज दरों की वजह से निवेश घटने और परियोजनाओं के पूरा होने में अनिश्चितता के कारण पूरे वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान रही अनियमित सिकुड़न की वजह से प्रदर्शन धीमा रहा। सीएमआईई के मुताबिक, वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान औसत आईआईपी वृद्धि करीब 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो मुख्य रूप से अवसंरचना विकास पर ज्यादा ध्यान दिए जाने के कारण औद्योगिक वृद्धि की सम्भावनाएं बढ़ने की दिशा में सकारात्मक संकेत है। मौद्रिक नीति नियामक का हस्तक्षेप, औद्योगिक उत्पादन में टिकाऊ वृद्धि की आवश्यक जरूरत है। संघर्षरत वैश्विक अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति, चालू खाता घाटे, निवेश के रूझान में कमी, पूंजी प्रवाह और खपत की मांग में मंदी की वजह से पेश की जा रही चुनौतियों के कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलापन की सदैव परीक्षा होती रहेगी।

पॉवर सेक्टर

भारतीय पॉवर सेक्टर भारत के विशालतम और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है, क्योंकि यह विभिन्न सेक्टरों

के सभी उद्योगों की ऊर्जा की मांग पूरी करता है। पिछली दो योजनावधियों के दौरान यह सैक्टर उल्लेखनीय रूप से तरक्की कर रहा है। चालू योजनावधि (12वीं पंचवर्षीय योजना) में, मार्च 2013 तक, 20,623 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता हासिल की गई, जबकि अतिरिक्त क्षमता का लक्ष्य 17,601 मेगावाट रखा गया था। भारत में कुल स्थापित क्षमता 31 मार्च 2013 तक 2,23,344 मेगावाट तक पहुंच गई, इसके बावजूद देश के पॉवर सैक्टर की कुछ पॉकेट्स में मांग–आपूर्ति में असंतुलन, बार–बार बिजली की कटौती आदि की वजह से महत्वपूर्ण अपवाद देखने को मिलता है। बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए 12 वीं पंचवर्षीय योजना में पॉवर सैक्टर में करीब 16 लाख करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना करता है। 12वीं एवं 13वीं योजनावधि में भारत सरकार की योजना, प्रत्येक योजना में राष्ट्र की विद्युत क्षमता में क्रमशः 88.5 जीडब्ल्यू और 100जीडब्ल्यू के विस्तार तथा इसके अनुरूप टी एंड डी में भी विस्तार करने की है। बड़े पैमाने पर निजी और विदेशी निवेश तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ कारगर और तेजी से बढ़ते बिजली क्षेत्र का निर्माण करने के लिए भारत सरकार ने परियोजनाओं को तेजी से मंजूर कराने के वास्ते निवेश संबंधी समिति से विचार–विमर्श करके अपनी सशक्त प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं, खासतौर पर चीन और अन्य विकसित देशों ने बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घुसपैठ की है। हाल ही में जापान भी येन के अवमूल्यन का फायदा उठाते हुए भारतीय पॉवर सैक्टर में दाखिल होना चाहता था।

ईंधन मिक्स में वैविध्य लाने के लिए की गई विविध नीतिगत पहलों के बावजूद, ये तेजी से साबित होता जा रहा है, कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सीमित भंडार, हाइडल परियोजना पर पर्यावरण संरक्षण प्रतिबंध और परमाणु ऊर्जा की भू–राजनीतिक अवधारणा के कारण कोयला भारत के ऊर्जा परिदृश्य के केंद्र में बना रहेगा। अनुमानों के आधार पर, अगले पांच वर्षों में कोयले की खपत में करीब 40 फीसदी और 2020 तक इसके लगभग दो गुणा बढ़ जाने की बात कही जा रही है। ऊर्जा के कुशल इस्तेमाल, जलवायु के अनुकूल तथा बेहद महत्वपूर्ण मापदंडों वाले थर्मल सैट्स जैसी ईंधन की खपत कम करने वाली प्रौद्योगिकियों, यूएचवी ट्रांसमिशन सिस्टम्स, तथ्य, स्मार्ट ग्रिड आदि की शुरूआत से इस सैक्टर से जुड़ी चुनौतियों से बखूबी निपटा जा सकेगा। पॉवर उत्पादन में कार्बन की मात्रा में कमी लाने के लिए आईजीसीसी और अत्याधुनिक अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल टैक्नॉलोजी के विकास के तहत पहले की जा रही हैं। नवीकरणीय पॉवर, सौर ऊर्जा से 20 जीडब्ल्यू और पवन, लघु हाइड्रो प्लांट्स (एसएचपी) और जैव ईंधन से 54 जीडब्ल्यू के संचयी लक्ष्य के साथ क्रमिक क्षमता में वृद्धि की दिशा में वर्ष 2022 तक महत्वपूर्ण योगदान निभा सकती है।

घरेलू बिजली और पॉवर उपकरण क्षेत्र का अस्तित्व बचाने का करीबी संबंध अवसंरचना परियोजनाओं के समय पर पूरा होने तथा आयात के संबंध में समान अवसर न होने के मसले सुलझाने से है। भारत का निवेश चक्र जटिल रूप से पॉवर चक्र से सम्बंधित है, क्योंकि देश में सृजित पूंजी का 30 प्रतिशत हिस्सा पॉवर सैक्टर द्वारा निर्धारित होता है। पॉवर सैक्टर की वृद्धि में रुकावट बनने वाली प्रमुख समस्याओं में सुरक्षा मामलों के अलावा भूमि, ईंधन, पर्यावरण एवं वन मंजूरी और निवेश शामिल हैं। कौशल में कमी, महत्वपूर्ण कच्चे माल की उपलब्धता में कमी और अवसंरचना में कमी जैसी चुनौतियां पॉवर और हैवी इलैक्ट्रिकल उपकरण के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्षमता असंतुलन विशेषकर संयंत्र क्षेत्रों का संतुलन सैक्टर की अतिरिक्त लक्ष्य क्षमता का पता लगाने की दिशा में प्रमुख अड़चनों में से एक बनकर उभरा है। पॉवर उपकरण के आयात पर शुल्क लगाने के मंत्रिमंडल के फैसले से कमियां केवल 5 प्रतिशत दूर की जा सकी हैं, जबकि 9 प्रतिशत कमी अब तक बरकरार है।

वृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गठित उच्च स्तरीय निवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अवसंरचना से जुड़ी 13 परियोजनाओं को प्रदान की गई मंजूरी एक स्वागतयोग्य कदम है। यह परियोजनाएं करीब 33,000 करोड़ रुपये के निवेश से सम्बंधित हैं। केंद्र सराकर की ओर से किया गया राज्य वितरण कम्पनियों का वित्तीय पुनर्गठन, राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली कर्ज में डूबी वितरण कम्पनियों की तकलीफे मिटाने की दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है। आयातित कोयल के दाम में अभूतपूर्व वृद्धि का मामला पॉवर परियोजना के डेवलपर्स को उनके मामले के आधार पर, मुआवजा पैकेज प्रदान करने के माध्यम से सुलझाने के संबंध में सीईआरसी का फैसला एक और अहम कदम है। संक्षेप में कहें, तो सरकार द्वारा किये गये नीतिगत हस्तक्षेप, कर्ज के पुनर्गठन की पहल, शुल्क में वृद्धि जैसे कार्य इस बात का संकेत हैं कि पिछले कुछ वर्षों के कठिन समय के बाद अब सुधार हो रहा है।

उद्योग क्षेत्र

वैश्विक अर्थव्यवस्था की हताशाजनक वृद्धि और उसके प्रभावों ने भारतीय उद्योगों की चमक गायब कर दी है, जिसकी वजह

से औद्योगिक उत्पादन में ठहराव की झलक दिखने लगी है। वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान औद्योगिक सैक्टर में मंदी के संकेत देखने को मिले, खासतौर पर पूंजी और मध्यवर्ती वस्तुओं, खनन और विनिर्माण में तीखी गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक दशक में पहली बार महत्वपूर्ण पारेषण और वितरण के बाजार में 9–10 प्रतिशत की सिकुड़न देखी गई है। परिवहन, इलैक्ट्रिकल उपकरण, कम अनुसंधान एवं विकास निवेश सहित रक्षा उत्पाद, उत्पादों का आर्थिक मूल्य लगाने, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के कम लागत वाले विकल्पों की घुसपैठ सहित संचालन संबंधी कुशलता के अभाव, उद्योग के सभी क्षेत्रों की वृद्धि के मार्ग को अवरूद्ध कर रहे हैं। इससे लागत में प्रतिस्पर्धात्मकता आती है, आपूर्ति श्रृंखला की कुशलता बढ़ती है, प्रौद्योगिकी समझौतों की सम्भावनाओं का पता चलता है तथा टिकाऊ वृद्धि की सम्भावनाओं के द्वार खुलते हैं। खपत की मांग मंद पड़ने की वजह से ऑर्डर्स के रूपांतरण में विलम्ब के कारण उद्योगों की महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हुआ। उद्योगों में सुविधाओं के विस्तार में पूंजीगत निवेश नहीं होने के कारण महत्वपूर्ण टिकाऊ विर्निर्माण क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो सका है। इसकी वजह से आगे चलकर रोजगार के साधन और कच्चे माल तथा वस्तुओं एवं मध्यवर्ती वस्तुओं की खपत में कमी आई। इसके अलावा सेवा क्षेत्र में वृद्धि मंद रही।

मैट्रो, रोलिंग स्टॉक और समर्पित फ्रेट कॉरिडोर में बढ़े पूंजीगत व्यय की बदौलत जबरदस्त मांग होने की सम्भावना है। मांग का एक अन्य वाहक अल्ट्रा हाई वॉल्टेज वर्ग है, जिस पर 12वीं योजना में सबसे ज्यादा बल दिया गया है और इसमें बहुत कम निर्माताओं के होने के कारण हैवी इलैक्ट्रिकल उपकरण बनाने वाले विनिर्माताओं के लिए अच्छा अवसर होगा। अवसंरचना परियोजनाओं को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की हाल की पहलों से, हाइड्रोकार्बन, ऊर्जा, सड़क, रेलवे आदि जैसे वर्गों पर सार्वजनिक व्यय बढ़ा है, हालांकि मध्य से दीर्घवाधि में यह धीमी रही। गैर–परम्परागत ऊर्जा पर नए सिरे से ध्यान देने से नवीनीकरण योग्य प्रस्तावों को गति मिलेगी। नियामक हस्तक्षेपों के साथ सूखे की गम्भीर स्थिति के कारण नगर निगम प्रशासनों को पानी का शोधन और उपचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा जिससे मांग बढ़ी।

भविष्य की तैयारी

- परिवहन और पारेषण जैसे उदीयमान व्यापारिक क्षेत्रों के लिए विद्युत सेक्टर, प्रमुख योगदानकर्ता बना रहेगा। परमाणु, अक्षय और जल खंड में अपनी उपस्थिति मजबूत बनाने के लिए रणनीतियां मौजूद हैं।
- कंपनी द्वारा अंगीकृत रणनीतिक योजना 2012–17 में कंपनी का प्रयास है कि यह वैश्विक इंजीनियरी उद्यम बन जाए। हमारी सफलता के वाहकों में ई पी सी क्षमता बना कर विद्युत क्षेत्र में हमारी पेशकशों का विस्तार करना, औद्योगिक व्यापार पर ध्यान केन्द्रित करना और अतिरिक्त उपायों और सेवाओं का विस्तार करना और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना शामिल है।
- कम्पनी लगातार छह सूची कार्यसूची पर ध्यान दे रही है जिसमें अपने कार्य क्षेत्रों में अपनी अग्रणी स्थिति बरकरार रखने की रणनीतिक योजना के साथ–साथ क्षमता वृद्धि, परियोजना का द्रुत गति से कार्यान्वयन, उत्पाद लागत प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता विविधीकरण, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी तथा लोक विकास शामिल है।
- आपूर्ति श्रृंखला को कुशल बनाने और परियोजना के कार्यान्वयन को तेजी प्रदान करने, विक्रेता आधारित विस्तार पर निरंतर ध्यान देते हुए, प्रौद्योगिकी पहलों के माध्यम से खरीद बढ़ाने, अत्याधुनिक विनिर्माण कार्य, ग्लोबल सोर्सिंग आदि के उपाय किए जा रहे हैं।
- जनोपयोगी सेवाओं का विकल्प मुहैया कराते हुए सुपरक्रिटिकल मापदंडों के साथ कम रेटिंग वाले सैट्स विकसित करना, ताकि वे पर्यावरण के अनुकूल इस प्रौद्योगिकी का कम रेटिंग सैट्स में भी लाभ उठा सकें।
- ऊर्जा की बढ़ती बेतहाशा मांग पूरी करने के लिए, आई ईपी ने परमाणु ऊर्जा आधारित पॉवर उत्पादन की एक व्यवहार्य विकल्प के तौर पर पहचान की है। परमाणु कारोबार में परम्परागत दायरे से बढ़कर उत्पादों की पेशकश करने की सम्भावनाओं को बढ़ाना जारी है।
- महानगरीय और उपनगरीय रेलवे सहित रेलवे परिवहन में बढ़ती सम्भावित मांगों को पूरा करने के लिए बीएचईएल की सामूहिक पहलों में भारतीय रेलवे के साथ राजस्थान में ग्रीनफील्ड मैनलाइन इलैक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (एमईएमयू) कोच फैक्टरी लगाना शामिल है।
- 2020 तक उत्पादित होने वाली 15 प्रतिशत बिजली नवीकरणीय स्रोतों से बनाने के लक्ष्य वाली जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्ययोजना पर विचार करते हुए बीएचईएल फोटो वॉल्टालिक मॉड्यूल्स और कोशिकाओं की क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है।
- पॉवर प्लांट्स के नवीकरण और आधुनिकीकरण में पेशकश का विस्तार करने के लिए ढांचे पर आधारित रणनीतिक पहलों

के तहत, आर एंड एम सिस्टम्स गफ्रप (आरएमएसजी) का गठन किया गया है।

- औद्योगिक ब्वॉयलर, न्यूक्लियर स्टीम जेनेरेटर की श्रेष्ठ आपूर्तिकर्ता तथा प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उपकरणों की आपूर्तिकर्ता, और बीएचईएल की 100 प्रतिशत अनुषंगी के रूप में बीएचपीवी का विलय करने की कम्पनी की आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयास जारी हैं। ऑल्टरनेटर फॉर ट्रैक्शन एप्लीकेशंस जैसे नए परियोजना क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करने के प्रयासों के तहत बीएचईएल और केरल सरकार के संयुक्त उद्यम बी एच ई एल–ईएमएल की सुविधाओं पर बल दिया जा रहा है।
- इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी हमारी ताकत रही है। इनकी कोर क्षमता में अपनी प्रतिष्ठा और उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए हम लोग मौजूदा उत्पादों और प्रणालियों का स्तर बढ़ा कर समसामयिक स्तर तक लाना जारी रखेंगे तथा सतत इन हाउस प्रयासों द्वारा और नई प्रौद्योगिकियां प्राप्त कर नये उत्पाद विकसित करेंगे।

ठ. जोखिम और चिंताएं

वैश्विक मन्दी से उबरने को लेकर अभी तक अनिश्चिताएं व्याप्त हैं। वैश्विक वित्तीय स्थिति अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि अब तक यूरो–जोन में जारी प्रमुख कर्ज संकट में कोई राहत नहीं है, जिसकी वजह से भरोसा टूट रहा है। वास्तविक अर्थव्यवस्था पर बैंक द्वारा वित्तीय बल घटाए जाने के परिणामस्वरूप यूरो क्षेत्र में हालात और बिगड़े हैं। अमेरिकी फिस्कल क्लिफ (कर वृद्धि और खर्च में कटौती से संबंधित) की वजह से यूरोप में मिश्रित समस्याओं की वजह से वर्ष 2011 से कारोबारी गतिविधियां हताशजनक रही हैं। वैश्विक जीडीपी की वृद्धि की दर वित्त वर्ष 2013 में 0.2 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, जबकि पहले (आईएमएफ रिपोर्ट अप्रैल 2013) इसके 3 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था। यूरोपीय बैंकों द्वारा किए गए सुधार के लिए किए गए उपायों, अमरीका में वित्तीय सख्ती घटाने तथा मांग बढ़ाने के लिए जापान सरकार की ओर से वित्तीय प्रोत्साहन जारी रखने के बावजूद यह अनुमान व्यक्त किया गया है। विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मंदी का दौर 2012 से जारी है, जब सख्त घरेलू नीतियों, कानूनी मसलों के धीमे समाधान और निवेश के लिए रुझान में कमी आने के साथ ही साथ प्रमुख विकसित देशों की ओर से मांग में भी जबरदस्त गिरावट आई। संक्षेप में कहें तो वृहद आर्थिक परिदृश्य यूरोजोन संकट, अमरीकी अधिग्रहण, उभरते बाजारों में मांग में कमी आने और दुनियाभर में पूंजीगत निवेश की इच्छा में कमी आने से लघु से मध्यम अवधि के दौरान वृद्धि में स्थिरता जारी है।

पिछले कुछ बरसों में देश में नियोजित विद्युत क्षमता में काफी वृद्धि होने से भारतीय विद्युत सेक्टर की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ है। इसके परिणामस्वरूप विद्युत उपस्करों से जुड़े अनेक अंतरराष्ट्रीय व्यापारी/आपूर्तिकर्ता भारतीय बाजार को लक्षित बाजार मानते हुए अग्रसक्रिय होकर इसमें प्रवेश के प्रयास कर रहे हैं। चीन जैसे देशों के आपूर्तिकर्ताओं ने कम आयात शुल्क और ईसीबी माध्यम से फंडिंग का लाभ उठाते हुए और इसके अलावा निर्यात को बढ़ावा देने सरकार की ओर से दी जा रही छूट की बदौलत बिजली के उपकरणों की आपूर्ति में मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। 12वीं योजना में कोयला और गैस आधारित अतिरिक्त पॉवर क्षमता योजनाओं में ईंधन संयोजन से जुड़ी अनिश्चितताओं की वजह से कमी लानी पड़ी है। ईंधन की अनुपलब्धता के अलावा परियोजना के विकास की दिशा की अन्य अड़चनों में मंजूरी मिलना और उच्च लागत का निवेश, जिसकी बदौलत पहले से बढ़ाई जा चुकी विनिर्माण क्षमताओं के सामर्थ्य से कम इस्तेमाल के कारण बीएचईएल की वृद्धि की सम्भावनाओं के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति बन गई है। परिवहन से संबंधित खराब व्यवस्था की वजह से भी हालात और भी बिगड़े हैं, जिनका सुपुर्दगी पर असर पड़ा है।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग कम होने तथा घरेलू बाजार में खपत में कमी आने से मांग घटने के कारण घरेलू उद्योगों पर काफी बोझ पड़ेगा और उनमें प्रतिस्पर्धा तेज हो जाएगी। मुद्रा का अवमूल्यन होने से कच्चे माल के दामों में खास तौर पर इस्पात अैर तांबे की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि होने से भी लाभ (मार्जिन) पर प्रभाव पड़ सकता है। इतना ही नहीं, कुछ देशों द्वारा लगाए गए गैर प्रशुल्क अंकुशों के कारण पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात में प्रतिस्पर्धात्मक हानि होती है।

विश्व भर में, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की वजह से पर्यावरण के टिकाऊपन को लेकर चिंता बढ़ रही है। कुल मिलाकर भारत का रणनीतिक उद्देश्य टिकाऊ ऊर्जा इस्तेमाल के लक्ष्य को संतुलित करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना तथा ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा का रख–रखाव करना है। भारतीय बाजार, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियां अपनाकर तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को इस्तेमाल में लाकर, तेजी से यह सुनिश्चित करने की दिशा में अग्रसर हो रहा है कि उपकरण ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करता है। घरेलू

विद्युत सेक्टर की कई अन्य चिंताएं हैं, जिनमें देश में पॉवर प्लांट वेंडरों की सीमित संख्या और क्षमता/संतुलन की क्षमता, तथा बड़े आकार की विद्युत परियोजनाओं का दायित्व सम्भालने वाले सक्षम/काबिल ठेकेदारों की संख्या कम होना, कुशल कामगारों की कमी, परियोजना प्राधिकारियों/डेवलपर्स, ठेकेदारों और उनके उप ठेकेदारों आदि के बीच संविदा मुद्दे शामिल हैं।

जिन अधिकांश व्यापारिक क्षेत्रों में बीएचईएल प्रचालनरत है वहां वृद्धि की संभावनाएं, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर नीतिगत निर्णयों और मौजूदा व्यापारिक रूझानों पर निर्भर करती हैं।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के
निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(बी. प्रसाद राव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 3 अगस्त, 2013

अनुबंध–क

01.01.2013 को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व तथा पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

	अजा/अजजा/अपिव का प्रतिनिधित्व (01/01/2013 को)				कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति से*			प्रतिनियुक्ति/विलयन से		
समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	अपिव	कुल	अजा	अजजा	कुल	अजा	अजजा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
समूह क	14572	2336	945	2723	1112	163	83	334						
समूह ख	9926	1655	284	939	1	1	0	0						
समूह ग	23525	5383	1566	8327	2925	601	156	989						
समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	702	174	20	238	97	23	2	69						
समूह घ (सफाई कर्मचारी)	151	133	2	1	0	0	0	0						
कुल	**48876**	**9681**	**2817**	**12228**	**4135**	**788**	**241**	**1392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*बीएचईएल में पदोन्नति द्वारा प्रवेश स्तर पर कोई नियुक्ति नहीं होती है।

अनुबंध–ख

01.01.2013 को विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

समूह	अजा/अजजा/अपिव का प्रतिनिधित्व				सीधी भर्ती (कैलेंडर वर्ष 2012 के दौरान)							पदोन्नति*						
	(01/01/2013 को)				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			भरी गई रिक्तियों की संख्या (नियुक्तियां)				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			भरी गई रिक्तियों की संख्या (नियुक्तियां)			
	कुल	दृवि	श्रवि	अवि	दृवि	श्रवि	अवि	कुल	दृवि	श्रवि	अवि	दृवि	श्रवि	अवि	कुल	दृवि	श्रवि	अवि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
समूह क	14572	3	15	176	4	12	18	1112			34							
समूह ख	9926	10	14	147				1										
समूह ग	23525	31	37	485	13	31	52	2925	1	4	85							
समूह घ	853	1	3	8		1	2	97										
कुल	**48876**	**45**	**69**	**816**	**17**	**44**	**72**	**4135**	**1**	**4**	**119**							

टिप्पणी: (i) दृवि का अभिप्राय दृष्टि विकलांग से ह (इसके अंतर्गत दृष्टिहीन अथवा अल्प दृष्टि वाले व्यक्ति आते है)

(ii) श्रवि का अभिप्राय श्रव्य विकलांग से है (इसके अंतर्गत बहरे व्यक्ति आते हैं)

(iii) अवि का अभिप्राय अस्ति विकलांग से है (इसके अंतर्गत लोकोमोटर अथवा प्रमस्तिष्कीय आघार से पीड़ित व्यक्ति आते हैं)

*समूह ख से क तथा समूह क में पदोन्नति के लिए कोई आरक्षण नहीं है। बीएचईएल में समूह ग और घ में कैरियर आधारित पदोन्नति का अनुसरण किया जाता है, इसलिए ग्रेड में निर्धारित पात्रता अवधि पूरी कर लेने पर सभी कर्मचारियों को उनके संतोषजनक कार्यनिष्पादन, आचरण के आधार पर अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति किया जाता है।

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबन्ध–II

सूचीकरण करार [(खंड, 49 IV (छ) (i)] के अनुसार नियुक्ति और पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

अंशकालिक सरकारी निदेशक

सुश्री कुसुमजीत सिधू

57 वर्षीय सुश्री कुसुमजीत सिधू को 10 मई, 2013 को बीएचईएल के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में शामिल किया गया था। सुश्री सिधू, 1979 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार है। उनके पास भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार का प्रभार भी है।

सुश्री सिधू इतिहास में स्नातकोत्तर हैं और उन्हें केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर वरिष्ठ पदों पर अच्छा और विविध कार्यानुभव प्राप्त है। 30 वर्ष के अपने कैरियर के दौरान, उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों, जैसे कि सिंचाई, जल संसाधन, विद्युत, पर्यटन, उच्चतर शिक्षा एवं भाषाएं, योजना, कार्मिक आदि में जिम्मेदारीपूर्ण पदों पर सेवा की है। औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग में अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य ग्रहण करने से पूर्व उनके पास पंजाब सरकार के चुनाव विभाग के प्रधान सचिव तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी का प्रभार था।

वर्तमान में वह एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर और हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची की अंशकालिक सरकारी निदेशक के तौर पर भी सेवारत है।

सुश्री सिधू के पास बीएचईएल का कोई शेयर नहीं है।

कार्यकारी निदेशक

श्री अतुल सराया

59 वर्षीय श्री अतुल सराया, को 1 अक्तूबर, 2009 से निदेशक (विद्युत) के तौर पर शामिल किया गया था। वे कारकोर्ट बटलर टेक्नोलोजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और उनके पास बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी है। श्री सराया ने बीएचईएल हरिद्वार में 1976 में बतौर इंजीनियर प्रशिक्षु कार्यभार ग्रहण किया था और उनके पर बीएचईएल के हेवी इलेक्ट्रिकल्स उपकरण संयंत्र, हरिद्वार, पावर सेक्टर मार्केटिंग डिवीजन, नई दिल्ली में बिजनेस डेवलपमेंट और पावर सेक्टर पूर्वी क्षेत्र, निर्माण प्रभाग, कोलकाता में परियोजना कार्यान्वयन और निर्माण का 37 साल से अधिक का विविध और व्यापक व्यावसायिक अनुभव है। कार्यपालक निदेशक के तौर पर उनके पास दोनों पावर सेक्टर मार्केटिंग और पावर सेक्टर पूर्वी क्षेत्र का प्रभार था।

बीएचईएल में पूर्णकालिक निदेशक (पावर) होने के अलावा, वह रायचूर पावर कार्पोरेशन लिमि. (बीएचईएल और कर्नाटक पावर कार्पो. लिमि. की एक संयुक्त उद्यम कपनी (जेवीसी) के अंशकालिक अध्यक्ष और बीएचईएल–एनटीपीसी जेवी एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजैक्टस लिमिटेड (एनबीपीपीएल) के बोर्ड के अंशकालिक निदेशक भी हैं।

निदेशक (पावर) के तौर पर वे बीएचईएल के पावर सेक्टर के प्रमुख हैं जोकि संगठन का करीब 76 प्रतिशत कारोबार को संचालित करता है। संगठन में आज सेक्टर के भीतर देश में नए घरेलू और बढ़ती विदेशी प्रतिस्पर्धा सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। श्री सराया न केवल संगठन के विकास के लिए बिजनेस हासिलकरने के लि सफलतापूर्वक कार्यनीतियां तैयार कर रहे हैं बल्कि जारी परियोजनाओं का समय पर पूरा करना भी सुनिश्चित कर रहे हैं जिससे ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि हुई है।

श्री सराया ने बच्चों और अन्य पिछड़े समुदायों की कठिन समय में मदद करते हुए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति भी विभिन्न क्रिया कलाप आरंभ किए हैं।

श्री सराया के पास बीएचईएल के 1000 इक्विटी शेयर हैं।

श्री पी. के. बाजपेयी

58 वर्षीय, श्री पी. के. बाजपेयी को 1 जुलाई, 2011 में निदेशक (वित्त) के तौर पर शामिल किया गयाथा। वे आईआईटी, कानपुर से बी टैक (मैके.), यूनिवर्सिटी ऑफ लीड (यूके) से एमबीए और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंटस ऑफ इंडिया से एसीएम हैं।

श्री बाजपेयी ने वर्ष 1977 में बीएचईएल में कार्यभार ग्रहण किया था और उनके पास 36 वर्ष का बहुमुखी अनुभव है। उसने लाभ केंद्रों के वित्त प्रमुख के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें संगठन की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला अर्थात इंजीनियरिंग (परियोजना इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन), विनिर्माण और निर्माण, कमीशनिंग और सेवाएं शामिल हैं। श्री बाजपेयी को बीएचईएल की विनिर्माण इकाई, भोपाल के वित्त प्रमुख के तौर पर तब नियुक्त किया गया था जब 1972–73 से लाभ दर्शाने के उपरांत 2000–2001 में इस यूनिट ने हानि दर्शाई थी। इस कठिन समय पर वे तत्काल परिवर्तन लाने में कामयाब रहे और यूनिट ने 2001–2002 में लाभ दर्शाया। निर्माण और कमीशनिंग यूनिट, पावर सेक्टर–उत्तरी क्षेत्र के वित्त प्रमुख के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान कारोबार, मूल्यवर्द्धन और क्षेत्र के कर पूर्व लाभ में चहुं तरफ सुधार था। परियोजना इंजीनियरिंग और प्रबंध प्रभाग के प्रमुख के तौर पर, उन्होंने प्रक्रियाओं के प्रापण और युक्तिकरण तथा सरलीकरण के

लिए पैकेजों के आकार और विशिष्टताओं के बारे में समन्वित साफ्टवेयर पल्स के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

महाप्रबंधक (वित्त) आंतरिक लेखा परीक्षा/प्रबंधन सुधार प्रकोष्ठ के तौर पर श्री वाजपेयी ने प्रणालीगत लेखा परीक्षा की शुरूआत की। उन्होंने आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता और उच्चतर परिपक्वता स्तर हेतु सुधारों, वार्षिक लेखों पर शून्य टिप्पणियों के लिए कैग कार्यालय के साथ प्रभावी समन्वयर पर एक प्रणाली का विकास किया।

महत्वपूर्ण एसबीयूज का नेतृत्व करने के अलावा श्री बाजपेयी ने कारपोरेट वित्तीय सेवाएं प्रभाग में भी काम किया और कोष प्रबंधन, फारेक्टस एक्सपोजर मैनेजमेंट, प्राप्य प्रबंधन, प्रचालन अधिशेष/घाटा प्रबंधन, बैंकिंग सुविधा–नकदी/गैर नकदी सीमाओं की देखरेख की। वे पावर सेक्टर मुख्यालय के वित्त प्रमुख भी थे और मा.सं., प्रबंधन सेवाओं, आईटी और एचआरडीडी कार्यों की देखरेख भी की।

श्री बाजपेयी वर्तमान में लातुर पावर कंपनी लिमिटेड के बोर्ड के अंशकालिक अध्यक्ष हैं।

श्री बाजपेयी के पास बीएचईएल का कोई शेयर नहीं है।

श्री डब्ल्यू वी के कृष्णा शंकर

58 वर्षीय, श्री डब्ल्यू वी के कृष्णा शंकर को 1 अगस्त, 2013 से भारत के राष्ट्रपति ने निदेशक (औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद) के तौर पर शामिल किया था। वह यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, बंगलौर यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उनके पास प्रबंधन में डिप्लोमा भी है। उन्होंने आईएमआई (अब आईएमडी), जिनीवा, स्विटजरलैंड में कॉर्पोरेट प्लानिंग में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में 36 वर्ष के अपने लंबे कॅरियर के दौरान उन्होंने कार्यनीतिक और प्रचालन क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं और कार्यों में विभिन्न असाइनमेंट संभाले हैं। उन्हें जुलाई, 2010 में कार्यपालक निदेशक के तौर पर पदोन्नत किया गया।

1977 में तिरूचिरापल्ली में बीएचईएल में अपने कॅरियर की शुरू के साथ उन्होंने तिरूचिरापल्ली में बीएचईएल के सीमलैस स्टील ट्यूब संयंत्र की स्थापना से संबंधित परियोजना नियोजन, अनुसूचीकरण एवं निगरानी गतिविधियों में सक्रियता के साथ भाग लिया। संयंत्र चालू होने के उपरांत उन्हें बीएचईएल के कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया जहां उन्होंने बीएचईएल की दो बड़ी निवेश योजनाओं अर्थात तिरूचिरापल्ली में बायलर संयंत्र (4000 मेगावाट) के फेस–3 विस्तार और रानीपेट में हरित क्षेत्र में बायलर सहायक संयंत्र की स्थापना के लिए कारपोरेट स्तर पर परियोजना निगरानी प्रणालियों को डिज़ाइन और कार्यान्वित किया। वे बीएचईएल की विभिन्न इकाइयों में 'उत्पाद प्रबंधक' आधारित संगठनात्मक ढांचे के मूल्यांकन और डिजाइन में कॉर्पोरेट स्तर पर भी निकट से संबद्ध रहे।

1998 से 2004 के दौरान, उद्योग व्यवसाय क्षेत्र के भाग के तौर पर, उन्होंने पल्वराइज्ड फ्यूल बेस्ड कैप्टिव पावर प्लांटस, डीजी पावर प्लांटस और रक्षा उत्पादों तथा प्रणालियों के विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने भारत में विनिर्माण के विस्तार और स्थायित्व के लिए नीतिगत विचार के लिए उच्चतम स्तर पर एक मंच के तौर पर भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद (एनएमसीसी) में भी कार्य किया। वे मार्च 2006 में ''निर्माण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति' के साथ–साथ सितंबर 2008 में 'भारतीय विनिर्माण क्षेत्र का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री के समूह की रिपोर्ट' के भाग के तौर पर सिफारिशों के मसौदाकरण कार्य से भी संबद्ध रहे थे।

वे कंपनी की '80 के लिए कॉर्पोरेट योजना' की शुरूआत से लेकर पांच कॉर्पोरेट योजनाएं तैयार करने के काम में भी शामिल रहे। कार्यपालक निदेशक (कॉर्पोरेट योजना एवं विकास) के तौर पर श्री कृष्णा शंकर ने युवा पीढ़ी की कल्पना पहचानने के लिए एक अनुपम प्रयोग को संचालित करते हुए 2010–11 में कंपनी के लिए एक नया विजन, मिशन और मूल्य के सृजन का नेतृत्व किया। बीएचईएल को 2016–17 तक ₹ 100000 करोड़ के राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार की गई कंपनी की नई कार्यनीतिक योजना 2012–17 में बीएचईएल के आठ बिजनेस वर्टिकल्स के निर्माण पर ज़ोर दिया–यूटिलिटी पावर प्लांट बिजनेस; स्पेयर्स और सर्विसिज बिजनेस; कैप्टिव पावर प्लांट बिजनेस; ट्रांसमिशन बिजनेस; परिवहन बिजनेस; औद्योगिक उत्पाद और रक्षा; अक्षय ऊर्जा व्यवसाय; और जल व्यवसाय।

उन्होंने पाचं वर्ष के लिए निवेशक संबंध पोर्टफोलियो को सफलतापूर्वक संभाला। उन्होंने कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, स्विटजरलैंड, ब्रिटेन और अमरीका में बीएचईएल के कई इंटरेक्टिव मंचों में प्रतिनिधित्व किया। बीएचईएल की प्रबंधन समिति–कंपनी में सर्वोच्च नीति निर्माता संस्था, के सचिव के तौर पर और कार्यकारी निदेशों की समिति के सचिव के तौर पर श्री कृष्णा शंकर कंपनी के लघु अवधि और दीर्घावधि प्रचालनों से निकट से संबद्ध रहे। वे सीआईआई–पूंजीगत माल समिति और फिक्की–पूंजीगत माल समिति के आमंत्रित सदस्य और दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड; 2x800 मेगावाट बीएचईएल और एमपीपीजीसीएल का संयुक्त उद्यम) के बोर्ड में मनोनीत निदेशक भी हैं।

जनवरी 2013 में कंपनी के मुख्य जोखिम अधिकारी के तौर नियुक्ति होने पर उन्होंने संपूर्ण संगठन में उद्यम जोखिम प्रबंध के कार्यान्वयन के प्रमुख के तौर पर काम किया।

श्री कृष्णा शंकर के पास बीएचईएल के 100 इक्विटी शेयर हैं।

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–III

कॉर्पोरेट अभिशासन

1. कॉर्पोरेट अभिशासन पर हमारी विचारधारा

बीएचईएल ने कारपोरेट अभिशासन का एक सुदृढ़ ढांचा विकसित किया है जो अभिशासन की गुणवत्ता, पारदर्शिता, प्रकटन, हितधारकों के महत्व के निरंतर विस्तार और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति वचनबद्धता के दर्शाता है। बीएचईएल शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और संपूर्ण समाज सहित अपने हितधारकों (स्टेकहोल्डरों) के महत्व पर सतत रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए कारपोरेटे अभिशासन के विनियामक ढांचे और बुनियादी अपेक्षाओं से बहुत अधिक आगे जाने का प्रयास करता है। कंपनी के सभी, विशेषकर अल्पसंख्यक शेयरधारकों को पारदर्शिता, प्रकटन और औचित्य सुनिश्चित करने के लिए ढांचा विकसित किया है।

बीएचईएल के विजन में बेहतर कल के लिए समाधान उपलब्ध कराने के लिए एक वैश्विक इंजीनियरिंग उद्यम बनना है तथा इसका मिशन ''ऊर्जा, उद्योग और अवसंरचना के क्षेत्रों में सतत व्यवसाय समाधान उपलब्ध करना' है।

बीएचईएल की कॉर्पोरेट अभिशासन नीति पारदर्शिता, पूर्ण प्रकटन, स्वतंत्र मानीटरिंग और सभी के लिए औचित्य के चार स्तंभों पर आश्रित है। इसे सुदृढ़ करने के लिए, बीएचईएल ने ''सत्यनिष्ठा करार'' अपनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हमारी कारपोरेट संरचना व्यावसायिक कार्यविधियों और प्रकटन पद्धतियों ने हमारी कारपोरेट अभिशासन नीति के साथ सुदृढ़ साम्यता प्राप्त कर ली है, जिससे लक्ष्यों तथा व्यावसायकि नैतिकता के उच्च स्तर की प्राप्ति हुई है। बीएचईएल की कारपोरेट अभिशासन नीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है:

i) निदेशक मंडल की स्वतंत्रता और परिवर्तनीयता
ii) सभी कार्मिकों को सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार
iii) सभी हितधारकों–ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, आपूर्तिकर्ताओं और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की पहचान
iv) प्रकटन और पारदर्शिता का उच्च स्तर
v) सभी क्षेत्रों जिसमें कंपनी प्रचालन करती है, में कानूनों का पूर्ण अनुपालन।
vi) लोगों और पर्यावरण के लिए सहानुभूति के साथ उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति।

कंपनी का विश्वास है कि कारपोरेट अभिशासन की कार्यविधियों तथा आचार संहिता का अनुपालन करते हुए व्यवसाय करना हमारे प्रत्येक प्रधान मूल्य का प्रतिपादन करता है, जो हमें अपने शेयरधारकों को दीर्घावधि प्रतिफल प्रदान करने मे समर्थ बनाता है, हमारे ग्राहकों को अनुकूल परिणाम तथा हमारे कर्मचारियों को अच्छे अवसर प्रदान करता है और आपूर्तिकर्ताओं को समाज की प्रगति और समृद्धि करने में भागीदार बनाता है।

2. निदेशक मंडल

i. संरचना और निदेशकों की श्रेणी:

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुसरण में बीएचईएल एक सरकारी कंपनी है। क्योंकि कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 67.72 प्रतिशत भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित है।

निदेशक मंडल में बोर्ड की स्वतंत्रता बनाए रखने और प्रबंधन के निदेशक मंडल के कार्यों और नियंत्रण को अलग करने के लिए अ. एवं प्र.नि. सहित कार्यात्मक निदेशकों के प्रतिनिधित्व में कार्यपालकों और सरकारी नामितियों द्वारा प्रतिनिधित्व में गैर–कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का उपयुक्त संयोजन है। चूंकि अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक हैं इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की संख्या की आधी है।

निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:–

विवरण	बोर्ड की संरचना	31.03.2013 की वास्तविक स्थिति
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	1
पूर्णकालिक कार्यपालक (कार्यात्मक) निदेशक	5	5
अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिती) भारी उद्योग और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधि	2	1
अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	8	2
कुल	**16**	**9**

31 मार्च, 2013 की यथास्थिति अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की छह रिक्तियां और एक रिक्ति अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिती) की है। इसके अलावा सुश्री कुसुमजीत सिधू, एएसएंडएफए, डीआईपीपी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को बीएचईएल के बोर्ड में 10.05.2013 से अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामांकित) के तौर पर नियुक्त किया गया है। अन्य रिक्तियों को भरने का मामला भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है।

ii. 2012–13 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों और पिछली आम वार्षिक बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति

निदेशक का नाम सर्व / श्री	निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या		पिछली आम सभा (19.09.2012)
	आयोजित	भाग लिया	
कार्यपालक निदेशक			
बी. प्रसाद राव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	8	8	हां
अतुल सराया निदेशक (पॉवर)	8	8	हां
ओ. पी. भुटानी निदेशक (ई, आरएंडडी)	8	8	हां
एम. के. दुबे निदेशक (आईएसएंडपी)	8	8	हां
पी. के. बाजपेयी निदेशक (वित्त)	8	8	हां
आर. कृष्णन निदेशक (मा.सं.)	8	8	हां
अंश–कालिक सरकारी निदेशक – सरकारी नामिती			
अंबुज शर्मा संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग	8	8	हां
वी. एस. मदान अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (19.07.2012 से) (22.03.2013 तक)	5	3	हां
सौरभ चंद्रा* अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (17.04.2012 तक)	1	-	-
अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक			
अशोक कुमार बसु* (21.06.2012 तक)	2	2	-
एम. ए. पठान* (21.06.2012 तक)	2	2	-
श्रीमती रेवा नय्यर* (21.06.2012 तक)	2	1	-
वी. के. जैरथ (11.11.2012 तक)	4	3	हां
एस. रवि	8	8	हां
त्रिंबकदास एस. जंवर	8	8	हां

*यह दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति पिछली आम सभा की तिथि को बीएचईएल के निदेशक नहीं थे।

iii. 31 मार्च, 2013 को अन्य बोर्डों या बोर्ड समितियों की संख्या जिनमें बीएचईएल के निदेशक सदस्य या अध्यक्ष के रूप में हैं।

निदेशक का नाम सर्वश्री	अन्य कंपनियों में निदेशक पद का ब्यौरा	समिति की सदस्यता और अध्यक्षता का ब्यौरा
बी. प्रसाद राव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	भारत हेवी प्लेट एवं वैसल्स लिमि.	–शून्य–
अतुल सराया निदेशक (पॉवर)	1. एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजैक्टस प्रा. लिमि. 2. रायचूर पावर कार्पोरेशन लिमि.	–शून्य–
ओ. पी. भुटानी निदेशक (ई, आर एंड डी)	लातूर पावर कंपनी लिमि.	–शून्य–
एम. के. दुबे निदेशक (आईएस एंड पी)	दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमि.	–शून्य–
पी. के. बाजपेयी निदेशक (वित्त)	लातूर पावर कंपनी लिमि.	**लेखा परीक्षा समितिः** लातुर पावर कंपनी लिमि. (अध्यक्ष)
आर. कृष्णन निदेशक (मा.सं.)	लातूर पावर कंपनी लिमि.	–शून्य–
अंबुज शर्मा अंशकालिक सरकारी निदेशक	हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमि.	–शून्य–
त्रिंबकदास एस. जंवर अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	श्री साईबाबा शूगर्स लिमि.	–शून्य–
एस. रवि अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	1. महिंद्रा यूजीन स्टील कं. लिमि 2. आईडीबीआई कैपिटल माक्रिटस सर्विसिज लिमि. 3. यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमि. 4. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमि. 5. एस रवि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसिज प्रा. लिमि. 6. रेलीगेअर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमि 7. जीएमआर चेन्नई आउटर रिंग प्रा.लिमि. 8. कैनबैंक वेन्चर केपिटल फंड लिमि. 9. एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमि. 10. एसबीआई–एसजी ग्लोबल सिक्यूरिटीज प्रा. लिमि. 11. आईडीबीआई बैंक लिमि.	लेखा परीक्षा समितिः 1. महिंद्रा यूजीन स्टील कं. लिमि. (सदस्य) 2. आईडीबीआई कैपिटल माक्रिटस सर्विसिज लिमि. (अध्यक्ष) 3. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमि. (अध्यक्ष) 4. रेलीगेअर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (सदस्य) 5. एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमि. (सदस्य) 6. आईडीबीआई बैंक लिमि. (सदस्य) **शेयरधारक/निवेशक शिकायत समितिः** 1. महिंद्रा यूजीन स्टील कं. लिमि. (सदस्य) 2. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमि. (सदस्य) 3. आईडीबीआई बैंक लिमि. (अध्यक्ष)

*केवल लेखापरीक्षक समिति और शेयरधारक/निदेशक शिकायत समिति की अध्यक्षता/सदस्यता पर विचार किया गया है।

कंपनी का कोई निदेशक एक ही समय में पंद्रह (15) कंपनियों से अधिक में निदेशक का पद धारित नही करता है। कंपनी का कोई निदेशक दस (10) से अधिक समितियों का सदस्य अथवा सभी कंपनियों जिसमें वे निदेशक है, में पांच (5) समितियों से अधिक के अध्यक्ष नहीं है।

iv. निदेशक मंडल की आयोजित बैठकों की संख्या और तारीख

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः कंपनी के नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और उन्हें बहुत पहले निर्धारित किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से कंपनी सचिव प्रत्येक निदेशक को लिखित में प्रत्येक बैठक का नोटिस भेजता है। निदेशक मंडल की कार्यसूची पहले से ही निदेशकों को परिचालित की जाती है।

निदेशक मंडल के सदस्यों की कंपनी की सभी सूचनाओं तक पहुंच होती है और वे चर्चा के लिए कार्यसूची में किसी विषय को शामिल करने की सिफारिश के लिए स्वतंत्र होते हैं। आवश्यकता होने पर चर्चा की जा रही मदों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने और/अथवा निदेशक मंडल प्रस्तुतिकरण करने के लिए निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लेने हेतु वरिष्ठ प्रबंधन को आमंत्रित किया जाता है। निदेशक मंडल तिमाही परिणामों और कार्यसूची पर अन्य मदों की समीक्षा करने के लिए तिमाही में कम से कम एक बार अपनी बैठक करता है। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त बैठकें आयोजित की जाती हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल ने निम्नलिखित तारीखों को 8 बैठकें कीः

(i) 3 अप्रैल, 2012 (ii) 23 मई, 2012

(iii) 26 जुलाई, 2012 (iv) 29 अक्तूबर, 2012

(v) 12 नवंबर, 2012 (vi) 6 दिसंबर, 2012

(vii) 1 फरवरी, 2013 (viii) 22 मार्च, 2013

v. निदेशक मंडल के उत्तरदायित्वः

निदेशक मंडल के अधिदेश का उद्देश्य कंपनी का कार्यनीतिक दिशा पर निगरानी रखना, कारपोरेट कार्यनिष्पादन की समीक्षा और मॉनीटरिंग करना, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना और शेयरधारकों के हित की रक्षा करना है।

vi. स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका

निदेशक मंडल और समिति की बैठकों में विचार–विमर्श में स्वतंत्र निदेशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इंजीनियरी, वित्त, प्रबंधन विधि और सरकारी नीति के क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता कंपनी को प्रदान करते हैं।

निदेशक मंडल ने स्वतंत्र निदेशकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए लेखापरीक्षा समिति, शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति, शेयर अंतरण समिति, पारिश्रमिक समिति, परियोजना समीक्षा समिति, विलय और अधिग्रहण समिति, पीआरपी पर पारिश्रमिक समिति तथा मानव संसाधन नीतिगत समिति आदि जैसी विभिन्न समितियां स्थापित की हैं।

सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति और पारिश्रमिक समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है और उक्त समिति के कार्य परिभाषित विचारार्थ विषय के भीतर हैं। समिति की बैठकों का कार्यवृत्त परिचालित किया जाता है और निदेशक मंडल की बैठकों में उन पर चर्चा की जाती है। इसके अलावा सीपीएसई के लिये कॉर्पोरेट अधिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कम्पनी ने स्वतन्त्र निदेशक की अध्यक्षता में निष्पादन सम्बद्ध वेतन पर एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। इसके अलावा सतत् विकास पर डीपीई दिशानिर्देशों पर निदेशक मण्डल का लक्ष्य है कि समिति सतत् विकास गतिविधियों की भी देखरेख करेगी। कें.सा.क्षे.उ. के गैर सरकारी सदस्यों की आदर्श भूमिका और दायित्वों के संबंध में लोक उद्यम विभाग के का.ज्ञा. दिनांक 28.12.2012 के अनुरूप स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक 31.01.2013 को श्री एस रवि अध्यक्ष एवं प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के साथ हुई। समिति की बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड की बैठकों में परिचालित किए जाते हैं और उन पर विचार–विमर्श किया जाता है।

vii. निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत सूचना

निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत सूचना सामान्यतः बीएचईएल के निदेशक मंडल को कार्यसूची कागजातों के भाग के रूप में प्रस्तुत की जाती है अथवा बोर्ड की बैठक के दौरान पेश/प्रस्तुत की जाती हैः

- वार्षिक प्रचालन योजनाएं तथा बजट एवं कोई अद्यतन सूचना।
- पूंजी बजट एवं कोई अद्यतन सूचना।
- कंपनी तथा इसके कार्यात्मक प्रभागों अथवा व्यवसाय खंडों के तिमाही परिणाम।
- लेखापरीक्षा समिति तथा निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।

- गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों का कार्यवृत्त।
- गैर सूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण लेन–देनों और व्यवस्थाओं का विवरण।
- बोर्ड स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती एवं पारिश्रमिक संबंधी सूचना।
- निदेशक मंडल के अनुमोदनार्थ अपेक्षित किसी संयुक्त उद्यम अथवा अनुसंधान एवं विकास परियोजना अथवा तकनीकी सहयोग करार का विवरण।
- महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं तथा उनके प्रस्तावित समाधान। वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि जैसी मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण घटना।
- महत्वपूर्ण प्रकृति के निवेशों, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों की बिक्री, जो कि व्यवसाय की सामान्य क्रिया में नहीं है।
- बोर्ड द्वारा अपेक्षित सभी मामलों पर कार्रवाई रिपोर्ट।
- निदेशकों द्वारा उनकी निदेशक पदधारिता तथा उनकी रुचि की अन्य कंपनियों में से उनके द्वारा हासिल समिति पदों के बारे मे सूचना।
- विभिन्न कानूनों के अनुपालन संबंधी तिमाही रिपोर्ट।
- प्रमुख कानूनी विवादों से संबंधित सूचना।
- मध्यस्थता मामलों की स्थिति।
- अधिशेष निधियों का अल्पकालिक निवेश।
- कोई संविदा (संविदाएं) जिनमें निदेशक (निदेशकों) की रुचि मानी जाती है।
- शेयरधारकों की शिकायतों संबंधी त्रैमासिक स्थिति।
- विद्युत तथा उद्योग क्षेत्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्य प्रभाग में त्रैमासिक आधार पर सूचना/स्थिति।
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश प्रस्ताव।
- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन और उसके कारण।
- विभिन्न इकाइयों/कार्यों के निष्पादन संबंधी विस्तृत विवरण।
- अचसूचना तथा अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित अन्य कोई सूचना।

viii. नए निदेशकों का चयन

बीएचईएल के अतर्नियमावली के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के माध्यम से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यात्मक निदेशकों और बीएचईएल के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त करते हैं और बीएचईएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक और गैर–सरकारी (स्वतंत्र निदेशकों) को भी नामित करते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों का चयन भारी उद्योग विभाग द्वारा लोक उद्यम की खोज समिति, जो प्रबंधन, वित्त, इंजीनियरी प्रशासन और उद्योग में व्यापाक अनुभव रखने वाले प्रख्यात व्यक्तियों की सूची रखता है, के परामर्श से किया जाता है।

ix. सदस्यता अवधि और सेवानिवृत्ति नीति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति ऐसी शर्तों, पारिश्रमिक और कार्यकाल पर होती है जिसे राष्ट्रपति समय–समय पर निर्धारित करे।

दो अंशकालिक निदेशक अर्थात भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव/संयुक्त सचिव तथा वाणिज्य मंत्रालय के अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार बीएचईएल के निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। वे भारत सरकार के विवेक पर बीएचईएल के निदेशक मंडल में बने रहते हैं।

अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों के कार्यकाल का निर्णय भारी उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। सामान्यतः स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। ऐसे सभी नियुक्त व्यक्ति बीएचईएल के अंतर्नियमावली के उपबंधों के अनुसार चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने के योग्य होते हैं।

x. आचार संहिता

बीएचईएल के आचरण के उच्च मानक निर्धारित करने के सतत प्रयास के भाग के रूप में निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों के लिए एक 'व्यावसायिक आचरण और नैतिकता की संहिता' निर्धारित की गई है। भारी उद्योग विभाग द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन 2011–12 के अनुरूप उक्त संहिता को विनियामक दायरे और व्यावसायिक गतिशीलता परिवर्तन करते हुए संहिता को सुदृढ़ करने के

लिए अन्य संगत प्रावधानों को शामिल करते हुए संशोधित किया गया था।

संहिता में निम्नलिखित बातें शामिल हैं–

- सामान्य नैतिक अनिवार्यताएं,
- विशिष्ट व्यावसायिक उत्तरदायित्व, और
- निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिकों के लिए अतिरिक्त कर्तव्य/अनिवार्यताएं

उक्त संहिता की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.bhel.com पर उपलब्ध कराई गई है। उक्त संहिता में सुधार करने के लिए अतिरिक्त सुझावों/विचारों को हर्षपूर्वक आमंत्रित किया जाता है।

xi. निदेशक बोर्ड का चार्टर

बोर्ड तथा प्रत्येक निदेशक की भूमिका एवं दायित्वों को स्पष्ट रूप परिभाषित करने के लिए बोर्ड ने निदेशक बोर्ड का एक चार्टर अनाया है। इस चार्टर में कॉर्पोरेट अधिशासन के उद्देश्यों एवं दृष्टिकोण को भी स्पष्ट किया गया है।

xii. सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

सूचीकरण करार के खंड 49(v) के अनुसरण में सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण संलग्न हैं।

3. लेखापरीक्षा समिति

i. विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरणः (31.03.2013 को)

निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय सूचीकरण करार के संशोधित खंड 49 तथा साथ ही कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292क की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। ये निम्नानुसार हैं–

1. कंपनी कि वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय हैं, इसकी वित्तीय सूचना प्रस्तुत करना।
2. निदेशक मंडल को सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पुनः नियुक्ति और अगर अपेक्षित हो, उनके प्रतिस्थापन अथवा उन्हें हटाने तथा लेखापरीक्षा शुल्क के नियतन की सिफारिश करना।
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।
4. निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में निदेशक मंडल के अनुमोदनार्थ वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के पूर्व प्रबंधन के साथ समीक्षा करनाः
   क. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के खंड (2कक) के अनुसार निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने हेतु अपेक्षित मामले।
   ख. लेखाकरण नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, अगर कोई हो और उसके लिए कारण।
   ग. प्रबंधन के निर्णय के आधार पर अनुमानों वाली मुख्य लेखाकरण प्रविष्टियां।
   घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्पन्न वित्तीय विवरण में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
   ड. वित्तीय विवरण से संबंधित सूचीकरण और अन्य कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन।
   च. किसी संबद्ध पक्ष के साथ लेन–देन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करना।
   छ. प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं।
5. प्रबंधन के साथ निदेशक मंडल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के पूर्व तिमाही वित्तीय विवरण की समीक्षा करना।
6. (i) प्रबंधन के साथ सांविधिक आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
   (ii) आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
7. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, कर्मचारियों की संख्या और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारियों की वरिष्ठता रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की बारंबारता सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य करने की पर्याप्तता अगर कोई हो, की समीक्षा करना।
8. किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई

के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार–विमर्श।

9. आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा ऐसे विषयों की आंतरिक जांच, जिनमें धोखाधड़ी अथवा अनियमितता या वास्तविक रूप से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता का संदेह हो, उनके निष्कर्षों की समीक्षा करना और बोर्ड को इस विषय में जानकारी देना।

10. (i) आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के बारे में आवधिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों/आंतरिक लेखा–परीक्षकों के साथ विचार–विमर्श।

    (ii) लेखापरीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व लेखापरीक्षकों के स्वरूप और कार्यक्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार–विमर्श करना तथा साथ ही लेखापरीक्षकों के अवलोकनों सहित चिंता के किसी सत्र को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा पश्चात विचार–विमर्श करना।

11. जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों और भुगतान (घोषित लाभांश का भुगतान नहीं करने के मामले में) और ऋणदाताओं को भुगतान में पर्याप्त चूक करने के कारणों पर गौर करना।

12. व्हिसल ब्लोअर कार्यतंत्र, अगर मौजूद हो, तो उसकी कार्यशीलता की समीक्षा करना।

13. आंतरिक लेखापरीक्षा/बोर्ड और अथवा भारत सरकार द्वारा बीएलएसी में उल्लिखित लेखापरीक्षा पैरा की समीक्षा करना और उसमें उल्लिखित मुद्दों पर अपना सुझाव/मार्गदर्शन/टिप्पणियां प्रस्तुत करना।

14. लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों के अनुसार यथाउल्लिखित, कोई अन्य कार्य करना।

ii) समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम और उपस्थिति

जैसा कि सूचीकरण करार में अधिदेशित है, लेखापरीक्षा समिति में अधिकांशतः स्वतंत्र निदेशक शामिल होते हैं। सदस्य निदेशकों में वाणिज्य, वित्त, प्रशासन और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों अधिशासन की पृष्ठभूमि वाले ख्यातिप्राप्त व्यावसायिक शामिल होते हैं।

लेखापरीक्षा समिति का पिछला गठन 16 जुलाई, 2012 को हुआ था। समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:–

निदेशक का नाम सर्व/श्री	पद	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
एस. रवि (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक)	अध्यक्ष	8	8
अंबुज शर्मा (अंशकालिक निदेशक)	सदस्य	8	8
त्रिंबकदास एस. जंवर (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक)	सदस्य (16.07.2012 से)	5	5
एम. ए. पठान (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) (21.06.2012 तक)	सदस्य	3	3
श्रीमती रेवा नैय्यर (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) (21.06.2012 तक)	सदस्य	3	2

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। निदेशक (वित्त) कार्पोरेट आंतरिक लेखा परीक्षा प्रमुख और सांविधिक लेखा परीक्षा आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में भाग लेते हैं।

iii. 2012–13 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकें

वर्ष 2012–13 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठक आठ बार 3 अप्रैल, 2012, 23 मई, 2012, 15 एवं 16 जून, 2012, 26 जुलाई, 2012, 8 अक्तूबर, 2012, 29 अक्तूबर, 2012, 01 फरवरी, 2013 और 1 एवं 2 मार्च, 2013 को हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपर्युक्त सारणी में दिया गया है।

4. पारिश्रमिक समिति

i. पारिश्रमिक नीति

सरकारी क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण बीएचईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के नियतन का निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाता है जबकि अंशकालिक और गैर–कार्यपालक निदेशकों को निदेशक मंडल अथवा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक फीस को छोड़कर कोई पारिश्रमिक

अदा नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त, भारत के राष्ट्रपति द्वारा यथा अनुमोदित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें बीएचईएल के नियमानुसार पट्टा आवास, उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन, आदि जैसी परिलब्धियों और लाभों की व्यवस्था करती है। इसलिए सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुरूप निदेशक मंडल ने दिनांक 7 दिसंबर, 2005 को निम्नलिखित विचारार्थ विषय सहित एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया था।

ii. विचारार्थ विषय

क) पेंशन अधिकारों और कोई प्रतिपूर्ति भुगतान जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियत नहीं किया जाता है, सहित पूर्णकालिक निदेशक के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेज परिलब्धियों पर कंपनी की नीति पर गौर करना।

ख) पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कतिपय परिलब्धियों को अनुमोदित करना, जो निदेशक मंडल की शक्तियों के भीतर हों। मुख्य समूहों, जैसे प्रोत्साहन/लाभ, बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन आदि के अधीन सारांश दिए गए प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक पैकेज के अवयवों की समीक्षा करना।

ग) परिलब्धियों और लाभों तथा अन्य संबद्ध मामले पर नीतियों को अंतिम रूप देना, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियत नहीं किए जाते परंतु निदेशक मंडल की शक्तियों के भीतर हैं।

घ) कार्यनिष्पादन मानदंडों पर आधारित नियत संघटक और कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन का अनुमोदन करना।

ङ) गैर–कार्यपालक निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड को अंतिम रूप देना।

च) स्वतंत्र निदेशकों, निदेशक मंडल/शेयरधारकों सहित गैर–कार्यपालक निदेशकों को फीस/प्रतिपूर्ति/स्टॉक विकल्प, अगर कोई हो, का भुगतान/प्रदान करने की सिफारिश करना।

छ) पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषयों से संबद्ध अन्य कोई कार्य करना।

iii. संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम तथा उपस्थिति

पारिश्रमिक समिति का पिछली बार दिनांक 06 दिसंबर, 2012 को पुनर्गठन किया गया था। पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित निदेशक हैं:–

निदेशक का नाम **सर्व श्री**	**पद**
त्रिंबकदास एस. ज़ंवर (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक)	अध्यक्ष (06.12.2012 से) सदस्य (16.07.2012 से)
वी. के. जैरथ (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) (11.11.2012 तक)	अध्यक्ष (16.07.2012 से)
अशोक कुमार बसु (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) (21.06.2012 तक)	अध्यक्ष
अंबुज शर्मा (अंशकालिक सरकारी निदेशक)	सदस्य (06.12.2012 से)
एस. रवि (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक)	सदस्य
श्रीमती रेवा नैय्यर (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) (21.06.2012 तक)	सदस्य
निदेशक (वित्त)	सदस्य
निदेशक (मा.स.)	सदस्य

कंपनी का कंपनी सचिव समिति के सचिव के तौर पर काम करता है।

iv. बैठकें और उपस्थिति

वर्ष के दौरान पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

v. वर्ष 2012–13 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

(₹ में)

क्रम सं.	निदेशक का नाम सर्व/श्री	वेतन	लाभ	कार्यनिष्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन	कुल	सेवा अनुबंध/नोटिस अवधि विच्छेदन शुल्क
1.	बी. प्रसाद राव	2427534	1043071	2056560	5527165	चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए पात्र
2.	अतुल सराया	2175558	878718	1411380	4465656	चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए पात्र
3.	ओ. पी. भुटानी	2166761	688550	1401839	4257151	चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए पात्र
4.	एम. के. दुबे	2120128	615021	1258409	3993558	चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए पात्र
5.	पी. के. बाजपेयी	2403944	373046	1203474	3980464	चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए पात्र
6.	आर. कृष्णन	1954065	720020	613843	3287928	चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए पात्र

vi. वर्ष 2012–13 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को किए गए भुगतानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

(₹ में)

स्वतंत्र निदेशक का नाम सर्व/श्री	बैठक शुल्क		कुल
	बोर्ड बैठक	समिति बैठक	
अशोक कुमार बसु (21.06.2012 तक)	40,000/-	15,000/-	55,000/-
एम. ए. पठान (21.06.2012 तक)	40,000/-	60,000/-	1,00,000/-
श्रीमती रेवा नैय्यर (21.06.2012 तक)	20,000/-	60,000/-	80,000/-
वी. के. जैरथ (11.11.2012 तक)	60,000/-	1,50,000/-	2,10,000/-
एस. रवि	1,60,000/-	2,85,000/-	4,45,000/-
त्रिंबकदास एस ज़ंवर	1,60,000/-	1,95,000/-	3,55,000/-

स्वतंत्र निदेशक उनके द्वारा भाग ली गई निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक ₹ 20,000/– और प्रति बोर्ड स्तरीय बैठक ₹ 15000/– की दर पर बैठक फीस के हकदार थे।

vii. निदशकों द्वारा धारित इक्विटी शेयर

यहां नीचे वर्णित को छोड़कर कोई भी निदेशक बीएचईएल में कोई इक्विटी शेयर धारित नहीं करता है (दिनांक 31 मार्च, 2013 को)

निदेशक का नाम सर्व/श्री	धारित शेयरों की संख्या
बी प्रसाद राव	2000
अतुल सराया	1000
एम के दुबे	100

वर्ष 2012–13 के दौरान कंपनी ने कोई स्टॉक ऑप्शन जारी नहीं किया है।

5. शेयरधारक समिति

5.1 शेयर अंतरण समिति

निदेशक मंडल ने दिनांक 25 मार्च, 1992 को एक शेयर अंतरण समिति गठित की थी, जिसमें कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (पावर) और निदेशक (वित्त) शामिल थे।

शेयर अंतरण समिति डीमैट मोड के अधीन लाभार्थी की स्थिति का ध्यान रखने के अतिरिक्त सभी शेयर संबद्ध मुद्दों, शेयरों के अंतरण/प्रेषण, वास्तविक मोड में शेयर प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने आदि पर विचार कर अनुमोदित करती है।

वर्ष 2012–13 के दौरान बैठकें

शेयर अंतरण समिति की वर्ष के दौरान 40 बार बैठक हुई। शेयर अंतरण समिति की बैठकों का कार्यवृत्त आवधिक रूप से निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

5.2 शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति (एसआईजीसी)

i. विचारार्थ विषय

शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति का गठन विशेष रूप से शेयरों के अंतरण, तुलन–पत्र, लाभांश की अप्राप्ति जैसी शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों और शेयरधारकों की अन्य संगत शिकायतों से संबद्ध मामलों पर गौर करने के लिए दिनांक 26 जुलाई, 2001 को किया गया था।

ii. समिति की संरचना सदस्यों और अध्यक्ष का नाम एवं उपस्थिति

शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति को 06 दिसंबर, 2012 को पुनर्गठित किया गया था। समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:–

निदेशक का नाम सर्व/श्री	पद	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में उपस्थिति की संख्या
एस. रवि (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक)	अध्यक्ष (06.12.2012 से) (23.03.2013 तक)	1	1
वी. के. जैरथ (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) (11.11.2012 तक)	अध्यक्ष (16.07.2012 से)	2	2
श्रीमती रेवा नैय्यर (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) (21.06.2012 तक)	अध्यक्ष	1	1
निदेशक (वित्त)	सदस्य	4	4
निदेशक (मा.सं.)	सदस्य	4	4

कंपनी सचिव इसके सचिव के तौर पर कार्य करेगा।

कंपनी सचिव स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार के खण्ड 47 के अनुसार अनुपालन अधिकारी है।

iii. बैठकें एवं उपस्थिति

समिति ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 22 मई, 2012, 25 जुलाई, 2012, 30 अक्तूबर, 2012 और 31 जनवरी, 2013 को चार बैठकें की। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपयफ्रक्त सारणी में दिया गया है।

शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) द्वारा "सेबी" को जैसा सूचित किया गया है, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरधारकों की 1048 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और दिनांक 31 मार्च, 2013 तक सभी शिकायतों का निपटान कर दिया गया था। रिपोर्ट की अवधि के अंत में कोई शिकायत लंबित नहीं थी।

6. मानव संसाधन समिति

i. विचाराधीन विषय

निदेशक मंडल ने विशेषकर निम्नलिखित मामलों पर गौर करने के लिए दिनांक 31 मई, 2006 को मानव संसाधन समिति का गठन किया:

क. कार्यपालकों के पुरस्कार/प्रोत्साहन तथा पदोन्नति के संबंध में मौजूदा नीतियों की समीक्षा करना।

ख. बीएचईएल को परिवर्तित/उभरते हुए वातावरण के लिए तैयार करने हेतु दीर्घावधि और अल्पकालिक नीतियां सुझाना।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष के नाम

मा.सं. समिति का पिछला पुनर्गठन 16 जुलाई, 2012 को किया गया था। समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:–

निदेशक का नाम **सर्व/श्री**	**पद**
त्रिंबकदास एस जंवर (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक)	अध्यक्ष (16.07.2012 से)
श्रीमती रेवा नैय्यर (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) (21.06.2012 तक)	अध्यक्ष
अंबुज शर्मा (अंशकालिक सरकारी निदेशक)	सदस्य
एस. रवि (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक)	सदस्य (16.07.2012 से)
एम. ए. पठान (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) (21.06.2012 तक)	सदस्य
निदेशक (वित्त)	सदस्य
निदेशक (मा.सं.)	सदस्य

कंपनी सचिव इसके सचिव के तौर पर काम करेंगे।

iii. सदस्य और उपस्थिति

वर्ष के दौरान मा.सं. समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

7. आमेलन एवं अधिग्रहण समिति

i. विचारार्थ विषय

निदेशक मंडल ने विशेषकर निम्नलिखित मामलों को देखने के लिए दिनांक 25 जनवरी, 2007 को आमेलन एवं अधिप्राप्ति समिति का गठन किया।

क. आमेलन, अधिग्रहण और नवरत्न पीएसयू के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों के संदर्भ में अधिकार प्राप्ति से संबंधित प्रस्तावों की व्यवहार्यता की जांच करना तथा निदेशक मंडल को आवश्यक सिफारिश करना।

ख. बीएचईएल और बैठकों एवं उपस्थिति अवसरों के बीच उचित सहक्रियात्मक एवं कार्यनीतिक निरीक्षण करना और विभिन्न उपयुक्त कार्यों से संबधित सिफारिशों पर निर्णय लेना।

ग. लक्ष्य, निविदा कार्यनीति, टर्मशीट, वित्तीय पद्धति के मूल्यांकन पर विचार करना और शेयर होल्डर तथा शेयर खरीद करार आदि जैसे आवश्यक जटिल दस्तावेजों के संबंध में सिफारिशों को अंतिम रूप देना।

घ. आमेलन एवं अधिग्रहण पश्चात प्रबंधन पुनःसंरचना के मुद्दों, मूल कंपनी के संबंधों तथा अन्य संबद्ध मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करना।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों एवं अध्यक्ष का नाम

आमेलन एवं अधिग्रहण समिति का पिछला पुनर्गठन 26 मार्च, 2011 को किया गया। समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

निदेशक का नाम सर्व/श्री	पद	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
अंबुज शर्मा (अंशकालिक सरकारी निदेशक)	अध्यक्ष	1	1
एस. रवि (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक)	सदस्य	1	1
वी. के. जैरथ (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) (11.11.2012 तक)	सदस्य	1	1
निदेशक (पॉवर)	सदस्य	1	1
निदेशक (ई, आरएंडडी)	सदस्य	1	1
निदेशक (आईएसएंडपी)	सदस्य	1	1
निदेशक (वित्त)	सदस्य	1	1

विलयन एवं अधिग्रहण के प्रमुख स्थायी रूप से आमंत्रित होंगे और कंपनी सचिव समिति को सचिवीय सहायता देंगे।

iii. बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की एक बार 22 मई, 2012 को बैठक हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का ब्यौरा ऊपर तालिका में दिया गया है।

8. परियोजना समीक्षा समिति

i. विचारार्थ विषय

निदेशक मंडल ने निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ 25 जनवरी, 2007 को परियोजना समीक्षा समिति का गठन किया है–

क. परियोजना समीक्षा समिति की वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होंगी।

ख. बैठक हेतु कोरम तीन सदस्यों का होगा।

ग. परियोजना समीक्षा समिति तिमाही आधार पर 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक की परियोजना लागत वाली परियोजनाओं की स्थिति, प्राप्त/अप्राप्त ऑर्डरों, ऊर्जा एवं उद्योग क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन प्रभाग के संबंध में प्रमुख उपभोक्ता शिकायतों की समीक्षा करेगी।

घ. परियोजना समीक्षा समिति उन कार्यपालकों को समिति की बैठक में आमंत्रित कर सकती है, जिनकी उपस्थिति को वह समिति की बैठक में उचित समझे।

ङ परियोजना समीक्षा समिति, जब कभी आवश्यक समझे, पावर सेक्टर, उद्योग क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन के संबंध में परियोजना हेतु एवं अन्य संबंधित मुद्दों पर भी निदेशक मंडल को आवश्यक सिफारिश करेगी।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष के नाम

समिति को अंतिम बार 6 दिसंबर, 2012 को पुनर्गठित किया गया था। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

निदेशक का नाम सर्व/श्री	पद	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
एस. रवि	अध्यक्ष (06.12.2012 से)	1	1
(अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक)	सदस्य (16.07.2012 से)	2	2
वी. के. जैरथ	अध्यक्ष	2	2
(अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक)	(16.07.2012 से)		
(11.11.2012 तक)	सदस्य	1	1
एम. ए. पठान	अध्यक्ष	1	1
(अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक)			
(21.06.2012 तक)			
अंबुज शर्मा	सदस्य	1	1
(अंशकालिक सरकारी निदेशक)	(06.12.2012 से)		
अशोक कुमार बसु	सदस्य	1	1
(अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक)			
(21.06.2012 तक)			
निदेशक (पॉवर)	सदस्य	4	4
निदेशक (आईएस एंड पी)	सदस्य	4	4

बीएचईएल के अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के प्रमुख जब भी अपेक्षित होगा बैठक में आमंत्रित किये जायेंगे। कंपनी का कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में काम करेगा।

iii. बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की चार बार 23 मई, 2012, 19 सितंबर, 2012, 29 अक्तूबर, 2012 और 31 जनवरी, 2013 को बैठकें आयोजित की गईं। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उक्त सारणी में दिया गया है।

9. कार्यनिष्पादन संबद्ध वेतन पर पारिश्रमिक समिति

i. कार्यनिष्पादन संबद्ध वेतन पर पारिश्रमिक समिति

दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी) द्वारा जारी लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप निदेशक मंडल ने कार्यपालकों और गैर–यूनियन वाले पर्यवेक्षकों में बोनस/परिवर्ती वेतन तथा उसके वितरण की नीति पर निर्णय लेने के लिए दिनांक 23 अप्रैल, 2009 को कार्यनिष्पादन संबद्ध वेतन पर पारिश्रमिक समिति गठित किया।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष के नाम

समिति का पिछला पुनर्गठन 6 दिसंबर, 2012 को किया गया था। समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

निदेशक का नाम सर्व/श्री	पद	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
एस. रवि	अध्यक्ष (16.07.2012 से)	1	-
(अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक)	सदस्य	-	-
श्रीमती रेवा नैय्यर	अध्यक्ष	-	-
(अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक)			
(21.06.2012 तक)			
अंबुज शर्मा	सदस्य	-	-
(अंशकालिक सरकारी निदेशक)	(06.12.2012 से)		
त्रिंबकदास एस जंवर	सदस्य	1	1
(अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक)	(16.07.2012 से)		
वी. के. जैरथ	सदस्य*	1	1
(अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक)			
(11.11.2012 तक)			

*श्री वी. के. जैरथ को बैठक का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था।

निदेशक (मा.सं) स्थाई आमंत्रिती होगा।

iii. बैठकें और उपस्थिति

समिति की वर्ष के दौरान 30 अक्तूबर, 2012 को एक बार बैठक हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उक्त सारणी में दिया गया है।

10. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संधारणीय विकास

i. विचारार्थ विषय

सीपीएसई के लिये कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर डीपीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप बोर्ड ने सीएसआर गतिविधियों की उचित आवधिक मॉनीटरिंग के लिये 25 नवम्बर, 2010 को बोर्ड स्तरीय उच्च समिति का गठन किया है। इसके अलावा सतत् विकास पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप निदेशक मंडल ने तय किया कि समिति सतत् विकास गतिविधियों की देखरेख भी करेगी। तद्नुसार उक्त समिति का ''कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और सतत् विकास (एसडी)'' के रूप में पुनः नामकरण किया गया।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

समिति का पिछली बार पुनर्गठन 1 फरवरी, 2013 को किया गया था। समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

निदेशक का नाम सर्व/श्री	पद	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
त्रिंबकदास एस जंवर (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक)	अध्यक्ष (16.07.2012 से)	6	6
	सदस्य	1	1
श्रीमती रेवा नैय्यर (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) (21.06.2012 तक)	अध्यक्ष	1	1
अंबुज शर्मा (अंशकालिक सरकारी निदेशक)	सदस्य (01.02.2013 से)	1	1
एस. रवि (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक)	सदस्य (16.07.2012 से)	6	6
वी. के. जैरथ (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) (11.11.2012 तक)	सदस्य	4	3
निदेशक (वित्त)	सदस्य	7	7
निदेशक (मा.सं)	सदस्य	7	7

कार्यपालक निदेशक/महाप्रबंधक प्रभारी (एचएसई एवं सीएसआर) स्थायी आमंत्रिती होंगे। कम्पनी के कम्पनी सचिव समिति के सचिव होंगे।

iii. बैठकें और उपस्थिति

वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें 22 मई, 2012, 25 जुलाई, 2012, 18 सितंबर, 2012, 29 अक्तूबर, 2012, 2 जनवरी, 2013, 31 जनवरी, 2013 और 2 मार्च, 2013 को हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपरोक्त सारणी में दिया गया है।

11. बोर्ड स्तरीय नामांकन समिति

i. विचारार्थ विषय

बोर्ड ने बीएचईएल अधिकारियों के इसकी सहायक कंपनियों के बोर्डों तथा अन्य सरकारी संगठनों में नामांकन की अनुशंसा करने के लिए 22 मार्च, 2013 को नामांकन समिति का गठन किया जिसका भारी उद्योग विभाग को प्रस्तुति करने से पहले बीएचईएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदन करना अपेक्षित है।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

समिति में निम्नलिखित निदेशक हैं:

निदेशक का नाम सर्व/श्री	पद
एस. रवि (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक)	अध्यक्ष
निदेशक (ई, आर एंडडी)	सदस्य
निदेशक (वित्त)	सदस्य
निदेशक (मा.सं.)	सदस्य

प्रमुख/मा.सं. स्थाई आमंत्रिती होंगे। कंपनी सचिव समिति के सचिव के तौर पर काम करेंगे।

iii. बैठकें एवं उपस्थिति

वर्ष के दौरान नामांकन समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

12. आम बैठकें

i. पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों/कार्यपालक आम बैठकों में पारित विशेष संकल्पों का ब्यौरा:

वर्ष	तिथि	स्थान	समय
वित्त वर्ष 2009–10 (46वीं आम बैठक)	फिक्की ऑडिटोरियम, बाराखम्बा रोड (तानसेन मार्ग), नई दिल्ली–110001	17 सितंबर, 2010	10.00 पूर्वाह्न
वित्त वर्ष 2010–11 (47वीं आम बैठक)	तालकटोरा इंडोर स्टेडियम तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली–110001	20 सितंबर, 2011	10.00 पूर्वाह्न
वित्त वर्ष 2011–12 (48वीं आम बैठक)	फिक्की आडिटोरियम, बाराखम्बा रोड (तानसेन मार्ग), नई दिल्ली–110001	19 सितंबर, 2012	10.00 पूर्वाह्न

ii. पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों/कार्यपालक आम बैठकों में पारित विशेष संकल्पों का ब्यौरा

वर्ष के दौरान, 20.09.2011 को हुई 47वीं वार्षिक आम बैठक में संस्था के अंतर्नियमों में संशोधन के संबंध में (₹ 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयरों का प्रत्येक ₹ 2/– के 5 इक्विटी शेयरों में उप विखंडन के लिए) एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।

iii. डाक मतपत्र

पिछले वर्ष कोई विशेष संकल्प डाक मतपत्र के माध्यम से पारित नहीं किया गया। वर्ष के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से ऐसा कोई संकल्प प्रस्ताव नहीं है।

13. प्रकटीकरण

i. संबद्ध पक्ष के साथ वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण लेन–देन का प्रकटीकरण, जिसके लिए कंपनी के हित के विरुद्ध होने की संभावना हो।

कंपनी ने वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष के साथ कोई लेन–देन नहीं किया है, जिनका कंपनी के हित के विरुद्ध होने की संभावना हो। फिर भी द्वि–पक्षों के साथ लेन–देनों को वार्षिक रिपोर्ट में लेखे की अनुसूची 18 की टिप्पणी सं. 31 में प्रकट किया गया है।

ii. पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार के संबंध में कंपनी पर लगाए गए गैर–अनुपालन/दंड और आलोचना

पिछले तीन वर्षों में कंपनी पर न तो कोई दंड लगाया गया है अथवा न तो आलोचना की गई और न ही ऐसी कोई गैर अनुपालन की घटना हुई है। कंपनी कानूनों के अनुपालन और अनुरूपता के संबंध में उच्चतम मानक निर्धारित किए हैं और संविधि द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा के पूर्व सभी अनुपालन किए जाते हैं।

iii. व्हिसिल ब्लोअर नीति

बीएचईएल ने कर्मचारियों के लिए अभी तक व्हिसिल ब्लोअर नीति स्थापित नहीं की है। फिर भी, किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच को नहीं नकारा गया है।

iv. खंड 49 की अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन और गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं को अपनाने सहित कॉर्पोरेट अभिशासन एवं अनुपालन पर डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुपालन का ब्यौरा

कम्पनी ने सीपीएसई कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई के सभी दिशानिर्देशों का पालन किया हैं इस के अलावा सूचीकरण करार के खंड 49 में यथादर्शित सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का कंपनी द्वारा अनुपालन किया गया है। इसका ब्यौरा इस रिपोर्ट में उपयुक्त स्थानों में दिया गया है।

अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन करने के अलावा बीएचईएल खंड 49 में दी गई निम्नलिखित कुछ और अनिवार्य अपेक्षाओं का भी अनुकरण कर रही है। कम्पनी ने निदेशकों के पारिश्रमिक के विशिष्ट कक्षों को अनुमोदित करने के लिये पहले ही पारिश्रमिक समिति बना दी है। कम्पनी पहले से ही अन–अहर्ता वित्तीय आधार पर कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों, सूचीयन समझौते और निदेशकों को क) उनके वैधानिक कर्त्तव्यों के सफल निर्वहन के लिए दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं की जानकारी, ख) भविष्य के दृष्टिकोण और कार्यनीतियों के विकास के लिए व्यावसायिक वातावरण की बेहतर समझ, और ग) बोर्ड सदस्यों की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने के वास्ते आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण के लिए बीएचईएल ने निदेशों के प्रशिक्षण के एक नीति का अनुमोदन किया है। इसमें कंपनी के विशिष्ट क्षेत्रों के प्रति अधिक समन्वित सामान्य और विशिष्ट प्रशिक्षण दानों शामिल हैं।

अन्य गैर अनिवार्य अपेक्षाओं को कंपनी द्वारा आवश्यकता के आधार पर धीरे–धीरे अनुपालित किया जायेगा।

लेखा अहियों में कोई खर्च डेबिट नहीं किया गया, तो व्यवसाय के लिये नहीं है और किसी भी इस व्यक्तिगत खर्च को नहीं किया गया है, और हिसाब में नहीं लिया है, जिसे निदेशक मंडल और उच्च प्रबन्धन के लिये किया गया।

v. राष्ट्रपति के निर्देश

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान कोई राष्ट्रपति आदेश प्राप्त नहीं हुआ।

vi. जोखिम प्रबंधन

सूचीयन समझौते के अनुच्छेद 49(IV) (सी) और सीपीएसईज के लिए कार्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 7.3 की अनुपालन में बोर्ड सदस्यों को जोखिम मूल्यांकन और न्यूनीकरण के बारे में सूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए एक जोखिम प्रबधंन चार्टर एवं नीति (आरएमसीवी) को निदेशक मण्डल ने अनुमोदित किया है। इस नीति में कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए संपूर्ण फ्रेमवक्र है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में जोखिम पहचान, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम समीक्षा, श्रेणीकरण, जोखिमों के न्यूनीकरण/बचाव के लिए जोखिम समाधान योजना/परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड को जोखिमों की रिपोर्टिंग तथा आवधिकता और जोखिम प्रबंधन शासन अवसंरचना शामिल है। आरएमसीपी में जोखिमों की समीक्षा और इसकी आवधिकता के लिए तंत्र शामिल है।

vii. कॉरपोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

कॉरपोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र संलग्न है।

14. वित्तीय और अन्य सूचना का संप्रेषण

खंड 41 के अधीन अपेक्षानुसार कंपनी निदेशक मंडल की उस बैठक जिसमें अलेखापरीक्षित/लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारार्थ होते हैं, के लिए स्टॉक एक्सचेंज को कम से कम 7 दिन पूर्व नोटिस जारी करती है। इसके अतिरिक्त, उक्त परिणाम को तत्काल रिकार्ड पर रखने/अनुमोदित करने के बाद स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किए जाते हैं। ये वित्तीय परिणाम सामान्यतः उक्त बैठक की समाप्ति के 48 घंटे के भीतर, जिसमें वित्तीय परिणाम को अनुमोदित किया गया था, संपूर्ण भारत में अथवा काफी अधिक प्रसार वाले कम से कम एक अंग्रेजी दैनिक में और क्षेत्र की भाषा में प्रकाशित होने वाले किसी एक दैनिक समाचार पत्र में, जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है प्रकाशित किये जाते हैं तथा कंपनी की वेबसाइट www.bhel.com पर भी अपलोड किए जाते हैं।

कंपनी एनएसई और बीएसई द्वारा विकसित नई प्रणालियों अर्थात क्रमशः एनएसई इलेक्ट्रानिक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम अथवा एनईएपीएस और बीएसई लिस्टिंग सेंटर पर भी सूचीयन समझौते के अधीन अपेक्षित सूचना को दायर/प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी विज्ञप्तियां जिनमें प्रमुख आदेशों की प्राप्ति जैसी प्रमुख घटनाओं तथा आवधिक निवेशक बैठकों में निवेशकों और वित्तीय विश्लेषकों के समक्ष किये गये प्रस्तुतिकरण संबंधी सूचनाओं को भी कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। सूचीयन समझाते के अनुच्छेद 54 की अनुपालना में कंपनी की वेबसाइट पर अतिरिक्त अद्यतन सूचना जैसे कि शेयरधारिता पद्धति, कार्पोरेट शासन की अनुपालना, निवेशकों की सहायता और शिकायतों आदि की देखरेख के लिए जिम्मेदार कंपनी के पदनामित अधिकारियों की संपक्र सूचना भी उपलब्ध होती है।

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बीएचईएल ने अपनी वेबसाइट पर अंतिम वार्षिक आम बैठक की तिथि को गैर–भुग्तेय/अदावाकृत लाभांश तथा लाभांश प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों, देय राशि और निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष में अंतरण की देय तिथि से संबंधित सूचना को भी अपलोड किया जाता है। गैर–भुग्तेय/अदावाकृत लाभांश का शेयरधारकों द्वारा दावा किये जाने की प्रक्रिया (यदि इन्हें आईईपीएफ को अंतरित नहीं किया गया है) भी अपलोड की गई है।

15. शेयरधारक के लिए सामान्य सूचना

i. वार्षिक आम बैठक (तारीख, समय और स्थान)

तारीख	समय	स्थान
20 सितम्बर, 2013	प्रातः 10.00 बजे	फिक्की सभागार बाराखम्बा रोड़, (तानसेन मार्ग), नई दिल्ली–110 001

ii.	**वित्तीय वर्ष**	–	1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक
iii.	**खाता बंदी की तारीख**	–	11 सितंबर, 2013 से 20 सितंबर, 2013 तक (दोनों दिवस शामिल)
iv.	**लाभांश भुगतान तिथि**	–	19 अक्तूबर, 2013 को या इससे पहले

v. लाभांश इतिहासः

लाभांश भुगतान के संबंध में बीएचईएल 'स्थिरता एवं वृद्धि' नीति अपनाता रहा है। विगत 10 वर्षों के दौरान बीएचईएल द्वारा भुगतान किए गए लाभांश और 31.03.2013 तक अदावाकृत लाभांश राशि का सारांश निम्नलिखित हैः–

वर्ष	लाभांश की दर	शेयरों की संख्या (करोड़ में)	भुगतान किये गये लाभांश की कुल राशि (₹ करोड़ में)	लाभांश घोषित करने की तिथि	31.03.2013 को अदावाकृत लाभांश (₹)
2003-2004 **(अंतरिम)**	30%	24.476	73.43	01.03.2004*	निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में पहले से अंतरित
2003-2004 **(अंतिम)**	30%	24.476	73.43	28.09.2004	निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में पहले से अंतरित
2004-2005 **(अंतरिम)**	35%	24.476	85.67	10.12.2004*	निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में पहले से अंतरित
2004-2005 **(अंतिम)**	45%	24.476	110.14	29.09.2005	निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में पहले से अंतरित
2005-2006 **(अंतरिम)**	40%	24.476	97.90	07.12.2005*	निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में पहले से अंतरित

2005-2006 **(विशेष अंतरिम)**	85%	24.476	208.05	07.03.2006*	549363 (31.3.2013 को) बाद में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरित
2005-2006 **(अंतिम)**	20%	24.476	48.95	15.09.2006	165716#
2006-2007 **(अंतरिम)**	125%	24.476	305.95	25.01.2007*	935355$
2006-2007 **(अंतिम)**	60%	48.952	293.71	17.09.2007	1157808
2007-2008 **(अंतरिम)**	90%	48.952	440.57	25.01.2008*	1912752
2007-2008 **(अंतिम)**	62.50%	48.952	305.95	17.09.2008	1822884
2008-2009 **(अंतरिम)**	90%	48.952	440.57	29.01.2009*	2675466
2008-2009 **(अंतिम)**	80%	48.952	391.62	17.09.2009	1761688
2009-2010 **(अंतरिम)**	110%	48.952	538.47	21.01.2010*	2953566
2009-2010 **(अंतिम)**	123%	48.952	602.11	17.09.2010	2766823
2010-2011 **(अंतरिम)**	132.50%	48.952	648.62	15.03.2011*	2498727
2010-2011 **(अंतिम)**	179%	48.952	876.24	20.09.2011	3325748
2011-2012 **(अंतरिम)**	136%	244.76@	665.75	02.03.2012*	3006197
2011-2012 **(अंतिम)**	184%	244.76@	900.72	19.09.2012	5123067
2012-2013 **(अंतरिम)**	106%	244.76@	518.89	01.02.2013*	4551633

* निदेशक मंडल की बैठक की वह तारीख, जिसमें अंतरिम लाभांश घोषित किया गया।

21.10.2013 को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा फंड (आईईपीएफ़) में अन्तरण के लिए प्रस्तावित है।

$ 01.03.2014 को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा फंड (आईईपीएफ़) में अन्तरण के लिए प्रस्तावित है।

@ 2 ₹ की फेस वैल्यू के शेयरों की पोस्ट–स्पलिट संख्या.

यदि शेयरधारक पिछले सात वर्षों में किसी के लिए भी लाभांश प्राप्त नहीं कर पाए हैं और जिसे निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा कोष (आईईपीएफ) में अंतरित नहीं किया गया है, वे कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) पर अपलोड की गई प्रक्रिया का पालन करते हुए गैर–भुगतेय लाभांश के लिए दावा कर सकते हैं।

vi. (क) स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण और स्टॉक कोड

बीएचईएल के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, जिसके 2012–13 के लिए फीस का भुगतान किया जा चुका है।

स्टॉक एक्सचेंज का नाम	**स्टॉक कोड**
1. बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड फिरोज जिजीभाय, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400001	500103
2. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, सी–1, ब्लॉक–जी, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई – 400 051	बीएचईएल

(ख) जमाकर्ताओं को वार्षिक कस्टोडियम फीस का भुगतान

वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए एनएसडीएल और सीडीएसएल को वार्षिक कस्टोडियन फीस का भुगतान कर दिया गया है।

vii. इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना

बीएचईएल ने इक्विटी शेयरों को सूची से हटाने के बारे में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड के पास आवश्यक आवेदन दाखिल किया था। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड से सूची से हटाने का अनुमोदन अभी तक प्रतीक्षित है। तथापि, बीएचईएल के शेयरों को सीएस में सूचीगत सेक्यूरिटी में नहीं दिखाया गया है।

viii. बीएसई सूचकांक, बीएसई, पीएसयू सूचकांक और एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी सूचकांक जैसे वृहद आधार वाले सूचकांकों की तुलना में बाजार मूल्य आंकड़ा और निष्पादन निम्नानुसार है:–

बीएसई सेंसेक्स की तुलना में **बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई)** में दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह के दौरान बीएचईएल के उच्च और निम्न बाजार शेयर मूल्य, व्यापार में किए गए शेयरों की संख्या और निवल कुल कारोबार का सारांश निम्नानुसार है–

माह	बीएसई में बीएचईएल का शेयर मूल्य (₹)			एसएंडपी बीएसई सूचकांक			व्यापारित शेयरों की सं.	कारोबार (₹ लाख में)
	उच्च	निम्न	बंद	उच्च	निम्न	बंद		
अप्रैल–12	274.45	222.00	224.90	17,664.10	17,010.16	17,318.81	16,427,608	41,201.31
मई–12	228.90	197.80	211.95	17,432.33	15,809.71	16,218.53	20,292,020	43,483.89
जून–12	232.90	203.15	232.10	17,448.48	15,748.98	17,429.98	12,972,096	28,388.75
जुलाई–12	240.00	207.10	215.70	17,631.19	16,598.48	17,236.18	10,431,694	23,566.91
अगस्त–12	235.50	211.50	214.35	17,972.54	17,026.97	17,429.56	7,045,005	15,947.65
सितंबर–12	255.80	195.05	246.85	18,869.94	17,250.80	18,762.74	19,812,997	44,143.49
अक्तू–12	272.45	222.35	225.10	19,137.29	18,393.42	18,505.38	14,775,373	36,523.56
नवं.–12	239.50	219.30	233.35	19,372.70	18,255.69	19,339.90	6,713,444	15,350.80
दिसं–12	247.50	220.40	228.40	19,612.18	19,149.03	19,426.71	8,164,532	19,008.61
जन.–13	245.40	221.05	227.70	20,203.66	19,508.93	19,894.98	9,392,723	21,777.86
फर.–13	229.95	200.00	201.20	19,966.69	18,793.97	18,861.54	10,283,832	21,760.05
मार्च–13	208.70	174.50	176.95	19,754.66	18,568.43	18,835.77	8,729,498	16,807.35

स्रोतः www.bseindia.com

2012–13 के दौरान एसएंडपी बीएसई सूचकांक (बंदी) की तुलना में बीएसई सूचकांक पर बीएचईएल बंदी शेयर मूल्य निष्पादन

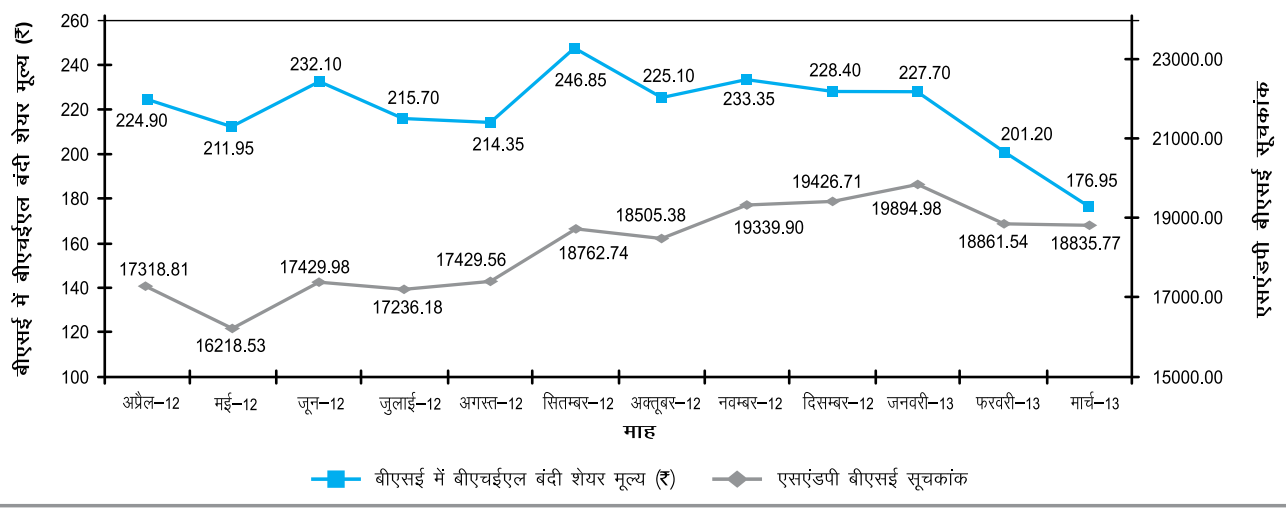

बीएचईएल की तुलना में एसएंडपी बीएसई पीएसयू सूचकांक

दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह के दौरान एसएंडपी बीएसई पीएसयू सूचकांक की तुलना में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) पर बीएचईएल के उच्च और निम्न बाजार शेयर मूल्य का सारांश निम्नानुसार है–

माह	बीएसई में बीएचईएल का शेयर मूल्य (₹)			एसएंडपी बीएसई पीएसयू सूचकांक		
	उच्च	निम्न	बंद	उच्च	निम्न	बंद
अप्रैल–12	274.45	222.00	224.90	7,534.35	7,070.71	7,248.96
मई–12	228.90	197.80	211.95	7,283.79	6,517.30	6,760.10
जून–12	232.90	203.15	232.10	7,265.80	6,574.35	7,258.21
जुलाई–12	240.00	207.10	215.70	7,422.80	6,911.98	7,104.99
अगस्त–12	235.50	211.50	214.35	7,263.09	6,892.19	6,939.38
सितंबर–12	255.80	195.05	246.85	7,544.38	6,885.34	7,415.81
अक्तू–12	272.45	222.35	225.10	7,598.65	7,053.66	7,104.67
नवं.–12	239.50	219.30	233.35	7,321.62	6,957.62	7,177.65
दिसं–12	247.50	220.40	228.40	7,354.91	7,079.20	7,334.71
जन.–13	245.40	221.05	227.70	7,945.26	7,359.54	7,661.77
फर.–13	229.95	200.00	201.20	7,699.10	6,835.71	6,862.42
मार्च–13	208.70	174.50	176.95	7,043.80	6,338.18	6,481.16

स्रोत: www.bseindia.com

2012–13 के दौरान बीएसई (₹) की तुलना में एसएंडपी बीएसई पीएसयू सूचकांक (बंदी) पर बीएचईएल का बंद शेयर मूल्य निष्पादन

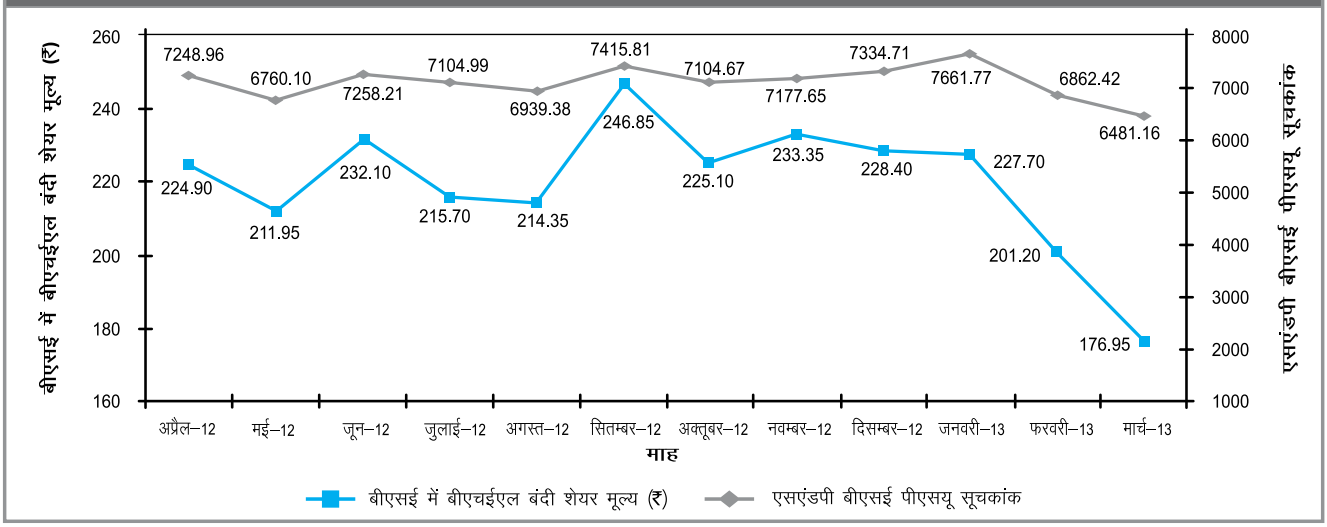

बीएचईएल बनाम एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी

दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह के दौरान एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी की तुलना में दि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) पर बीएचईएल के शेयर के बाजार मूल्य का उच्च और निम्न, व्यापार किए गए शेयर और निवल कुल कारोबार का सारांश निम्नानुसार है–

माह	एनएसई में बीएचईएल का शेयर मूल्य (₹)			सीएनएक्स निफ्टी			व्यापारित शेयरों की सं.	कारोबार (₹ लाख में)
	उच्च	निम्न	बंद	उच्च	निम्न	बंद		
अप्रैल–12	274.50	222.30	224.75	5,378.75	5,154.30	5,248.15	113,791,646	2,85,893.44
मई–12	228.70	197.35	212.10	5,279.60	4,788.95	4,924.25	135,145,181	2,89,794.24
जून–12	233.00	203.10	232.45	5,286.25	4,770.35	5,278.90	96,882,442	2,11,938.62
जुलाई–12	239.90	206.60	215.65	5,348.55	5,032.40	5,229.00	71,965,840	1,62,990.52
अगस्त–12	235.55	211.60	213.25	5,448.60	5,164.65	5,258.50	60,055,496	1,35,637.71
सितंबर–12	256.00	195.10	246.95	5,735.15	5,215.70	5,703.30	138,087,502	3,11,222.89
अक्तू–12	272.35	222.20	224.80	5,815.35	4,888.20	5,619.70	104,980,719	2,59,572.69
नवं.–12	239.60	219.40	234.35	5,885.25	5,548.35	5,879.85	54,665,182	1,24,956.75
दिसं–12	247.75	220.35	228.25	5,965.15	5,823.15	5,905.10	68,621,067	1,59,677.93
जन.–13	245.70	220.50	227.80	6,111.80	5,935.20	6,034.75	78,243,298	1,80,962.65
फर.–13	230.15	199.70	201.15	6,052.95	5,671.90	5,693.05	72,821,312	1,54,269.57
मार्च–13	208.45	174.25	177.00	5,971.20	5,604.85	5,682.55	56,260,728	1,08,409.98

स्रोत: www.bseindia.com

2012–13 में बीएचईएल के बंदी शेयर मूल्य का एनएसई बनाम सीएनएक्स निफ्टी (बंद) निष्पादन

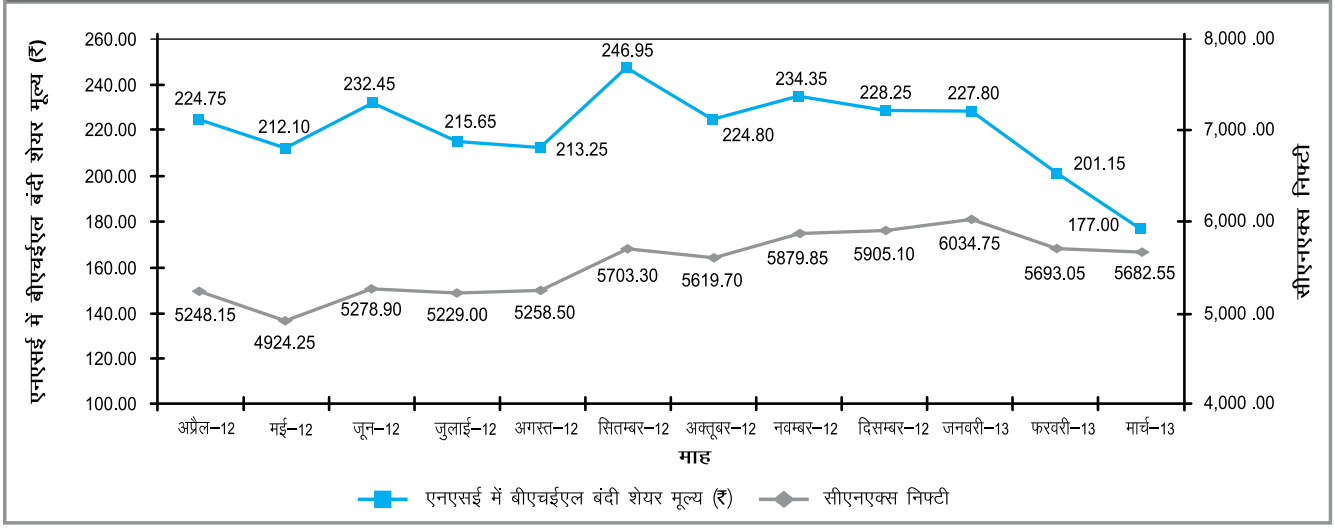

ix. आंतरिक व्यापार पर नीति

बीएचईएल का प्रयास है कि अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना की गोपनीयता को बनाए रखा जाए ताकि इस प्रकार की सूचना के दुरुपयोग की रोकथाम की जा सके। इस प्रयोजन के लिए तथा सेबी (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियमन, 1992 के अनुसार कंपनी ने 26 अगस्त, 2002 को ''आंतरिक व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता'' को अपनाया था।

नवंबर, 2008 को जारी सेबी (आंतरिक व्यापार निषेध) (संशोधन) विनियमन, 2008 के अनुपालनार्थ बीएचईएल ने अपनी ''आंतरिक व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता'' को संशोधित किया था। बीएचईएल की संशोधित ''आंतरिक व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता'' 29 जनवरी, 2009 को लागू की गई थी। इस संहिता का उद्देश्य अंतरंगों (निदेशक, पदनामित कर्मचारी और अन्य संबद्ध व्यक्ति) को विनिर्दिष्ट सीमाओं से बाहर कंपनी के शेयरों क्रय–विक्रय से रोकना है तथा संहिता में दी गई परिभाषा के अनुसार उनसे समय–समय पर संबंधित सूचना को प्रकट करना अपेक्षित है। निदेशक मंडल ने निदेशक (वित्त) को संहिता के अंतर्गत अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

x. रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए)

मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

दिल्ली का पता	हैदराबाद का पता
यूनिट : **बीएचईएल** 105–108, अरूणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली – 110001 फोन : 011–23324401 43681700 / 01 / 02 / 21 फैक्स : 011–2373074 ई–मेल: ksbldelhi@karvy.com	यूनिट : **बीएचईएल** 17–24, विठल राव नगर, माधापुर, हैदराबाद–500 081 फोन : 040–44655000 फैक्स : 040–44655024 ई–मेल : madhusudhan@karvy.com einward.ris@karvy.com वेबसाइट : www.karvycomputershare.com

शेयरधारकों की सेवा के लिए आरटीए का निष्पादन संतोषजनक रहा है। निवेशकों की सभी शिकायतों का तत्काल निराकरण किया गया है।

xi. शेयर अंतरण पद्धति

प्रत्यक्ष खंड के अधीन संपूर्ण शेयर अंतरण संबंधी कार्यकलाप यथा दस्तावेजों की प्राप्ति / प्रॉक्स, उनका सत्यापन और अंतरण इस प्रकार कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए जाते हैं। शेयर अंतरण प्रणाली के अंतरिती से अंतरण विलेख के साथ शेयरों की प्राप्ति, उसका सत्यापन, अंतरण समिति द्वारा उसके अनुमोदन और सूचीकरण करार के अनुसार, निर्धारित समय के भीतर अंतरितियों को अंतरित प्रमाणपत्र भेजने जैसे कार्यकलाप शामिल हैं। सेबी परिपत्र दिनांक 5 जुलाई, 2012 के अनुरूप शेयर प्रमाण–पत्र अंतरण, उप विभाजन और समेकन के लिए अनुरोध दर्ज होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर जारी किये जा रहे हैं। भौतिक स्वरूप में शेयर अंतरण गतिविधियां जैसे कि दस्तावेजों की रसीद / डिस्पैच, उनका सत्यापन और अंतरण ज्ञापन तैयार करने आदि का काम मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है।

xii. शेयरधारिता का वितरण

(i) 31 मार्च, 2013 को धारिता के आकार के अनुसार शेयरों का वितरण

धारित इक्विटी शेयरों की सं.	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारिता का %	शेयरों की सं.	शेयरधारिता का %
1 - 500	411831	93.19%	39,818,188	1.63%
501 - 1000	17349	3.92%	13,672,949	0.56%
1001 - 2000	7300	1.65%	11,051,344	0.45%
2001 - 3000	2072	0.47%	5,239,203	0.21%
3001 - 4000	775	0.18%	2,758,986	0.11%
4001 - 5000	637	0.14%	3,029,969	0.12%
5001 - 10000	870	0.20%	6,313,776	0.26%
10001 & Above	1085	0.25%	2,365,715,585	96.66%
कुल	**441919**	**100%**	**2,447,600,000**	**100%**

(ii) 31 मार्च, 2013 के अनुसार शेयरधारिता का स्वरूप

श्रेणी	2013		2012	
	मत संख्या (%)	धारित शेयरों की संख्या	मत संख्या (%)	धारित शेयरों की संख्या
प्रवर्तकों की धारिता				
भारतीय प्रवर्तक –				
भारत के राष्ट्रपति –	67.72	1,657,552,000	67.72	1,657,552,000
कुल प्रवर्तक धारिता	**67.72**	**1,657,552,000**	**67.72**	**1,657,552,000**
गैर प्रवर्तक निवेशक				
म्युचुअल फंड तथा यूटीआई	1.00	24,471,627	1.44	35,324,113
बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां	11.41	279,351,514	11.40	278,981,481
विदेशी संस्थागत निवेशक (अर्हक विदेशी निवेशक सहित)	14.76	361,122,791	13.49	330,058,708
अन्य				
निदेशक एवं संबंधी	0.00	3100	0.00	3100
निजी कारपोरेट	1.50	36,667,462	2.83	69,234,164
व्यक्ति	3.23	79,088,900	2.69	65,769,748
विदेशी नागरिक	0.00	1090	0.00	790
एनआरआई	0.24	5,742,426	0.19	4,738,757
ट्रस्ट	0.03	856,552	0.05	1,262,523
क्लीयरिंग सदस्य	0.11	2,742,538	0.19	4,674,616
कुल गैर प्रवर्तक धारिता	**32.28**	**790,048,000**	**32.28**	**790,048,000**
कुल जोड़	**100.00**	**2,447,600,000**	**100.00**	**2,447,600,000**

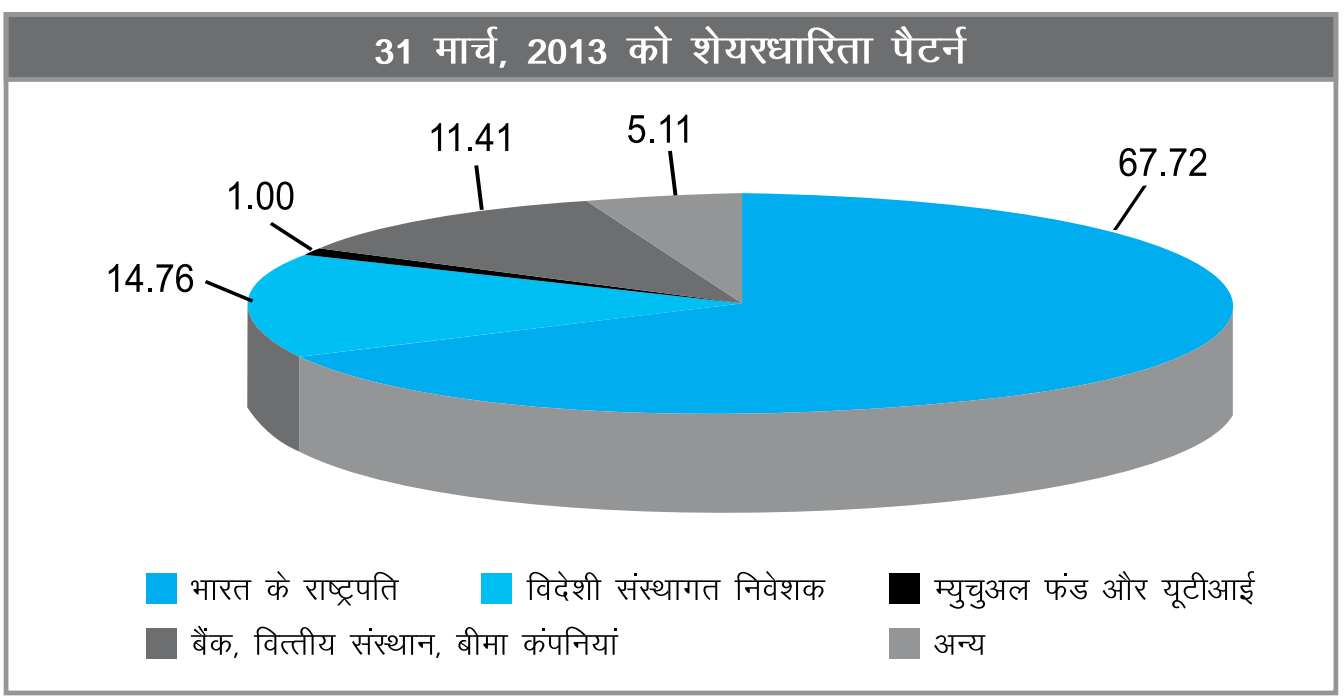

(iii) उन शेयरधारकों की सूची जो दिनांक 31 मार्च, 2013 को कंपनी के शेयरों का 1 प्रतिशत से अधिक धारित कर रहे हैं।

श्रेणी तथा शेयरधारकों के नाम	2013	
	मत सं. (%)	धारित शेयरों की सं.
प्रवर्तक		
1. भारत के राष्ट्रपति	67.72	1,657,552,000
गैर–प्रवर्तक		
1. भारतीय जीवन बीमा निगम	5.78	141,433,662
2. कामगेस्ट एसए अकाउंट मैगेलान	1.44	35,350,000
3. लज़ार्ड एसेट मैनेजमेंट एलएलसी अकाउंट लज़ार्ड इमरजिंग मार्किट्स पोर्टफोलियो	1.27	31,186,042
4. एलआईसी ऑफ इंडिया माक्रिट प्लस 1 ग्रोथ फंड	1.02	24,939,880
5. कामगेस्ट ग्रोथ पीएलसी अकाउंट कामगेस्ट ग्रोथ इमर्जिंग मार्किट्स	1.01	24,807,000

xiii. शेयरों और नकदी निधि का अमूर्तकरण

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के निर्देशों के अनुसार सभी श्रेणियों के निवेशकों द्वारा, बीएचईएल के शेयरों का अमूर्त (डीमैट) रूप में व्यापार दिनांक 3 अप्रैल, 1999 से अनिवार्य कर दिया गया है। बीएचईएल ने देश के दोनों निक्षेपागारों अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपाजिटरी सिक्योरिटीज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ अपनी प्रतिभूतियों के डीमैट रूप में प्रवेश के लिए करार निष्पादित किया है। दिनांक 31 मार्च, 2013 को बीएचईएल की कुल इक्विटी शेयर पूंजी 99.94 प्रतिशत को शेयरधारकों ने अमूर्त करा लिया है और एनएसडीएल/सीडीएसएल के नाम से धारित है। वर्ष के दौरान भारत के राष्ट्रपति की शेयर धारिता (जो कि कंपनी की प्रदत्त पूंजी का 67.72 प्रतिशत बनती है) को अमूर्त करा लिया गया। कंपनी को आबंटित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) आईएनई 257A01026 है।

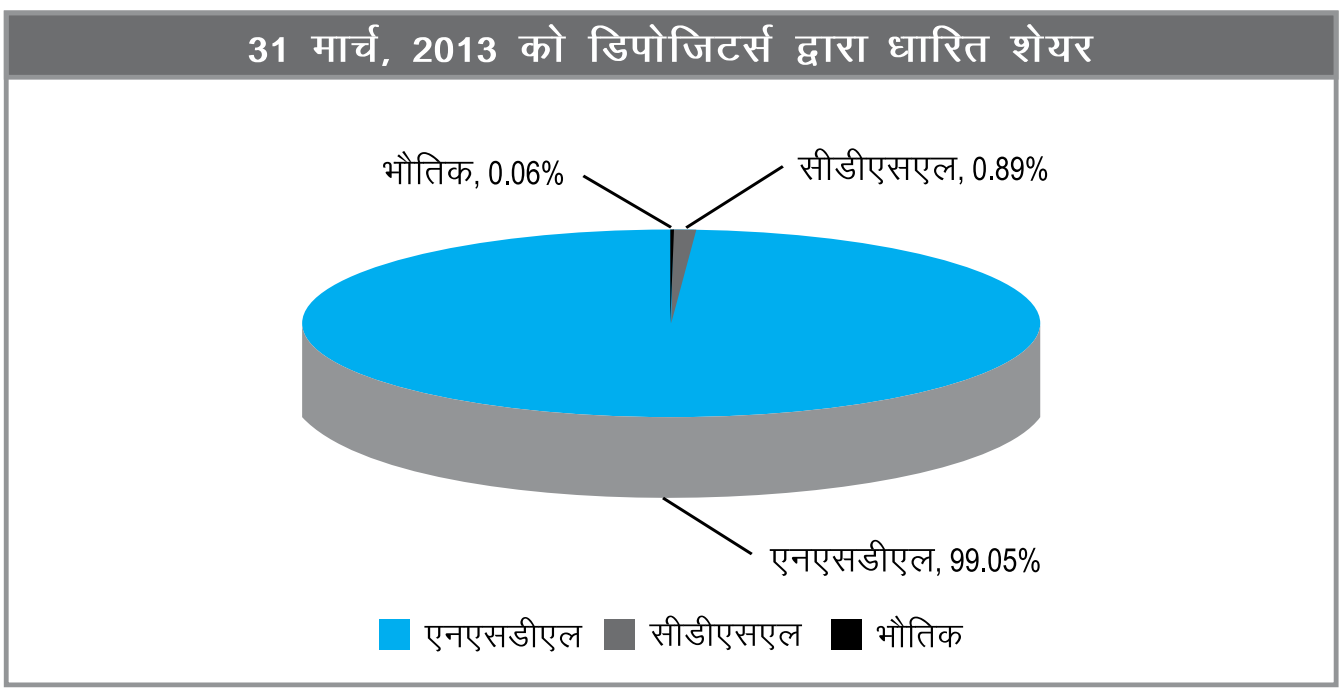

xiv. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा किसी अन्य परिवर्तनीय वस्तु, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभावः

शून्य

xv. संयंत्र स्थल

बीएचईएल विनिर्माण इकाइयां	बंगलौर	1. इलेक्ट्रानिक्स डिवीजन 2. इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिवीजन 3. इलेक्ट्रो पोर्सेलीन डिवीजन
	भोपाल	4. हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट
	गोइंदवाल	5. इंडस्ट्रियल वाल्वस प्लांट
	हरिद्वार	6. हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 7. सेंट्रल फाउण्डरी फोर्ज़ प्लांट
	हैदराबाद	8. हेवी पावर इक्विपमेंट प्लांट
	जगदीशपुर	9. इंसुलेटर प्लांट 10. सेन्ट्रलाइज़्ड स्टैम्पिंग यूनिट
	झांसी	11. ट्रांसफार्मर प्लांट
	रूद्रपुर	12. कम्पोनेंट फैब्रीकेशन प्लांट
	रानीपेट	13. बॉयलर ऑग्जीलियरीज प्लांट
	तिरूचिरापल्ली	14. हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट 15. सीमलेस स्टील ट्यूब प्लांट
	थिरूमयम	16. पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट
बीएचईएल रिपेयर यूनिट	मुंबई	1. इलेक्ट्रिकल मशीन रिपेयर प्लांट
	वाराणसी	2. हेवी इक्विपमेंट रिपेयर प्लांट
बीएचईएल सहायक कंपनियां	विशाखापत्तनम	1. भारत हेवी प्लेट एंड वैसल्स लिमिटेड
	कासरगोड	2. बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड

xvi. पत्राचार का पता

शेयरधारक, शेयरों के अंतरण/अमूर्तकरण, शेयरों पर लाभांश भुगतान, लाभांश वारंटी को पुनःवैधीकरण और कंपनी के शेयरों से संबंधित अन्य पूछताछ के लिए अपने पत्र निम्नांकित में से किसी को भी प्रेषित कर सकते हैं –

श्री आई.पी. सिंह
कम्पनी सचिव
बीएचईएल
पंजी कार्यालय– बीएचईएल हाउस, सीरीफोर्ट, नई दिल्ली–110 049

फोन : 011–26001046
फैक्स : 011–66337533
ई–मेल : shareholderquery@bhel.in

अथवा

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिटः बीएचईएल

दिल्ली	: 105–108, अरूणाचल बिल्डिंग 19, बाराखंबा रोड नई दिल्ली – 110 001	फोन फैक्स ई–मेल	: 011–23324401, 43681700/01/02/21 : 011–23730743 : ksbldelhi@karvy.com
हैदराबाद	: 17–24, विट्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद – 500 081	फोन फैक्स ई–मेल	: 040–44655000 : 040–44655024 : madhusudhan.ms@karvy.com einward.ris@karvy.com

टिप्पणीः इलेक्ट्रानिक मोड में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों को सभी पत्राचार अपने संबंधित निक्षेपागार के साथ करना चाहिए।

घोषणाः स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार के खंड 49(1–घ) के अनुसरण में एतदद्वारा यह घोषणा की जाती है कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 'वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए बीएचईएल की ''व्यवसाय आचरण और नैतिकता की संहिता'' के अनुपालन की पुष्टि की है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(बी. प्रसाद राव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 3 अगस्त, 2013

मुख्य कार्यपालक अधिकारी और सीएफओ प्रमाणीकरण

सेवा में,

निदेशक मंडल
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
नई दिल्ली

(क) हमने दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसारः–

(i) इन विवरणों में वास्तविक रूप से कोई असत्य विवरण नहीं है अथवा किसी वास्तविक तथ्य को नहीं हटाया गया है या ऐसा कोई विवरण निहित नहीं, जो भ्रामक हो।

(ii) ये विवरण एक साथ कंपनी के कार्य का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं और ये मौजूदा लेखाकरण मानक, लागू कानून और विनियमों के अनुपालन में हैं।

(ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2012–13 के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया गया है जो धोखाधड़ीपूर्ण, गैर–कानूनी अथवा कंपनी की आचरण संहिता के उल्लंघन में हो।

(ग) हम आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं कि हमने कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन अथवा प्रचालन में कमियां, अगर कोई हों, जिससे हम अवगत हैं और इन कमियों को सुधारने के लिए किए गए उपायों तथा किए जाने के लिए प्रस्तावित उपायों को बताया है।

(घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित दर्शाया हैः–

(i) वर्ष 2012–13 के दौरान वित्तीय विवरणों पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन

(ii) वर्ष 2012–13 के दौरान लेखाकरण नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उन्हें वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दर्शाया गया है, और

(iii) वित्तीय विवरणों पर धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण उदाहरण, जिनसे हम अवगत हैं और कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की उनमें भागीदारी।

हस्ता./–
(पी.के. बाजपेयी)
निदेशक (वित्त)

राबीपी
(बी. प्रसाद राव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई, 2013

कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सदस्यगण,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

हमने स्टॉक एक्सचेंज के साथ उक्त कंपनी के सूचीकरण करार के खंड 49 और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए कार्पोरेट शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों (डीपीई दिशानिर्देशों) में यथानिर्दिष्ट दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यविधि और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में राय की अभिव्यक्ति।

हमारी राय में और सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित के अधीन हम उल्लेख करते हैं कि:

कंपनी ने 31 मार्च, 2013 को उपयुक्त लिखित सूचीकरण करार में उल्लिखित कॉर्पोरेट अभिशासन की सभी शर्तों के स्वंतत्र निदेशकों की संख्या के संदर्भ में, सूचीकरण करार के खंड 49 (1) (ए) के संबंध में (डीपीई दिशानिर्देशों का अनुच्छेद 3.1.4) को छोड़कर, जो कि निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों के कम से कम 50 प्रतिशत होने के संबंध में है, अनुपालन सुनिश्चित किया है।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न तो कंपनी की भविष्यकालीन व्यवहार्यता का और न ही कंपनी के कार्यों को संचालित करने में प्रबंधन की कुशलता अथवा प्रभावशीलता का आश्वासन है।

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की ओर से
एफआरएन 000458एन

हस्ता./–

(मनोज भारद्वाज)
साझेदार
सदस्यता सं. 98606

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 3 अगस्त, 2013

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–IV

ऊर्जा संरक्षण

बीएचईएल में ऊर्जा प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां निष्पादित की गईं:

- पूरी कंपनी में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए ऊर्जा संरक्षण से संबंधित विभिन्न गतिविधियां संचालित की गईं।
- विनिर्माण इकाइयों में 1200 से अधिक टर्बो वेंटिलेटर्स स्थापित किये गये।
- पिछली ऊर्जा आडिट रिपोर्टों से यूनिटों में ऊर्जा आडिट सिफारिशें कार्यान्वित की गईं।
- एचईपी–भोपाल और सीएफपी–रूद्रपुर इकाइयों में ऊर्जा आडिट आयोजित किया गया।

प्रौद्योगिकी आमेलन और अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास

1. विशिष्ट क्षेत्र, जिनमें कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां संचालित की गईं हैं
2. आरएंडडी एवं टेक्नोलाजी के अंतर्गत उपर्युक्त आरएंडडी के परिणाम स्वरूप हुए लाभ

} "निदेशकों की रिपोर्ट में आरएंडडी एंड टेक्नोलोजी के अधीन विवरण दिया गया है"

3. भविष्य की कार्रवाई योजना:

अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी पर बल दिये जाने वाले प्रमुख क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:–

– सुपरक्रिटिकल पैरामीटरों का प्रयोग करते हुए अत्यधिक सक्षम पारंपरिक ताप विद्युत संयंत्र
– अल्ट्रा–सुपरक्रिटिकल एंड एडवान्स्ड अल्ट्रा–सुपरक्रिटिकल पैरामीटरों का प्रयोग करते हुए अत्यधिक सक्षम पारम्परिक ताप विद्युत संयंत्र
– ताप विद्युत संयंत्र एवं औद्योगिक उपयोग हेतु एडवांस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन प्लेटफॉर्म
– भारतीय कोयले की विशेषताओं का पता लगाने के लिए कोयला अनुसंधान
– इंटीग्रेटिड गैसीफिकेशन कम्बाइंड साइकल (आईजीसीसी) पावर प्लांट्स
– अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म (सीडीएम) प्रोजेक्ट्स आदि के उत्सर्जन में कमी के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी
– एटम्सफीयरिक एंड सकफ्रलेटिंग फ्लूडाडइज्ड बेड कंल्युशन (सीएफबीसी) बॉयलर्स
– उच्च कार्यकुशलता तथा लम्बी आयु वाले हाइड्रो पावर प्लांट
– एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम, 800 केवी एचवीडीसी, 765केवी, 1200केवी ट्रांसमिशन सिस्टम/उत्पाद
– फ्लेक्सीबल ए सी ट्रांसमिशन सिस्टम्स तथा अन्य उपकरण जैसे थाइरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कम्पनसेशन, फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर, स्टेटिक सिंक्रोनाइज्ड कम्पनसेटर (स्टेटकॉम), कंट्रोल्ड शंट रिएक्टर आदि
– गैस इंसुलेटिड स्विचगियर
– कार्यकुशल, विश्वसनीय एवं लागत प्रभावी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सहित आईजीबीटी – ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आधारित अनुप्रयोग जैसे डीजल इलेक्ट्रिक लोको के लिए थ्री फेज ए सी ड्राइव सिस्टम
– उच्चतम रेटिंग की इंडस्ट्रियल स्टीम टर्बाइन
– मौजूदा उत्पादों की क्षमता वृद्धि
– ग्रिड सम्बद्ध सोलर पीवी सोलर थर्मल, विंड आदि जैसी गैर–परंपरागत ऊर्जा प्रणालियां
– सिमुलेटर्स

- एडवांस्ड फेब्रिकेटर्स टेक्नोलॉजी
- सेरामिक उपयोग सहित सरफेस कोटिंग्स
- अवशेष आयु मूल्यांकन अध्ययन
- साइकल टाइम तथा लागत घटाने के लिए नई टेक्नोलॉजियों सहित इंटेलिजेन्ट मशीनें एवं रोबोटों का उपयोग
- विशिष्ट इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग
- ज्ञान प्रबंधन
- ऑटोमेशन/केबीई/पीएलएम पर फोकस के साथ ईपीसी सहित सम्पूर्ण इंजिनीयरिंग समाधान
- कम्पन एवं शोर में कमी
- उच्च तापमान सुपरकंडक्टर्स पर आधारित अनुप्रयोग
- डिसेलिनेशन एवं जल–शोधन संयन्त्र
- नैनो टेक्टनोलॉजी अनुप्रयोग
- हाइड्रोजन एनर्जी तथा फ्यूल सैल्स

अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

	कुल	....	₹ 1251.92 करोड़
क)	आवर्ती	....	₹ 1233.19 करोड़
ख)	पूंजीगत		₹ 18.73 करोड़
	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में व्यय	....	2.5 %

प्रौद्योगिकी आमेलन एवं व्यय

पिछले पांच वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी की विवरणः

प्रौद्योगिकी	आयात वर्ष	आमेलन स्थिति
बड़े आकार की फोर्जिंग	2010	प्रौद्योगिकी आमेलन प्रगति पर है।
सेन्ट्रिफ़्यूगल कम्प्रेसर	2010	प्रौद्योगिकी आमेलन प्रगति पर है।
जलशोधन प्रणाली	2011	प्रौद्योगिकी आमेलन प्रगति पर है।

विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2011-12
(i) प्रयुक्त विदेशी मुद्रा	**6982**	9815
(ii) अर्जित विदेशी मुद्रा	**12357**	14419

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

बीपीराव

(बी. प्रसाद राव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 3 अगस्त, 2013

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–V

कंपनी अधिनियम, 1956 के खंड 212 के अनुपालनार्थ सहायक कंपनी से संबंधित विवरण

	सहायक कंपनी का नाम	भारत हेवी प्लेट एंड वेसेल्स लिमिटेड	बीएचईएल इलैक्ट्रिकल मशीन लिमिटेड
1	सहायक कंपनी समाप्ति का वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2013	31 मार्च, 2013
2	सहायक कंपनी बनने की तारीख	10 मई, 2008	19 जनवरी, 2011
3	31 मार्च, 2013 की यथा स्थिति कम्पनी द्वारा धारित सहायक कम्पनी का शेयर		
	क) संख्या तथा अंकित मूल्य	₹1000/– प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 337978 इक्विटी शेयर	₹ 10/– प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 5355000 इक्विटी शेयर
	ख) धारिता की मात्रा	100%	51%
4	धारिता कंपनी की सदस्य होने के नाते सहायक कंपनी की कुल लाभ/हानि की राशि	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)
	क) धारिता कंपनी के खातों से संबंधित नहीं		
	i) 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	35.04	(-) 0.28
	ii) सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष तक	(-) 33.38	(-) 0.19
	ख) धारिता कंपनी के खातों से संबंधित		
	i) 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	शून्य	शून्य
	ii) धारिता कंपनी की सहायक कंपनी बनने की तारीख से सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष के लिए	शून्य	शून्य

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

रावबीपी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 3 अगस्त, 2013

(बी. प्रसाद राव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–VI

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्यगण, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इसके साथ संलग्न भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (कंपनी) का 31.03.2013 का तुलन पत्र, इसी तारीख को समाप्त लाभ एवं हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना के सारांश की लेखापरीक्षा की है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय परिणामों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और कंपनी के नकद प्रवाह के बारे में कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 211 के उप अनुच्छेद (3सी) में संदर्भित लेखा मानदंडों के अनुरूप सही एवं निष्पक्ष विवरण प्रदान करता है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संगत आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण का दायित्व शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है। हमने इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानदंडों के अनुरूप लेखा परीक्षा संचालित की है। इन मानदंडों के तहत यह अपेक्षित है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस संबंध में एक उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और संचालित करें कि क्या ये वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गड़बड़ी से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच और राशि के समर्थन में संलग्न प्रलेख और वित्तीय विवरण के प्रकटन शामिल रहते हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिनमें वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गड़बड़ी, चाहे घोटाले अथवा त्रुटिवश हुई है, के जोखिम का मूल्यांकन शामिल होता है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में, लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के वास्ते वित्तीय विवरणों को तैयार करने और स्वतंत्र प्रस्तुतिकरण के कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो स्थिति अनुरूप उपयुक्त होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन एवं महत्वपूर्ण आकलन तथा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों का संपूर्ण मूल्यांकन भी शामिल रहता है।

राय

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठ सूचना के अनुसार तथा हमें दिये गये विवरण के अनुसार, वित्तीय विवरण अधिनियम के तहत अपेक्षित तरीके के अनुसार सूचना प्रदान करता है और यह भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक वास्तविक और सही विवरण प्रदान करता है:

(i) तुलन पत्र की स्थिति में 31 मार्च, 2013 तक के कंपनी के कार्य

(ii) उपर्युक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ के लाभ एवं हानि खाते के मामले में

(iii) उपर्युक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह के नकद प्रवाह विवरण के मामले में

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम के खंड 227 के उप खंड (4ए) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनियों (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 ("आदेश") के संदर्भ में अपेक्षानुसार हम आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्देशित मामलों पर विवरण का अनुलग्नक प्रस्तुत करते हैं।

2. अधिनियम के खंड 227 (3) के संदर्भ में अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट देते हैं किः

   क. हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक हमारे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमने सभी जानकारियां एवं विवरण प्राप्त कर लिए हैं।

   ख. हमारे विचार के अनुसार कम्पनी ने विधि के अनुसार लेखा बहियां रखी है जैसाकि हमें इन बहियों की जांच में मिला है और हमारे द्वारा दौरा न की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक पर्याप्त जानकारिया प्राप्त हो गई हैं।

   ग. शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमने रिपोर्ट तैयार करते समय इसका उचित ख्याल रखा है।

   घ. इस रिपोर्ट में हमारे लिए जांचे गए तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता, नकदी प्रवाह विवरण, लेखा बहियों और दौरा न किए गए शाखाओं से प्राप्त जानकारियों के अनुसार हैं।

   ङ. हमारे विचार में तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में उल्लिखित लेखा मानकों के अनुसार हैं।

   च. कम्पनी मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 829(ई) दिनांक 21.10.2003 के संदर्भ में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1) (छ) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं हैं।

   छ. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के अधीन भुगतान किए जाने वाले उपकर की दर के मामले में केन्द्र सरकार से कोई अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है और न ही ऐसे उपकर का भुगतान किए जाने के संबंध में कथित खंड के अधीन कोई नियम जारी हुआ है इसलिए कम्पनी द्वारा भुगतान किया जाने वाला कोई उपकर बाकी नहीं है।

कृते गांधी मिनोचा एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन 000458एन
हस्ता./–
(भूपिंदर सिंह)
सदस्यता नं. 092867

कृते एस.एन. धवन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन 000050एन
हस्ता./–
(सुरेश सेठ)
सदस्यता नं. 010577

दिनांक : 23 मई, 2013
स्थान : नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

(भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की 31 मार्च, 2013 को समाप्त लेखों की समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट 'अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत पैरा–1 में यथा उल्लिखित)

i) (क) कंपनी ने सामान्यतः मात्रात्मक विवरण और अपनी स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकार्ड रखा है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन ने सामान्य तौर पर अपने वास्तविक सत्यापन के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार स्थाई परिसंपत्तियों के एक मात्र वास्तविक सत्यापन करना है, जो कम्पनी के आकार और व्यवसाय स्वरूप के दृष्टिगत समुचित समझा जाता है और वर्ष के दौरान कराए गए सत्यापन में कोई मूर्त विंसगति नहीं देखी गई। वास्तविक सत्यापन के बिना भारतीय रेलवे में पट्टे पर दिए 65 लोकोमोटिव के संबंध में इन लोकोमोटिव के वास्तविक अधिकार की पुष्टि करते हुए एक प्रमाण पत्र भारतीय रेलवे पट्टा करार के अनुसार प्राप्त किया गया है।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने नियत परिसंपत्तियों के अधिकांश हिस्से का निपटान नहीं किया है, जिससे कि इसकी गोइंग कंसर्न की संकल्पना प्रभावित हो।

ii) (क) हमें जैसा स्पष्ट किया गया है, कुछ यूनिटों मे चालू कार्य के भंडार और तैयार माल, जहां ऐसी यूनिटों के उत्पादन योजना विभाग का निरीक्षण तथा उत्पादन रिपोर्टों के संदर्भ में इनका वर्ष के अंत में सत्यापन किया जाता है, को छोड़कर वर्ष के दौरान नियमित अंतरालों पर स्थायी मालसूची कार्यक्रम के अधीन प्रबंधन द्वारा मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। संविदाकारों/फैब्रिकेटरों और अन्य पक्षों के पास पड़े हुए स्टाक के संबंध में केवल कुछ मामलों में पुष्टियां प्राप्त हुई थीं। उपयुक्त के अधीन, हमारी राय में सत्यापन की बारंबारता उचित है।

(ख) हमारी राय में प्रबंधन द्वारा मालसूची के वास्तविक सत्यापन के लिए अपनाई गई कार्यविधि कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में सामान्यतः उचित और पर्याप्त है।

(ग) मालसूची के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर हमारी राय है कि कंपनी ने सामान्यतः मालसूची का समुचित रिकार्ड रखा हुआ है और मालसूची के सत्यापन में कंपनी के आकार और कार्य की प्रकृति के संदर्भ में दर्शाई गई विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं थीं तथा इन्हें कंपनी की लेखा बही में समुचित स्थान दिया गया है।

iii) (क) हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा किसी अन्य पक्षों को रक्षित अथवा आरक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार चालू वर्ष के लिए कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश पैरा 4 के खंड (iii) (ख) से (iii) (घ) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें दी गई सूचना के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कम्पनियों अथवा आरक्षित ऋण नही लिया है। तदनुसार चालू वर्ष के लिए कम्पनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट), आदेश खण्ड (iii) (च) से (iii) (छ) कम्पनी पर लागू नही है।

iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय के अनुरूप माल की खरीद और अन्य परिसंपत्तियों तथा सामग्रियों की बिक्री के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण कार्यविधि है। इसके अलावा, कंपनी की बहियों एवं रिकार्डों की जांच के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधि में किसी बड़ी कमी के संकेत न तो हमें मिलें हैं और न ही किसी से जानकारी प्राप्त हुई है। लेखापरीक्षा के दौरान हमने ऐसा नहीं पाया कि आंतरिक नियंत्रण की किसी बड़ी कमी मे सुधार न किया जा रहा हो।

v) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 में किसी संविदा और प्रबंधन का उल्लेख नहीं है। कंपनी ने कोई ऐसा लेन–देन नहीं किया है, जिसे रजिस्टर में दर्ज किए जाने की आवश्यकता है। तदानुसार कंपनी पर आदेश पैराग्राफ–4 के खंड – (अ) (ख) लागू नहीं हैं।

vi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अधिनियम की धारा 58 क और 58कक अथवा अन्य संगत प्रावधान और उसके अधीन बनाए कंपनी (जमा राशि की स्वीकृति) नियम, 1975 के अनुसरण के वर्ष के दौरान जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है।

vii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और इकाइयों के विभिन्न विभागों में अनुमोदित लेखापरीक्षा योजना के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग भी है। हमारी राय में कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली व्यापक तौर पर कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है।

viii) हमने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (घ) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विद्युत मोटरों, सीमलेस इस्पात ट्यूबों, इलेक्ट्रिक जेनरेटर, पावर ट्रांसफार्मर, विद्युत चालित पम्पों, विंड मिल्स के द्वारा विद्युत उत्पादन, कंट्रोल इंस्ट्रुमेंटेशन और ऑटोमेशन उपस्कर के विनिर्माण के लिए लेखा बही और रिकार्ड की विस्तृत समीक्षा की है और हमारे विचार से प्रथम दृष्टया निर्धारित लेखा और रिकार्ड तैयार किए गए हैं और उन्हें रखा गया है। लेकिन हमने इन रिकार्डों की इस दृष्टि से की जांच नहीं की है कि जो ठीक और पूरे हैं।

ix) (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रस्तुत की गई तथा हमारे द्वारा जांची गई बहियों और रिकार्ड के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी सामान्यतः नियमित रूप से भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, धन कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, उपकर और उपयुक्त प्राधिकारियों पर यथा लागू कोई अन्य वास्तविक सांविधिक देयताएं सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों को जमा कर रही है।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार भुगतान की तारीख के 6 महीने से अधिक माह की अवधि हेतु 31 मार्च, 2013 को भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, धनकर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य. सांविधिक देयता बकाया राशि विवादित नहीं थी। केवल लीबिया में एक मामले को छोड़कर, वहां पर करार के अनुसार आयकर देयताओं का उन्मोचन ग्राहक द्वारा सीधे लीबियाई सरकार के साथ किया जाना ही है। छह महीने से अधिक की बकाया राशि ₹ 32.88 करोड़ है जो वित्तीय वर्ष 2008–09 और 2009–10 से संबधित है।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार जिस बिक्री कर, आयकर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क और उपकर को विवाद के कारण जमा नहीं किया है, वह निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	सांविधि का नाम	देयताओं की प्रकृति	बकाया राशि (₹ करोड़ में)	विरोध के साथ भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ में)	मंच, जिसके समक्ष विवाद लंबित है
1	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, कार्य अनुबंध कर अधिनियम, पट्टा कर, प्रवेश कर अधिनियम तथा विभिन्न राज्यों के बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	35.78	10.38	आकलन अधिकारी
		प्रवेश कर तथा कार्य अनुबंध कर	249.20	21.44	उप आयुक्त / संयुक्त आयुक्त / आयुक्त अपील
			344.94	49.72	अपीलीय अधिकरण
			125.82	28.25	उच्च न्यायालय
			3.43	3.38	उच्चतम न्यायालय
			117.30	8.69	विभिन्न अपीलीय प्राधिकरण
2	आयकर अधिनियम, 1961	आय कर	3.4	-	उच्च न्यायालय
			26.50	-	अपीलीय अधिकरण
			4.15	-	आयुक्त (अपील)
3	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	30.26	0.06	आकलन अधिकारी
			1.15	0.48	आयुक्त (अपील)
			259.13	3.61	अपीलीय अधिकरण
			43.02	4.37	उच्च न्यायालय
			-	-	विभिन्न अपीलीय प्राधिकरण
4	वित्त अधिनियम, 1994 के अधीन सेवा कर	सेवा कर	54.38	0.01	आयुक्त (अपील)
			105.33	-	अपीलीय अधिकरण
			-	-	आकलन अधिकारी
			5.70	-	उच्च न्यायालय

x) कंपनी को 31 मार्च, 2013 तक कोई संचित हानि नहीं थी और इसने उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष या उसके तत्काल बाद के वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं उठाई है।

xi) हमारे द्वारा जांच की गई कंपनी के रिकार्डों और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों अथवा डिबेंचरधारकों को बकाए की वापसी अदायगी में कोई चूक नहीं की है।

xii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेंचर तथ अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।

xiii) हमारी राय में कंपनी चिट फंड या निधि/म्युचुअल लाभ फंड/सोसायटी नहीं है। अतः कंपनी पर आदेश के पैराग्राफ 4 के खंड (xiii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xiv) हमारी राय में कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों में व्यवसाय अथवा व्यापार नहीं कर रही है। तदनुसार, कंपनी पर ऑर्डर के पैरा 4 के खंड (xiv) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं हैं।

xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से अन्य लोगों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।

xvii) हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण और कंपनी के तुलन पत्र की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट देते हैं कि अल्पावधि आधार पर ली गई निधि का दीर्घावधि निवेश हेतु उपयोग नहीं किया गया है।

xviii) वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रख रजिस्टर में शामिल पार्टियों और कंपनियों को शेयरों का अधिमान्य आबंटन नहीं किया है।

xix) हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी न कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है। अतः कंपनी पर आदेश के पैरा 4 के खंड (xix) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

xx) वर्ष के दौरान कंपनी ने पब्लिक इश्यु से कोई धन अर्जित नही किया है। अतः कंपनी पर आदेश के पैरा 4 के खंड (xx) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

xxi) कंपनी कि बहियों और रिकार्डों की जांच की अवधि में जो कि सामान्यतः भारत में अपनाई जा रही लेखापरीक्षा प्रणालियों तथा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार है वर्ष के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया और न ही इसके बारे मे सूचित किया गया।

कृते गांधी मिनोचा एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन 000458एन

हस्ता./–

(भूपिंदर सिंह)
सदस्यता नं. 092867

कृते एस.एन. धवन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन 000050एन

हस्ता./–

(सुरेश सेठ)
सदस्यता नं. 010577

दिनांक : 23 मई, 2013
स्थान : नई दिल्ली

बिंदु संख्या (ix) (ख) पर प्रबंधन का उत्तर : ईको लीबिया के संबंध में, संविदा के अनुसार आयकर की देयता को ग्राहक (इको) द्वारा पूरी की जानी है। इको ने दृढ़तापूर्वक कहा है कि वे अपनी वचनबद्धता का सम्मान करेंगे और सीधे लीबियाई कर अधिकारियों से संपर्क करेंगे।

गोपनीय

No./MAB-III/Rep./01-20/A/cs-BHEL/2013-14/ 327

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-III
नई दिल्ली

सत्यमेव जयते

Indian Audit & Accounts Department

OFFICE OF THE
PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT
& EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-III
NEW DELHI

दिनांक/Dated: 17-June, 2013

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
नई दिल्ली

विषय: 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिये भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ। कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

संलग्नः यथोपरि।

(बृज मोहन)
प्रधान निदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, ऐनैक्सी बिल्डिंग, 10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
6th & 7th floor, Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi -110002
Tel: 23239227, FAX: 23239211 e-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा और उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा निर्धारित आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के उत्तरदायी हैं। इसे उनकी दिनांक 23 मई, 2013 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया बताया जाता है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरण की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकरण कागजातों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित होती है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आई है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने का कारण बनती है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए और उसकी ओर से

(बृज मोहन)
प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक
और पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड–III,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17 जून, 2013

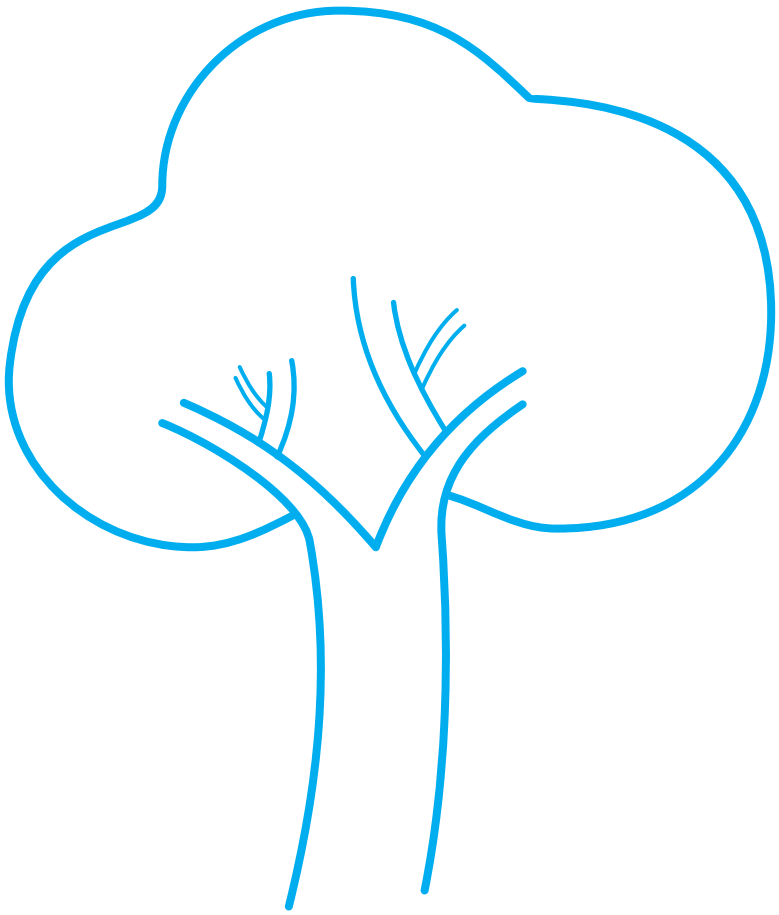

वार्षिक लेखे
(स्टैंडएलोन)

तुलन पत्र

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

विवरण		अनुसूची सं.	31.03.2013 को आंकड़े		31.03.2012 को आंकड़े	
I.	**इक्विटी एवं देनदारियां**					
(1)	**शेयरधारक निधियां**					
	क) शेयर पूंजी	**1**	**489.52**		489.52	
	ख) प्रारक्षित एवं अधिशेष	**2**	**29954.58**	**30444.10**	24883.69	25373.21
(2)	**गैर–चालू देनदारियां**					
	क) दीर्घावधि ऋण	**3**	**129.20**		123.43	
	ख) अन्य दीर्घावधि देनदारियां	**4**	**5789.68**		7558.59	
	ग) दीर्घावधि प्रावधान	**5**	**5932.91**	**11851.79**	5005.68	12687.70
(3)	**चालू देनदारियां**					
	क) लघु अवधि ऋण	**6**	**1286.00**		0.00	
	ख) व्यापार भुगतान	**7**	**9675.24**		10254.82	
	ग) अन्य चालू देनदारियां	**8**	**13862.10**		15824.60	
	घ) लघु अवधि प्रावधान	**9**	**3009.22**	**27832.56**	2635.69	28715.11
	कुल			**70128.45**		66776.02
II.	**परिसंपत्तियां**					
(1)	**गैर चालू परिसंपत्तियां**					
(क)	अचल परिसंपत्तियां	**10**				
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां		**4314.67**		4160.72	
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		**143.82**		136.09	
	(iii) पूंजीगत कार्य–प्रगति में		**1133.51**		1324.63	
	(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		**38.08**	**5630.08**	22.98	5644.42
(ख)	गैर चालू निवेश	**11**	**429.17**		461.67	
(ग)	आस्थगित कर संपत्तियां (निवल)	**12**	**1550.69**		1546.24	
(घ)	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	**13**	**905.33**		900.10	
(ङ)	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	**14**	**10653.72**	**13538.91**	9383.62	12291.63
(2)	**चालू परिसंपत्तियां**					
(क)	माल सूचियां	**15**	**11763.82**		13548.73	
(ख)	व्यापार प्राप्तियां	**16**	**29234.49**		26356.93	
(ग)	नकदी एवं बैंक शेष	**17**	**7732.05**		6671.98	
(घ)	लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	**18**	**2029.12**		2111.72	
(ङ)	अन्य चालू परिसंपत्तियां	**19**	**199.98**	**50959.46**	150.61	48839.97
	कुल			**70128.45**		66776.02
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां						
वित्तीय विवरणों के संबंध में अन्य अनुसूचियां		**31**				

अनुसूची 1 से 31 तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	
(आई. पी. सिंह)	**(पी. के. बाजपेयी)**	**(बी. प्रसाद राव)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. धवन एंड कंपनी	कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–000050 एन	**एफआरएन–000458एन**
हस्ता./–	हस्ता./–
(सुरेश सेठ)	**(भूपिंदर सिंह)**
साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 10577	सदस्यता सं. 092867

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई, 2013

लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	विवरण	अनुसूची सं.	31.03.2013 को समाप्त वर्तमान वर्ष के लिए		31.03.2012 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए	
I.	**प्रचालनों से राजस्व (सकल)**	20		50156.48		49509.78
	घटाएं : उत्पाद शुल्क			1904.01		1846.56
	घटाएं : सेवा शुल्क			634.80		435.36
	प्रचालनों से राजस्व (शुद्ध)			47617.67		47227.86
II.	**अन्य प्रचालन आय**	21		806.98		751.03
III.	**अन्य आय**	22		1121.71		1265.55
	कुल राजस्व (I से III)			49546.36		49244.44
IV.	**व्यय**					
	सामग्री खपत, निर्माण और इंजीनियरिंग व्यय	23		27899.37		28907.73
	प्रगति अधीन कार्य में (वृद्धि)/कमी और तैयार वस्तुएं	24		116.21		-823.20
	कर्मचारी लाभ व्यय	25		5752.78		5465.43
	वित्त लागत	26		125.27		51.28
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	10.1		953.39		800.00
	उत्पादन, प्रशासन, बिक्री तथा वितरण संबंधी अन्य व्यय	27		3776.56		3223.22
	प्रावधान (शुद्ध)	28		1565.77		1402.58
	घटाएं: आंतरिक उपयोग के लिए किए गए कार्य की लागत			75.87		104.11
	कुल व्यय			40113.48		38922.93
V.	**पूर्वावधि समायोजन और कर पूर्व लाभ**			9432.88		10321.51
VI.	**जोड़ें/घटाएं: पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)**	29		-0.44		-19.25
VII.	**वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ**			9432.44		10302.26
VIII.	**घटाएं: कर व्यय**	30				
	क) चालू कर		2822.15		2645.00	
	ख) आस्थगित कर		-4.44	2817.71	617.30	3262.30
IX.	**वर्ष के लिए लाभ**			6614.73		7039.96
	प्रति शेयर आय (मूल एवं मिश्रित) (संदर्भ अनुसूची 31 की बिंदू सं. 20) ₹ में			27.03		28.76
	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹ में) (संदर्भ अनुसूची 31 का बिंदू सं. 20)			2.00		2.00
	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां					
	वित्तीय विवरणों के संबंध में अन्य अनुसूचियां	31				

अनुसूची 1 से 31 तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	
(आई. पी. सिंह)	**(पी. के. बाजपेयी)**	**(बी. प्रसाद राव)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. धवन एंड कंपनी	कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–000050 एन	**एफआरएन–000458एन**
हस्ता./–	हस्ता./–
(सुरेश सेठ)	**(भूपिंदर सिंह)**
साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 10577	सदस्यता सं. 092867

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई, 2013

नकद प्रवाह विवरण

31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

		2012-13	2011-12
क.	**प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ	**9432.44**	**10302.26**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन		
	मूल्यह्रास/परिशोधन	954.16	802.67
	पट्टा समकरण	0.29	-3.82
	प्रावधान (निवल)	423.95	539.77
	अशोध्य ऋण एवं बही खाते डाली गई एलडी	377.26	97.29
	स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-3.31	-4.01
	दीर्घावधि निवेशों की बिक्री पर लाभ	-31.50	0.00
	वित्त लागत	125.27	51.28
	ब्याज/लाभांश आय	-623.95	-830.63
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**10654.61**	**10954.81**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन		
	व्यापार तथा अन्य प्राप्तियाँ	-4441.00	-8793.32
	मालसूची	1788.30	-2576.01
	व्यापार देय तथा अग्रिम	-2971.92	2784.13
	प्रचालनों से सृजित रोकड़	**5029.99**	**2369.61**
	भुगतान किए गए प्रत्यक्ष कर (शुद्ध वापसी)	-3165.21	-3183.18
	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह/(अंतर्वाह)	**1864.78**	**-813.57**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकद राशि**		
	स्थाई परिसंपत्तियों की खरीद	-988.52	-1307.21
	स्थाई परिसंपत्तियों की बिक्री और निपटान	12.72	9.27
	दीर्घावधि निवेशों की बिक्री और निपटान	31.50	0.00
	सहायक एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश	32.50	-22.50
	ब्याज एवं लाभांश आय	573.75	990.73
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी	**338.05**	**329.70**
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	लघु अवधि एवं दीर्घावधि उधार से प्रक्रियागत	1304.43	28.60
	भुगतान किया गया लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	-1648.57	-1793.70
	वित्त लागत	-122.52	-49.80
	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी	**466.66**	**1814.90**
घ.	**नकद एवं नकद समतुल्यों में निवल कमी**	**1060.07**	**-2958.17**
	नकद तथा नकद समतुल्यों का अथशेष	6671.98	9630.15
	नकद तथा नकद समतुल्यों का इतिशेष (नोट सं. 17 को देखें)	7732.05	6671.98

नोट: 1 : नकद तथा नकद के समतुल्यों में नकद तथा बैंक अधिशेष एवं बैंकों में जमा राशियां शामिल हैं।
2 : पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक समझा गया, पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित कर दिया गया है।
3 : नकद तथा नकद समतुल्यों में मनोनीत बैंक खातों में पड़े दावा रहित **₹ 3.52 करोड़** (₹ 2.18 करोड) का लाभांश शामिल है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
(आई. पी. सिंह)
कंपनी सचिव

हस्ता./–
(पी. के. बाजपेयी)
निदेशक (वित्त)

बीपीराव
(बी. प्रसाद राव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. धवन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–000050 एन

हस्ता./–
(सुरेश सेठ)
साझेदार
सदस्यता सं. 10577

कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–000458एन

हस्ता./–
(भूपिंदर सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. 092867

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई, 2013

1 – शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2013 को आंकड़े		31 मार्च, 2012 को आंकड़े	
प्राधिकृत				
प्रत्येक ₹ 2 के 1000,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹ 2 के 1000,00,00,000 इक्विटी शेयर)		**2000.00**		2000.00
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		**489.52**		489.52
प्रत्येक ₹ 2 के 244,76,00,000 पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹ 2 के 244,76,00,000 इक्विटी शेयर)				
क) इनमें से प्रत्येक ₹ 2 के 122,38,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹ 2 के 122,38,00,000 इक्विटी शेयर) बोनस शेयर के रूप में आबंटित				
ख) बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का पुनर्मिलान नीचे दर्शाया गया है:				
	सख्या	**राशि**	**सख्या**	**राशि**
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	**2447600000**	**489.52**	489520000	489.52
वर्ष के दौरान ₹ 10 से ₹ 2 प्रति शेयर में विघटन के प्रति जारी शेयर			1958080000	
वर्ष के दौरान पुनः क्रय किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**2447600000**	**489.52**	2447600000	489.52
ग) वर्ष के अंत में 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण	**शेयरों की संख्या**	**धारित का %**	**शेयरों की संख्या**	**धारित का %**
भारत के राष्ट्रपति (पीओआई) साथ में नामिती	1657552000	67.72%	1657552000	67.72%
भारतीय जीवन बीमा निगम	141433662	5.78%	141433662	5.78%
प्रति शेयर अंकित मूल्य		**2.00**		**2.00**
घ) इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें/अधिकारः				

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसमें प्रति शेयर ₹ 2 की कीमत है। (पिछले वर्ष ₹ 2 प्रति शेयर)। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए हकदार है।

2 – प्रारक्षित निधि और अधिशेष

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2013 को आंकड़े		31 मार्च, 2012 को आंकड़े	
प्रारक्षित पूंजी				
अथशेष	**2.74**		2.74	
जोड़ें: परिवर्धन	**-**		-	
घटाएं: कटौतियां	**-**	**2.74**	-	2.74
सामान्य प्रारक्षित				
अथशेष	**23849.72**		18849.72	
जोड़ें: लाभ एवं हानि के अधिशेष से अंतरित	**5000.00**		5000.00	
घटाएं: कटौतियां	**-**	**28849.72**	-	23849.72
लाभ एवं हानि विवरण से अधिशेष				
अथशेष	**1031.23**		811.86	
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ	**6614.73**		7039.96	
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ	**7645.96**		7851.82	
घटाएं: विनियोग–				
– सामान्य प्रारक्षित	**5000.00**		5000.00	
– लाभांश (₹ 518.89 करोड़ के लाभांश सहित, पिछले वर्ष ₹ 665.75 करोड़)	**1323.00**		1566.47	
– कार्पोरेट लाभांश कर (अंतरिम लाभांश पर कर ₹ 84.18 करोड सहित, पिछले वर्ष ₹ 108 करोड़)	**220.84**	**1102.12**	254.12	1031.23
		29954.58		24883.69
प्रति इक्विटी शेयर पर प्रस्तावित लाभांश (₹)		**3.29**		3.68

3 – दीर्घावधि उधार

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2013 को आंकड़े	31 मार्च, 2012 को आंकड़े
प्रारक्षित		
डिबेंचर्स / बांड्स	**-**	-
राज्य सरकार से अवधि ऋण	**-**	-
वित्तीय संस्थानों से अवधि ऋण	**-**	-
	-	-
असुरक्षित		
वित्त पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि परिपक्वताएं	**129.20**	123.43
	129.20	123.43
	129.20	123.43

4 – अन्य दीर्घावधि देनदारियां

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2013 को आंकड़े	31 मार्च, 2012 को आंकड़े
व्यापार देयताएं	**756.10**	616.84
ग्राहकों व अन्य से प्राप्त अग्रिम	**4959.23**	6836.86
ठेकेदारों व अन्य से प्राप्त जमा	**74.35**	104.89
	5789.68	7558.59

5 – दीर्घावधि प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2013 को आंकड़े	31 मार्च, 2012 को आंकड़े
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान	**2185.47**	2076.18
संविदात्मक दायित्व	**3602.85**	2793.48
अन्य दीर्घावधि प्रावधान	**144.59**	136.02
	5932.91	5005.68

6 – लघु अवधि उधार

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2013 को आंकड़े	31 मार्च, 2012 को आंकड़े
प्रारक्षित		
बैंकों से ऋण		
कैश क्रेडिट	**1,286.00**	-
(कच्चे माल, अवयवों, प्रगति अधीन कार्य, तैयार वस्तुओं, बुक ऋणों और अन्य चालू परिसंपत्तियां, वर्तमान और भविष्य की दोनों को गिरवरी रखकर प्रथम वसूली से प्रारक्षित)		
	1,286.00	-

ब्याज दर 7.25% से 7.50% की दर पर 6 से 9 माह की अवधि के भीतर पुर्नः भुगतान।

7 – व्यापार देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2013 को आंकड़े	31 मार्च, 2012 को आंकड़े
व्यापार देयताएं	**9600.11**	10143.89
स्वीकृत बिल	**75.13**	110.93
	9675.24	10254.82

(सूक्ष्म और लघु उद्यम प्रकटीकरण के लिए बिंदु सं. 10 नोट 31 के संदर्भ में)

8 – अन्य चालू देनदारियां

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2013 को आंकड़े	31 मार्च, 2012 को आंकड़े
वित्त पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि परिपक्वताएं	**75.09**	62.43
ग्राहकों और अन्यों से प्राप्त अग्रिम	**11261.12**	13144.42
ठेकेदारों और अन्यों से जमा	**481.00**	444.27
अदावाकृत लाभांश*	**3.52**	2.18
अन्य देयताएं/देनदारियां**	**2030.82**	2163.50
ब्याज उपार्जित परंतु देय नहीं	**1.15**	0.65
ब्याज उपार्जित और देयः		
राज्य सरकार ऋणों पर देय	**2.33**	2.33
वित्त पट्टा	**7.07**	4.82
	13862.10	15824.60

ग्राहकों और अन्यों से प्राप्त अग्रिमों में मूल्यांकन समायोजन शामिल है।

– **₹ 5759.02 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 7150.34 करोड़)

*तुलन पत्र की तिथि को कोई राशि देय या बकाया नहीं है क्योंकि राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना है।

**कर्मचारियों को देयताएं और वैधानिक देयताएं शामिल

9 – लघु अवधि प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2013 को आंकड़े	31 मार्च, 2012 को आंकड़े
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	**488.33**	401.38
प्रस्तावित लाभांश	**804.11**	900.72
कार्पोरेट लाभांश कर	**136.66**	146.12
अनुबंधात्मक दायित्व	**1387.13**	1057.43
अन्य लघु अवधि प्रावधान	**178.66**	87.61
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व	**14.33**	42.43
	3009.22	2635.69

10 – अचल परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2013 को आंकड़े	31 मार्च, 2012 को आंकड़े
(i) मूर्त परिसंपत्तियां		
सकल खण्ड	**10441.74**	9406.70
घटाएं: संचित मूल्यह्रास	**6130.42**	5249.62
घटाएं: पट्टा समायोजन खाता	**-3.35**	-3.64
शुद्ध खण्ड	**4314.67**	4160.72
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		
सकल खण्ड	**341.52**	299.94
घटाएं: संचित मूल्यह्रास	**197.70**	163.85
शुद्ध खण्ड	**143.82**	136.09
(iii) प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य		
निर्माण कार्य प्रगति पर–सिविल	**214.65**	338.31
निर्माण स्टोर्स (ट्रांजिट सहित)	**11.27**	9.99
संयंत्र और मशीनरी तथा अन्य उपकरण		
– निर्माणाधन/निर्माण प्रतीक्षारत	**630.17**	702.25
– ट्रांजिट में	**277.30**	273.80
निर्माणाधीन पट्टे पर परिसंपत्तियां	**0.12**	0.28
	1133.51	1324.63
(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तिया	**38.08**	22.98
	38.08	22.98
कुल जोड़	**5630.08**	5644.42
नोट 10.1 में विवरण का संदर्भ लें		

अनुसूची 10.1

अचल परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास		निवल ब्लाक		
	31.03.2012 को लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	31.03.2013 को लागत	पट्टा समायोजन लेखा	31.03.2013 तक मूल्यह्रास/ परिशोधन	31.03.2013 की यथास्थिति	31.03.2012 की यथास्थिति	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
फैक्टरी/कार्यालय काम्पलेक्स									
(i) मूर्त परिसंपत्तियां									
फ्री होल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	16.87	0.94		17.81			17.81	16.87	
पट्टाधारित भूमि (विकास व्यय सहित)	6.05	0.15		6.20		0.41	5.79	5.66	0.01
सड़कें, पुल और पुलियां निर्माण	20.53	4.50	0.01	25.02		5.13	19.89	16.82	1.45
भवन	1333.60	258.38	0.48	1591.50		594.13	997.37	862.20	123.34
पट्टाधारित भवन	3.12			3.12		1.39	1.73	1.79	0.05
जल निकासी, जल–मल निकासी	21.37	3.39	0.02	24.74		11.65	13.09	10.24	0.55
रेलवे साइडिंग	14.87	1.56		16.43		9.07	7.36	6.39	0.60
लोकोमोटिव तथा वैगन	30.97	13.35		44.32		20.86	23.46	11.78	1.67
प्लांट तथा मशीनरी	5965.60	560.90	18.10	6508.40		3991.92	2516.48	2601.42	642.71
इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	135.86	8.28	1.59	142.55		135.94	6.61	5.81	2.15
विद्युत संस्थापना	276.75	23.26	0.11	299.90		119.25	180.65	175.58	18.11
निर्माण उपकरण	212.17	36.37	0.62	247.92		163.04	84.88	78.33	29.64
वाहन	18.96	0.07	0.48	18.55		16.13	2.42	2.88	0.50
फर्नीचर और फिक्चर्स	43.08	8.93	0.55	51.46		14.86	36.60	31.54	3.45
कार्यालय तथा अन्य उपकरण	146.70	23.69	1.13	169.26		81.44	87.82	74.12	9.57
₹ 10,000 तक की अचल परिसंपत्तियां	97.58	9.70	1.44	105.84		105.84			9.83
पूंजीगत व्यय	0.44			0.44		0.44			
पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां	497.15			497.15	3.35	493.79	6.71	3.79	0.15
पट्टे पर ली गई ईडीपी उपकरण	340.14	81.06	20.89	400.31		232.94	167.37	155.75	68.09
कार्यालय तथा अन्य उपकरण पट्टे पर	4.67		0.83	3.84		0.74	3.10	4.22	0.29
पट्टे पर ली गई अन्य परिसंपत्तियां	1.34	0.83		2.17		2.17			0.36
कुल मूर्त परिसंपत्तियां–निर्माणी	**9187.82**	**1035.36**	**46.25**	**10176.93**	**3.35**	**6001.14**	**4179.14**	**4065.19**	**912.52**
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां									
– आंतरिक विकसित									
साफ्टवेयर									
पेटेंट्स एवं ट्रेड मार्कस									
तकनीकी जानकारी									
अन्य	29.96	10.19	0.05	40.10		23.45	16.65	15.76	9.29
– अन्य									
साफ्टवेयर	119.83	20.93	0.07	140.69		120.30	20.39	9.83	10.40
पेटेंट्स एवं ट्रेड मार्कस									
तकनीकी जानकारी	141.30	10.58		151.88		45.10	106.78	110.45	14.24
अन्य	8.85			8.85		8.85		0.05	0.05
कुल अमूर्त परिसंपत्तियां–निर्माणी	**299.94**	**41.70**	**0.12**	**341.52**		**197.70**	**143.82**	**136.09**	**33.98**
निर्माणी परिसंपत्तियों का कुल जोड़	**9487.76**	**1077.06**	**46.37**	**10518.45**	**3.35**	**6198.84**	**4322.96**	**4201.28**	**946.50**
टाउनशिप/आवासीय									
मूर्त परिसंपत्तियां									
फ्री होल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	2.09			2.09			2.09	2.09	
पट्टाधारित भूमि (विकास व्यय सहित)	1.99	0.05		2.04		0.62	1.42	1.41	0.02
सड़के, पुल, पुलिया, निर्माण	5.09	0.59		5.68		3.01	2.67	2.17	0.09
भवन	130.93	43.55	2.98	171.50		64.40	107.10	68.75	3.17
पट्टाधारित भवन	0.27			0.27		0.21	0.06	0.07	0.01
जल निकासी, जल–मल निकासी	17.19	0.17		17.36		14.53	2.83	3.04	0.38
प्लांट तथा मशीनरी	17.55	2.27	0.01	19.81		12.56	7.25	6.36	1.37
इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण									
विद्युत संस्थापना	17.73	0.89	0.09	18.53		14.98	3.55	3.21	0.48
वाहन	1.08		0.01	1.07		1.02	0.05	0.07	0.01
फर्नीचर और फिक्चर्स	0.85	0.12	0.03	0.94		0.36	0.58	0.56	0.07
कार्यालय एवं अन्य उपकरण	21.67	1.34	0.10	22.91		14.98	7.93	7.80	1.11
₹ 10,000 तक की अचल परिसंत्तियां	2.44	0.18	0.01	2.61		2.61			0.18
कुल मूर्त परिसंपत्तियां–टाउनशिप	**218.88**	**49.16**	**3.23**	**264.81**		**129.28**	**135.53**	**95.53**	**6.89**
टाउनशिप परिसंपत्तियों का कुल जोड़	**218.88**	**49.16**	**3.23**	**264.81**		**129.28**	**135.53**	**95.53**	**6.89**
मूर्त परिसंपत्तियों का जोड़	**9406.70**	**1084.52**	**49.48**	**10441.74**	**3.35**	**6130.42**	**4314.67**	**4160.72**	**919.41**
अमूर्त परिसंपत्तियों का जोड़	**299.94**	**41.70**	**0.12**	**341.52**		**197.70**	**143.82**	**136.09**	**33.98**
निर्माणी और टाउनशिप का जोड़	**9706.64**	**1126.22**	**49.60**	**10783.26**	**3.35**	**6328.12**	**4458.49**	**4296.81**	**953.39**
पिछला वर्ष	**8049.74**	**1700.00**	**43.10**	**9706.64**	**3.64**	**5413.47**	**4296.81**	**3400.92**	**800.00**
ऊपर सम्मिलित आरएंडडी पूंजीगत मदों का विवरण									
संयंत्र एवं मशीनरी और अन्य उपकरण	**359.12**	**76.02**		**435.14**		**266.49**	**168.65**	**124.45**	**31.62**
भवन	**31.62**	**5.40**		**37.02**		**17.67**	**19.35**	**14.98**	**1.03**

31.03.2013 को सकल ब्लॉक में बेकार और सक्रिय प्रयोग से हटाई गई ₹ 61.57 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 59.20 करोड़) की परिसंपत्तियां शामिल हैं।

31.03.2013 को सकल ब्लॉक में बेकार और सक्रिय प्रयोग से हटाई गई ₹ 0.14 करोड़ की परिसंपत्तियां शामिल हैं (पिछले वर्ष ₹ 0.18 करोड़)

	2012-13	2011-12
सकल ब्लॉक में निष्पादक एजेंसी के रूप में अनुसंधान के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से खरीदी गई परिसंपत्तियों की लागत शामिल नहीं है क्योंकि संपत्ति कंपनी के पास नहीं है।	**30.81**	30.81

वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में कोई हानि नहीं हुई।

11 – गैर चालू निवेश

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2013 को आंकड़े		31 मार्च, 2012 को आंकड़े	
दीर्घावधि निवेश (लागत पर)				
गैर उधृत शेयर (पूर्णतः प्रदत्त):				
ट्रेडः				
इंजीनियरिंग प्रोजैक्ट्स (इंडिया) लि. के 1402 (पिछला वर्ष 1402) प्रत्येक ₹ 10/– इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष ₹ 10 प्रत्येक शेयर)	*		*	
एपी गैस पावर कार्पोरेशन लि. के 728960 (पिछला वर्ष 728960) प्रत्येक ₹ 10/– इक्विटी शेयर	**0.91**		0.91	
नीलांचल इस्पात निगम लि. के 5000000 (पिछले वर्ष 5000000) प्रत्येक ₹ 10/– के इक्विटी शेयर	**5.00**	**5.91**	5.00	5.91
सहायक कंपनियां –				
भारत हेवी प्लेट एंड वैसल्स लि. न्यूनतम मूल्य ₹ 1/– पर 337978 (पिछला वर्ष 337978) प्रत्येक ₹ 1000/– के इक्विटी शेयर अधिगृहीत किए	*		*	
भारत इलेक्ट्रिकल मशीन्स लि. के ₹ 10 प्रत्येक के 5355000 (पिछले वर्ष 5355000) इक्विटी शेयर	**5.36**	**5.36**	5.36	5.36
संयुक्त उद्यम कंपनियाँ				
पावर प्लांट परफ़ॉर्मैंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड के ₹ 10/– प्रत्येक के 1999999 (पिछले वर्ष 1999999) इक्विटी शेयर	**2.00**		2.00	
घटाएँ: मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	**2.00**		2.00	
एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजैक्टस प्रा. लि. के ₹ 10/– प्रत्येक के 25000000 (पिछले वर्ष 25000000) इक्विटी शेयर	**25.00**		25.00	
उडानगुडी पावर कार्पोरेशन लि. के ₹ 10/– प्रत्येक के शून्य (पिछले वर्ष 32500000) इक्विटी शेयर	-		32.50	
रायचूर पावर कार्पोरेशन लि. के ₹ 10/–प्रत्येक के 331523312 (पिछले वर्ष 331523312) इक्विटी शेयर।	**331.52**		331.52	
दादा धूनीवाले खंडवा पावर लि. के ₹ 10/– प्रत्येक के 22500000 (पिछले वर्ष 2500000) इक्विटी शेयर	**22.50**		22.50	
लातूर पावर कंपनी लि. के ₹ 10/– प्रत्येक के 2500000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	**2.50**		2.50	
बीएचईएल–जीई गैस टरबाईन सर्विसिज प्रा. लि. के ₹ 10/– प्रत्येक के 2379999 (पिछले वर्ष 2379999) इक्विटी शेयर	**2.38**	**383.90**	2.38	416.40
अग्रिम में प्रदत्त शेयर राशि				
भारत हेवी प्लेट एंड वैसल्स लि. (सहायक कंपनी)		**34.00**		34.00
ट्रेड के अलावाः				
बीएचईएल हाउस बिल्डिंग को–ऑपरेटिव सोसाइटी लि. हैदराबाद के 3 (पिछले वर्ष 3) ₹ 100/– प्रत्येक		*		*
* ₹ 1 लाख से कम मूल्य				
		429.17		461.67
अनुद्धृत निवेश का कुल मूल्य		**429.17**		461.67
निवेशों के मूल्यह्रास में सकल प्रावधान		**2.00**		2.00

12 – आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2013 को आंकड़े	31 मार्च, 2012 को आंकड़े
प्रावधान	**1088.81**	1018.58
वैधानिक देयताएं	**484.03**	555.64
मॉडवैट समायोजन	**60.79**	75.57
अन्य	**31.94**	36.47
	1665.57	1686.26
आस्थगित कर देनदारियां		
अवमूल्यन	**114.88**	140.02
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	**1550.69**	1546.24

13 – दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2013 को आंकड़े		31 मार्च, 2012 को आंकड़े	
ऋण				
सहायक कंपनियों को ऋण	**234.98**		218.87	
पूंजी अग्रिम	**60.76**		21.77	
जमाएं	**51.22**		42.65	
कर्मचारियों को ऋण	**0.01**		0.01	
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण	**12.00**		16.00	
अन्यों को ऋण	**0.00**		0.01	
अर्जित ब्याज और या ऋण पर देय	**0.56**	**359.53**	0.78	300.09
अग्रिम (नकद वसूली योग्य या अन्य प्रकार से या प्राप्त किये जाने वाले मूल्य के लिए)				
क्रय हेतु	**113.21**		416.66	
अन्यों को	**70.06**	**183.27**	118.02	534.68
जमा				
कस्टम, पोर्ट ट्रस्ट और अन्य सरकारी प्राधिकारियों के पास अधिशेष		**42.48**		38.50
अग्रिम कर/टीडीएस (कराधान के लिए शुद्ध प्रावधान ₹ 9268.23 करोड़) (पिछले वर्ष ₹ 8293.49 करोड़)		**343.06**		72.31
		928.34		945.59
घटाएं: प्रावधान		**23.01**		45.49
		905.33		900.10
उप वर्गीकरण:				
प्रारक्षित, अच्छा माना गया		**12.15**		16.27
अप्रारक्षित, अच्छा माना गया		**893.18**		883.83
संदेहपूर्ण		**23.01**		45.49
		928.34		945.59
शामिल:				
अधिकारियों से देय		**0.03**		-

14 – अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2013 को आंकड़े		31 मार्च, 2012 को आंकड़े	
दीर्घावधि ट्रेड प्राप्तियां	**13036.39**		11494.90	
घटाएं: हानिकारक और संदग्धि ऋण	**1804.84**		1749.90	
घटाएं: स्वतः मूल्य कटौती समायोजन	**577.83**	**10653.72**	361.39	9383.62
		10653.72		9383.62
उप वर्गीकरणः लघु अवधि व्यापार प्राप्तियां				
प्रारक्षित, अच्छा माना गया		**-**		-
अप्रारक्षित, अच्छा माना गया		**10653.72**		9383.62
संदेहपूर्ण		**2382.67**		2111.29
		13036.39		11494.90
दीर्घावधि व्यापार प्राप्तियों में आस्थगित ऋण **₹ 9859.62 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 8194.77 करोड़) शाामिल है।				

15 – माल सूचियां

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2013 को आंकड़े		31 मार्च, 2012 को आंकड़े	
कच्चा माल तथा संघटक	**4489.12**		4937.63	
मार्गस्थ सामग्री	**664.73**	**5153.85**	1846.42	6784.05
चालूगत कार्य (उप–ठेकेदारों के साथ वस्तुओं सहित)		**4188.19**		4820.87
तैयार माल	**1358.14**		951.41	
मार्गस्थ अन्तर–प्रभाग अन्तरण में	**297.06**	**1655.20**	199.60	1151.01
स्टोर्स एवं हिस्से पुर्जे				
उत्पादन	**238.85**		209.83	
ईंधन स्टोर्स	**23.94**		15.03	
विविध	**45.20**	**307.99**	35.87	260.73
फ़ैब्रिकेटर्स/ठेकेदारों के पास सामग्री		**234.94**		316.70
खुले औज़ार		**44.36**		46.16
रद्दी माल (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर)		**63.42**		64.98
अचालित माल सूची	**170.64**		162.39	
घटाएः अचालित माल सूची के लिए प्रावधान	**54.77**	**115.87**	58.16	104.23
		11763.82		13548.73
मूल्यांकन की पद्धति के संबंध में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 9 के संदर्भ में				

16 – व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2013 को आंकड़े	31 मार्च, 2012 को आंकड़े
छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण	**11631.09**	10279.39
अन्य ऋण	**18604.19**	16811.30
	30235.28	27090.69
घटाएं: बुरे और संदेहपूर्ण ऋणों एवं स्वतः मूल्य कमी समायोजन हेतु प्रावधान	**1000.79**	733.76
	29234.49	26356.93
व्यापार प्राप्तियों में आस्थगित ऋण शामिल हैं–		
– ₹ **7220.91 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 6057.02 करोड़)		
व्यापार प्राप्तियों में वितरित वस्तुओं के लंबित बिल शामिल हैं–		
– ₹ **1705.16 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 1717.07 करोड़)		
व्यापार प्राप्तियों में मूल्यांकन समायोजन शामिल है–		
– ₹ **1274.42 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 1475.07 करोड़)		
व्यापार प्राप्तियों का विवरण :		
अप्रारक्षित, अच्छा माना गया	**-**	-
अप्रारक्षित, अच्छा माना गया	**29234.49**	26356.93
संदेहपूर्ण	**1000.79**	733.76
	30235.28	27090.69

17 – रोकड़ एवं रोकड़ अधिशेष

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2013 को आंकड़े	31 मार्च, 2012 को आंकड़े
नकदी एवं नकदी सममुल्य		
बैंकों में अधिशेष*	**2562.47**	1661.62
सावधि जमाएं जिनकी परिपक्वता 3 माह से कम है	**1300.00**	1250.00
चैक, डिमांड ड्रॉफ्ट के रूप में	**418.47**	359.11
नकदी और स्टैम्पस के रूप में	**1.11**	1.25
अन्य बैंक अधिशेष		
सावधि जमा जिनकी परिपक्वता 3 माह से अधिक और 12 माह से कम है	**3450.00**	3400.00
	7732.05	6671.98
***सम्मिलित**		
अदावाकृत लाभांश के तहत चिन्हित	**3.52**	2.18
गैर प्रत्यावर्तनीय खाते	**13.16**	19.28

18 – लघु अवधि ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2013 को आंकड़े		31 मार्च, 2012 को आंकड़े	
ऋण				
सहायक कंपनियों को ऋण	**0.00**		1.70	
कर्मचारियों को ऋण	**0.02**		0.02	
उधार पर जारी सामग्री	**9.74**		9.74	
अन्य को ऋण	**0.01**		0.01	
सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण	**4.00**		4.00	
अर्जित ब्याज और या ऋण पर देय	**2.64**	**16.41**	1.59	17.06
अग्रिम (नकद प्राप्तियां या किसी अन्य प्रकार या मूल्य के रूप में प्राप्त)				
सहायक कंपनियों को	**0.55**		1.86	
कर्मचारियों को	**31.07**		30.97	
क्रय के लिए	**695.56**		945.26	
अन्य के लिए	**940.91**	**1668.09**	844.57	1822.66
जमा				
कस्टम, पोर्ट ट्रस्ट और अन्य सरकारी प्राधिकारियों के पास अधिशेष		**336.71**		285.34
अन्य		**60.24**		44.50
		2081.45		2169.56
घटाएं: संदेहपूर्ण ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान		**52.33**		57.83
		2029.12		2111.72
ऋणों और अग्रिमों का विवरण:–				
प्रारक्षित, अच्छा माना गया		**6.19**		4.25
अप्रारक्षित, अच्छा माना गया		**2022.93**		2107.47
संदेहपूर्ण		**52.33**		57.83
		2081.45		2169.56
शामिल:				
निदेशकों से देय		**-**		-
अधिकारियों से देय		**0.11**		0.13

19 – अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2013 को आंकड़े	31 मार्च, 2012 को आंकड़े
बैंक जमाओं और निवेशों पर अर्जित ब्याज	**199.98**	150.61
	199.98	150.61

20 – प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	31.3.2013 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े	31.3.2012 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े
बिक्री घटाएं वापसी (सकल)	**43424.62**	44147.75
बाहरी निर्माण और अन्य सेवाओं से आय और वर्क्स ठेकों से राजस्व	**6731.86**	5362.03
	50156.48	49509.78
टिप्पणी सं. 31 के बिंदु सं. 28ए का संदर्भ लें		

21 – अन्य प्रचालन आय

(₹ करोड़ में)

	31.3.2013 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े		31.3.2012 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े	
निर्यात प्रोत्साहन		**24.26**		11.95
लीज़ पर परिसंपत्तियों से किराये की आय	**0.93**		0.93	
पट्टा समतुल्य लेखा	**-0.29**	**0.64**	3.82	4.75
स्क्रैप की बिक्री		**283.35**		307.59
बिक्री/अधिशेष के स्थानांतरण से प्राप्ति		**0.07**		0.17
अन्य		**498.66**		426.57
		806.98		751.03

22 – अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31.3.2013 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े	31.3.2012 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े
क. अन्य आय		
स्थायी परिसंपत्तियों और पूंजीगत स्टोर्स की बिक्री से लाभ (शुद्ध)	**31.50**	-
निवेश पर लाभांश (दीर्घावधि–व्यापार)	**3.31**	4.01
लाभांश	**19.00**	16.98
विनिमय अंतर प्राप्ति (निवल)	**143.38**	99.32
अन्य अनुसन्धान एवं विकास परियोजना पर भारत सरकार से प्राप्त ₹ 0.33 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.33 करोड) अनुदान सहित	**319.57**	331.37
कुल (क)	**516.76**	451.68
ख. ब्याज आय*		
ग्राहकों से	**0.03**	2.56
बैंकों से	**534.41**	786.78
अन्य	**70.51**	24.53
*(टीडीएस ₹ 56.08 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 83.22 करोड़)		
कुल (ख)	**604.95**	813.87
कुल अन्य आय कुल (क+ख)	**1121.71**	1265.55

23 – सामग्री की खपत, संस्थापना और इंजीनियरिंग व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.3.2013 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े	31.3.2012 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े
कच्चे माल और संघटकों की खपत*	**23043.84**	24549.35
भंडार और पुर्ज़ों की खपत	**583.89**	563.77
संस्थापन तथा इंजीनियरी व्यय – अंशदाताओं को भुगतान	**4271.64**	3794.61
	27899.37	28907.73
*टिप्पणी सं. 31 के बिंदु सं. 28 एफ का संदर्भ लें		

24 – प्रगति अधीन कार्य एवं तैयार माल में वृद्धि/(कमी)

(₹ करोड़ में)

	31.3.2013 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े		31.3.2012 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े	
कार्य प्रगति पर				
अंत शेष	**4188.13**		4821.13	
प्रारंभिक शेष	**4821.13**	**-633.00**	4126.60	694.53
तैयार माल				
अंत शेष	**1359.89**		952.42	
प्रारंभिक शेष	**952.42**	**407.47**	858.65	93.77
अंतर प्रभागीय अंतरण		**109.32**		34.90
टिप्पणी:		**-116.21**		823.20
तैयार माल में उत्पाद शुल्क का तत्व				
अंत शेष		**126.49**		99.97
प्रारंभिक शेष		**99.97**		81.96

25 – कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.3.2013 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े	31.3.2012 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े
वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते तथा अन्य लाभ	**4856.50**	4594.68
उपदान निधि में अंशदान	**142.09**	150.66
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	**297.60**	275.77
समूह बीमा	**11.77**	12.12
कर्मचारी कल्याण व्यय	**444.82**	432.20
	5752.78	5465.43

26 – वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

	31.3.2013 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े	31.3.2012 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े
ब्याज व्यय	**42.39**	47.34
अन्य उधार लागत	**82.88**	3.94
	125.27	51.28
घटाएं: पूंजीकृत उधार लागत	**-**	-
	125.27	51.28

27 – उत्पादन, प्रशासन, बिक्री तथा वितरण पर अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.3.2013 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े	31.3.2012 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े
रॉयल्टी, तकनीकी प्रलेखीकरण, रेजीडेंट परामर्श प्रभार और अन्य परामर्श प्रभार	**124.10**	79.84
किराया	**84.79**	94.92
उत्पाद शुल्क	**307.14**	248.30
बिजली और ईंधन	**555.78**	510.25
दरें और कर	**71.42**	46.26
सेवा कर	**13.22**	15.15
बीमा	**125.79**	133.46
मरम्मत:		
भवन	**95.59**	79.64
प्लांट तथा मशीनरी	**37.83**	35.60
अन्य	**152.36**	138.61
निर्यात से संबंधित अन्य व्यय	**28.28**	26.79
बट्टाकृत निवेशों पर हानि	**1.06**	0.09
अशोध्य ऋण तथा बट्टाकृत राशि	**28.12**	22.64
बाह्य ढुलाई प्रभार	**573.44**	623.06
यात्रा और वाहन	**197.45**	183.02
विविध व्यय	**994.12**	874.39
प्रभारित किये गये निर्णीत हर्ज़ाने	**348.08**	74.56
दान	**0.03**	0.17
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीय विकास पर व्यय	**37.96**	36.46
	3776.56	3223.22

28 – प्रावधान (शुद्ध)

(₹ करोड़ में)

	31.3.2013 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े		31.3.2012 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े	
संदिग्ध ऋण, निर्णीत हर्ज़ाने तथा ऋण और अग्रिम				
वर्ष के दौरान सृजित	**1195.88**		973.61	
घटाएं : वर्ष के दौरान पुरांकित	**819.55**	**376.33**	345.30	628.31
संविदात्मक दायित्व				
वर्ष के दौरान सृजित	**1786.05**		1193.73	
घटाएं : वर्ष के दौरान पुरांकित	**644.23**	**1141.82**	330.92	862.81
अन्य				
वर्ष के दौरान सृजित	**86.87**		52.56	
घटाएं : वर्ष के दौरान पुरांकित	**39.25**	**47.62**	141.10	-88.54
		1565.77		1402.58

29 – पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)

(₹ करोड़ में)

	31.3.2013 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े		31.3.2012 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े	
आय				
प्रतिफल रहित बिक्री	**1.97**		-19.32	
अन्य प्रचालन आय	**0.00**		0.30	
अन्य आय	**0.12**		0.17	
ब्याज आय	**0.00**	**2.09**	-0.21	-19.06
व्यय				
उप–ठेकेदारों को भुगतान	**0.06**		-	
कच्चा माल तथा संघटकों की खपत	**0.47**		1.64	
मूल्यह्रास	**0.77**		2.67	
विविध व्यय	**1.23**	**2.53**	-4.11	0.19
		-0.44		-19.25

30 – कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.3.2013 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े		31.3.2012 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े	
क) वर्तमान कर				
वर्तमान वर्ष के लिए	**3042.00**		3277.00	
पूर्व में सृजित अतिरिक्त प्रावधान पुनः आलेखित	**-219.85**	**2822.15**	-632.00	2645.00
ख) आस्थगित कर प्रभार/(क्रेडिट)				
चालू वर्ष के लिए	**-163.26**		7.13	
पूर्ववर्ती वर्ष के लिए	**158.82**	**-4.44**	610.17	617.30
		2817.71		3262.30

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखाकरण की प्रोद्भवन विधि तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, जैसा कि कंपनी द्वारा निरंतर किया जा रहा है।

2. अनुमानों का उपयोग

सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांत के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान और कल्पनाएं करना अपेक्षित होता है जो रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आय और व्यय और वित्तीय विवरणों की तिथि को आकस्मिक देयताओं सहित देनदारियों और परिसंपत्तियों को प्रभावित करते हैं।

3. स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियां (राज्य से निःशुल्क अधिग्रहित भूमि से भिन्न) अधिग्रहण या निर्माण अथवा संग्रहित मूल्यह्रास को घटाकर बही मूल्य पर प्राप्त की जाती हैं। लागत के अंतर्गत वास्तविक/प्राक्कलित फैक्टरी लागत या बाजार कीमत, जो भी कम हो, में लिए गए पूंजीगत कार्य के लिए आंतरिक अंतरण मूल्य सम्मिलित होता है। स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्रयुक्त दीर्घावधि देयताओं/ऋणों के संबंध में अवमूल्यन/पुर्नमूल्यन जैसी असाधारण घटनाओं के प्रभाव को लागत में जोड़ा/घटाया जाता है। राज्य सरकार से निःशुल्क अधिग्रहित भूमि का मूल्य ₹ 1 लगाया गया है, सिवाए इसके कि वह 16 जुलाई, 1969 के पश्चात् न अधिग्रहित की गई हो, क्योंकि उस मामले में यह भूमि संबद्ध राज्य सरकार से पूंजी प्रारक्षित निधि में समतुल्य जमा द्वारा अधिग्रहण मूल्य पर मूल्यांकित की जाती है।

4. पट्टे

वित्तीय पट्टा

क) (i) 1 अप्रैल, 2001 से पूर्व पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां

विनिर्मित और वित्तीय पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां सामान्य विक्रय मूल्य/उचित मूल्य/संविदाकृत मूल्य पर पूंजीकृत की जाती हैं और उन्हें बिक्री के रूप में माना जाता है।

उक्त पर उस दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है जो मूल्यह्रास पर लेखाकरण नीति के अनुसार समान किस्म की स्थायी परिसंपत्तियों के लिए लागू होती है। पट्टा किराए पर समतुल्य प्रभार पट्टा समकरण लेखा द्वारा तैयार किया जाता है।

वित्त आय को पट्टा अवधि के लिए माना जाता है।

(ii) 1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां

विनिर्मित और वित्तीय पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को सामान्य विक्रय मूल्य/उचित मूल्य/एनपीवी पर बिक्री के रूप में मान्यता दी जाती है।

वित्त आय को पट्टा अवधि के लिए माना जाता है।

प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें पट्टा शुरू होने पर खर्च कर दी जाती है।

ख) 1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां

पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों को उचित मूल्य/एनपीवी/संविदाकृत मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है।

उक्त पर उस दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है जो मूल्यह्रास पर लेखाकरण नीति के अनुसार समान किस्म की स्थायी परिसंपत्तियों के लिए लागू होती है। यदि पट्टा परिसंपत्तियां, पट्टा अवधि समाप्त होने पर पट्टादाता को वापस करनी है तो उनकी उपयोगी अवधि या पट्टा अवधि, जो भी अल्प हो, के लिए मूल्यह्रासित किया जाता है।

किए गए पट्टा भुगतानों को पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों से संबद्ध वित्त प्रभारों एवं बकाया देयता की कमी, में विभाजित कर दिया जाता है।

प्रचालन पट्टा

क) पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां

विनिर्मित और प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां पूंजीकृत की जाती हैं। उनसे होने वाली पट्टा आय को पट्टा अवधि में हुई आय माना जाता है।

ख) पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां

प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए किए गए पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि में हुआ व्यय माना जाता है।

5. अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

क) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियो को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है, अगर

(क) यह संभाव्य हो कि भविष्य में परिसंपत्ति के कारण होने वाला आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा, और

(ख) कंपनी का परिसंपत्तियों पर नियंत्रण होगा, और

(ग) इन परिसंपत्तियों की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है और ₹ 10,000 से अधिक है। अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को उनकी अनुमानित उपयोगी अवधि में सीधी रेखा यथानुपात मासिक आधार पर परिषोधित किया जाएगा, जो सॉफ्टवेयर के मामले में तीन वर्षों और अन्य के मामले में दस वर्षों से अधिक नहीं होगी।

ख) (क) अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के अनुसंधान चरण के दौरान व्यय सहित अनुसंधान पर व्यय को होने वाले वर्ष में लाभ और हानि में प्रभारित किया जाता है।

(ख) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर लेखाकरण मानक के अनुसार मानदंड पूरी करने वाली अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के विकास चरण के दौरान व्यय सहित विकास पर किए गए व्यय को अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है।

(ग) अनुसंधान और विकास के प्रयोजनार्थ अधिग्रहित स्थायी परिसंपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है।

6. उधार लागतें

उधार लागतें, जो अर्हक परिसंपत्तियों के विनिर्माण, अधिग्रहण या निर्माण पर व्यय की जाती हैं, ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में शामिल की जाती हैं।

अर्हक परिसंपत्ति वह होती है जो अभिप्रेत उपयोग या बिक्री हेतु तैयार होने में आवश्यक रूप से बारह महीने से अधिक का समय लेती है।

अन्य उधार लागतों को उस अवधि का व्यय माना जाता है, जिसमें उन्हें खर्च किया जाता है।

7. मूल्यह्रास

(i) स्थायी परिसंपत्तियों (संविदा के अधीन विदेशों में प्रयुक्त को छोड़कर) पर मूल्यह्रास, उसे छोड़कर जहां मूल्यह्रास, तकनीकी रूप से आकलित अनुमानित उपयोगी अवधि के आधार पर निर्धारित दरों पर प्रभारित किया जाता है, कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची–XIV में निर्धारित दरों के अनुसार सीधी–रेखा विधि पर परिसंपत्तियों की कुल लागत तक प्रभारित किया जाता है, जो नीचे दर्शाया गया है:–

	एकल पाली	दोहरी पाली	तिहरी पाली
सामान्य संयंत्र एवं मशीनरी	8%	12%	16%
स्वचालित / अर्ध–स्वाचालित मशीनें	10%	15%	20%
स्थापना उपकरण, पूंजीगत औजार तथा साजो–सामान	20%		
टाउनशिप बिल्डिंगें			
– द्वितीय श्रेणी	2.5%		
– तृतीय श्रेणी	3.5%		
रेलवे साइडिंग	8%		
लोकोमोटिव तथा वैगन	8%		
विद्युतीय संस्थापनाएं	8%		
कार्यालय तथा अन्य उपकरण	8%		
ड्रेनेज, सीवरेज तथा अन्य जल आपूर्ति	3.34%		
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	20%		

स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि / से कटौती के मामले में मूल्यह्रास प्रभार, यथानुपात मासिक आधार पर होता है।

(ii) दीर्घावधिक संविदाओं के अनुसरण में भारत से बाहर प्रयुक्त स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास प्रारंभिक संविदा की अवधि के दौरान होता है।

(iii) ₹ 10,000 या कम लागत की स्थायी परिसंपत्तियों अथवा उन परिसंपत्तियों, जिनका ह्रासित मूल्य वर्ष के प्रारंभ में ₹ 10,000 या कम है, का पूर्णतः मूल्यह्रास होता है। जहां तक, टाउनशिप भवनों का प्रश्न है, वहां प्रति मकान की लागत 10,000 रुपये की सीमा के लिए आधार है।

(iv) निर्माण/परियोजना स्थल पर सड़कों, पुलों और पुलियों की लागत संविदा अवधि में पूर्णतः परिशोधित की जाती है, जबकि शेड, रेलवे साइडिंगें, विद्युतीय संस्थापनाओं और इस प्रकार के अन्य समर्थकारी कार्यों (पूर्णतः अस्थायी निर्माण, लकड़ी के कार्य को छोड़कर) पर अवशिष्ट मूल्य के रूप में 10 प्रतिशत प्रतिधारित करते हुए उन्हें मूल्यह्रासित किया जाता है।

(v) लकड़ी के ढांचों जैसे पूर्णतः अस्थायी निर्माण कार्यों पर निर्माण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है।

(vi) पट्टाधारित भूमि और भवनों को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि पर निर्मित भवनों का मूल्यह्रास उनकी उपयोगी अवधि अथवा पट्टे की अवधि जो भी कम हो, में होता है।

8. निवेश

(i) दीर्घावधि निवेश लागत पर किए जाते हैं। अस्थायी के अलावा, ऐसे निवेशों में गिरावट को मान्यता दी जाती है और इसके लिए व्यवस्था की जाती है।

(ii) चालू निवेश लागत या उद्धृत/उचित मूल्य, जो भी कम है, पर किए जाते हैं। अउद्धृत चालू निवेश लागत पर किए जाते हैं।

(iii) निवेश की लागत में अधिग्रहण प्रभार जैसे, दलाली, शुल्क तथा ड्यूटी शामिल है।

मौजूदा राशि में यदि कोई कमी होती है या किसी की पूर्ति होती है तो उसे लाभ और हानि में लेखा प्रभारित अथवा जमा किया जाता है।

9. मालसूची मूल्यांकन

(i) मालसूचियों का मूल्यन वास्तविक/अनुमानित लागत अथवा निवल वसूलीयोग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

(ii) गैस आधारित पावर संयंत्रों, बॉयलरों, बॉयलर ऑग्जिलियरी, कम्प्रेसरों और औद्योगिक टर्बो सैटों सहित हाइड्रो और थर्मल सेटों के संयंत्रों में तैयार माल तथा जारी कार्यों का मूल्यन वास्तविक/अनुमानित फैक्टरी लागत या वसूली योग्य मूल्य के 97.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

(iii) संयंत्र में तैयार माल एवं चालू कार्य के मूल्यांकन के संबंध में लागत का अर्थ कारखाना लागत है, वास्तविक/अनुमानित कारखाना लागत में विनिर्मित माल पर देय उत्पाद शुल्क शामिल है।

(iv) कच्चे माल, संघटकों, फुटकर औजारों, भंडारों एवं अतिरिक्त पुर्जों की लागत का अर्थ भारांकित औसत लागत है।

(v) क) 1.04.2003 को या उसके बाद की गई निर्माण संविदाओं के लिए–

जहां संविदा की लागत के वर्तमान अनुमान और विक्रय मूल्य हानि दर्शाते हैं, वहां ऐसी संविदा के लिए प्रत्याशित हानि को तुरंत मान्यता प्रदान की जाती है, चाहे कार्य शुरू हो गया है या नहीं।

ख) अन्य सभी संविदाओं के लिए–

जहां किसी संविदा का भाग होने वाली पृथक रूप से अभिज्ञात परियोजना की लागत और विक्रय मूल्य संबंधी वर्तमान अनुमान हानि दर्शाता है, वहां ऐसी परियोजना के संबंध में, जिस पर कार्य आरंभ हो चुका है, प्रत्याशित हानि को मान्यता दी जाती है।

(ग) प्रत्याशित हानि निर्धारण में प्राप्त कुल आय पर विचार किया जाता है, जिसमें निर्यातों/माने गए निर्यातों पर प्रोत्साहन भी शामिल होते हैं।

(vi) उत्पादन आर्डरों के लिए खरीद/विनिर्मित संघटकों और अन्य सामग्रियों, जिन्हें अथिशेष घोषित किया गया हो, को तकनीकी अनुमानों के आधार पर अवशिष्ट मूल्य प्रतिधारित करते हुए राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10. राजस्व मान्यता

ग्राहक के पक्ष में स्वामित्व को अंतरित करके महत्वपूर्ण जोखिमों और प्रतिफलों के आधार पर बिक्री को दर्ज किया जाता है। बिक्री के अंतर्गत आंशिक शिपमेंट द्वारा ग्राहक को प्रेषित किया गया माल आता है।

क. 1.04.2003 को या उसके बाद की गई निर्माण संविदाओं के लिए राजस्व को संविदा की कुल अनुमानित लागत पर सूचना तिथि तक व्यय की गई वास्तविक लागत की प्रतिशतता पर आधारित प्रतिशतता समापन विधि से मान्यता दी जाती है।

ख. अन्य सभी संविदाओं के लिएः

(i) लम्बे उत्पादन चक्र वाली मदों (गैस आधारित पावर संयंत्रों, बॉयलरों, बॉयलर ऑग्जिलियरी, कम्प्रेसरों और औद्योगिक टर्बो सेटों सहित हाइड्रो और थर्मल सेट) के संबंध में बिक्री राजस्व को मान्यता तकनीकी अनुमानों पर दी जाती है। जब शिपमेंट

का कुल मूल्य प्रापणीय मूल्य का 30 प्रतिशत या उससे अधिक हो तो उन पर प्रापणीय मूल्य के 97.5 प्रतिशत या प्रापजीय मूल्य न होने पर, उद्धृत मूल्य पर विचार किया जाता है। अन्यथा, उन पर वास्तविक/अनुमानित फैक्टरी लागत या प्रापणीय मूल्य के 97.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, विचार किया जाता है। शेष 2.5 प्रतिशत को संविदा के अधीन आपूर्ति पूरी हो जाने पर राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) निर्माण और परियोजना प्रबंध सेवाओं को निम्नलिखित आधार पर मान्यता दी जाती है– पूर्णता की प्रतिशतता, अथवा

अंतर्भूत मूल्य की गणना संविदा मूल्य के 97.5 प्रतिशत पर की जाती है तथा शेष 2.5 प्रतिशत पर की जाती है तथा शेष 2.5 प्रतिशत को संविदा समाप्त होने पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(iii) प्रदान की गई इंजीनियरिंग सेवाओं से प्राप्त आय को पूरे किए गए कार्य की प्रतिशतता के आधार पर प्रापणीय मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

(iv) बीएचईएल में निर्माण न किए गए उपस्करों/प्रणालियों और सिविल कार्यों की आपूर्ति/निर्माण से प्राप्त आय की मान्यता ग्राहकों को किए गए प्रेषणों /परियोजना स्थल पर किए गए कार्यों पर आधारित होती है।

11. विदेशी मुद्रा लेन–देन के लिए लेखाकरण

विदेशी मुद्रा लेन–देनों को लेन–देनों की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में विनिमय दरो पर रूपांतरित किया जाता है। लेन–देनों के निपटान और मौद्रिक मदों के रूपांतरण पर उत्पन्न हुए विनिमय अंतर को उस वर्ष जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, में आय अथवा व्यय के रूप में माना जाता है।

12. अभिन्न विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों का रूपांतरण:

(i) आय और व्यय की मदें, मूल्यह्रास, जिसे समतुल्य अचल परिसंपत्तियों के लिए अपनाई गई दरों पर परिवर्तित किया जाता है, को छोड़कर औसत दर पर रूपांतरित की जाती हैं।

(ii) मौद्रिक मदें इतिशेष दर पर रूपांतरित की जाती हैं, ऐतिहासिक लागत पर लाई गई गैर–मौद्रिक मदें रूपांतरण की तारीख को लागू दरों पर रूपांतरित की जाती हैं, उचित मूल्य पर लाई गई गैर–मौद्रिक मदें, उन विनिमय दरों, जो मूल्य निर्धारित करने के समय मौजूद थी, पर रूपांतरित की जाती हैं।

(iii) रूपांतरणों की सभी भिन्नताओं को लाभ और हानि लेखे में लाया जाता है।

13. कर्मचारी लाभ

अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश, भविष्य निधि और कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के अंशदान को प्रोद्भवन आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। उपदान, सेवानिवृत्ति पर यात्रा दावे और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभों के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार लेखाबद्ध की जाती है। बीमांकिक देयता कर्मचारियों के संदर्भ में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के आरंभ में निर्धारित की जाती है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन प्रतिपूर्ति होने वाले वर्ष में यथानुपात मासिक आधार पर प्रभारित की जाती है।

14. कंपनी द्वारा/के विरुद्ध दावे

(i) कंपनी के विरुद्ध निर्णीत हर्जाने के लिए दावे को समान लेन–देनों के अनुभवों द्वारा अनुपूरित उपलब्ध सूचना के संदर्भ में संभावित परिणामों के प्रबंधन के आकलन के आधार पर लेखे में माना जाता है।

(ii) निर्यात प्रोत्साहन, शुल्क वापसी, सीमा शुल्क की वापसी और बीमा के लिए दावे आदि प्राप्ति पर लेखे में लिए जाते हैं।

(iii) मूल्य वृद्धि दावे और/अथवा संविदा कार्य के परिवर्तनों के संबंध में देय राशियों को केवल तभी राजस्व के रूप में माना जाता है जब संविदाओं से ऐसे दावों अथवा भिन्नताओं की शर्तें हों और/अथवा ग्राहकों से उसकी स्वीकार्यता का साक्ष्य हो। तथापि वृद्धि आंतरिक मूल्य तक प्रतिबंधित होती है।

15. वारंटियों के प्रावधान

(i) 01.04.2003 को या उसके बाद किए गए निर्माण संविदाओं के लिए :

संविदात्मक दायित्वों का प्रावधान परीक्षण प्रचालन समाप्त होने पर संविदा मूल्य के 2.5 प्रतिशत पर अनुरक्षित किया जाता है।

(ii) अन्य सभी संविदाओं के लिए: वर्ष के अंत में वारंटी

के अंतर्गत संविदाओं के लिए संविदात्मक दायित्वों का प्रावधान संविदा मूल्य के 2.5 प्रतिशत पर अनुरक्षित किया जाता है। एक उत्पाद से अधिक की आपूर्ति वाली संविदाओं के मामले में पूरे किए गए प्रत्येक उत्पाद के मूल्य के 2.5 प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है।

(iii) सुधार कार्य पर वारंटी के दावे/व्यय को जब भी व्यय किया जाता है, प्राथमिक शीर्ष के अधीन लेखांकन किया जाता है और वर्ष के अंत में प्रावधानों पर प्रभारित किया जाता है।

16. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब लेखाबद्ध किया जाता है जब उनकी वसूली की उचित निश्चितता हो। अचल मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों से संबद्ध अनुदानों को संगत परिसंपत्तियों की सकल लागत के अधीन समायोजित किया जाता है, जबकि गैर–मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों से संबद्ध को पूंजी प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है। राजस्व सबद्ध अनुदान जब तक व्यय/हानियों के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त नहीं किए जाते, तब तक उन्हें उस अवधि, जिससे वे राजस्व की समतुल्य लागत के सिद्धांत पर संबद्ध हैं, राजस्व के रूप में माना जाता है।

गैर–मौद्रिक परिसंपत्तियों के रूप में अनुदानों को अधिग्रहण की लागत पर अथवा नॉमिनल मूल्य पर लेखाबद्ध किया जाता है, अगर वे निःशुल्क प्राप्त होते हैं।

17. आय पर कर

चालू कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप कर योग्य आय पर किया जाता है। आस्थगित कर देया/परिसंपत्ति लेखाकरण आय और कर योग्य आय के बीच समयांतर के परिणामस्वरूप कर का निर्धारण लागू दर पर और बाद में कार्यान्वित कानून को ध्यान में रखते हुए विचारित किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति की गणना केवल तभी आगे उस स्थिति में की जाती है कि इस बात की न्यायोचित निश्चितता है कि पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय ऐसे आस्थगित कर परिसंपत्तियों के तहत उपलब्ध होगी। गैर विलयकृत अवमूल्यन के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्यिां और आगे अग्रेषित हानियां को केवल तभी मान्यता दी जाती है यदि ऐसी वास्तविक स्थिति हो कि ऐसी परिसंपत्तियों के वास्तविकीकरण के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी।

18. हानि

जब कभी हानि के संकेत होते हैं प्रत्येक तुलन पत्र पर नकदी सृजन इकाइयों की राशि की समीक्षा की जाती है। क्षति धारा को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब अग्रेषित राशि नकदी सृजन इकाइयों की वसूली योग्य राशि से अधिक होती है। यदि वसूली योग्य राशि में परिवर्तन होता है तो इम्पेअरमेंट हानि को रिवर्स कर दिया जाता है और ऐसी हानि अधिक समय नहीं रहती अथवा घट जाती है।

19. खंड रिपोर्टिंग

खण्ड रिपोर्टिंग कंपनी की लेखाकरण नीतियों के अनुरूप होती है। खण्डों में राजस्व और व्यय की पहचान खण्ड की प्रचालन गतिविधियों से उनके संबंध के आधार पर की जाती है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियां और देयताएं, जो कि एक औचित्यपूर्ण तौर पर खण्ड के लिए बांटने लायक नहीं है, उन्हें ''गैर आबंटित राजस्व/व्यय/परिसंपत्तियां/देनदारियां के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

31 – लेखा विवरणों पर अन्य टिप्पणियां

क्र. सं.	विवरण		2012-2013	2011-2012
1	अग्रिम को छोड़कर संविदाओं की अनुमानित राशि, जिन्हें पूंजीगत खाते में निष्पादित किया जाता है और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया जा सकता	₹ करोड़ में	**323.89**	625.12
	उपर्युक्त में अमूर्त संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए राशि सम्मिलित	₹ करोड़ में	**1.65**	13.84
	व्यवसाय की प्रकृति के मद्देनज़र, दीर्घावधि निर्माण अनुबंध होने के कारण वस्तुओं आदि की खरीद हेतु अन्य वायदे हो सकते हैं, जिन्हें सामान्य व्यवसाय के रूप में विचारित किया गया है, अतः इन्हें प्रकट नहीं किया गया।			
2	भूमि तथा भवन में शामिल हैं			
	क) (i) एकड़ भूमि जिसके लिये औपचारिक हस्तान्तरण/लीज़ डीड निष्पादित नहीं की गई है	एकड़	**8662.27**	8662.27
	(ii) फ़्लैटों की संख्या, जिनके लिये औपचारिक हस्तान्तरण/लीज़ डीड निष्पादित नहीं की गई है (निवल ब्लॉक ₹ 0.12 करोड (पूर्व वर्ष ₹ 0.13 करोड़)	संख्या	**12**	12
	(iii) भवनों की संख्या, जिनके लिये औपचारिक हस्तान्तरण/लीज़ डीड निष्पादित नहीं की गई है (निवल ब्लॉक ₹ 5.21 करोड (पूर्व वर्ष ₹ 5.35 करोड़)	संख्या	**1**	1
	(iv) एकड़ भूमि जिसके लिए भुगतान किया गया है, वह अनंतिम है पंजीकरण प्रभार तथा स्टाम्प शुल्क (पहले से ही किए गए प्रावधान को घटाकर) यदि कोई है तो उसे भुगतान के समय हिसाब में लिया जाएगा	एकड़	**51.52**	91.52
	ख) एकड़ भूमि रक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के विभागों तथा अन्य को छोड़कर लीज़ पर दी गई है	एकड़	**31.27**	31.27
	ग) एकड़ भूमि रक्षा मन्त्रालय को उपर्युक्त के लिये दी गई है जिसके लिये लाइसेन्स रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतीक्षा है	एकड़	**180.00**	180.00
	घ) एकड़ भूमि प्रतिफल कब्ज़े में है– (उपरोक्त (क)(i), (क)(iv), (ख), (ग) और (घ) में वर्णित भूमि की कीमत मैटीरियल नहीं है)	एकड़	**377.93**	122.94
3	प्रत्येक ₹ 10,000 तक की अचल संपत्ति पर 100 प्रतिशत मूल्यह्रास देने पर लाभ में प्रमाण इस प्रकार है जहाँ पर पूर्व पूर्व वर्षों में ऐसे ब्याज को विचार में नहीं लिया जाएगाः			
	लेखा वर्ष में ₹ 10,000 की परिसंपत्ति पर 100 प्रतिशत मूल्यह्रास को छोड़ दिया	₹ करोड़ में	**11.40**	22.98
	उपर्युक्त पर सामान्य मूल्यह्लास	₹ करोड़ में	**3.33**	5.79
	अधिक राशि प्रभारित की गई	₹ करोड़ में	**8.07**	17.19
4	प्रतिफल को घटाकर बिक्री			
	क) इसमें अंतरिम मूल्य पर आधारित शामिल है;	₹ करोड़ में	**261.87**	242.89
	ख) इसमें विक्रय संविदा के अनुसार किए गए दावे में वृद्धि प्रोद्भूत आधार पर, जहाँ तक नवीनतम सूचियाँ उपलब्ध हैं;	₹ करोड़ में	**2136.62**	2156.26
	ग) इसमें ग्राहक के अनुरोध पर उनकी ओर से रोके गए उन उपकरणों की डिस्पैच शामिल है, जिसके लिए कंपनी को भुगतान प्राप्त हो चुका है; और	₹ करोड़ में	**151.55**	30.88
	घ) इसमें संविदा की शर्त के अनुसार डिलीवरी में देरी के लिए मूल्य में कमी शामिल नहीं है (रिफ़ंड को छोड़कर) शामिल नहीं हैं	₹ करोड़ में	**201.19**	263.79

5 आकस्मिक देयताएं:

कंपनी के विरूद्ध दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है:

i)	क)	आयकर लम्बित अपीलें	₹ करोड़ में	**34.05**	45.20
	ख)	विरोध स्वरूप किया गया भुगतान, जिन्हें ''जमा अन्य'' शीर्ष में शामिल किया गया है।	₹ करोड़ में	**0.00**	0.00
ii)	क)	बिक्री कर मांग	₹ करोड़ में	**876.47**	732.70
	ख)	विरोध स्वरूप किया गया भुगतान जिसे ''वसूली योग्य अग्रिम'' शीर्ष में शामिल किया गया है।	₹ करोड़ में	**121.85**	98.39
iii)	क)	उत्पाद शुल्क मांगें	₹ करोड़ में	**333.56**	320.08
	ख)	विरोध स्वरूप किया गया भुगतान जिसे ''वसूली योग्य अग्रिम'' शीर्ष में शामिल किया गया है।	₹ करोड़ में	**8.52**	7.84
iv)	क)	सीमा शुल्क मांगें	₹ करोड़ में	**0.21**	0.21
	ख)	विरोध स्वरूप किया गया भुगतान जिसे ''वसूली योग्य अग्रिम'' शीर्ष में शामिल किया गया है।	₹ करोड़ में	**0.06**	0.06
v)		न्यायालय एवं मध्यस्थ मामले	₹ करोड़ में	**726.38**	559.23
vi)	क)	निर्णीत हर्जाने	₹ करोड़ में	**3376.67**	2283.63
	ख)	vi (क) में शामिल एल डी हेतु ग्राहक द्वारा काटी गई राशि	₹ करोड़ में	**2004.98**	1579.19
vii)		ठेकेदारों द्वारा प्रति दावे	₹ करोड़ में	**0.61**	0.61
viii)	क)	सेवा कर मांग	₹ करोड़ में	**165.41**	131.75
	ख)	जिनका भुगतान विरोधस्वरूप किया गया।	₹ करोड़ में	**0.01**	0.00
ix)		अन्य	₹ करोड़ में	**56.54**	106.34
x)		सहायक कंपनी (बीएचपीवी) की ओर से दी गई कारपोरेट गारंटी	₹ करोड़ में	**6.56**	9.57

(विभिन्न न्यायालय मामले और मुकदमों तथा कंपनी द्वारा विवादित दावों को ध्यान में रखते हुए इस चरण पर संसाधनों के आउटफ्लो पर वित्तीय प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।)

6 बैंकों से ₹ 5000 करोड़ (गत वर्ष ₹ 5000 करोड़) की नकद ऋण सीमा तथा कच्चे माल, उपकरण, चालू कार्य, तैयार माल, स्टोर्स, बही ऋण तथा वर्तमान तथा वर्तमान एवं माली व चालू परिसंपत्तियों को गिरवी के माध्यम से प्रथम प्रभार द्वारा बैंकों के संघ द्व ारा स्वीकृत ₹ 50000 करोड़ (गत वर्ष ₹ 52,000 करोड़) की बैंक गारंटी/ऋण सीमा पत्र के संबंध में कंपनी की प्रति गारंटी/ क्षतिपूर्ति देयताएं रक्षित हैं। 31.03.2013 को बकाया बैंक गारंटियां ₹ 41786 (गत वर्ष ₹ 38200 करोड़) तथा 31.03.2013 को कॉर्पोरेट बैंक गारंटी ₹ 4717.71 करोड़ (गत वर्ष ₹ 4448.14 करोड़) है।

7 अन्य देयताओं में 1990–91 तक सरकार के निर्देश पर कंपनी द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में सरकार द्वारा मांगी गई गारंटी फीस के लिए ₹ 100.51 (गत वर्ष ₹ 100.51 करोड़) की राशि शामिल है। इससे छूट लेने के लिए सरकार के साथ इस मामले को उठाया गया है क्योंकि जिस समय ऋण लिया गया था (सरकार द्वारा गारंटीड) उस समय ऐसी गारंटी फीस के लिए कोई शर्त नहीं थी। बीएचईएल के 19.09.2012 के पत्र द्वारा गारंटी फीस से छूट के लिए भारी उद्योग विभाग से फिर अनुरोध किया गया है। मामला भारी उद्योग विभाग के विचाराधीन है।

8 एमोरफॉस सिलिकॉन सोलर सैल प्लांट (एएसएससीपी) गुड़गांव को 1 अप्रैल, 1999 को अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय से 30 वर्षों के लिए लीज पर लिया गया है। अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय से ऑपचारिक लीज करार अभी निश्चित किया जाना है।

9 देनदार, लेनदार, ठेकेदार के अग्रिम जमा तथा उप ठेकेदार/फेब्रिकेटर के पास पड़े स्टॉक/सामग्री पुष्टि, समाधान एवं परिणामी समायोजन यदि है तो, उसके अधीन है। समाधान सतत् आधार पर किये जाते हैं और जहां भी आवश्यक समझे गए हैं प्रावधान दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं।

10	सूक्ष्म तथा लघु उद्यम से संबंधित प्रकटन		2012-13	2011-12
	लेखा वर्ष के अंत में कुल बकाया	₹ करोड़ में	**503.30**	554.33
i)	लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को शेष अप्रदत्त मूल धनराशि	₹ करोड़ में	**492.83**	542.82
ii)	लेखावर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को शेष अप्रदत्त मूल धन पर ब्याज	₹ करोड़ में	**10.47**	11.51
iii)	वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ प्रदत्त ब्याज की राशि	₹ करोड़ में	**0.00**	0.00
iv)	वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि सहित धारा 18 के संदर्भ में प्रदत्त ब्याज की राशि	₹ करोड़ में	**0.00**	0.00
v)	भुगतान में विलम्ब की अवधि के लिए देयताएं भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया है) लेकिन इसमें इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज की राशि बिना जोड़े	₹ करोड़ में	**5.67**	1.76
vi)	वर्ष के दौरान उद्भूत ब्याज की राशि जो वर्ष के अंत में अप्रदत्त रही।	₹ करोड़ में	**8.07**	4.05
vii)	आगामी वर्ष में बकाया एवं अतिरिक्त ब्याज उस तारीख तक जब ब्याज की उपर्युक्त बकाया राशि लघु उद्योग को वास्तव में कटौती योग्य खर्च के रूप में डिसअलाउंस के उद्देश्य के लिए अदा की गई।	₹ करोड़ में	**10.14**	5.22

11 क) लेखांकन मानक–7 (संशोधित) की अपेक्षाओं के अनुसार 01.04.2003 को या उसके बाद की गई निर्माण संविदाओ के संबंध में प्रकटन इस प्रकार हैः–

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2011-12
संविदा वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त संविदा राजस्व	**41925.55**	41996.73
वर्ष के अंत में चल रही संविदा के संबंध मेंः		
खर्च की लागत एवं मान्यता प्राप्त लाभ (मान्यता प्राप्त हानि को घटाकर)	**206956.54**	166413.56
प्राप्त अग्रिम की राशि	**7899.17**	10232.27
प्रतिधारण की राशि (आस्थागित ऋण)	**16845.57**	13466.79
ग्राहकों से बकाया राशि के संबंध में		
परिसंपत्ति के रूप में संविदा कार्य के लिए ग्राहकों द्वारा देय सकल राशि	**2678.10**	2658.54
देयता के रूप में संविदा कार्य के लिए ग्राहकों को देय सकल राशि	**2648.75**	4021.75
आकस्मिक	**-**	-

ख) लेखांकन मानक (एएस)–7 (आर) निर्माण संविदाओं के अनुसार 1 अप्रैल, 2003 को या उसके बाद की गई निर्माण संविदाओं के संबंध में कुल लागतों और कुल राजस्व का परिकलन की समीक्षा की जाती है और राजस्व मान्यता के लिए पूर्ति प्रतिशत निर्धारित करने हेतु उनको आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है। लेकिन अनुमानों में परिवर्तन के प्रभाव की मात्र का पता लगाना अव्यवहारिकता है।

12 क) लीबिया में चल रही गड़बड़ी के कारण लीबियाई परियोजना को नौएडा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में रखे गए अलेखापरीक्षित लेखों के आधार पर समेकित किया गया है।

ख) लीबिया में जून, 2012 के दूसरे सप्ताह में उत्पन्न कठिन स्थितियों के कारण और ऐसी स्थिति के 31 मार्च 2013 तक बने रहने के कारण तिशरीन सीरियाई परियोजना स्थल के प्रचालनों का समेकन नोएडा में क्षेत्रीय मुख्यालय में अलेखापरीक्षित लेखाजोखे का समेकन किया गया है।

13 वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर किए गए खर्च का विवरण जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(2एबी) के अधीन कटौती योग्य है।

			2012-13	2011-12
क.	अनुसंधान एवं विकास पर पूंजीगत व्यय			
	भूमि	₹ करोड़ में	**0.00**	0.04
	भवन	₹ करोड़ में	**0.53**	5.82
	संयंत्र एवं मशीनरी तथा अन्य उपस्कर	₹ करोड़ में	**66.89**	55.51
	कुल पूंजी व्यय	₹ करोड़ में	**67.42**	61.37
ख.	अनुसंधान एवं विकास पर राजस्व खर्च			
	वेतन एवं मजदूरी	₹ करोड़ में	**187.56**	158.86
	उपभोग्य सामग्री/स्पेयर्स	₹ करोड़ में	**24.74**	27.13
	निर्माण एवं अन्य खर्चे (आय को छोड़कर)	₹ करोड़ में	**65.64**	63.97
	कुल राजस्व व्यय (शुद्ध आय का)	₹ करोड़ में	**277.94**	249.96

टिप्पणीः भूमि तथा भवन पर व्यय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(2एबी) के अधीन कटौती योग्य नहीं माना गया है।

14 व्युत्पन्न लिखतों से संबंधित प्रकटनः

क) व्युत्पन्न लिखित जो 31.03.2013 को रक्षित और बकाया है वह शून्य (गत वर्ष शून्य) है।

ख) विदेशी मुद्रा जिन्हें व्युत्पन्न लिखतों या अन्यथा रक्षित नहीं किया जाता है, वे इस प्रकार हैंः

क) परिसंपत्तियाँ/प्राप्तव्य (अर्थात् देनदार)

विदेशी मुद्रा में		2012-13	2011-12
अमरीकी डॉलर में	करोड़ में	**62.53**	55.61
यूरो में	करोड़ में	**60.61**	46.69
एलवाईडी में	करोड़ में	**0.88**	0.87
आरओ में	करोड़ में	**0.03**	0.03
भारतीय मुद्रा में			
अमरीकी डॉलर में	₹ करोड़ में	**3372.99**	2774.30
यूरो में	₹ करोड़ में	**4160.17**	3123.98
एलवाईडी में	₹ करोड़ में	**37.17**	35.60
आरओ में	₹ करोड़ में	**4.78**	4.48
अन्य में	₹ करोड़ में	**35.19**	43.59

ख) देयताएं (अर्थात ग्राहकों/लेनदारों में अग्रिम) विदेशी मुद्रा में

विदेशी मुद्रा में			
अमरीकी डॉलर में	करोड़ में	**36.21**	35.37
यूरो में	करोड़ में	**32.62**	34.17
एलवाईडी में	करोड़ में	**1.42**	1.49
भारतीय मुद्रा में			
अमरीकी डॉलर में	₹ करोड़ में	**1987.81**	1777.45
यूरो में	₹ करोड़ में	**2297.00**	2347.33
एलवाईडी में	₹ करोड़ में	**61.00**	62.18
अन्य में	₹ करोड़ में	**151.22**	230.31

(₹ करोड़ में)

15 निदेशकों को प्रदत्त/देय पारिश्रमिक (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को मिलाकर)*	2012-13	2011-12
वेतन एवं भत्ते	**2.12**	2.15
भविष्य निधि में अंशदान	**0.12**	0.10
ग्रेच्यूटी में अंशदान	**0.09**	0.08
अन्य	**0.23**	0.21

*उपर्युक्त राशि में भुगतान के आधार पर छुट्टी नकदीगरण शामिल हैं, लेकिन समूह बीमा प्रीमियम शामिल नहीं है:

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यात्मक निदेशकों को ड्यूटी एवं गैर–ड्यूटी यात्राओं के लिये स्टाफ़ कार का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। नियुक्ति की निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार निर्धारित राशि की वसूली के आधार पर गैर–ड्यूटी यात्रा की सीमा 1000 कि. मी. प्रति माह हैड आय कर नियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार कार के उपयोग हेतु, अनुलब्धियों मौद्रिक परिकालित किया जाये तो उसकी राशि ₹ 0.02 करोड़ (पूर्व वर्ष में ₹ 0.02 करोड़) होगी।

(₹ करोड़ में)

16			2012-13	2011-12
क)	विभागीय मरम्मत एवं रखरखाव पर खर्च का विवरण इस प्रकार हैं:			
		प्लान्ट एवं मशीनरी	**192.06**	178.30
		भवन	**58.97**	54.93
		अन्य	**31.30**	36.75
ख)	निर्यात के सम्बन्ध में खर्चों में शामिल निर्यात पर एजेन्सी कमीशन		**18.55**	17.48
ग)	अनुसन्धान एवं विकास पर खर्च		**337.18**	320.26
घ)	किराया आवासीय		**59.12**	73.55
ड)	लेखापरीक्षकों को भुगतान			
		लेखापरीक्षा फ़ीस	**0.55**	0.50
		इसमें विदेश में किया गया भुगतान शामिल है	**0.01**	0.04
		व्यय की प्रतिपूर्ति	**0.16**	0.16
		आयकर मामलें (प्रमाणन सहित)	**0.12**	0.14
		इसमें विदेश में किया गया भुगतान भी शामिल	**0.00**	0.02
		अन्य सेवाएं	**0.34**	0.33
च)	लागत लेखापरीक्षकों को भुगतान		**0.13**	0.01
छ)	आवगमन पर व्यय		**8.27**	8.00
ज)	विदेशी यात्रा पर व्यय			
		दौरों की संख्या	**891**	921
		रुपये में व्यय	**19.46**	16.76
झ)	प्रचार एवं जनसम्पर्क			
		वेतन भत्तें एवं अन्य लाभों पर व्यय	**11.47**	10.40
		अन्य व्यय	**15.00**	15.11
ञ)	निदेशकों की फीस		**0.12**	0.23

17 ए एस–15 (आर) से संबधित प्रकटन–कर्मचारी लाभ

क) उपदान योजना

भावी भुगतानों के कारण उपदान देयता पैदा हुई है, जिसका भुगतान सेवानिवृत्ति, सेवा के दौरान मृत्यु या आहरण की दशा में करना अपेक्षित होता है। देयता का अनुमान प्रदर्शित इकाई क्रेडिट बीमांकक पद्धति के आधार पर किया गया है। वर्ष की समाप्ति पर परिभाषित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य के प्रारम्भिक एवं अंत शेषों का समाधान इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

		2012-13	2011-12
1	दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
	क) प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1828.21**	1770.22
	ख) अधिग्रहण समायोजन	**-**	-
	ग) ब्याज लागत	**146.26**	150.47
	घ) पूर्व सेवा लागत	**-**	-
	ङ) वर्तमान सेवा लागत	**86.86**	78.85
	च) कटौती लागत/(जमा)	**-**	-
	छ) निपटान लागत/(जमा)	**-**	-
	ज) अदा किया गया लाभ	**-246.85**	-239.80
	झ) बीमांकिक (लाभ)/हानि	**58.45**	68.47
	ञ) वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1872.92**	1828.21
2	योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
	क) प्रारंभ में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	**1828.21**	1770.26
	ख) अधिग्रहण समायोजना	**-**	-
	ग) योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	**155.40**	150.47
	घ) अंशदान	**-**	-
	ङ) अदा किए गए लाभ	**-246.85**	-239.80
	च) योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	**-5.92**	-3.53
	छ) वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**1730.83**	1677.40
3	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		
	क) प्रारंभ में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	**1828.21**	1770.26
	ख) अधिग्रहण समायोजना	**-**	-
	ग) योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	**149.48**	146.94
	घ) अंशदान	**-**	-
	ङ) अदा किए गए लाभ	**-246.85**	-239.80
	च) योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	**1730.83**	1677.40
	छ) वित्तपोषित स्थिति	**-142.09**	-150.81
	ज) वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-5.92**	-3.53
4	माना गया बीमांकिक लाभ/हानि		
	क) अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) दायित्व	**-58.45**	-68.47
	ख) अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ/(हानि) – योजना परिसंपत्तियां	**5.92**	3.53
	ग) वर्ष के लिए (लाभ)/हानि	**64.37**	72.00
	घ) अवधि के लिए माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि	**64.37**	72.00
	ङ) अवधि के अंत में नहीं माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**	-
5	तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरण में मानी गई राशि		
	क) वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1872.92**	1828.21
	ख) वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**1730.83**	1677.40
	ग) वित्तपोषण की स्थिति	**-142.08**	-150.81

	घ) अनुमानित के स्थान पर वास्तविक से अधिक	**-5.92**	-3.53
	ङ) न माना गया निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**	-
	च) तुलन पत्र में मानी गई निवल परिसंपत्तियां/(देयता)	**-142.09**	-150.81
6	लाभ और हानि विवरण में माना गया व्यय		
	क) वर्तमान सेवा लागत	**86.86**	78.85
	ख) सेवा उपरांत लागत	**-**	-
	ग) ब्याज लागत	**146.26**	150.47
	घ) योजना परिसंपत्तियों से अपेक्षित रिटर्न	**-155.40**	-150.47
	ङ) कटौती लागत/(जमा)	**-**	-
	च) निपटान लागत/(जमा)	**-**	-
	छ) अवधि में माना गया निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**64.37**	72.00
	ज) लाभ और हानि से विवरण में माना गया व्यय	**142.09**	150.85

पूर्वानुमान–बट्टा दर – 8.00 प्रतिशत (पिछले वर्ष 8.50 प्रतिशत), भावी वेतन वृद्धि 6.00 प्रतिशत (पिछले वर्ष 6.00 प्रतिशत), योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर – 8.50 प्रतिशत (पिछले वर्ष 8.50 प्रतिशत)

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना (₹ करोड़ में)

		2012-13	**2011-12**
1	दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
	क) प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1069.10**	951.35
	ख) अधिग्रहण समायोजन	**0.00**	0.00
	ग) ब्याज लागत	**85.53**	80.86
	घ) पूर्व सेवा लागत	**0.00**	0.00
	ङ) वर्तमान सेवा लागत	**21.32**	18.54
	च) कटौती लागत/(जमा)	**0.00**	0.00
	छ) निपटान लागत/(जमा)	**0.00**	0.00
	ज) अदा किया गया लाभ	**-63.66**	-56.54
	झ) बीमांकिक (लाभ)/हानि	**109.91**	74.90
	ञ) वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1222.20**	1069.10
2	योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	**-**	-
3	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	-
	वित्तपोषित स्थिति	**-1222.20**	-1069.10
4	माना गया बीमांकिक लाभ/हानि		
	क) अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) दायित्व	**109.91**	74.90
	ख) अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ/हानि) – योजना परिसंपत्तियां	**-**	-
	ग) वित्तपोषण की स्थिति	**109.91**	74.90
	घ) तुलना पत्र में मानी गई निवल परिसंपत्तियां/(देयता)	**109.91**	74.90
	ङ) अवधि के अंत में नहीं माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**	-
5	तुलन पत्र और लाभ एवं हानि वितरण में मानी गई राशि		
	क) वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1222.20**	1069.10
	ख) वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों/(दायित्व)	**-**	-
	ग) वित्तपोषण की स्थिति	**-1222.20**	-1069.10

	च) तुलन पत्र में मानी गई निवल परिसंपत्तियां/(देयता)	**-1222.20**	-1069.10
6	लाभ और हानि विवरण में माना गया व्यय		
	क) वर्तमान सेवा लागत	**21.32**	18.54
	ख) ब्याज लागत	**85.53**	80.86
	ग) अवधि में माना गया निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**109.91**	74.90
	घ) लाभ और हानि से विवरण में माना गया व्यय	**216.75**	174.30

ग) दीर्घावधि छुट्टी देयता (नकदीकरण योग्य छुट्टी/गैर–नकदीकरण योग्य छुट्टी /अर्धवेतन छुट्टी)

कंपनी कंपनी के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्द्ध वेतन छुट्टी का लाभ उपलब्ध कराती है जो कि अर्द्धवार्षिक रूप से क्रमशः 15 दिन (अधिकतम) और 10 दिन जमा होती हैं। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश का 73.33 प्रतिशत नकदीकरण योग्य है और सेवानिवृत्ति के समय यह 300 दिन है। अर्द्ध वेतन छुट्टी 50 वर्ष की आयु के ऊपर विमुक्त होने पर अधिकतम 480 दिनों की कुल सीमा के अधीन नकदीकरण योग्य होती है। अवकाश देयता को दीर्घ अवधि लाभ माना गया है और प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट बीमांकिक पद्धति का उपयोग करते हुए उसका निर्धारण किया गया है।

(₹ करोड़ में)

1	दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	**2012-13**	**2011-12**
	क) प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1199.22**	1192.95
	ख) अधिग्रहण समायोजन	**-**	-
	ग) ब्याज लागत	**95.94**	101.40
	घ) पूर्व सेवा लागत	**-**	-
	ङ) वर्तमान सेवा लागत	**40.58**	42.84
	च) कटौती लागत/(जमा)	**-**	-
	छ) निपटान लागत/(जमा)	**-**	-
	ज) अदा किया गया लाभ	**-335.00**	-259.62
	झ) बीमांकिक (लाभ)/हानि	**173.57**	121.65
	ट) वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1174.31**	1199.22
2	योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
	क) योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	-
	ख) अधिग्रहण समायोजन	**-**	-
	ग) योजना परिसंपत्तियों से अपेक्षित रिटर्न	**-**	-
	घ) अंशदान	**-**	-
	ङ) भुगतान किया गया लाभ	**-**	-
	च) योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**	-
	छ) वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**-**	-
3	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		
	क) प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	-
	ख) अधिग्रहण समायोजना	**-**	-
	ग) योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	**-**	-
	घ) अंशदान	**-**	-
	ङ) अदा किए गए लाभ	**-**	-
	च) वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	-

	छ) वित्तपोषित स्थिति	**-1174.31**	-1199.22
	ज) योजना परिसंपत्तियों की अनुमानित वापसी से ऊपर वास्तविक अधिकता	-	-
4	माना गया बीमांकिक लाभ/हानि		
	क) अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	**-173.57**	-121.65
	ख) अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – योजना परिसंपत्तियां	**-**	-
	ग) वर्ष के लिए (लाभ)/हानि	**173.57**	121.65
	घ) अवधि के लिए माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि	**173.57**	121.65
	ङ) अवधि के अंत में नहीं माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**	-
5	तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरण में मानी गई राशि		
	क) वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1174.31**	1199.22
	ख) वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	-
	ग) वित्तपोषण की स्थिति	**-1174.31**	-1199.22
	घ) अनुमानित के स्थान पर वास्तविक से अधिक	**-**	-
	ङ) माना नहीं गया निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**	-
	च) तुलन पत्र में मानी गई निवल परिसंपत्तियां/(देयता)	**-1174.31**	-1199.22
6	लाभ और हानि विवरण में माना गया व्यय		
	क) वर्तमान सेवा लागत	**40.58**	42.84
	ख) पूर्व सेवा लागत	**-**	-
	ग) ब्याज लागत	**95.94**	101.40
	घ) योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वापसी	**-**	-
	ङ) कटौती लागत/(जमा)	**-**	-
	च) निपटान लागत/(जमा)	**-**	-
	छ) अवधि में माना गया निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**173.57**	121.65
	ज) लाभ और हानि से विवरण में माना गया व्यय	**310.09**	265.89

घ) एएस–15(आर) पर दिशानिर्देश टिप्पणी के अनुरूप, कंपनी ने यूनिटों/क्षेत्रों के पीएफ ट्रस्टों के संबंध में भविष्य निधि का बीमांकिक मूल्यांकन कराया है। बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाण–पत्र के अनुसार संभावित ब्याज में कमी की प्रतिपूर्ति कंपनी द्वारा पीएफ ट्रस्ट को करनी है, जिसका लेखाओं में प्रावधान किया गया है।

वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित पीएफ ब्याज देनदारी में कमी हेतु प्रावधान (निकासी) किया गया	₹ करोड़ में	**-2.95**	4.96
बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित पीएफ ब्याज देयता में कमी हेतु संचयी प्रावधान	₹ करोड़ में	**29.19**	32.14

18 संबद्ध पार्टियों के साथ लेन–देनः

i) संबद्ध पार्टियां, जहाँ नियंत्रण मौजूद है (संयुक्त उद्यम):

पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड

बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड

एनटीपीसी–बीएचईएल पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

उडनगुडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (26.03.2013 तक)

रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड

लातुर पावर कंपनी लिमिटेड

ii) अन्य संबद्ध पार्टियां (मुख्य प्रबन्धन कार्मिक – कार्यात्मक निदेशक मौजूदा और सेवानिवृत्त):

सर्वश्री बी. पी. राव, अतुल सराया, ओ. पी. भुटानी, एम. के. दुबे, पी. के. बाजपेयी और आर कृष्णन (01.04.2012 से)

iii) लेन–देन का ब्यौरा

संयुक्त उद्यम		2012-13	2011-12
वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री	₹ करोड़ में	**86.70**	98.14
माल एवं सेवाओं की बिक्री	₹ करोड़ में	**2757.14**	654.23
सेवाएँ प्राप्त करना	₹ करोड़ में	**0.00**	97.52
सेवाएँ प्रदान करना	₹ करोड़ में	**303.63**	46.98
लाभांश आय	₹ करोड़ में	**16.66**	16.96
रॉयल्टी आय	₹ करोड़ में	**0.90**	0.63
शेयरों की खरीद	₹ करोड़ में	**0.00**	22.50
शेयरों की बिक्री	₹ करोड़ में	**64.00**	0.00
वर्ष के अंत में बीएचईएल को देय राशियाँ	₹ करोड़ में	**978.18**	595.06
वर्ष के अंत में बीएचईएल से देय राशि (अग्रिमों सहित)	₹ करोड़ में	**588.65**	1022.24
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	₹ करोड़ में	**4.39**	0.76
दिए गए अग्रिम	₹ करोड़ में	**2.20**	8.36
नोटः प्रमुख लेन–देन बीजीजीटीएस, एनबीपीपीएल और रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लि. के साथ है।			
प्रमुख प्रबंधन कर्मचारी (केएमपी)			
वेतन का भुगतान	₹ करोड़ में	**2.53**	2.54
केएमपी के संबंधी			
वर्ष के अंत में बीएचईएल को देय राशि	₹ करोड़ में	**0.01**	0.00
वेतन का भुगतान	₹ करोड़ में	**0.25**	0.20

19 पट्टा

1 अप्रैल, 2001 को अथवा उसके बाद वित्त पट्टा पर ली गई परिसंपत्तियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं–

i) वित्तीय पट्टाः

			2012-13	2011-12
क.	न्यूनतम पट्टा भुगतानों का बकाया शेष			
	एक वर्ष से अधिक नहीं	₹ करोड़ में	**90.12**	81.80
	एक वर्ष से अधिक किंतु पाँच वर्ष तक	₹ करोड़ में	**150.43**	143.89
	पाँच वर्ष से अधिक	₹ करोड़ में	**0.00**	0.00
	तुलन पत्र तिथि को कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान	₹ करोड़ में	**240.55**	225.69
ख.	उक्त (क) का वर्तमान मूल्य			
	एक वर्ष से अधिक नहीं	₹ करोड़ में	**75.09**	62.43
	एक वर्ष से अधिक, किंतु पाँच वर्ष तक	₹ करोड़ में	**129.20**	123.43
	पाँच वर्ष से अधिक	₹ करोड़ में	**0.00**	0.00
	तुलन पत्र की तारीख को कुल वर्तमान मूल्य	₹ करोड़ में	**204.29**	185.86
ग.1	वित्त प्रभार	₹ करोड़ में	**36.26**	39.83
ग.2	अवशिष्ट मूल्य, यदि कोई है, तो उसका वर्तमान मूल्य	₹ करोड़ में	**0.00**	0.01

ii) कंपनी में कर्मचारियों के लिए मकानों, कार्यालय भवनों और ईडीपी उपस्करों को रद्द करने योग्य तथा रद्द न करने योग्य प्रचालन पट्टे पर लेने की परंपरा है।

iii) प्रचालन पट्टा		2012-13	2011-12
रद्द न करने योग्य प्रचालन पट्टे के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार है:			
एक वर्ष तक	₹ करोड़ में	**1.94**	3.97
एक वर्ष से अधिक किंतु पाँच वर्ष तक	₹ करोड़ में	**2.43**	3.29
पांच वर्ष से अधिक	₹ करोड़ में	**4.40**	0.79

iv) 01.04.2001 से पहले पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के किराये के विवरण नीचे दिए गए हैं:			
परिसंपत्तियों की लागत			
भूमि तथा भवन	₹ करोड़ में	**0.01**	0.01
कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरण	₹ करोड़ में	**0.00**	0.00
पट्टे की असमाप्त अवधि पर देय किराया			
भूमि तथा भवन	₹ करोड़ में	**0.02**	0.02
कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरण	₹ करोड़ में	**0.00**	0.00

20 प्रति शेयर अर्जन

वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (क)	संख्या करोड़ में	**244.760**	244.760
इक्विटी शेयरों का अंकित मूल्य	(₹)	**2.00**	2.00
वर्ष के लिए वित्त लाभ (ख)	₹ करोड़ में	**6614.73**	7039.96
प्रति शेयर मूल एवं विलयित अर्जन (ख)/(क)	(₹)	**27.03**	28.76

21 संयुक्त उद्यम

भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन स्टैंडर्ड–27 के अनुपालन में संयुक्त उद्यमों के संबंध में संगत प्रकटन इस प्रकार है:

क) संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात 2012-13	2011-12
पॉवर प्लांट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट लिमि.	भारत	एक शेयर 50% से कम	एक शेयर 50% से कम
बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड	भारत		
एनटीपीसी–बीएचईएल पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50%	50%
उड़ानगुडी पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (26.03.2013 तक)	भारत	शून्य	50%
लातूर पावर कंपनी लिमिटेड	भारत	50%	50%
रायचूर पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत	43%	46%
दादा धूनीवाले खंडवा पॉवर लिमिटेड लिमिटेड	भारत	50%	50%

ख) पीपीआईएल में निवेश उद्यमों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया गया है, और इक्विटी के साथ में प्रदत्त राशि वसूली योग्य नहीं है।

ग) बीएचईएल ने उड़ानगुडी पावर कारपोरेशन लिमिटेड में अपना हिस्सा 26.03.2013 को बेच दिया है।

घ) लेखों के अनुसार संयक्त उद्यमों में कंपनी की कुल ब्याज राशि निम्नलिखित है:

बीएचईएल–जीई गैस टरबाईन सर्विसेज प्रा. लि.		(₹ करोड़ में)
	2012-13	**2011-12**
स्थायी परिसंपत्तियां	**4.47**	4.40
निवल चालू परिसंपत्तियां	**72.42**	57.00
ऋण निधियाँ	**0.26**	0.22
बट्टे खाते नहीं डाले गए विविध व्यय	**0.00**	0.00
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	**2.73**	2.11
शेयरधारकों की निधियाँ	**78.69**	57.24
आय	**413.55**	260.56
व्यय	**353.10**	215.35
आकस्मिक देयताएँ	**2.53**	2.69
पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ	**2.97**	0.18

एनटीपीसी–बीएचईएल पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.		(₹ करोड़ में)
	2012-13	**2011-12**
स्थायी परिसंपत्तियां	**24.42**	12.90
निवल चालू परिसंपत्तियां	**3.36**	21.11
ऋण निधियाँ	**0.03**	0.05
बट्टे खाते नहीं डाले गए विविध व्यय	**0.00**	0.00
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	**1.63**	1.13
शेयरधारकों की निधियाँ	**35.99**	33.15
आय	**57.33**	73.46
व्यय	**53.62**	64.74
आकस्मिक देयताएँ	**0.00**	4.81
पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ	**28.85**	15.26

उडानगुड़ी पॉवर कॉर्पोरेशन लि.		(₹ करोड़ में)
	2012-13	**2011-12**
स्थायी परिसंपत्तियां	**-**	35.42
निवल चालू परिसंपत्तियां	**-**	-2.64
ऋण निधियाँ	**-**	0.00
बट्टे खाते नहीं डाले गए विविध व्यय	**-**	0.00
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	**-**	0.00
शेयरधारकों की निधियाँ	**-**	32.78
आय	**-**	0.08
व्यय	**-**	0.00
आकस्मिक देयताएँ	**-**	0.00
पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ	**-**	0.00

बीएचईएल ने अपना संपूर्ण हिस्सा 26.3.2013 को बेच दिया।

रायचूर पॉवर कॉर्पोरेशन लि.		(₹ करोड़ में)
	2012-13	**2011-12**
स्थायी परिसंपत्तियां	**1273.94**	458.31
निवल चालू परिसंपत्तियां	**-60.18**	-167.04
ऋण निधियाँ	**1110.58**	159.52
बट्टे खाते नहीं डाले गए विविध व्यय	**0.00**	0.00
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	**0.00**	0.00
शेयरधारकों की निधियाँ	**333.64**	333.91
आय	**0.00**	0.05
व्यय	**76.63**	19.32

2012–13 के आंकड़े अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर आधारित हैं।

दादा धूनीवाले खंडवा पॉवर लिमिटेड		(₹ करोड़ में)
	2012-13	**2011-12**
स्थायी परिसंपत्तियां	**0.83**	0.39
निवल चालू परिसंपत्तियां	**3.01**	3.28
ऋण निधियाँ	**0.00**	0.00
बट्टे खाते नहीं डाले गए विविध व्यय	**0.00**	0.00
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	**0.00**	0.00
शेयरधारकों की निधियाँ	**22.89**	22.63
आय	**0.38**	0.40
व्यय	**0.00**	0.00
आकस्मिक देयताएँ	**1.93**	0.00

2012–13 के आंकड़े अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर आधारित हैं।

लातूर पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड		(₹ करोड़ में)
	2012-13	**2011-12**
स्थायी परिसंपत्तियां	**0.00**	0.00
निवल चालू परिसंपत्तियां	**2.44**	2.32
ऋण निधियाँ	**0.00**	0.00
बट्टे खाते नहीं डाले गए विविध व्यय	**0.30**	0.28
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	**0.00**	0.00
शेयरधारकों की निधियाँ	**2.74**	2.60
आय	**0.21**	0.15
व्यय	**0.01**	0.00
आकस्मिक देयताएँ	**0.00**	0.00
पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ	**0.00**	15.00

2012–13 के आंकड़े अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर आधारित हैं।

22 स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार के अनुसार कंपनी द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का उचित ब्यौरा नीचे दिया गया है:

i) सहायक कंपनी के संबंध में (₹ करोड़ में)

	2012-13	2011-12
भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड (ब्याज मुक्त)		
ऋण और अग्रिम बकाया ऋणों की प्रकृति में	**234.98**	218.87
वर्ष के दौरान ऋण के रूप में ऋण तथा अग्रिमों की अधिकतम बकाया राशि	**234.98**	218.87
बीएचईएल इलेक्ट्रिकल्स मशीन्स लिमिटेड		
ऋण के रूप में ऋण तथा अग्रिमों की बकाया राशि	**0.00**	1.70
वर्ष के दौरान ऋण के रूप में ऋण तथा अग्रिमों की अधिकतम बकाया राशि	**1.70**	1.70

ii) कोई भी ऋण (कर्मचारियों को दिए गए ऋणों को छोड़कर) नहीं दिया गया है जिनमें कोई वापसी भुगतान समय–अनुसूची अथवा सात वर्षों के बाद वापसी भुगतान नहीं हैं, और

iii) फ़र्मों/कंपनियों, जिनमें निदेशकों का हित है, को ऋणों की प्रकृति का कोई ऋण और अग्रिम नहीं है।

23 **लेखाकरण मानक–29 से संबंधित प्रकटन** (₹ करोड़ में)

	2012-13	2011-12
क) निर्णीत हर्जाना		
प्रारंभिक	**1137.44**	697.96
परिवर्धन	**649.42**	555.86
उपयोग/बट्टा खाते/भुगतान	**-433.04**	-74.56
निकासी/समायोजन	**-33.36**	-41.82
अंतिम शेष	**1320.46**	1137.44
संविदागत दायित्व		
प्रारंभिक	**3850.91**	2982.16
परिवर्धन	**1786.05**	1193.73
उपयोग/बट्टा खाते/भुगतान	**-154.31**	-133.48
निकासी/समायोजन	**-492.68**	-191.50
अंतिम शेष	**4989.97**	3850.91

ख) निर्णीत हर्जाना कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुरूप प्रदान किया जाता है और भुगतान के समय अथवा अन्यथा उचित रूप से विचार किया जाता है। निर्णीत हर्जाने से संबंधित आकस्मिक देयता अनुसूची–31 की टिप्पणी सं. 5 में दर्शाई गई है।

ग) संविदात्मक दायित्व के लिए प्रावधान संविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार वारंटी के दायित्व की पूर्ति के लिए महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 15 के अनुरूप संविदा मूल्य के 2.5 प्रतिशत की दर पर किया जाता है। उसे संविदा के वारंटी दायित्वों के पूरा हाने तक प्रतिधारित किया जाता है। वास्तविक वारंटी दायित्व संबंधित संविदा की शर्तों पर निर्भर करते हुए संविदा दर संविदा और वर्ष दर वर्ष भिन्न हो सकता है।

24 वर्ष के दौरान कंपनी ने अनुमानों के उपयोग, आय पर कर, हानि और खण्ड रिपोर्टिंग नीतियों को शामिल किया है। इसका प्रभाव शून्य है क्योंकि ये पहले से ही व्यवहार में हैं।

25 परिसंपत्तियां और देयताएं 12 माह की अवधि का प्रचालन चक्र मानते हुए चालू और गैर चालू के बीच वर्गीकृत किया जाता है।

26 एक लाख रुपये से कम व्यय और आय की मद पर पूर्वावधि मदों को अधीन दर्जा करने के लिए विचार नहीं किया गया है।

27. खंड सूचना

(₹ करोड़ में)

		31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए			31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए		
क.	**प्राथमिक खंड – व्यावसायिक खंड**						
		पॉवर	**उद्योग**	**योग**	**पॉवर**	**उद्योग**	**योग**
I.	**खंड राजस्व**						
क.	खंड राजस्व	39576.74	10604.00	**50180.74**	37862.87	11658.86	49521.73
ख.	प्रचालन राजस्व – बाह्य	39576.74	10604.00	**50180.74**	37862.87	11658.86	49521.73
II.	**खंड परिणाम**						
क.	खंड परिणाम	8559.48	2196.57	**10756.05**	8183.81	3342.42	11526.23
ख.	अनाबंटित व्यय (आय का निवल)			**1198.34**			1172.69
ग.	वित्त लागत एवं आयकर पूर्व लाभ (क) – (ख)			**9557.71**			10353.54
घ.	वित्त लागत			**125.27**			51.28
ङ.	आय कर पूर्व निवल लाभ (ग) – (घ)			**9432.44**			10302.26
च.	आय कर			**2817.71**			3262.30
छ.	आय कर पश्चात निवल लाभ			**6614.73**			7039.96
III	**परिसंपत्तियाँ तथा देयताएँ**						
क.	खंड परिस्थितियाँ	46465.35	13038.33	**59503.68**	44134.64	13430.20	57564.84
ख.	अनाबंटित परिसंपत्तियाँ			**10624.77**			9211.18
ग.	कुल परिसंपत्तियाँ			**70128.45**			66776.02
घ.	खंड देयताएँ	29809.47	7182.77	**36992.24**	31973.02	8074.50	40047.52
ङ.	अनाबंटित देयताएँ			**2692.11**			1355.29
च.	कुल देयताएँ			**39684.35**			41402.81
IV	**अन्य सूचना**						
क.	स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की अवधि के दौरान व्यय की गई लागत (सीडब्ल्यूआईपी)	694.74	203.27		792.95	434.94	
ख.	मूल्यह्रास	709.65	191.91		598.46	150.75	
ग.	गैर नकद व्यय (मूल्यह्रास के अतिरिक्त)	1361.49	354.30		1397.25	120.37	
ख.	**अनुपूरक खंड – भौगोलिक क्षेत्र**						
		भारत में	भारत के बाहर	**कुल**	भारत में	भारत के बाहर	कुल
1	निवल बिक्री/प्रचालनों से आय	49261.01	919.73	**50180.74**	48059.05	1462.68	49521.73
2	कुल परिसंपत्तियाँ	69634.52	493.93	**70128.45**	66297.33	478.69	66776.02
3	स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की अवधि के दौरान व्यय की गई लागत	939.52	0.07	**939.59**	1263.95	0.15	1264.10

प्रारंभिक खंडों की संबंधित व्यवसाय क्षेत्रों द्वारा बुक किए गए ऑर्डरों के आधार पर 'पॉवर' और 'उद्योग' के रूप में पहचान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन समूह द्वारा बुक किए गए आदेश पॉवर या उद्योग, जो भी मामला हो, के अंतर्गत लिए जाते हैं।

28. अन्य सूचना

क. बिक्री, प्रारंभिक स्टॉक एवं अंतिम स्टॉक

(₹ करोड़ में)

उत्पाद	इकाई	वर्ष 2012–13 के दौरान बिक्री		01.04.2012 को तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक		31.03.2013 को तैयार माल का अंतिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
एचईपी, भोपाल							
स्विचगीयर, कन्ट्रोल गीयर, रेक्टिफ़ायर, कैपेसिटर्स							
स्विचगीयर – 11 के. वी. से 220 के. वी.	संख्या	4119	287.08	16	0.67	0	11.44
उच्च गति वाले एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स	संख्या	(3972)	(306.87)	(29)	(1.64)	(16)	(0.67)
कंट्रोल पैनल	संख्या	191	40.92	0	0.08	0	2.41
	संख्या	(250)	(69.79)	0	(0.02)	0	(0.08)
औद्योगिक कंट्रोल गीयर	संख्या	0	9.12	0	0.00	0	0.00
	संख्या	0	(15.13)	0	0.00	0	0.00
ए. सी., डी. सी. तथा डीज़ल प्रणाली के लिए	सेट	251	163.49	0	0.92	0	0.11
ट्रैक्शन कंट्रोल गीयर	सेट	(247)	(164.56)	(8)	(1.07)	0	(0.92)
इलेक्ट्रॉनिक्स सहित रेक्टीफ़ायर	संख्या	135	96.93	0	0.00	0	0.28
	संख्या	(357)	(107.29)	0	0.00	0	0.00
कैपेसिटर्स	एमवीएआर	1046	10.91	27	0.28	0	0
	एमवीएआर	(1590)	(12.39)	(23)	(0.45)	(27)	(0.28)
बुशिंग्स		0	19.22	0	0.20	0	0.41
		0	(20.73)	0	(0.18)	0	(0.20)
ट्रांसफ़ॉर्मर्स							
पॉवर ट्रांसफ़ॉर्मर्स (400 के. वी. तक)	एमवीए	21919	789.82	311	22.73	683	26.25
	एमवीए	(23389)	(851.44)	(540)	(13.25)	(311)	(22.73)
इंस्ट्रुमेंट, वेल्डिंग, ट्रांसफ़ॉर्मर्स	एमवीए	0	14.04	0	0.19	0	0.06
तथा रिएक्टर्स	संख्या	490		24		1	
	एमवीए	0	(16.32)	0	(0.03)	0	(0.19)
	संख्या	(354)		(25)	0.00	(24)	
औद्योगिक एवं ट्रैक्शन मशीनें							
एसी, डीसी तथा डीज़ल प्रणाली, मुख्य/	संख्या	2121	558.83	0	10.79	17	2.42
सहायक जेनरेटरों के लिए ट्रैक्शन मोटरें	संख्या	(2009)	(493.35)	(30)	(4.50)	0	(10.79)
औद्योगिक मशीनें, 1000 एच. पी. तक की एसी	संख्या	1071	259.32	108	12.18	131	14.46
मोटरें, सभी प्रकार की डीसी मोटरें तथा जेनरेटर	संख्या	(1392)	(383.25)	(37)	(5.94)	(108)	(12.18)
हेवी रोटेटिंग प्लांट तथा टर्बाइन							
1000 एचपी से अधिक बड़ी	संख्या	386	451.59	30	17.42	17	14.17
इलेक्ट्रिकल मशीनें	संख्या	(389)	(432.08)	(10)	(11.46)	(30)	(17.42)
वाटर व्हील आल्टर्नेटर्स तथा वाटर	संख्या	7	575.49	0	50.94	0	14.47
टर्बाइन और मिनी माइक्रो टर्बाइन	मेगावाट	880	0.00				
एवं जेनरेटर	संख्या	7	325.53	0	39.16	0	10.68
	मेगावाट	1310					
	संख्या	(22)	(467.82)	(12)	(52.98)	0	(50.94)
	मेगावाट	(854)	0.00				
	संख्या	(9)	(275.18)	0	(32.35)	0	(39.16)
	मेगावाट	(380)					
टर्बो आल्टर्नेटर्स तथा	सेट	2	476.24	0	4.05	0	44.04
स्टीम टर्बाइन	सेट	(2)	(465.12)	0	(1.43)	0	(4.05)
हीट एक्सचेंजर्स	संख्या	52	259.09	0	0.00	0	5.93
	संख्या	(46)	(264.24)	0	0.00	0	0.00
अन्य			164.73		0.35		0.39
			(222.27)		(0.63)		(0.35)
		कुल	**4502.35**		**159.96**		**147.52**

(₹ करोड़ में)

उत्पाद	इकाई	वर्ष 2012–13 के दौरान बिक्री		01.04.2012 को तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक		31.03.2013 को तैयार माल का अंतिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
टीपी, झांसी							
पावर ट्रांसफ़ॉर्मर्स	संख्या	131	471.07	0	0	0	0
एवं विशेष ट्रांसफ़ॉर्मर्स	संख्या	(157)	(548.18)	(4)	(14.03)	0	0
ईएसपी ट्रांसफ़ॉर्मर्स	संख्या	1705	174.06	4	0.19	0	0
	संख्या	(1280)	(142.83)	(4)	(0.15)	(4)	(0.19)
एसीईएमयू ट्रांसफ़ॉर्मर्स	संख्या	97	18.81	0	0.00	0	0.00
	संख्या	(17)	(3.12)	0	0.00	0	0.00
फ्रेट लोको ट्रांसफ़ॉर्मर्स	संख्या	90	71.71	8	6.49	3	1.60
	संख्या	(67)	(51.25)	0	0.00	(8)	(6.49)
इंस्ट्रुमेंट ट्रांसफ़ॉर्मर्स	संख्या	395	14.07	0	0.00	0	0.00
	संख्या	(335)	(7.36)	0	0.00	0	0.00
बस डक्ट	संख्या/सेट	0	0.25	0	0.00	0	0.00
	संख्या/सेट	0	(0.67)	0	0.00	0	0.00
ड्राई टाइप ट्रांसफ़ॉर्मर्स	संख्या	75	26.99	0	0.00	0	0.00
	संख्या	(88)	(38.02)	(2)	(0.07)	0	0.00
डीज़ल शंटर्स	संख्या	7	27.38	0	0.00	0	0.00
	संख्या	(10)	(32.02)	0	(0.00)	0	0.00
एसी लोको	संख्या	62	492.35	0	0.00	0	0.00
	संख्या	(53)	(367.96)	(1)	(5.62)	0	0.00
अन्य/विविध	संख्या		18.86		0.31		0.02
	संख्या	0	(22.68)	0	(1.47)	0	(0.31)
		कुल	**1315.55**		**6.99**		**1.62**
एचईईपी, हरिद्वार							
इलेक्ट्रिकल मशीनें	मेगावाट/संख्या	0	0	1/2	0.22	1/2	0.22
	मेगावाट/संख्या	0	0	(1/2)	(0.22)	(1/2)	(0.22)
औद्योगिक कंट्रोल पैनल	संख्या	0	0	3	0.19	3	0.19
	संख्या	0	0	(3)	(0.18)	(3)	(0.19)
टर्बो सेट							
टबाईन मॉड्यूल्स	मेगावाट/संख्या	8924/121		99/3		758/19	
	मेगावाट/संख्या	(8356/131)	5940.28	0	69.07	(99/3)	365.05
टर्बोजनरेटर मॉडॅयूल्स	मेगावाट/संख्या	4511/31.5	(4816.67)	0	(12.89)	446/4	(69.07)
	मेगावाट/संख्या	(3498/28)		0		0	
हाइड्रो सेट	मेगावाट/संख्या	0	0.68	0	0.00	0	0.00
	मेगावाट/संख्या	0	(4.07)	0	(0.05)	0	0.00
सुपर रेपिड गन माउंट	संख्या	2	77.50	0	0.00	0	0.00
	संख्या	(3)	(111.83)	0	0.00	0	0.00
गैस टर्बाइन	मेगावाट/संख्या	0	0.02	0	0.00	0	0.00
	मेगावाट/संख्या	0	(4.06)	0	0.00	0	0.00
अन्य		0	506.02	0	22.70	0	28.72
		0	(475.72)	0	(12.29)	0	(22.70)
		कुल	**6524.50**		**92.18**		**394.18**

(₹ करोड़ में)

उत्पाद	इकाई	वर्ष 2012–13 के दौरान बिक्री		01.04.2012 को तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक		31.03.2013 को तैयार माल का अंतिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
एचपीबीपी, तिरुचि							
बॉयलर	एमटी	515127	13851.39	16047	285.09	25498	358.83
	एमटी	(692272)	(13953.26)	(21717)	(328.53)	(16047)	(285.09)
वॉल्व	संख्या	160367	870.34	2341	45.55	18964	42.13
	संख्या	(155976)	(552.14)	(6541)	(12.07)	(2341)	(45.55)
परीक्षण तथा अन्य सेवाओं से आय		0	4.75	0	0.00	0	0.00
		0	(6.10)	0	0.00	0	0.00
सीमलेस स्टील ट्यूब	एमटी	286	4.09	0	0.00	97	1.73
	एमटी	(41)	(0.72)	0	0.00	0	0.00
		कुल	**14730.57**		**330.64**		**402.69**
बीएपी, रानीपेट							
बॉयलर ऑग्ज़िलरी	एमटी	227150	3704.91	37701	256.25	40734	296.98
	एमटी	(304303)	(4201.22)	(23279)	(173.15)	(37701)	(256.25)
परीक्षण तथा अन्य सेवाओं से आय			1.97				
		0	(5.25)	0	0.00	0	0.00
बाहरी उत्थापन निर्माण तथा अन्य सेवाओं से आय			3.67				
		0	(0.24)	0	0.00	0	0.00
		कुल	**3710.55**		**256.25**		**296.98**
एचपीईपी, हैदराबाद							
यूटिलिटी सेट	संख्या	P	818.68	1P	12.11	P	24.41
	संख्या	(P)	(1065.66)	(7P)	(8.63)	(1P)	(12.11)
लघु तथा मध्यम सेट्स	संख्या	4P	408.32	1P	11.11	2P	11.70
	संख्या	(12P)	(276.56)	(7P)	(6.47)	(1P)	(11.11)
पम्प तथा हीटर	संख्या	P	1560.63	7P	2.49	P	2.09
	संख्या	(8P)	(1138.43)	(2P)	(3.46)	(7P)	(2.49)
कम्प्रेसर	संख्या	P	642.46	P	17.78	1P	3.45
	संख्या	(7P)	(655.20)	(3P)	(4.61)	(P)	(17.78)
गैस टर्बाइन	संख्या	27P	1448.13	P	6.97	0	0.00
	संख्या	(10P)	(2475.10)	(3P)	(102.30)	(P)	(6.97)
बॉउल मिल्स	संख्या	1P	1374.67	0	0.00	0	0.00
	संख्या	(19P)	(1260.15)	0	0.00	0	0.00
हीट एक्सचेंजर्स	संख्या	P	21.13	0	0.00	0	0.00
	संख्या	(P)	(1.65)	0	0.00	0	0.00
इरेक्शन आय			18.34	0	0.00	0	0.00
			(40.90)	0	0.00	0	0.00
कास्टिंग			0.48		0.00	0	0.00
			(3.29)	0	0.00	0	0.00
ब्रेकर	संख्या	6	16.27				
	संख्या	(16)	(9.09)	0	0.00	0	0.00
ऑयल रिग्स	संख्या	P	167.31				
	संख्या	(P)	(74.56)	0	0.00	0	0.00
		कुल	**6476.42**		**50.46**		**41.65**

(₹ करोड़ में)

उत्पाद	इकाई	वर्ष 2012–13 के दौरान बिक्री		01.04.2012 को तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक		31.03.2013 को तैयार माल का अंतिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
आईएसजी, बैंगलूर							
अन्य सेवाएँ			1164.11	0	0.00	0	0.00
			(999.29)	0	0.00	0	0.00
		कुल	**1164.11**		**0.00**		**0.00**
ईडीएन, बैंगलूर							
पावर डिवाइसिस	संख्या	6968	1.93	129	0.06	82	0.08
	संख्या	(7461)	(1.89)	(72)	(0.29)	(129)	(0.06)
फ़ोटोवोल्टैक्स	कि.वा.	2348	21.18	1	0.01	48	0.21
	कि.वा.	(17521)	(267.55)	(1)	(0.01)	(1)	(0.01)
कंट्रोल उपकरण	क्यूबीकल्स	4605	1610.09	176	26.49	266	17.45
	क्यूबीकल्स	(5650)	(1950.59)	(19)	(11.79)	(176)	(26.49)
		कुल	**1633.20**		**26.56**		**17.74**
ईपीडी, बैंगलूर							
इंसुलेटर्स तथा बुशिंग	एमटी	5678	91.13	513	5.25	888	10.02
	एमटी	(7970)	(123.22)	(595)	(9.13)	(513)	(5.25)
सेरालिन	एमटी	4190	101.26	28	0.35	188	2.35
	एमटी	(4020)	(97.25)	(388)	(3.55)	(28)	(0.35)
कंट्रोल पैनल	संख्या	76	4.11				
परीक्षण तथा सेवाओं से आय		0	4.31	0	0.00		
		0	(0.03)	0	0.00	0	0.00
		कुल	**200.81**		**5.60**		**12.37**
पॉवर ग्रुप							
इरेक्शन तथा अन्य सेवाओं एवं अतिरिक्त पुर्जों से आय			8392.84		1.55		0.19
			(8118.83)		(-5.79)		(1.55)
		कुल	**8392.84**		**1.55**		**0.19**
आईपी, जगदीशपुर							
इंसुलेटर्स	सीएमटी	6385	84.67	699	8.84	1048	13.27
	सीएमटी	(6967)	(74.66)	(460)	(5.46)	(699)	(8.84)
सेरालिन	एमटी	4501	77.15	36	1.11	83	1.55
	एमटी	(4391)	(71.28)	(135)	(2.66)	(36)	(1.11)
		कुल	**161.82**		**9.95**		**14.82**
आईवीपी, गोइंदवाल							
औद्योगिक वाल्व	संख्या	0	0.00	364	1.07	1050	5.38
	संख्या	0	0.00	(307)	(1.21)	(364)	(1.07)
ईंधन पाइप कपलिंग	संख्या			16	0.01	0	0
	संख्या					(16)	(0.01)
		कुल	**0.00**		**1.08**		**5.38**
सीएफ़पी, रुद्रपुर							
बस डक्ट प्रोजेक्ट	सेट	39	207.00	21	6.76	22	9.05
	सेट	(35)	(134.85)	(14)	(8.98)	(21)	(6.76)
		कुल	**207.00**		**6.76**		**9.05**

(₹ करोड़ में)

उत्पाद	इकाई	वर्ष 2012–13 के दौरान बिक्री		01.04.2012 को तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक		31.03.2013 को तैयार माल का अंतिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
एचईआरपी, वाराणसी							
बॉयलर/टर्बाइन तथा ऑग्जियलरी के लिए अतिरिक्त पुर्ज़े और मरम्मत			192.01		0.22		0.12
			(209.20)	0	(0.28)	0	(0.22)
		कुल	**192.01**		**0.22**		**0.12**
ट्रांसमिशन व्यवसाय समूह							
अतिरिक्त पुर्ज़े (सेवाओं सहित)			631.41		4.22		16.66
			(380.65)		(8.37)		(4.22)
		कुल	**631.41**		**4.22**		**16.66**
ईएमआरपी, मुम्बई							
मरम्मत तथा परियोजना कार्य			46.96		0.00		0.00
			(38.82)		0.00		0.00
		कुल	**46.96**		**0.00**		**0.00**
अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन							
बिक्री से आय (राजस्व मान्यता समायोजन)			-12.46		0.00		0.00
			(20.54)		0.00		0.00
		कुल	**-12.46**		**0.00**		**0.00**
उद्योग क्षेत्र							
बिक्री से आय (राजस्व मान्यता समायोजन)			26.58		0.00		-0.14
			(71.64)		0.00		0.00
		कुल	**26.58**		**0.00**		**-0.14**
पीईएंडएसडी							
औद्योगिक सेट			190.84				
			(42.94)				
गैस टरबाईन			81.50				
			(14.52)				
		कुल	**272.34**				
सीएफएफपी, हरिद्वार							
एनएफ कास्टिंग्स	एमटी	0	0.22				
	एमटी	0	0				
		कुल	**0.22**				
समायोजन			-20.30		0		-0.94
			(-21.79)		0		0
	कुल जोड़		**50156.48**		**952.42**		**1359.89**
			(49509.78)		**(858.65)**		**(952.42)**

(₹ करोड़ में)

		31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए
ख.	**आयात का मूल्य**		
	सीआईएफ आधार		
	कच्चा माल	**3042.51**	4884.27
	संघटक तथा अतिरिक्त कल–पुर्ज़े	**3245.41**	4049.33
	पूंजीगत माल	**319.86**	401.25
ग.	**विदेशी मुद्रा में व्यय**		
	रॉयल्टी	**112.86**	68.59
	तकनीकी ज्ञान	**12.72**	4.28
	व्यावसायिक एवं परामर्श शुल्क	**0.88**	1.93
	ब्याज तथा अन्य (विदेशी परियोजना स्थलों सहित)	**248.25**	405.16
	लाभांश : @		
	क) अप्रवासी शेयरधारकों की संख्या	**9334**	6698
	ख) धारित शेयरों की संख्या	**338319525**	63851148
	ग) लाभांश की सकल राशि	**124.50**	114.29
	घ) लाभांश का वर्ष	**2011-12**	2010-11
		(अंतिम लाभांश)	(अंतिम लाभांश)
	अंतरिम लाभांश : @		
	क) अप्रवासी शेयरधारकों की संख्या	**8908**	8292
	ख) धारित शेयरों की संख्या	**367614071**	339026338
	ग) लाभांश की सकल राशि	**77.93**	92.22
	घ) लाभांश का वर्ष	**2012-13**	2011-12
		(अंतिम लाभांश)	(अंतिम लाभांश)
	@ कंपनी ने लाभांश का भुगतान विदेशी मुद्रा में नहीं किया है। बैंकरों/अप्रवासी शेयरधारकों के पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी धारकों को भुगतान कर दिया गया है, और उनके द्वारा विदेशी मुद्रा किए गए लाभांश भुगतान की निश्चित राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकती।		
घ.	**कच्चे माल, संघटकों, भंडार और अतिरिक्त पुज़ों की खपत का मूल्य**		
	# आयातित (सीमा शुल्क सहित)	**7752.76**	8048.81
	स्वदेशी	**15874.97**	17064.31
	कुल खपत का प्रतिशत		
	आयातित	**33**	32
	स्वदेशी	**67**	68
ङ.	**विदेशी मुद्रा में आय**		
	माल का निर्यात (एफओबी आधार पर)	**438.68**	1006.53
	ब्याज	**0**	0.03
	इरेक्शन तथा अन्य सेवाएँ	**143.12**	477.01
	मानित निर्यात में विदेशी मुद्रा (घरेलू संविदाओं सहित)	**11774.79**	12935.58

सारणीबद्ध मदें, जहाँ कहीं भी अभिलिखित हैं, सम्मिलित की गई हैं।

(₹ करोड़ में)

		31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
च. कच्चे माल और संघटकों की खपत का विवरण					
सामग्री समूह	**इकाई**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
लौह सामग्री					
	एमटी	**359639**		647585	
	मीटर	**12455008**		16084481	
	संख्या	**4484045**		5839126	
	वर्ग मीटर	**16181**		50035	
	कि. ग्रा.	**65601635**		64246360	
	अन्य	**461**		143	
			4517.67		5774.15
अलौह सामग्री					
	एमटी	**10757**		6101	
	मीटर	**2628311**		3050477	
	संख्या	**338013**		211852	
	वर्ग मीटर	**4285**		96	
	कि. ग्रा.	**7896378**		6967175	
	आरएल	**23838**		26960	
	अन्य	**34565**		444	
			597.11		554.30
इंसुलेटिंग सामग्री					
	एमटी	**55491713**		79130216	
	मीटर	**23715**		33058	
	संख्या	**898553**		469400	
	वर्ग मीटर	**2749575**		2024396	
	कि. ग्रा.	**711885**		1242793	
	एलटी	**5410250**		5268930	
	आरएल	**235629**		135391	
	एम2	**190245**		171330	
	केएल	**3493**		7460	
	एसटी	**237**		509	
	अन्य	**112034**		31596	
			305.72		280.41
इंसुलेटिंग केबल तथा मैग्नेट वायर					
	मीटर	**2777834**		3762371	
	संख्या	**459681**		153753	
	कि. ग्रा.	**12504**		6149	
			45.62		60.09
संघटक			**12635.20**		10739.08
अन्य			**4942.52**		7141.32
			23043.84		24549.35

सहायक कंपनियां

भारत हेवी प्लेट एंड वेसेल्स लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

शेयरधारकगण

भारत हेवी प्लेट एंड वेसेल्स लिमिटेड

विशाखापट्टनम

निदेशकगण 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के व्यवसाय तथा प्रचालन पर 47वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

बिक्री

कंपनी ने पिछले वर्ष ₹ 155.80 करोड़ की तुलना में ₹ 240.27 करोड़ का कुल कारोबार किया है। (अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में 54 प्रतिशत की वृद्धि)

वित्तीय कार्यनिष्पादन

वर्ष के दौरान कंपनी के वित्तीय कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

		2012-13	2011-12
1.	कुल कारोबार	**240.27**	155.80
2.	सकल लाभ	**32.79**	12.71
3.	ब्याज	**0.96**	1.40
4.	मूल्यह्रास	**0.93**	1.02
5.	लाभ/हानि (असाधारण मदों से पहले)	**30.89**	10.28
6.	असाधारण आय	**4.14**	0.16
7.	कर पूर्व लाभ/हानि	**35.04**	10.44
8.	कर उपरांत लाभ/हानि	**35.04**	10.44

वर्ष 2012–13 के लिए सकल लाभ पिछले वर्ष के ₹ 12.71 करोड के मुकाबले ₹ 32.79 करोड़ है। वर्ष 2012–13 में कर पूर्व लाभ/हानि ₹ 2011–12 के दौरान ₹ 10.44 करोड़ के मुकाबले ₹ 35.04 करोड़ है। आपकी कम्पनी में उपर्युक्त निष्पादन बीएचपीवी कर्मचारियों की पूर्ण संलग्नगता और कठोर परिश्रम तथा धारक कंपनी (बीएचईएल) के समर्थन के साथ आर्डर्स प्राप्त करने, अधिकारियों की तैनाती, ब्याज मुक्त ऋण/अग्रिमों आदि के माध्यम से धारक कंपनी द्वारा दी गई सहायता से प्राप्त की है।

राजकोष में अंशदान

आपकी कंपनी ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार वर्ष 2011–12 के दौरान सार्वजनिक राजकोष में ₹ 16.16 करोड़ के राजस्व की तुलना में वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 31.46 करोड़ के राजस्व का अंशदान किया है।

(₹ करोड़ में)

		2012-13	2011-12
1.	उत्पाद शुल्क/सेवा कर	**24.33**	14.25
2.	सीमा शुल्क	**0.92**	0.05
3.	बिक्री कर	**6.21**	1.86
		31.46	16.16

आर्डर बुक

कंपनी ने मूल्य और सुपुर्दगी के रूप में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण आर्डर प्राप्त करने के संबंध में कई कठिनाइयों का सामना किया और कठोर पूर्व अर्हकता मानदंडों ने कंपनी की आर्डर बुक स्थिति को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संकटपूर्ण बना दिया। आपकी कंपनी ने मुख्यतः बीएचईएल–त्रिची सेल–भिलाई, एनआरएल–नुमालीगढ़, सेल–राउरकेला और एडीए–बंगलौर आदि से आर्डर प्राप्त किए। कम्पनी ने ₹ 432 करोड़ (एमओयू अच्छा स्तर) के लक्ष्य के स्थान पर ₹ 135.49 करोड़ के ऑर्डर बुक किए तथा कंपनी के पास उपलब्ध ऑर्डर 31.03.2012 की यथास्थिति ₹ 106.34 करोड़ के थे। आपकी कम्पनी विभिन्न परियोजनाओं के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही है और ज्यादा से ज्यादा आर्डर प्राप्त करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

प्रबंधन विचार–विमर्श तथा विश्लेषण

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट अनुबंध–1 में दी गई है।

निदेशक मंडल

नियुक्ति

- श्री पीवी श्रीधरन, निदेशक (मा.सं.), बीएचपीवी को 01.05.2012 से 3 माह के लिए अथवा अगले आदेशों तक निदेशक (प्रचालन) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
- श्री देबासीस जना, निदेशक, भारी उद्योग विभाग को 21.03.2013 से बीएचपीवी के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया।

- श्री सी पी चेंगप्पा, महाप्रबंधक, बीएचईएल (ओएसडी–ईडी, बीएचपीवी) को 12.04.2013 से बीएचपीवी के बोर्ड में प्रबंधक निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया।
- श्री जी उदय कुमार, एजीएम, बीएचईएल (ओएसडी–एचआर), बीएचपीवी को बीएचपीवी के बोर्ड में निदेशक (मा.सं.) के तौर पर 30.05.2013 को नियुक्त किया गया।
- श्री अशोकन, एजीएम, बीएचईएल (ओएसडी–प्रचालन, बीएचपीवी) को बीएचपीवी के बोर्ड में निदेशक (प्रचालन) के तौर पर 03.06.2013 (अप.) से नियुक्त किया गया।

पदत्याग

- श्री ए एस नागराजा, निदेशक (प्रचालन) ने, जिनके पास प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार था, बीएचपीवी में उनकी सेवानिवृत्ति को देखते हुए 30.04.2012 से कंपनी के निदेशक पद को त्याग दिया।
- श्री पी वी श्रीधरन, निदेशक (मा.सं.), जिनके पास निदेशक (प्रचालन) का अतिरिक्त प्रभार था, बीएचपीवी में उनकी सेवानिवृत्ति को देखते हुए 31.07.2013 से कंपनी के निदेशक पद को त्याग दिया।
- श्री आर पी गोयल, निदेशक, भारी उद्योग विभाग, 21.03.2013 से कंपनी के अंशकालिक सरकारी निदेशक नहीं हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन

सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, बीएचपीवी भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के प्रति वचनबद्ध है। वर्ष 2012–13 के दौरान कंपनी ने राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा नियम 1976 के अनुसार भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करते हुए राजभाषा कार्यान्वयन जारी रखने पर बल देना जारी रखा।

वर्ष के दौरान 45 कर्मचारियों को हिन्दी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ कक्षाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। हिन्दी प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को एक वर्ष के लिए एक वेतनवृद्धि प्रदान की गई।

माह दिसंबर, 2011 के दौरान हिंदी शिक्षण योजना के जरिए हमारे हिंदी स्टाफ को एक सप्ताह के लिए कम्प्यूटरों पर हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

14 सितंबर, 2012 को हिन्दी दिवस मनाया गया। हिंदी और हिंदी इतर भाषी कर्मचारियों के लिए अलग–अलग विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हिंदी परीक्षाएं पास करने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और मैरिट प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए और हिंदी प्रतियोगिताओं विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये। जानेमाने लेखकों द्वारा रचित विभिन्न विषयों की हिंदी पुस्तकों के साथ–साथ तीन हिंदी पत्रिकाएं खरीद कर नियमित रूप से कर्मचारियों में वितरित की जाती हैं।

बीआईएफआर स्थिति

कंपनी को वर्ष 2002–2003 और 2003–04 में महत्वपूर्ण हानियों अर्जित करने के उपरांत इसके निवल मूल्य में पूर्ण कमी आने के कारण अगस्त–2004 में बीआईएफआर को संदर्भित किया गया था और बीएफआईआर ने कंपनी को रूग्ण घोषित कर दिया। भारी उद्योग विभाग ने अपने पत्र दिनांक 07.05.2008 के तहत बीएचपीवी को बीएचईएल की सहायक कंपनी के तौर पर लिये जाने हेतु केंद्रीय मंत्रिमण्डल के अनुमोदन की सूचना दी। तदनुसार बीएचपीवी का बीएचईएल ने 10 मई 2008 को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के तौर पर अधिग्रहण कर लिया। बीआईएफआर ने कंपनी के लिए पुनर्वास योजना तैयार करने के लिए एसबीआई को प्रचालन एजेंसी नियुक्त किया जिसे बीआईएफआर ने 21 अक्तूबर, 2010 को स्वीकृत किया।

हालांकि धारक कंपनी (बीएचईएल) बीएचपीवी के पुनरूद्धार के लिए सभी संभव कदम उठा रही है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कठिनाइयों के कारण एक न्यायोचित समय के भीतर निवल मूल्य को सकारात्मक बनाने के लिए अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं किये जा सके। उपरोक्त के संबंध में हल निकालने के लिए बीएचपीवी का बीएचईएल के साथ विलय के लिए प्रस्ताव और साथ में मसौदा एकीकरण योजना को बीएचईएल और बीएचपीवी बोर्डों ने अनुमोदित कर दिया।

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 06.03.2013 के तहत सूचित किया कि बीएचपीवी का बीएचईएल (धारक कंपनी) के साथ विलय का प्रस्ताव कैबिनेट ने 21.02.2013 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया। कैबिनेट की विलय की मंजूरी के अनुरूप माननीय बीआईएफआर के पास योजना की स्वीकृति हेतु एक आवेदन दायर किया गया। 14.05.2013 को हुई सुनवाई में पीठ ने कंपनी को आम सभा बुलाने और शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने तथा इसे बोर्ड को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

सतर्कता

आपकी कंपनी सरल, आसान, पारदर्शी एवं बेहतर प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है ताकि पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार रहित वातावरण बनाया जा सके। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया गया।

कर्मचारियों में बेहतर जागरूकता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 29.10.2012 से 03.11.2012 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया। सभी कर्मचारियों को उनके विभागाध्यक्षों

ने 29.10.2012 को सतर्कता शपथ दिलाई गई। इस अवधि के दौरान फैक्टरी परिसर के अंदर और बाहर प्रमुख स्थानों पर बैनर प्रदर्शित करने के अलावा कर्मचारियों के लिए अतिथि भाषण और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए महाप्रबंधक (सर्तकता), बीएचईएल तिरुचि ने ''क्रय नीति और सीवीसी दिशानिर्देश' पर पूरे दिन का एक कार्यक्रम आयोजित किया। सतर्कता जागरूकता फैलाने और सांगठनिक संस्कृति में सुधार के लिए कार्यपालकों और पर्यवेक्षकों के लिए भी दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

सुरक्षा

कंपनी का अपना स्वयं का सुरक्षा विभाग है, जिसे कंपनी की सुरक्षा और अग्नि संरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये पुनर्वास महानिदेशालय, नई दिल्ली की प्रायोजित एजेंसी एपी आर्म्ड सिक्यूरिटी सर्विसिज, हैदराबाद से समर्थित है।

सुरक्षा कर्मी आवश्यकतानुसार संगठन को सुरक्षा और अग्नि संरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त रूप से मज़बूत हैं। कंपनी के सुरक्षा प्रबंधों का आवधिक ऑडिट आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है और समय–समय पर की गई सिफारिशें लागू की जाती हैं तथा इनकी आंतरिक समीक्षा भी की जाती है।

सुरक्षा विभाग द्वारा सर्वोच्च प्रबंधन को चोरी, उठाईगिरी और आग से जुड़ी घटनाओं की तिमाही रिपोर्ट दी जाती है। गणतंत्र दिवस/स्वतंत्रता दिवस समारोह परेडों में भाग लेने के अलावा सुरक्षा विभाग द्वारा कर्मचारियों को आंतरिक/बाहरी सुरक्षा खतरों आदि के संबंध में संवेदनशील करने के लिए सुरक्षा अभ्यास आयोजित किये जाते हैं।

गुणवत्ता

बीएचपीवी के उत्पाद अपनी उच्च और सतत गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। बीएचपीवी इस स्थिति को आईएसओ 9001:2008, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रबंधन मानदंड को लागू करते हुए बरकरार रखे हुए है। मार्च, 2012 माह के दौरान बीएचपीवी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का ब्यूरो वेरिटास सर्टिफिकेशन इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा पूर्ण ऑडिट किया गया, जिसने बीएचपीवी को पुनः आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन और तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रदान करने की अनुशंसा की है। हालांकि विनिर्दिष्ट अंतरालों पर बीच–बीच में निगरानी ऑडिट करने की भी योजना है और पहला निगरानी ऑडिट मई 2013 में संचालित किया गया।

इसी प्रकार लॉयड रजिस्टर ने ''फ़्यूशन वेल्डिड प्रेशर वेसल्स क्लास 1'' के निर्माता के रूप में बीएचपीवी की मान्यता 25 अगस्त, 2013 तक बढ़ दी गई है। कंपनी के पास यू, यु2 एवं एस के कोड स्टैम्प के लिए प्रतिष्ठित एएसएमई से वैध अधिकृति प्रमाण–पत्र और नेशनल बोर्ड एंड बायलर्स एंड प्रेशर वैसल्स इन्पेक्टर्स से आर स्टैम्प अधिकृति भी प्राप्त है।

एनसिलरीज/सब वेन्डर्स

समीक्षाधीन वर्ष के लिए एनसिलरीज/सब–वेंडर्स द्वारा कुल आउटपुट पिछले वर्ष ₹ 80 करोड़ की तुलना में ₹ 108 करोड़ रही। आउटसोर्सिंग कार्यों के लिए 2012–2013 के दौरान नए वेन्डरों को पंजीकृत किया गया। भविष्य के उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वेन्डरों की संख्या बढ़ने के प्रयास किये जा रहे हैं। कंपनी ने ढाई महीने की छोटी सी अवधि में आरपीसीएल के लिए डक्टस, येरामारस–1 परियोजना हेतु एसीएफ मार्ग को अपनाया और आउटसोर्सिंग टेंडर्स हेतु रिवर्स नीलामी को लागू और कार्यान्वित किया जिससे काफी हद तक लागत में कमी लाने में सुविधा हुई।

पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय तौर पर शॉप आउट–पुट 75 प्रतिशत अधिक थी।

विदेशी दौरे

वर्ष 2012–13 के दौरान व्यवसायिक गतिविधियों के लिए विदेश दौरों पर कोई राशि खर्च नहीं की गई।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 217 (2कक) के प्रावधानों के अनुपालनार्थ आपने निदेशक एत्दद्वारा पुष्टि करते हैं कि:

- 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार करते समय महत्वपूर्ण विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ–साथ लागू लेखांकन मानदंडों का अनुसरण किया गया।
- निदेशकों ने ऐसी नीतियों का चयन किया और उनको सतत रूप से लागू किया और ऐसे निर्णय और परिकलन किए जो वित्तीय 2012–13 के अन्त में कम्पनी की स्थिति तथा इस अवधि में कम्पनी के लाभ के बारे में एक सटीक और उचित विचार देने के लिए उचित एवं विवेकपूर्ण हैं।
- निदेशकों ने कम्पनी के अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनियों की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अनियमितताओं की रोकथाम हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के रखरखाव पर उचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया।
- 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किए गए हैं।

कॉर्पोरेट अभिशासन

लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन मार्गनिर्देश जारी किए हैं।

ये दिशानिर्देश का.ज्ञा. संख्या 18 (8) 2005 जीएम दिनांक 14.05.2010 के द्वारा अनिवार्य बनाए गए हैं। कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुपालन की तिमाही रिपोर्ट भी प्रशासनिक मंत्रालय (डीएचआई) नियमित भेजी जाती है। कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रमाणपत्र की रिपोर्ट निदेशक रिपोर्ट के अनुबंध–2 के रूप में संलग्न है।

अन्य प्रकटन

कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 217(1)(ङ), कंपनी नियम, 1988 (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) के साथ पठित के प्रावधानों के अनुसरण में ऊर्जा संरक्षण, टेक्नोलॉजी अवशोषण तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

ऊर्जा संरक्षण

आपकी कंपनी बिजली, एलपीजी, पेट्रोल तथा डीजल की बचत के लिए निरंतर विभिन्न उपाय कर रही है। वर्ष के दौरान ऊर्जा की बचत के लिए अपनाए गए विभिन्न उपायों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

- वर्तमान केपेसिटर बैंकों की 6 उपकेंद्रों के लिए रिकन्डीशनिंग की गई। ऐसा करने के बाद फैक्टरी की पावर फैक्टर में सुधार आया। पावर फैक्टर को यूनिटी (एक) के निकट बनाए रखने के लिए कैपेसिटर बैंक की निकट से निगरानी भी की जाती है (''ऑन'' और ''ऑफ'') जिसके परिणामस्वरूप बिजली ऊर्जा की खपत में महत्वपूर्ण बचत हो रही है।
- ईओटी क्रेनों को परंपरागत ड्राईव की वीएफ ड्राईव्स के साथ रिप्लेसिंग करते हुए रीकंडीशन्ड किया गया है और इससे काफी मात्रा में ऊर्जा की बचत होती है। अन्य मशीनें जैसे कि कोलम एंड बूम वैल्डिंग मशीन और ड्रम शैल रोटेटर्स उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ स्थापित किये जा रहे हैं जो बहुत कम ऊर्जा खपत करती हैं।
- एलएमएस बिल्डिंग 4 बेज की शॉप लाइटिंग के लिए प्रीसेट टाइम्स पर ''ऑन' और ''आफ'' की स्वचालित स्विचिंग के लिए टाइमर्स संस्थापित किए जाते हैं और प्रत्येक तीन माह के अंतराल के बाद सभी टाइमर्स को परिवर्तित किया जाता है जिससे ऊर्जा की काफी बचत होती है।
- एलपीजी/डीजल के संरक्षण के लिए कार्यों को जहां कहीं संभव होता है फर्नेस लोडिंग करते समय एक साथ मिला दिया जाता है। एलपीजी/डीजल फायरड बर्नर्स की दक्षतापूर्ण कार्य हेतु आवधिक सफाई या रिप्लेसिंग की जाती है।
- टाउनशिप में स्ट्रीट लाइटों, पार्कों, संयुक्त सुविधाओं आदि के लिए प्रीसेट टाइम्स पर ''ऑन' और ''आफ'' की स्वचालित स्विचिंग के लिए टाइमर्स संस्थापित किए जाते हैं और प्रत्येक तीन माह के अंतराल के बाद सभी टाइमर्स को परिवर्तित किया जाता है जिससे ऊर्जा की काफी बचत होती है।
- टाउनशिप क्वार्टर्स में चरणबद्ध रूप में सभी पुराने सीलिंग पंखों के स्थान पर नए ऊर्जा दक्ष पंखें लगाए जा रहे हैं। (50 प्रतिशत पहले ही बदले जा चुके हैं)

कुल कारोबार की प्रतिशतता के तौर पर विद्युत और ईंधन लागत (निवल उत्पाद कर) पिछले वर्ष के 2.33 प्रतिशत के मुकाबले 1.96 प्रतिशत है।

अनुसंधान और विकास

कंपनी का अनुसंधान एवं विकास विभाग नए उत्पादों के विकास और प्रोटोटाइप टेस्टिंग के बाद निरंतर नए उत्पादों के डिजाइन और व्यावसायिक उत्पादन हेतु प्रयास कर रहा है।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गईं:–

- अनुसंधान एवं विकास में कार्यनिष्पादन अर्थात मैसर्स एचएएल बंगलौर से सीरीज प्रोड्क्शन (एसपी) आर्डर हेतु तेजस एयरक्राफ्ट के कम्पैक्ट हीट एक्सचेन्जर्स का विनिर्माण, परीक्षण और आपूर्ति कार्य जारी रखे गए। वर्ष के दौरान मैसर्स एचएएल बैंगलूर को ₹ 349.50 लाख मूल्य के कम्पैक्ट हीट एक्सचेन्जर बनाए गए, परीक्षण किए गए और सुपुर्द किए गए।
- इसके अलावा एडीए, बंगलौर को ₹ 18.75 लाख के प्री–कूलर्स और ₹ 24.00 लाख मूल्य के टैस्ट हीट एक्सचेंजर्स फैब्रिकेट, परीक्षित और आपूर्ति किये गये।

  उपर्युक्त के अलावा ₹ 65.83 लाख मूल्य की प्लेट फिन हीट एक्सचेंजर्स का निर्माण, परीक्षण और भारी जल बोर्ड, मुंबई को आपूर्ति की गई।

प्रौद्योगिकी उन्नयन

वीएसएसएससी, त्रिवेन्द्रम के लिए टाइटेनियम डोम्स के विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी, जिसमें शुद्धता की उच्च डिग्री के साथ अपेक्षित डाइमेन्शन के डिस्ड एंडस हेतु टाइटेनियम ब्लैंक्स की गर्म प्रेसिंग शामिल है, का उन्नयन किया गया।

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

कच्चे माल/सेवाओं एवं संघटकों की प्राप्ति, ख्यातिप्राप्त विदेशी कंपनियों के तकनीकी बैकअप आर्डरों के निष्पादन हेतु अपेक्षित

व्यय के लिए ₹ 3.63 करोड़ की विदेशी मुद्रा खर्च की गई। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन शून्य रहा।

कर्मचारियों का विवरण

इस अवधि के दौरान किसी भी कर्मचारी ने कंपनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 217 (2क) कंपनी नियमावली (कर्मचारियों का विवरण), 1975 के साथ पठित के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।

पर्यावरण प्रबंधन तथा प्रदूषण नियंत्रण

आपकी कंपनी प्रदूषण से होने वाले कुप्रभावों के प्रति अपने उत्तरदायित्व से सचेत है। इसने फैक्टरी परिसर और इसके आस–पास स्वच्छ तथा स्वास्थ्यवर्धक पर्यावरण बनाएं रखने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं। फैक्टरी के भीतर तथा टाउनशिप में व्यापक रूप में हरित पट्टी का रखरखाव किया जाता है।

जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अंतर्गत आवश्यक सांविधिक सहमति तथा जोखिमकारी अपशिष्ट प्राधिकरण हेतु सहमति एपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त की गई है जो 30.04.2013 तक वैध है। 30.04.2014 तक वायु और जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) वैधता नवीनीकरण प्रक्रिया प्रगति पर है।

लेखापरीक्षक

वर्ष 2012–13 के लिए मैसर्स ग्रैंडी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, विशाखापट्टनम को कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया। कंपनी के लेखापरीक्षित लेखे कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 619 के तहत नियंत्रक एवं महालेखाकार को प्रस्तुत किए गए।

लेखापरीक्षकों रिपोर्ट में संदर्भित बिंदुओं के उत्तर अनुबंध 3 में दिए गए हैं।

मैसर्स वेलामार्थी एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, विशाखापत्तनम को वर्ष 2012–13 के लिए लागत लेखापरीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था और लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट देय तिथि (27.09.2013) से पहले दायर कर दी जाएगी। वर्ष 2011–12 में लागत लेखा परीक्षा लागू नहीं थी।

नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियां

कंपनी के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 619 (4) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के अनुबंध में दी गई हैं।

आभार

निदेशक मंडल भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, होल्डिंग कंपनी (बीएचईएल), सप्लायरों, प्रतिष्ठित ग्राहकों और बैंकरों से मिले निरंतर सहयोग और उपयुक्त मार्गदर्शन के लिए सभी का आभार व्यक्त करता है। आपके निदेशक इस लेखापरीक्षा को रिकॉर्ड समय पर पूरा करवाने के लिए व्यावसायिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक तथा लेखापरीक्षा बोर्ड के पदेन सदस्यों और सांविधिक लेखापरीक्षकों का भी धन्यवाद देते हैं। निदेशक मंडल इन प्रयासों में सभी स्तरों पर कर्मचारियों के अथक प्रयासों और कर्तव्यनिष्ठा की भी उन्मुक्त रूप से प्रशंसा करता है।

कृते निदेशक मंडल की ओर से
भारत हेवी प्लेट एंड वेसेल्स लिमिटेड

हस्ता./–

दिनांक : 18 जुलाई, 2013
स्थान : नई दिल्ली

सी. पी. चेंगप्पा
प्रबंध निदेशक

बी. प्रसाद राव
अध्यक्ष

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–1

प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग संरचना एवं विकास

इंजीनियरिंग उद्योग के रूप में कंपनी की स्थापना मुख्य रूप से कोर सेक्टर उद्योगों, जैसे रिफाइनरियों, स्टील, फर्टिलाइजरों तथा न्यूक्लियर पावर आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। यह कोर उद्योग के लिए अपेक्षित पूंजीगत उपकरणों/मशीनरी के निर्माण, सप्लाई और संस्थापना आदि कार्यों में लगी हुई है। वर्ष 2008–09 के दौरान, कंपनी बीएचईएल की पूर्णस्वामित्वाधीन कंपनी बन गई। औद्योगिक बायलर क्षमता में वृद्धि त्रिची, हैदराबाद, हरिद्वार तथा बीएचईएल के अन्य संयंत्रों की लोड शेयरिंग करने तथा इंडस्ट्रियल बॉयलरों और एचआरएसजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बीएचईएल के निरंतर सहयोग हेतु कार्यनीतिक गठबंधन किए जा रहे हैं।

अवसर तथा खतरे

अवसर

कंपनी में उच्च विकास की क्षमताएं हैं और कंपनी के समक्ष क) बीएचईएल के लिए औद्योगिक बायलरों का हब बनने, ख) बीएचईएल को विद्युत संयंत्रों की आपूर्ति करने और ग) बीएचपीवी के वर्तमान पोर्टफोलिया की मांग को पूरा करने के अवसर हैं।

खतरे

i) निजी कंपनियों से कड़ा प्रतिस्पर्धा,

ii) परंपरागत कार्यों के लिए कम दरें प्रस्तुत करने वाली राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कंपनियां

iii) ग्राहकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना,

iv) कड़ी डिलीवरी शर्तें

कार्यनिष्पादन

(₹ करोड़ में)

		2012-2013	2011-2012
1.	कुल कारोबार	240.27	155.80
2.	मूल्यवर्धन	110.79	68.25
3.	कर पूर्व लाभ	35.04	10.44
4.	कर पश्चात लाभ	35.04	10.44
5.	वित्त लागत (ब्याज़)	0.96	1.40
6.	असाधारण आय	4.14	0.16
7.	नियोजित पूंजी	81.13	43.63
8.	सकल ब्लॉक	83.04	82.64
9.	निवल ब्लॉक	3.96	4.49
10.	पूंजी (डब्ल्यूआईपी)	9.20	0.00
11.	कार्यशील पूंजी	77.17	39.13
12.	सकल मूल्य	(-) 184.28	(-) 219.32

अनुपात

	2012-2013	2011-2012
कारोबार के प्रतिशत के रूप में पीबीडीआईटी	13.65	8.16
कारोबार के प्रतिशत के रूप में पीएटी	14.58	6.70
जीटीओ की प्रतिशत के रूप में मूल्यवर्धन (ईडी का नेट)	52.71	46.70

गत 5 वर्षों का कर पश्चात् लाभ

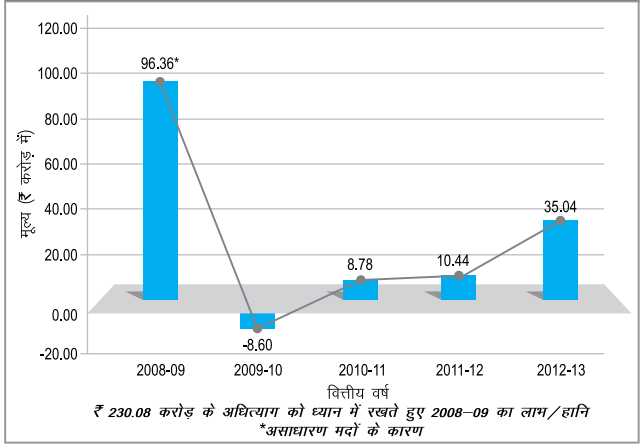

₹ 230.08 करोड़ के अधित्याग को ध्यान में रखते हुए 2008–09 का लाभ/हानि
**असाधारण मदों के कारण*

गत 5 वर्षों का विक्रय निष्पादन

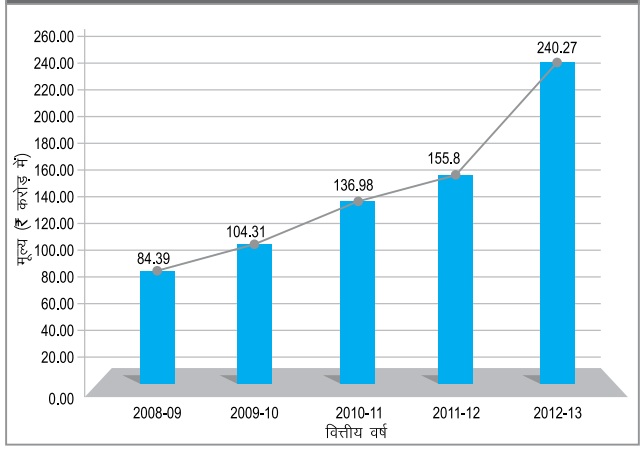

वर्ष की मुख्य उपलब्धियों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपकरणों के विनिर्माण और आपूर्ति शामिल है:

- **ओआईसीएल–पारादीप बायलर के लिए ढांचा: III और IV**

  11.00 मीटर लंबे, 120 एमएम मोटे शैल भारित करीब 65 एमटी बायलर ड्रमों का पहली बार सफलतापूर्वक निर्माण किया गया। इसके साथ ही अन्य वस्तुओं जैसे कि सीएसएंडएलएएस वाटर वाल पैनल्स (अनुमानतः 320 एमटी), वाटर वाल हैडर्स (41 नग), इकोनोमाइजर कोइल्स/सुपर हीटर कोइल्स को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया।

- **कृभको और ओपेल 3 एवं 4 के लिए एचआरएसजी मॉडयूल्स**

  कृभकों के लिए पी91 मैटीरियल के साथ एचआरएसजी मॉडयूल्स (12 नग) का पहली बार विनिर्माण किया गया। इसके साथ ही ओपेल 3 एव 4 के लिए अन्य सीएस एवं एलएएस मॉडयूल्स (88 नग) को भी तीन महीने की रिकार्ड अवधि में पूरा किया गया।

- **सीपीसीएल, चेन्नै के लिए नाइट्रोजन भंडारण टैंक**

  सीपीसीएल, चेन्नई और जीएसपीसी, काकीनाड़ा के लिए नाइट्रोजन भंडारण टैंक पूरे कर लिये गये। ये आदेश 10 वर्षों के से अधिक के अंतराल के बाद प्राप्त हुए हैं।

- **कंडेशनर शैल इंटरनल्स**

  बीएचईएल हरिद्वार के लिए कंडेंसर शैल इंटरनल्स के लिए 80 नग स्पोर्ट प्लेट्स, जिसमें उच्च शुद्धता डिग्री के साथ प्रत्येक प्लेट पर 7000 की संख्या में होल्स की ड्रिलिंग शामिल है, सफलतापूर्वक विनिर्मित किये गये।

- **टिस्को जमशेदपुर और आरआईएनएल–विजाग के लिए बफर वैसल्स**

  करीब 106 एमटी के वजन की 200 एम3 ऑक्सीजन बफर वैसल्स और करीब 74 एमटी के वजन की 200 एम3 आर्गन बफर वैसल्स का विनिर्माण किया गया।

- **हायर डायमीटर पाइप बैंडस**

  बीएचईएल पाइपिंग सेंटर, चेन्नई के लिए 73 नग हायर डायमीटर पाइप बैंड, अटेचमेंट के साथ और बगैर निर्मित किये गये जिसमें सामान्यीकरण और टैंपरिंग (बैंडिंग के अलावा), अटेचमेंट की वैल्डिंग, स्ट्रेस रिलीविंग, एज तैयारी, भूतल तैयारी और पेंटिंग शामिल है।

- **राइजर पाइप्स**

  586 एमटी राइजर पाइपों का निर्माण किया गया और विभिन्न बीएचईएल–परियोजना स्थलों के लिए डिस्पैच किये गये।

  उपर्युक्त के अतिरिक्त बाहरी सेवा स्तर पर कंपनी ने निम्नलिखित कार्य पूरे किए है:

  (i) मैसर्स टाटा स्टील लिमि. जगशेदपुर में 200 एम3 नाइट्रोजन बफर वैसल–1 नग का निर्माण, अलाइनमेंट, ग्राउटिंग, परीक्षण और कमीशनिंग कार्य पूरा हो गया है। यह एक ओवर डाइमेन्शनल कन्साइनमेंट हैं (आकार: 1डी 4.1 मीटर x 18.00 मीटर लंबी और अनुमानित भार: 143 एमटी)

  (ii) मैसर्स सीपीसीएल–मनाली रिफाइनरी, चेन्नई में एफसीसीयू यूनिट के लिए तरल नाइट्रोजन भण्डारण सुविधा (45 एम3 क्षमता) का निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग पूरी कर ली गई है।

  (iii) मैसर्स आरआईएनएल, विशाखापत्तनम में 4 नग ऑक्सीजन एंड आरगन बफर वैसल्स के निर्माण, अलाइनमेंट और ग्राउटिंग का काम पूरा किया गया (आकार: 1डी 3.9 मीटर x 19.20 मीटर लंबाई एवं अनुमानित भार: 118 एमटी–3 नग और आकार: 1डी 3.0 मीटर x 19.7 मीटर लंबाई एवं अनुमानित भार: 75 एमटी–1नग)

दृष्टिकोण

- प्रोसेस प्लांट उपकरण हेतु क्वालिटी सप्लायर के रूप में बीएचपीवी की प्रतिष्ठा से तेल तथा उर्वरक क्षेत्रों से और आर्डर मिलने में मदद मिली है। बीएचईएल से और आर्डरों के निष्पादन के साथ आने वाले वर्षों में कम्पनी के कारोबार में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और बीएचपीवी अपने मार्ग पर चल पड़ेगा। मौजूदा तथा नए ग्राहकों से और आर्डर प्राप्त करने हेतु लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं।
- कंपनी द्वारा आधुनिकीकरण और पूंजी निवेश स्कीम के अनुरूप सुविधाओं के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 230.91 करोड़ निवेश की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई और इसे चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। बीएचईएल और बीएचपीवी के कर्मचारियों वाली एक समिति इसकी प्रगति की नियमित समीक्षा करती है।
- विभिन्न स्तरों पर चिन्हित कौशल अन्तरों के ब्रिजिंग हेतु, नए कार्यपालकों एवं सुपरवाइज़रों की भर्ती प्रक्रिया हाल में शुरू की गई है और अन्य संवर्गों हेतु भी प्रक्रिया 2013–14 में भी जारी रहेगी।
- विकास कार्यसूची के अनुरूप बीएचपीवी तथा बीएचईएल के बीच सहयोग के अन्य क्षेत्रों को भी बीएचईएल के व्यवसाय सैक्टरों और विनिर्माण इकाइयों के परामर्श से तलाश की जा रही है।

समझौता ज्ञापन 2013–14 के अनुसार लक्षित कार्य निष्पादन पैरामीटर

आर्डर बुकिंग	:	₹ 480.00 करोड़
कारोबार	:	₹ 380.00 करोड़
कर पूर्व लाभ	:	₹ 34.30 करोड़

जोखिम और कठिनाइयां

- मौजूदा और विविधीकृत व्यापार के लिए विनिर्माण सुविधाओं का त्वरित स्तरोन्नयन।

- कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा करने के लिए बेहतर प्रतिपूर्ति पैकेज के कार्यान्वयन में देर ।
- मौजूदा परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के माध्यम से ग्राहक का विश्वास प्राप्त करना।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा इसका पर्याप्तता

लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी का एक आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है जिसके परिभाषित लेखा परीक्षा कार्यक्रम है। आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग का अध्यक्ष उप महाप्रबंधक है और प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है। कंपनी ने निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति गठित की है तथा आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य और छमाही/तिमाही रिपोर्टों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है तथा सतत सुधार के लिए उपचारी कदम उठाए जाते हैं। सांविधिक लेखा परीक्षा द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की पर्याप्तता की समीक्षा की जाती है तथा उनके द्वारा अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इसकी रिपोर्ट की जाती है। सतर्कता विभाग सतर्कता और अनुशासनिक मामले देखता है। सरकारी कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी की सरकार द्वारा भी लेखा परीक्षा की जाती है।

मानव संसाधनों/औद्योगिक संबंधों के क्रम में विभिन्न लोगों की नियुक्ति सहित सामग्री विकास

मार्च, 2013 की समाप्ति पर कर्मचारियों की कुल संख्या 1123 थी जबकि वर्ष के प्रारंभ में इनकी संख्या 1186 थी। कल्याण उपायों के भाग के रूप में मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गयाः

1) कम्पनी के भीतर प्रशिक्षण कार्यक्रमः

कम्पनी ने 18 आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें 439 कर्मचारियों को शामिल किया गया। इनमें अधिकारी, पर्यवेक्षक तथा कामगार शामिल हुए। इन कार्यक्रमों में इंजीनियरिंग डिजाइन साफ्टवेयर, क्रय नीति एवं सतर्कता अनुदेश, अग्नि संरक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता, सतर्कता, वेल्डर रिफ्रेशर पाठयक्रम शामिल थे।

2) बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमः

वर्ष के दौरान 14 बाहरी/आउट स्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 26 कार्यपालकों को प्रायोजित किया गया। ये कार्यक्रम लागत लेखा परीक्षा एवं लेखाकरण रिकार्ड नियम, सेवा कर, कारपोरेट स्थायीत्व हेतु मानव संसाधन, स्रोत पर कर की कटौती, कारपोरेट अभिशासन, प्रशासनिक सतर्कता, इंजीनियरिंग डिज़ाइन साफ्टवेयर, जनसंपर्क कार्यनीतियां, लागत ऑडिट, गाइनेकोलॉजी में विकास, ऑक्यूपेशनल फिजियोलॉजी, आइसेमिक स्ट्रोक का प्रबंधन आदि पर नवीनतन घटनाक्रमों पर थे। वर्ष के दौरान कुल 465 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

वर्ष के दौरान संगठन में समरसता और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहा। कार्यसंस्कृति औद्योगिक संबंधों उत्पादकता में सुधार तथा विवादों के समाधान के लिए विभिन्न भागीदारी निकायों और विचारविमर्शों के जरिए सहभागी संस्कृति को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

रोजगार तथा शारीरिक विकलांग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिक/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की स्थिति

- शारीरिक रूप से विकलांग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिक/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/मार्गनिर्देशों का कंपनी द्वारा नियमित रूप से पालन किया जाता है।
- अ.जा., अ.ज.जा. तथा ओबीसी के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला एक वार्षिक विवरण 01.01.2013 तक की स्थिति के अनुसार निर्धारित प्रारूप में साथ ही सरकार को यथा प्रस्तुत पूर्ववर्ती कैलेन्डर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या अनुबंध 'क' के रूप में दिया गया है।

01.01.2013 तक की स्थिति के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या

- इस समय 01.01.2013 तक की स्थिति के अनुसार हमारे यहां कुल 26 विकलांग कर्मचारी हैं। कम्पनी में 01.01.2013 की यथास्थिति समूह–वार श्रम बल के बारे में अनुबंध 'ख' में जानकारी प्रस्तुत है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

समाज के प्रति सचेत कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में कंपनी सामुदायिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में योगदान देने का प्रयास कर रही है। वर्ष के दौरान इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के सहयोग से 3 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। आसपास के गांवों में दो स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। कंपनी अंग्रेजी माध्यम से रियायती शिक्षा दे रही है जिस पर ₹ 32.00 (अनंतिम) लाख खर्च हुए। कंपनी ने निकटवर्ती गांव में पल्स पोलियो कार्यक्रम और मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया।

सचेतपरक अभिकथन

इस प्रबंधन एवं विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी के उद्देश्यों, योजनाओं, अनुमानों को लागू कानून और विनियमों के दायरे में रहते हुए प्रदर्शित किया गया है। वास्तविक परिणाम व्यवहार्य रूप से इनसे भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कारक जो कंपनी के प्रचालन को प्रभावित कर सकते है, में शामिल हैंः मांग पूर्ति को प्रभावित करने वाली आर्थिक स्थितियां, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग पूर्ति की स्थिति, सरकार की नीतियां और विनियम और संविधि, कामगार संबंध तथा आनुषांगिक करार।

अनुबंध–क

01.01.2013 को अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व और कलैण्डर वर्ष 2012 के दौरान की गई नियुक्तियों को दर्शाता वार्षिक विवरण।

समूह	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व (01.01.2013)				कलैण्डर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियां									
					सीधी नियुक्ति				पदोन्नत			अन्य पद्धति द्वारा		
	कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा
समूह–क	199	37	10	24	14	3	2	4	3	--	--	5	--	--
समूह–ख	291	50	58	43	19	4	2	7	22	7	1	--	--	--
समूह–ग	626	85	35	196	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
समूह–घ (एस डब्ल्यू के अलावा)	8	2	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
समूह–घ (एस डब्ल्यू)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
कुल	**1124**	**174**	**103**	**264**	**33**	**7**	**4**	**11**	**25**	**7**	**1**	**5**	**--**	**--**

अनुबंध–ख

विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की संख्या (प्रतिनिधित्व) (01.01.2013 को)				कैलेण्डर वर्ष 2012 के दौरान सीधी भर्ती							पदोन्नति						
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			भरी गई रिक्तियों की संख्या (नियुक्तियां)				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			भरी गई रिक्तियों की संख्या (नियुक्त)			
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
समूह–क	199	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
समूह–ख	291	--	5	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
समूह–ग	626	2	1	14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
समूह–घ	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
कुल	**1124**	**2**	**6**	**18**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

(I) वीएच का मतलब दृष्टि विकलांगता (अन्धापन या कम दिखाई देने से ग्रसित व्यक्ति)

(II) एचएच– श्रवण विकलांगता (श्रवण विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति)

(III) ओएच – अस्थि विकलांगता (लोकोमोटर विकलांगता या तन्तु विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति)

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–2

कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

उद्देश्य

कारपोरेट अभिशासन निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और जिम्मेदारी के चार मूल स्तम्भों पर टिका हुआ है। अच्छे कारपोरेट अभिशासन का मूल तत्व कार्य ढांचे के भीतर कम्पनी में सर्वोत्तम व्यवसाय प्रक्रियाओं को अपनाना है जो कंपनियों को एक अच्छा कारपोरेट सिटीजन होने के प्रति प्रेरित करता है। कारपोरेट अभिशासन दक्षता और विकास में सुधार करने के साथ–साथ निवेशक का विश्वास बढ़ाने की प्रमुख कुंजी है। कारपोरेट अभिशासन प्रक्रियाओं, रीतिरिवाजों, नीतियों, कानूनों और संस्थानों का एक सेट होता है जिनके प्रभाव से कंपनी का मार्ग निदेशित, प्रशासित और नियंत्रित होता है।

विचारधारा

कंपनी निवेशकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, सरकार, वेंडर्स और व्यापक रूप से समाज जैसे इसके विभिन्न स्टेकहोल्डर्स में विश्वास निर्माण में अंतःकरण, स्पष्टता, निष्पक्षता, व्यावसायिकता और जवाबदेही पर आधारित मजबूत कारपोरेट व्यवहारों के प्रति वचनबद्ध है जिससे वह अपनी दीर्घावधि की सफलता के लिए मार्ग प्रशस्त कर सके। कम्पनी का दृढ़ विश्वास है कि कम्पनी के संबंद्ध सभी व्यक्तियों के हित में वृद्धि हेतु बेहतर कारपोरेट अभिशासन का होना बेहद जरूरी है। कम्पनी अपने कार्यकलापों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करती रही है। एक जवाबदेह नागरिक और एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में कम्पनी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई एक्ट) के उपबंधों के तहत भारत के नागरिकों को उपयुक्त रूप में सूचना प्रदान करती है।

निदेशक मंडल

30.04.2013 तक बोर्ड में पांच निदेशक थे। श्री ए. एस. नागराजा, प्रबंध निदेशक को बीएचपीवी में उनकी सेवानिवृत्ति के कारण 30.04.2012 को कार्यमुक्त कर दिया गया। श्री पी.वी. श्रीधरन, निदेशक (मा.सं.) को निदेशक (प्रचालन) का अतिरिक्त प्रभार 01.05.2012 को सौंपा गया था उन्हें बीएचपीवी में सेवानिवृत्ति के कारण 31.07.2012 को कार्यमुक्त कर दिया। बोर्ड में 31.03.2013 को 3 निदेशक हैं। श्री देबासीस जना, निदेशक, भारी उद्योग विभाग को बीएचपीवी के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया जो कि श्री आर पी गोयल के स्थान पर 21.03.2013 से भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्री सी पी चेंगप्पा, महाप्रबंधक, बीएचईएल (ओएसडी–ईडी–बीएचपीवी) को बीएचपीवी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था और उन्होंने बीएचपीवी के प्रबंध निदेशक के तौर पर 12.04.2013/अपराह्न से कार्यभार ग्रहण किया जिससे बोर्ड में निदेशकों की संख्या 4 हो गई। श्री जी उदय कुमार, एजीएम, बीएचईएल (ओएसडी–एचआर, बीएचपीवी) और श्री डी. अशोकन, एजीएम, बीएचईएल (ओएसडी–प्रचालन, बीएचपीवी) को निदेशक (मा.सं.) और निदेशक (प्रचालन) नियुक्त किया गया और उन्होंने क्रमशः 30.05.2013 पूर्वाह्न तथा 03.06.2013 अपराह्न को कार्यभार ग्रहण किया। उक्त नियुक्तियों के कारण बोर्ड सदस्यों की संख्या 4 से 6 हो गई। निदेशकों के लिए कोई अर्हक शेयर रखना अपेक्षित नहीं है। कम्पनी के निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

सभी पूर्णकालिक/कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक सहित नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा जारी की जाएंगी। निदेशक मंडल/ समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को उनकी प्रति सिटिंग फीस का भुगतान भारी उद्योग विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और बोर्ड/बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने पर वास्तविक व्यय में प्रतिपूर्ति की जाती है।

बोर्ड प्रक्रिया

बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से होती हैं और कम्पनी को उचित मार्गदर्शन तथा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। पूर्णकालिक निदेशक कंपनी के दैनिक कार्यों का प्रबंध करते हैं। बोर्ड की बैठक की पूर्व सूचना सभी निदेशकों को दी गई है। कई बार तत्काल जरूरत होने पर अल्पकालीन सूचना पर बैठक आयोजित की गई है अथवा अनिवार्य होने पर सर्कुलेशन द्वारा प्रस्ताव पारित किए गए हैं। बोर्ड के सदस्यों के पास सभी जानकारियों तक पूरी पहुंच है तथा वह बैठक के दौरान किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए बुलाने के लिए स्वतंत्र हैं। बोर्ड आवधिक रूप से सभी लागू कानूनों की अनुपालना स्थिति की समीक्षा करता है। सभी निर्णय बैठकों में बोर्ड सदस्यों द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श के बाद लिये जाते हैं।

बोर्ड की बैठकें एवं उपस्थिति

31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष में निदेशक बोर्ड की चार बैठकें हुईं और किसी भी दो बैठकों के बीच में चार कैलेंडर माह से अधिक का अंतर नहीं था। बोर्ड की बैठकें 17.05.2012, 10.09.2012, 19.12.2012 और 26.03.2012 को आयोजित की गईं। 2012–13 में बोर्ड की बैठकों, निदेशकों की उपस्थिति, वार्षिक आम बैठक तथा अन्य निदेशक स्तरीय आयोजित बैठकों का विवरण

नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	श्रेणी/अवधि	कार्यकाल के दौरान आयोजित निदेशक बैठकों की संख्या	बैठकों में भाग लिया	क्या एजीएम में उपस्थित थे	अन्य कंपनियों में निदेशक की संख्या
1	श्री बी.पी. राव	अध्यक्ष/24.10.2009 पूर्वाह्न से	4	4	-	2
2	श्री ए. एस. नागराजा	निदेशक (प्रचालन) एवं एमडी का अतिरिक्त प्रभार 18.05.2011 से 30.04.2012 तक	-	-	हां (बैठक के अध्यक्ष)	शून्य
3	श्री आर. पी. गोयल	अंशकालिक सरकारी (सरकारी निदेशक)/ 21.04.2011 से 21.03.2013 तक	3	3	-	शून्य
4	श्री देबासीस जना	अंशकालिक आधिकारिक (सरकारी निदेशक)/21.03.2013 से	1	1	-	शून्य
5	श्री पी. वी. श्रीधरन	निदेशक (मा.सं.)/प्रभारी–वित्त 09.11.2009 से	1	1	-	शून्य
6	श्री बी. डी. कलेर	25.05.2011 से बीआईएफआर द्वारा विशेष निदेशक नियुक्त किया गया	4	4	-	1

लेखा परीक्षा समिति

वर्ष 2012–13 के दौरान लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन, श्री आर. पी. गोयल के स्थान पर श्री देबासीस जना को भारत सरकार, भारी उद्योग विभाग के प्रतिनिधि के रूप में, बोर्ड का अंशकालिक निदेशक नियुक्ति किए जाने पर 21.03.2013 को किया गया था। लेखा परीक्षा समिति को पुनः श्री सी. पी. चेंगप्पा, महाप्रबंधक, बीएचईएल (ओएसडी–ईडी, बीएचपीवी) के बीएचपीवी का प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्ति होने पर गठन किया गया जिन्होंने 12.04.2013/पूर्वाह्न से कार्यभार ग्रहण किया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

2012–13 का वार्षिक लेखाजोखा लेखा परीक्षा समिति के समक्ष 08.05.2013 को आयोजित इसकी बैठक में अनुमोदन हेतु तथा कम्पनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन व संस्तुति हेतु रखे गये थे। चूंकि दो स्वतंत्र निदेशकों ने अपनी नियुक्ति का कार्यकाल मार्च, 2010 में पूरा कर लिया था, अतः लेखापरीक्षा समिति में कोई भी गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक नहीं था। गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति का मामला भारी उद्योग विभाग के ध्यान में लाया जा चुका है।

लेखा परीक्षा समिति की संक्षिप्त भूमिका और शक्तियां सरकार द्वारा जारी लंबित आईआर पैरा की पुनरीक्षा करना, सांविधिक लेखापरीक्षकों की बैठकों के निष्कर्षों एवं सुझावों तथा अन्य संबंधित मामलों पर विचार–विमर्श, कंपनी द्वारा अनुपालित प्रमुख लेखांकन नीतियों तथा वार्षिक वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व इनकी पुनरीक्षा करना है। समिति को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी मामले की छानबीन करने का पूरा अधिकार है।

आम सभा की बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण :–

वित्तीय वर्ष	एजीएम की तिथि तथा समय	स्थान
2009–10 (44वीं आम बैठक)	14 सितम्बर, 2010 को प्रातः 9.00 बजे	बीएचपीवी बोर्ड कक्ष, विशाखापटनम
2010–11 (45वीं आम बैठक)	14 सितम्बर, 2011 को प्रातः 9.00 बजे	बीएचपीवी बोर्ड कक्ष, विशाखापटनम
2011–12 (46वीं आम बैठक)	4 सितम्बर, 2012 को प्रातः 10.00 बजे	बीएचपीवी बोर्ड कक्ष, विशाखापटनम

आचार संहिता

निदेशक मंडल ने बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कार्य आचार संहिता निर्धारित की है।

संहिता में निम्नलिखित शामिल है:

- सामान्य नैतिक अनिवार्यताय
- विनिर्दिष्ट व्यावसायिक दायित्वय और

- बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए विनिर्दिष्ट अतिरिक्त प्रावधान।

उक्त संहिता की प्रति वेबसाइट 'www.bhpvl.com' पर उपलब्ध कराई गई है। बोर्ड के सभी सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने सहिता की अनुपालना के प्रति संकल्प व्यक्त किया है। इससे संबंधित एक घोषणा इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

निदेशक मंडल का प्रशिक्षण

बोर्ड में कार्य ग्रहण करने वाले निदेशकों को प्रलेखों एवं बुकलेटों का सेट दिया जाता है। इसमें कंपनी से निष्पादन संबधी महत्वपूर्ण आंकड़े, कंपनी के उद्देश्य एवं अंतर्नियमावली कॉर्पोरेट अधिशासन दिशानिर्देश, शक्तियों का प्रत्यायोजन, उत्पादन लाइन ब्रोशर आदि शामिल रहते है। निदेशकों की स्थिति, कर्तव्यों, दायित्वों पर मोनोग्राफ की प्रति सभी निदेशकों को परिचालित की जाती है। निदेशकों को प्रशिक्षण की नीति की बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।

सहायक कम्पनियां

कम्पनी बीएचईएल की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनी है। बीएचपीवी के पास अब कोई भी सहायक कम्पनी नहीं है।

संयंत्र अवस्थिति

मैसर्स भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसेल्स लिमिटेड

नाथयापालेम, विशाखापत्तनम–530 012, (आंध्रप्रदेश)

प्रकटन

कम्पनी अधिनियम की धारा 297 के प्रावधानों यथा उपबंधित निदेशक नियमित रूप से कम्पनी के हितों के अनुरूप यह प्रकटन करते हैं कि कम्पनी के साथ प्रबंधन अथवा उसके संबंधी का फर्म से किसी प्रकार का लेन–देन अथवा व्यवसाय नहीं है। कम्पनी नीतिगत मानकों को बनाए रखने के लिए विभिन्न कानूनों के अनुरूप समुचित प्रकटन सुनिश्चित कर रही है।

सांविधिक देयों की स्थिति के साथ सांविधिक अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से रखी जा रहीं है। वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों का कम्पनी द्वारा अनुपालन किया गया है।

वर्ष के दौरान बहियों और लेखाओं में कोई व्यय नहीं डाला गया है जो व्यवसाय व्यय के प्रयोजनार्थ नहीं हैं और वैयक्तिक स्वरूप का कोई काम निदेशक मंडल तथा सर्वोच्च प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया है।

कंपनी के पास विशल ब्लोअर नीति का कोई तंत्र नहीं है। लेकिन किसी तरह की कोई शिकायत रखने वाले किसी कार्मिक/ कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति की पहुंच से इन्कार नहीं गया है।

कंपनी ने बोर्ड के गठन को छोड़कर लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कारपोरेट अभिशासन पर जारी दिशानिर्देशों की अपेखाओं की अनुपालना की है और वह उप समितियों का गठन नहीं कर पाई है क्योंकि भारत सरकार को अभी अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों की रिक्तियां भरनी है।

कंपनी का उद्देश्य सदैव गैर अर्हकर्ता वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करना रहता है।

चूंकि कम्पनी एक गैर सूचीबद्ध केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, सेबी तथा स्टॉक एक्सचेंज की अपेक्षा अथवा सूचीबद्धता के प्रावधान लागू नहीं हैं। तथापि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी ने बीएचईएल की 100 प्रतिशत सहायक कम्पनी होने की सभी अपेक्षाओं को पूरा किया।

सम्प्रेषण का माध्यम

कंपनी ने प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कंपनी में महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा घटनाओं का व्यापक रूप से प्रसार किया है। कंपनी अपनी कार्यकरण की सूचना वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराती है। कंपनी सूचना के लिए अपनी वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट भी प्रदर्शित करती है। सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के रिकार्ड नियंत्रक एवं महालेखाकार की लेखापरीक्षा तथा सतर्कता/ सीबीआई आदि की जांच हेतु हमेशा खुले हैं।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता की अनुपालना के संबंध में प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं, सी पी चेंगप्पा, प्रबंध निदेशक, भारत हेवी प्लेट एवं वेसेल्स लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य और कंपनी की वरिष्ठ प्रबंधन टीम ने 2012–13 के दौरान कंपनी की व्यवसाय आचार एवं नीति संबंधी संहिता की अनुपालना की है।

हस्ता./–

स्थान : विशाखापत्तनम
दिनांक : 2 मई, 2013

(सी. पी. चेंगप्पा)
प्रबंध निदेशक

कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण
मैसर्स भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसेल्स लिमिटेड
विशाखापत्तनम

महोदय,

हमने भारत हेवी प्लेट एवं वेसेल्स लि. (कंपनी) द्वारा 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष में कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, जिनका उल्लेख कार्पोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी 14 मई, 2010 के दिशानिर्देशों में किया गया है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का पालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच उपर्युक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यविधि एवं उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षित है और न ही कंपनी के वित्तीय परिणामों पर हमारी राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्न के अधीन कि असूचीबद्ध सीजीएमई पर लागू कॉर्पोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के अनुसार, कम से कम बोर्ड के एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। बोर्ड में स्वत्रंत निदेशकों की अवधि समाप्त होने से हुई रिक्ति के कारण कंपनी शर्तों को पूरा नहीं कर सकी। अतः कंपनी के बोर्ड में वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपर्युक्त उल्लिखित संशोधित दिशानिर्देशों में उल्लिखित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी कहना है कि कंपनी की भावी संभाव्यता के संबंध में यह अनुपालन न तो आश्वासन है और न ही प्रभावनीयता की कुशलता है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते मै. ग्रेंधी एंड कंपनी
चार्टड एकाउन्टेट्स
एफआरएन नं.: 001007एस

हस्ता./–
(नरेश चंद्र जेल्ली वी.)
सदस्यता सं. 201754
साझेदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 8 मई, 2013

निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट–3

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्य,
भारत हेवी प्लेट एंड वेसेल्स लिमिटेड
विशाखापट्ट्नम

हमने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के अनुसार भारत हेवी प्लेट तथा वेसेल्स लिमिटेड के संलग्न तुलनपत्र, लाभ हानि खाते और नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना की लेखापरीक्षा की है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है जिसमें वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और कंपनी के नकद प्रवाह का कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3ग) में संदर्भित लेखाकरण मानदंडों के अनुरूप सही और सच्ची तस्वीर दी गई है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के संगत आंतरिक नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो सत्य और मुक्त तथा तथ्यात्मक रूप से गलत विवरण से मुक्त, चाहे किसी घोटाले अथवा त्रुटि के कारण हो, वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है। हमने इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानदंडों के अनुरूप लेखा परीक्षा संचालित की है। इन मानदंडों के तहत यह अपेक्षित है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस संबंध में एक उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और संचालित करें कि क्या ये वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गड़बड़ी से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच और राशि के समर्थन में संलग्न प्रलेख और वित्तीय विवरण के प्रकटन शामिल रहते हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिनमें वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गड़बड़ी, चाहे घोटाले अथवा त्रुटिवश हुई है, के जोखिम का मूल्यांकन शामिल होता है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में, लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के वास्ते वित्तीय विवरणों को तैयार करने और स्वतंत्र प्रस्तुतिकरण के कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो स्थिति अनुरूप उपयुक्त होते हैं।

लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन एवं महत्वपूर्ण आकलन तथा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों का संपूर्ण मूल्यांकन भी शामिल रहता है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय को तर्कसंगत आधार प्रदान करेगी।

कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 227 के प्रावधानों के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

I. कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 227 के उप अनुच्छेद (4ए) के अनुसरण में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 की अपेक्षानुसार तथा कम्पनी की बहियों और रिकार्डों की ऐसी जांच के अवसर पर जिसे हमने उचित समझा तथा हमें प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार हमने उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण संलग्न अनुबंधों में दिया है।

II. ऊपर पैरा (i) में दिए गए अनुबंध में अपनी टिप्पणियों के अलावा हम यह भी सूचित करते हैं कि:

क) हमने लेखापरीक्षा के प्रयोजन से अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सभी आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं,

ख) जहां तक कंपनी की बहियों की जांच का प्रश्न है, हमारी राय में कंपनी ने लागू कानून की अपेक्षानुसार अपनी बहियों का उचित रखरखाव किया है,

ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुबंध के अनुसार है,

घ) हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाते, नकद प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 22 के उप अनुच्छेद 3(ग) में उल्लिखित लेखांकन मानदंडों के अनुरूप हैं–

ड) कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.10.2003 को जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 829(ई) के अनुसरण में कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 274 (1)(छ) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

च) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार अनुसूची 19 में लेखांकन नीतियों और व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ पठित उक्त लेखे कंपनी अधिनियम, 1956 की अपेक्षानुसार और जिस रूप में हम चाहते हैं उसके अनुसार तथा सामान्य रूप से स्वीकार्य सिद्धातों के अनुरूप सही और उचित विचार देते हैं।

(i) 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार कंपनी के क्रियाकलापों के तुलन पत्र के मामले में,

(ii) वर्ष की समाप्ति की तारीख को कंपनी के लाभ–हानि, लाभ के विवरण के मामले में,

(iii) वर्ष की समाप्ति की तारीख को कंपनी के नकद प्रवाह के विवरण के मामले में।

कृते मै. ग्रेंधी एंड कंपनी
चार्टड एकाउन्टेट्स
एफआरएन नं.: 001007एस

हस्ता./–
(नरेश चंद्र जेल्ली वी.)
सदस्यता सं. 201754
साझेदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 8 मई, 2013

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट हेतु अनुबंध

(सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैरा 1 में संदर्भित)

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वीएचपीवी लि. के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट में संदर्भित अनुलंग्नक। हम रिपोर्ट देते हैं कि

i (क) कंपनी ने सामान्य तौर पर अपनी स्थायी परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक ब्यौरों और स्थिति सहित पूर्ण विवरणों को दर्शाने वाले समुचित दस्तावेज बनाए रखे हैं।

(ख) हमें सूचित किया गया है कि प्रबंधन ने वास्तविक सत्यापन के अपने चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार स्थायी सम्पत्तियों के एक भाग का सामान्य तौर पर वास्तविक सत्यापन कराया है, जिसे कम्पनी के अनुसार और व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए समुचित समझा जाता है और ऐसे सत्यापन पर कोई वास्तविक विरोधाभास नहीं देखा गया है।

(ग) कम्पनी ने अपनी स्थाई सम्पत्तियों के किसी भाग को बेचा नहीं है जिससे कि इसकी जारी स्थिति प्रभावित हो।

ii (क) जैसाकि हमें स्पष्ट किया गया है, केवल ऐसे स्टॉक जिस पर कार्य प्रगति पर है तथा कुछ कार्यस्थल कार्यालयों पर परिष्कृत सामान के अलावा जहां इनका सत्यापन स्थापना विभाग की निरीक्षण रिपोर्टों और उत्पदान रिपोर्टों के

संदर्भ में वर्ष के अंत में किया जाता है, वर्ष के दौरान नियमित अंतराल पर सतत् मालसूची के अन्तर्गत प्रबंधन द्वारा मालसूची का वास्तविक सत्यापन कराया गया है। संविदाकारों/फैब्रिकेटरों तथा अन्य पार्टियों के पास पड़े स्टॉक के सम्बन्ध में केवल कुछ मामलों में ही पुष्टियां प्राप्त हुई थी। हमारी राय में सत्यापन की फ्रिक्वेंसी समुचित है।

(ख) हमारी राय में प्रबंधन द्वारा अपनायी जा रही मालसूची की वास्तविक सत्यापन की प्रक्रियाएं कम्पनी के आकार और इसके व्यवसाय स्वरूप के दृष्टिगत सामान्य तौर पर समुचित और पर्याप्त हैं।

(ग) कम्पनी ने मालसूची के समुचित रिकार्ड रखें हैं और कम्पनी के आकार तथा प्रचालन स्वरूप के दृष्टिगत मालसूची के वास्तविक सत्यापन के समय पाई गई विसंगतियां मूर्त रूप में नहीं थी और इन्हें कम्पनी के बहीखातों में समुचित रूप में ठीक कर लिया गया था।

iii (क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में शामिल कम्पनियां, फर्मों और अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित अथवा असुरक्षित नहीं प्राप्त किया है। तद्नुसार कम्पनी (लेखा परीक्षण की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैरा 4 का खण्ड (iii) (ख) से (iii) (घ) चालू वर्ष के लिए कम्पनी पर लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में कवर कम्पनियों, फर्मों और अन्य पार्टियों से कोई ऋण सुरक्षित अथवा असुरक्षित नहीं लिया है। तद्नुसार, कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिर्पोट) आदेश, 2003 के पैरा 4 का खण्ड (iii) (च) से (iii) (छ) चालू वर्ष के लिए कम्पनी पर लागू नहीं है।

iv हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार मालसूची स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद तथा माल एवं सेवाओं की बिक्री के संबंध में कम्पनी के आकार तथा इसके व्यवसाय स्वरूप के समनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां हैं।

इसके अतिरिक्त कम्पनी की बहियों तथा रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमें आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में बड़ी कमजोरियों को सुधार करने में लगातार असफल रहने के बारे में न तो पता चला है और न ही कोई सूचना मिली है।

v हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय है कि वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 301 में संदर्भित कोई संविदाएं अथवा व्यवस्थाएं नहीं हैं जिनकी उस धारा के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में प्रविष्टि किए जाने की जरूरत हो। तद्नुसार कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2003 के पैरा 4 का खण्ड (v) (ख) चालू वर्ष के लिए कम्पनी पर लागू नहीं है।

vi हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अधिनियम की धारा 58ए तथा 58एए अथवा किसी अन्य संगत उपबंधो और उसके अन्तर्गत बनाई गई कम्पनी (जमाओं की स्वीकृति) नियमावली 1975 के तात्पर्य के भीतर वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा स्वीकार किया गया है।

vii हमारी राय में कम्पनी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली इसके व्यवसाय के आकार और स्वरूप के अनुसार सुदृढ़ किये जाने के अनुरूप है।

viii हमने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अधीन लागत रिकार्ड के अनुरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा पुस्तकों और रिकार्ड की व्यापक रूप से समीक्षा की है और हमारी राय में प्रथम दृष्टि में निर्धारित लेखा और रिकार्डस तैयार और अनुरक्षित किया गया है।

लेकिन हमने यह निर्धारण करने के लिए कि ये सही और पूर्ण है, रिकार्ड की विस्तृत जांच नहीं की है।

प्रबंधन का उत्तरः वैधानिक लागत लेखा परीक्षा प्रगति पर है।

ix (क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार हमें प्रस्तुत तथा हमारे द्वारा जांच की गई बहियों और रिकार्डों के बारे में हमारी राय में कम्पनी सामान्य तौर पर समुचित प्राधिकरण के साथ साथ अनुप्रयोग भविष्य निधि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सम्पत्ति कर, सेवाकर, उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क, उपकर तथा अन्य कोई सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों को जमा कराने में नियमित रही है।

(ख) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2013 की यथास्थिति भुगतेय तारीख से छः माह से अधिक की अवधि के लिए आयकर, बिक्रीकर/ वैट, सेवाकर उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क, उपकर तथा अन्य संविधिक देयों के संबंध में अविवादित राशि भुगतेय हो।

क्र. सं.	संविधि का नाम	देय राशि का स्वरूप	राशि (₹ करोड़ में)
1	उत्पाद शुल्क	विक्रय आदेश आंकलन (सीओडी ने बीएचपीवी को सीईएसटीएटी के पास आगे अपील करने की अनुमति नहीं दी)	2.73

प्रबंधन का उत्तरः विषयगत देयता इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि सीओडी ने बीएचपीवी सीईएसटीएटी में मामला ले जाने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन इसे डीआरएस में अधित्याग/मांगी गई छूट की सूची में रखा गया है।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, बिक्रीकर, आयकर, उत्पाद शुल्क तथा उपकर का विवरण जो विवाद के कारण जमा नहीं कराए गए हैं, निम्नानुसार हैंः

क्र. सं.	संविधि का नाम	देयों का स्वरूप	राशि (₹ करोड़ में)	मंच जहां विवाद लम्बित है
1.	केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम तथा कार्य संविदा कर अधिनियम	बिक्री कर तथा कार्य संविदा कर	5.89 0.54	प्रथम अपीलीय प्रधिकारी/उपायुक्त/आयुक्त न्यायाधिकरण
2.	केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1944	उत्पाद शुल्क	3.69 101.65	आयुक्त (अपील) सीईएसटीएटी, बेंगलौर
3.	वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत सेवाकर	सेवा कर	19.16 1.45	आयुक्त (अपील) सीईएसटीएटी, बेंगलौर
		कुल	**132.38**	

x कम्पनी को 31 मार्च, 2013 की यथास्थिति ₹ 218093.79 लाख की संचित हानि हुई है और लेखा परीक्षित तथा इससे पूर्व के वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।

xi हमारे द्वारा जांच किए गए कम्पनी के रिकार्डों और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों अथवा डिबेन्चर धारकों को देय राशियों की अदायगी में कोई चूक नहीं की है। तथापि, कम्पनी ने अभी तक वर्ष 1998–99 के दौरान जारी बाण्डों को चुकता नहीं किया है।

प्रबंधन का उत्तरः बीएफआईआर के संदर्भाधीन एक बीमार कंपनी होने के कारण कंपनी निधियों को अत्यधिक कमी का सामना कर रही है। अतः कुछ भुगतान नहीं किए जा सके। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने एक बॉण्डधारक को पूर्ण और अंतिम निपटान के तौर पर ₹ 106.00 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में 1 बॉण्ड धारकों को ₹ 5.00 लाख) की मूल धनराशि का पुनर्भुगतान किया है। शेष असुरक्षित बॉण्ड धारकों के लिए मूलधन और ब्याज के रूप देय ₹ 564.95 लाख (मूल धनराशि ₹ 99.50 लाख जमा ब्याज– ₹ 464.95 लाख) का लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है।

xii कम्पनी ने शेयरों डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर प्रतिभूति आधार पर कोई ऋण और अग्रिम नहीं प्रदान किया है।

xiii चिट फंड/निधि/म्युचुअल बेनिफिट फन्ड/सोसाइटियों के लिए लागू किसी विशेष संविधा के उपबंध कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

xiv हमारी राय में कम्पनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों के कार्य अथवा व्यापार से नहीं लगी है। तद्नुसार, कम्पनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खण्ड 4 (xiv)के उपबंध कम्पनी के लिए लागू नहीं है।

xv हमारी राय में तथा हमें प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से अन्यों द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

xvi हमारी राय में तथा हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई आवधिक ऋण नहीं लिया है।

xvii हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के तुलनपत्र की समग्र जांच किए जाने पर, हम सूचित करते हैं कि अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का दीर्घावधि निवेश के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

xviii कम्पनी ने वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में कवर पार्टियों और कम्पनियों को शेयरों का कोई अधिमानी आवंटन नहीं किया है।

xix हमारी राय में कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

xx कम्पनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक इशू द्वारा कोई धन नहीं जुटाया है।

xxi कम्पनी की बहियों और रिकार्डों की हमारी जांच के दौरान, यह भारत में सामान्य रूप में स्वीकार्य लेखा परीक्षा प्रणालियों तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार की गई है, हमें वर्ष के दौरान कम्पनी पर अथवा कम्पनी द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया और न सूचना दी गई।

कृते मै. ग्रेंधी एंड कंपनी
चार्टड एकाउन्टेट्स
एफआरएन नं.: 001007एस

हस्ता./–
(नरेश चंद्र जेल्ली वी.)
सदस्यता सं. 201754
साझेदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 8 मई, 2013

दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी प्लेट एंड वेसेल्स लिमिटेड, विशाखापट्टनम के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी प्लेट एंड वेसेल्स लिमिटेड, विशाखापट्टनम का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा और उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा निर्धारित आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के उत्तरदायी हैं। इसे उनकी दिनांक 8 मई, 2013 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया बताया जाता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी प्लेट एंड वेसेल्स लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वित्तीय विवरण की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकरण कागजातों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है। प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों में किए गए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए लेखों के हिस्से के रूप में टिप्पणियों की टिप्पणी क्रम सं. 26 में यथा उल्लिखित अनुपूरक लेखापरीक्षा में अंकित मेरी लेखा परीक्षा टिप्पणियों के परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुपूरक में मुझे कुछ और नहीं कहना है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से
हस्ता./–
(एन. करूणाकरण)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा और
पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 26 जून, 2013

तुलन पत्र

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार

(₹ लाख में)

		अनुसूची	31.03.2013 को		31.03.2012 को	
	इक्विटी और देयताएं					
1	शेयरधारक निधि					
	(क) शेयर पूंजी	**1**	**3379.78**		3379.78	
	(ख) प्रारक्षित तथा अथशेष	**2**	**-21807.78**	**-18428.00**	-25311.55	-21931.77
	लंबित आबंटन के लिए शेयर आवेदन राशि			**3400.00**		3400.00
2	**गैर–चालू देनदारियां**					
	दीर्घावधि ऋण	**3**	**23497.81**		21887.18	
	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	**12**	**0.00**		0.00	
	अन्य दीर्घावधि देनदारियां	**4**	**1504.40**		2522.47	
	दीर्घावधि प्रावधान	**5**	**1890.01**		1118.10	
	कुल गैर–चालू देनदारियां			**26892.22**		25527.75
3	**चालू देनदारियां**					
	लघु अवधि ऋण	**6**	**99.50**		205.50	
	व्यापार भुगतान	**7**	**5223.71**		4510.19	
	अन्य चालू देनदारियां	**8**	**13081.20**		11772.84	
	लघु अवधि प्रावधान	**9**	**1962.05**		2344.23	
	कुल चालू देनदारियां			**20366.46**		18832.76
	कुल इक्विटी एवं देनदारियां			**32230.68**		25828.74
	परिसंपत्तियां					
1	**गैर चालू परिसंपत्तियां**	**10**				
क)	**अचल परिसंपत्तियां**					
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां		**391.56**		438.00	
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		**4.27**		11.09	
	(iii) पूंजीगत कार्य–प्रगति पर		**919.68**		0.40	
	(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		**0.00**	**1315.51**	0.00	449.49
ख)	गैर चालू निवेश	**11**	**1.31**		1.31	
ग)	आस्थगित कर संपत्तियां (शुद्ध)	**12**	**0.00**		0.00	
घ)	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	**13**	**256.21**		274.04	
ङ)	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	**14**	**5361.12**	**5618.64**	2315.38	2590.73
2	**चालू परिसंपत्तियां**					
क)	चालू परिसंपत्तियां	**15**	**0.00**		0.00	
ख)	माल सूचियां	**16**	**5717.84**		6699.86	
ग)	व्यापार प्राप्तियां	**17**	**13560.57**		11626.28	
घ)	नकदी एवं नकदी समकक्षता	**18**	**2793.24**		1069.14	
ङ)	लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	**19**	**3193.34**		3366.34	
च)	अन्य चालू परिसंपत्तियां	**20**	**31.54**	**25296.53**	26.90	22788.52
	कुल			**32230.68**		25828.74
	लेखा से संबंधित अन्य टिप्पणियां:	**33**				

देखें अनुसूची 1 से 20, 33 तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां तुलनपत्र का अभिन्न भाग हैं।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(ए.एस.एस. शर्मा)	**(सुनित शोमे)**	**(सी. पी. चेंगप्पा)**	**(बी. प्रसाद राव)**
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ग्रांधी एंड कंपनी
एफआरएन नं.: 001007एस
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

हस्ता./–
नरेश चंद्र जी.वी.
सदस्यता सं. 201754
साझेदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 8 मई, 2013

लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

		अनुसूची	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
I	प्रचालनों से राजस्व (सकल)	21	**24026.85**	15580.08
	घटाएं : उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर		**2432.71**	1398.37
	प्रचालनों से राजस्व (निवल)		**21594.14**	14181.71
II	अन्य प्रचालन आय	22	**234.33**	504.44
III	अन्य आय	23	**85.64**	41.69
	कुल राजस्व		**21914.11**	14727.84
IV	**व्यय**			
	डब्ल्यूआईपी/एफजी में अभिवृद्धि (कमी)	24	**574.32**	-432.09
	सामग्री की खपत, संस्थापना तथा इंजीनियरिंग व्यय	25	**9744.26**	7649.03
	कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा लाभ	26	**5160.59**	4787.30
	विनिर्माण संबंधी अन्य व्यय			
	प्रशासन, बिक्री और वितरण	27	**1498.39**	1170.97
	प्रावधान (शुद्ध)	28	**1657.49**	282.04
	वित्त लागत	29	**96.53**	140.31
	अवमूल्यन, परिशोधन, हानि		**93.11**	102.35
	घटाएं: आंतरिक उपयोग हेतु किए गए लागत कार्य			
	कुल व्यय		**18824.69**	13699.91
V	पूर्वावधि मदों तथा असाधारण मदों से पूर्व लाभ/(हानि)		**3089.42**	1027.93
	असाधारण मद एवं कर			
VI	जोड़ें/घटाएं: विशिष्ट मदें	30	**414.35**	16.24
VII	जोड़ें/(घटाएं): पूर्वावधि मदें (निवल)	31	**0.00**	0.00
VIII	वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ/(हानि)		**3503.77**	1044.17
IX	घटाएं: कराधान का प्रावधान	32	**0.00**	0.00
	वर्ष के लिए कर उपरांत लाभ (हानि)		**3503.77**	1044.17
	निरंतर प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ (हानि)		**3503.77**	1044.17
	अन्य लेखा टिप्पणियां:	**33-34**		

देखें अनुसूची 21 से 34 तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां जो कि लाभ एवं हानि खाते का एकीकृत भाग हैं।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(ए.एस.एस. शर्मा)	**(सुनित शोमे)**	**(सी. पी. चेंगप्पा)**	**(बी. प्रसाद राव)**
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ग्रांधी एंड कंपनी
एफआरएन नं.: 001007एस
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

हस्ता./–
नरेश चंद्र जी.वी.
सदस्यता सं. 201754
साझेदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 8 मई, 2013

नकद प्रवाह विवरण

31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	निवल लाभ	**3503.77**	1044.17
	निम्नलिखित के लिए समायोजित		
	मूल्यहास	**93.11**	102.35
	माल सूची में वृद्धि/कमी	**982.02**	-1442.77
	ऋण तथा अग्रिम में कमी	**383.25**	3625.44
	व्यापार प्राप्तियों में वृद्धि/कमी	**-5087.08**	-4275.00
	व्यापार देयताओं/देनदारियों में वृद्धि/कमी	**1335.24**	999.52
	प्रावधानों में वृद्धि/कमी	**306.62**	157.82
	कुल	**-1986.84**	**-832.64**
क.	**प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह**	**1516.93**	211.53
	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	अचल परिसम्पत्तियों की खरीद	**-959.13**	-110.94
	निवेश में वृद्धि/कमी	**0.00**	0.00
ख.	**निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल निवल नकद**	**-959.13**	-110.94
	वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	ऋणों में वृद्धि/कमी	**1580.65**	263.80
	ब्याज माफी (असाधारण मदें)	**-414.35**	-16.24
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से सृजित निवल नकद**	**1166.30**	247.56
	नकद तथा नकद समकरण में निवल वृद्धि	**1724.10**	348.15
	01 अप्रैल, 2012 की यथास्थिति नकद तथा नकद समकरण	**1069.14**	720.99
	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति नकद तथा नकद समकरण	**2793.24**	1069.14

कृते निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(ए.एस.एस. शर्मा)	**(सुनित शोमे)**	**(सी. पी. चेंगप्पा)**	**(बी. प्रसाद राव)**
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ग्रांधी एंड कंपनी
एफआरएन नं.: 001007एस
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

हस्ता./–
नरेश चंद्र जी.वी.
सदस्यता सं. 201754
साझेदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 8 मई, 2013

अनुसूची – 1 शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति		31 मार्च, 2012 की यथास्थिति	
अधिकृतः				
₹ 1000 प्रत्येक के				
3,50,000 इक्विटी शेयर		**3500.00**		3500.00
जारी, अंशदायी तथा प्रदत्त पूंजी :				
₹ 1000 प्रत्येक के 3,37,978 पूर्ण प्रदत्त				
(गत वर्ष 3,37,978) इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त				
(₹ 1000 प्रत्येक		**3379.78**		3379.78
के सभी 3,37,978 इक्विटी शेयर				
मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,				
नई दिल्ली तथा इसके नामित द्वारा धारित है)				
कुल		**3379.78**		3379.78

अनुसूची – 2 आरक्षित एवं अधिशेष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति		31 मार्च, 2012 की यथास्थिति	
(क) पूंजी प्रारक्षित				
प्रारंभिक शेष	**2.01**		2.01	
जोडें: परिवर्धन/समायोजन	**0.00**		0.00	
जोडें: परिवर्धन/समायोजन	**0.00**	**2.01**	0.00	2.01
(ख) प्रतिभूति प्रीमियम खाता				
प्रारंभिक शेष	**0.00**		0.00	
जोडें: परिवर्धन/समायोजन	**0.00**		0.00	
जोडें: परिवर्धन/समायोजन	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
(ग) विदेशी परियोजना आरक्षित खाता				
प्रारंभिक शेष	**0.00**		0.00	
जोडें: परिवर्धन/समायोजन	**0.00**		0.00	
जोडें: परिवर्धन/समायोजन	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
(घ) बाण्ड विमोचन आरक्षित				
प्रारंभिक शेष	**0.00**		0.00	
जोडें: परिवर्धन/समायोजन	**0.00**		0.00	
जोडें: परिवर्धन/समायोजन	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
(ड) सामान्य आरक्षित				
प्रारंभिक शेष	**0.00**		0.00	
जोडें: परिवर्धन/समायोजन	**0.00**		0.00	
जोडें: परिवर्धन/समायोजन	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
वर्ष के लिए लाभ व हानि				
(लाभ व हानि का विवरण)	**3503.77**		1044.17	
पिछले वर्ष से आगे लाया गया लाभ (हानि) का अधिशेष	**-25313.56**		-26357.73	
विदेशी परियोजना प्रारक्षित वापस लिखित	**0.00**		0.00	
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ	**-21809.79**		-25313.56	
घटाएं: विनियोग	**0.00**		0.00	
– विदेशी परियोजना आरक्षित	**0.00**		0.00	
– बॉण्ड विमोचन प्रारक्षित	**0.00**		0.00	
– सामान्य प्रारक्षित	**0.00**		0.00	
– लाभांश	**0.00**		0.00	
– कार्पोरेट लाभांश कर	**0.00**	**-21809.79**	0.00	-25313.56
कुल		**-21807.78**		-25311.55

अनुसूची – 3 दीर्घावधि ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति	31 मार्च, 2012 की यथास्थिति
रक्षित		
डिबेन्चर्स/बॉन्डस	**0.00**	0.00
राज्य सरकारों से ऋण	**0.00**	0.00
वित्तीय संस्थानों से ऋण	**0.00**	0.00
असुरक्षित		
सार्वजनिक जमा	**0.00**	0.00
निम्नलिखित से आवधिक ऋण और अग्रिम		
भारत सरकार	**0.00**	0.00
राज्य सरकार	**0.00**	0.00
वित्तीय संस्थान	**0.00**	0.00
विदेशी वित्तीय संस्थान	**0.00**	0.00
वित्त लीज दायित्वों की दीर्घावधि परिपक्वता		
कंपनियां – (बीएचईएल, धारक कंपनी)	**23497.81**	21887.18
पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों के लिए ऋण	**0.00**	0.00
	23497.81	21887.18

अनुसूची – 4 अन्य दीर्घावधि देनदारियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति	31 मार्च, 2012 की यथास्थिति
व्यापार देयताएं	**0.00**	0.00
ग्राहकों/अन्य से प्राप्त अग्रिम	**1468.63**	2486.70
जमा राशियां	**35.77**	35.77
योग	**1504.40**	2522.47

अनुसूची – 5 दीर्घावधि प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति	31 मार्च, 2012 की यथास्थिति
संविदात्मक दायित्व	**1214.66**	525.86
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान	**675.35**	592.24
अन्य	**0.00**	0.00
	1890.01	1118.10

अनुसूची – 6 लघु अवधि उधार

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति	31 मार्च, 2012 की यथास्थिति
अरक्षित		
बैंकों से	**0.00**	0.00
वाणिज्य कागजात	**0.00**	0.00
शिपमेंट पश्चात ऋण	**0.00**	0.00
पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट–एग्जिम बैंक	**0.00**	0.00
अन्यों से		
– कंपनियों से	**0.00**	0.00
– वित्तीय संस्थानों से	**0.00**	0.00
पटटे पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए ऋण	**0.00**	0.00
अन्य (पुराने बॉण्ड्स)	**99.50**	205.50
योग	**99.50**	205.50

अनुसूची – 7 व्यापार देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति	31 मार्च, 2012 की यथास्थिति
व्यापार देयताएं	**5223.71**	4510.19
योग	**5223.71**	4510.19

अनुसूची – 8 अन्य चालू देनदारियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति		31 मार्च, 2012 की यथास्थिति	
वित्त पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वताएं				
स्वीकृत बिल	**0.00**		0.00	
ग्राहकों और अन्यों से प्राप्त अग्रिम	**2933.03**		2815.12	
ठेकेदारों और अन्यों से जमा	**977.61**		921.06	
अदावाकृत लाभांश '	**0.00**		0.00	
अन्य देयताएं/देनदारियां	**8705.61**		7233.38	
ब्याज उपार्जित परंतु देय नहीं	**0.00**	**12616.25**	0.00	10969.56
उपार्जित ब्याज एवं ऋण से देय				
राज्य सरकार		**0.00**		0.00
वित्तीय संस्थान, बॉण्डस और अन्य (पुराने बॉण्ड)		**464.95**		803.28
पैकिंग क्रेडिट		**0.00**		0.00
निम्न पर उपार्जित और देय ब्याज				
पोस्ट शिपमेंट क्रेटिड		**0.00**		0.00
सरकारी ऋण		**0.00**		0.00
राज्य सरकार से ऋण		**0.00**		0.00
पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए ऋण		**0.00**		0.00
वित्तीय संस्थान और अन्य		**0.00**		0.00
विदेशी वित्तीय संस्थान		**0.00**		0.00
सार्वजनिक जमा राशियां		**0.00**		0.00
कुल		**13081.20**		11772.84

अनुसूची – 9 लघु अवधि प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति	31 मार्च, 2012 की यथास्थिति
लाभांश	**0.00**	0.00
कार्पोरेट लाभांश कर	**0.00**	0.00
अनुबंधात्मक दायित्व	**314.16**	752.54
सेवानिवृत्ति लाभ	**0.00**	0.00
अन्य	**1647.89**	1591.69
कुल	**1962.05**	2344.23

अनुसूची – 10 अचल परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति	31 मार्च, 2012 की यथास्थिति
(i) मूर्त परिसम्पत्तियां		
सकल खंड	**8243.60**	8203.75
घटाएंः संचित मूल्यह्रास	**7852.04**	7765.75
घटाएंः पट्टा समायोजन खाता	**0.00**	0.00
घटाएंः लीज समायोजन खाता		
निवल ब्लॉक	**391.56**	438.00
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		
सकल खंड	**60.26**	60.26
घटाएंः संचित मूल्यह्रास/हानि	**55.99**	49.17
निवल ब्लॉक	**4.27**	11.09
(iii) प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य		
प्रगति अधीन सिविल निर्माण कार्य	**0.00**	0.00
निर्माण स्टोर्स (ट्रांजिट सहित)	**0.00**	0.00
संयंत्र और मशीनरी तथा अन्य उपकरण		
– निर्माणाधीन/फैब्रिकेशन/निर्माण प्रतीक्षरत	**919.68**	0.40
– ट्रांजिट में	**0.00**	0.00
निर्माणाधीन पट्टे पर परिसंपत्तियां	**0.00**	0.00
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	**0.00**	0.00
कुल	**1315.51**	449.49

अनुसूची – 10क स्थाई परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास			निवल ब्लाक		
	31.03.2012 को लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	31.03.2013 को कुल लागत	01.04.2012 को प्रारंभिक शेष	ह्रास समायोजन	31.03.2013 को संचित ह्रास	31.03.2013 की यथास्थिति	31.03.2012 की यथास्थिति	वर्ष में ह्रास
फैक्टरी/कार्यालय काम्पलेक्स										
फ्री होल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	16.41			16.41	0.00		0.00	16.41	16.41	
पट्टाधारित भूमि (विकास व्यय सहित)										
सड़कें, पुल और पुलियां निर्माण	24.82			24.82	17.13		17.53	7.28	7.69	0.40
भवन	979.43			979.43	880.17		891.45	87.98	99.26	11.28
पट्टाधारित भवन										
जल निकासी, जल–मल निकासी जल आपूर्ति	44.23			44.23	37.10		38.05	6.18	7.13	0.95
रेलवे साइडिंग	18.38			18.38	18.38		18.38	0.00	0.00	
लोकोमोटिव तथा वैगन	16.61			16.61	16.61		16.61	0.00	0.00	
प्लांट तथा मशीनरी	5247.83	37.10		5284.93	5057.36		5105.86	179.07	190.47	48.50
इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	463.18	1.23	-60.26	404.16	451.06	-49.17	402.89	1.26	12.12	1.00
विद्युत संस्थापना	151.97			151.97	151.97		151.97	0.00	0.00	
निर्माण उपकरण	442.68			442.68	442.68		442.68	0.00	0.00	
वाहन	55.86			55.86	50.68		51.69	4.18	5.18	1.01
फर्नीचर और फिक्चर्स	218.17	1.52		219.69	208.98		214.13	5.56	9.19	5.15
लीज पर ली गई परिसंपत्तियां										
– संयंत्र एवं मशीनरी										
– ईडीपी उपकरण	91.05			91.05	41.46		56.80	34.25	49.59	15.34
अमूर्त परिसंपत्तियां										
– आंतरिक विकसित										
– साफ्टवेयर										
– अन्य										
अन्य										
– साफ्टवेयर	0.00		60.26	60.26	0.00	49.17	55.99	4.26	0.00	6.82
– तकनीकी जानकारी										
– अन्य										
कुल (क)	**7770.63**	**39.85**	**0.00**	**7810.48**	**7373.58**	**0.00**	**7464.04**	**346.44**	**397.05**	**90.46**
टाउनशिप										
फ्री होल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	7.68			7.68	0.00		0.00	7.68	7.68	0.00
पट्टाधारित भूमि (विकास व्यय सहित)										
सड़कें, पुल और पुलियां निर्माण	20.05			20.05	10.25		10.58	9.48	9.80	0.33
भवन	387.50			387.50	366.93		367.90	19.60	20.57	0.97
पट्टाधारित भवन										
जल निकासी, जल–मल निकासी जल आपूर्ति	21.57			21.57	18.80		19.20	2.37	2.77	0.40
संयंत्र एवं मशीनरी										
इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण										
विद्युत संस्थापना	47.39			47.39	36.17		37.13	10.26	11.22	0.96
वाहन										
फर्नीचर और फिक्चर्स	9.19			9.19	9.19		9.19	0.00	0.00	
कुल (ख)	**493.38**	**0.00**	**0.00**	**493.38**	**441.34**	**0.00**	**443.99**	**49.39**	**52.04**	**2.65**
योग (क)+(ख)	**8264.01**	**39.85**	**0.00**	**8303.86**	**7814.92**	**0.00**	**7908.03**	**395.83**	**449.09**	**93.11**
पिछला वर्ष	**8153.47**	**110.54**	**0.00**	**8264.01**	**7712.57**	**0.00**	**7814.92**	**449.09**	**460.91**	**102.35**

अनुसूची – 11 गैर चालू निवेश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति		31 मार्च, 2012 की यथास्थिति	
दीर्घावधि				
शेयर				
गैर उद्धृत शेयर (पूर्णतः प्रदत्त)				
ट्रेड:				
मै. इंजीनियरिंग प्रोजैक्ट्स (इंडिया) लिमि. के 490, प्रत्येक ₹ 10/– इक्विटी शेयर		**1.26**		1.26
ट्रेड के अलावा				
बीएचपीवी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार लिमिटेड में प्रत्येक ₹ 10/– के 250 शेयर (पूर्णतः प्रदत्त)	**0.02**		0.02	
कुफे परेड परसोफिल्स परमिसिज सोसाइटी लिमि, मंबई में प्रत्येक ₹ 50/– के 10 शेयर (पूर्णतः प्रदत्त)	**0.01**		0.01	
हिल ब्यू को–आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमि. मुंबई प्रत्येक ₹ 50/– के 20 शेयर (पूर्णतः प्रदत्त)	**0.01**		0.01	
मै. रीटा इन्टरप्राइज मुंबई को प्रत्येक ₹ 10 के 50 शेयरों के आबंटन के लिए अग्रिम शेयर राशि का भुगतान किया	**0.01**		0.01	
मैसर्स आशीष इंटरप्राइजिज मुंबई को प्रत्येक ₹ 10/– के 50 शेयर आबंटित करने के लिए अग्रिम शेयर राशि का भुगतान	**0.00**	**0.05**	0.00	0.05
कुल		**1.31**		1.31

अनुसूची – 12 आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति		31 मार्च, 2012 की यथास्थिति	
प्रावधान	**0.00**		0.00	
वैधानिक देयताएं	**0.00**		0.00	
मॉडवैट समायोजन	**0.00**		0.00	
अन्य	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
आस्थगित कर देनदारियां				
अवमूल्यन	**0.00**		0.00	
अन्य	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां		**0.00**		0.00

अनुसूची – 13 दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति		31 मार्च, 2012 की यथास्थिति	
पूंजी व्यय के लिए अग्रिम	**0.00**		0.00	
जमा	**117.33**		117.33	
कर्मचारियों को ऋण	**138.56**		156.39	
ऋणों पर उपार्जित ब्याज और देय	**0.00**		0.00	
अन्य	**0.00**	**255.89**	0.00	273.72
अग्रिम (नकद वसूली योग्य या अन्य प्रकार से या प्राप्त किये जाने वाले मूल्य के लिए)				
क्रय हेतु	**0.00**		0.00	
अन्यों को	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
जमा				
कस्टम, पोर्ट ट्रस्ट और अन्य सरकारी प्राधिकारियों के पास अधिशेष	**0.00**		0.00	
अन्यों के साथ	**0.32**	**0.32**	0.32	0.32
		256.21		274.04
घटाएं: प्रावधान		**0.00**		0.00
		256.21		274.04
उप वर्गीकरण:				
प्रारक्षित अच्छा माना		**0.00**		0.00
अप्रारक्षित, अच्छा माना		**256.21**		274.04
संदेहपूर्ण		**0.00**		0.00

अनुसूची – 14 अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति		31 मार्च, 2012 की यथास्थिति	
दीर्घावधि व्यापार प्राप्तियां	**5361.12**		2315.38	
घटाएं: बुरे और संदग्धि ऋण	**0.00**		0.00	
घटाएं: स्वतः मूल्य कटौती समायोजन खाता	**0.00**	**5361.12**	0.00	2315.38
कुल		**5361.12**		2315.38
उप वर्गीकरण:				
अप्रारक्षित, अच्छा माना		**0.00**		0.00
अप्रारक्षित, अच्छा माना		**5361.12**		2315.38
संदेहपूर्ण		**0.00**		0.00

अनुसूची – 15 चालू निवेश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति	31 मार्च, 2012 की यथास्थिति
चालू		
अउद्धृत (पूर्णतः प्रदत्त)	**0.00**	0.00
ट्रेड के अलावा	**0.00**	0.00
कुल	**0.00**	0.00

अनुसूची – 16 मालसूचियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति		31 मार्च, 2012 की यथास्थिति	
भण्डार एवं स्पेयर्स				
– उत्पादन	**427.02**		407.43	
– ईंधन स्टोर्स	**27.85**		16.01	
– विविध	**294.30**	**749.17**	241.74	665.18
कच्चा माल तथा संघटक		**4033.47**		4665.26
मार्गस्थ सामग्री		**162.56**		51.21
फ़ैब्रिकेटर्स/टेकेदारों के पास सामग्री		**0.00**		0.00
खुले औज़ार		**22.21**		21.47
रद्दी माल (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर)		**379.11**		337.14
तैयार माल		**110.57**		18.59
चल रहा कार्य (उप–टेकेदारों के साथ वस्तुओं सहित)		**1329.00**		1995.30
		6786.09		7754.15
घटाएं: अचल मालसूची हेतु प्रावधान		**1068.25**		1054.29
कुल		**5717.84**		**6699.86**

@ महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 9 के संदर्भ में मूल्यांकित

अनुसूची – 17 चालू व्यापार प्राप्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति		31 मार्च, 2012 की यथास्थिति	
– छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण	**11816.05**		12096.51	
– अन्य ऋण	**9283.83**		5734.34	
	21099.88		17830.85	
घटाएं: संदेहपूर्ण ऋणों हेतु प्रावधान	**7539.31**		6204.57	
घटाएं: स्वतः मूल्य कमी समायोजन खाता	**0.00**	**13560.57**	0.00	11626.28
कुल		**13560.57**		11626.28
व्यापार प्राप्तियों में आस्थगित ऋण शामिल हैं				
₹ 236.92 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2075.84 लाख)				
व्यापार प्राप्तियों में वितरित वस्तुओं के लंबित बिल शामिल हैं– ₹ शुन्य लाख (पिछले वर्ष ₹ शुन्य लाख)				
व्यापार प्राप्तियों का विवरण				
अप्रारक्षित, अच्छा माना		**0.00**		0.00
अप्रारक्षित, अच्छा माना		**13560.57**		11626.28
संदेहपूर्ण		**7539.31**		6204.57

अनुसूची – 18 रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति		31 मार्च, 2012 की यथास्थिति	
नकदी और स्टैम्पस के रूप में		**8.14**		2.28
चैक, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में		**0.00**		244.05
ट्रांजिट में प्रेषण		**0.00**		0.00
अनुसूचित बैंकों में अधिशेषः				
चालू खाता	**1637.85**		294.06	
जमा खाता	**1147.25**		528.75	
12 माह से अधिक परिवक्वता अवधि के साथ जमा	**0.00**	**2785.10**	0.00	822.81
कुल		**2793.24**		1069.14

अनुसूची – 19 लघु अवधि ऋण और अग्रिम

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति		31 मार्च, 2012 की यथास्थिति	
ऋण				
कर्मचारियों को ऋण	**0.00**		0.00	
उधार पर जारी सामग्री	**0.00**		0.00	
अन्य को ऋण	**0.00**		0.00	
सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को ऋण	**0.00**		0.00	
अर्जित ब्याज और या ऋण पर देय	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
अग्रिम (नकद प्राप्तियां या किसी अन्य प्रकार या मूल्य के रूप में प्राप्त)				
कर्मचारियों को	**120.50**		113.41	
क्रय के लिए	**2276.76**		2204.25	
अन्य के लिए	**3219.11**	**5616.37**	2905.86	5223.52
जमा				
कस्टम, पोर्ट ट्रस्ट और अन्य सरकारी प्राधिकारियों के पास अधिशेष	**201.84**		802.95	
अंतर कॉर्पोरेट जमा/ऋण	**0.00**		0.00	
अंतर कॉर्पोरेट जमाओं/ऋणों पर उपार्जित ब्याज	**0.00**		0.00	
अन्य से	**253.58**		263.72	
अग्रिम कर/टीडीएस (कराधान के लिए निवल प्रावधान)	**93.69**	**549.11**	55.65	1122.32
		6165.48		6345.84
घटाएं: संदेहपूर्ण ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान		**2972.14**		2979.50
		3193.34		3366.34
ऋणों और अग्रिमों का विवरण				
प्रारक्षित, अच्छा माना		**0.00**		0.00
अप्रारक्षित, अच्छा माना		**3193.34**		3366.34
संदेहपूर्ण		**2972.14**		2979.50

अनुसूची – 20 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति		31 मार्च, 2012 की यथास्थिति	
बैंक जमाओं और निवेशों पर अर्जित ब्याज		**31.54**		26.90
पट्टे पर परिसंपत्तियों से प्रापणयोग्य किराया	**0.00**		0.00	0.00
घटाएं: अनुपार्जित वित्त आय	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
कुल		**31.54**		26.90

अनुसूची – 21 प्रचालनों से राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
बिक्री घटा वापसी	**21820.46**	13740.14
बाहरी निर्माण और अन्य सेवाओं से आय	**2206.39**	1839.94
कार्य ठेकों से राजस्व	**0.00**	0.00
वित्त लीज़ पर दी गई परिसंपत्तियां	**0.00**	0.00
योग	**24026.85**	15580.08

अनुसूची – 22 अन्य प्रचालन आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
निर्यात प्रोत्साहन		**0.00**		0.00
लीज़ पर परिसंपत्तियों से किराये की आय	**0.00**		0.00	
लीज इक्वेलाइजेशन अकाउंट	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
वित्त लीज़ पर दी गई परिसंपत्तियों पर वित्त आय		**0.00**		0.00
स्क्रैप		**45.58**		211.12
बिक्री/अधिशेष के स्थानांतरण से प्राप्ति		**0.00**		0.00
अन्य		**188.75**		293.32
योग		**234.33**		504.44

अनुसूची – 23 अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
क. अन्य आय		
यूनिटों या बॉण्डों की बिक्री पर लाभ	**0.00**	0.00
स्थायी परिसंपत्तियों और पूंजीगत स्टोर्स की बिक्री से लाभ (शुद्ध)	**0.00**	0.00
निवेश पर लाभांश (दीर्घावधि–व्यापार)	**0.01**	0.01
विनिमय अंतर प्राप्ति (निवल)	**0.00**	0.00
अन्य (अनुसन्धान एवं विकास परियोजनाओं या भारत सरकार से प्राप्त)	**0.00**	0.00
ख. ब्याज आय		
ग्राहकों से	**0.00**	0.00
कर्मचारियों से	**0.00**	0.00
बैंकों से	**85.63**	41.68
निवेशों से (चालू, ट्रेड के अलावा)	**0.00**	0.00
अन्य	**0.00**	0.00
टीडीएस ₹ 2.22 लाख (पिछले साल ₹ 1.72 लाख)		
कुल	**85.64**	41.69

अनुसूची – 24 तैयार माल में वृद्धि/कमी तथा चल रहा कार्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. कार्य की प्रगति				
अथशेष	**1329.00**		1995.30	
प्रारंभिक शेष	**1995.30**	**-666.30**	1570.45	424.85
ख. तैयार माल का स्टॉकरू				
अथशेष	**110.57**		18.59	
प्रारंभिक शेष	**18.59**	**91.98**	11.35	7.24
कुल (क+ख)		**-574.32**		432.09
टिप्पणी:				
तैयार माल में उत्पाद कर का हिस्सा:				₹ लाख
अंतिम स्टॉक		**12.16**		0.00
प्रारंभिक स्टॉक		**0.00**		0.00

अनुसूची – 25 सामग्री की खपत, संस्थापना और इंजीनियरिंग व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
कच्चे माल और संघटकों की खपत	**9297.06**	7115.22
भण्डारों एवं स्पेयर्स की खपत	**276.23**	224.42
इरेक्शन तथा इंजीनियरी व्यय – ठेकेदारों को भुगतान	**170.97**	309.39
योग	**9744.26**	7649.03

अनुसूची – 26 कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते तथा अन्य लाभ	**3804.16**	3552.70
उपदान निधि में अंशदान	**240.70**	189.81
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	**303.69**	279.63
समूह बीमा	**0.00**	0.00
कर्मचारी कल्याण व्यय	**812.04**	765.16
योग	**5160.59**	4787.30

अनुसूची – 27 उत्पादन, प्रशासन, बिक्री तथा वितरण पर अन्य व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
रेजीडेंट परामर्शदाता प्रभार		**0.00**		0.00
रॉयल्टी, तकनीकी प्रलेखीकरण, परामर्श प्रभार और अन्य परामर्श प्रभार		**0.00**		0.00
किराया		**0.00**		0.00
उत्पाद कर		**16.78**		25.17
विद्युत एवं ईंधन		**470.08**		364.67
दरें और कर		**113.07**		7.32
सेवा कर		**0.00**		0.00
विनिमय परिवर्तन (अधिशेष)		**0.11**		0.00
बीमा		**11.03**		10.01
मरम्मतः				
भवन	**158.38**		75.21	
संयंत्र एवं मशीनरी	**82.22**		39.70	
अन्य	**32.91**	**273.51**	19.72	134.63
निर्यात से संबंधित अन्य व्यय		**0.00**		0.00
बट्टाकृत निवेशों पर हानि		**0.00**		0.00
वर्ष के दौरान बट्टाकृत अशोध्य ऋण		**0.00**		0.00
बाह्य ढुलाई प्रभार		**53.09**		120.45
यात्रा और वाहन		**49.40**		44.86
विविध व्यय		**511.32**		463.86
रोकड़ छूट		**0.00**		0.00
प्रभारित किये गये निर्णीत हर्ज़ाने		**0.00**		0.00
गारंटी फीस		**0.00**		0.00
निर्माणाधीन प्रभागों को स्टोर्स के स्थानांतरण पर मूल्य अंतर		**0.00**		0.00
दान		**0.00**		0.00
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व		**0.00**		0.00
बॉण्डों के मोचन पर हानि/प्रीमियम		**0.00**		0.00
पूंजीगत स्टोर्स/अचल परिसंपत्यिों की बिक्री पर हानि (निवल)		**0.00**		0.00
योग		**1498.39**		1170.97

अनुसूची – 28 प्रावधान (शुद्ध)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
संदिग्ध ऋण, निर्णीत हर्ज़ाने तथा ऋण और अग्रिम				
वर्ष के दौरान सृजित	**1334.74**		0.00	
घटाएं : वर्ष के दौरान पुरांकित	**0.00**	**1334.74**	0.00	0.00
संविदात्मक दायित्व				
वर्ष के दौरान सृजित	**596.60**		311.64	
घटाएं : वर्ष के दौरान पुरांकित	**346.18**	**250.42**	154.88	156.76
अन्य				
वर्ष के दौरान सृजित	**72.33**		125.28	
घटाएं : वर्ष के दौरान पुरांकित	**0.00**	**72.33**	0.00	125.28
कुल		**1657.49**		282.04

अनुसूची – 29 वित्त लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
पर ब्याजः		
बाण्डस/डिबेंचर्स/केंद्रीय/राज्य सरकार से ऋण	**76.01**	135.85
बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण	**0.00**	0.00
आस्थगित ऋण	**0.00**	0.00
अंतर प्रभाग लेनदेन (अधिशेष)	**0.00**	0.00
विदेशी वित्तीय संस्थान	**20.52**	4.46
अन्य	**0.00**	0.00
अन्य उधार लागत	**96.53**	140.31
घटाएंः उधार लागत पूंजीकृत	**0.00**	0.00
योग	**96.53**	140.31

अनुसूची – 30 विशिष्ट मदें

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
आय		
पुराने बॉण्डों के निपटान पर ब्याज की माफी	**414.35**	16.24
व्यय	**0.00**	0.00
विशिष्ट मदें (निवल)	**414.35**	16.24

अनुसूची – 31 पूर्व अवधि मदें

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय				
प्रतिफल रहित बिक्री	**0.00**		0.00	
ब्याज आय/अन्य	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
व्यय				
कच्चा माल तथा संघटकों की खपत	**0.00**		0.00	
ब्याज	**0.00**		0.00	
विविध व्यय	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
पूर्वावधि समायोजन (निवल)		**0.00**		0.00

अनुसूची – 32 कर व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान वर्ष के लिए		
– चालू कर	**0.00**	0.00
– आस्थगित कर	**0.00**	0.00
पहले के वर्ष के लिए		
– कर	**0.00**	0.00
– आस्थगित कर	**0.00**	0.00
योग	**0.00**	0.00

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखाकरण की प्रोद्भवन विधि तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, जैसा कि कंपनी द्वारा निरंतर किया जा रहा है।

2. अनुमानों का उपयोग

सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांत के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान और कल्पनाएं करना अपेक्षित होता है जो रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आय और व्यय और वित्तीय विवरणों की तिथि को आकस्मिक देयताओं सहित देनदारियों और परिसंपत्तियों को प्रभावित करते हैं।

3. स्थायी परिसंपत्तियां

(क) स्थायी परिसंपत्तियां (राज्य से निःशुल्क अधिग्रहित भूमि से भिन्न) अधिग्रहण या निर्माण अथवा संग्रहित मूल्यह्रास और हानि, यदि कोई है, को घटाकर बही मूल्य पर प्राप्त की जाती हैं।

(ख) लागत के अंतर्गत वास्तविक/प्राक्कलित फैक्टरी लागत या बाजार कीमत, जो भी कम हो, में लिए गए पूंजीगत कार्य के लिए आंतरिक अंतरण मूल्य सम्मिलित होता है। स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्रयुक्त दीर्घावधि देयताओं/ऋणों के संबंध में अवमूल्यन/पुर्नमूल्यन जैसी असाधारण घटनाओं के प्रभाव को लागत में जोड़ा/घटाया जाता है।

(ग) राज्य सरकार से निःशुल्क अधिग्रहित भूमि का मूल्य 1 रुपये लगाया गया है, सिवाए इसके कि वह 16 जुलाई, 1969 के पश्चात् न अधिग्रहित की गई हो, क्योंकि उस मामले में यह भूमि संबद्ध राज्य सरकार से पूंजी प्रारक्षित निधि में समतुल्य जमा द्वारा अधिग्रहण मूल्य पर मूल्यांकित की जाती है।

4. वित्तीय पट्टा

क) पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां

क) विनिर्मित और वित्तीय पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां सामान्य विक्रय मूल्य/उचित मूल्य/संविदाकृत मूल्य पर पूंजीकृत की जाती हैं और उन्हें बिक्री के रूप में माना जाता है।

ख) वित्त आय को पट्टा अवधि के लिए माना जाता है।

ग) प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें पट्टा शुरू होने पर खर्च कर दी जाती है।

ख) पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां

क) पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों को उचित मूल्य/एनपीवी/ संविदाकृत मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है।

ख) उक्त पर उस दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है जो मूल्यह्रास पर लेखाकरण नीति के अनुसार समान किस्म की स्थायी परिसंपत्तियों के लिए लागू होती है। यदि पट्टा परिसंपत्तियां, पट्टा अवधि समाप्त होने पर पट्टादाता को वापस करनी है तो उनकी उपयोगी अवधि या पट्टा अवधि, जो भी अल्प हो, के लिए मूल्यह्रासित किया जाता है।

ग) किए गए पट्टा भुगतानों को पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों से संबद्ध वित्त प्रभारों एवं बकाया देयता की कमी, में विभाजित कर दिया जाता है।

(ग) प्रचालन पट्टा

क) पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां: विनिर्मित और प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां पूंजीकृत की जाती हैं। उनसे होने वाली पट्टा आय को पट्टा अवधि में हुई आय माना जाता है।

ख) पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां: प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए किए गए पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि में हुआ व्यय माना जाता है।

5. अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियो को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है, अगर

(क) यह संभाव्य हो कि भविष्य में परिसंपत्ति के कारण होने वाला आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा, और

(ख) कंपनी का परिसंपत्तियों पर नियंत्रण होगा, और

(ग) इन परिसंपत्तियों की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है और 10,000 रुपये से अधिक है।

अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को उनकी अनुमानित उपयोगी अवधि में सीधी रेखा यथानुपात मासिक आधार पर परिशोधित किया जाएगा, जो सॉफ्टवेयर के मामले में तीन वर्षों और अन्य के मामले में दस वर्षों से अधिक नहीं होगी।

(क) अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के अनुसंधान चरण के दौरान व्यय सहित अनुसंधान पर व्यय को होने वाले वर्ष में लाभ और हानि में प्रभारित किया जाता है।

(ख) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर लेखाकरण मानक के अनुसार मानदंड पूरी करने वाली अनुसंधान और विकास

परियोजनाओं के विकास चरण के दौरान व्यय सहित विकास पर किए गए व्यय को अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है।

(ग) अनुसंधान और विकास के प्रयोजनार्थ अधिग्रहित स्थायी परिसंपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है।

6. उधार लागतें

क) उधार लागतें, जो अर्हक परिसंपत्तियों के विनिर्माण, अधिग्रहण या निर्माण पर व्यय की जाती हैं, ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में शामिल की जाती हैं।

ख) अर्हक परिसंपत्ति वह होती है जो अभिप्रेत उपयोग या बिक्री हेतु तैयार होने में आवश्यक रूप से बारह महीने से अधिक का समय लेती है।

ग) अन्य उधार लागतों को उस अवधि का व्यय माना जाता है, जिसमें उन्हें खर्च किया जाता है।

7. मूल्यह्रास

(i) स्थायी परिसंपत्तियों (संविदा के अधीन विदेशों में प्रयुक्त को छोड़कर) पर मूल्यह्रास, उसे छोड़कर जहां मूल्यह्रास, तकनीकी रूप से आकलित अनुमानित उपयोगी अवधि के आधार पर निर्धारित दरों पर प्रभारित किया जाता है, कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों के अनुसार सीधी–रेखा विधि पर परिसंपत्तियों की कुल लागत तक प्रभारित किया जाता है, जो नीचे दर्शाया गया है–

	एकल पाली	दोहरी पाली	तिहरी पाली
सामान्य संयंत्र एवं मशीनरी	8%	12%	16%
स्वचालित/अर्ध–स्वचालित मशीनें			
स्थापना उपकरण, पूंजीगत	10%	15%	20%
औजार तथा साज–सामान	20%		
टाउनशिप बिल्डिंगें			
– द्वितीय श्रेणी	2.5 %		
– तृतीय श्रेणी	3.5 %		
रेलवे साइडिंग	8 %		
लोकोमोटिव तथा वैगन	8 %		
विद्युतीय संस्थापनाएं	8 %		
कार्यालय तथा अन्य उपकरण	8 %		
ड्रेनेज, सीवरेज तथा अन्य जल आपूर्ति	3.34 %		
इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	20 %		

स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि/से कटौती के मामले में मूल्यह्रास प्रभार, यथानुपात मासिक आधार पर होता है.

(ii) दीर्घावधिक संविदाओं के अनुसरण में भारत से बाहर प्रयुक्त स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास प्रारंभिक संविदा की अवधि के दौरान होता है।

(iii) 10,000 रुपये या कम लागत की स्थायी परिसंपत्तियों अथवा उन परिसंपत्तियों, जिनका ह्रासित मूल्य वर्ष के प्रारंभ में 10,000 रुपये या कम है, का पूर्णतः मूल्यह्रास होता है। जहां तक, टाउनशिप भवनों का प्रश्न है, वहां प्रति मकान की लागत 10,000 रुपये की सीमा के लिए आधार है।

(iv) निर्माण/परियोजना स्थल पर सड़कों, पुलों और पुलियों की लागत संविदा अवधि में पूर्णतः परिशोधित की जाती है, जबकि शेड, रेलवे साइडिंगें, विद्युतीय संस्थापनाओं और इस प्रकार के अन्य समर्थकारी कार्यों (पूर्णतः अस्थायी निर्माण, लकड़ी के कार्य को छोड़कर) पर अवशिष्ट मूल्य के रूप में 10 प्रतिशत प्रतिधारित करते हुए उन्हें मूल्यह्रासित किया जाता है।

(v) लकड़ी के ढांचों जैसे पूर्णतः अस्थायी निर्माण कार्यों पर निर्माण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है।

(vi) पट्टाधारित भूमि और भवनों को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि पर निर्मित भवनों का मूल्यह्रास उनकी उपयोगी अवधि अथवा पट्टे की अवधि जो भी कम हो, में होता है।

8. निवेश

(i) दीर्घावधि निवेश लागत पर किए जाते हैं। अस्थायी के अलावा, ऐसे निवेशों में गिरावट को मान्यता दी जाती है और इसके लिए व्यवस्था की जाती है।

(ii) चालू निवेश लागत या उद्धृत/उचित मूल्य, जो भी कम है, पर किए जाते हैं। अउद्धृत चालू निवेश लागत पर किए जाते हैं।

(iii) निवेश की लागत में अधिग्रहण प्रभार जैसे, दलाली, शुल्क तथा ड्यूटी शामिल है।

मौजूदा राशि में यदि कोई कमी होती है या किसी की पूर्ति होती है तो उसे लाभ और हानि में लेखा प्रभारित अथवा जमा किया जाता है।

9. मालसूची मूल्यांकन

(i) मालसूचियों का मूल्यन वास्तविक/अनुमानित लागत अथवा निवल वसूलीयोग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

(ii) गैस आधारित पावर संयंत्रों, बॉयलरों, बॉयलर ऑग्जिलियरी, कम्प्रेसरों और औद्योगिक टर्बो सेटों सहित हाइड्रो और थर्मल सेटों के संयंत्रों में तैयार माल तथा जारी कार्यों का मूल्यन वास्तविक/अनुमानित फैक्टरी लागत या वसूली योग्य मूल्य के 97.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

(iii) संयंत्र में तैयार माल एवं चालू कार्य के मूल्यांकन के संबंध में लागत का अर्थ कारखाना लागत है, वास्तविक/अनुमानित कारखाना लागत में विनिर्मित माल पर देय उत्पाद शुल्क शामिल है।

(iv) कच्चे माल, संघटकों, फुटकर औजारों, भंडारों एवं अतिरिक्त पुर्जों की लागत का अर्थ भारांकित औसत लागत है।

(v) क) 1.04.2003 को या उसके बाद की गई निर्माण संविदाओं के लिए–

जहां संविदा की लागत के वर्तमान अनुमान और विक्रय मूल्य हानि दर्शाते हैं, वहां ऐसी संविदा के लिए प्रत्याशित हानि को तुरंत मान्यता प्रदान की जाती है, चाहे कार्य शुरू हो गया है या नहीं।

ख) अन्य सभी संविदाओं के लिए–

जहां किसी संविदा का भाग होने वाली पृथक रूप से अभिज्ञात परियोजना की लागत और विक्रय मूल्य संबंधी वर्तमान अनुमान हानि दर्शाता है, वहां ऐसी परियोजना के संबंध में, जिस पर कार्य आरंभ हो चुका है, प्रत्याशित हानि को मान्यता दी जाती है।

(ग) प्रत्याशित हानि निर्धारण में प्राप्त कुल आय पर विचार किया जाता है, जिसमें निर्यातों/माने गए निर्यातों पर प्रोत्साहन भी शामिल होते हैं।

(vi) उत्पादन आर्डरों के लिए खरीद/विनिर्मित संघटकों और अन्य सामग्रियों, जिन्हें अथिशेष घोषित किया गया हो, को तकनीकी अनुमानों के आधार पर अवशिष्ट मूल्य प्रतिधारित करते हुए राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

9. राजस्व मान्यता

ग्राहक के पक्ष में स्वामित्व को अंतरित करके महत्वपूर्ण जोखिमों और प्रतिफलों के आधार पर बिक्री को दर्ज किया जाता है। बिक्री के अंतर्गत आंशिक शिपमेंट द्वारा ग्राहक को प्रेषित किया गया माल आता है।

क. 1.04.2003 को या उसके बाद की गई निर्माण संविदाओं के लिए

राजस्व को संविदा की कुल अनुमानित लागत पर सूचना तिथि तक व्यय की गई वास्तविक लागत की प्रतिशतता पर आधारित प्रतिशतता समापन विधि से मान्यता दी जाती है।

ख. अन्य सभी संविदाओं के लिए:

(1) लम्बे उत्पादन चक्र वाली मदों के संबंध में बिक्री राजस्व को मान्यता तकनीकी अनुमानों पर दी जाती है।

जब शिपमेंट का कुल मूल्य प्रापणीय मूल्य का 30 प्रतिशत या उससे अधिक हो तो उन पर प्रापणीय मूल्य के 97.5 प्रतिशत या प्रापजीय मूल्य न होने पर, उद्धृत मूल्य पर विचार किया जाता है। अन्यथा, उन पर वास्तविक/अनुमानित फैक्टरी लागत या प्रापणीय मूल्य के 97.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, विचार किया जाता है। शेष 2.5 प्रतिशत को संविदा के अधीन आपूर्ति पूरी हो जाने पर राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

(2) निर्माण और परियोजना प्रबंध सेवाओं को निम्नलिखित आधार पर मान्यता दी जाती है– पूर्णता की प्रतिशतता, अथवा अंतर्भूत मूल्य की गणना संविदा मूल्य के 97.5 प्रतिशत पर की जाती है तथा शेष 2.5 प्रतिशत पर की जाती है तथा शेष 2.5 प्रतिशत को संविदा समाप्त होने पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(3) प्रदान की गई इंजीनियरिंग सेवाओं से प्राप्त आय को पूरे किए गए कार्य की प्रतिशतता के आधार पर प्रापणीय मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

(4) गैर बीएचपीवी उपस्करों/प्रणालियों और सिविल कार्यों की आपूर्ति/निर्माण से प्राप्त आय की मान्यता ग्राहकों को किए गए प्रेषणों/परियोजना स्थल पर किए गए कार्यों पर आधारित होती है।

11. विदेशी मुद्रा लेन–देन के लिए लेखाकरण

विदेशी मुद्रा लेन–देनों को लेन–देनों की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में विनिमय दरो पर रूपांतरित किया जाता है। लेन–देनों के निपटान और मौद्रिक मदों के रूपांतरण पर उत्पन्न हुए विनिमय अंतर को उस वर्ष जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, में आय अथवा व्यय के रूप में माना जाता है।

12. अभिन्न विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों का रूपांतरण:

(i) आय और व्यय की मदें, मूल्यह्रास, जिसे समतुल्य अचल परिसंपत्तियों के लिए अपनाई गई दरों पर परिवर्तित किया जाता है, को छोड़कर औसत दर पर रूपांतरित की जाती हैं।

(ii) मौद्रिक मदें इतिशेष दर पर रूपांतरित की जाती हैं, ऐतिहासिक लागत पर लाई गई गैर–मौद्रिक मदें रूपांतरण की तारीख को लागू दरों पर रूपांतरित की जाती हैं, उचित मूल्य पर लाई गई गैर–मौद्रिक मदें, उन विनिमय दरों, जो मूल्य निर्धारित करने के समय मौजूद थी, पर रूपांतरित की जाती हैं।

(iii) रूपांतरणों की सभी भिन्नताओं को लाभ और हानि लेखे में लाया जाता है।

13. कर्मचारी लाभ

अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश, भविष्य निधि और कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के अंशदान को प्रोद्भवन आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। उपदान, सेवानिवृत्ति पर यात्रा दावे और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभों के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार लेखाबद्ध की जाती है। बीमांकिक देयता कर्मचारियों के संदर्भ में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के आरंभ में निर्धारित की जाती है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन प्रतिपूर्ति होने वाले वर्ष में यथानुपात मासिक आधार पर प्रभारित की जाती है।

14. कंपनी द्वारा/के विरुद्ध दावे

(i) कंपनी के विरुद्ध निर्णीत हर्जाने के लिए दावे को समान लेन–देनों के अनुभवों द्वारा अनुपूरित उपलब्ध सूचना के संदर्भ में संभावित परिणामों के प्रबंधन के आकलन के आधार पर लेखे में माना जाता है।

(ii) निर्यात प्रोत्साहन, शुल्क वापसी, सीमा शुल्क की वापसी और बीमा के लिए दावे आदि प्राप्ति पर लेखे में लिए जाते हैं।

(iii) मूल्य वृद्धि दावे और/अथवा संविदा कार्य के परिवर्तनों के संबंध में देय राशियों को केवल तभी राजस्व के रूप में माना जाता है जब संविदाओं से ऐसे दावों अथवा भिन्नताओं की शर्तें हों और/अथवा ग्राहकों से उसकी स्वीकार्यता का साक्ष्य हो। तथापि वृद्धि आंतरिक मूल्य तक प्रतिबंधित होती है।

15. वारंटियों के प्रावधान

(i) 1.04.2003 को या उसके बाद किए गए निर्माण संविदाओं के लिए :

संविदात्मक दायित्वों का प्रावधान परीक्षण प्रचालन समाप्त होने पर संविदा मूल्य के 2.5 प्रतिशत पर अनुरक्षित किया जाता है।

(ii) अन्य सभी संविदाओं के लिए: वर्ष के अंत में वारंटी के अंतर्गत संविदाओं के लिए संविदात्मक दायित्वों का प्रावधान संविदा मूल्य के 2.5 प्रतिशत पर अनुरक्षित किया जाता है। एक उत्पाद से अधिक की आपूर्ति वाली संविदाओं के मामले में पूरे किए गए प्रत्येक उत्पाद के मूल्य के 2.5 प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है।

(iii) सुधार कार्य पर वारंटी के दावे/व्यय को जब भी व्यय किया जाता है, प्राथमिक शीर्ष के अधीन लेखांकन किया जाता है और वर्ष के अंत में प्रावधानों पर प्रभारित किया जाता है।

16. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब लेखाबद्ध किया जाता है जब उनकी वसूली की उचित निश्चितता हो। अचल मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों से संबद्ध अनुदानों को संगत परिसंपत्तियों की सकल लागत के अधीन समायोजित किया जाता है, जबकि गैर–मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों से संबद्ध को पूंजी प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है। राजस्व सबद्ध अनुदान जब तक व्यय/हानियों के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त नहीं किए जाते, तब तक उन्हें उस अवधि, जिससे वे राजस्व की समतुल्य लागत के सिद्धांत पर संबद्ध हैं, राजस्व के रूप में माना जाता है।

गैर–मौद्रिक परिसंपत्तियों के रूप में अनुदानों को अधिग्रहण की लागत पर अथवा नॉमिनल मूल्य पर लेखाबद्ध किया जाता है, अगर वे निःशुल्क प्राप्त होते हैं।

17. आय पर कर

चालू कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप कर योग्य आय पर किया जाता है। आस्थगित कर देया/परिसंपत्ति लेखाकरण आय और कर योग्य आय के बीच समयांतर के परिणामस्वरूप कर का निर्धारण लागू दर पर और बाद में कार्यान्वित कानून को ध्यान में रखते हुए विचारित किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति की गणना केवल तभी आगे उस स्थिति में की जाती है कि इस बात की न्यायोचित निश्चितता है कि पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय ऐसे आस्थगित कर परिसंपत्तियों के तहत उपलब्ध होगी। गैर विलयकृत अवमूल्यन के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्यिां और आगे अग्रेषित हानियां को केवल तभी मान्यता दी जाती है यदि ऐसी वास्तविक स्थिति हो कि ऐसी परिसंपत्तियों के वास्तविकीकरण के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी।

18. हानि

जब कभी हानि के संकेत होते हैं प्रत्येक तुलन पत्र पर नकदी सृजन इकाइयों की राशि की समीक्षाा की जाती है। क्षति घाटा हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब अग्रेषित राशि नकदी सृजन इकाइयों की वसूली योग्य राशि से अधिक होती है। यदि वसूली योग्य राशि में परिवर्तन होता है तो इम्पेअरमेंट हानि को रिवर्स कर दिया जाता है और ऐसी हानि अधिक समय नहीं रहती अथवा घट जाती है।

19. खण्ड रिपोर्टिंग

खण्ड रिपोर्टिंग कंपनी की लेखाकरण नीतियों के अनुरूप होती है। खण्डों में राजस्व और व्यय की पहचान खण्ड की प्रचालन गतिविधियों से उनके संबंध के आधार पर की जाती है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियां और देयताएं, जो कि एक औचित्यपूर्ण तौर पर खण्ड के लिए बांटने लायक नहीं है, उन्हें ''गैर आबंटित राजस्व/व्यय/परिसंपत्तियां/देनदारियां के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

नोट : 33

तुलन पत्र तथा लाभ–हानि लेखे के भाग के रूप में टिप्पणियां

1. अनुबंधों की अनुमानित राशि, निवल अग्रिम राशि, पूंजीगत लेखे पर निष्पादन शेष राशि तथा प्रदान न की गई राशि ₹ 9511.00 लाख है (गत ₹ 1111.00 लाख)। उक्त में अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों का अधिग्रहण शामिल है।

2. भूमि तथा भवन में 380.48 एकड़ भूमि शामिल हैं जिसके लिए औपचारिक हस्तांतरण विलेख आंध्र प्रदेश सरकार के जी. ओ. संख्या एमएस 96 दिनांक 30.04.2007 तथा 696 तारीख 03.10.2008 के अनुरूप वर्ष 2009–10 के दौरान की स्थिति तक निष्पादित/पंजीकृत।

3. 10,000 तक की प्रत्येक स्थायी परिसंपत्ति पर 100 प्रतिशत मूल्यहास के प्रावधान के लाभ–हानि खाते पर प्रभाव ₹ 3.13 लाख है। इसमें ₹ 10,000 तक की वृद्धियों पर प्रदान किया गया ₹ 1.90 लाख का मूल्यहास भी शामिल है।

4. बिक्री घटा आयः

   (क) अनंतिम मूल्यों पर आधारित बिक्री शून्य (गत वर्ष शून्य)

   (ख) वर्ष के दौरान रेलवे के साथ तय मूल्य के अनुसार पहले किए गए प्रेषण के लिए अतिरिक्त मूल्य ₹ शून्य (पूर्व वर्ष ₹ शून्य) शामिल है

   (ग) वृद्धि अद्यतन दावे शून्य (गत वर्ष शून्य) प्रोद्भूत आधार पर वृद्धि दावे शून्य (गत वर्ष शून्य)

   (घ) ग्राहकों के अनुरोध पर उनकी ओर से भेजे गए ₹ 459.55 लाख के मूल्य उपस्करों के प्रेषण (गत वर्ष ₹ 107.04 लाख) जिनके लिए कंपनी को भुगतान प्राप्त हो चुका है

   (ड.) इसमें संविदा की शर्तों के अनुसार सुपुर्दगी में देर के कारण मूल्य (कुल रिफंड) में कमी ₹ शून्य (पिछले वर्ष शून्य) शामिल नहीं है।

5. आकस्मिक देयताएं

   कंपनी के विरुद्ध दावों, जो ऋण के रूप में नहीं माने गए हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं–

   (क) आय कर अपीलें – ₹ 31.56 लाख रुपये (पिछले वर्ष ₹ 31.56 लाख) विभाग अपीले डीटीए मामलों से संबंधित हैं और ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित हैं जिनके तहत विरोध स्वरूप ₹ शून्य की राशि का भुगतान किया गया/रिफंड से समायोजित किया गया (गत वर्ष शून्य)

   (ख) बिक्री कर मांग–₹ 1377.85 लाख (गत वर्ष ₹ 1528.51 लाख), जिसमें से विरोध स्वरूप/कोर्ट आदेश के अंतर्गत ₹ 734.69 लाख (पिछले वर्ष यह ₹ 760.08 लाख का भुगतान किया गया।

   (ग) उत्पाद शुल्क मांग – ₹ 10533.75 लाख (गत वर्ष ₹ 10456.06 लाख) जिसमें से ₹ 538.83 लाख का भुगतान विरोध/कोर्ट आर्डर के कारण किया गया है। (गत वर्ष ₹ 279.85 लाख)

   (घ) सीमा शुल्क मांग – ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

   (ड) न्यायालय/मध्यस्थता मामले – ₹ 2018.65 लाख (गत वर्ष ₹ 3194.66 लाख)

   (च) निर्णीत हर्जाना– ₹ 504.30 लाख (गत वर्ष – ₹ 1084.23 लाख)

   (छ) ठेकेदारों द्वारा कांउटर दावे – ₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य)

   (ज) सेवा कर मांग– ₹ 2061.31 (गत वर्ष ₹ 1913.71 लाख) जिसमें से शून्य राशि का भुगतान विरोध/कोर्ट आर्डर के कारण किया गया सात वर्ष शून्य लाख

   (झ) अन्य (कर्मचारी विवाद, कर्मचारियों तथा अंग्रेजी माध्यम से स्कूल स्टाफ को बढ़ाया वेतन सहित) ₹ 10218.91 लाख (गत वर्ष ₹ 10218.91 लाख)

   (ञ) एएस–29 मार्गनिर्देशों के अनुसार 31.03.2013 को बकाया बैंक गारंटी : ₹ 386.55 लाख (गत वर्ष ₹ 194.79 लाख)

   (ट) 31.03.2013 को बकाया कॉर्पोरेट गारंटी– ₹ 1725.21 लाख (गत वर्ष ₹ 1175.29 लाख)। इसके अतिरिक्त निष्पादन गारंटी के लिए आर सी एफ, थाल के पक्ष में बी. एच. पी. वी. की ओर से बीएचईएल द्वारा ₹ 957.32 लाख की कार्पोरेट गारंटी दी गई।

6. उप ठेकेदार/फैब्रीकेटर के पास पड़े लेनदारों, पेनदारों, ठेकेदारों के अग्रिम, जमा और स्टॉक/सामग्री पुष्टि, समायोजन और परिणामी समायोजन के अध्यधीन है। समायोजन सतत् आधार पर किया जाता है और जहां कही भी आवश्यक समझा जाता है दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रावधान किए गए हैं।

7. 1.4.2001 से पूर्व पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के मामले में किराया संबंधी ब्यौराः ₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य रुपये)

8. वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत राशि ₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य)

9. 1 अप्रैल, 2001 को अथवा इसके बाद पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों का ब्यौरा

क्र. सं.	विवरण	वर्ष	पूंजीगत मूल्य
1	कम्प्यूटर / पेरीफरल्स	2009-10	₹ 34.24 लाख
2	कम्प्यूटर / पेरीफरल्स	2010-11	₹ 56.81 लाख
3	कम्प्यूटर / पेरीफरल्स	2011-12	₹ शून्य
4	कम्प्यूटर / पेरीफरल्स	2012-13	₹ शून्य

10. एएस–15 (संशोधित) से संबंधित मार्गदर्शन नोट के अनुरूप कंपनी के उपदान और छुट्टी के वेतन का वास्तविक मूल्यांकन किया है।

कंपनी ने भारी उद्योग विभाग द्वारा विषय पर जारी विशिष्ट अनुदेशों के अनुरूप अवकाश के नकदीकरण की गणना हेतु 30 दिनों के माह के आधार पर अवकाश नकदीकरण व्यय की गणना की है।

11. निर्णीत हानि के लिए प्रावधान/आकस्मिक देयता तथा संविदात्मक दायित्वों के लिए प्रावधान की व्यवस्था कमर्शियल विभाग की सलाह के अनुसार प्रदान की गई/वापस ले ली गई।

12. वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास पर हुए खर्च जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (2एबी) के तहत घटाने योग्य हैं, का ब्यौराः–

पूंजी व्यय

भूमि	:	₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य)
भवन	:	₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य)
संयंत्र और मशीनरी	:	₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य)

राजस्व व्ययः

वेतन और भत्ते	:	₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य)
उपभोज्य सामग्री / अतिरिक्त सामग्री	:	₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य)
विनिर्माण और अन्य सामग्री	:	₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य)
कुल राजस्व व्यय	:	₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य)

13. एएस–18 के अनुसार संबंधित पार्टी लेन–देन–

क) <u>नियंत्रणाधीन संबद्ध पार्टियां (होल्डिंग कंपनी)</u>

पार्टी का नामः भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

संबंध की प्रकृतिः होल्डिंग कंपनी

ख) <u>अन्य संबद्ध पार्टियां (प्रमुख प्रबंधन कार्मिक)</u>

श्री सी पी चेंगप्पा, प्रबंध निदेशक, बीएचपीवी लिमिटेड (12.04.2013 से)

श्री ए .एस. नागराजा, प्रबंध निदेशक, बीएचपीवी लिमिटेड (30.04.2012 तक)

श्री पी. वी. श्रीधरन, निदेशक (एच आर), बीएचपीवी लिमिटेड (31.07.2012 तक)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेन–देन की प्रकृति	होल्डिंग कंपनी अर्थात बीएचईएल	बीएचईएल ईएमएल (बीएचईएल की सहायक कंपनी)	प्रमुख प्रबंधन कर्मचारी
1	माल की खरीद	1064.09	165.98	-
2	माल की बिक्री	22264.85		-
3	व्यापार प्राप्य	12862.28		-
4	आर्डर्स के लिए अग्रिम	894.13		-
5	शेयर पूंजी अग्रिम	3400.00		-
6	चालू व्यापार देयताएं	-	102.91	-
7	देयताएं	2.43		-
8	लिये गये ऋण/अग्रिम	23497.81		-

(ग) 31.03.2013 तक की स्थिति के अनुसार 11 होल्डिंग कंपनियों द्वारा भेजे गए कार्यपालक बीएचपीवी में काम कर रहे हैं। वेतन तथा भत्तों की लागत होल्डिंग कंपनी द्वारा वहन की जाती है

14. (क) विभागीय मरम्मत और रख–रखाव पर व्यय इस

प्रकार है:

संयंत्र और मशीनरी	:	₹ 97.25 लाख (गत वर्ष ₹ 54.59 लाख)
भवन	:	₹ 83.74 लाख (गत वर्ष ₹ 77.01 लाख)
अन्य	:	₹ 181.95 लाख (गत वर्ष ₹ 182.43 लाख)

(ख) एजेंसी के निर्यात संबंधी कमीशन में निर्यात संबंधी व्यय शामिल है: शून्य लाख (गत वर्ष शून्य लाख)

(ग) अनुसंधान और विकास पर व्यय ₹ 105.09 लाख (गत वर्ष ₹ 100.07 लाख)

(घ) रेंट रेजीडेंसियल ₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य)

(ड.) लेखा परीक्षकों को भुगतान

(₹ लाख में)

	2012-13	2011-12
लेखा परीक्षक	1.33	1.33
कराधान मामले	0.25	0.25
कंपनी विधि मामले	शून्य	शून्य
प्रबंधन सेवा	शून्य	शून्य
अन्य सेवा	0.15	0.28
व्यय की प्रतिपूर्ति	शून्य	0.04

(च) लागत लेखा परीक्षकों को भुगतान: ₹ 0.45 लाख (गत वर्ष ₹ शून्य लाख)

(छ) मनोरंजन पर व्यय: ₹ 5.88 लाख (गत वर्ष ₹ 5.06 लाख)

(ज) विदेशी यात्रा पर व्यय

(₹ लाख में)

	2012-13	2011-12
दौरों की संख्या	शून्य	शून्य
व्यय	शून्य	शून्य

(झ) प्रचार और जन संपर्क पर व्यय

(₹ लाख में)

	2012-13	2011-12
वेतन भत्ते तथा अन्य लाभ	28.00	29.12
अन्य व्यय	14.34	18.03

(ञ) निदेशक की फीस: ₹ 0.09 लाख (गत वर्ष ₹ 0.22 लाख)

15. वर्ष के अंत में चल रहे अनुबंध के संबंध में संशोधित एएस–7 के अनुसार वर्ष के लिए माने गए अनुबंध राजस्व के मामले में प्राप्त निर्माण अनुबंध से संबंधित प्रकटन:

(क) वर्ष के लिए माना गया अनुबंध राजस्व ₹ 13717.83 लाख (गत वर्ष ₹ 10203.60 लाख)

(ख) लागत व्यय तथा माना गया लाभ (घटाएं: मानी गई हानि) ₹ 45303.10 लाख (गत वर्ष ₹ 29973.10 लाख)

(ग) प्राप्त अग्रिम राशि: ₹ 891.13 लाख (गत वर्ष ₹ 1569.70 लाख)

(घ) प्रतिधारण राशि (आस्थगित ऋण) ₹ 5700.57 लाख (गत वर्ष ₹ 4457.33 लाख)

(ड) उपयुक्त नेटिंग आफ के बाद ग्राहकों से देय राशि के संबंध में परिसंपत्ति के रूप में अनुबंध कार्य के लिए ग्राहकों से देय सकल राशि ₹ 14038.69 लाख (गत वर्ष ₹ 6067.03 लाख) देयता के रूप में अनुबंध कार्य के लिए ग्राहकों से देय सकल राशि ₹ शून्य लाख (गत वर्ष ₹ 223.47 लाख)

(च) आकस्मिकताएं – ₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य)

(एएस)–7 के अनुसार 1 अप्रैल, 2003 को अथवा इसके बाद किए गए निर्माण अनुबंधों के मामले में कुल लागतों तथा कुल राजस्व का अनुमान। निर्माण अनुबंध वर्ष के दौरान कमेटी द्वारा पुनरीक्षित एवं अद्यतन किए जाते हैं तथा चालू वर्ष के खाते में आवश्यक समायोजन किए जाते हैं। अनुमानों में परिवर्तन के राशि की मात्रा उल्लिखित करना अव्यवहारिक है।

16. निदेशकों भुगतान किया गया/किया जाने वाला पारिश्रमिक (इसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी शामिल है):

वेतन और भत्ते	:	₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य)
भविष्य निधि में अंशदान	:	₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य)
उपदान निधि में अंशदान	:	₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य)
अन्य	:	₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य)

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक/निदेशक को कंपनी के नियमानुसार उनके/उनकी निजी यात्रा के लिए भुगतान आधार पर कंपनी के परिवहन की सुविधा प्राप्त करने की अनुमति थी।

17. व्युत्पन्न लिखतों से संबंधित प्रकटन – शून्य (गत वर्ष शून्य)

18. सूक्ष्म तथा लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सप्लायरों से संबंधित प्रकटन–कंपनी ने सूक्ष्म, लघु अथवा मध्यम उद्यम के रूप में 31 मार्च, 2013 तक की स्थिति के अनुसार अपने दर्जे का दावा करने वाले (सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सप्लायरों द्वारा अधिसूचित प्राधिकार के तहत भरा जाना अपेक्षित) से ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात, वर्ष के दौरान इस पार्टियों को भुगतान की गई/भुगतान की जाने वाली राशि शून्य रही।

20. लेखाकरण मानदंड–29 से संबंधित प्रकटन

(क) (₹ लाख में)

निर्णीत हानि (कुल)		**2011-12**
आदि शेष	3318.13	3029.45
जमा	284.77	295.81
उपयोग/बट्टे खाते डालना/भुगतान	0.00	7.13
आहरण/समायोजन	0.00	0.00
अंत शेष	**3602.90**	**3318.13**
संविदात्मक दायित्व (कुल)		
आदि शेष	1278.40	1121.64
जमा	596.59	311.64
उपयोग/बट्टे खाते डालना/भुगतान	0.00	0.00
आहरण/समायोजन	346.18	154.88
अंत शेष	**1528.81**	**1278.40**

(ख) कंपनी की लेखांकन नीति के अनुरूप निर्णीत हानियों का प्रावधान किया जाता है और उपयुक्त रूप से इस पर निपटान संबंधी खातों या अन्यथा कार्रवाई की जाती है। निर्णीत हानि से संबंधित आकस्मिक देयताएं नोट सं. 33 के बिंदु संख्या 5 पर दर्शाई गई है।

(ग) संविदा दायित्व के लिए प्रावधान महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 13 के अनुरूप संविदा राजस्व के 2.5 प्रतिशत की दर से किया जाता है ताकि संविदा की शर्तों और निबंधनों के अनुसार दायित्वों को पूरा किया जा सके। संविदा के वारंटी दायित्व पूरा होने तक उसे सुरक्षित रखा जाता है। वारंटी दायित्व से संबंधित वास्तविक व्यय संबंधित संविदा की शर्तों और निबंधनों के आधार पर अलग–अलग संविदाओं में और अलग समय पर भिन्न–भिन्न हो सकता है।

20. जहां कही व्यावहारिक है, पूर्व वर्ष के आंकड़े पुनर्व्यवस्थित/पुनः समूहबद्ध किए गए है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाया जा सके तथा निकटम हजार रूपये में राउंड आफ किया जा सके। इसके अतिरिक्त पूर्व वर्ष के आंकड़े चालू वित्त वर्ष 2011–12 संशोधित कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अनुसूची–VI में दिए गए हैं।

21. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के कारण हुए दायित्व की गणना ऐसे उपक्रमों के डेटाबेस के आधार पर की गई है जिन्हें आपूर्तिकर्ताओं/शिकमी ठेकेदारों से उनके स्तरों के अनुसार प्राप्त उत्तरों के आधार इकाइयों/प्रभागों द्वारा तैयार किया गया है। इसे नीचे दिया जा रहा है।

	2012-13	**2011-12**
	₹ लाख	₹ लाख
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएं	शून्य	शून्य

22. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 10ए के अनुसार पहचाने गए राजस्व को सभी संबंधित आदेशों में अग्रेनीत किया गया।

23. (क) लेखाकरण मानदंड 5 की प्रकटन अपेक्षा का सही प्रकार अनुपालन किया गया है।

(ख) कंपनी ने एएस 15 के प्रावधानों का पालन किया है और बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर उपदान तथा अवकाश वेतन के लिए देयताओं संबंधी प्रणाली का प्रचालन किया है। उपदान के वास्ते ₹ 1433.21 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 1530.27 लाख) का और अवकाश वेतन के वास्ते ₹ 734.08 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 643.74 लाख) का प्रावधान किया गया है। उपदान और वेतन का बीमाकिंक आधार पर मूल्यांकन की गणना बीमांकिक आधार पर निम्नानुसार है:–

(₹ लाख में)

क्र. सं.	**उपदान का विवरण और अवकाश वेतन प्रावधान**	**उपदान**	**अवकाश वेतन**
1	प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	1530.37	643.74
2	ब्याज लागत	122.44	51.49
3	चालू सेवा लागत	60.68	26.92
4	भुगतान किये गये लाभ	-(338.06)	-(224.27)
5	बीमांकिक (लाभ)/दायित्व हानि	57.57	236.19
6	अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	1433.21	734.07

(ग) लेखाकरण मानदंड 17– कंपनी टर्नकी अथवा अन्यथा आधार पर सिंगल प्राइमरी व्यवसाय अर्थात फैब्रिकेशन/संस्थापना से परिचालित होती है। कंपनी द्वारा निर्मित संघटक केवल इस प्रकार की परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए होते हैं। अतः, कंपनी किसी प्रकार के अलग प्रकटन की आवष्यकता महसूस नहीं करती।

(ख) लेखाकरण मानदंड 20– प्रति शेयर अर्जन की गणना (ईपीएस) नीचे दी गई है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	2012-13	2011-12
1	शेयरों की सं.	337978 Nos	337978 Nos
2	असाधारण मदों पर विचार करने से पूर्व लाभ/हानि	3089.42	1027.93
3	असाधारण मदों पर विचार करने से पूर्व ईपीएस	0.009	0.003
4	असाधारण मदों पर विचार करने के बाद लाभ/हानि	3503.77	1044.17
5	असाधारण मदों पर विचार करने के बाद ईपीएस	0.10	0.0031

(ग) लेखाकरण मानदंड 22– भावी करयोग्य आय की निश्चित उपलब्धता के न होने के कारण आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता की पहचान नहीं की जा सकी।

(घ) लेखाकरण मानदंड 27– कंपनी का कोई संयुक्त उपक्रम नहीं है।

(ङ) लेखाकरण मानदंड 28 – एएस–28 के अनुसार परिसंपत्तियों के नुकसान की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि परिसंपत्तियों के नुकसान पर संभावित हानि का कोई संकेत नहीं था।

(च) विदेशी मुद्रा प्राप्ति एवं व्ययः विदेशी मुद्रा की प्राप्ति शून्य रही (गत वर्ष शून्य), कच्चे माल के आयात/सेवाओं/एमआईटी/अन्य के लिए विदेशी मुद्रा व्यय ₹ 363.07 लाख रहा (गत वर्ष ₹ 71.85.24 लाख)।

(झ) कंपनी निरंतर डब्ल्यूआईपी मूल्यांकन विधि का अनुसरण कर रही है। कंपनी भविष्य में लागत को नियंत्रित करने और लगाए गए अनुमान के भीतर कार्य करने के प्रति आश्वस्त है।

(ञ) शेष राशियों की पुष्टि के लिए अनुरोध भेजे गए थे और पार्टियों के साथ समायोजन सतत् प्रक्रिया के रूप में किया जाता है कंपनी नियमित तौर पर उधार न चुकाने वालों से लंबित मामलों के समायोजन और वसूली के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

(ट) कंपनी अधिनियम, 1956 (कारोबार पर उपकर) के अनुच्छेद 441ए के अंतर्गत कंपनी द्वारा किसी प्रकार की राशि भुगतान/प्राप्तियोग्य नहीं है क्योंकि उपकर के भुगतान से संबंधित नियमों को केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।

24. एक लाख से कम से आय और व्यय के मद पर पूर्व अवधि के मद के लिए बुकिंग करने पर विचार नहीं किया जाता।

25. कंपनी ने वर्ष के दौरान धारक कंपनी की नीति के अनुरूप अनुमानों के उपयोग, इंटेग्रल विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों के ट्रांसलेशन, आय पर कर, हानि और खण्ड रिपोर्टिंग पर अपनी लेखा नीति में परिवर्तन किया है। लाभ एवं हानि के विवरण पर लेखाकरण नीतियों के परिवर्तन का लेखा पर प्रभाव शून्य है।

26. भारत सरकार के दिनांक 7.5.2008 के पत्र सं. एफ सं. 1(11)/2004–पीई(IV) के अनुसार भेल ने बी.एच.पी.वी. में 34 करोड़ अतिरिक्त पूंजी लगाई है। उपर्युक्त राशि की अतिरिक्त शेयर पूंजी जारी होने से पूर्व अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाई जानी है। निदेशक मंडल ने संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेदों के खंड में संशोधन करने के प्रस्ताव की जांच की है ताकि अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाई जा सके। साथ ही निदेशक मंडल ने विधीक्षा के लिए प्रस्तावित संशोधनों को भारी उद्योग विभाग को भेजने का निर्देश दिया है। तद्नुसार कागजात विधीक्षा लिए के भारी उद्योग विभाग भेजे गए थे। डी एच आई से अभी अनुमति प्राप्त नहीं हुई है अतः शेयर पूंजी के लिए बीएचईएल से प्राप्त राशि को अग्रिम माना गया है और वर्ष 2010–11 के तुलन पत्र में असुरक्षित देनदारी के रूप में दर्शाया गया है।

तथापि, प्रबंधन समिति (जिसमें प्रबंध निदेशक, बी.एच.पी.वी., बी आई एफ आर द्वारा नियुक्ति विशेष निदेशक और मानीटरिंग एजेंसी का प्रतिनिधि शामिल है) द्वारा की गई टिप्पणी के अनुसार अतिरिक्त शेयर पूंजी के रूप में प्राप्त

₹ 34.00 करोड़ की राशि वर्ष 2011–12 के दौरान आंबटन लंबित होने के कारण शेयर पूंजी के रूप में लेखांकित की जाती है। यही स्थिति 2012–13 में भी जारी है।

27. वर्ष 2012–13 के दौरान भारत सरकार ने बीएचपीवी का बीएचईएल में विलय के प्रस्ताव पर विचार किया और भारी उद्योग विभाग के पत्र संख्या एफ नं. 1(17)/2010–पीXI दिनांक 06.03.2013 के तहत प्राप्त सूचना के अनुसार उसने अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	शवबीपी
(ए.एस.एस. शर्मा)	**(सुनित शोमे)**	**(सी. पी. चेंगप्पा)**	**(बी. प्रसाद राव)**
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते ग्रांधी एंड कंपनी
एफआरएन नं.: 001007एस
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

हस्ता./–

नरेश चंद्र जी.वी.
सदस्यता सं. 201754
साझेदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 8 मई, 2013

नोट – 34

2012–2013 के लिए प्रबंधन द्वारा वर्गीकृत एवं प्रमाणित मात्रात्मक एवं अन्य डाटा

1 कारोबार, अंतिम एवं प्रारंभिक स्टॉक

		कारोबार		अंतिम स्टॉक		प्रारंभिक स्टॉक	
		टन (ईक्यू)	₹ लाख में	टन (ईक्यू)	₹ लाख में	टन (ईक्यू)	₹ लाख में
I)	उर्वरक, रसायन तथा	14	472	0	0	2	11
	अन्य उपकरण	(765)	(1134)	(2)	(11)	(2)	(11)
Ii)	क्रायोजेनिक प्लांट तथा वेसेल्स	703	2528	0	0	0	0
		(897)	(2533)	(0)	(0)	(0)	(0)
Iii)	बॉयलर और कम्पोनेंट्स	10834	21027	164	111	32	8
		(6673)	(11913)	(32)	(8)	(0)	(0)
	कुल	11551	24027	164	111	34	19
		(8335)	(15580)	(34)	(19)	(2)	(11)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

2. खपत हुआ कच्चा माल, संघटक तथा भंडार एवं औजार

		2012-13		2011-12	
		मात्रा	मूल्य (₹ लाख में)	मात्रा	मूल्य (₹ लाख में)
क.	**कच्चा माल तथा संघटकः**				
1.	सीएस प्लेट (टन में)	4821	2132	4082	2222
2.	एसएस प्लेट (टन में)	48	143	162	405
3.	सीएस टयूब्स (मीटर में)	113510	1201	123781	829
4.	एसएस टयूब्स (मीटर में)	7649	49	5346	150
5.	एचई टयूब्स (संख्या में)	2381	87	972	21
6.	अन्य आयरन और स्टील सामग्री संघटकों सहित		5685		3487
	कुल कः		9297		7115
ख.	**भंडार तथा खुले औजार**		276		224
	कुल (क)+(ख)		**9573**		**7339**

(₹ लाख में)

			2012-13	2011-12
3.	**(क)**	**आयात मूल्य (सीआईएफ)**		
		क. कच्चा माल तथा संघटक	348	74
		ख. मार्गस्थ सामग्री	0	6
		स्पयेर्स	21	5
		पूंजीगत समान	11	0
	(ख)	विदेशी मुद्रा व्यय (प्रावधान सहित)		
		रायल्टी	0	0
		इंजीनियरिंग शुल्क	0	0
		तकनीकी ज्ञान	0	0
		अन्य मामलें	13	0
	(ग)	आयातित तथा स्वदेशी कच्चे माल, संघटकों तथा खपत हुए पुर्जो का ब्यौराः		
		वर्ष के दौरान इस्तेमाल हुए संघटकों तथा पुर्जो सहित आयातित कच्चे माल का मूल्य	410	61
		वर्ष के दौरान इस्तेमाल हुए संघटकों तथा पुर्जो सहित स्वदेशी सामग्री का मूल्य	9163	7278
		कुल	**9573**	**7339**
		मद (1) की प्रतिशत के कुल खपत	4.28	0.83
		मद (2) की प्रतिशत के कुल खपत	95.72	99.17
	(घ)	लाभांश के मामलें में विदेशी मुद्रा में प्रेषित राशि	शून्य	शून्य
	(ड़)	विदेशी मुदा में अर्जन		
		सप्लाई (एफओबी)	0	0
		सेवाएं	0	0

बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को आपके समक्ष कंपनी की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है। आपकी कंपनी ने कारोबार में पिछले वर्ष की तुलना में करीब 25.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की है। वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए प्रमुख वित्तीय विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

1. करोबार में वृद्धि ₹ 2113.76 लाख से ₹ 2653.38 लाख हुई।
2. धारक कंपनी द्वारा वित्तपोषित ₹ 170 लाख के कार्यशील पूंजी ऋण के साथ ब्याज का पूर्ण पुनर्भुगतान।
3. एलटी इंडक्शन मोटरों का व्यावसायिक उत्पादन।
4. पिछले वर्ष में ₹ 4.73 करोड़ के मुकाबले करीब ₹ 21 करोड़ के वर्षान्त आर्डर बुक

आपकी कंपनी के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कुल कारोबार में ₹ 54.96 की निवल हानि दर्ज़ की गई जो कि मुख्यतः वित्तीय वर्ष के पूर्वार्द्ध में ऑर्डरों की कमी या अपर्याप्त आर्डर प्राप्त होने के कारण है। हानि को तुलन पत्र में प्रारक्षित के तहत दर्शाया गया है और अधिशेष को भविष्य के लाभों के तहत समायोजित किया जाएगा।

आपकी कंपनी की भविष्य की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में विशेषीकृत अल्टरनेटर्स विकसित करना है। अप्रत्याशित स्थितियों के बावजूद, आपके निदेशकों को ये विश्वास है कि चालू वर्ष में आपकी कंपनी के प्रचालनों में सुधार हो सकता है।

निदेशकों का दायित्व विवरण

आपके निदेशक एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि:–

31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखाजोखा तैयार करते समय सामग्री प्रस्थान के संबंध में उपयुक्त व्याख्या के साथ–साथ, जहां कहीं आवश्यक है, लागू लेखाकरण मानकों' का अनुपालन किया गया है।

निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो कि इतने तर्कसंगत और उपयुक्त हैं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ–हानि का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।

निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं से बचाव के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार लेखा का समुचित रिकार्ड रखे जाने पर उपयुक्त एवं पर्याप्त ध्यान दिया है।

निदेशकों ने 'गोइंग कंसर्न' आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।

चूंकि आपकी कंपनी ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान किसी भी शेयर की पुनर्खरीद नहीं की है, अतः अनुच्छेद 217 (2बी) के संबंध में सूचना कंपनी पर लागू नहीं है।

कंपनी के वर्तमान निदेशक मण्डल में बोर्ड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित, जिन दोनों को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा और एक केरल सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है, केवल तीन निदेशक है। लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप श्रेणीकरण और नए निदेशक की नियुक्ति के अवलंबन के कारण लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है और वर्तमान बोर्ड लेखा परीक्षा समिति के रूप में भी काम करती है।

निदेशक

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के गठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

शेयर पूंजी

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

कार्मिक

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 217(2ए) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक किसी भी कर्मचारी ने पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया।

कारपोरेट अभिशासन

क. जैसा कि इस रिपोर्ट में अन्यत्र उल्लेख किया गया है, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए कारपोरेट अभिशासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यथा अपेक्षित निदेशक मण्डल और स्वतंत्र और अन्य निदेशकों के साथ पुनर्गठन अभी किया जाना है। बोर्ड का विस्तार होने पर विभिन्न समितियों का गठन किया जाएगा।

ख. कारपोरेट अभिशासन पर कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संलग्न है।

लेखा परीक्षक

मैसर्स जैकब आइजक एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कानहांगाड को, जिनकी मेंगलौर–575001 में शाखा है, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी का लेखा परीक्षक नियुक्त किया और वे दूसरी आम सभा संपन्न होने तक जारी रहेंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 224(8)(एए) के अनुरूप उनके पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए आवश्यक प्रस्ताव वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से शून्य टिप्पणी रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और विदेशी मुद्रा कारोबार

आपकी कंपनी उन उद्योगों की सूची में नहीं आएगी जिनके लिए ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि के लिए उठाए गए कदमों का अनिवार्यतः प्रकट करना होता है। लेकिन ऊर्जा खपत को न्यूनतम और उपयुक्त रूप में करने और प्रचानल लागत में कमी लाने के संबंध में सभी कदम उठाए जा रहे हैं। अनुसंधान एवं विकास विंग को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि कंपनी नए उत्पादों का विकास कर सके। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कोई विदेशी मुद्रा प्रवाह नहीं है। कच्चे माल की खरीद के लिए बाहर गई कुल विदेशी मुद्रा रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान ₹ 30.21 लाख के समकक्ष थी।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर अनिवार्य खर्च के संबंध में जारी दिशानिर्देशों की परिधि में नहीं आएगी।

लेकिन एक जिम्मेदार कारपोरेट के नाते, आपकी कंपनी ने अपने को बीएचईएल से वित्तीय सहायता के साथ निम्नलिखित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बीएचईएल ईडीएन, बंगलौर के साथ संबद्ध किया है।

1. पिलीकीड़ी कालोनी बेडराडका में वर्तमान बोरवैल में 1.5 एचपी सबमर्सिबल पंप सेट और इलेक्ट्रिकल वायरिंग उपलब्ध करवाना।
2. आंगनवाड़ी (डे केअर सेंटर), कम्बार में इलेक्ट्रिक वायरिंग उपलब्ध करवाना और पंखों की संस्थापना उपलब्ध करवाना।
3. आंगनवाड़ी, कोट्टाकुन्नु में इलेक्ट्रिकल वायरिंग उपलब्ध करवाना और पंखों की संस्थापना।
4. राजकीय अपर प्राइमरी स्कूल, बेडराडका में वर्तमान बोरवैल के लिए 1.5 एचपी सबमर्सिबल पंप की आपूर्ति और संस्थापना।
5. राजकीय लोअर प्राइमरी स्कूल, कामबार में इलेक्ट्रिकल वायरिंग उपलब्ध करवाना और पंखों और स्टील अलमारियों की आपूर्ति।

अनुसंधान एवं विकास

आपकी कंपनी ने बीएचईएल आरएंडडी समूह हैदराबाद के साथ उसकी स्थाई चुंबकीय जनरेटर (पीएमजी) के विकास की परियोजना में संबद्धता की है।

आभार

आपकी कंपनी धारक कंपनी, राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों, भारतीय स्टेट बैंक, कंपनी के वेंडरों और कंपनी के ग्राहकों तथा कंपनी से जुड़े अन्य सभी व्यक्तियों की प्रशंसा और धन्यवाद करना चाहती है। बोर्ड कंपनी के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को तहे दिल से दिये गये अपार सहयोग को रिकार्ड में लेना चाहता है।

निदेशक मण्डल के लिए और की ओर से

हस्ता./–
अनिल आहुजा
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 जुलाई, 2013

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण बीएचईएल इलैक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड

हमने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के अनुसार बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड के संलग्न तुलनपत्र, लाभ हानि खाते और नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना की लेखापरीक्षा की है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है जिसमें वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और कंपनी के नकद प्रवाह का कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3ग) में संदर्भित लेखाकरण मानदंडों के अनुरूप सही और सच्ची तस्वीर दी गई है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के संगत आंतरिक नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो सत्य और मुक्त तथा तथ्यात्मक रूप से गलत विवरण से मुक्त, चाहे किसी घोटाले अथवा त्रुटि के कारण हो, वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है। हमने इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानदंडों के अनुरूप लेखा परीक्षा संचालित की है। इन मानदंडों के तहत यह अपेक्षित है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस संबंध में एक उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और संचालित करें कि क्या ये वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गड़बड़ी से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच और राशि के समर्थन में संलग्न प्रलेख और वित्तीय विवरण के प्रकटन शामिल रहते हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिनमें वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गड़बड़ी, चाहे घोटाले अथवा त्रुटिवश हुई है, के जोखिम का मूल्यांकन शामिल होता है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में, लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के वास्ते वित्तीय विवरणों को तैयार करने और स्वतंत्र प्रस्तुतिकरण के कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो स्थिति अनुरूप उपयुक्त होते हैं।

लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन एवं महत्वपूर्ण आकलन तथा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों का संपूर्ण मूल्यांकन भी शामिल रहता है।

हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा से प्राप्त सबूत हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध करवाने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त है।

राय

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम की अपेक्षानुसार तथा सामान्य रूप से भारत में स्वीकार्य सिद्धातों के अनुरूप सही और उचित विचार देते हैं:

(क) 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कंपनी के क्रियाकलापों के तुलन पत्र के मामले में,

(ख) वर्ष की समाप्ति की तारीख को कंपनी के लाभ–हानि, लाभ के विवरण के मामले में,

(ग) वर्ष की समाप्ति की तारीख को कंपनी के नकद प्रवाह के विवरण के मामले में।

1. कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 227 के उप अनुच्छेद (4ए) के अनुसरण में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 की अपेक्षानुसार तथा कम्पनी की बहियों और रिकार्डों की ऐसी जांच के अवसर पर जिसे हमने उचित समझा तथा हमें प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार हमने उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण संलग्न अनुबंधों में दिया है।

2. कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 227 के प्रावधानों के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

क) हमने लेखापरीक्षा के प्रयोजन से अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सभी आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं,

ख) जहां तक कंपनी की बहियों की जांच का प्रश्न है, हमारी राय में कंपनी ने लागू कानून की अपेक्षानुसार अपनी बहियों का उचित रखरखाव किया है,

ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुबंध के अनुसार है,

घ) हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाते, नकद प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956

के अनुच्छेद 211 के उप अनुच्छेद 3(ग) में उल्लिखित लेखांकन मानदंडों के अनुरूप हैंय

ड) निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेतन के आधार पर 31 मार्च, 2013 को, जिसे निदेशक मण्डल ने रिकार्ड में शामिल किया है, कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 के उप अनुच्छेद (1) के उपबंध (छ) की शर्तों के तहत निदेशक के तौर पर नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं है।

च) चूंकि केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के अधीन सेस के भुगतान की दर के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है और न ही उसने इस अनुच्छेद के तहत कोई नियम जारी किया है, जिसमें उपकर के भुगतान के लिए पद्धति का निर्धारण किया गया हो, अतः कंपनी की तरफ से कोई उपकर देय अथवा भुगतेय नहीं है।

कृते मैसर्स जैकब एंड आइसेक एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 007675 एस

हस्ता./–

के. पी. मोहम्मद आइसेक, बी.कॉम. एफसीए
साझेदार
(सदस्यता सं. 204171)

स्थान : मेंगलौर
दिनांक : 27 अप्रैल, 2013

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

अनुबंध बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड के सदस्यों को कंपनी के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में है।

यथापेक्षित और लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर, जिन्हें उपयुक्त समझा गया, जांच के आधार पर हम बयान करते हैं कि:

1. (क) कंपनी ने सामान्य तौर पर अपनी स्थायी परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक ब्यौरों और स्थिति सहित पूर्ण विवरणों को दर्शाने वाले समुचित दस्तावेज बनाए रखे हैं।

   (ख) हमें सूचित किया गया है कि प्रबंधन ने न्यायोचित अंतराल में स्थायी सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन कराया है। ऐसे सत्यापन पर कोई वास्तविक विरोधाभास नहीं देखा गया है।

   (ग) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान किसी अचल परिसंपत्ति का निपटान नहीं किया गया है और इस प्रकार इसकी जारी स्थिति प्रभावित नहीं हुई है।

2. (क) प्रबंधन ने वर्ष के दौरान उचित अंतराल के बाद मालसूची का भौतिक सत्यापन किया गया है।

   (ख) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार मालसूची के भौतिक सत्यापन के संबंध में अनुपालित प्रक्रिया का कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप युक्तिसंगत और पर्याप्त है।

   (ग) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी मालसूची का रिकार्ड उचित प्रकार से रख रही है और भौतिक सत्यापन में कोई त्रुटि सामने नहीं आई है।

3. (क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में कवर कम्पनियां, फर्मों और अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित अथवा असुरक्षित नहीं प्राप्त किया है। तद्नुसार कम्पनी (लेखा परीक्षण की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैरा 4 का खण्ड (iii) (ख) से (iii) (घ) चालू वर्ष के लिए कम्पनी पर लागू नहीं है।

   (ङ) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में शामिल कम्पनियों, फर्मों और अन्य पार्टियों से कोई ऋण सुरक्षित अथवा असुरक्षित नहीं लिया है। तद्नुसार, कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिर्पोट) आदेश, 2003 के पैरा 4 का खण्ड (iii) (च) से (iii) (छ) चालू वर्ष के लिए कम्पनी पर लागू नहीं है।

4. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार मालसूची स्थायी परिसम्पत्तियों की ख़रीद तथा माल एवं सेवाओं की बिक्री के संबंध में कम्पनी के आकार तथा इसके व्यवसाय स्वरूप के समनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां हैं। इसके अतिरिक्त कम्पनी की बहियों तथा रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमें आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में बड़ी कमजोरियों को सुधार करने में लगातार असफल रहने के बारे में न तो पता चला है और न ही कोई सूचना मिली है।

5. (क) हमारे द्वारा अपनाई गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार अधिनियम की धारा 301 में संदर्भित कोई संविदाएं अथवा व्यवस्थाएं नहीं हैं जिनकी उस धारा के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में प्रविष्टि किए जाने की जरूरत हो।

   (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 301 के तहत शामिल होने वाले पक्षों के साथ किया गया कारोबार एक वित्तीय वर्ष में पांच लाख से अधिक नहीं है अतः कारोबार की न्यायोचितता संबंधी अपेक्षा का सवाल पैदा नहीं होता है।

6. कम्पनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 58ए तथा 58एए के अधीन आने वाली जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है।

7. प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के पास इसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

8. प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुरूप केंद्रीय सरकार द्वारा लागत रिकार्ड के अनुरक्षण के लिए अधिनियम, 1956 की धारा 209 की उप धारा (1) के उपबंध (घ) के अधीन निर्धारण किया गया है और हमारी राय में प्रथम दृष्टि में निर्धारित लेखा और रिकार्ड तैयार और अनुरक्षित किया गया है।

9. कंपनी के रिकार्ड के अनुसार, कंपनी सामान्यतः नियमित रूप से भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि,

कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, धन कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, उपकर और यथा लागू कोई अन्य वास्तविक सांविधिक देयताएं सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों को उचित प्राधिकारियों के पास जमा कर रही है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार भुगतान की तारीख से 6 महीने से अधिक माह की अवधि हेतु 31 मार्च, 2013 को कोई भी सांविधिक देयता बकाया राशि विवादित नहीं थी।

10. कंपनी 2 वर्ष पुरानी है। अतः, लागू नहीं है।

11. हमारे द्वारा अपनाई गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणें के आधार पर, हमारी राय है कि, कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों अथवा डिबेंचरधारकों को बकाए की वापसी अदायगी में कोई चूक नहीं की है।

12. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेंचर तथा अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।

13. कंपनी चिट फंड या निधि/म्युचुअल लाभ फंड/सोसायटी नहीं है। अतः कंपनी पर कंपनीज (आडिटर्स रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथा संशोधित) के उपबंध के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

14. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों में व्यवसाय अथवा व्यापार नहीं कर रही है। अतः लागू नहीं हैं।

15. हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से अन्य लोगों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. हमारे द्वारा अपनाई गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमारी राय है कि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।

17. हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण और कंपनी के तुलन पत्र की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट देते हैं कि अल्पावधि आधार पर ली गई निधि का दीर्घावधि निवेश हेतु उपयोग नहीं किया गया है।

18. हमारे द्वारा अपनाई गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमारी राय है कि कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई वरीयतन आबंटन नहीं किया है।

19. लेखापरीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी का कोई बकाया डिबेंचर नहीं है।

20. वर्ष के दौरान कंपनी ने सार्वजनिक इश्यू के जरिए कोई धन नहीं जुटाया है।

21. हमारे द्वारा अपनाई गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमारी राय है कि वर्ष के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया और न ही इसके बारे मे सूचित किया गया।

कृते मैसर्स जैकब एंड आइसेक एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 007675 एस

हस्ता./–

के. पी. मोहम्मद आइसेक, बी.कॉम. एफसीए
साझेदार
(सदस्यता सं. 204171)

स्थान : मेंगलौर
दिनांक : 27 अप्रैल, 2013

दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड, कसारगोड के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड, कसारगोड का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा और उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा निर्धारित आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के उत्तरदायी हैं। इसे उनकी दिनांक 27.04.2013 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया बताया जाता है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड, कसारगोड के वित्तीय विवरण की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकरण कागजातों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित होती है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आई है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने का कारण बनती है।

कृते भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
की ओर से

हस्ता./–

(एम.वी. राजेश्वरी)
प्रधान निदेशक– वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, चेन्नई

स्थान : चेन्नई
दिनांक : 4 जून, 2013

तुलन पत्र

31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार (₹ लाख में)

	विवरण	अनुसूची सं.	31.03.2013 को		31.03.2012 को	
I.	**इक्विटी एवं देनदारियां**					
(1)	**शेयरधारक निधियां**					
	(क) शेयर पूंजी	1	**1050.00**		1050.00	
	(ख) प्रारक्षित एवं अधिशेष	2	**-92.48**	**957.52**	-37.52	1012.48
(2)	**गैर–चालू देनदारियां**					
	(क) दीर्घावधि ऋण					
	(ख) आस्थगित कर देनदारियां (निवल)					
	(ग) अन्य दीर्घावधि देनदारियां					
	(घ) दीर्घावधि प्रावधान	3	**258.37**	**258.37**	236.94	236.94
(3)	**चालू देनदारियां**					
	(क) लघु अवधि ऋण	4	**317.78**		186.40	
	(ख) व्यापार भुगतान	5	**891.83**		377.43	
	(ग) अन्य चालू देनदारियां	6	**172.64**		123.32	
	(घ) लघु अवधि प्रावधान	7	**21.41**	**1403.66**		687.15
	कुल			**2619.55**		1936.57
II.	**परिसंपत्तियां**					
(1)	**गैर चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) अचल परिसंपत्तियां					
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां	8	**869.16**		963.30	
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां					
	(iii) पूंजीगत कार्य–प्रगति में			**869.16**		963.30
	(ख) गैर चालू निवेश					
	(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियां		**75.37**			
	(घ) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	9	**21.35**			
	(ड़) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां			**96.72**		
(2)	**चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) चालू निवेश	10	**0.00**		0.00	
	(ख) माल सूचियां	11	**417.49**		382.88	
	(ग) व्यापार प्राप्तियां	12	**1156.64**		557.90	
	(घ) नकदी एवं नकदी समकक्ष	13	**56.65**		21.09	
	(ङ) लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	14	**22.89**		11.40	
	(च) अन्य चालू परिसंपत्तियां			**1653.67**		973.27
	कुल			**2619.55**		1936.57
	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां					
	वित्तीय विवरण की अन्य टिप्पणियां	**26**				

अनुसूची 1 से 26 और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
के. भरत कुमार शेट्टी
प्रबंधक (वित्त)

हस्ता./–
कोमोडोर (रिटा.) के. शमसुद्दीन
निदेशक

हस्ता./–
एल. गोपालकृष्णन
प्रबंध निदेशक

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जैकब एंड आइसेक एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन नं: 001007एस

हस्ता./–
के. पी. मोहम्मद आइसेक
साझेदार
सदस्यता सं.: 204171

स्थान : मेंगलौर
दिनांक : 27 अप्रैल, 2013

लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

	विवरण	अनुसूची सं.	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	**प्रचालनों से राजस्व (सकल)**	15	**2653.38**	2113.76
	घटाएं : उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर		**-181.20**	-185.25
			2472.18	1928.51
II.	**अन्य प्रचालन आय**	16	**13.08**	13.64
III.	**अन्य आय**	17	**4.80**	4.04
	कुल राजस्व (I से III)		**2490.06**	1946.19
IV.	**व्यय**			
	सामग्री खपत, संस्थापन और इंजीनियरिंग व्यय	18	**1811.23**	1482.89
	प्रगति अधीन कार्य में वृद्धि/(कमी) और तैयार वस्तुएं	19	**-27.83**	-187.54
	कर्मचारी लाभ व्यय	20	**563.25**	498.59
	उत्पादन, प्रशासन, बिक्री तथा विवरण संबंधी अन्य व्यय	21	**149.60**	119.58
	प्रावधान (निवल)	22		-32.50
	वित्त लागत	23	**23.79**	9.76
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	8.1	**100.48**	92.93
	घटाएं: आंतरिक उपयोग के लिए किए गए कार्य की लागत			
	कुल व्यय		**2620.52**	1983.71
V.	पूर्व अवधि समायोजन लाभ/(हानि), विशिष्ट मदें और कर		**-130.46**	-37.52
	पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	24	**0.13**	
	घटाएं: कर व्यय/(कर आय)	25	**75.37**	
VI.	जारी प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि)		**-54.96**	-37.52
	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां			
	वित्तीय विवरणों की अन्य टिप्पणियां	**26**		

अनुसूची 1 से 26 और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
के. भरत कुमार शेट्टी
प्रबंधक (वित्त)

हस्ता./–
कोमोडोर (रिटा.) के. शमसुद्दीन
निदेशक

हस्ता./–
एल. गोपालकृष्णन
प्रबंध निदेशक

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जैकब एंड आइसेक एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन नं: 001007एस

हस्ता./–
के. पी. मोहम्मद आइसेक
साझेदार
सदस्यता सं.: 204171

स्थान : मेंगलौर
दिनांक : 27 अप्रैल, 2013

नकद प्रवाह विवरण

31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

		2012-13	2011-12
क.	**प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	शुद्ध लाभ (हानि)	**-130.33**	-37.52
	निम्नलिखित के लिए समायोजित		
	मूल्यह्रास	**100.48**	92.93
	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		
	प्रावधान (दीर्घावधि)	**21.43**	
	ब्याज व्यय		
	प्रचालन लाभ	**-8.42**	55.41
	निम्नलिखित के लिए समायोजित		
	व्यापार तथा अन्य प्राप्तियों में घटाएं/(जोडें)	**-631.58**	-569.30
	मालसूची में घटाएं/(जोडें) –	**-34.61**	-382.88
	व्यापार तथा अन्य भुगतान में जोड़ें/(घटाएं)	**585.13**	737.69
	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह	**-81.06**	-214.49
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	परिसंपत्तियों की बिक्री		
	प्राप्त ब्याज		
	(स्थाई परिसंपत्तियों की खरीद)	**-6.34**	-6.23
	निवेश गतिविधियों से नकद राशि	**-6.34**	-6.23
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	दीर्घावधि ऋण में वृद्धि/(कमी)		
	लघु अवधि ऋण में वृद्धि/(कमी)	**131.38**	186.40
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी	**131.38**	186.40
	नकदी/नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	**35.56**	21.09
	प्रारंभिक नकदी शेष	**21.09**	0
	अवधि के अंत में नकदी/नकदी समतुल्य	**56.65**	21.09

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
के. भरत कुमार शेट्टी
प्रबंधक (वित्त)

हस्ता./–
कोमोडोर (रिटा.) के. शमसुद्दीन
निदेशक

हस्ता./–
एल. गोपालकृष्णन
प्रबंध निदेशक

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जैकब एंड आइसेक एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन नं: 001007एस

हस्ता./–
के. पी. मोहम्मद आइसेक
साझेदार
सदस्यता सं.: 204171

स्थान : मेंगलौर
दिनांक : 27 अप्रैल, 2013

अनुसूची – 1 शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति		31 मार्च, 2012 की यथास्थिति	
प्राधिकृत :				
@ प्रत्येक ₹ 10 के 15000000 शेयर	**1500.00**		1500.00	
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		**1050.00**		1050.00
@ प्रत्येक ₹ 10 के 10500000 शेयर पूर्णतः प्रदत्त (बीएचईएल और इसकी नामांकित धारक–@ ₹ 10 प्रत्येक के 5355000 शेयर – 51 प्रतिशत (पिछले वर्ष @ प्रत्येक ₹ 10 के 5355000 शेयर) केरल सरकार और इसके नामांकित धारक – @ ₹ 10 प्रत्येक के 5145000 शेयर – 51 प्रतिशत (पिछले वर्ष केईएल कोच्चि के पास @ प्रत्येक ₹ 10 के 5096000 शेयर और केरल सरकार के पास @ प्रत्येक ₹ 10 के 49000 शेयर)				
		1050.00		**1050.00**

अनुसूची – 2 प्रारक्षित निधि और अधिशेष

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति	31 मार्च, 2012 की यथास्थिति
वर्ष के लिए लाभ/हानि		
(लाभ एवं हानि का विवरण)	**-54.96**	-37.52
पिछले वर्ष से आगे ले जाया गया लाभ (हानि) का शेष	**-37.52**	
विदेशी परियोजना प्रारक्षित पुनर्लेखन		
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ	**-92.48**	-37.52

अनुसूची – 3 दीर्घावधि प्रावधान

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति	31 मार्च, 2012 की यथास्थिति
संविदात्मक दायित्व–दीर्घावधि		
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		
अवकाश लाभ उपार्जित–दीर्घावधि	**15.06**	
उपदान उपार्जित–दीर्घावधि	**243.31**	236.94
अन्य दीर्घावधि प्रावधान		
	258.37	236.94

अनुसूची – 4 लघु अवधि उधार

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति		31 मार्च, 2012 की यथास्थिति
प्रारक्षित			
बैंकों से ऋण एवं अग्रिम			
कैश क्रेडिट (स्पष्ट बैलेंस) (अचल परिसंपत्तियों, कच्चे माल, अवयवों, स्टोर्स एवं स्पेयर्स, प्रगति अधीन कार्य, तैयार वस्तुओं, व्यापार प्राप्तियों और अन्य चालू परिसंपत्यिां को गिरवरी रखकर प्रारक्षित)		**317.78**	11.50
अप्रारक्षित			
– कंपनियों से			174.90
(पिछले वर्ष केईएल ₹ 4.90 लाख, बीएचईएल ₹ 170 लाख)			
इससे पूर्ण रूप में इस्तेमाल में लिया गया		**317.78**	186.40

अनुसूची – 5 व्यापार देयताएं

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति	31 मार्च, 2012 की यथास्थिति
व्यापार देयताएं	**891.83**	377.43
₹ 9111 के स्टेल चैक शामिल	**891.83**	377.43

अनुसूची – 6 अन्य चालू देनदारियां

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति	31 मार्च, 2012 की यथास्थिति
ग्राहकों और अन्यों से प्राप्त अग्रिम	**84.32**	79.18
ठेकेदारों और अन्यों से जमा	**1.02**	0.24
अन्य देयताएं/देनदारियां	**87.30**	43.90
	172.64	123.32

अनुसूची – 7 लघु अवधि प्रावधान

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति		31 मार्च, 2012 की यथास्थिति
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान			
अवकाश नकदीकरण	**1.52**		
उपदान	**13.93**	**15.45**	
अन्य लघु अवधि प्रावधान			
बिक्री पर अवास्तविक अंतर		**5.96**	
(एएस 9 के अनुसार)		**21.41**	0.00

अनुसूची – 8 अचल परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति	31 मार्च, 2012 की यथास्थिति
(i) मूर्त परिसंपत्तियां		
सकल खंड	**1062.57**	1056.24
घटाएं: संचित मूल्यह्रास	**-193.41**	-92.94
घटाएं: संचित हानि		
घटाएं: पट्टा समायोजन खाता		
निवल खंड	**869.16**	963.30

अनुसूची 8.1 में विवरण का संदर्भ लें

अनुसूची – 8.1 अचल परिसंपत्तियां

31.03.2013 को

क्र.स.	विवरण	निवल ब्लॉक				मूल्यह्रास			निवल ब्लॉक	
		01.04.2012 को लागत	वर्ष के दौरान अतिरिक्त / समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन	31.03.2013 को कुल लागत	01.04.2012 को मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	31.03.2013 तक मूल्यह्रास	31.03.2013 को	31.03.2012 को
1	फ्री–होल्ड भूमि (विकास खर्चों सहित)	31.15	0.00	0.00	31.15	0.00	0.00	0.00	31.15	31.15
2	भवन	337.43	0.00	0.00	337.43	11.40	11.40	22.80	314.63	326.03
3	संयंत्र एवं मशीनरी	642.05	2.56	-6.41	638.20	77.05	76.17	153.22	484.98	565.00
4	इलेक्ट्रानिक डॉटा प्रोसेसिंग उपकरण	4.56	1.50	-0.63	5.43	0.67	1.07	1.74	3.69	3.89
5	इलेक्ट्रिकल संस्थापना	33.83	0.00	-0.64	33.19	2.71	2.65	5.36	27.83	31.12
6	वाहन	0.44	0.00	0.00	0.44	0.02	0.04	0.06	0.38	0.42
7	फर्नीचर और फिक्चर्स	0.00	0.45	-0.33	0.12	0.00	0.01	0.01	0.11	0.00
8	कार्यालय और अन्य उपकरण	6.03	1.84	-0.56	7.31	0.36	0.56	0.92	6.39	5.67
9	अचल परिसंपत्तियां जिनकी लागत ₹ 10,000 तक है	0.73	8.57	0.00	9.30	0.73	8.57	9.30	0.00	0.00
	कुल	**1056.22**	**14.92**	**-8.57**	**1062.57**	**92.94**	**100.47**	**193.41**	**869.16**	**963.28**

अनुसूची – 9 गैर चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति		31 मार्च, 2012 की यथास्थिति	
गैर चालू ऋण एवं अग्रिम				
अग्रिम कर		**19.37**		
अग्रिम कर पर उपार्जित ब्याज		**1.20**		
टीडीएस		**0.78**		
(जैसा कि 264ए में दर्शाया गया है– ₹ 0.74 लाख)				
		21.35		0.00

अनुसूची – 10 चालू निवेश

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति		31 मार्च, 2012 की यथास्थिति	
चालू निवेश				
लैटर ऑफ क्रेडिट के प्रचालन के लिए एसबीआई में जमा मार्जिन मनी				
अनुसूची vi की अपेक्षा के अनुरूप एलसी पर मार्जिन मनी को नकदी एवं बैंक के अधीन वर्गीकृत किया गया है। पिछले साल के आंकड़ों को तदनुसार पुनःवर्गीकृत किया गया है।				
		0.00		0.00

अनुसूची – 11 मालसूचियां

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति		31 मार्च, 2012 की यथास्थिति	
भंडार और अतिरिक्त पुर्ज़े				
उत्पादन	**2.17**		1.93	
ईंधन भंडार				
विविध		**2.17**		1.93
कच्चा माल तथा संघटक	**199.95**		187.90	
मार्गस्थ सामग्री		**199.95**	5.51	193.41
स्क्रैप (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर)				
तैयार माल		**90.59**		123.70
कार्य प्रगति पर		**124.78**		63.84
@ महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अनुरूप मूल्यांकित				
		417.49		382.88

अनुसूची – 12 व्यापार प्राप्तियां

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति	31 मार्च, 2012 की यथास्थिति
छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण	**76.55**	30.26
अन्य ऋण	**1080.09**	527.64
घटाएं : बुरे और संदेहपूर्ण ऋण		0.00
घटाएं : स्वचालित मूल्य कमी समायोजन खाता		0.00
	1156.64	557.90

अनुसूची – 13 रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

(₹ लाख में)

		31 मार्च, 2013 की यथास्थिति	31 मार्च, 2012 की यथास्थिति
नकदी और स्टैम्पस के रूप में		**0.28**	0.15
चैक, डिमांड ड्रॉफ्ट के रूप में			
पारगमन में प्रेषण			
अनुसूचित बैंकों में अधिशेष			
चालू खाता		**0.27**	0.14
जमा खाता		**56.10**	20.80
एलसी पर मार्जिन मनी	55.67		
उपार्जित ब्याज	0.43		
12 माह की परिपक्वता अवधि से अधिक की जमाएं			
		56.65	21.09

अनुसूची – 14 लघु अवधि ऋण और अग्रिम

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013 की यथास्थिति		31 मार्च, 2012 की यथास्थिति	
अग्रिम (नकद प्राप्तियां या किसी अन्य प्रकार या मूल्य के रूप में प्राप्त)				
सहायक कंपनियों को				
कर्मचारियों का	**2.80**		10.96	
क्रय के लिए	**0.17**		1.06	
अन्य के लिए	**7.92**	**10.89**	-25.65	-13.63
जमा				
कस्टम, पोर्ट ट्रस्ट और अन्य सरकारी प्राधिकारियों के पास अधिशेष	**0.03**		0.03	
अन्य	**11.97**		5.22	
अग्रिम कर/टीडीएस (कराधान हेतु प्रावधान का शुद्ध)		**12.00**	19.78	25.03
		22.89		11.40
ऋणों और अग्रिमों का विवरण:				
प्रारक्षित, अच्छा माना				
अप्रारक्षित, अच्छा माना		**22.89**		11.40
संदेहपूर्ण				

अनुसूची – 15 प्रचालनों से राजस्व

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
बिक्री घटा वापसी	**2570.75**	2093.60
बाहरी निर्माण और अन्य सेवाओं से आय	**82.63**	20.16
कार्य ठेकों से राजस्व		0.00
वित्त पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां		
	2653.38	2113.76

अनुसूची – 16 अन्य प्रचालन आय

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
निर्यात प्रोत्साहन		
लीज़ पर परिसंपत्तियों से किराये की आय		
पट्टा समतुल्य खाता		
वित्त पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों पर वित्त आय		
विनिमय भिन्नताएं (अधिशेष)		
स्क्रैप की बिक्री	**12.79**	13.64
अन्य	**0.29**	
बिक्री/अधिशेष के स्थानांतरण से प्राप्ति		
	13.08	13.64

अनुसूची – 17 अन्य आय

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
ग्राहकों से		
कर्मचारियों से		
बैंकों से टीडीआर पर ब्याज–टीडीएस ₹ 16,884	**2.40**	4.04
अग्रिम कर/टीडीएस पर ब्याज	**1.20**	
निवेश से (चालू–व्यापार के अलावा)		
विविध प्राप्तियां	**1.20**	
	4.80	4.04

अनुसूची – 18 सामग्री की खपत, संस्थापना और इंजीनियरिंग व्यय

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
कच्चे माल और संघटकों की खपत	**1714.39**	1461.24
भंडार और पुर्ज़ों की खपत	**14.44**	8.87
इरेक्शन तथा इंजीनियरी व्यय – उप–ठेकेदारों को भुगतान	**82.40**	12.78
	1811.23	1482.89

अनुसूची – 19 तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी तथा चल रहा कार्य

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
कार्य प्रगति पर				
अंतः अधिशेष	**124.78**		63.84	
प्रारंभिक अधिशेष	**63.84**	**60.94**		63.84
तैयार माल				
अंतः अधिशेष	**90.59**		123.70	
प्रारंभिक अधिशेष	**123.70**	**-33.11**		123.70
		27.83		187.54
टिप्पणीः				
तैयार माल में उत्पाद शुल्क का तत्व				
अंतः अधिशेष		**9.96**		13.61
प्रारंभिक अधिशेष		**13.61**		0.00

अनुसूची – 20 कर्मचारियों का लाभ

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते तथा अन्य लाभ	**452.19**	397.19
उपदान निधि में अंशदान		
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	**49.68**	45.22
कर्मचारी कल्याण व्यय	**61.38**	56.18
	563.25	498.59

अनुसूची – 21 उत्पादन, प्रशासन, बिक्री तथा वितरण पर अन्य व्यय

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
किरायाः आवासीय	**1.99**	1.76
उत्पाद शुल्क (तैयार माल और स्क्रैप पर)	**-2.23**	14.92
बिजली और ईन्धन	**43.91**	35.39
दरें और कर	**8.51**	14.41
सेवा कर (जीटीए के प्रति)	**0.49**	0.31
बीमा	**1.91**	1.14
मरम्मत	**11.22**	2.06
बाह्य ढुलाई प्रभार	**18.88**	13.97
यात्रा और वाहन	**17.96**	12.16
(निदेशकों को यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ताः ₹ 5.72 लाख)		
विविध व्यय	**46.91**	23.46
परिसमाप्त हानियां चार्ज़्ड ऑफ	**0.05**	
	149.60	119.58

अनुसूची – 22 प्रावधान

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
संदिग्ध ऋण, निर्णीत हर्ज़ाने तथा ऋण और अग्रिम		
वर्ष के दौरान सृजित		
घटाएं : वर्ष के दौरान पुरांकित		
संविदात्मक दायित्व		
वर्ष के दौरान सृजित		
घटाएं : वर्ष के दौरान पुरांकित		
अन्य		
वर्ष के दौरान सृजित		
घटाएं : वर्ष के दौरान पुरांकित	**0.00**	32.50
	0.00	32.50

अनुसूची – 23 वित्त लागत

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
डिबेंचर/बॉण्ड, केंद्रीय और राज्य सरकार से ऋण		
बैंकों/वित्तीय संस्थानों से उधार	**7.67**	
आस्थगित ऋण		
अन्य (बीएचईएल से डब्ल्यूसीएल पर ₹ 170 लाख)	**16.12**	9.76
अन्य ऋण लागत		
घटाएं : पूंजीकृत उधार लागत		
	23.79	9.76

अनुसूची – 24 पूर्वावधि समायोजन

(₹ लाख में)

		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
ब्याज	**0.08**		
अन्य	**0.61**	**0.69**	
घटाए			
खर्च			
अन्य खर्च		**0.56**	
निवल		**0.13**	0.00

अनुसूची – 25 आयकर एवं आस्थगित कर परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
प्रारंभिक शेष	**0.00**	
वर्ष के दौरान सृजित	**75.37**	
अंतिम शेष	**75.37**	0.00
एएस–22 के अनुरूप		

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखाकरण की प्रोद्भवन विधि तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, जैसा कि कंपनी द्वारा निरंतर किया जा रहा है।

2. अनुमानों का उपयोग

सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांत के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान और कल्पनाएं करना अपेक्षित होता है जो रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आय और व्यय और वित्तीय विवरणों की तिथि को आकस्मिक देयताओं सहित देनदारियों और परिसंपत्तियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में मान्य किये जाते हैं जिसमें परिणाम आए होते हैं।

3. स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियां अधिग्रहण या निर्माण अथवा संग्रहित मूल्य ह्रास और हानि, यदि कोई है, को घटाकर बही मूल्य पर प्राप्त की जाती हैं। लागत के अंतर्गत वास्तविक/प्राक्कलित फैक्टरी लागत/बाजार कीमत, जो भी कम हो, में लिए गए पूंजीगत कार्य के लिए आंतरिक अंतरण मूल्य सम्मिलित होता है। स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्रयुक्त दीर्घावधि देयताओं/ऋणों के संबंध में अवमूल्यन/पुर्नमूल्यन जैसी असाधारण घटनाओं के प्रभाव को लागत से घटाया जाता है।

4. अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

क. अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियो को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है, अगर

(क) यह संभाव्य हो कि भविष्य में परिसंपत्ति के कारण होने वाला आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा, और

(ख) कंपनी का परिसंपत्तियों पर नियंत्रण होगा, और

(ग) इन परिसंपत्तियों की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है और 10,000 रुपये से अधिक है। अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को उनकी अनुमानित उपयोगी अवधि में सीधी रेखा यथानुपात मासिक आधार पर परिषोधित किया जाएगा, जो सॉफ्टवेयर के मामले में तीन वर्षों और अन्य के मामले में दस वर्षों से अधिक नहीं होगी।

ख. (क) अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के अनुसंधान चरण के दौरान व्यय सहित अनुसंधान पर व्यय को होने वाले वर्ष में लाभ और हानि में प्रभारित किया जाता है।

(ख) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर लेखाकरण मानक के अनुसार मानदंड पूरी करने वाली अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के विकास चरण के दौरान व्यय सहित विकास पर किए गए व्यय को अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है।

(ग) अनुसंधान और विकास के प्रयोजनार्थ अधिग्रहित स्थायी परिसंपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है।

5. मूल्यह्रास

स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, उसे छोड़कर जहां मूल्यह्रास, तकनीकी रूप से आकलित अनुमानित उपयोगी अवधि के आधार पर निर्धारित दरों पर प्रभारित किया जाता है, कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों के अनुसार सीधी–रेखा विधि पर परिसंपत्तियों की कुल लागत तक प्रभारित किया जाता है, जो नीचे दर्शाया गया है–

	एलक पाली	दोहरी पाली	तिहरी पाली
सामान्य संयंत्र एवं मशीनरी	8%	12%	16%
बिल्डिंगें (तृतीय श्रेणी)	3.5%		
विद्युतीय संस्थापनाएं	8%		
कार्यालय तथा अन्य उपकरण	8%		
इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	20%		

स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि/से कटौती के मामले में मूल्यह्रास प्रभार, यथानुपात मासिक आधार पर होता है.

10,000 रुपये या कम लागत की स्थायी परिसंपत्तियों अथवा उन परिसंपत्तियों, जिनका ह्रासित मूल्य वर्ष के प्रारंभ में 10,000 रुपये या कम है, का पूर्णतः मूल्यह्रास होता है।

6. मालसूची मूल्यांकन

(i) मालसूचियों का मूल्यन वास्तविक/अनुमानित लागत अथवा निवल वसूलीयोग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

(ii) संयंत्रों में तैयार माल तथा जारी कार्यों का मूल्यन वास्तविक/अनुमानित फैक्टरी लागत या वसूली योग्य मूल्य के 97.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

(iii) तैयार माल एवं चालू कार्य के मूल्यांकन के संबंध में लागत का अर्थ कारखाना लागत है, वास्तविक/अनुमानित कारखाना लागत में विनिर्मित माल पर देय उत्पाद शुल्क शामिल है।

(iv) कच्चे माल, संघटकों, फुटकर औजारों, भंडारों एवं अतिरिक्त पुर्जों की लागत का अर्थ भारांकित औसत लागत है।

(v) उत्पादन आर्डरों के लिए खरीद/विनिर्मित संघटकों और अन्य सामग्रियों, जिन्हें अथिशेष घोषित किया गया हो, को तकनीकी अनुमानों के आधार पर अवशिष्ट मूल्य प्रतिधारित करते हुए राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

7. राजस्व मान्यता

ग्राहक के पक्ष में स्वामित्व को अंतरित करके महत्वपूर्ण जोखिमों और प्रतिफलों के आधार पर बिक्री को दर्ज किया जाता है। बिक्री के अंतर्गत आंशिक शिपमेंट द्वारा ग्राहक को प्रेषित किया गया माल आता है।

8. कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि और कर्मचारी परिवार पेन्शन योजना अंशदानों की गणना उपार्जन आधार पर होती है। अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश, भविष्य निधि और कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के अंशदान को प्रोद्भवन आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। उपदान, सेवानिवृत्ति पर यात्रा दावे और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभों के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार लेखाबद्ध की जाती है। बीमांकिक देयता कर्मचारियों के संदर्भ में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के आरंभ में निर्धारित की जाती है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन प्रतिपूर्ति होने वाले वर्ष में यथानुपात मासिक आधार पर प्रभारित की जाती है।

9. ऋण लागत

ऋण लागत, जो कि अर्हक परिसंपत्तियों के विनिर्माण, अधिग्रहण या निर्माण के कारण होती है, ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के तौर पर शामिल की जाती है।

अर्हक परिसंपत्ति वह है जिसमें उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में बारह माह से अधिक का समय लगता है।

तैयार होने अन्य ऋण लागतों को उस अवधि में खर्च के तौर पर माना जाता है जिसमें वे घटित होते हैं।

10. कंपनी द्वारा/के विरुद्ध दावे

(i) कंपनी के विरुद्ध निर्णीत हर्जाने के लिए दावे को समान लेन–देनों के अनुभवों द्वारा अनुपूरित उपलब्ध सूचना के संदर्भ में संभावित परिणामों के प्रबंधन के आकलन के आधार पर लेखे में माना जाता है।

(ii) निर्यात प्रोत्साहन, शुल्क वापसी, सीमा शुल्क की वापसी और बीमा के लिए दावे आदि प्राप्ति पर लेखे में लिए जाते हैं।

(iii) मूल्य वृद्धि दावे और/अथवा संविदा कार्य के परिवर्तनों के संबंध में देय राशियों को केवल तभी राजस्व के रूप में माना जाता है जब संविदाओं से ऐसे दावों अथवा भिन्नताओं की शर्तें हों और/अथवा ग्राहकों से उसकी स्वीकार्यता का साक्ष्य हो। तथापि वृद्धि आंतरिक मूल्य तक प्रतिबंधित होती है।

11. आय पर कर

चालू कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप कर योग्य आय पर किया जाता है। आस्थगित कर देया/परिसंपत्ति लेखाकरण आय और कर योग्य आय के बीच समयांतर के परिणामस्वरूप कर का निर्धारण लागू दर पर और बाद में कार्यान्वित कानून को ध्यान में रखते हुए विचारित किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति की गणना केवल तभी आगे उस स्थिति में की जाती है कि इस बात की न्यायोचित निश्चितता है कि पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय ऐसे आस्थगित कर परिसंपत्तियों के तहत उपलब्ध होगी। गैर विलयकृत अवमूल्यन के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्यिां और आगे अग्रेषित हानियां को केवल तभी मान्यता दी जाती है यदि ऐसी वास्तविक स्थिति हो कि ऐसी परिसंपत्तियों के वास्तविकीकरण के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी।

12. हानि

जब कभी हानि के संकेत होते हैं प्रत्येक तुलन पत्र पर नकदी सृजन इकाइयों की राशि की समीक्षाा की जाती है। क्षति घाटा को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब अग्रेषित राशि नकदी सृजन इकाइयों की वसूली योग्य राशि से अधिक होती है। यदि वसूली योग्य राशि में परिवर्तन होता है तो इम्पेअरमेंट हानि को रिवर्स कर दिया जाता है और ऐसी हानि अधिक समय नहीं रहती अथवा घट जाती है।

टिप्पणी – 26 वित्तीय विवरणों के बारे में अन्य टिप्पणियां

1. बीएचईएल और केरल सरकार के बीच संयुक्त उद्यम समझौते के अनुरूप, 31.03.2012 को केरल इलेक्ट्रिकल एंड एलायड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 10 अंकित मूल्य के 5096000 शेयर केरल सरकार को अंतरित कर दिए गए थे। ये अंतरण 28.12.2012 को निष्पादित किया गया। वर्तमान 49000 शेयरों के साथ, केरल सरकार की पूर्ण धारित इस तरह बढ़कर 5145000 शेयर हो गई। 31.03.2013 को कंपनी की शेयर धारिता पद्धति निम्नानुसार है:–

शेयर धारक	शेयरों की संख्या	शेयरों का मूल्य	%
बीएचईएल और इसके नामिती	5355000	₹ 53550000-00	51%
केरल सरकार और इसके नामिती	5145000	₹ 51450000-00	49%

2. देय कर्मचारी उपदान और अवकाश नकदीकरण का मूल्यांकन एएस–15 के अनुरूप बीमाकिंग मूल्यांकन के जरिए किया जाता है।

3. मैसर्स बीएचईएल द्वारा अग्रिम रूप से दिये गये लघु अवधि कार्यशील पूंजी ऋण की 1.4.2012 को लंबित ₹ 170 लाख की राशि का 31.03.2013 को उपार्जित ब्याज के साथ पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। संबंधित पक्ष प्रकटन के अधीन ब्याज का विवरण प्रकटित है।

4. चूंकि कंपनी में अर्द्ध वेतन अवकाश योजना लागू नहीं है इसलिए 31.03.2013 को अर्द्ध वेतन छुट्टी के लिए प्रावधान नहीं है। 2011–2012 के दौरान लेखा बहियों में शामिल ₹ 220365/– का प्रावधान का सामान्य अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान में विलय किया जाता है।

5. व्यापार देयता में पुराने चैकों से संबंधित ₹ 9111/– और लघु इकाइयों के कारण ₹ 103618 का प्रावधान शामिल है।

6. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति के अनुसार बिक्री को महत्वपूर्ण जोखिमों और ग्राहकों के पक्ष में अंतरित की जा रही मल्कीयत के रिवार्डस के आधार पर दर्ज़ किया जाता है। दो मामलों में 30.03.2013 को सृजित इनवायसों के तहत कन्साइनेमेंट्स ग्राहका के पास केवल 01.04.2013 को पहुंची। एएस–9 के अनुसार अवास्तविकीकृत मार्जिन ₹ 5.96 लाख को लेखा पुस्तकों में मान्य नहीं किया गया है।

7. लेखाकरण नीति के अनुसार 1.4.2013 को ₹ 10000/– से कम लागत की परिसंपत्तियों और जिनकी लिखित निचला मूल्य ₹ 10000/– से कम है, पूर्ण अवमूल्यन प्रदान किये जाने का प्रभाव निम्नानुसार है:–

100 प्रतिशत प्रदत्त मूल्यह्रास	₹ 856819-00
सामान्य मूल्यह्रास	₹ 91223-00
अतिरिक्त वसूली गई राशि	₹ 765596-00

8. उप ठेकेदारों/निर्माताओं के पास व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देयताओं, जमाओं, सामग्रियों के अधीन पड़े शेष का समायोजन किया जाता है और जहां कहीं संभव है पुष्टि का पत्र प्राप्त कर लिया गया है। अन्य सभी मामलों में संचालित आधार पर किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक माना जाता है कि दिशानिर्देशाों के अनुसार प्रावधान किये जाते हैं।

9. यात्रा खर्च शीर्ष के अधीन प्रबंध निदेशक/अन्य निदेशक के यात्रा व्यय के तौर पर ₹ 572361/– की राशि शामिल की गई है।

   अलग–अलग विवरण

   प्रबंध निदेशक को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता :- ₹ 543393.00
   अन्य निदेशक को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता :- ₹ 28968.00

10. आकस्मिक देयताएं:–

    क. कंपनी के विरूद्ध दावों जिन्हें ऋण/कटौती योग्य नहीं माना गया है

    (₹ लाख में)

1	आईसीएफ चेन्नई द्वारा अधिरोपित निवारण हानियों पर प्रतिधारण, जिसके लिए माफी हेतु अनुरोध अब भी विचाराधीन है	51.39
2	मूल्य गिरावट उपबंध को लेकर आईसीएफ चेन्नई द्वारा प्रतिधारण	6.72
3	सांविधिक दर विभिन्नता उपबंध पर विभिन्न रेलवे द्वारा प्रतिधारण	8.57
	कुल	**66.68**

    प्रयास अभी जारी हैं और कंपनी को अधिरोपित एलडी/मूल्य/सांविधिक विभिन्नता उपबंध के प्रति माफी प्राप्त होने की आशा है।

    ख. आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में स्थापित क्रेडिट पत्र का विवरण 31.03.2013 के अनुसार लंबित क्लीयरेंस ₹ 315.70 लाख है। इन साख पत्रों के तहत आपूर्ति प्राप्त हुई, इनकी गणना की गई और व्यापार देयता खाते में इन्हें दर्शाया गया।

ग. 31.03.2013 को जारी, लंबित बैंक गारंटी का विवरण ₹ 54.99 है।

घ. 31.03.2013 को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बैंक के जरिए प्रस्तुत किये गये बिल, जिनकी क्लीयरेंस लंबित है, शून्य है।

11. मालसूची में निम्नलिखित सम्मिलित हैः

क. रोज़गार कार्य हेतु भेजी गई सामग्री– ₹ 403851.00 की लागत पर।

ख. डीजी सेट संस्थापना हेतु भेजी गई सामग्रीः ₹ 179692.00

12. विविध रसीदों का विवरण

क. त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों से नोटिस वेतनः ₹ 115785.00

ख. आवेदन शुल्कः ₹ 1100.00

ग. अन्य (राउंड ऑफ सहित): ₹ 3130.00

13. परिसमाप्त हानियां चार्ज़ड ऑफ ₹ 4800/– बीएचईएल भोपाल द्वारा देरी से आपूर्तियों के तौर पर वसूली की जा रही है।

14. एएस 18 के अनुरूप संबंधित पक्ष लेनदेन

क. संबंधित पक्ष जहां नियंत्रण मौजूद है

पक्ष का नामः– भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

संबंध की प्रकृतिः– धारक कंपनी

ख. अन्य संबंधित पक्ष (प्रमुख प्रबंध कार्मिक) :–

श्री एल. गोपालकृष्णन, प्रबंध निदेशक (बीएचईएल से प्रतिनियुक्ति पर)

संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेनदेन की प्रकृति	धारक कंपनी	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक
1	वस्तुओं की बिक्री	309.06	-
2	देय राशि	15.05	-
3	प्राप्त आर्डर्स के तहत अग्रिम	32.11	-
4	डब्ल्यूसीएल पर भुगतान किया गया ब्याज	16.12	-

15. पूर्वावधि खर्चों और आय का विवरण

क. पूर्वावधि खर्च

(क) अनलोडिंग प्रभार	:- ₹ 13500.00
ख) मशीनरी की मरम्मत	:- ₹ 42499.00
कुल	**:- ₹ 55999.00**

ख. पूर्वावधि आय

क) निविदा दस्तावेज लागत	:– ₹ 25515.00
ख) मालभाड़ा प्रभार	:– ₹ 15825.00
ग) टीडीआर पर ब्याज	:– ₹ 7877.00
घ) ट्रांजिट बीमा दावा	:– ₹ 30135.00

16. अनुसूची 21 के अधीन प्रेषित विविध व्यय में शामिल है,

क. लेखा परीक्षकों का भुगतान

क) वैधानिक लेखापरीक्षा शुल्क	:– ₹ 25000.00
ख) कर लेखा परीक्षा शुल्क	:– ₹ 2500.00
ग) वैट लेखा परीक्षा शुल्क	:– ₹ 4000.00

ख. अन्य

क) अतिथि व्यय	:– ₹ 126632.00

17. किराये पर व्ययः–

क. गेस्ट हाउस (निवल)	:– ₹ 167718.00
ख. मनोरंजन क्लब	:– ₹ 31200.00

18. मरम्मत एवं अनुरक्षण का विवरण

क. भवन	:– ₹ 184952.00
ख. संयंत्र एवं मशीनरी	:– ₹ 578209.00
ग. अन्य	:– ₹ 267280.00

19. प्रकटन एएस–7 के अनुरूप – शून्य

20. निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक सहित)

क. वेतन एवं भत्ते	:– ₹ शून्य
ख. पीएफ में अंशदान	:– ₹ शून्य
ग. उपदान में अंशदान	:– ₹ शून्य

प्रबंध निदेशक को लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के विषयाधीन कंपनी के नियमों के अनुरूप प्रभाराधीन आधार पर उनके निजी उपयोग के लिए कंपनी के वाहन का उपयोग करने की अनुमति है।

प्रबंध निदेशक को कंपनी द्वारा वसूली योग्य मासिक नियत दरों पर कंपनी के गेस्ट हाउस में बैचलर आवास उपलब्ध करवाया जाता है।

21. चूंकि कंपनी में कोई अलग उपदान निधि मौजूद नहीं है, उपार्जित उपदान (वर्ष के लिए व्यय) को सामान्य शीर्ष वेतन और अन्य भत्तों के अधीन वर्गीकृत किया किया जाता है। तदनुसार पिछले वर्ष के आंकड़े पुनर्वर्गीकृत किये जाते हैं।

22. मात्रात्मक विवरण–उत्पादन, बिक्री और क्लोजिंग स्टॉक

(₹ लाख में)

	अथशेष स्टॉक		उत्पादन		बिक्री		अंतशेष स्टॉक	
मद	**मात्रा (नं.)**	**मूल्य**	**मात्रा (नं.)**	**मूल्य**	**मात्रा (नं.)**	**मूल्य**	**मात्रा (नं.)**	**मूल्य**
बीएजीपी, 110 केवीए तक	17	13.30	115	80.70	128	91.85	4	2.15
बीएजीपी, 110 केवीए से ऊपर	11	38.47	43	97.79	49	117.98	5	18.28
25 कि.वा. ट्रेन लाइटिंग अल्टरनेटर्स	11	16.53	142	300.99	153	317.52		
320 केवीए/यू/एस डीजीसेट	0	0	0	0.00	0	0.00		
विशेष अल्टरनेटर्स/ऑक्स अल्टरनेटर्स	11	41.70	40	122.28	42	132.94	9	31.04
डीजी सेट्स	0	0	16	281.60	16	281.60		
एसएलआर पीसी (500 केवीए) यू/एस डीजी सेट			1	82.37	1	82.37		
570 केवीए डीजी सेट फॉर पावर कार			25	710.59	25	710.59		
इंडक्शन मोटर			68	136.82	68	136.82		
स्पेयर्स	0	0.08		148.74		119.67		29.15
सेवाएं एवं संस्थापना	0	0		63.33		63.33		
जीएसओएस	0	0		417.51		417.51		
ईडी		13.62		177.55		181.20		9.97
सकल कारोबार	**50**	**123.70**	**450**	**2620.27**	**482**	**2653.38**	**18**	**90.59**

23. महत्वपूर्ण कच्चे माल की खपत

(₹ लाख में)

		अथशेष स्टॉक		क्रय		अंतशेष स्टॉक		खपत	
मद	**यूनिट**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
लेमिनेशन	कि.ग्रा	49063.00	58.09	82648.34	113.53	48345.60	66.41	83365.74	105.21
डीजल ईंजन	नं.	0.00	0.00	42.00	517.56		0.00	42.00	517.56
तांबा	कि.ग्रा	8165.88	41.42	52606.05	121.77	10813.25	25.03	49958.68	138.16
इस्पात एवं एल्युमीनियम	कि.ग्रा	31785.75	16.71	108127.52	56.11	25572.13	13.27	114341.14	59.55
कास्टिंग	थोक		12.54		104.69		18.96	0.00	98.27
बियरिंग एवं अन्य	थोक		8.30		113.06		10.32	0.00	111.04
कंट्रोल पैनल	नं.		0.00	1.00	7.29		0.00	1.00	7.29
जनरेटर्स	नं.		0.00	23.00	347.40		0.00	23.00	347.40
टोरोइडल कोर	नं.		0.00	1306.00	31.91	314.00	7.67	992.00	24.24
अन्य			52.77		327.81		60.47	0.00	320.11
			189.83		**1741.13**		**202.13**		**1728.83**

24. आयातित और स्वदेशी माल की खपत

(₹ लाख में)

	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए	
कच्चा मालः				
आयातित	**1.41%**	**24.24**	2.76%	40.52
स्वदेशी	**98.59%**	**1690.15**	97.24%	1420.72
कुल		**1714.39**		1461.24
स्टोर्स एवं स्पेयर पार्टस				
आयातित		**0.00**		0.00
स्वदेशी		**14.44**		8.87
कुल		**14.44**		8.87
कुल खपत		**1728.83**		1470.11
आयातों का सीआईएफ मूल्य				
कच्ची सामग्री		**31.91**		40.52
पूंजीगत वस्तुएं				

25. आस्थगित कर परिसंपत्तियां

वर्ष 2011–2012		
वर्ष के लिए हानि	37.52	
घटाएं लेखा के अनुरूप मूल्यह्रास	92.93	-55.41
जोड़ें आयकर अधिनियम के अनुरूप मूल्यह्रास	138.09	
जोड़ें/घटनाएं–कालांतर के लिए	0.00	138.09
आयकर के अनुरूप निवल हानि अग्रेषित		82.68
वर्ष 2012–2013		
वर्ष के लिए हानि	130.33	
घटाएं लेखा के अनुरूप मूल्यह्रास	100.48	29.85
जोड़ें आयकर अधिनियम के अनुरूप मूल्यह्रास	119.76	
जोड़ें/घटनाएं–कालांतर के लिए	0.00	119.76
आयकर के अनुरूप निवल हानि अग्रेषित		149.61
कुल हानि		232.29
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		75.37

एएस 22 के अनुसार और एएस 22 पर व्याख्यात्मक टिप्पणी 9 के अनुरूप, जैसा कि 2013–14 के दौरान लाभ होने की आशा है, आस्थगित कर परिसंपत्तियां अब बुक की गई हैं।

समेकित वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
निदेशक मण्डल
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (''कंपनी'' और इसकी सहायक कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों (संयुक्त रूप से ''समूह'' के तौर पर संदर्भित) के संलग्न समेकित तुलनपत्र की 31 मार्च, 2013 और इनसे संबंधित उस वर्ष में समाप्त सम तारीख हेतु समेकित लाभ हानि लेखे और समेकित नकद प्रवाह विवरण की भी यथास्थिति जांच की है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है और इन्हे अलग वित्तीय विवरणों तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना के सारांश की लेखापरीक्षा की है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है जिसमें वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और कंपनी के नकद प्रवाह का कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3ग) में संदर्भित लेखाकरण मानदंडों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और सच्ची तस्वीर दी गई है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के संगत आंतरिक नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो सत्य और मुक्त तथा तथ्यात्मक रूप से गलत विवरण से मुक्त, चाहे किसी घोटाले अथवा त्रुटि के कारण हो, वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है। हमने इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानदंडों के अनुरूप लेखा परीक्षा संचालित की है। इन मानदंडों के तहत यह अपेक्षित है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस संबंध में एक उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और संचालित करें कि क्या ये वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गड़बड़ी से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच और राशि के समर्थन में संलग्न प्रलेख और वित्तीय विवरण के प्रकटन शामिल रहते हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिनमें वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गड़बड़ी, चाहे घोटाले अथवा त्रुटिवश हुई है, के जोखिम का मूल्यांकन शामिल होता है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में, लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के वास्ते वित्तीय विवरणों को तैयार करने और स्वतंत्र प्रस्तुतिकरण के कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो स्थिति अनुरूप उपयुक्त होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन एवं महत्वपूर्ण आकलन तथा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों का संपूर्ण मूल्यांकन भी शामिल रहता है।

हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा से प्राप्त सबूत हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध करवाने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त है।

राय

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और नीचे पैरा 1 में यथा उल्लिखित वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की व्यक्तिगत रिपोर्टों पर विचार के आधार पर तथा नीचे पैरा 2 में यथा उल्लिखित अनंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर, वित्तीय विवरण अधिनियम की अपेक्षानुसार तथा सामान्य रूप से भारत में स्वीकार्य सिद्धातों के अनुरूप सही और उचित विचार देते हैं:

(क) 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कंपनी के क्रियाकलापों के तुलन पत्र के मामले में,

(ख) वर्ष की समाप्ति की तारीख को कंपनी के लाभ–हानि, लाभ के विवरण के मामले में,

(ग) वर्ष की समाप्ति की तारीख को कंपनी के नकद प्रवाह के विवरण के मामले में।

अन्य मामले

1. बीएचईएल में निम्नलिखित इकाइयों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा करायी गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय में जहां तक परिसम्पत्तियों, राजस्व तथा ईकाईयों के लिए निवल नकद प्रवाह का संबंध है, यह पूर्ण रूप में अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

(₹ करोड़ में)

कम्पनी का नाम	परिसंपत्तियां	राजस्व	निवल नकद प्रवाह
क. सहायक कम्पनी			
भारत हेवी प्लेटस एण्ड वेसेल्स लिमिटेड	322.31	243.47	17.24
बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमि.	26.20	26.71	0.36
ख. संयुक्त उद्यम			
बीएचईएल – जीई गैस टरबाइन सर्विसेस प्रा.लि.	214.11	413.55	36.57

2. निम्नलिखित उद्यमों के संबंध में हमने लेखापरीक्षा नहीं की है। इन गैर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्रबंधन द्वारा संकलित किया गया है और हमारी राय में, जहां तक हम संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल परिसंपत्तियों और राजस्वों का संबंध है, उन पर हमारी राय पूर्ण रूप से प्रबंधन द्वारा हमें यथा प्रस्तुत अंतिम वित्तीय विवरणों पर आधारित है। चूंकि 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इन संयुक्त उद्यमों के विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की गई थी अतः शेषों के लिए कोई परिवर्ती समायोजन संबद्ध समेकित वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव हो सकते हैं।

(₹ करोड़ में)

कम्पनी का नाम	परिसंपत्तियां	राजस्व	निवल नकद प्रवाह
दादा धूनीवाले खंडवा प्रा. लि उडनगुडी	23.09	0.38	-0.19
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1559.69	-	0.13
एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजैक्ट्स लिमिटेड	97.13	58.91	-2.42
लातुर पावर कंपनी लिमिटेड	2.76	0.21	0.03

3 पावर प्लांट पर्फ़ॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट्स लिमिटेड, बीएचईएल के संयुक्त उपक्रम, के खातों को समेकित नहीं किया गया है, क्यों कि ये कंपनियाँ परिसमापन के अधीन हैं और निवेश मूल्य में कमी के लिए इक्विटी निवेश की पूरी राशि का प्रावधान किया गया है।

कृते एस. एन. धवन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआर एन नं. 000050एन

हस्ता./–

(भूपेन्द्र सिंह)
सदस्यता सं. 092867

कृते गान्धी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआर एन नं. 000458एन

हस्ता./–

(सुरेश सेठ)
सदस्यता सं. 010577

दिनांक : 23 मई, 2013
स्थान : नई दिल्ली

समेकित तुलन पत्र

31 मार्च, 2013 की यथास्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च, 2013 को आंकड़े		31 मार्च, 2012 को आंकड़े	
I. इक्विटी एवं देनदारियां					
(1) शेयरधारक निधिया					
(क) शेयर पूंजी	1	489.52		489.52	
(ख) प्रारक्षित एवं अधिशेष	2	30043.21	30532.73	24913.54	25403.06
(2) अल्प ब्याज			4.70		4.97
(3) गैर–चालू देनदारियां					
(क) दीर्घावधि ऋण	3	1233.03		282.07	
(ख) अन्य दीर्घावधि देनदारिया	4	5811.43		7574.74	
(ग) दीर्घावधि प्रावधान	5	5962.52	13006.98	5023.80	12880.61
(4) चालू देनदारियां					
(क) लघु अवधि ऋण	6	1390.54		86.75	
(ख) व्यापार भुगतान	7	9753.80		10352.67	
(ग) अन्य चालू देनदारिया	8	14025.89		16031.98	
(घ) लघु अवधि प्रावधान	9	3038.06	28208.29	2670.24	29141.64
कुल			71752.70		67430.28
II. परिसंपत्तियां					
(1) गैर चालू परिसंपत्तियां					
(क) अचल परिसंपत्तिया					
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	10	4337.28		4195.57	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		329.74		323.08	
(iii) पूंजीगत कार्य–प्रगति में		2329.48		1739.20	
(iv) विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तिया		39.42	7035.92	24.21	6282.06
(ख) गैर चालू परिसंपत्तियां	11	5.94		5.94	
(ग) आस्थगित कर देनदारियां (निवल)	12	1555.80		1549.48	
(घ) दीर्घावधि देनदारियां और अग्रिम	13	929.78		957.45	
(ङ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तिया	14	10814.43	13305.95	9416.26	11929.13
(2) चालू परिसंपत्तियां					
(क) माल सूचियां	15	11869.03		13633.40	
(ख) व्यापार प्राप्तियां	16	29370.29		26551.33	
(ग) नकदी एवं नकदी समकक्षता	17	7845.05		6734.33	
(घ) लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	18	2123.73		2148.04	
(ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	19	202.73	51410.83	151.99	49219.09
कुल			71752.70		67430.28
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां वित्तीय विवरणों की अन्य अनुसूचियां	32				

संलग्न अनुसूची 1 से 32 और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	
(आई. पी. सिंह)	**(पी. के. बाजपेयी)**	**(बी. प्रसाद राव)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सम तिथि की हमारी सन्लग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. धवन एंड कंपनी	कृते गान्धी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–000050एन	**एफआरएन–000458एन**
हस्ता./–	हस्ता./–
(सुरेश सेठ)	**(भूपिंदर सिंह)**
साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 10577	सदस्यता सं. 092867

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई, 2013

लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण		अनुसूची सं.	31.03.2013 को समाप्त चालू वर्ष के लिए		31.03.2012 को समाप्त चालू वर्ष के लिए	
I.	**प्रचालनों से राजस्व (सकल)**	**20**		**50672.84**		49897.57
	घटाएं : उत्पाद शुल्क			**1930.15**		1862.40
	घटाएं : सेवा कर			**636.38**		436.22
	प्रचालनों से राजस्व (निवल)			**48106.31**		47598.95
II.	**अन्य प्रचालन आय**	**21**		**809.53**		756.27
III.	**अन्य आय**	**22**		**1128.76**		1272.03
	कुल राजस्व (I से III)			**50044.60**		49627.25
IV.	**व्यय**					
	सामग्री खपत, निर्माण और इंजीनियरिंग व्यय	**23**		**28171.38**		29132.69
	प्रगति अधीन कार्य में वृद्धि और तैयार वस्तुए	**24**		**121.20**		-829.90
	कर्मचारी लाभ व्यय	**25**		**5824.00**		5529.37
	वित्त लागत	**26**		**127.61**		53.07
	मूल्यह्लास एवं परिशोधन व्यय	**10.1**		**957.18**		803.24
	उत्पादन, प्रशासन, बिक्री तथा वितरण संबंधी अन्य व्यय	**27**		**3808.31**		3251.16
	प्रावधान (निवल)	**28**		**1583.76**		1405.53
	घटाएं: आंतरिक उपयोग के लिए किए गए कार्य की लागत			**75.86**		104.11
	कुल व्यय			**40517.58**		39241.05
V.	**पूर्व अवधि समायोजन लाभ (हानि), विशिष्ट मदें और कर**			**9527.02**		10386.20
VI.	**जोड़ें/घटाएं: पूर्व अवधि समायोजन (निवल)**	**29**		**-0.45**		-19.13
VII.	**जोड़ें/घटनाएं: विशिष्ट मदें**	**30**		**4.14**		0.16
VIII.	**वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ**			**9530.71**		10367.23
IX.	**घटाएं: कर व्यय**	**31**				
	क) चालू कर		**2843.93**		2664.28	
	ख) आस्थगित कर		**-6.32**	**2837.61**	615.69	3279.97
X.	**अल्प ब्याज से पूर्व वर्ष के लिए लाभ**			**6693.10**		7087.26
	घटाएं: अल्प ब्याज			**-0.27**		-0.18
XI.	**वर्ष के लिए अल्प ब्याज उपरांत लाभ**			**6693.37**		7087.44
	प्रति शेयर अर्जन (मूल एवं विलयित) (रिपोर्ट में अनुसूची 32 के बिंदु सं. 15 का संदर्भ लें)			**27.35**		28.96
	प्रति शेयर अंकित मूल्य (रिपोर्ट में अनुसूची 32 के बिंदु सं. 15 का संदर्भ लें)			**2.00**		2.00
	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां					
	वित्तीय विवरण के लिए अनुसूचियां	**32**				

संलग्न अनुसूची 1से 32 और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

कुल आय में संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों का हिस्सा **रू 470.48** करोड़ (पिछला वर्ष रू 335.49 करोड़) शामिल है।

कुल आय में संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों का हिस्सा **रू 405.75** करोड़ (पिछला वर्ष रू 279.18 करोड़) शामिल है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	
(आई. पी. सिंह)	**(पी. के. बाजपेयी)**	**(बी. प्रसाद राव)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सम तिथि की हमारी सन्लग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. धवन एंड कंपनी	कृते गान्धी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–000050एन	**एफआरएन–000458एन**
हस्ता./–	हस्ता./–
(सुरेश सेठ)	**(भूपिंदर सिंह)**
साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 10577	सदस्यता सं. 092867

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई, 2013

समेकित नकद प्रवाह विवरण

31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ करोड़ में)

		2012-13	2011-12
क.	**प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ	**9530.71**	**10367.23**
	समायोजन		
	मूल्यह्रास/परिशोधन	957.95	805.91
	पट्टा समानीकरण	0.29	-3.82
	प्रावधान (निवल)	438.03	540.70
	पुनरांकित अशोध्य ऋण एवं एलडी	378.87	97.30
	स्थाई सम्पत्तियों की बिक्री से लाभ	-3.42	-4.01
	दीर्घावधि निवेशों की बिक्री से लाभ	-31.50	
	वित्त लागत	127.61	53.07
	ब्याज/लाभांश आय	-632.59	-837.02
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पूर्व प्रचालन लाभ	**10765.95**	**11019.36**
	निम्न के लिए समायोजन		
	व्यापार तथा अन्य प्राप्तियाँ	-4646.53	-8806.90
	माल सूची	1767.62	-2615.91
	व्यापार देय तथा अग्रिम	-3021.89	2899.91
	प्रचालन में प्राप्त नकदी	**4865.15**	**2496.46**
	भुगतान किया गया प्रत्यक्ष कर (वापसी को छोड़कर)	-3113.97	-3197.09
	प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह/(ऑउटफ्लो)	**1751.18**	**-700.63**
ख.	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	स्थाई परिसम्पत्तियों की खरीद	-1755.30	-1585.48
	स्थाई परिसम्पत्तियों की बिक्री व निपटान	29.01	2.07
	दीर्घावधि निवेशों की बिक्री व पिनटान	31.50	
	सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश	0.00	5.36
	ब्याज एवं लाभांश से आय	581.85	996.52
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी	**1112.94**	**581.53**
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	ऋणलघु अवधि और दीर्घावधि ऋणों से प्राप्तियां (निवल)	2267.45	179.77
	भुगतान किया गया लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	-1673.50	-1818.93
	वित्त लागत	-121.48	-50.75
	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी	**-472.47**	**1689.91**
घ.	**नकद तथा समतुल्य नकद में निवल वृद्धि/(कमी)**	**1110.72**	**-2972.07**
	नकद तथा नकद समतुल्य का अनुशेष	6734.33	9706.40
	नकद तथा नकद समतुल्य का इतिशेष	7845.05	6734.33

नोट 1. नकदी एवं नकदी समतुल्य में नकदी तथा बैंक शेष तथा बैकों में जमा आवधिक जमा राशि शामिल है

2. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक समझा गया है। पुनर्वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

3. नकदी तथा नकदी समतुल्य में नामित बैंकों में अदावाकृत लाभांश की रू 3.52 करोड़ (रू 2.18 करोड़) की राशि शामिल है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	
(आई. पी. सिंह)	**(पी. के. बाजपेयी)**	**(बी. प्रसाद राव)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सम तिथि की हमारी सन्लग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. धवन एंड कंपनी	कृते गान्धी मिनोचा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–000050एन	**एफआरएन–000458एन**
हस्ता./–	हस्ता./–
(सुरेश सेठ)	**(भूपिंदर सिंह)**
साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 10577	सदस्यता सं. 092867

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई, 2013

1 – शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को आँकड़े		31.03.2012 को आँकड़े	
अधिकृत				
प्रत्येक ₹ 2 के 1000,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹ 2 के 1000,00,00,000 शेयर)		**2000.00**		2000.00
जारी, अंशदान तथा प्रदत्त		**489.52**		489.52
₹ 2 प्रत्येक के पूर्णतः भुगतेय 244,76,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष ₹ 2 प्रत्येक के 244,76,00,000 इक्विटी शेयर)				
क) इनमें से प्रत्येक ₹ 2 के 122,38,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹ 2 के 122,38,00,000 इक्विटी शेयर)				
ख) बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का पुनर्मिलान निम्नानुसार निर्धारित किया गयाः				
	नम्बर	**राशि**	नम्बर	राशि
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	**2447600000**	**489.52**	489520000	489.52
₹ 10 से ₹ 2 प्रति शेयर के विघटन के रूप में वर्ष के दौरान जारी शेयर	**-**	**-**	1958080000	-
वर्ष के दौरान पुनर्खरीद किए गए शेयर	**-**	**-**	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**2447600000**	**489.52**	2447600000	489.52
ग) वर्ष के अंत में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण कर रहे शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण	**शेयरों की संख्या**	**धारिता का %**	शेयरों की संख्या	धारिता का %
भारत के राष्ट्रपति, साथ में उनके नामिती	**1657552000**	**67.72%**	1657552000	67.72%
भारतीय जीवन बीमा निगम	**141433662**	**5.78%**	141433662	5.78%
प्रति शेयर अंकित मूल्य		**2.00**		2.00

2 – प्रारक्षित और अधिशेष

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को आँकड़े		31.03.2012 को आँकड़े	
प्रारक्षित पूंजी				
प्रारंभिक शेष	**2.74**		2.74	
जोडें: अतिरिक्त	**-**		-	
घटाएं: कटौतियां	**-**	**2.74**	-	2.74
सामान्य प्रारक्षित				
प्रारंभिक शेष	**23871.82**		18868.78	
जोड़े: लाभ तथा हानि लेखा से अंतरित	**5004.09**		5003.04	
घटाएं: कटौतियां		**28875.91**		23871.82
लाभ एवं हानि विवरण से अधिशेष				
प्रारंभिक शेष	**1038.98**		793.97	
जोड़े: वर्ष के लिए निवल लाभ	**6693.37**		7087.44	
घटाएं: समायोजन	**-0.46**			
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ	**7731.89**		7881.41	
घटाएं: विनियोग –				
– सामान्य प्रारक्षित	**5004.09**		5003.04	
– लाभांश (₹ 535.55 करोड़ के अंतरिम लाभांश सहित पिछले वर्ष ₹ 681.93 करोड़)	**1339.66**		1582.65	
– कॉर्पोरेट लाभांश कर (अंतरिम लाभांश पर कर (₹ 86.92 करोड, पिछले वर्ष ₹ 110.62 करोड)	**223.58**	**1164.56**	256.74	1038.98
		30043.21		24913.54

3 – दीर्घावधि उधार

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को आँकड़े	31.03.2012 को आँकड़े
सुरक्षित		
बैंकों से ऋण	**304.22**	-
पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमि0 से ऋण	**799.31**	158.38
(येर्रामुरस थर्मल पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी परिसंपत्तियों के तहत)		
	1103.53	158.38
असुरक्षित		
वित्त पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि परिपक्वता	**129.50**	123.69
	129.50	123.69
	1233.03	282.07

संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के ₹ **1103.82 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 158.64 करोड़) के शेयर सम्मिलित

4 – अन्य दीर्घावधि देनदारियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को आँकड़े	31.03.2012 को आँकड़े
व्यापार देयताएं	**756.09**	603.52
ग्राहकों और अन्यों से प्राप्त अग्रिम	**4964.99**	6849.65
ठेकेदारों और अन्यों से जमा	**90.35**	121.57
	5811.43	7574.74

संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के **₹ 15.64 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 18.35 करोड़) के शेयर सम्मिलित

5 – दीर्घावधि प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को आँकड़े	31.03.2012 को आँकड़े
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान	**2196.52**	2085.57
अनुबंधात्मक दायित्व	**3621.41**	2802.19
अन्य दीर्घावधि प्रावधान	**144.59**	136.04
	5962.52	5023.80

संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के **₹ 6.13 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 4.54 करोड़) के शेयर सम्मिलित

6 – लघु अवधि उधार

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को आँकड़े	31.03.2012 को आँकड़े
सुरक्षित		
बैंकों से ऋण*		
केपीसीएल से कार्यशील पूंजी मांग ऋण	**100.35**	84.49
नकद ऋण	**3.18**	0.12
*(कच्चे माल, अवयवों, स्टोर्स एवं स्पेअर्स, प्रगति अधीन कार्य, तैयार वस्तुओं, स्टोर्स, व्यापार प्राप्तियां और अन्य चालू परिसंपत्तियां, वर्तमान और भविष्य की दोनों को गिरवरी रखकर प्रथम वसूली से प्रारक्षित)		
पैकिंग क्रेडिट	**1286.00**	-
*(कच्चे माल, अवयवों, स्टोर्स एवं स्पेअर्स, प्रगति अधीन कार्य, तैयार वस्तुओं, स्टोर्स, व्यापार प्राप्तियां और अन्य चालू परिसंपत्तियां, वर्तमान और भविष्य की प्रथम वसूली से सुरक्षित)		
असुरक्षित		
कंपनियों से	**0.01**	0.08
बॉण्डों से	**1.00**	2.06
	1390.54	86.75

7.25 प्रतिशत से 7.50 प्रतिशत तक की ब्याज दर पर 6 से 9 माह की अवधि के भीतर पुनः भुगतान योग्य

संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के **₹ 100.36 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 84.52 करोड़) के शेयर सम्मिलित

7 – व्यापार देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को आँकड़े	31.03.2012 को आँकड़े
व्यापार देयताएं	**9678.67**	10241.74
स्वीकृतियां	**75.13**	110.93
	9753.80	10352.67

संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के **₹ 144.81 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 94.15 करोड़) के शेयर सम्मिलित

8 – अन्य चालू देनदारियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को आँकड़े	31.03.2012 को आँकड़े
वित्त पट्टा दायित्व की वर्तमान परिपक्वता	**75.38**	62.68
ग्राहकों और अन्यों से प्राप्त अग्रिम	**11301.42**	13174.08
ठेकेदारों और अन्यों से प्राप्त जमा	**485.15**	448.05
अदावाकृत लाभांश	**3.52**	2.18
अन्य देयताएं/देनदारियां*	**2140.99**	2328.31
ब्याज उपार्जित लेकिन देय नही	**5.38**	1.50
ब्याज उपार्जित और परंतु देयः		
राज्य सरकार के ऋण	**2.33**	2.33
वित्त लीज	**7.07**	4.82
बाण्ड और अन्य	**4.65**	8.03
	14025.89	16031.98

ग्राहकों और अन्यों से प्राप्त अग्रिमों मूल्यांकन समायोजन शामिल है।
– **₹ 5759.02 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 7150.34 करोड़)
संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के **₹ 37.64 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 103.14 करोड़) के शेयर सम्मिलित
*कर्मचारी बकाया और सांविधिक देय राशियां शामिल है।

9 – लघु अवधि प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को आँकड़े	31.03.2012 को आँकड़े
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	**488.71**	402.30
प्रस्तावित लाभांश	**808.87**	905.48
कॉर्पोरेट लाभांश कर	**137.47**	146.89
अनुबंधात्मक दायित्व	**1391.21**	1065.68
अन्य लघु अवधि प्रावधान	**211.80**	149.89
	3038.06	2670.24

संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के **₹ 9.01 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 11.11 करोड़) के शेयर सम्मिलित

10 – स्थायी परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

		31.03.2013 को आँकड़े	31.03.2012 को आँकड़े
(i)	**मूर्त परिसंपत्तियां**		
	सकल ब्लॉक	**10555.85**	9530.68
	घटाएं: संचित मूल्यह्रास	**6221.92**	5338.75
	घटाएं: लीज समायोजन खाता	**-3.35**	-3.64
	निवल ब्लॉक	**4337.28**	4195.57
(ii)	**मूर्त परिसंपत्तियां**		
	सकल ब्लॉक (समेकन पर साख)	**528.05**	486.47
	घटाएं: संचित मूल्यह्रास	**198.31**	163.39
	निवल ब्लॉक	**329.74**	323.08
(iii)	**पूंजीगत कार्य प्रगति पर**		
	प्रगति अधीन निर्माण कार्य–सिविल	**309.47**	376.51
	स्टोर्स का निर्माण (ट्रांजिट सहित),	**11.27**	9.99
	संयंत्र, मशीनरी और अन्य उपकरण		
	निर्माणाधीन/फैब्रिकेशन/निर्माण प्रतीक्षारत	**1731.32**	1078.62
	– ट्रांजिट मे	**277.30**	273.79
	निर्माणाधीन पट्टा पर परिसंपत्तिया	**0.12**	0.28
		2329.48	1739.20
(iv)	**विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां**	**39.42**	24.21
		39.42	24.21
	कुल	**7035.92**	6282.06

अनुसूची 10.1 में विवरणों का संदर्भ लें

संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के **₹ 1198.13 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 437.66 करोड़) के शेयर सम्मिलित

अनुसूची – 10.1

स्थाई परिसंपत्तियां–समेकित

(₹ करोड़ में)

	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास		निवल ब्लाक		
	31.03.2012 को लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	31.03.2013 को लागत	पट्टा समायोजन लेखा	31.03.2013 तक मूल्यह्रास/ परिशोधन	31.03.2013 की यथास्थिति	31.03.2012 की यथास्थिति	वर्ष के मूल्यह्रास/ परिशोधन
फैक्टरी/कार्यालय कॉम्प्लेक्स									
(i) मूर्त परिसंपत्तियां									
फ्री–होल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	31.75	0.94	14.41	18.28			18.28	31.75	
पट्टाधारित भूमि (विकास व्यय सहित)	6.05	0.15	0.00	6.20		0.41	5.79	5.66	0.01
सड़कें, पुल और पुलिया निर्माण	20.79	5.83	0.02	26.60		5.34	21.26	16.91	1.45
भवन	1346.75	258.80	0.48	1605.07		603.28	1001.79	866.43	123.57
पट्टाधारित भवन	3.31		0.19	3.12		1.39	1.73	1.98	0.05
जल निकासी, जल–मल, जल आपूर्ति	21.80	3.39	0.02	25.17		12.03	13.14	10.30	0.56
रेलवे साइडिंग	15.05	1.56		16.61		9.25	7.36	6.38	0.60
लोकोमोटिव तथा वैगन	31.13	13.35		44.48		21.03	23.45	11.77	1.67
प्लांट तथा मशीनरी	6036.38	562.06	18.28	6580.16		4051.40	2528.76	2614.70	644.64
इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	141.75	8.09	1.84	148.00		140.82	7.18	6.33	2.34
विद्युत संस्थापनाएं	278.98	23.51	0.19	302.30		121.29	181.01	175.80	18.16
निर्माण उपकरण	217.39	36.86	0.62	253.63		168.59	85.04	78.50	30.19
वाहन	20.10	0.07	1.05	19.12		16.65	2.47	3.51	0.51
फ़र्नीचर और फ़िक्चर्स	45.70	9.26	0.64	54.32		17.25	37.07	31.80	3.52
कार्यालय एवं अन्य उपकरण	147.61	23.86	1.24	170.23		82.04	88.19	74.39	9.65
₹ 10000 लागत की पूंजीगत संपत्तिया	97.63	10.05	1.57	106.11		106.11			10.03
पूंजी व्यय	0.44			0.44		0.44			
पट्टे में परिसंपत्तियाँ	497.15			497.15	3.35	493.79	6.71	3.79	0.15
पट्टे पर ली गई पीएंडएम उपकरण		0.16		0.16		0.16			
पट्टे पर लिये गये ईडीपी उपकरण	341.13	81.08	20.89	401.32		233.55	167.77	156.58	68.26
पट्टे पर लिए गए अन्य उपकरण और कार्यालय	6.43	1.46	0.91	6.98		3.39	3.59	3.87	0.85
कुल मूर्त परिसंपत्तियां–फैक्टरी	**9307.32**	**1040.48**	**62.35**	**10285.45**	**3.35**	**6088.21**	**4200.59**	**4100.45**	**916.21**
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां									
समेकन पर साख	185.87			185.87			185.87	185.87	
– आंतरिक रूप से विकसित									
सॉफ्टवेयर		0.66		0.66		0.61	0.05		0.08
अन्य	29.97	10.19	0.06	40.10		23.45	16.65	15.73	9.29
– अन्य									
सॉफ्टवेयर	119.88	20.93	0.12	140.69		120.30	20.39	9.88	10.40
तकनीकी ज्ञान	141.30	10.58	0.00	151.88		45.10	106.78	110.45	14.24
अन्य	8.85			8.85		8.85		0.05	0.05
कुल मूर्त परिसंपत्तियां–फैक्टरी	**485.87**	**42.36**	**0.18**	**528.05**		**198.31**	**329.74**	**321.98**	**34.06**
कुल फैक्टरी परिसंपत्तियां	**9793.19**	**1082.84**	**62.53**	**10813.50**	**3.35**	**6286.52**	**4530.33**	**4422.43**	**950.27**
टाउनशिप/आवासीय									
(i) मूर्त परिसंपत्तियां									
फ्री–होल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	2.17			2.17			2.17	2.17	
पट्टेधारित भूमि (विकास व्यय सहित)	1.99	0.05		2.04		0.62	1.42	1.41	0.02
सड़कें, पुल, पुलिया निर्माण	5.29	0.59		5.88		3.11	2.77	2.27	0.09
भवन	134.95	44.19	3.13	176.01		68.08	107.93	69.10	3.18
पट्टाधारित भवन	0.27			0.27		0.21	0.06	0.07	0.01
जल निकासी, जल–मल निकासी, जलापूर्ति	17.41	0.17	0.00	17.58		14.72	2.86	3.07	0.38
प्लांट एवं मशीनरी	17.55	2.27	0.01	19.81		12.56	7.25	6.37	1.37
विद्युत संस्थापनाएं	18.20	0.89	0.09	19.00		15.35	3.65	3.32	0.49
वाहन	1.08		0.01	1.07		1.02	0.05	0.07	0.01
फ़र्नीचर और फिक्चर्स	0.94	0.12	0.03	1.03		0.45	0.58	0.57	0.07
कार्यालय तथा अन्य उपकरण	21.67	1.36	0.10	22.93		14.98	7.95	7.80	1.11
₹ 10,000 तक की स्थायी परिसंपत्तिया	2.44	0.18	0.01	2.61		2.61			0.18
कुल मूर्त परिसंपत्तियां–टाउनशिप	**223.96**	**49.82**	**3.38**	**270.40**		**133.71**	**136.69**	**96.22**	**6.91**
टाउनशिप परिसंपतियों का योग	**223.96**	**49.82**	**3.38**	**270.40**		**133.71**	**136.69**	**96.22**	**6.91**
कुल मूर्त परिसंपत्तियां	**9531.28**	**1090.30**	**65.73**	**10555.85**	**3.35**	**6221.92**	**4337.28**	**4196.67**	**923.12**
कुल अमूर्त परिसंपत्तियां	**485.87**	**42.36**	**0.18**	**528.05**		**198.31**	**329.74**	**321.98**	**34.06**
टाउनशिप और फैक्ट्री परिसंपत्तियों का योग	**10017.15**	**1132.66**	**65.91**	**11083.90**	**3.35**	**6420.23**	**4667.02**	**4518.65**	**957.18**
पिछले वर्ष	**8344.13**	**1716.38**	**43.36**	**10017.15**	**3.64**	**5502.14**	**4518.65**	**3609.71**	**803.24**

31.03.2013 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लॉक में ₹ 61.57 करोड़ (गत वर्ष ₹ 59.20 करोड़) की एवं सक्रिय उपयोग परिसंपत्तियाँ शामिल है।
31.03.2013 की स्थिति के अनुसार निवल ब्लॉक में ₹ 0.18 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.14 करोड़) की बेकार एवं सक्रिय उपयोग परिसंपत्तियाँ शामिल है।
सकल ब्लॉक में अनुसन्धान तथा परिसंपत्तियों के लिए कार्यकारी एजेन्सी के रूप में परिसंपत्तियों की खरीद लागत के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल नहीं है क्योंकि संपत्ति कंपनी के पास मौजूद नहीं है।

2012–13	2011–12
30.81	30.81

वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में कोई हानि नहीं हुई।
सकल ब्लॉक में संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 21.12 करोड़ (गत वर्ष ₹ 31.43 करोड़) का शेयर शामिल है।
वर्ष के लिए मूल्यह्रास में संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों का हिस्सा ₹ 1.58 करोड़ (गत वर्ष ₹ 1.28 करोड़) शामिल है।

11 – ग़ैर चालू निवेश

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को आँकड़े		31.03.2012 को आँकड़े	
दीर्घावधि निवेश (लागत पर)				
अनुद्धृत (पूर्ण प्रदत्त) शेयरः				
व्यापार				
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमि. के प्रत्येक ₹ 10 के 1402 (पिछले वर्ष 1402) इक्विटी शेयर्स	*		*	
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमि. के प्रत्येक ₹ 10 के 490 (पिछले वर्ष 490) इक्विटी शेयर्स	**0.01**		0.01	
एपी गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ₹ 10 के 728960 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 728960)	**0.91**		0.91	
नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के प्रत्येक ₹ 10 के 5000000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 5000000)	**5.00**	**5.92**	5.00	5.92
संयुक्त उद्यम कंपनियाँ				
पॉवर प्लांट पर्फार्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमि. के प्रत्येक ₹ 10 के 1999999 (पिछले वर्ष 1999999) मूल्य के इक्विटी शेयर	**2.00**		2.00	
घटाएं: मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	**2.00**	**0.00**	2.00	0.00
व्यापार के अतिरिक्त				
बीएचईएल हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड में ₹ 100 प्रत्येक के 3 शेयर	*		*	
बीएचपीवी एम्प्लॉईज कन्ज़्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड में ₹ 10 प्रत्येक के 250 शेयर	*		*	
कफ़ परेड परसोपोलिस प्रेमिसिस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मुम्बई में प्रत्येक ₹ 50 के 20 शेयर	*		*	
हिल व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, मुम्बई में प्रत्येक ₹ 50 के 20 शेयर	*	**0.01**	*	0.01
अग्रिम में प्रदत्त शेयर राशि				
प्रत्येक ₹ 10 के 50 शेयरों के आबंटन के लिए मैसर्स रीता एंटरप्राइसिस मुंबई		*		*
प्रत्येक ₹ 10 के 50 शेयरों के आबंटन के लिए मैसर्स आशीष एंटरप्राइसेस, मुंबई		*		*
* ₹ 1 लाख से कम मूल्य के				
		5.94		5.94
अनुद्धृत निवेश का कुल मूल्य		**5.94**		5.94
निवेशों के मूल्य में ह्रास में औसत प्रावधान		**2.00**		2.00

12 – आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को आँकड़े		31.03.2012 को आँकड़े	
प्रावधान	**1091.82**		1021.00	
वैधानिक देयता	**484.03**		555.64	
मॉडवैट समायोजन	**60.79**		75.57	
अन्य	**34.18**		37.37	
	1670.82		1689.58	
आस्थगित कर देयताएं				
अवमूल्यन	**115.02**		140.10	
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**1555.80**		1549.48	

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 4.36 करोड़ (गत वर्ष ₹ 3.24 करोड़) का शेयर शामिल है।

13 – दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को आँकड़े		31.03.2012 को आँकड़े	
अग्रिम पूंजी	**325.67**		308.52	
जमा	**54.30**		44.52	
कर्मचारियों को ऋण	**1.47**		1.68	
सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को ऋण	**12.00**		16.00	
अन्यों को ऋण	**0.00**		0.01	
ब्याज उपार्जित और या ऋणों पर देय	**0.56**	**394.00**	0.78	371.51
अग्रिम (नकद वसूली योग्य या अन्य प्रकार से या प्राप्त किये जाने वाले मूल्य के लिए)				
क्रय हेतु	**104.27**		402.95	
अन्यों को	**70.04**	**174.31**	118.02	520.97
जमाएं				
कस्टम, पोर्ट ट्रस्ट और अन्य सरकारी प्राधिकारियों के पास अधिशेष		**42.54**		38.56
अग्रिम कर/टीडीएस (कराधान हेतु निवल प्रावधान)		**341.94**		71.90
		952.79		1002.94
घटाएं: प्रावधान		**23.01**		45.49
		929.78		957.45
उप वर्गीकरण:				
प्रारक्षित अच्छा माना		**12.16**		17.81
अप्रारक्षित, अच्छा माना		**917.62**		939.64
संदेहपूर्ण		**23.01**		45.49
		952.79		1002.94
सम्मिलित अधिकारियों से देय		**0.03**		-

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का **₹ 264.67 करोड़** (गत वर्ष ₹ 287.61 करोड़) का शेयर शामिल है।

14 – अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को आँकड़े		31.03.2012 को आँकड़े	
दीर्घावधि प्राप्तियां	**13099.34**		11505.74	
घटाएं: अशोध्य और संदग्धि ऋण	**1804.85**		1749.90	
घटाएं: स्वतः मूल्य कटौती समायोजन खाता	**577.83**	**10716.66**	361.38	9394.46
प्रचालन पूर्व खर्च/प्रारंभिक खर्च		**97.77**		21.80
		10814.43		9416.26
उप वर्गीकरणः दीर्घावधि व्यापार प्राप्तियां				
सुरक्षित अच्छा माना		-		-
असुरक्षित, अच्छा माना		**10716.66**		9394.46
संदेहपूर्ण		**2382.68**		2111.28
		13099.34		11505.74
आस्थगित श्रेणी सहित दीर्घावधि व्यापार प्राप्तियां **₹ 9859.62 करोड़** (गत वर्ष ₹ 8194.77 करोड़)				

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का **₹ 9.34 करोड़** (गत वर्ष ₹ 1.41 करोड़) का शेयर शामिल है।

15 – माल सूचियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को आँकड़े		31.03.2012 को आँकड़े	
कच्चा माल तथा संघटक	**4516.79**		4971.92	
मार्गस्थ सामग्री	**708.70**	**5225.49**	1859.24	6831.16
चल रहा कार्य (उप–ठेकेदारों के साथ वस्तुओं सहित)		**4202.73**		4841.46
तैयार माल	**1361.39**		953.79	
मार्गस्थ अन्तर–प्रभाग अन्तरण में	**297.06**	**1658.45**	199.60	1153.39
भण्डार एवं स्पेयर्स				
उत्पादन	**243.40**		214.56	
ईंधन स्टोर्स	**24.22**		15.19	
विविध	**48.15**	**315.77**	38.29	268.04
फ़ैब्रिकेटर्स/टेकेदारों के पास सामग्री		**234.95**		316.70
खुले औज़ार		**44.58**		46.38
रद्दी माल (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर)		**67.21**		68.35
अचल मालसूची	**185.30**		176.62	
घटाएं: अचल मालसूची हेतु प्रावधान	**65.45**	**119.85**	68.70	107.92
		11869.03		13633.40

मूल्यांकन की पद्धति के संबंध में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 9 का संदर्भ लें।

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का **₹ 44.30 करोड़** (गत वर्ष ₹ 13.84 करोड़) का शेयर शामिल है।

16 – व्यापार प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को आँकड़े	31.03.2012 को आँकड़े
छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण	**11781.57**	10426.34
अन्य ऋण	**18668.74**	16924.51
	30450.31	27350.85
घटाएं: संदेहपूर्ण ऋणों एवं स्वतः मूल्य कमी समायोजन हेतु प्रावधान	**1080.02**	799.52
	29370.29	26551.33
व्यापार प्राप्तियों में आस्थगित ऋण शामिल है–		
– **(₹ 7243.93 करोड़** (पिछले वर्ष ₹ 6100.13 करोड़))		
व्यापार प्राप्तियों में वितरित वस्तुओं के लंबित बिल शामिल हैं–		
– **(₹ 1705.16 करोड़** (पिछला वर्ष ₹ 1717.07 करोड़))		
व्यापार प्राप्तियों में मूल्यांकन समायोजन शामिल है–		
– **(₹ 1274.42 करोड़** (पिछला वर्ष ₹ 1475.07 करोड़))		
चालू व्यापार प्राप्तियों का विवरणः		
सुरक्षित, अच्छा माना	-	-
असुरक्षित, अच्छा माना	**29370.29**	26551.33
संदेहपूर्ण	**1080.02**	799.52
	30450.31	27350.85

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का **₹ 116.03 करोड़** (गत वर्ष ₹ 117.73 करोड़) का शेयर शामिल है।

17 – रोकड़ एवं बैंक अधिशेष

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को आँकड़े	31.03.2012 को आँकड़े
रोकड़ एवं नकदी समतुल्य		
बैंकों में अधिशेष*	**2673.27**	1717.06
सावधि समा जिनकी परिपक्वता 3 माह से कम है	**1300.00**	1250.00
चैक, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में	**420.03**	365.79
नकदी और स्टैम्पस के रूप मे	**1.19**	1.27
मार्जिन मनी जमा	**0.56**	0.21
अन्य बैंक अधिशेष		
सावधि जमा जिनकी परिपक्वता 3 माह से अधिक और 12 माह से कम है।	**3450.00**	3400.00
	7845.05	6734.33
***शामिल है**		
अदावाकृत लाभांश के तहत चिन्हित सहित	**3.52**	2.18
गैर प्रत्यापवर्तनीय खाता	**13.16**	19.28

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 84.49 करोड़ (गत वर्ष ₹ 51.44 करोड़) का शेयर शामिल है।

18 – लघु अवधि ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को आँकड़े		31.03.2012 को आँकड़े	
ऋण				
कर्मचारियों को ऋण	**0.15**		0.16	
ऋण पर जारी सामग्री	**9.74**		9.74	
अन्यों को ऋण	**0.01**		0.01	
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण	**4.00**		4.00	
अर्जित ब्याज और या ऋण पर देय	**2.65**	**16.55**	1.59	15.50
अग्रिम (नकद प्राप्तियां या किसी अन्य प्रकार या मूल्य के रूप में प्राप्त)				
सहायक कंपनियों को	**0.55**		0.00	
कर्मचारियों को	**32.30**		32.21	
क्रय हेतु	**721.90**		963.03	
अन्य के लिए	**1035.50**	**1790.25**	889.59	1884.83
जमा				
कस्टम, पोर्ट ट्रस्ट और अन्य सरकारी प्राधिकारियों के पास अधिशेष		**342.07**		295.01
अन्य		**56.94**		40.35
		2205.81		2235.69
घटाएं: संदेहपूर्ण ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान		**82.08**		87.65
		2123.73		2148.04
ऋणों और अग्रिमों का विवरण:–				
सुरक्षित, अच्छा माना		**6.19**		4.25
असुरक्षित, अच्छा माना		**2117.54**		2143.79
संदेहपूर्ण		**82.08**		87.65
		2205.81		2235.69
सम्मिलित:				
निदेशकों से देय		**-**		-
अधिकारियों से देय		**0.11**		0.15

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का **₹ 69.72 करोड़** (गत वर्ष ₹ 18.55 करोड़) का शेयर शामिल है।

19 – अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को आँकड़े	31.03.2012 को आँकड़े
बैंक जमाओं और निवेशों पर अर्जित ब्याज	**201.27**	151.37
अन्य चालू परिसंपत्तियां	**1.46**	0.62
	202.73	151.99

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का **₹ 2.44 करोड़** (गत वर्ष ₹ 1.11 करोड़) का शेयर शामिल है।

20 – प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े	31.03.2012 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े
बिक्री घटाएं प्रतिफल	**43802.51**	44408.37
बाहरी निर्माण और अन्य सेवाओं से आय और कार्य ठेकों से राजस्व	**6870.33**	5489.20
	50672.84	49897.57

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का **₹ 465.01 करोड़** (गत वर्ष ₹ 329.41 करोड़) का शेयर शामिल है।

21 – अन्य प्रचालन आय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े		31.03.2012 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े	
निर्यात प्रोत्साहन		**24.27**		11.95
लीज़ पर परिसंपत्तियों से किराये पर आय	**0.93**		0.93	
पट्टा समतुल्य खाता	**-0.29**	**0.64**	3.82	4.75
स्क्रैप बिक्री		**283.94**		309.83
बिक्री/अधिशेष के स्थानांतरण से प्राप्ति		**0.07**		0.17
अन्य		**500.61**		429.57
		809.53		756.27

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का **₹ 0.07 करोड़** (गत वर्ष ₹ 0.06 करोड़) का शेयर शामिल है।

22 – अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े	31.03.2012 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े
क. अन्य आय		
दीर्घावधि निवेशों की बिक्री पर लाभ	**31.50**	0.00
स्थायी परिसंपत्तियों और पूंजीगत स्टोर्स की बिक्री से लाभ (निवल)	**3.42**	4.01
लाभांश	**19.00**	16.98
विनिमय अंतर प्राप्ति (निवल)	**141.57**	99.32
अन्य (अनुसन्धान एवं विकास परियोजनाओं पर भारत सरकार से प्राप्त ₹ 0.33 करोड़ सहित (पिछले वर्ष ₹ 0.33 करोड़))	**319.68**	331.46
कुल (क)	**515.17**	451.77
ख. ब्याज आय		
ग्राहकों से	**0.03**	2.56
बैंकों से	**542.63**	792.82
अन्य	**70.93**	24.88
कुल (ख)	**613.59**	820.26
कुल अन्य आय **कुल (क) + (ख)**	**1128.76**	1272.03

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का **₹ 5.40 करोड़** (गत वर्ष ₹ 6.02 करोड़) का शेयर शामिल है।

23 – सामग्री की खपत, संस्थापन और इंजीनियरिंग व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े	31.03.2012 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े
कच्चे माल और संघटकों की खपत	**23239.40**	24697.81
भण्डारों एवं स्पेयर्स की खपत	**590.59**	569.04
इरेक्शन तथा इंजीनियरी व्यय – उप–ठेकेदारों को भुगतान	**4341.39**	3865.84
	28171.38	29132.69

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का **₹ 371.88 करोड़** (गत वर्ष ₹ 251.96 करोड़) का शेयर शामिल है।

24 – प्रगति अधीन कार्य और तैयार माल में वृद्धि/कमी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े		31.03.2012 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े	
कार्य की प्रगति				
अंतः शेष	**4204.10**		4842.50	
प्रारंभिक शेष	**4842.50**	**-638.40**	4142.64	699.86
तैयार माल				
अंतः शेष	**1362.15**		954.27	
प्रारंभिक शेष	**954.27**	**407.88**	859.13	95.14
ट्रांजिट में अंतर प्रभागीय अंतरण		**109.32**		34.90
		-121.20		829.90
टिप्पणीः				
तैयार माल में उत्पाद कर का हिस्सा				
अंतः शेष		**126.59**		99.97
प्रारंभिक शेष		**99.97**		81.96

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का **₹ 0.46 करोड़** (गत वर्ष ₹ 0.26 करोड़) का शेयर शामिल है।

25 – कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े	31.03.2012 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े
वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते तथा अन्य लाभ	**4910.26**	4643.31
उपदान निधि में अंशदान	**144.76**	152.74
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	**302.17**	279.44
समूह बीमा	**11.80**	12.15
कर्मचारी कल्याण व्यय	**455.01**	441.73
	5824.00	5529.37

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का **₹ 14.04 करोड़** (गत वर्ष ₹ 11.08 करोड़) का शेयर शामिल है।

26 – वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े	31.03.2012 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े
ब्याज व्यय	**43.60**	26.70
अन्य ऋण लागत	**84.01**	26.37
	127.61	53.07
घटाएं: उधार लागत पूंजीकृत	**0.00**	0.00
	127.61	53.07

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का **₹ 1.14 करोड़** (गत वर्ष ₹ 0.29 करोड़) का शेयर शामिल है।

27 – उत्पादन, प्रशासन, बिक्री तथा वितरण पर अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े	31.03.2012 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े
रॉयल्टी, तकनीकी, आवासीय परामर्शदाता प्रभार और अन्य परामर्श–प्रभार	**126.76**	81.67
किराया	**86.18**	96.54
उत्पाद कर	**307.28**	248.70
विद्युत एवं ईंधन	**562.18**	515.10
दरें और कर	**72.96**	46.34
सेवा कर	**13.22**	15.16
बीमा	**125.95**	133.60
मरम्मत:		
भवन	**97.17**	80.39
संयंत्र एवं मशीनरी	**38.97**	36.51
अन्य	**153.41**	139.31
निर्यात से संबंधित अन्य व्यय	**28.28**	26.79
बट्टाकृत निवेशों पर हानि	**1.06**	0.09
वर्ष के दौरान बट्टाकृत अशोध्य ऋण	**28.13**	22.68
बाह्य ढुलाई प्रभार	**574.16**	624.41
यात्रा और वाहन ख़र्च	**200.72**	185.51
विविध व्यय	**1004.22**	887.19
प्रभारित किये गये निर्णीत हर्ज़ाने	**349.68**	74.53
दान	**0.03**	0.17
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और अन्य संधारणीय विकास पर व्यय	**37.95**	36.47
	3808.31	3251.16

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का **₹ 16.87 करोड़** (गत वर्ष ₹ 15.28 करोड़) का शेयर शामिल है।

28 – प्रावधान (निवल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े		31.03.2012 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े	
संदिग्ध ऋण, निर्णीत हर्ज़ाने तथा ऋण और अग्रिम				
वर्ष के दौरान सृजित	**1209.26**		973.61	
घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टाकृत	**819.57**	**389.69**	345.30	628.31
अनुबंधात्मक दायित्व				
वर्ष के दौरान सृजित	**1793.43**		1198.64	
घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टाकृत	**647.70**	**1145.73**	333.81	864.83
अन्य				
वर्ष के दौरान सृजित	**87.59**		53.81	
घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टाकृत	**39.25**	**48.34**	141.42	-87.61
		1583.76		1405.53

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का **₹ 1.41 करोड़** (गत वर्ष ₹ 0.46 करोड़) का शेयर शामिल है।

29 – पूर्व अवधि मदें (निवल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े		31.03.2012 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े	
आय				
प्रतिफल रहित बिक्री	**1.97**		-19.32	
अन्य प्रचालन आय	**0.00**		0.30	
अन्य आय	**0.13**		0.17	
ब्याज आय	**0.00**	**2.10**	-0.21	-19.06
व्यय				
उप–ठेकेदारों को भुगतान	**0.06**			
कच्चे माल एवं संघटकों की खपत	**0.47**		1.64	
मूल्यह्रास	**0.77**		2.67	
विविध व्यय	**1.25**	**2.55**	-4.24	0.07
		-0.45		-19.13

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का **₹ 0.02 करोड़** (गत वर्ष ₹ 0.13) का शेयर शामिल है।

30 – विशिष्ट मदें

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े		31.03.2012 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े	
ब्याज अधित्याग		**-4.14**		-0.16
		-4.14		-0.16

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का **₹ शून्य करोड़** (गत वर्ष ₹ शून्य.) का शेयर शामिल है।

31 – कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े		31.03.2012 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े	
(क) वर्तमान कर				
वर्तमान वर्ष के लिए	**3063.78**		3296.26	
पूर्ववर्ती वापस लिखित में अतिरिक्त प्रावधान किया गया	**-219.85**	**2843.93**	-631.98	2664.28
(ख) आस्थगित कर प्रभार (क्रेडिट)		**-6.32**		615.69
		2837.61		3279.97

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का **₹ 20.65 करोड़** (गत वर्ष ₹ 17.34) का शेयर शामिल है।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

(समेकित वित्तीय विवरण)

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखाकरण की प्रोद्भवन विधि तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए है, जैसा कि कंपनी द्वारा निरंतर रूप में अपनाया जा रहा है।

2. अनुमानों का उपयोग

सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांत के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान और कल्पनाएं करना अपेक्षित होता है जो रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आय और व्यय और वित्तीय विवरणों की तिथि को आकस्मिक देयताओं सहित देनदारियों और परिसंपत्तियों को प्रभावित करते हैं।

3. स्थायी परिसंपत्तियां

(क) स्थायी परिसंपत्तियां (राज्य सरकार से निःशुल्क अधिगृहीत भूमि से भिन्न) अधिग्रहण या निर्माण अथवा संग्रहित मूल्यह्रास और हानि, यदि कोई है, को घटाकर वही मूल्य पर प्राप्त की जाती हैं।

(ख) लागत के अंतर्गत वास्तविक/प्राक्कलित फैक्टरी लागत या बाजार कीमत, जो भी कम हो, में लिए गए पूंजीगत कार्य के लिए आंतरिक अंतरण मूल्य सम्मिलित होता है। स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्रयुक्त दीर्घावधि देयताओं/ऋणों के संबंध में अवमूल्यन/पुर्नमूल्यन जैसी असाधारण घटनाओं के प्रभाव को लागत में जोड़ा/घटाया जाता है।

(ग) राज्य सरकार से निःशुल्क अधिग्रहित भूमि का मूल्य 1 रुपये लगाया गया है, सिवाए इसके कि वह 16 जुलाई, 1969 के पश्चात् न अधिग्रहित की गई हो, क्योंकि उस मामले में यह भूमि संबद्ध राज्य सरकार से पूंजी प्रारक्षित निधि में समतुल्य जमा द्वारा अधिग्रहण मूल्य पर मूल्यांकित की जाती है।

4. पट्टे

वित्तीय पट्टा

क) (i) 01 अप्रैल 2001 से पूर्व पट्टे पर दी गई परिसंपत्तिया

विनिर्मित और वित्तीय पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां सामान्य विक्रय–मूल्य/उचित मूल्य/संविदाकृत मूल्य पर पूंजीकृत की जाती है और उन्हें बिक्री के रूप में माना जाता है।

उक्त पर उस दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है जो मूल्यह्रास पर लेखाकरण नीति के अनुसार समान किस्म की स्थायी परिसंपत्तियों के लिए लागू होती है। पट्टा किरायों के लिए समान प्रकार पट्टा समानीकरण लेखा के माध्यम से लिया जाता है।

वित्त आय को पट्टा अवधि के लिए माना जाता है।

(ii) 01 अप्रैल 2001 को अथवा उनके पश्चात पट्टे पर दी गई परिसंम्पत्तियां

विनिर्मित और वित्तीय पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को समान्य बिक्री कीमत/उचित मूल्य/एनपीवी पर बिक्री के रूप में मान्यता दी जाती है। वित्त आय को पट्टा अवधि के लिए माना जाता है। प्रारंभिक लागत को पट्टे के शुरू होने पर खर्च माना जाता है।

ख) 01 अप्रैल 2001 अथवा उसके पश्चात् पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां

पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों को उचित मूल्य/एनपीवी/संविदाकृत कीमत पर पूंजीकृत किया जाता है।

उक्त पर मूल्यह्रास उस दर से प्रभारित किया जाता है जो मूल्यह्रास पर लेखाकरण की नीति के अनुसार सम्पन किस्म की स्थायी परिसम्पत्तियों के लिए लागू होता है। मूल्यह्रास पर नीति यदि पट्टा परिसंपत्तियां पट्टेदार को पट्टा अवधि समाप्त होने पर लौटायी जानी है, तो इसे प्रयुक्त अवधि अथवा पट्टा अवधि जो भी कम हो, के लिए मूल्यह्रासित किया जाता है।

पट्टा भुगतानों को पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के संबध में वित्त प्रभारों एवं बकाया देयता की कमी में विभाजित कर दिया जाता है।

प्रचालन पट्टा

क) पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां

विनिर्मित और प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां पूंजीकृत की जाती हैं। उनसे होने वाली पट्टा आय को पट्टा अवधि में हुई आय माना जाता है।

ख) पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां

प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए किए गए पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि में हुआ व्यय माना जाता है।

5. अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

क) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है, यदि

(क) यह संभाव्य है कि भविष्य में परिसंपत्ति के कारण होने वाला आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा, और

(ख) कंपनी का परिसंपत्तियों पर नियंत्रण होगा, और

(ग) इन परिसंपत्तियों की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है और रू 10,000 से अधिक है। अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को उनकी अनुमानित उपयोगी अवधि में सीधी रेखा यथानुपात मासिक आधार पर परिशोधित किया जाएगा, जो सॉफ्टवेयर के मामले में तीन वर्षों और अन्य के मामले में दस वर्षों से अधिक नहीं होगी।

ख) (क) अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के अनुसंधान चरण के दौरान व्यय सहित अनुसंधान चरण के दौरान व्यय सहित अनुसंधान पर व्यय को होने वाले वर्ष में लाभ और हानि में प्रभारित किया जाता है।

ख) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर लेखाकरण मानक के अनुसार मानदंड पूरी करने वाली अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के विकास चरण के दौरान व्यय सहित विकास पर किए गए व्यय को अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है।

ग) अनुसंधान और विकास के प्रयोजनार्थ अधिग्रहित स्थायी परिसंपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है।

6. उधार लागतें

उधार लागतें, जो अर्हक परिसंपत्तियों के विनिर्माण, अधिग्रहण या निर्माण पर व्यय की जाती हैं, ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में शामिल की जाती है।

अर्हक परिसंपत्ति वह होती है जो अभिप्रेत उपयोग या बिक्री हेतु तैयार होने में आवश्यक रूप से बारह महीने से अधिक का समय लेती है। अन्य उधार लागतों को उस अवधि का व्यय माना जाता है, जिसमें उन्हें खर्च किया जाता है।

7. मूल्यह्रास

1) स्थायी परिसंपत्तियों (संविदा के अधीन विदेशों में प्रयुक्त को छोड़कर) पर मूल्यहास, उसे छोड़कर जहां मूल्यहास, तकनीकी रूप से आकलित अनुमानित उपयोगी अवधि के आधार पर निर्धारित दरों पर प्रभारित किया जाता है, कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों के अनुसार सीधी–रेखा विधि पर परिसंपत्तियों की कुल लागत तक प्रभारित किया जाता है, जो नीचे दर्शाया गया है –

	एकल पाली	दोहरी पाली	तिहरी पाली
सामान्य संयंत्र एवं मशीनरी	8%	12%	16%
स्वाचालित/अर्ध – स्वचालित मशीनें	10%	15%	20%
निर्माण उपकरण, पूंजीगत औजार तथा साज–समान	20%		
टाउनशिप बिल्डिंग			
– द्वितीय श्रेणी	2.5%		
– तृतीय श्रेणी	3.5%		
रेलवे साइडिंग	8%		
लोकोमोटिव तथा वैगन	8%		
विद्युतीय संस्थापना	8%		
कार्यालय तथा अन्य उपकरण	8%		
ड्रेनेज, सीवरेज तथा जल आपूर्ति	3.34%		
इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	20%		

स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि/से कटौती के मामले में मूल्यह्रास प्रभार, यथानुपात मासिक आधार पर होता है,

(ii) दीर्घावधिक संविदाओं के अनुसरण में भारत से बाहर प्रयुक्त स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यहास प्रारंभिक संविदा की अवधि के दौरान होता है।

(iii) रू 10,000 या कम लागत की स्थायी परिसंपत्तियों अथवा उन परिसंपत्तियों, जिनका हासित मूल्य वर्ष के प्रारंभ में रू 10,000 या कम है, का पूर्णतः मूल्यहास होता है। जहां तक, टाउनशिप भवनों का प्रश्न है, वहां प्रति मकान की लागत रू 10,000 की सीमा के लिए आधार है।

(iv) निर्माण/परियोजना स्थल पर सड़कों, पुलों और पुलियों की लागत संविदा अवधि में पूर्णतः परिशोधित की जाती है, जबकि शेड, रेलवे साइडिंग, विद्युतीय संस्थापनाओं और इस प्रकार के अन्य समर्थकारी कार्यों (पूर्णतः अस्थायी निर्माण, लकड़ी के कार्य को छोड़कर) पर अवशिष्ट मूल्य के रूप में 10 प्रतिशत प्रतिधारित करते हुए उन्हें मूल्यह्रासित किया जाता है।

(v) लकड़ी के ढांचों जैसे पूर्णतः अस्थायी निर्माण कार्यों पर निर्माण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है।

(vi) पट्टाधारित भूमि और भवनों को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि पर निर्मित भवनों का मूल्यह्रास उनकी उपयोगी अवधि अथवा पट्टे की अवधि जो भी कम हो, में होता है।

बीजीजीटीएस के मामले में (50% जेवी)

स्थाई सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास प्रबंधन द्वारा यथा आकलित परिसम्पत्तियों के अर्थपूर्ण जीवन के लिए प्रत्यक्ष तरीका अपनाकर प्रदान किया जाता है। कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित मूल्यह्रास दरों को न्यूनतम दरें समझा जाता हैं। यदि परिसम्पत्ति के अधिग्रहण के समय अथवा उक्त अनुसूची में परिकल्पित की तुलना में शेष उपयोगी जीवन कम है, तो उपयोगी जीवन/शेष उपयोग जीवन के प्रबंधन के आकलन के आधार पर मूल्यह्रास उच्च दर पर दिया जाता है। इस नीति के अनुसरण में, परिसम्पत्तियां पर मूल्यह्रास प्रबंधन द्वारा यथा आंकलित स्थाई परिसंम्पत्तियों के निम्नलिखित अर्थपूर्ण जीवन पर आधारित दरों के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

परिसम्पत्ति की श्रेणी	**आकलित उपयोगी जीवन (वर्ष)**
प्लांट तथा मशीनरी	2–15
विद्युत संस्थापनाएं	3–10
सिविल स्ट्रक्चर	5–10
फर्नीचर तथा फिक्चर	1–8
कम्प्यूटर	3
कार्यालय उपकरण	3–5

मूल्यह्रास का परिकलन परिसम्पत्तियें की खरीद/बिक्री माह से/तक के यथानुपात आधार पर किया जाता है। ₹ 5000 से कम की अलग–अलग परिसम्पत्तियों खरीद वर्ष में पूर्ण रूप से मूल्यह्रासित की जाती है।

रायचूर पावर कारपोरेशन लिमिटेड के मामले में (43% जेवी)

विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 में निर्धारित दरों पर मूल्यह्रास प्रत्यक्ष तरीका अपनाकर दिया जाता है। उन परिसम्पत्तियों के संबंध में जिसके लिए विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1956 में दरों का निर्धारण नही है, मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत निर्दिष्ट दरों पर प्रदान किया जाता है। परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास लागत की 90% तक किया जाता है और 10% अपशिष्ट मूल्य के रूप में रोक लिया जाता है। परिसम्पत्तियों के परिवर्धन पर मूल्यह्रास परिवर्धन की तारीख को देखे बिना पूरे वर्ष के लिए दिया जाता है।

एनटीपीसी – बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि. के मामले में स्थाई परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास, कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों के अनुसार प्रत्यक्ष तरीके से परिसम्पत्तियों की कुल लागत पर प्रभारित किया जाता है।

8. निवेश

(i) दीर्घावधिक निवेश लागत पर किए जाते हैं। अस्थायी के अलावा, ऐसे निवेशों में गिरावट को मान्यता दी जाती है और इसके लिए व्यवस्था की जाती है।

(ii) चालू निवेश लागत या उद्धृत/उचित मूल्य, जो भी कम है, पर किए जाते हैं। उद्धृत चालू निवेश लागत पर किए जाते हैं।

(iii) निवेश की लागत में अधिग्रहण प्रभार जैसे, दलाली, शुल्क तथा ड्यूटी शामिल है।

मौजूदा राशि में यदि कोई कमी होती है या किसी की पूर्ति होती है तो उसे लाभ और हानि में लेखा प्रभारित अथवा जमा किया जाता है।

8. मालसूची मूल्यांकन

(i) मालसूचियों का मूल्यन वास्तविक/अनुमानित लागत अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो, पर लिया जाता है।

(ii) संयंत्रों में तैयार माल तथा जारी कार्यों का मूल्यन वास्तविक/अनुमानित फैक्टरी लागत या वसूली योग्य मूल्य के 97.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

(iii) संयंत्र में तैयार माल एवं चालू कार्य के मूल्यांकन के संबंध में लागत का अर्थ कारखाना लागत है, वास्तविक/अनुमानित कारखाना लागत में विनिर्मित माल पर देय उत्पाद शुल्क शामिल है।

(iv) कच्चे माल, संघटकों, फुटकर औजारों, भंडारों एवं अतिरिक्त पुर्जों की लागत का अर्थ भारांकित औसत लागत है।

(v) क. 1.04.2003 को या उसके बाद की गई निर्माण संविदाओं के लिए जहां संविदा की लागत के वर्तमान अनुमान और विक्रय मूल्य हानि दर्शाते हैं, वहां ऐसी संविदा के लिए प्रत्याशित हानि को तुरंत मान्यता प्रदान की जाती है, चाहे कार्य शुरू हो गया है या नहीं।

ख. अन्य सभी संविदाओं के लिए–

जहां किसी संविदा का भाग होने वाली पृथक रूप से अभिज्ञात परियोजना की लागत और विक्रय मूल्य संबंधी वर्तमान अनुमान हानि दर्शाता है, वहां ऐसी? परियोजना के संबंध में, जिस पर कार्य आरंभ हो चुका है, प्रत्याशित हानि को मान्यता दी जाती है।

ग. प्रत्याशित हानि निर्धारण में प्राप्त कुल आय पर विचार किया जाता है, जिसमें निर्यातों/माने गए निर्यातों पर प्रोत्साहन भी शामिल होते हैं।

(vi) उत्पादन आर्डरों के लिए खरीदे/विनिर्मित संघटकों और अन्य सामग्रियों, जिन्हें अधिशेष घोषित किया गया हो, को तकनीकी अनुमानों के आधार पर अवशिष्ट मूल्य प्रतिधारित करने हुए राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

बीजीजीटीएस के मामले में (50% संयुक्त उद्यम)

ट्रेड किए गए स्टॉक का मूल्य न्यूनतम लागत और निवल प्राप्त पर निकाला जाता है। लागत का निर्धारण पहले खरीदी पहले बेची पद्धति पर किया जाता है।

10. राजस्व मान्यता

ग्राहक के पक्ष में स्वामित्व को अंतरित करके महत्वपूर्ण जोखिमों और प्रतिफलों के आधार पर बिक्री को दर्ज किया जाता है। बिक्री के अंतर्गत आंशिक पोतलदान द्वारा ग्राहक को प्रेषित किया गया माल आता है।

क. 1.04.2003 को या उसके बाद की गई निर्माण संविदाओं के लिए:

राजस्व को संविदा की कुल अनुमानित लागत पर सूचना तिथि तक व्यय की गई वास्तविक लागत की प्रतिशतता पर आधारित प्रतिशतता समापन विधि से मान्यता दी जाती है।

ख. अन्य सभी संविदाओं के लिए:

(i) लम्बे उत्पादन चक्र वाले मदों (गैस आधारित पावर संयंत्रों, बॉयलरों, बॉयलर ऑग्जिलियरी, कम्प्रेसरों और औद्योगिक टर्बो सेटों सहित हाइड्रो और थर्मल सेट) के संबंध में बिक्री राजस्व को मान्यता तकनीकी अनुमानों पर दी जाती है। जब शिपमेंट का कुल मूल्य प्रापणीय मूल्य का 30 प्रतिशत या उससे अधिक हो तो उन पर प्रापणीय मूल्य के 97.5 प्रतिशत पर विचार किया जाता है। अन्यथा, उन पर वास्तविक/अनुमानित फैक्टरी लागत या प्रापणीय मूल्य के 97.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, विचार किया जाता है। शेष 2.5 प्रतिशत को संविदा के अधीन आपूर्ति पूरी हो जाने पर राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) निर्माण और परियोजना प्रबंध सेवाओं को निम्नलिखित आधार पर मान्यता दी जाती है–

पूर्णता की प्रतिशतता, अथवा अंतर्भूत मूल्य की गणना संविदा मूल्य के 97.5 प्रतिशत पर की जाती है तथा शेष 2.5 प्रतिशत को संविदा समाप्त होने पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(iii) प्रदान की गई इंजीनियरिंग सेवाओं से प्राप्त आय को पूरे किए गए कार्य की प्रतिशतता के आधार पर प्रापणीय मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

(iv) गैर बीएचईएल उपस्करों/प्रणालियों और सिविल कार्य की आपूर्ति/निर्माण से प्राप्त आय की मान्यता ग्राहकों को किए गए प्रेषणों/परियोजना स्थल पर किए गए कार्यों पर आधारित होती है।

11. विदेशी मुद्रा लेन–देनों के लिए लेखाकरण

विदेशी मुद्रा लेन–देनों को लेन–देनों की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में विनिमय दरों पर रूपांतरित किया जाता है। लेन–देनों के निपटान और मौद्रिक मदों के रूपांतरण पर उत्पन्न हुए विनिमय अंतर को उस वर्ष जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, में आय अथवा व्यय के रूप में माना जाता है।

12. अभिन्न वित्तीय प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को मूल रूप देना

(i) आय तथा व्यय की मदों को मूल्यह्रास के अलावा औसत दर पर मूल रूप दिया जाता है, जिसे तत्संबंध स्थायी परिसंपत्तियों के लिए अंगीकृत दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

(ii) मौद्रिक मदों को अन्य दरों पर मूल रूप दिया जाता है,

ऐतिहासिक लागत पर चलाई जाने वाली गैर–मौद्रिक मदों को सौदे की तारीख को लागू दरों पर मूर्त रूप दिया जाता है, उचित मूल्य पर चलाई जाने वाली गैर–मौद्रिक मदों की उस विदेशी मुद्रा पर विनिमय दर पर मूर्त रूप दिया जाता है जो मूल्य निर्धारित किए जाते समय विद्यमान होती है।

(iii) सभी उदग्रहण भिन्नताओं को लाभ व हानि लेखा के लिए लिया जाता है।

बीजीजीटीएस (50% जेवी) मामले में

वर्ष के अंत में पड़े बकाया के विदेशी मुद्रा जोखिम का बचाव करने के लिए आगे के लिए संविदाए दी जाती है। प्रत्येक संविदा के प्रारम्भ में ऐसी सभी संविदाओं हेतु प्रीमियम अथवा डिस्काउंट का संविदा की समय सीमा पर व्यय अथवा आय के रूप में परिशोधन किया जाता है। ऐसी अग्रिम संविदा पर निम्नलिखित के बीच विनिमय अंतर होता है (i) सूचित तारीख को अथवा समझौता की तारीख में जहां सौदे का इस अवधि के दौरान समझौता किया जाता है, विनिमिय दरों पर मूर्त रूप दिए गए संविदा की विदेशी मुद्रा राशि अंतर और (ii) अग्रिम विनिमय संविदा के शुरू होने की तारीख अथवा अंतिम सूचित तारीख के पश्चात मूर्त रूप दी गई समान विदेशी मुद्रा। ऐसी अग्रिम संविदा को रद्द करने अथवा नवीकरण करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लिए आय अथवा व्यय के रूप में माना जाता है।

13. कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि और कर्मचारी परिवार पेन्शन योजना अंशदानों की गणना प्रोद्भूत आधार पर लेखाबद्ध की जाती है। अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश, उपदान, सेवानिवृत्ति पर यात्रा दावे और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभों के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार लेखाबद्ध की जाती है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन प्रतिपूर्ति होने वाले वर्ष में यथानुपात मासिक आधार पर प्रभारित की जाती है।

14. कंपनी द्वारा/के विरूद्ध दावे

(i) कंपनी के विरुद्ध निर्णीत हर्जाने के लिए दावे को समान लेन–देनों के अनुभवों द्वारा अनुपूरित उपलब्ध सूचना के संदर्भ में संभावित परिणामों के प्रबंधन के आकलन के आधार पर लेखे में माना जाता है।

(ii) निर्यात प्रोत्साहन, शुल्क वापसी, सीमा शुल्क की वापसी और बीमा के लिए दावे आदि प्राप्ति पर लेखे में लिए जाते हैं।

(iii) मूल्य वृद्धि दावे और/अथवा संविदा कार्य के परिवर्तनों के संबंध में देय राशियों को केवल तभी राजस्व के रूप में माना जाता है जब संविदाओं से ऐसे दावों अथवा भिन्नताओं की शर्तें हों और/अथवा ग्राहकों से उसकी स्वीकार्यता का साक्ष्य हो। तथापि वृद्धि अतिरिक्त मूल्य तक प्रतिबंधित होती है।

15. वारंटियों के प्रावधान

(i) 01.04.2003 को या उसके बाद किए गए निर्माण संविदाओं के लिए:

कंपनी उत्तरोत्तर राजस्व पर, जब कभी भी राजस्व को मान्यता देती है, 2.5% वारंटी लागत देती और वारंटी अवधि में यही प्रतिशत बनाए रखा जाता है।

(ii) अन्य सभी संविदाओं के लिए:

वर्ष के अंत में वारंटी के अंतर्गत संविदाओं के लिए संविदात्मक दायित्वों का प्रावधान संविदा मूल्य के 2.5 प्रतिशत पर अनुरक्षित किया जाता है। एक उत्पाद से अधिक की आपूर्ति वाली संविदाओं के मामले में पूरे किए गए प्रत्येक उत्पाद के मूल्य के 2.5 प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है।

(iii) सुधार कार्य पर वारंटी के दावे/व्यय को जब भी व्यय किया जाता है, प्राथमिक शीर्ष के अधीन लेखांकन किया जाता है और वर्ष के अंत में प्रावधानों पर प्रभारित किया जाता है।

16. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब लेखाबद्ध किया जाता है जब उनकी वसूली की उचित निश्चितता हो। अचल मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों से संबद्ध अनुदानों को संगत परिसंपत्तियों की सकल लागत के अधीन समायोजित किया जाता है, जबकि गैर–मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों से संबद्ध को पूंजी प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है। राजस्व सबद्ध अनुदान जब तक व्यय/हानियों के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त नहीं किए जाते, तब तक उन्हें उस अवधि, जिससे वे राजस्व की समतुल्य लागत के सिद्धांत पर संबद्ध हैं, राजस्व के रूप में माना जाता है। गैर–मौद्रिक परिसंपत्तियों के रूप में अनुदानों को अधिग्रहण की लागत पर अथवा नॉमिनल मूल्य पर लेखाबद्ध किया जाता है, अगर वे निःशुल्क प्राप्त होते हैं।

17. आय पर कर

चालू कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप कर योग्य आय पर किया जाता है। आस्थगित कर देयता/परिसंपत्ति लेखाकरण आय और कर योग्य आय

के बीच समयांतर के परिणामस्वरूप कर का निर्धारण लागू दर पर और बाद में कार्यान्वित कानून को ध्यान में रखते हुए विचारित किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति की गणना केवल तभी आगे उस स्थिति में की जाती है कि इस बात की न्यायोचित निश्चितता है कि पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय ऐसे आस्थगित कर परिसंपत्तियों के तहत उपलब्ध होगी। गैर विलयकृत अवमूल्यन के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्यिां और आगे अग्रेषित हानियां को केवल तभी मान्यता दी जाती है यदि ऐसी वास्तविक स्थिति हो कि ऐसी परिसंपत्तियों के वास्तविकीकरण के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी।

18. हानि

जब कभी हानि के संकेत होते हैं प्रत्येक तुलन पत्र पर नकदी सृजन इकाइयों की राशि की समीक्षा की जाती है। इम्पेअरमेंट हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब अग्रेषित राशि नकदी सृजन इकाइयों की वसूली योग्य राशि से अधिक होती है। यदि वसूली योग्य राशि में परिवर्तन होता है तो इम्पेअरमेंट हानि को रिवर्स कर दिया जाता है और ऐसी हानि अधिक समय नहीं रहती अथवा घट जाती है।

19. खंड रिपोर्टिंग

खण्ड रिपोर्टिंग कंपनी की लेखाकरण नीतियों के अनुरूप होती है। खण्डों में राजस्व और व्यय की पहचान खंड की प्रचालन गतिविधियों से उनके संबंध के आधार पर की जाती है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियां और देयताएं, जो कि एक औचित्यपूर्ण तौर पर खण्ड के लिए बांटने लायक नहीं है, उन्हें ''गैर आबंटित राजस्व/व्यय/परिसंपत्तियां/देनदारियां के अंतर्गत शामिल'' किया जाता है।

32 – लेखों पर समेकित वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरण भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, (मूल कंपनी) तथा इसकी सहायक कंपनियों तथा इसके संयुक्त उपक्रमों से संबंधित हैं। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

   लेखाकरण का आधार:

   i) सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण तथा संयुक्त उपक्रमों में इनके ब्याज को कंपनी की समान रिपोर्टिंग तारीख को बनाया जाता है।

   ii) समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन मानदंड (एएस) 21 – 'समेकित वित्तीय विवरण' तथा लेखांकन मानदंड (एएस 27) – 'संयुक्त उपक्रमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग' के अनुसार तैयार किए गए हैं।

   समेकन के सिद्धांत:

   (क) मूल कंपनी के वित्तीय विवरण तथा इसकी सहायक कंपनी लाइन दर लाइन आधार पर संयुक्त होती है जिसमें परिसपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों की बुक वैल्यू को जोड़ा जाता है। जोड़ने से पूर्व इन मदों में से इंट्रा ग्रुप बैलेंस तथा इंट्रा ग्रुप लेन–देन और वसूले न गए लाभ अथवा हानियों को लेखांकन मानदंड (एएस21) – 'समेकित वित्तीय विवरणों' के अनुसार पूरी तरह समाप्त किया जाता है।

   (ख) संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरण लाइन दर लाइन विधि के अनुसार यथानुपात होते हैं जिसमें परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों को समेकन विधि से इसमें जोड़ा जाता है। जोड़ने से पूर्व इन मदों में से वसूले गए लाभ–हानि को लेखांकन मानदंड (एएस 27)– 'संयुक्त उपक्रमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग' के अनुसार यथानुपात रूप से समाप्त किया जाता है।

   (ग) समेकित वित्तीय विवरण लेन–देन तथा इसी प्रकार की अन्य स्थितियों जैसी समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किये जाते हैं। इन्हें महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों में किए विशेष उल्लेख आदि को छोड़कर कंपनी के अलग वित्तीय विवरणों की तरह प्रस्तुत किया जाता है।

   (घ) कंपनी में शेयरों के अधिग्रहण के समय निवल परिसंपत्तियों में से सहायक कंपनी के निवेश में लागत का अंतर वित्तीय विवरणों में ख्याति अथवा पूंजीगत प्रारक्षित राशि, जैसा भी मामला हो, से देखा जा सकता है।

   (ड़) वर्ष के लिए समेकित सहायक कंपनी की निवल हानि के अल्प ब्याज हिस्से का समायोजन समूह की आय के साथ किया जाता है ताकि कंपनी के शेयरधारकों के अनुकूल निवल आय पर पहुंचा जा सके।

   (च) समेकित सहायक कंपनी की निवल देनदारियां के अल्प ब्याज हिस्से की पहचान की जाती है और कंपनी शेयरधारक की परिसंपत्तियों/देनदारियों और इक्विटी से अलग समेकित तुलन पत्र में प्रस्तुत की जाती हैं।

2. समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित कम्पनियों के परिणाम शामिल हैं:–

कम्पनी का नाम		देश जहां पर निगमित की गइ	31.03.2013 की यथास्थिति शेयरधारिता अनुपात (%)	31.03.2012 की यथास्थिति शेयरधारिता अनुपात (%)
सहायक कंपनी				
1)	भारत हेवी प्लेट एंड वेसेल्स लिमिटेड (बीएचपीवी)	भारत	100	100
2)	बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमि. (बीएचईएल ईएमएल)	भारत	51	51
सहायक उपक्रम				
1)	बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज लिमिटेड	भारत	50 प्रतिशत से कम एक शेयर	50 प्रतिशत से कम एक शेयर
2)	एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि.	भारत	50	50
3)	उडानगुड़ी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	भारत	-	50
4)	दादा धूनीवाले खंडवा प्रोजेक्ट	भारत	50	50
5)	रायचूर पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	भारत	43	46
6)	लातूर पावर कंपनी लिमिटेड	भारत	50	50

(क) बीएचपीवी और बीएचईएल ईएमएल के वित्तीय विवरण 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित विवरण के आधार पर समेकित किए गए हैं।

(ख) बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेस लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कम्पनी में ब्याज की गणना 31.03.2013 की यथास्थिति वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर की जाती है।

(ग) पावर प्लांट परफार्मेंस इन्प्रूवमेंट लिमिटेड (पीपीआईएल) में ब्याज की गणना समेकित वित्तीय विवरण में नहीं की गई है क्योंकि कंपनी परिसमापनाधीन है और इक्विटी निवेश की पूर्ण राशि निवेश के मूल्य में कमी के लिए उपलब्ध कराई गई है।

(घ) संयुक्त उद्यम एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, रायचूर पावर कार्पोरेशन लिमि., दादा धुनिवाले खंडवा पावर लिमि और लातुर पावर कंपनी लिमिटेड में ब्याज की गणना 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर की जाती है।

(ड) उडनगुडी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड में बीएचईएल के संपूर्ण इक्विटी स्टेक को 26.03.2013 को बेच दिया गया है।

			2012-2013	2011-2012
3	अग्रिम को छोड़कर संविदाओं की अनुमानित राशि, जिन्हें पूंजीगत खाते में निष्पादित किया जाता है और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।	₹ करोड़ में	**450.82**	640.57
	उपयुक्त में अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण शामिल है।	₹ करोड़ में	**1.65**	13.84
	व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, दीर्घावधि निर्माण अनुबंध होने के कारण सामग्री आदि के क्रय के लिए अन्य वचनबद्धताएं हो सकती हैं, जिन्हें सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया नहीं माना गया है, अतः इन्हें प्रकट नहीं किया गया है।			
4	भूमि तथा भवन में शामिल हैं			
	क) i) एकड़ भूमि जिसके लिये औपचारिक हस्तान्तरण/लीज़ डीड निष्पादित नहीं की गई है	एकड़	**8662.27**	8662.27
	ii) फ़्लैटों की संख्या, जिनके लिये औपचारिक हस्तान्तरण/लीज़ डीड निष्पादित नहीं की गई है (निवल ब्लॉक रू 0.12 करोड (गत वर्ष रू 0.13 करोड़)	संख्या	**12**	12
	iii) भवनों की संख्या, जिनके लिये औपचारिकता हस्तान्तरण/लीज़ डीड निष्पादित नहीं की गई है (निवल ब्लॉक रू 5.21 करोड (गत वर्ष रू 5.35 करोड़)	संख्या	**1**	1
	iv) एकड़ भूमि जिसका लागत भुगतान अनंतिम है, पंजीकरण प्रभार, स्टैम्प ड्यूटी (पहले से किये प्रावधान का निवल), यदि कोई है, भुगतान करने पर हिसाब में लिया जायेगा।	एकड़	**51.52**	91.52
	ख) एकड़ भूमि रक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के विभागों तथा अन्य को लीज़ पर दी गई है	एकड़	**31.27**	31.27
	ग) एकड़ भूमि रक्षा मन्त्रालय को उपर्युक्त के लिये दी गई है जिसके लिये लाइसेन्स रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतीक्षा है	एकड़	**180.00**	180.00
	घ) एकड़ भूमि प्रतिफल कब्ज़े में है। (उपरोक्त (क)(i), (क)(iv), (ख), (ग) एवं (घ) में वर्णित भूमि की लागत सामग्री नहीं है)	एकड़	**377.93**	122.94
5	प्रत्येक ₹ 10,000 तक की अचल संपत्ति पर 100 प्रतिशत मूल्यह्रास देने पर लाभ में प्रमाण इस प्रकार है जहाँ पर पूर्व वर्षों में ऐसे ब्याज को विचार नहीं लिया जाएगाः			
	लेखा वर्ष में ₹ 10,000 की परिसंपत्ति पर 100 प्रतिशत मूल्यह्रास को छोड़ दिया (चार्ज ऑफ़)	₹ करोड़ में	**11.62**	23.06

	उपर्युक्त पर सामान्य मूल्यह्रास		₹ करोड़ में	**3.36**	5.79
	अधिक राशि प्रभारित की गई		₹ करोड़ में	**8.26**	17.27
6	प्रतिफल को घटाकर बिक्री				
	क इसमें अंतरिम मूल्य पर आधारित शामिल है		₹ करोड़ में	**261.87**	242.89
	ख इसमें विक्रय संविदा के अनुसार किए गए दावे में वृद्धि प्रदत्त आधार पर, जहाँ तक नवीनतम सूचियाँ उपलब्ध हैं		₹ करोड़ में	**2136.62**	2156.26
	ग इसमें ग्राहक के अनुरोध पर उनकी ओर से रोके गए उन उपकरणों की डिस्पैच शामिल है, जिसके लिए कंपनी को भुगतान प्राप्त हो चुका है; और		₹ करोड़ में	**156.15**	31.95
	घ इसमें संविदा की शर्त के अनुसार डिलीवरी में देरी के लिए मूल्य में कमी शामिल नहीं है (निवल रिफ़ंड) शामिल नहीं हैं		₹ करोड़ में	**201.19**	263.79
7	आकस्मिक देयताएँ:				
	क कंपनी के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना				
i)	क आय कर लंबित अपील		₹ करोड़ में	**34.36**	48.86
	ख जिनके लिए विरोध स्वरूप भुगतान किया और यह 'जमा अन्य' शीर्ष में शामिल है		₹ करोड़ में	**0.00**	0.00
ii)	क बिक्री कर मांग		₹ करोड़ में	**890.36**	748.23
	ख जिनके लिए विरोध स्वरूप भुगतान किया गया और यह ''वसूली योग्य अग्रिम'' शीर्ष में शामिल है		₹ करोड़ में	**129.19**	105.99
iii)	क उत्पाद कर मांग		₹ करोड़ में	**438.90**	424.64
	ख जिनके लिए विरोध स्वरूप भुगतान किया गया और यह ''वसूली योग्य अग्रिम'' शीर्ष में शामिल है		₹ करोड़ में	**13.91**	10.64
iv)	क सीमा शुल्क मांग		₹ करोड़ में	**2.63**	2.66
	ख जिसके लिए भुगतान किया गया और यह ''वसूली योग्य अग्रिम'' शीर्ष में शामिल है		₹ करोड़ में	**0.06**	0.06
v)	न्यायालय एवं मध्यस्थता मामले		₹ करोड़ में	**746.57**	591.18
vi)	क निर्णीत हर्जाने		₹ करोड़ में	**3381.71**	2299.28
	ख निर्णीत हर्जाने vi) क में शामिल एलडी के लिये		₹ करोड़ में	**2005.50**	1579.19
vii)	संविदाकारों के प्रतिदावे		₹ करोड़ में	**0.61**	0.61
viii)	क सेवा कर मांग		₹ करोड़ में	**186.03**	151.31
	ख जिनके लिये विरोध स्वरूप भुगतान किया गया		₹ करोड़ में	**0.00**	0.00
ix)	अन्य		₹ करोड़ में	**158.88**	208.53
x)	सहायक कंपनियों की ओर से दी गई कार्पोरेट गारंटी (बीएचपीवी)		₹ करोड़ में	**6.56**	9.57

(विभिन्न न्यायालय मामले और मुकदमों तथा कंपनी द्वारा विवादित दावों को ध्यान में रखते हुए सन्साधनों के बाह्य प्रवाह के रूप में वित्तीय प्रभाव आँकलन इस चरण पर नहीं किया जा सकता)।

8 बैंकों से नकद ऋण सीमा कुल रू 5000 करोड़ (गत वर्ष रू 3000 करोड़) है तथा बैंक गारंटी/ऋण सीमा मामले में कंपनी काउंटर गारंटी/क्षतिपूर्ति दायित्व रू 50000 करोड़ (गत वर्ष रू 52000 करोड़) है। इस कच्चे माल, संघटकों, चल रहे कार्य तैयार माल, भंडार, बुक ऋण तथा अन्य चालू परिसंपत्तियों, वर्तमान तथा भावी, को गिरवी रखने के माध्यम से बैंकों के संघ द्वारा मंजूर किया गया है। 31.03.2013 को बकाया गारंटी रू 41,786 करोड़ (गत वर्ष रू 38,200 करोड़) तथा 31.03.2013 को कॉर्पोरेट गारण्टी रू 4417.71 करोड़ (पिछले वर्ष रू 4,448.14 करोड़) है।

9 विविध देनदारों, लेनदारों, ठेकेदारों के अनुबंधों, जमा राशि तथा उप–ठेकेदारों/फ़ैब्रिकेटरों के पास पड़े स्टॉक/सामग्री बकाया शेष की पुष्टि, समाधान और परिवर्ती समायोजन यदि कोई हो, किया जाना है। समाधान एक उतत प्रक्रिया के रूप में किया गया है और जहाँ आवश्यक समझा गया है दिशानिर्देशों के अनुरूप आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

10 (क) लेखाकरण मानदंड एएस–7 (संशोधित) की अपेक्षानुसार 01.04.2003 को अथवा इसके बाद किए गए निर्माण अनुबंधों से संबंधित प्रकटन निम्नलिखित हैं:–

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2011-12
वर्ष के लिए मान्य किया गया अनुबंध राजस्व	**42268.26**	42170.73
वर्ष के अंत में चल रही सविंदाओं के संबंध में :		
खर्च की गई लागत तथा मान्य लाभ (घटाएँ :मान्य हानियाँ)	**207720.39**	166825.51
अग्रिम प्राप्त राशि	**7912.90**	10257.22
प्रतिधारण राशि (आस्थगित ऋण)	**16932.57**	13533.88
उपयुक्त नेटिंग ऑफ़ करने के बाद ग्राहकों से देय राशि के सम्बन्ध में		
परिसंपत्ति के रूप में कार्य अनुबंध के लिये ग्राहकों से देय सकल राशि	**2833.23**	2728.40
देयता के रूप में अनुबंध कार्य के लिये ग्राहकों को देय सकल राशि	**2655.14**	4030.50
आकस्मिकताएँ	**-**	-

(ख) लेखांकन मानदंड एएस–7 (आर) के अनुसार निर्माण अनुबंधों के मामलों में कुल लागतों तथा कुल राजस्व के अनुमान 1 अप्रैल, 2003 को अथवा इसके बाद लगाये गये हैं। वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से निर्माण अनुबन्धों को पुनरीक्षित एवं अद्यतन किया जाता है। हालांकि यह अनुमानों में परिवर्तन के प्रभाव की मात्रा का पता लगाना असाध्य है।

11 व्युत्पन्न लिखतों से सम्बन्धित ब्यौरे:

क) व्युत्पन्न लिखतों, जिन्हें रक्षित किया गया है और दिनांक 31.03.2013 के बकाया शून्य है (पिछले वर्ष शून्य) है।

ख) विदेशी मुद्रा, जिन्हें व्युत्पन्न लिखतों तथा अन्यथा रक्षित नहीं किया जाता, निम्नानुसार हैं:

		2012-13	2011-12
क) परिसम्पत्तियां/प्राप्तव्य (अर्थात् देनदार)			
विदेशी मुद्रा में			
अमरीकी डॉलर में	करोड़ में	**62.73**	55.72
यूरो में	करोड़ में	**60.61**	46.69
एलवाईडी में	करोड़ में	**0.88**	0.87
आरओ में	करोड़ में	**0.03**	0.03
भारतीय मुद्रा में			
अमरीकी डॉलर में	₹ करोड़ में	**3383.78**	2779.88
यूरो में	₹ करोड़ में	**4160.17**	3123.98
एलवाईडी में	₹ करोड़ में	**37.17**	35.60
आरओ में	₹ करोड़ में	**4.78**	4.48
अन्य में	₹ करोड़ में	**35.19**	43.59

	ख) देयताएं (अर्थात ग्राहकों/लेनदारों में अग्रिम) विदेशी मुद्रा में			
	विदेशी मुद्रा में			
	अमरीकी डॉलर में	करोड़ में	**37.65**	36.17
	यूरो में	करोड़ में	**32.62**	34.17
	एलवाईडी में	करोड़ में	**1.42**	1.49
	भारतीय मुद्रा में			
	अमरीकी डॉलर में	₹ करोड़ में	**2066.01**	1818.06
	यूरो में	₹ करोड़ में	**2297.00**	2347.33
	एलवाईडी में	₹ करोड़ में	**61.00**	62.18
	अन्य में	₹ करोड़ में	**151.22**	230.31

12 क) विभागीय मरम्मत एवं रखरखाव पर खर्च का विवरण इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

		2012-13	2011-12
	प्लान्ट एवं मशीनरी	**193.09**	178.30
	भवन	**59.82**	54.93
	अन्य	**33.14**	36.75
ख)	निर्यात के सम्बन्ध में खर्चों में शामिल निर्यात पर एजेन्सी कमीशन	**18.87**	17.54
ग)	अनुसन्धान एवं विकास पर खर्च	**338.23**	321.26
घ)	किराया आवासीय	**59.14**	74.68
ड़)	लेखापरीक्षकों को भुगतान		
	लेखापरीक्षा फ़ीस	**0.58**	0.52
	इसमें विदेश में किया गया भुगतान भी शामिल है।	**0.01**	0.04
	खर्चों की प्रतिपूर्ति	**0.16**	0.16
	कराधान मामले (प्रमाणन सहित)	**0.13**	0.14
	इसमें विदेश में किया गया भुगतान भी शामिल है	**0.00**	0.02
	अन्य सेवाएं	**0.35**	0.34
च)	लागत लेखा परीक्षकों को भुगतान	**0.13**	0.01
छ)	आवभगत पर व्यय	**8.35**	8.05
ज)	विदेशी यात्रा पर व्यय	**19.82**	16.76
झ)	प्रचार एवं जन सम्पर्क		
	वेतन भत्तों एवं अन्य लाभों पर व्यय	**11.75**	10.69
	अन्य व्यय	**15.14**	15.29
ण)	निदेशकों की फीस	**0.14**	0.25

13 एएस–18 द्वारा अपेक्षित ''सम्बन्धित पक्षकार सम्बन्धी सूचना'' निम्नानुसार है:

i) सम्बन्धित पक्षकार – संयुक्त उद्यम कम्पनियाँ

1 पावर प्लान्ट परफॉर्मेन्स इम्प्रूवमेन्ट लिमिटेड

2 बीएचईएल – जीई गैस टर्बाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

3 एनटीपीसी – बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड

4 उडानगुडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (26.03.2013 तक)

5 लातूर पावर कंपनी लिमिटेड
6 रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7 दादा धूनी वाले खंडवा पावर लिमिटेड

ii) प्रबंधन के शीर्ष अधिकारी

सर्वश्री /

बी. पी. राव, अतुल सराया, ओ. पी. भूटानी, एम. के. दूबे और पी. के. बाजपेयी, आर. कृष्णन (01.04.2012 से), सी. पी. चेंगप्पा, एल. गोपालाकृष्णन, आनंद कुमार बंसल, पी. के. वर्मा, सी. वी. राजगोपालन, भवराजु श्रीनिवासराव, अरूप रायचौधरी, आई. जे. कपूर, वाई. के. रस्तोगी, सुबोध गुप्ता, डब्ल्यू. वी. के. कृष्णा शंकर, विजेंद्र नानावटी, ए. वी. कृष्णन, राकेश माथुर, पी. भास्कर, एम. आर. काम्बले, आर. नागराजा, सी. वी. राजगोपालन, बी. एस. राव, अनिल आहुजा, के. शमसुद्दीन, मोह. सुलेमान, एम. जी. वाघमोडे, जे. के. श्रीनिवासन, वी. एस. पाटिल, एन. रवि चंदर, एस. श्रीनिवास राव, क्युएक बून सिंह, महेश पालाशिकर, डी. अशोकन, जी. उदयकुमार, राजीव श्रीवास्तव, टी. टी. जोसेफ, राजीव सचदेव, योगेश गुप्ता, के. ज्ञानदेसीकन, जी. राजगोपाल और टी. जयसीलन।

iii) लेन–देन संबंधी विवरण

संयुक्त उद्यम		**2012-13**	2011-12
सामान और सेवाओं की खरीद	₹ करोड़ में	**86.70**	98.14
सामान और सेवाओं की बिक्री	₹ करोड़ में	**2757.14**	654.23
सेवाओं की प्राप्ति	₹ करोड़ में	**0.00**	97.52
सेवाएँ प्रदान करना	₹ करोड़ में	**303.63**	46.98
लाभांश आय	₹ करोड़ में	**16.66**	16.96
रॉयल्टी आय	₹ करोड़ में	**0.90**	0.63
शेयरों की खरीद	₹ करोड़ में	**-**	22.50
शेयरों की बिक्री	₹ करोड़ में	**64.00**	0.00
वर्ष के अन्त में बीएचईएल को देय राशि	₹ करोड़ में	**978.18**	595.06
वर्ष के अन्त में बीएचईएल द्वारा देय राशि	₹ करोड़ में	**588.65**	1022.24
शेयर जारी करने के प्रति अग्रिम जमा	₹ करोड़ में	**-**	-
सन्दिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	₹ करोड़ में	**4.39**	0.76
दिये गये अग्रिम	₹ करोड़ में	**2.20**	8.36

टिप्पणीः अधिकांश लेन–देन बीजीजीटीएस, एनबीपीपीएल और रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ किए जाते हैं

प्रबन्धन के शीर्ष अधिकारी (केएमपी)			
वेतन का भुगतान	₹ करोड़ में	**2.53**	2.90
केएमपी के संबंधी			
वर्ष के अन्त में बीएचईएल को देय राशियाँ	₹ करोड़ में	**0.01**	0.00
वेतन का भुगतान	₹ करोड़ में	**0.25**	0.20

14 पट्टा

1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों का विवरण निम्नानुसार हैं:

i) वित्त पट्टा:

क) न्यूनतम पट्टा भुगतान की शेष राशि		**2012-13**	2011-12
एक वर्ष तक	₹ करोड़ में	**90.43**	82.04
एक वर्ष के बाद, किन्तु पाँच वर्षों तक	₹ करोड़ में	**150.83**	144.24
पाँच वर्षों के बाद	₹ करोड़ में	**0.00**	0.00
तुलन पत्र की तारीख को कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान	**₹ करोड़ में**	**241.26**	226.28

ख)	उपर्युक्त (क) का वर्तमान मूल्य			
	एक वर्ष तक	₹ करोड़ में	**75.38**	62.68
	एक वर्ष के बाद, किन्तु पाँच वर्षों तक	₹ करोड़ में	**129.50**	123.69
	पाँच वर्षों के बाद	₹ करोड़ में	**0.02**	0.00
	तुलन पत्र की तारीख को कुल वर्तमान मूल्य	**₹ करोड़ में**	**204.90**	186.37
ग)	1. वित्तीय प्रभार	₹ करोड़ में	**36.36**	39.91
घ)	2. अवशिष्ट मूल्य का वर्तमान मूल्य, यदि कोई है	₹ करोड़ में	**0.00**	0.01

ii) कम्पनी अपने कर्मचारियों के लिये मकान, कार्यालय के भवन और ईडीपी उपस्कर आदि प्रचालन पट्टे पर लेती है, जो रद्दीकरण योग्य और अरद्दीकरण दोनों ही रूपों में होते हैं।

iii)	**प्रचालन पट्टा**		**2012-13**	2011-12
	अरद्दीकरण प्रचालन पट्टे के अन्तर्गत भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं:			
	एक वर्ष तक	₹ करोड़ में	**2.54**	5.10
	एक वर्ष के बाद, किन्तु पाँच वर्षों तक	₹ करोड़ में	**5.04**	5.80
	पाँच वर्षों के बाद	₹ करोड़ में	**4.40**	1.49
iv)	1.4.2001 से पहले पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के सम्बन्ध में किराये से सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार हैं:			
	परिसंपत्तियों की लागत			
	भूमि एवं भवन	₹ करोड़ में	**0.01**	0.01
	कम्प्यूटर एवं पेरिफ़ेरल्स	₹ करोड़ में	**0.00**	0.00
	पट्टे की अनातीत अवधि के लिये देय किराये			
	भूमि एवं भवन	₹ करोड़ में	**0.02**	0.02
	कम्प्यूटर एवं पेरिफ़ेरल्स	₹ करोड़ में	**0.00**	0.00

15 प्रति शेयर अर्जन:

		2012-13	2011-12
गणना के लिये प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या प्रति शेयर अर्जन (ए)	संख्या करोड़ में	**244.760**	244.760
इक्विटी शेयर का कुल अंकित मूल्य	(₹)	**2.00**	2.00
अल्प ब्याज समायोजना उपरांत समूह का वर्ष का निवल लाभ (बी)	₹ करोड़ में	**6693.37**	7087.44
प्रति शेयर मूल्य और डाइल्यूटेड अर्जन (बी)/(ए)	(₹)	**27.35**	28.96

16 लेखाकरण मानक – 29 से सम्बन्धित सूचना

क)	**निर्णीत हर्जाने**	**2012-13**	(₹ करोड़ में) 2011-12
	प्रारंभिक	**1170.62**	697.96
	वृद्धि	**652.27**	558.82
	उपयोग/बट्टे खाते डाले गये/भुगतान	**-433.04**	-74.53
	आहरण/समायोजन	**-33.36**	-11.63
	अन्तिम शेष	**1356.49**	1170.62
	संविदागत दायित्व		
	प्रारम्भिक	**3867.87**	2997.00
	वृद्धि	**1793.43**	1198.64
	उपयोग/बट्टे खाते डाले गये/भुगतान	**-154.31**	-133.48
	आहरण/समायोजन	**-494.37**	-194.29
	अन्तिम शेष	**5012.62**	3867.87

ख) निर्णीत हर्जाने कम्पनी की लेखाकरण नीति के अनुसार दिए जाते हैं और इन्हें निपटान के समय अथवा अन्यथ लेखों में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाता है। निर्णीत हर्जाने से सम्बन्धित देयता का उल्लेख अनुसूची 32 की टिप्पणी संख्या 7 में किया गया है।

ग) संविदा के निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार, वारंटी सम्बन्धी दायित्वों को पूरा करने के लिए महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीति संख्या 14 के अनुसार संविदागत दायित्व सम्बन्धी प्रावधान संविदा राजस्व के 2.5 प्रतिशत की दर से किया जाता है। वारंटी दायित्व का वास्तविक व्यय सम्बन्धित संविदा के निबन्धनों एवं शर्तों के आधार पर संविदा दर संविदा एवं वर्ष दर वर्ष अलग–अलग हो सकते हैं।

17 रू एक लाख से कम आय–व्यय वाली मदों को पूर्व अवधि की मदों में शामिल नहीं किया जाता है।

18 वर्ष 2012–13 के दौरा भारत सरकार ने बीएचपीवी का बीएचईएल के साथ विलय के प्रस्ताव पर विचार किया है और भारी उद्योग विभाग से प्राप्त पत्र एफ नं. 1(17)/2010–पी.XI दिनांक 06.03.2013 के तहत दी गई सूचना के अनुसार इसके बारे में अपना अनुमोदन प्रदान किया है। बीआईएफआर को आवेदन प्रस्तुत करने की औपचारिकताएं और अन्य औपचारिकताएं प्रक्रियाधीन हैं।

19 कुछ मदों के लिए, कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों ने महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों में यथा इंगित भिन्न–2 लेखाकरण नीतियों का पालन किया है। लेकिन इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संयुक्त नियंत्रित कंपनियों के हिस्से का उल्लेख अनुसूचियों के द्वारा वार्षिक लेखा की प्रत्येक अनुसूची में किया गया है।

20 – खंड सूचना – समेकित

(₹ करोड़ में)

		31.3.2013 को समाप्त वर्ष के लिए			31.3.2012 को समाप्त वर्ष के लिए		
क.	**प्रारंभिक खंड – व्यवसाय खंड**						
		पावर	**उद्योग**	**कुल**	**पावर**	**उद्योग**	**कुल**
I	**खंड राजस्व**						
क.	खंड राजस्व	40041.78	10655.33	**50697.11**	38191.81	11717.71	49909.52
ख.	अन्तर–खंड राजस्व	-	-	**-**	-	-	-
ग.	प्रचालन राजस्व बाह्य (क) – (ख)	40041.78	10655.33	**50697.11**	38191.81	11717.71	49909.52
II	**खंड परिणाम**						
क.	खंड परिणाम	8625.34	2233.02	**10858.36**	8238.79	3353.99	11592.78
ख.	अनाबंटित व्यय (निवल आय)			**1200.04**			1172.48
ग.	वित्त लागत पूर्व लाभ एवं आय कर (क) – (ख)			**9658.32**			10420.30
घ.	वित्त लागत			**127.61**			53.07
ङ.	आय कर पूर्व निवल लाभ (ग) – (घ)			**9530.71**			10367.23
च.	आय कर			**2837.61**			3279.97
छ.	आय कर उपरान्त निवल लाभ			**6693.10**			7087.26
III	**परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएँ**						
क.	खंड परिसम्पत्तियाँ	48254.35	13200.27	**61454.62**	45063.97	13592.64	58656.61
ख.	अनाबंटित परिसम्पत्तियाँ			**10298.08**			8773.67
ग.	कुल परिसम्पत्तियाँ			**71752.70**			67430.28
घ.	खंड देयताएँ	31228.93	7300.31	**38529.24**	32447.46	8226.30	40673.76
ङ.	अनाबंटित देयताएं			**2686.03**			1348.49
च.	कुल देयताएँ			**41215.27**			42022.25
IV	**अन्य सूचना**						
क.	अवधि के दौरान परिसम्पत्तियों (सीडब्ल्यूआईपी सहित) के अधिग्रहण के दौरान किया गया खर्च	1548.56	212.93		1118.02	446.61	
ख.	मूल्यह्रास	711.50	193.84		599.74	152.70	
ग.	नकद रहित व्यय (मूल्यह्रास के अलावा)	1362.91	370.87		1397.25	122.87	
ख.	**अनुपूरक खंड – भौगोलिक खंड**						
		भारत में	भारत से बाहर	**कुल**	भारत में	भारत से बाहर	**कुल**
1.	प्रचालनों से निवल बिक्री/आय	49750.35	946.76	**50697.11**	48431.98	1477.54	49909.52
2.	कुल परिसंपत्तियां	71249.22	503.48	**71752.70**	66948.40	481.88	67430.28
3.	स्थायी परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए अवधि के दौरान किया गया खर्च	1803.00	0.07	**1803.07**	1600.42	0.15	1600.57

टिप्पणियां :

1. कंपनी के उत्पाद एवं सेवाओं के क्षेत्र, जिससे वे बाजार में प्रमुखता से पहचाने जाते हैं, उनके आधार पर 'पावर' एवं 'उद्योग' खंडों के अंतर्गत समूह बना दिए हैं।
2. बीजीजीटीएस (संयुक्त उपक्रम) गैस टर्बाइनों, इंजीनियरिंग सेवाओं, रिपेयर सेवाओं के लिए पुर्जों तथा संघटकों की बिक्री से संबंधित व्यवसाय में कार्यरत है अन्य संयुक्त उद्यम विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के व्यवसाय से जुड़े हैं अथवा विद्युत व्यवसाय से जुड़े हैं और इन्हें 'विद्युत खंड' में माना गया है।
3. बीएचपीवी (सहायक कंपनी) इंडस्ट्रियल बॉयलर, उर्वरक, केमिकल्स तथा अन्य उपकरण के निर्माण एवं संस्थापना कार्य में लगी हुई है और बीएचईएमएल ईएमएल (सहायक कंपनी) रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीनों के विनिर्माण में संलग्न है, इसके व्यवसाय को 'उद्योग खंड' में माना गया है।

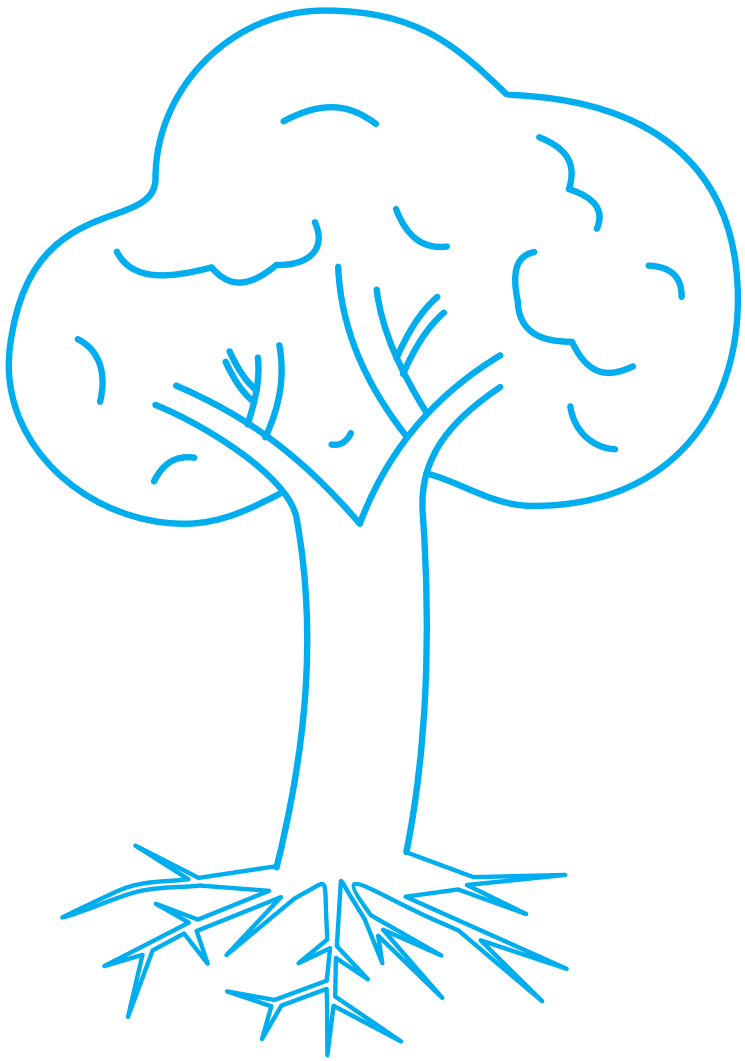

स्टेकहोल्डर्स के लिए अतिरिक्त सूचना

दस वर्षों का सार

(₹ करोड़ में)

		2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04
I	**अर्जन/आउटगोइंग्स**										
	अर्जन										
	कारोबार (सकल)	50156	49510	43337	34154	28033	21401	18739	14525	10336	8662
	प्रचालनों से राजस्व (निवल)	47618	47228	41566	32861	26212	19305	17237	13374	9527	8019
	अन्य प्रचालन आय	807	751	680	493	514	422	379	277	420	313
	अन्य आय	1121	1266	1021	1155	983	1023	445	280	236	200
	कुल अर्जन	49546	49245	43267	34509	27709	20750	18061	13931	10183	8532
	आउटगोइंग्स										
	सामग्री, विनिर्माण तथा इंजीनियरिंग व्यय	27899	28908	23209	20672	17620	11821	10182	8145	5871	4230
	चालू कार्य एवं तैयार माल में कमी/(वृद्धि)	116	(823)	(127)	(787)	(1152)	(827)	(181)	(386)	(540)	31
	कर्मचारी लाभ व्यय	5753	5466	5397	6540	2984	2608	2369	1879	1650	1640
	अन्य विनिर्माण, प्रशासनिक तथा बिक्री व्यय (पूर्वावधि मदों सहित)	3777	3242	2537	2057	1823	1644	1496	1177	1212	1363
	प्रावधान (निवल)	1566	1403	2715	-934	1281	778	172	283	126	21
	घटाएं: आंतरिक उपयोग के लिए किए गए कार्यों की लागत	76	104	69	121	61	38	28	36	19	24
	वित्त लाभ एवं मूल्यह्रास से पूर्व आउटगोइंग्स	39035	38092	33662	27427	22495	15986	14009	11062	8301	7260
	मूल्यह्रास, वित्त लागत एवं कर पूर्व लाभ	10511	11153	9605	7082	5214	4763	4052	2869	1882	1272
	मूल्यह्रास	953	800	544	458	334	297	273	246	219	198
	सकल लाभ	9558	10353	9061	6624	4880	4466	3779	2623	1663	1074
	वित्त लागत	125	51	55	33	31	36	43	59	81	60
	कर पूर्व लाभ	9432	10302	9006	6591	4849	4430	3736	2564	1582	1014
	कराधान व्यय (निवल)	2817	3262	2995	2280	1711	1571	1321	885	628	357
	कर उपरांत लाभ	6615	7040	6011	4311	3138	2859	2415	1679	953	657
	लाभांश	1323	1567	1525	1141	832	746	600	355	196	147
	कॉर्पोरेट लाभांश कर	221	254	249	191	141	127	93	50	27	19
	प्रतिधारित लाभ	5071	5219	4237	2979	2165	1986	1722	1274	731	491
II	**कंपनी की संपत्तियां**										
	स्थाई परिसंपत्तियां										
	सकल ब्लॉक	10783	9707	8050	6580	5225	4443	4135	3822	3629	3460
	घटाएं: संचयी मूल्यह्रास तथा पट्टा समायोजन	6325	5410	4649	4165	3754	3462	3146	2840	2585	2365
	निवल ब्लॉक	4458	4297	3401	2415	1471	981	989	982	1044	1095
	पूंजीगत चालू कार्य, अमूर्त सहित विकासाधीन परिसंपत्तियां	1172	1348	1733	1530	1157	658	302	185	95	108

दस वर्षों का सार (जारी...)

		2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04
	गैर चालू निवेश	429	462	439	80	52	8	8	8	9	29
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	1551	1546	2164	1527	1840	1338	935	674	518	498
	वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम और गैर चालू परिसंपत्तियों के अलावा	62518	59123	51523	42915	36901	27906	20980	16331	13343	10425
	कुल परिसंपत्तियां	**70128**	**66776**	**59260**	**48467**	**41421**	**30892**	**23214**	**18180**	**15010**	**12155**
III	**कंपनी की देनदारियां**										
	दीर्घावधि उधार	129	123	102	81	105	61	58	539	524	528
	देनदारियां एवं प्रावधान	39555	41280	39004	32489	28377	20056	14368	10340	8459	6349
	कुल देनदारियां	39684	41403	39106	32570	28482	20117	14426	10879	8983	6877
IV	**कंपनी का निवल मूल्य**										
	शेयर पूंजी	490	490	490	490	490	490	245	245	245	245
	प्रारक्षित तथा अधिशेष	29954	24883	19664	15427	12449	10285	8544	7057	5782	5051
	घटाएं: आस्थगित राजस्व व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
	निवल मूल्य	30444	25373	20154	15917	12939	10775	8788	7301	6027	5278
V	**निवल कार्यशील पूंजी**	24273	17892	12551	10426	8524	7850	6612	5991	4884	4076
VI	**नियोजित पूंजी**	29161	22651	16391	12968	10091	8873	7640	7001	5950	5212
VII	**मूल्य वर्धन**	19460	19098	18476	13171	9894	8323	7182	5683	4254	3680
VIII	**अनुपात**										
	कुल परिसंपत्तियों पर पीबीडीआईटी (%) #	15.4%	17.7%	17.8%	15.8%	14.4%	17.6%	19.6%	17.3%	13.9%	11.5%
	नियोजित पूंजी पर सकल लाभ (%) #	36.9%	53.0%	61.7%	57.5%	51.5%	54.1%	51.6%	40.5%	29.8%	21.5%
	कारोबार/सकल ब्लॉक	4.7	5.1	5.4	5.2	5.4	4.8	4.5	3.8	2.8	2.5
	अर्जन प्रति शेयर (₹) ✦	27.03	28.76	24.56	17.61	12.82	11.68	9.86	6.86	3.90	2.69
	प्रति शेयर निवल मूल्य (₹) ✦	124.38	103.67	82.34	65.03	52.86	44.02	35.90	29.83	24.62	21.56
	चालू अनुपात	1.64	1.43	1.32	1.32	1.30	1.40	1.50	1.60	1.58	1.65
	कुल ऋण/इक्विटी	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08	0.09	0.10
	निवल मूल्य पर प्रतिफल	21.7%	27.7%	29.8%	27.1%	24.3%	26.5%	27.5%	23.0%	15.8%	12.5%
	सकल लाभ मार्जिन	19.1%	20.9%	20.9%	19.4%	17.4%	20.9%	20.2%	18.1%	16.1%	12.4%
	निवल लाभ मार्जिन	13.2%	14.2%	13.9%	12.6%	11.2%	13.4%	12.9%	11.6%	9.2%	7.6%

औसत निवल परिसंपत्तियों एवं नियोजित पूंजी के आधार पर

✦ आंकड़े 2011–12 में किए गए विभाजन पश्चात के आधार पर और 1:1 के अनुपात में 2007–2008 में बोनस इश्यू पर आधारित है।

2012–2013 के लिए अमरीकी जीएएपी के अनुसार निवल आय के साथ भारतीय जीएएपी के अधीन निर्धारित लाभ (एकांकी) का समाधान

	टिप्पणियां	₹ करोड़ में	अमरीकी डॉलर (मिलियन)
भारतीय जीएएपी के अधीन निर्धारित कर पश्चात लाभ (स्टैंडएलोन)		**6614.73**	**1216.18**
अमरीकी जीएएपी के अनुरूप होने के लिए समायोजन			
किराया आय (पट्टा)	1	(0.15)	(0.03)
संयुक्त उपक्रमों और सहायक कंपनियों में निवेश से आय	2	59.83	11.00
कर्मचारी लाभ व्यय	3	(31.22)	(5.74)
अनुसंधान एवं विकास व्यय	4	(26.92)	(4.95)
मूल्यह्रास एवं ऋण परिशोध व्यय	5	27.07	4.98
पूर्वावधि मदें (कराधान/आस्थगित कर के लिए प्रावधान सहित ₹ (–) 61.03 करोड़)	6	(60.59)	(11.14)
आयकर समायोजन	7	9.99	1.84
अमरीकी जीएएपी के अनुसार निवल आय		**6592.74**	**1212.14**

1 अमरीकी डॉलर $ = ₹ 54.39 (क्लोजिंग विनिमय दर पर)

अमरीकी जीएएपी के अनुसार निवल आय के साथ भारतीय जीएएपी के अधीन निर्धारित निवल लाभ के समाधान पर टिप्पणियां

निम्नलिखित टिप्पणियां भारतीय जीएएपी और अमरीकी जीएएपी के बीच अंतर और अमरीकी जीएएपी के अधीन निवल आय निकालने के लिए आवश्यक समायोजन दर्शाती हैं।

1. किराया आय (पट्टा)

   भारतीय जीएएपी के अनुसार दिनांक 1.4.2001 के पूर्व वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को सामान्य बिक्री मूल्य/उचित मूल्य/संविदाकृत मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है और उस पर मूल्यह्रास परिभारित किया जाता है। पट्टा किराया आय पट्टा समकरण समायोजित करने के बाद मानी जाती है। वित्त पट्टे पर दी गई अमरीकी जीएएपी परिसंपत्तियों के अधीन वित्त आय केवल पट्टा अवधि में मानी जाती है।

2. संयुक्त उद्यमों और सहायक कम्पनियों में निवेश से आय

   भारतीय जीएएपी के अनुसार संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय को मान्यता दी जाती है तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश हेतु मूल्य में कमी के लिए, यदि कोई है, प्रावधान किया जाता है। अमरीकी जीएएपी के अधीन संयुक्त उद्यमों द्वारा आय/हानि के हिस्से को धारिता के समानुपात में आय विवरण में मान्यता दी जाती है।

3. कर्मचारी लाभ व्यय

   भारतीय जीएएपी प्रावधान के अनुसार अवकाश नकदीकरण (प्रतिपूरित अनुपस्थितियां) की गणना बीमांकिक आधार पर की जाती है। अमरीकी जीएएपी के तहत प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की गणना बीमांकिक आधार पर की जाती है।

4. अनुसंधान और विकास व्यय

   भारतीय जीएएपी के अनुसार विकास के लिए अनुसंधान और विकास व्यय अनुमानित उपयोगी अवधि हेतु पूंजीकृत एवं परिशोधित हैं, और मूल्यह्रास /परिशोधन के रूप में दर्शाया जाता है। अमरीकी जीएएपी के अधीन अनुसंधान और विकास परिसंपत्तियों का परिशोधन, अनुसंधान और विकास व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

5. मूल्यह्रास एवं ऋणमुक्ति

   भारतीय जीएएपी के अनुसार दिनांक 1.4.2001 के पूर्व वित्त पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास आय विवरण पर प्रभारित किया जाता है। अमरीकी जीएएपी के अधीन वित्त पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां, वित्त आय को मान्यता दी जाती है। भारतीय जीएएपी के अनुसार अनुसंधान और विकास परिसंपत्तियों का परिशोधन मूल्यह्रास/परिशोधन के अधीन दर्शाया जाता है। अमरीकी जीएएपी के अधीन अनुसंधान और विकास परिसंपत्ति का परिशोधन, आय विवरण में अनुसंधान एवं विकास के रूप में प्रभारित किया जाता है।

6. पूर्वावधि मदें

भारतीय जीएएपी के अनुसार पूर्वावधि मदें वर्ष के लिए आय विवरण में अलग से सूचित की जाती हैं। अमरीकी जीएएपी के अधीन पूर्वावधि मदों को प्रतिधारित लाभों के अंतर्गत पूर्व वर्षों के समायोजन द्वारा लेखाकृत किया जाता है।

7. आयकर समायोजन

आयकर समायोजन अमरीकी जीएएपी समायोजनों पर किए गए है।

हमारी समतारीख रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. एन. धवन एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 000050एन

हस्ता./–
(एस. के. खट्टर)
साझेदर
सदस्यता सं. 84993

हस्ता./–
(पी. के. बाजपेयी)
निदेशक (वित्त)

दिनांक : 3 अगस्त, 2013
स्थान : नई दिल्ली

अमरीकी जीएएपी समाधान पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमने अमरीकी जीएएपी (समाधान) के अनुसार निम्नलिखित के अधीन निवल आय के लिए भारतीय जीएएपी के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निवल लाभ के समाधान की लेखापरीक्षा की है।

समाधान कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर मत व्यक्त करना है। हमारे मत में पूर्ण रूप से लिए गए बुनियादी वित्तीय विवरणों के संबंध में विचार करने पर ऐसा समाधान, इसमें निर्धारित सूचनाओं को सभी तरह से सही रूप से प्रस्तुत करता है।

एस. एन. धवन एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 000050एन

हस्ता./–
(एस. के. खट्टर)
साझेदर
सदस्यता सं. 84993

दिनांक : 3 अगस्त, 2013
स्थान : नई दिल्ली

आर्थिक मूल्यवर्धन (ईवीए)

आर्थिक मूल्यवर्धन "आर्थिक लाभों" को मापने के लिए संगत मापदंड है। आर्थिक मूल्यवर्धन (ईवीए) पूंजी की लागत कटौती करने के बाद कंपनी को कर पश्चात निवल प्रचालन लाभ है। कंपनियां, जो पूंजी लागत से अधिक अभिलाभ अर्जित करती हैं, शेयरधारकों के लिए धन सृजित करती है तथा दूसरी ओर पूंजी की लागत से कम प्रतिलाभ अर्जित करने वाली कंपनियां, शेयरधारकों का धन नष्ट करती हैं।

करोड़, अन्यथा यदि उल्लेख हो

	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
पूंजी की लागत					
इक्विटी की लागत (%)	15.0	14.9	14.0	13.3	13.4
पूंजी की भारित औसत लागत (डब्ल्यूएसीसी) (%)	14.9	15.0	14.1	13.3	13.4
नियोजित औसत पूंजी	25906	19521	14680	11540	7751
आर्थिक मूल्य वर्धन					
एनओपीएटी	6509	6953	5867	4206	3047
घटाएं : पूंजी की लागत	3852	2921	2074	1536	1039
आर्थिक मूल्य वर्धन	2657	4032	3793	2670	2008
उद्यम मूल्य					
इक्विटी का बाजार मूल्य	43322	62940	100971	117027	73944
जोड़े : ऋण	1500	193	163	128	149
घटाएं नकद तथा नकद समतुल्य	7732	6672	9630	9790	10315
उद्यम मूल्य	37090	56461	91504	107365	63778

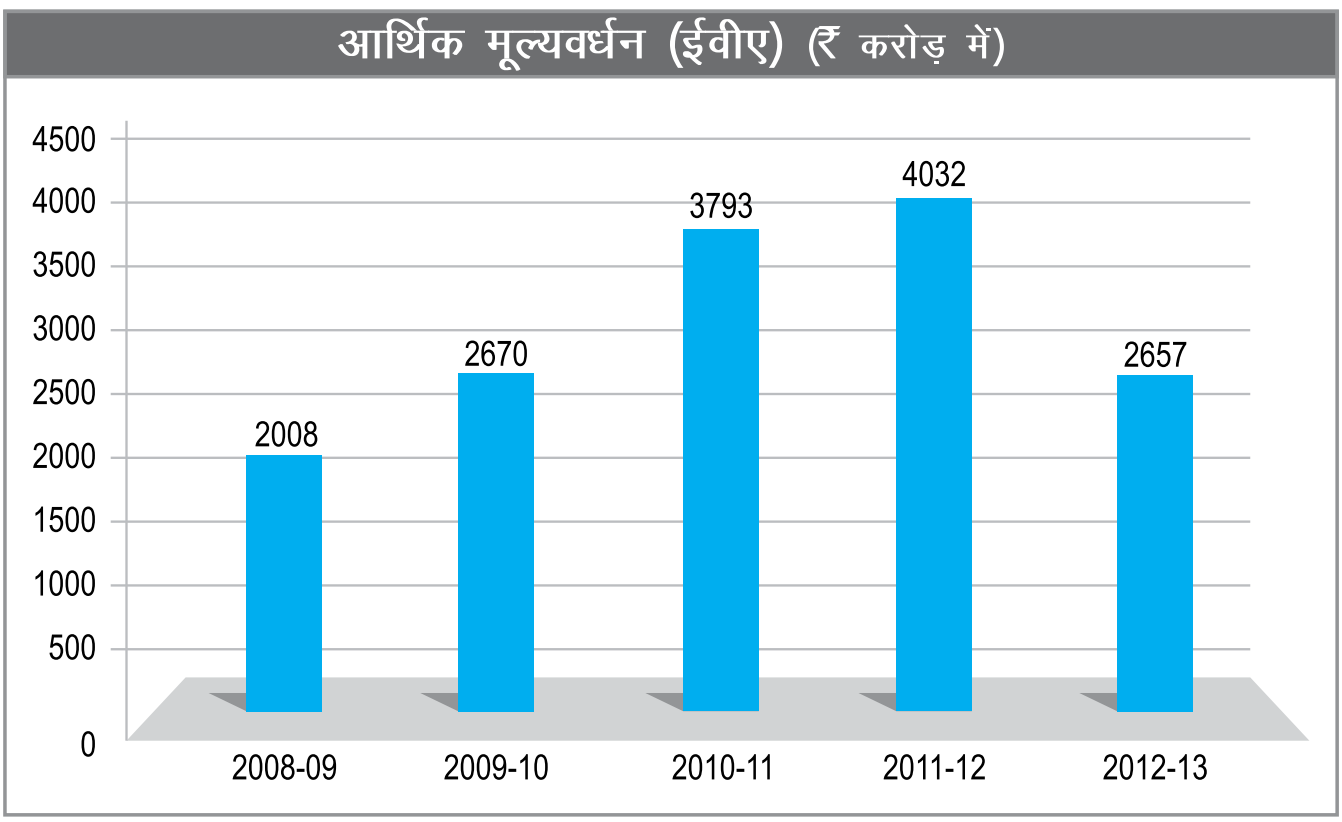

मूल्य वर्धन विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
क. मूल्य वर्धन का सृजन					
उत्पादन का मूल्य (घटाएं उत्पाद शुल्क)	47219	47815	41527	33598	27351
घटाएं–प्रत्यक्ष सामग्री, विद्युत एवं					
ईधन तथा ठेकेदारों को भुगतान	27759	28717	23051	20427	17458
वर्धित मूल्य	19460	19098	18476	13171	9894
घटाएं–अन्य परिचालन व्यय	3196	2479	3461	845	567
(निवल आय)					
निवल मूल्य वर्धन	16264	16619	15015	12326	9327
उत्पादन मूल्य का प्रतिशत	34.44%	34.76%	36.16%	36.69%	34.10%
ख. मूल्य वर्धन का प्रयोग					
कर्मचारियों को भुगतान	5753	5466	5410	5243	4113
निवल मूल्यवर्धन का प्रतिशत	35.37%	32.89%	36.03%	42.54%	44.10%
मूल्यह्रास	953	800	544	458	334
निवल मूल्यह्रास का प्रतिशत	5.86%	4.81%	3.62%	3.72%	3.58%
वित्तिय प्रभार :					
– उधार पर ब्याज	125	51	55	34	31
निवल मूल्यवर्धन का प्रतिशत	0.77%	0.31%	0.36%	0.27%	0.33%
कर प्रावधान (आयकर, आस्थगित कर, कर पूर्व लाभ तथा पूर्वावधि)	2818	3262	2994	2280	1711
निवल मूल्यवर्धन का प्रतिशत	17.32%	19.63%	19.94%	18.50%	18.34%
लाभांश (लाभांश कर सहित)	1544	1821	1775	1332	974
निवल मूल्यवर्धन का प्रतिशत	9.49%	10.95%	11.82%	10.81%	10.43%
प्रतिधारित लाभ	5071	5219	4237	2979	2164
निवल मूल्यर्वधन का प्रतिशत	31.18%	31.41%	28.22%	24.17%	23.21%

वार्षिक योजना 2012–2013 की तुलना में कार्यनिष्पादन

(₹ करोड़ में)

निवेश की श्रेणी	2012-13	2011-12
योजनाएं	549	805
आधुनिकीकरण और युक्तिकरण तथा अन्य	72	69
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	14	8
ग्राहक परियोजना संबंधी पूंजी निवेश	117	240
कुल	**752**	**1122**

राजकोष में अंशदान (₹ करोड़ में)

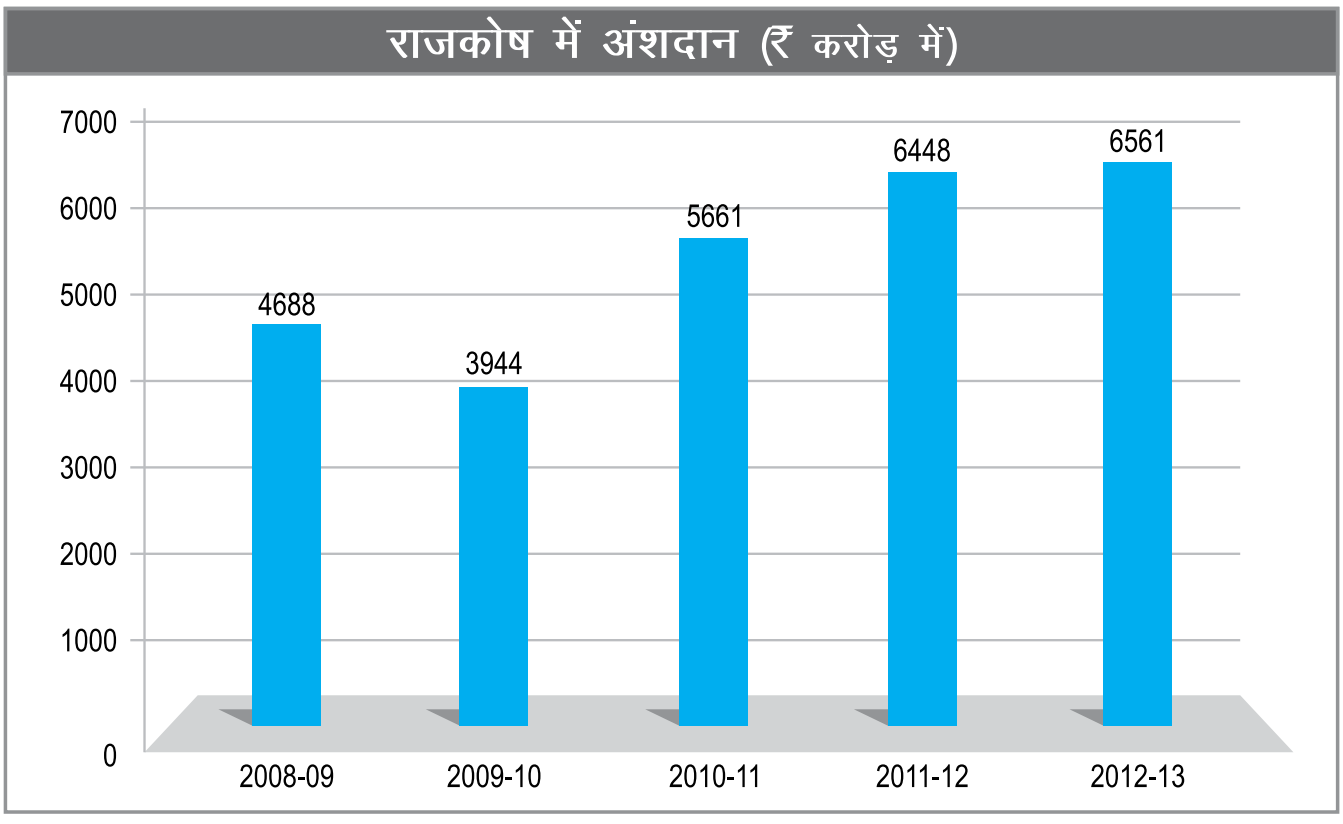

उत्पाद रूपरेखा

थर्मल विद्युत संयंत्र

- स्टीम जेनरेटर, स्टीम टर्बाइन, टर्बो जेनरेटर सहित जीवाश्म ईंधन, न्यूक्लियर एवं संयुक्त चक्र उपयोगों के लिए 800 मेगावाट तक के लिए रिजेनरेटिव फ़ीड सुपरक्रिटिकल स्टीम साइकल मानदंडों वाले बॉयलरों एवं स्टीम टर्बाइनों तथा 1000 मेगावाट यूनिट आकार तक के समतुल्य जेनरेटरों का डिज़ाइन एवं निर्माण करने की क्षमता।
- 1000 मेगावाट तक के टीजी सेटों की उपर्युक्त आवश्यकता पूरी करते हुए कंडेन्सर कन्डेन्सेट एक्सट्रैक्शन पम्प, बॉयलर फ़ीड पम्प वॉल्व एवं हीट एक्सचेंजर।

न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र

- 700 मेगावाट तक की क्षमता वाले स्टीम जेनरेटर और टर्बाइन तथा समतुल्य टर्बो–जेनरेटर, कंडेन्सर
- हीट एक्सचेंजर
- प्रेशर वेसल
- रिएक्टर वेसल्स

गैस आधारित विद्युत संयंत्र

- 25 से 292 मेगावाट (आईएसओ) उच्च श्रेणी की रेटिंग तक की गैस टर्बाइनें।
- उद्योग एवं यूटिलिटी उपयोगों के लिए गैस टर्बाइन आधारित सह–उत्पादन एवं संयुक्त चक्र प्रणालियां।

हाइड्रो विद्युत संयंत्र

- समरूप जेनरेटर सहित केपलान, फ्रेंसिस एवं पेल्टॉन प्रकार के कस्टम निर्मित परंपरागत हाइड्रो टर्बाइनें, समरूप मोटर जेनरेटर सहित पम्प टर्बाइनें 300 मेगावाट तक के समतुल्य मोटर जेनरेटर, 10 मेगावाट तक के समतुल्य जेनरेटरों सहित बल्ब टर्बाइन।
- लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए समतुल्य मोटरों के साथ उच्च क्षमता के पम्प (150 मेगावाट तक)
- परंपरागत टर्बाइनों के लिए इलेक्ट्रो–हाइड्रॉलिक माइक्रोप्रोसेसर आधारित डिजीटल नियंत्रक
- लिफ्ट सिंचाई पम्पों के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित डिजिटल कंट्रोलर
- 15 मेगावाट तक के पीएलसी आधारित कंपैक्ट डिजिटल नियंत्रक सहित अतिलघु/लघु हाइड्रो सेट
- हाइड्रो जेनरेटर और मोटरों के लिए स्टेटिक एक्साइटेशन सिस्टम
- हाइड्रो जेनरेटर और मोटरों के लिए ब्रुशलेश एक्साइटर
- विशेष प्रयोजन और मोटर जेनरेटर सेट
- हाइड्रो स्टेशनों के लिए गोलाकार बटरफ्लाई और रोटरी बाल्ब और सहायक उपकरण

डी जी विद्युत संयंत्र

- एचएसडी, एलडीओ, एफओ, एलएसएचएस, प्राकृतिक गैस/बायोगैस आधारित डीजल जेनरेटर विद्युत संयंत्र, टर्नकी आधार पर आपातकाल, पीकिंग तथा बेस लोड प्रचालनों के लिए 20 मेगावाट तथा 11 किलोवाट तक की वोल्टेज क्षमता वाले यूनिट।

औद्योगिक सेट

- 7 से 150 मेगावाट की क्षमता वाले औद्योगिक टर्बो सैट।
- ड्राइव उपयोगों तथा सह उत्पादन उपयोगों के लिए औद्योगिक स्टीम टर्बाइनें तथा गैस टर्बाइनें।
- 120 से 150 मेगावाट तक रिहीट स्टीम टर्बाइन और समतुल्य जेनरेटर

कास्टिंग एवं फ़ोर्जिंग

- परिष्कृत भारी कास्टिंग एवं क्रीप रोधी एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील एवं ग्रेड की एलॉय स्टील जो सब–क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल तथा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रॉद्योगिकी के उपकरणों हेतु सख़्त अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टिताओं को पूरा सके।

बॉयलर

- कोयला, लिग्नाइट, तेल, प्राकृतिक गैस अथवा इन ईंधनों के सम्मिश्रण का उपयोग करके 30 से 800 मेगावाट तक की क्षमता वाली यूटिलिटियों के लिए स्टीम जेनरेटर, 1000 मेगावाट यूनिट आकार तक के सुपरक्रिटिकल मानदंडों वाले बॉयलरों का निर्माण करने की क्षमता।
- कोयला, प्राकृतिक गैस, औद्योगिक गैस, बायोमास, लिग्नाइट, तेल, बेगास अथवा इन ईंधनों के सम्मिश्रण का उपयोग कर 40 से 450 टन प्रति घंटे की क्षमता वाले औद्योगिक उपयोगों के लिए स्टीम जेनरेटर्स।
  - ❒ पल्वराइज्ड ईंधन फायर्ड बॉयलर
  - ❒ स्टोकर बॉयलर
  - ❒ बबलिंग फ्लूडाइज्ड बेड कम्बशन (बीएफबीसी) बॉयलर
  - ❒ 250 मेगावाट तक सर्कुलेटिंग फ्ल्युडाइज्ड बेड कम्बशन बॉयलर सीएफ़बीसी
  - ❒ हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटर (एचआरएसजी)

- सूखे ठोसों के 100 से 1000 टन प्रति दिन की क्षमता वाले कागज उद्योग के लिए रासायनिक रिकवरी बॉयलर।

बॉयलर ऑग्जीलियरीज

- **पंखे**
  - 40 से 1300 घनमीटर/सेकेंड तक की क्षमता और 400 से 1500 मिमी. डब्ल्यूसी तक दाब सहित 200 यूसी तक धूल भरी उष्म गैस प्रयोग और स्वच्छ वायु प्रयोग के लिए एक एवं दो चरण के एक्सियल रिएक्शन पंखे
  - 25 से 600 घन मीटर/सेकेंड तक की क्षमता और 300 से 700 तक मिमी डब्ल्यूसी तक दाब सहित 200 सी. तक के स्वच्छ वायु और दग्ध गैस दोनों प्रयोगों के लिए एक्सियल इंपल्स पंखे
  - गैस कॉलम की 4 से 660 घन मीटर प्रति सेकेंड तक की क्षमता तथा 200 से 3000 तक की दाब वाली स्वच्छ हवा और धूल भरी गर्म गैसों के उपयोगों के लिए एकल एवं दोहरे सक्शन रेडियल पंखे।
- **एयर प्रीहीटर**
  - औद्योगिक और यूटीलिटी बॉयलरों के लिए ट्यूबुलर एयर प्रिहीटर
  - बॉयलरों और प्रोसेस फर्नेस के लिए रोटरी रिजेनरेटिव एयर प्रिहीटर
  - 800 मेगावाट तक की यूटीलिटी के लिए बडे रोटरी रिजेनेरेटिव एयर प्रिहीटर
- **पल्वेराइजर**
  - 67.5 मेगावॉट से 800 मेगावॉट क्षमता के थर्मल पावर स्टेशनों के लिए 18 टन/प्रति घंटे से 110 टन प्रति घंटे की क्षमता वाले कोयला फ़ायर्ड थर्मल स्टेशनों हेतु धीमी एवं मध्यम गति के बाउल मिल।
  - 110 मेगावॉट से 500 मेगावॉट तक के थर्मल पावर स्टेशनों के लिए 30 टन/प्रति घंटे से 110 टन/प्रति घंटे के उच्च राख संघटक वाले निम्न श्रेणी कोयला पल्वेराइजिंग के लिए ट्यूब मील।
- **इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रोसिपिटेटर (ईएसपी)**
  - बायोमास प्रज्जवलित बॉयलरों, सीमेंट संयंत्रों, इस्पात संयंत्रों, सोडा प्राप्ति बॉयलरों आदि सहित यूटीलिटी और औद्योगिक प्रयोगों के लिए 17 मिग्रा/ना.घ.मी. (99.97 प्रतिशत तक की क्षमता) तक निकासी उत्सर्जन सहित किसी भी क्षमता का इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिरेटर
- **गुलीटाइन गेट्स और डैम्पर्स**
  - इलेक्ट्रिक/न्यूमेटिव एक्चुएटर के साथ गुलीटाइन गेट्स 6 मीटर ऊँचे और 7 मीटर चौड़े (स्प्लिट सहित) आकार वाले/सील एयर सहित 100% रिसाव रोधी
  - इलेक्ट्रिक/एक्चुएटर के साथ बाई–प्लेन डैम्पर्स 7 मीटर ऊँचे और 4.5 मीटर चौड़े आकार वाले 1 सील एयर सहित 100% रिसाव रोधी
  - इलेक्ट्रिक/न्यूमेटिक एक्चुएटर सहित लाउवर डैम्पर्स (ओपन क्लोज/रेगुलेटिंग)/7 मीटर ऊँचे और 4.5 मीटर चौड़े आकार वाले
  - न्यूमैट्रिक एक्चुएटर के साथ कन्ट्रोल डैम्पर्स (रेग्युलेटिंग)। 7 मीटर ऊँचे (स्प्लिट निर्माण) एवं 4.5 मीटर चौड़े आकार के।
- यूटिलिटी एवं औद्योगिक उपयोग के लिए बैग फ़िल्टर
- समुद्री जल/लाइमस्टोन सल्री स्क्रबर के साथ फ़्लू गैस डिसएफराइज़ेशन (एफजीडी, प्रणाली)
- ऑक्सिलरी बॉयलरों और अन्य फ्लू गैस एक्ज़ॉस्ट उपयोगों के लिए स्टील चिमनी

सूट ब्लोअर्स

- 12.2 मीटर तक चलने वाले लम्बे रिट्रेक्टेबलर सूट ब्लोअर्स (एलआरएसबी)
- 6.9 मीटर तथा 8.3 मीटर लम्बाई तक चलने वाले फ़र्नेस टेम्परेचर प्रोब (एफटीपी)
- एयर के हीटरों के लिए फ़ॉर्वर्ड ब्लोविंग के साथ लम्बे रिट्रेक्टेबल नॉन–रोटेटिंग (एलआरएनआर) सूट ब्लोअर्स
- सीएफडीसी बॉयलर उपयोगों के लिए एश डिस्चार्ज वाल्व
- इन्टीग्रल स्टार्टर के साथ सूट ब्लोअर्स
- पीएलसी अनुक्रमिक सूट ब्लाअर्स
- रैक टाइप लम्बे रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर्स
- वॉल ब्लोअर्स
- रोटरी सूट ब्लोअर्स

वाल्व

- यटिलिटी एवं औद्योगिकी उपयोग के लिए उच्च दाब तथा निम्न दाब बायपास वाल्व एवं हाइड्रॉलिक प्रणाली
- 950 मि.मी. व्यास, 4500 (791 किग्रा/वर्ग सेंटीमीटर) के अधिकतम दाव श्रेणी और 650 सेंटीग्रेड तापक्रम तक स्टीम, तेल और गैस कार्यों के लिए उच्च और मध्यम प्रैशर वाल्व, गेट, ग्लोब के ढलंग और फोर्ज इस्पात, वन रिर्टन वाल्व (स्विंग चेक और पिस्टन लिफ्ट चैक) किस्म

- 900 एमएम अधिकतम श्रेणी 1500 एवं 650 सेन्टिग्रेड तक के हॉट–रिहॉट एवं क़ोल्ड रिहॉट आइसोलेटिंग डिवाइसिस
- 317 किग्रा/वर्ग सेंटीमीटर के निर्धारित दाब और 630 सेंटीग्रेड तक तापक्रम के लिए उच्च क्षमता के सुरक्षा वाल्व और 210 किग्रा/वर्ग सेंटीमीटर के निर्धारित दाब तथा 593 डिग्री तक के निर्धारित तापमान के लिए स्वचालित विद्युत प्रचालित प्रैशर रिलीफ वाल्व
- 421 कि.ग्रा./वर्ग सेंटीमीटर के निर्धारित दाब और 537 सेंटीग्रेड तक तापक्रम के लिए विद्युत प्रक्रिया और अन्य उद्योगों में प्रयोग हेतु सुरक्षा रिलीफ वाल्व
- 2700 मि.मी. आकार में अधिकतम व्यास वाले रिएक्टिव–कम–एब्जॉर्बप्टिव टाइप साइलेंसर
- डायरेक्टर वाटर लेवल गेज
- एंगल ड्रेन वाल्व–टर्बाइन ड्रेन उपयोग के लिए सिंगल एवं मल्टी स्टेज सर्विस कन्ट्रोल वाल्व
- आरएच एंव एस एच स्प्रे लाइनों के लिए सेरे सर्विस कंट्रोल वाल्व
- 800 मि.मी. व्यास 158 कि.ग्रा./वर्ग सेंटीमीटर दाब का 540 सेंटीग्रेड तापक्रम तक के निष्कर्षण लाइनों के लिए शीघ्र बंद होने वाले नॉन–रिर्टन वाल्व और कोल्ड रिहीड नॉन–रिटर्न वाल्व

पाइपिंग प्रणालियां

- सुपर क्रिटिकल सेटों सहित 1000 मेगावाट क्षमता तक के विद्युत स्टेशनों के लिए परिचालन जल पाइपिंग सहित विद्युत चक्र पाइपिंग, स्पिर भार हैंगर्स, परिवर्ती स्प्रिंग हैंगर्स, हैंगर संघटक, निम्न दाब पाइपिंग
- न्यूक्लियर विद्युत स्टेशनों, संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्रों, औद्योगिक बॉयलरों तथा प्रक्रिया उद्योगों में विद्युत संयंत्रों के लिए पाइपिंग प्रणालियां

सीमलेस स्टील टयूबें

- एएसटीएम/एपीआई और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टियों के लिए उपयुक्त कार्बन स्टील और निम्न मिश्रधातु स्टील में 21.3 से 133 मि.मी. तक के बाहरी ब्यास और 2 से 12.5 मि.मी. तक की मोटाई की सीमा सहित उष्म निर्मित और कोल्ड ड्रॉन सीमलेस स्टील टयूबें।
- राईफल्ड टयूब
- स्पाईरल फिंड टयूब

कंडेन्सर और हीट एक्सचेंजर

- सर्फेस कंडेन्सर :
  - 236 मेगावाट और 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांटस
  - 12.5 मेगावाट समुद्री अनुप्रयोग
  - औद्योगिक कंडेन्सर
- फीड वाटर हीटर (एचपी हीटर्स, एलपी हीटर्स, ड्रेन कूलर्स आदि)
  - थर्मल–07 से 500 मेगावाट (सब–क्रिटिकल) एवं 300–800 मेगावाट (एकल स्ट्रीम के साथ सुपर क्रिटिकल)
  - न्यूक्लियर 236 मेगावाट, 500 मेगावाट और 700 मेगावाट रेटिंग
- आर्द्रता सेपरेटर और रि–हीटर्स :
  - 236 और 500 एवं 700 मेगावाट न्यूक्लियर सेट
- लाइव स्टीम रीहीटर (एलएसआर):
  - 500 मेगावाट एफबीआर न्यूक्लियर सेट
- टर्बो और हाइड्रोजेनेरेटरों के लिए ऑक्जिलियरी हीट एक्सचेंजर्स:
  - एयर कूलर्स (फ्रेम और ट्यूब किस्म)
  - ऑयल कूलर्स (शेल और ट्यूब किस्म तथा प्लग–इन किस्म)
  - हाइड्रोजन कूलर्स (फ्रेम और ट्यूब किस्म)
- ट्रांसफॉर्मरों के लिए ऑक्जिलियरी हीट एक्सचेंजर्स :
  - ऑयल कूलर्स (शेल और ट्यूब किस्म एकल ट्यूब अथवा संकेंद्रिक दोहरा ट्यूब किस्म) (फ्रेम और ट्यूब किस्म)
- सामान्य प्रयोग के लिए ऑक्जिलियरी हीट एक्सचेंजर्स :
  - वाटर – वाटर कूलर्स (शेल और ट्यूब किस्म)
- रिफाइनरी, पेट्रो–केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स के लिए औद्योगिक हीट एक्सचेंजर्स
- बटरफलाई वाल्वस (फैब्रिकेटिड/कास्ट बॉडी एवं डोर)
- थर्मल और न्यूक्लियर सेटों के लिए फ्लैश टैंक
- सभी रेटिंग्स के ताप, न्यूक्लियर सेटों के लिए सर्विस टैंक, स्टोरेज टैंक और प्रेशर वैसल्स एवं औद्योगिक अनुप्रयोग
- सीएस/एसएस/नॉन फेरस शैल और ट्यूब हीट एक्सचेंजरर्स और प्रेशर वैसल्स (सभी अनुप्रयोगों के लिए भले ही रेटिंग कुछ भी हो)
- एफआर–9 एफई तक जीटीजी हेतु एअर–कूल्ड हीट एक्सचेंजर्स और सभी रेटिंग्स के कम्प्रेशर अनुप्रयोग।
- 150 मेगावाट तक के सभी कंडेंसर्स के लिए स्टीम जेट एअर इजेक्टर
- 7 मेगावाट से 800 मेगावाट तक डीरेटर्स

- ग्लैंड स्टीम कंडेंसर 7 मेगावाट से 150 मेगावाट
- सभी संभव कम्प्रेशर अनुप्रयों के लिए गैस कूलर्स
- ऑयल कूलर्स–एसटीजी 150 मेगावाट तक, जीटीजी एफआर–9, एफई तक
- 150 मेगावाट एसटीजी और जीटीजी तक 9 एफए तक जनरेटर एअर कूलर्स

पम्प

- 1000 मेगावाट तक की क्षमता वाली यूटीलिटियों के उपयुक्त विभिन्न प्रयोगों के लिए पम्प
- बॉयलर फीड पम्प (मोटर अथवा स्टीम टर्बाइन चालित)
- बॉयलर फीड बूस्टर पम्प
- कंडेन्सेट एक्सट्रैक्शन पम्प
- सर्कुलेटिंग वाटर पम्प (कूलिंग वाटर पंपों के तौर पर भी जाना जाता है)

विलवणीकरण और जल शोधन संयंत्र

- घरेलू और औद्योगिक प्रयोगों के लिए समुद्रीजल, उच्च खारे और अपशिष्ट जल के शोधन के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) आधारित विलवणीकरण संयंत्र
- सेवा/वहनीय/बॉयलर भरण मेक–अप आवश्यकताओं के लिए जल उत्पादन हेतु संयंत्र के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस विखनिजीकरण (आरओ–डीएम) संयंत्र
- आरओ प्रयोग के लिए उपयुक्त खारेजल के शोधन हेतु शोधन–पूर्व (मेम्ब्रेन आधारित/पारंपरिक) प्रणालियों की विभिन्न किस्में
- पुनः उपयोग एवं रिसाइकिल के लिए मल एवं अपशिष्ट जल शोधन संयन्त्र
- विलवणीकरण संयंत्रों का प्रचालन और अनुरक्षण

स्वचालन और नियंत्रण प्रणालियां

- स्टीम जनरेटर/बायलर कंट्रोल
- स्टीम टरबाईन कंट्रोल्स
- बायलर फीड पंप (बीएफपी) ड्राइव टरबाईन कंट्रोल
- ऑफसाइट/आफ बेस कंट्रोल्स/बैलेंस ऑफ प्लांट कंट्रोल
  - ❒ एश हेंडलिंग
  - ❒ कोयला हेंडलिंग
  - ❒ वाटर सिस्टम
  - ❒ मिल रिजेक्ट सिस्टम
  - ❒ कंडेन्सेट ऑन लाइन टॅयूब क्लीनिंग सिस्टम
  - ❒ गैस टर्बाइन नियंत्रण प्रणालियां
- हाइड्रो विद्युत संयंत्र नियंत्रण प्रणालियां
- गैस बूटस्टर कम्प्रेसर
- गैस टरबाईन नियंत्रण प्रणाली
- न्यूक्लियर पावर प्लांट टरबाईन एवं सेकेंडरी साइकल कंट्रोल सिस्टम
- पावर ब्लॉक ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट
- औद्योगिक स्वचालन
- सब–स्टेशन स्वाचालन प्रणाली (एसएएस) और पर्यवेक्षीय नियंत्रण तथा आंकडा अधिग्रहण प्रणालियां (स्काडा)
- इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम फॉर रिफाइनरीज
- एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर पावर प्लांट

पावर इलेक्ट्रानिक्स

- एक्साइटेशन सिस्टम
- एसी ड्राइव सिस्टम
- स्टेटिक स्टार्टस
- इंडक्शन हीटिंग इक्विपमेंट

ट्रांसमिशन सिस्टम कंट्रोल

- हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) सिस्टम
- फलेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम (एफएसीटीएस)
- फिक्स्ड सीरिज कम्पनसेशन (एफसीएस)/थाईरिस्टर कंट्रोल सीरिज कम्पनसेशन (टीसीएससी)
- स्टेटिक वीएआर कम्पनसेटर (एसवीसी) सिस्टम
- कंट्रोल्ड शंट रिएक्टर (सीएसआर)
- स्टेटिक कम्पनसेटर (एसटीएटसीओएम)

पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसिस

- डायोडस–1400–4400वी/250–2000ए की रेंज तक
- थाईरिस्टर्स–1400–7000वी/150–4950ए की रेंज तक

सौर फोटोवोल्टिक

- मोनो/मल्टी क्रिस्टेलीनसैल्स सैल्स (125 और 156 एमएम)
- मोनो/मल्टी क्रिस्टेलीनसैल्स मॉडयूल्स
- पीवी सिस्टम्सः ग्रिड इंटरेक्टिव, हाईब्रीड और स्टैंड अलोन पीवी पावर प्लांट्स
- स्पेस ग्रेड सौलर पीवी पैनल
- स्पेस ग्रेड बैटरियां

डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स

- इंटेग्रेटिड प्लेटफार्म मैनेजमेंट सिस्टम
- इंटेग्रेटिड ब्रिज सिस्टम
- मशीनीनियंत्रण कक्ष (एमसीआर) सिमुलेटर
- सभी रक्षा और अर्द्ध सैनिक बलों के लिए वाहनों, प्लेटफार्मों, राडारों, हथियारों, मिसाइलों और सीबीटी के लिए प्रशिक्षण सिमुलेटर
- शस्त्र फायर नियंत्रण प्रणाली, एवियानिक्स, रेडियो संचार उत्पाद, इलेक्ट्रानिक वारफेयर सिस्टम और पूर्व चेतावनी प्रणालियां
- मुख्य युद्धक टैंकों के लिए गन कंट्रोल सिस्टम

साफ्टवेयर सिस्टम साल्यूशन

- मैरिट आर्डर रेटिंग
- कार्य निष्पादन विश्लेषण, डायग्नोस्टिक्स एवं ऑप्टिमाइजेशन (पीएडीओ)
- कार्यनिष्पादन गणना और आप्टिमाइजेशन सिस्टम
- डीसीएस से तृतीय पक्ष प्रणालियों के लिए ओपीसी संपर्क
- इंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट सिस्टम
- इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग
- ऑपरेटर ट्रेनिंग सिमुलेटर
- पावर हाउस इंट्रानेट सॉफटवेयर
- अलार्म विश्लेषण प्रणाली
- रियल टाइम परफारमेंट डाटा मानीटरिंग सिस्टम
- हिस्टोरिकल रिप्ले सिस्टम

स्विचगियर

36 केवी तप वोल्टता रेटिंग और गैस विसंवाहित स्विचगियरों (36 केवी–145 केवी) के लिए भीतरी और बाहरी प्रयोगों हेतु विभिन्न किस्मों के माध्यम वैक्यूम स्विचगियर

- 12 केवी, 50 केए, 3500 एम्पियर तक के भीतरी स्विचगियर, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो एवं कम्बाइंड साईकल पावर प्लांट प्राजेक्ट के लिए
- 36 केवी, 31.5 केए, 2500 एम्पियर तक के भीतरी स्विचगियर, उद्योग एवं रिफाइनरी के लिए
- 12 केवी, 25 केए, 1250 एम्पियर के भीतरी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स वितरण प्रणाली के लिए
- 36 केवी, 25 केए, 2000 एम्पियर के बाहरी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स ट्रांसमिशन एवं वितरण खंड के लिए
- 12 केवी, 25 केए, 1250 एम्पियर के बाहरी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स वितरण खंड के लिए
- 25 केवी, 25 केए, 1600 एम्पियर के बाहरी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स ट्रैक साईड रेलवे अनुप्रयोग के लिए
- 12 केवी ग्रामीण खंड के लिए आउटडोर पोल माउन्टेंड ऑटोरिक्लोजर/ सैक्शनेलाइनर कैपेसिटर स्विच
- रिफ़ाइनरियों, शहरी सब–स्टेशनों के लिए गैस विसंवाहित स्विचगियर 36 केवी – 25 केवी 1600 एम्पी
- ट्रान्स्मिशन खंड के लिए 145 केवी 40 केए 2500 एम्पी. के गैस इन्सुलेटेड स्विचगीयर
- एसएफ6 सर्किट ब्रेकर्स (145 केवी – 800 केवी)

बस डक्ट

- 800 मेगावाट तक की क्षमता यूटीलिटियों के जेनरेटर विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त संबंद्ध उपस्कर सहित बस डक्ट

ट्रांसफॉर्मर

- 1200 केवी तक की वोल्टता के लिए विद्युत ट्रांसफॉर्मर
- जेनरेटर ट्रांसफॉर्मर (500एमवीए, 400 केवी, 3फेज/400एमवीए, 400 केवी, 1फेज तक)
- ऑटो ट्रांसफॉर्मर (1000एमवीए, 400केवी, 3फेज/600एमवीए, 400केवी, 1फेज/1000 एमवीए, 765केवी, 1फेज/1000 एमवीए, 1200 केवी, 1फेज तक)
- कन्वर्टर ट्रांस्फॉर्मर/स्मूदिंग रिएक्शन (600 एमवीए, ± 500 केवी / 254 एमवीएआर, ± 500 केवी तक)
- शंट रिएक्टर (150 एमवीएआर, 420 केवी, 3 फेज/110 एमवीएआर, 765 केवी, 1 फेज तक)
- कंट्रोल्ड शंट रिएक्टर (200 एमवीए, 420 केवी, 3 फेज/150 एमवीएआर, 420 केवी, 1 फेज/110 एमवीएआर, 765 केवी, 1 फेज तक)
- फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर (315 एमवीए, 400 केवी, 3 फेज तक, 333 एमवीए 420 केवी, 1 फेज, पीएसटी तक (1000 एमवीए बैंक इन 3 फेज)–पारेषण लाइनों के लिए)
- इंस्ट्रुमेंट ट्रांसफार्मर
  - ❒ 400 केवी तक के करंट ट्रांसफार्मर
  - ❒ 220 केवी तक के इलेक्ट्रो मेग्नेटिक वोल्टेज ट्रांसफार्मर
  - ❒ (33 केवी से 1200 केवी तक) कैपीसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर
- विशेष ट्रांसफॉर्मर
  - ❒ रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर (120 केए, 132 केवी तक)

- ❒ फर्नेस ट्रांसफॉर्मर (33 केवी, 60 एमवीए तक)
- ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर
  - ❒ 25 केवी, 7475 केवीए तक 3 फेस ड्राईव लोकोमोटिव्स के लिए फ्रेट लोको ट्रांसफॉर्मर
  - ❒ 25 केवी, 1550 केवीए तक एसीइएमयू ट्रांसफॉर्मर
- ईएसपी (एचवीआर) ट्रांसफॉर्मर 100 केवी 1400 एमए
- 15000 केवीए तक ड्राई टाईप ट्रांसफॉर्मर
  - ❒ 3.3 एमएच, 2700 एम्पियर तक स्मूदिंग रिएक्टर
  - ❒ 300 एमएच, 120 एम्पियर तक शुष्क किस्म रिएक्टर
  - ❒ 0.5 एमएच, 4600 एम्पियर तक डीसी चोक
- 15 एमवीए, 33 केवी तक के कास्ट रंजिन शुष्क किस्म

इंसुलेटर्स

- हाई टेंशन सेरामिक इंसुलेटर्स
  - ❒ स्वच्छ एवं प्रदूषित वातावरणों के लिए 45 से 420 केएन तक इलेक्ट्रोमैकेनिकल शक्ति के एसी/डीसी उपयोगों के लिए डिस्क/सस्पेंशन इंसुलेटर। 800 केवी एसी और डीसी प्रयोगों के लिए उपयुक्त
  - ❒ रेडियो फ्री डिजाइन सहित 33 केवी तक के पिन इंसुलेटर्स
  - ❒ ट्रांसफार्मरों, एसएफ 6 सर्किट ब्रेकरों के लिए 800 केवी तक के हॉलो पोर्सिलेन
  - ❒ सब स्टेशन में प्रयोग के लिए बस पोस्ट और आइसोलेटरों के लिए 400 केवी तक के सॉलिड कोर इंसुलेटर
  - ❒ 25 केवी रेलवे ट्रेक्शन के लिए सॉलिड कोर पोर्सिलेन इंसुलेटर
  - ❒ 25 केवी रेलवे ट्रैक्शन और 400 केवी तक एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइनों के लिए इंसुलेटर
- वीयर प्रतिरोधी सामग्री (सिरालीन)
  - ❒ ताप विद्युत स्टेशनों में वीयर प्रतिरोधी प्रयोग तथा विभिन्न अन्य प्रयोगों के लिए सिरामिक लाइनर्स

औद्योगिक तथा विशेष सिरामिक

- बॉयलर ड्रम जल स्तर अनुवीक्षण (भेल विज़न प्रणाली) में प्रयुक्त ईडब्ल्यूएलआई–इलेक्ट्रॉनिक जल स्तर संकेतक, क्रिसमस ट्री वाल्व के लिए सिरामिक और टंगस्टन कार्बाइड फलो बीन्स कंट्रोल पैनल

कंट्रोल पैनल

- एलटी स्विचगियर, स्कैप, थाइरिस्टर, रेपकान और स्टेटकान पैनल्स

कैपेसिटर्स

- पावर फैक्टर सुधार (मोटर कैपेसिटर्स) के लिए एच.टी. कैपेसिटर्स, 3.3 से 11 केवी डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक
- शंट, सीरीज और एसवीसी (स्टेटिक वीएआर कम्पनशेसन) हार्मोनिक फिल्टर और एचवीडीसी प्रयोगों (3.3 केवी से 500 केवी, 1फेस/3फेस कैपेसिटर बैंकस ऑफ रेटिंग 0.5 एमवीए से 250 एमवीएके लिए एच.टी. कैपेसिटर्स
- सीवीटी के लिए कैपेसिटर डिवाइडर
- पीएलसीसी के लिए कपलिंग कैपेसिटर
- जेनरेटर और ट्रांसफॉर्मर के संरक्षण के लिए सर्ज कैपेसिटर (11केवी से 40 केवी)
- ट्रैक्शन लोकोमोटिव के लिए रूफ कैपेसिटर
  - ❒ 12 केवी तक सीवीटी के लिए कैपेसिस्टर डिवाइडर
  - ❒ 400 केवी तक पीएलसीसी के लिए कपलिंग कैपेसिस्टर

बुशिंग्स

- ट्रांसफॉर्मर प्रयोगों के लिए 52 से 400 केवी ओआईपी कंडेन्सर बुशिंग्स
- 25 केवी लोकोमोटिव बुशिंग्स
- केबल बॉक्स और वॉल बुशिंग्स जैसी विशेष प्रयोग बुशिंग्स

ऑन लोड टेप चेंजर्स (ओएलटीसी)

विद्युत ट्रांसफॉर्मर, फर्नेस ट्रांसफॉर्मर, स्टेशन ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर आदि जैसे विभिन्न प्रयोगों के लिए ऑन लोड टैप चेंजर

- 400 केवी श्रेणी ट्रांसफॉर्मर तक के लिए ऑन लोड टैप चेंजर
- 400 केवी तक के लिए ऑफ सर्किट टैप स्विच

विद्युत मशीनें

एसी स्क्विरल केज, स्लिपरिंग, सिंक्रोनस मोटरों, बेरीएबल स्पीड मोटर्स, औद्योगिक अल्टरनेटरों तथा जोखिम क्षेत्रों के लिए मोटरों का उत्पादन नीचे वर्णित रेंज के अनुसार किया जाता है। विशेष प्रयोजनार्थ मशीनों का निर्माण अनुरोध पर किया जाता है।

- o वोल्टेज फ्रिक्वेंसी और एनक्लोजर्स
- o वोल्टेज एसी–415 वो. से 13800 वो.
- o फ्रिक्वेंसी – 50 हार्टज और 60 हार्टज
- o एनक्लोजर – एसपीडीपी, टीईटीवी, सीएसीडब्ल्यू, सीएसीए और डक्ट वेंटिलेटेड

- सुरक्षित क्षेत्र प्रयोग के लिए एसी मशीनें
  - ❒ इंडक्शन मोटरें
  - ❒ सिक्वरेल केज मोटर–150 केडब्ल्यू से 21000 केडब्ल्यू
  - ❒ स्लिपरिंग मोटर–150 केडब्ल्यू से 10000 केडब्ल्यू
  - ❒ सिंक्रोनस मोटरें–1000 केडब्ल्यू से 20000 केडब्ल्यू

- ❒ वैरिएबल स्पीड मोटर
  - ❒ 150 केडब्ल्यू से 21000 केडब्ल्यू (स्क्वायरल केज मोटर
  - ❒ 1000 केडब्ल्यू से 20000 केडब्ल्यू (सिंक्रोनस मोटर)
- जोखिमपूर्ण क्षेत्र में प्रयोगों के लिए एसी मशीनें (नियत गति अथवा वीएफडी के साथ)
  - ❒ फ्लेम प्रूफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटरें (ईएक्स 'डी') 150 केडब्ल्यू से 1500 केडब्ल्यू
  - ❒ नॉन स्पार्किंग स्किविरेल केज इंडक्शन मोटर (ईएक्स 'एन') 150 केडब्ल्यू से 4000 केडब्ल्यू (अनुरोध पर उच्चतर रेटिंग)
  - ❒ इन्क्रीज्ड सेफ्टी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर (ईएक्स 'ई') 150 केडब्ल्यू से 4000 केडब्ल्यू (अनुरोध पर उच्चतर रेटिंग)
  - ❒ प्रेशराइज्ड मोटर (ईएक्स 'पी')
    - ❒ 150 केडब्ल्यू से 21000 केडब्ल्यू (स्क्वायरल केज मोटर)
    - ❒ 1000 केडब्ल्यू से 20000 केडब्ल्यू (सिंक्रोनस मोटर)
- मिल ड्यूटी मोटर स्पीड बेस स्पीड >150 आरपीएम के साथ 150 केडब्ल्यू से 5000 केडब्ल्यू
- इंडस्ट्रियल आल्टनेटर्स (स्टीम टर्बाइन, गैस टर्बाइन तथा डीजल इंजन चालित) 3000 केवीए से 25,000 केवीए
- इंडक्शन जेनेरेटर्स–300 केवीए से 6000 केवीए, मिनी/माइक्रो एचईपी हेतु
- 270 मेगावाट तक और समतुल्य एक्साइटर्स के साथ 2 पोल गैस टर्बाइन चालित जेनेरेटर्स
- 33 मेगावाट तक और समतुल्य एक्साइटर्स के साथ 4 पोल गैस टर्बाइन चालित जेनेरेटर्स
- 270 मेगावाट तक और समतुल्य एक्साइटर्स के साथ 2 पोल स्टीम टर्बाइन चालित जेनेरेटर्स
- 60 मेगावाट तक और समतुल्य एक्साइटर्स के साथ 4 पोल स्टीम टर्बाइन चालित जेनेरेटर्स
- 5 मेवा तक सीाई चुम्बक आधारित जनरेटर्स
- 270 मेवा तक गैर टरबाईन जनरेटर्स

कंप्रेसर्स

- निम्नलिखित कन्फीग्युरेशन एवं पैरामीटर्स के साथ मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्युगल कम्प्रेसर्स साथ में सहायक प्रणाली का विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विनिर्माण और आपूर्ति की जाती है।
  - ❒ मॉडल –
    - ❒ 40 बार डिजाइन प्रेशर तक क्षैतिज स्पलिट टाइप
    - ❒ 350 बार डिजाइन प्रेशर तक वर्टिकली स्पलिट टाइप
  - ❒ क्षमता–300000 एम3/एचआर
  - ❒ गैस–एअर, सीओ2, एन2, एच2, एनएच3, प्राकृतिक गैस, वैट गैस, प्रोपाइलीन आदि
  - ❒ उद्योग–रिफाइनरीज, उर्वरक, तेल एवं गैस, इस्पात, विद्युत
  - ❒ अंतर्राष्ट्रीय मानदंड–एपीआई 617
  - ❒ परीक्षण क्षमता–एमआरटी, परफारमेंस टैस्ट, पूर्ण लोड, पूर्ण दबाव पूर्ण गति परीक्षण, पूर्ण यूनिट परीक्षण
  - ❒ ड्राईवर–भाप टरबाईन, गैस टरबाईन, मोटर

कंट्रोल गियर

- औद्योगिक कंट्रोल गियर
  - ❒ ईएसपी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स
  - ❒ डिजिटल एक्साइटेशन कंट्रोल सिस्टम (1000 ए, 400 वी डीसी/400 वी डीसी साथ में रिडंडेंट थाईरिस्टर स्टेक्स और डीसी फील्ड ब्रेकर)
  - ❒ पीएलसी आधारित डिजिटल कंट्रोल सहित वृहद धारा रेक्टिफायर्स
  - ❒ डिजिटल हाइड्रोलिक/कम्पैक्ट गवर्नर्स
  - ❒ डिजिटल एवीआर (1 फेज, 300 वी डीसी/ 3 फेज, 400 वी डीसी)
  - ❒ इस्पात, एल्युमीनियम, सीमेंट, कागज़, रबड़, खनन, चीनी और पेट्रो–रसायन उद्योगों में प्रयोग के लिए कंट्रोल पैनल और क्यूबिकल्स
- ऑयल रिग कंट्रोल्स
  - ❒ एसी विद्युत नियंत्रण कक्ष
  - ❒ डीसी विद्युत नियंत्रण कक्ष
  - ❒ पावर पैक (डीजी सेट)
    - ☐ एसी कन्ट्रोल मॉड्यूल
    - ☐ डीसी कन्ट्रोल मॉड्यूल
  - ❒ ड्रिलर कन्सोल
  - ❒ केबल सेट, केबल ट्रेज, केबल बॉक्स और आयल रिग्स हेतु क्रू रूम
  - ❒ ऑयल रिग अनुप्रयोग हेतु डीजी सेट (63/250/380/500 केवीए)

- कंटेक्टर्स
  - 660 वोल्ट तक वोल्टेज के लिए एलटी एयर ब्रेक टाइप एसी
  - 600 वोल्ट तक वोल्टेज के लिए एलटी एयर ब्रेक टाइप
  - डीसी कंटेक्टर्स 11केवी तक वोल्टेज के लिए एचटी वैक्यूम टाइप एसी
- ट्रैक्शन कंट्रोल गियर
  - एसी इलेक्ट्रिक एवं डीज़ल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ईएमयू, डीईएमयू, डीईटीसी मेट्रो रेलवे और अन्य ट्रैक्शन प्रयोगों के लिए कंट्रोल गियर उपस्कर
  - ट्रैक्शन उपयोगों के लिए ईपी कंटैक्टर्स, ईएम कंटैक्टर्स, ईएम रिले और ईपी ऑफलोड स्विचेज, आइसोलेटिंग स्विच, रेसिस्टर्स, रेसिस्टर्स पैनल आदि
  - मास्टर्स कंट्रोलर्स
  - मेन स्टार्टिंग रेसिसटर्स (एमएसआर) और डायनामिक ब्रेकिंग रेसिसटर्स (डीबीआर)
  - कंट्रोल क्यूबिकल्स
  - डीई लोको के लिए एक्साइटेशन कन्ट्रोल एवं वोल्टेज रेग्युलेटर पेनल
  - रेक्टिफायर्स (1200वी तक), कन्वर्टर/इन्वर्टर, एसी/डीसी ईएमयूज हेतु
  - ऑक्स कन्वर्टर्स/स्टेटिक इन्वर्टर फॉर एसी लोकोज
- कंट्रोल और रिले पैनल
  - 400केवी तक की वोल्टेज के लिए ईएचवी पारेषण परियोजनाओं हेतु कंट्रोल और प्रोटेक्शन पैनल
  - सिक्रोनाईजिंग ट्रॉली/स्विंग पैनल
  - तापीय, न्यूक्लियर, हाइड्रो और संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र परियोजनाओं के लिए 600 मेगावाट तक बड़े जेनेरेटरों के लिए प्रोटेक्शन पैनल
  - एमवी स्विचगियर के लिए रिमोट कंट्रोल और रिले पैनल
  - हाइड्रो सेट के लिए टर्बाइन गेज पैनल
  - आउटडोर–किस्म कंट्रोल पैनल और मार्शलिंग कियोस्क
  - रिमोट ट्रांसफॉर्मर टैप–चेंजर कंट्रोल पैनल
  - एलटी स्विचगीयर, स्कैप एवं थइरिस्टर पैनल

परिवहन उपस्कर

- टैक्शन मशीनें
  - सभी रेंज के लोको और ईएमयू के लिए एसी ट्रैक्शन मोटर (1150 कि.वा तक)
  - सभी रेंज के लोको और ईएमयू के लिए डीसी ट्रैक्शन मोटर (630 कि.वा तक)
  - सभी रेंज के डीई लोको और ईएमयू के लिए एसी ट्रैक्शन एल्टरनेटर (3860 कि.वा तक)
  - 2000 केडब्ल्यू तक डीसी ट्रैक्शन जेनेरेटर
  - सभी किस्म की आवश्यकताओं के लिए मोटर जेनरेटर सेट (25 कि.वा तक)
  - सभी किस्म की आवश्यकताओं के लिए ऑक्जिलियरी जेनरेटर और एक्सयूटर्स (50 कि.वा तक)
  - रेडिएटर फैन के लिए एडी करेंट क्लच
  - डायनेमिक ब्रेकिंग प्रणाली के लिए डीसी ब्लोअर मोटर (50 कि.वा तक)
  - ट्रैक्शन ग्रेडगियर और पिनियन
- परिवहन प्रणाली
  - ट्रैक्शन प्रणालियां
  - शहरी परिवहन प्रणालियां
  - एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव (5000 एचपी, 25केवी एसी, 1500वी डीसी)
  - एसी–डीसी दोहरा वोल्टता इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव
  - डीजल–इलेक्ट्रिक (2600 एचपी तक) एवं डीजल हाइड्रोलिक लोकोमोटिव
  - बैटरी चालित लोकोमोटिव
  - ओएचई रिकार्डिंग–सह–टेस्ट कार
  - बॉगीज
  - डायनेमिक ट्रैक स्टेबिलाइजर्स
  - वेल वैगन
  - रेल–सह–सड़क वाहन
  - यूटीलिटी वाहन
  - बैलास्ट क्लिनिंग मशीन

ट्रैक्शन चालित प्रणाली

- ट्रैक्शन चालित प्रणाली में कन्वर्टर, सहायक कन्वर्टर और वाहन नियंत्रण इलेक्ट्रानिक्स के लिए ट्रैक्शन शामिल है।
  - 6000 एचपी जीटीओ/आईजीबीटी आधारित एसी लोकोमोटिव्स
  - 1600 एचपी एसी इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (ईएमयूज)
  - 1400 एचपी डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स (डेमूज)

ऑयल फील्ड उपस्कर

- ऑयल रिग – 9000 मी. तक की गहराई के लिए एसी–एससीआर तथा एसी तकनीक के साथ विविध प्रकार की तटीय ड्रिलिंग रिंग मैचिंग ड्रा वर्क्स एवं होईस्टिंग उपकरण के साथ वर्क ओवर रिग, मोबाईल रिग, हेली रिग, डेजर्ट रिग सहितः
  - ❒ मास्ट तथा उपसंरचना
  - ❒ रोटेटिंग उपकरणः ड्रॉ वर्क्स, रोटरी, स्वाइवल्स, ट्रैवलिंग ब्लॉक्स
  - ❒ स्वतंत्र रोटरी ड्राईव यूनिट
  - ❒ पम्प सहित मड प्रणाली
  - ❒ पावर पैक और रिग इलेक्ट्रिक्स
  - ❒ रिग इंस्ट्रुमेंटेशन
  - ❒ रिग यूटिलिटी तथा सहायक उपकरण
  - ❒ बीएचईएल और गैर–बीएचईएल निर्मित ऑयल रिगों का पुनःमार्जन और उन्नयन
  - ❒ सभी अपेक्षित रेंजों के लिए डीसी ऑइल रिग
  - ❒ सभी अपेक्षित रेंजों के लिए ऑइल रिग ऑल्टर्नेटर
- 15000 पीएसआई तक वेल हेड्स और क्रिसमस ट्रीज, मड लाइन सस्पेंशन, चोक और किल मेनीफोल्ड, सीबीएम वेलहेड्स डीएसपीएमएच– मनीफोल्ड असेम्बली, मड वाल्व, ईएसपी हेंगर्स, ब्लॉक टाईप क्रिसमिस ट्री और केसिंग हैडस के लिए लैंडिंग बेसिस

वितरित विद्युत उत्पादन और लघु हाइड्रो संयंत्र

- 600 कि.वा. रेटिंग तक विंड इलेक्ट्रिक जेनरेटर
- 25 मेगावाट तक की स्टेशन क्षमता के लघु हाइड्रो विद्युत संयंत्र

प्रणालियां और सेवाएं

- विद्युत उत्पादन प्रणालियां
  - ❒ टर्नकी विद्युत स्टेशन/ईपीसी संविदाएं
  - ❒ संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र
  - ❒ सह उत्पादन प्रणालियां
  - ❒ कैप्टिव विद्युत संयंत्र
  - ❒ एमडब्ल्यूपी रेटिंग तक सोलर फोटोवाल्टियक सिस्टम्स हेतु कमीशनिंग सॉल्यूशन्स की अवधारणा
  - ❒ विद्युत स्टेशनों का आधुनिकीकरण और नवीकरण और आरएलए अध्ययन
  - ❒ यूटीलिटियों के लिए सिमुलेटर्स सहित सॉफटवेयर पैकेज
  - ❒ उक्त सभी प्रणालियों के लिए निर्माण, कमीशनिंग, समर्थन सेवाएं, स्पेयर्स मैनेजमेंट और परामर्शी सेवाएं
- ट्रांसमिशन प्रणलियां
  - ❒ सबस्टेशन/स्विचयार्ड
  - ❒ शंट और सीरीज कंपनसेशन प्रणलियां
  - ❒ विद्युत प्रणाली विश्लेषण और नियंत्रण
  - ❒ एचवीडीसी ट्रांसमिशन प्रणलियां

औद्योगिक प्रणालियां

- सिविल और संरचनात्मक, यांत्रिक, विद्युतीय कार्य तथा स्वचालन प्रणालियों सहित संपूर्ण कोयला प्रहस्तन संयंत्र और ऐश हैंडलिंग संयंत्र
- संपूर्ण माइन विंडर सिस्टम्स
- कच्ची सामग्रियों के प्रसंस्करण और सुगठित बनाने, लोह निर्माण, प्राथमिक और गौण इस्पात निर्माण लंबे उत्पादों तथा चिपटे उत्पादों दोनो के लिए मिल तथा प्रोसेस लाइनों जैसे कास्टर्स और स्टील निर्माण के लिए संपूर्ण इलेक्ट्रिक्स, ड्राइव्स, कंट्रोल और स्वचालन प्रणालियां
- इस्पात तथा अन्य उद्योगों के लिए सिविल और संरचात्मक, यांत्रिक, विद्युतीय और स्वचालन प्रणालियों सहित संपूर्ण कच्ची सामग्री ढुलाई प्रणाली
- एल्युमीनियम संयंत्रों के लिए अल्युमीनियम स्मेल्टर तथा प्रसंस्करण मिलो के लिए उच्च धारा रेक्टिफायर हेतु संपूर्ण इलेक्ट्रिक्स और स्वचालन प्रणाली
- स्वचालित भंडारण और पुनः प्राप्ति प्रणालियां (एएसआरएस)
- हाइड्रो विद्युत संयंत्रों के लिए बैलेन्स ऑफ़ प्लान्ट्स (बीओपी)

भारत में बीएचईएल

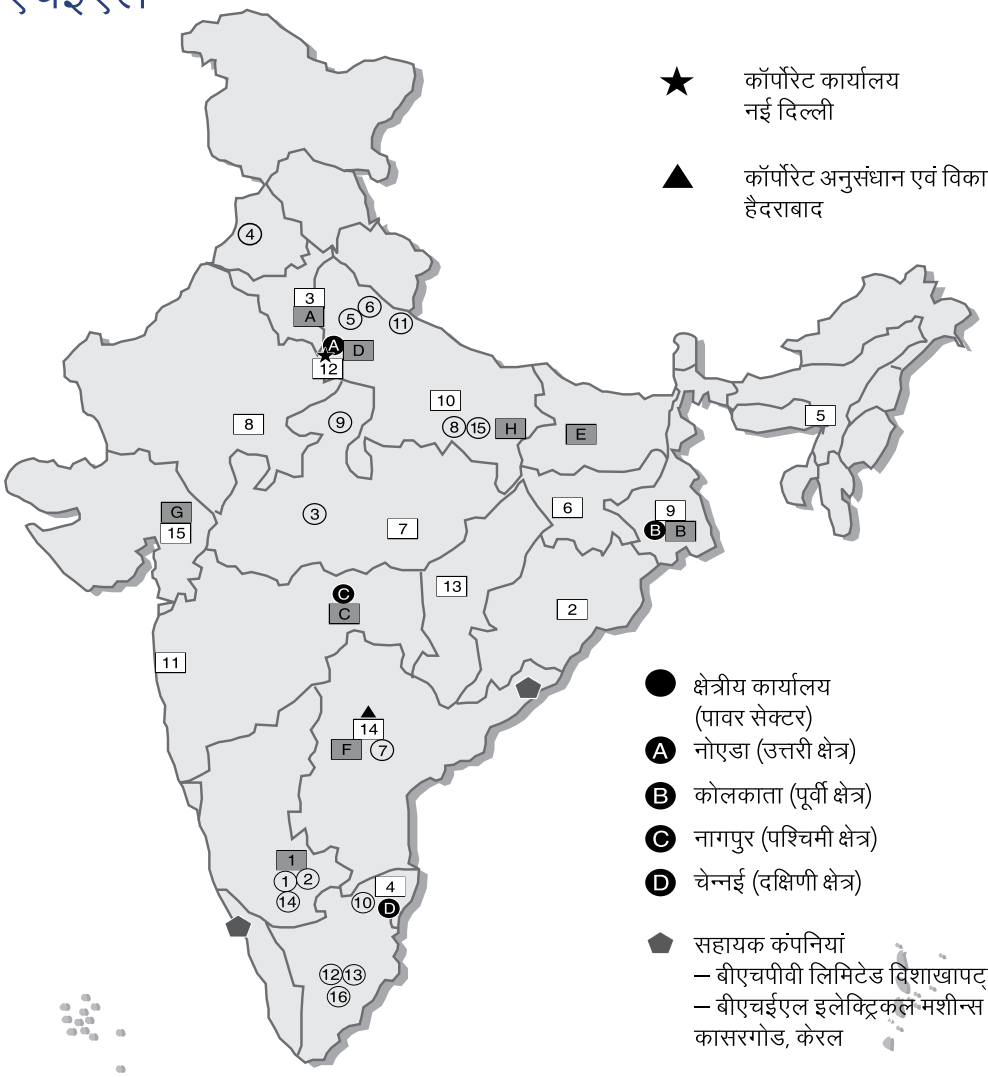

व्यवसाय कार्यालय

1 बेंगलुरु
2 भुवनेश्वर
3 चंडीगढ़
4 चेन्नई
5 गुवाहाटी
6 राँची
7 जबलपुर
8 जयपुर
9 कोलकाता
10 लखनऊ
11 मुम्बई
12 नई दिल्ली
13 रायपुर
14 सिकन्दराबाद
15 वड़ोदरा

विनिर्माण इकाइयां

14 1 2 बेंगलुरु
3 भोपाल
4 गोइंदवाल
5 6 हरिद्वार
7 हैदराबाद
15 8 जगदीशपुर
9 झांसी
10 रानीपेट
11 रुद्रपुर
12 13 तिरुचिरापल्ली
16 थिरुमयम

सेवा केन्द्र

A चंडीगढ़
B कोलकाता
C नागपुर
D नोएडा
E पटना
F सिकन्दराबाद
G वड़ोदरा
H वाराणसी

वैश्विक व्यवसाय
कनाडा
यूनाइटेड किंगडम
आयरलैंड
इटली
फ्रांस
माल्टा
अल्जीरिया
साइप्रस
लीबिया
संयुक्त राज्य अमेरिका
त्रिनिदाद एंड टोबेगो
सूरीनाम
सेनेगल
घाना
डी.आर. कांगो
यूगांडा
रवांडा
जाम्बिया
बुरूंडी

स्वीडन
फिनलैंड
जर्मनी
पोलैंड
रूस
स्विजरलैंड
बेलारूस
युक्रेन
तुर्की
कजाकिस्तान
चीन
रोमानिया
तजाकिस्तान
बुल्गारिया
अफगानिस्तान
ग्रीस
जार्जिया
जोर्डन
भूटान
जापान
अजरबेजान
बांग्लादेश
सीरिया
इराक
ईरान
नेपाल
म्याँमार
कुवैत
हांगकांग
सऊदी अरब
ताइवान
मिस्र
यूएई
ओमान
वियतनाम
फिलीपींस
सूडान
यमन
थाइलैंड
ईथोपिया
लाओस
कीनिया
नाइजीरिया
मलेशिया
श्रीलंका
सिंगापुर
इंडोनेशिया
मलावी
समोआ
रूंडी
तंजानिया
न्यू कालेडोनिया
मारीशस
स्वाजीलैंड
दक्षिण
अफ्रीका
जिम्बाम्बवे
आस्ट्रेलिया
न्यूजीलैंड

बीएचईएल की व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट: 2012–13

खंड–क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

1. कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): एल74899 डीएल1964जीओआई004281
2. कंपनी का नाम: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
3. पंजीकृत पता: बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली–110 049
4. वेबसाइट: www.bhel.com
5. ई–मेल आईडी: query@bhel.in
6. प्रतिवेदित वित्तीय वर्ष: 2012–13
7. सेक्टर जिनमें कंपनी संलग्न है: 'कॉर्पोरेट रूपरेखा', वार्षिक रिपोर्ट 2012–13 का संदर्भ लें
8. तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची जो कंपनी निर्माण/उपलब्ध करवाती है
   I. ताप विद्युत संयंत्रों के लिए भाप टरबाइन्स, जनरेटर्स, बायलर्स और सहायक उपकरण
   II. ट्रांसमिशन खंड के लिए पावर एवं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स, रिएक्टर्स, स्विचगियर्स, इंसुलेटर्स और एचवीडीसी सिस्टम
   III. परिवहन क्षेत्र के लिए लोकोमोटिव्स, प्रोपल्शन उपस्कर, ट्रैक्शन मोटर्स/अल्टरनेटर्स, वीसीबीज
9. स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करती है।
   I. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 का विवरण उपलब्ध करवाएं)

      बीएचईएल के 10 विदेश कार्यालय हैं। प्रमुख पांच में मस्कट ओमान, जकार्ता इंडोनेशिया, अलमाटी कजाकिस्तान गणराज्य, थिम्पू भूटान और दुबई यूएई
   II. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या

      कंपनी के 16 विनिर्माण प्रभाग, 2 रिपेयर यूनिट, 4 क्षेत्रीय कार्यालय, 8 सेवा केंद्र और 15 क्षेत्रीय केंद्र हैं।
10. कंपनी द्वारा सेवारत बाज़ार – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय/बीएचईएल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के लिए सेवारत है।

खंड–ख: कंपनी का वित्तीय विवरण (वित्तीय वर्ष 2012–13)

1. प्रदत्त पूंजी : ₹ 489.52 करोड़
2. कुल कारोबार : ₹ 50156.48 करोड़
3. कर उपरांत कुल लाभ : ₹ 6614.73 करोड़
4. सीएसआर पर ख़र्च की गई कुल राशि : ₹ 63 करोड़
5. गतिविधियों की सूची जिनमें सीएसआर पर व्यय किया गया है: प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण के अधीन कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीय विकास का, वार्षिक रिपोर्ट 2012–13 का संदर्भ लें।

[1]2011–12 में सृजित प्रावधान में से ₹ 28 करोड़ सहित

खंड–ग: अन्य विवरण

1. क्या कंपनी कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं?

   हां, बीएचईएल की दो सहायक कंपनियां हैं।
2. क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर गतिविधियों में शामिल होती है? यदि हां तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या का उल्लेख करें।

   हां, दोनों बीएचईएल की बीआर गतिविधियों में शामिल होती हैं।
3. क्या कोई अन्य संस्था/संस्थाएं (जैसे कि आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) हैं जिनसे कंपनी व्यवसाय करती है, कंपनी के बीआर प्रयासों में भाग लेती हैं? यदि हां, ऐसी संस्था/संस्थाओं की प्रतिशतता का उल्लेख करें? {30% से कम, 30–60%, 60% से अधिक}

   हां, स्टेकहोल्डर्स जैसे कि हमारे ग्राहक, उप ठेकेदार, वेंडर्स बीएचईएल के बीआर कदमों में भाग लेते हैं।

खंड घ: बीआर सूचना

1. बीआर हेतु जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का विवरण

क) बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए निदेशक/बीआर प्रमुख का विवरण

क्र. सं.	विवरण	विवरण
1	डिन नंबर (यदि लागू है)	03053133
2	नाम	आर कृष्णन
3	पदनाम	निदेशक (मा.सं.)
4	टेलीफोन नं.	011–2600 1003
5	ई–मेल आईडी	rkrishnan@bhel.in

2. सिद्धांत–वार (एनवीजी के अनुरूप) बीआर नीति/नीतियां (हां/नहीं में उत्तर दें)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी8
1	क्या आपके पास.... के लिए नीति/नीतियां हैं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
2	क्या नीति संगत स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श से तैयार किया जा रहा है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों से पुष्ट होती है? यदि हां, विनिर्दिष्ट करें? (50 शब्द)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
4	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है? यदि हां, क्या इस पर प्र.नि/स्वामी/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक ने हस्ताक्षर किये हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
5	क्या कंपनी के पास नीति के कार्यान्यन की देखरेख के लिए बोर्ड की विनिर्दिष्ट समिति/निदेशक/अधिकारी है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हृां
6	ऑनलाइन समीक्षा की जाने वाली नीति हेतु लिंक का उल्लेख करें?	**जहां लागू है लिंक उपलब्ध कराया गया है।**								
7	क्या नीति की औपचारिक सूचना सभी संगत आंतरिक और बाहरी स्टेकहोल्डर्स को दी जाती है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
8	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए इन–हाउस संरचना है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
9	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों से संबंधित स्टेकहोल्डर्स की शिकायतों के निपटान के लिए शिकायत निपटारा तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
10	क्या कंपनी ने इस नीति के कामकाज की आंतरिक या बाहरी एजेंसी से स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन करवाया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां

टिप्पणियां:

1. हमारे पास इन सिद्धांतों के आधार पर स्थापित विभिन्न व्यवहार हैं, परंतु इनमें से कुछ के लिए औपचारिक नीति दस्तावेज नहीं रखते हैं। हमारी आने वाले समय में ऐसी नीतियां लाए जाने की योजना है।
2. बोर्ड द्वारा एक बार नीति का अनुमोदन कर दिये जाने पर इस पर प्रबंध निदेशक/बोर्ड निदेशक के हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक नहीं है।
3. संगठन की नीतियां और प्रक्रियाएं आईएसओ 9001/आईएसओ 14001/ओएचएसएएस 18001 लेखा परीक्षाओं, कैग लेखा परीक्षा, संसदीय समिति समीक्षा, बोर्ड/कार्यात्मक निदेशकों/बोर्ड स्तरीय समिति/प्रबंधन समिति आदि द्वारा समीक्षा के विषयाधीन हैं।
4. बीएचईएल उद्योग/ट्रेड एसोसिएशनों जैसे कि सीआईआई, फिक्की, आईईईएमए आदि का सदस्य है और इन संस्थाओं के जरिए नीतिगत बहस में भाग लेता है।

2क. यदि क्रम सं. 1 में किसी भी सिद्धांत के तहत उत्तर नहीं में है, तो कृपया उल्लेख करें कि क्यों है: (2 विकल्पों तक टिक करें)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है।									
2	कंपनी इस चरण में नहीं है जहां यह स्वयं को विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों के निर्धारण और कार्यान्वयन की स्थिति में पाती हो।									
3	कंपनी के पास कार्य के लिए उपलब्ध वित्तीय या मानवशक्ति संसाधन नहीं हैं।									
4	इसके अगले 6 माह में किए जाने की योजना है।									
5	इसके अगले 1 वर्ष में किए जाने की योजना है।							√		
6	कोई अन्य कारण (कृपया विनिर्दिष्ट करें)									

टिप्पणीः हमारे पास इन सिद्धांतों के आधार पर स्थापित विभिन्न व्यवहार हैं, परंतु इनमें से कुछ के संबंध में औपचारिक नीति दस्तावेज नहीं रखते हैं। हमारी इन नीतियों को आने वाले समय में लाए जाने की योजना है।

3. बीआर से संबंधित अभिशासन

☐ अंतराल को इंगित करें जिसमें निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ कंपनी के बीआर कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करते हैं। (3 माह के भीतर, 3–6 माह, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक)

3 माह के भीतर

☐ क्या कंपनी बीआर या स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसे कितने अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है?

बीएचईएल वार्षिक पर्यावरण संधारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है। नवीनतम पर्यावरण संधारणीयता रिपोर्ट लिंकः

http://www.bhel.com/healthsafety/BHEL%20Sustainbility%20Report%20Final%20for%20Print.pdf
के जरिए प्राप्त की जा सकती है।

खंड ड़ः सिद्धांत–वार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत 1: नीतिशास्त्र, पारदर्शिता और जवाबदेही

कंपनी के पास सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए बोर्ड अनुमोदित 'व्यवसाय आचरण एवं नीतिशास्त्र हेतु संहिता' है जिसे निम्नलिखित लिंक के जरिए देखा जा सकता हैः http://www.bhel.com/investor_relations/pdf/Code%20of%20Business%20Conduct%20and%20Ethics.pdf

इसके अलावा, बीएचईएल के अपने कर्मचारियों के लिये आचरण के उच्च मानदंड निर्धारित करने के सतत प्रयासों के भाग के तौर पर (उनके अलावा जो स्थाई आदेशों के तहत शासित होते हैं), 'बीएचईएल के आचरण, अनुशान और अपील नियम, 1975' लागू किए गए हैं। कंपनी आरटीआई अधिनियम 2005 और सांविधिक लेखा परीक्षा (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 के अधीन), कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अधीन कैग लेखा परीक्षा के विषयाधीन है। कंपनी ने सार्वजनिक प्रापण और संविदा कार्य को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए दोनों पक्षों को नीति शास्त्र आचरण के लिए बाध्य करने हेतु 'इंटिग्रिटी पैक्ट' लागू करने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। विभिन्न अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों के अधीन जवाबदेही को अच्छी तरह परिभाषित किया गया है। कार्य नीति, क्रय नीति और अन्य नीतिगत दस्तावेजों से हमारे कामकाज में पारदर्शिता और उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा की वचनबद्धता में सहायता मिली है। कंपनी के पास विशेषकर शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों के निपटान से जुड़े मामलों की देखरेख के लिए एक शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति (एसआईजीसी) भी है। कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) की रिपोर्ट के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरधारकों से 1048 शिकायतें प्राप्त हुईं और 31 मार्च, 2013 तक सभी शिकायतों का निपटारा कर दिया गया।

सिद्धांत 2 : उत्पाद जीवन चक्र संधारणीयता

बीएचईएल के उत्पाद और सेवाएं ईंधन रक्षा, ऊर्जा दक्ष, पर्यावरण अनुकूल और विश्वस्तरीय निष्पादन के लिए जाने जाते हैं। बीएचईएल आपूरित विद्युत संयंत्र उपस्करों का निष्पादन कम सहायक विद्युत खपत, उच्चतर संयंत्र दक्षता, कम डिजाइन हीट दर और बेहतर पीएलएफ से संचालित होता है–इन सबके परिणामस्वरूप जीवन चक्र लागत में कमी होती है।

चार प्रमुख उत्पाद, जिनके डिज़ाइन में पर्यावरणीय चिंताएं समाहित हैं, निम्नलिखित हैंः– सुपरक्रिटिकल पैरामीटर्स पर भाप के साथ संचालित विद्युत संयंत्र, सर्कुलेटिंग फ्लुडाइज़्ड बैड कम्बस्टन बायलर्स (सीएफबीसी), सोलर पीवी और इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी).

बीएचईएल व्यवसाय सुधार और स्थिरता व्यवसाय व्यवहार के तौर पर चरणबद्ध रूप में ई–प्रोक्योरमेंट भी कार्यान्वित कर रहा है। पुनःउपयोग योग्य सामग्री का पैकिंग आदि के लिए उपयोग किया जा रहा है।

बीएचईएल ने लघु एवं मध्यम उद्यमों को जानकारी के आदान–प्रदान, प्रशिक्षण और विकास तथा संसाधन संग्रहण आदि के जरिए नियमित सहायता प्रदान करते हुए अपनी विनिर्माण इकाइयों में और इनके आसपास उद्यमशीलता विकास का भी बीड़ा उठाया है। कंपनी के पास उत्पादों और कचड़े के यथासंभव घरेलू पुनः इस्तेमाल के वास्ते एक सांस्थानिक तंत्र है। उदाहरण के लिए, हमारी सीएफएफपी यूनिट में उत्पादित मोल्टेन स्टील के प्रत्येक मी.ट. में 54 प्रतिशत रिसाइकिल स्क्रैप (सीएफएफपी का) और 45 प्रतिशत एमएस स्क्रैप (अन्य बीएचईएल इकाइयों से), होता है। इस प्रकार यह 100 प्रतिशत रिसाइकिल उत्पाद का निर्माण कर रहा है।

सिद्धांत 3: कर्मचारियों का कल्याण

बीएचईएल मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और कार्यान्वयन में पारदर्शिता तथा एकरूपता सुनिश्चित करने के वास्ते संहिताबद्ध कार्मिक मैनुअल के रूप में मा.सं.प्र. नीतियां और नियम प्रलेखित किये हैं।

1. 31.03.2013 को नियमित कर्मचारियों की कुल संख्याः 48,399

2. अस्थाई/अनुबंध आधार पर रखे गये कर्मचारियों की कुल संख्याः

i.	अस्थाई	:	शून्य
ii.	कैजुअल	:	शून्य
iii.	अनुबंधात्मक	:	14003

3. 31.03.2013 को स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्याः 2674

4. 31.03.2013 को स्थाई निःशक्त कर्मचारियों की संख्याः 928

5. हां। बीएचईएल में इकाई/प्रभाग में संचालित हो रही बहु कर्मचारी संघ संचालित हैं।

6. स्थाई कर्मचारियों की प्रतिशतता का विवरण, जो कि मान्यता प्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य हैं, उपलब्ध नहीं है।

7. 2012–13 में कंपनी को यौन उत्पीड़न की 2 शिकायतें प्राप्त हुईं जिन्हें संतोषजनक ढंग से निपटा दिया गया। इसके अलावा बाल श्रम/जबरन श्रम/अनिच्छुक श्रम/भेदभावपूर्ण रोज़गार के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

8. वर्ष 2012–13 के दौरान, प्रति कर्मचारी कुल प्रशिक्षण मानव दिवसों की संख्या 4.95 है। साथ ही 152 बहु–कौशल/कौशल उन्नयन कार्यक्रम भी संचालित किये गये जिनमें 3000 दस्तकारों, 8390 व्यावसायिक प्रशिक्षुओं (386586 मानव दिवस) और 6139 एक्ट अप्रेंटिसिस (1103205 मानव दिवस) को विभिन्न इकाइयों में प्रशिक्षित किया गया।

सिद्धांत 4: स्टेकहोल्डर व्यवसाय

हां, कंपनी ने ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, वेंडर्स और समाज की अपने स्टेकहोल्डर्स के तौर पर पहचान की है। बीएचईएल के पास स्टेकहोल्डर्स की चिंताओं और आशाओं के समावेशन सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रियाएं हैं। जारी स्टेकहोल्डर व्यवसाय के जरिए प्रमुख मुद्दों की पहचान की जाती है और स्पष्ट तथा औसती लक्ष्यों के साथ कार्यक्रमों अथवा कार्य योजनाओं के जरिए इन्हें हल किया जाता है। बीएचईएल ने बीएचईएल विनिर्माण इकाइयों की भीतर वंचित, कमज़ोर और सीमांत स्टेकहोल्डर्स की स्पष्ट पहचान की है तथा सीएसआर योजना के अनुरूप यथासंभव उनकी चिंताओं को दूर किया जाता है।

सिद्धांत 5–मानव अधिकार

बीएचईएल की नीतियां मानवाधिकारों, भारत के संविधान और विभिन्न लागू कानूनों के अनुरूप हैं। बीएचईएल में कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान हैं। कंपनी में मानवाधिकारों के उल्लंघन का कोई भी मामला दर्ज़ नहीं हुआ है।

इसके अलावा, बीएचईएल संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट (सीएनजीसी), इंडिया नेटवर्क का आजीवन सदस्य है। कंपनी प्रगति पर सम्प्रेषण के जरिए हर साल यूएनजीसी के 10 सिद्धांतों पर अपने कार्य–निष्पादन की जानकारी देती है जिसे सार्वजनिक उपलब्धता के लिए कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है, जो कि http://www.bhel.com/healthsafety/BHEL's%20Communication%20on%20Progress%202012-13.pdf पर देखी जा सकती है।

सिद्धांत 6: पर्यावरण

स्थिरता कंपनी की कार्यनीति का एक अभिन्न अंग है, जैसा कि मिशन विवरण में उल्लेख किया गया है–''ऊर्जा, उद्योग एवं अवसंरचना के क्षेत्रों में स्थिर व्यवसाय समाधान उपलब्ध करवाना''।

कंपनी की सभी विनिर्माण इकाइयां और पावर सेक्टर क्षेत्र पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणालियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों अर्थात आईएसओ–14001 से संबद्ध हैं और उसकी 'स्वास्थ्य, संरक्षा और पर्यावरण (एचएसई)' नीति है। पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान/मूल्यांकन करनेके लिए उत्कृष्ट फ्रेमवर्क उपलब्ध करवाता है उन्हें संरचित तरीके से हल किया जाता है। लागू कानूनों के अनुसार संबंधित पर्यावरणीय अनुपालना दर्शाते हुए पर्यावरणीय विवरण सभी विनिर्माण इकाइयों द्वारा संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है।

संगठन 2012–13 में भोपाल में विनिर्माण इकाई में 250 कि.वा सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना जैसे विभिन्न कदमों के जरिए आंतरिक कार्बन फुटप्रिंट्स के न्यूनीकरण के लिए भी प्रयास कर रहा है। इससे पहले ऐसे सौर विद्युत संयंत्रों की ईडीएन बंगलौर और कार्पो. आरएंडडी हैदराबाद में स्थापना की गई है।

बीएचईएल ने ऑक्सी–फ्यूल कम्बुशन, बायोमास कम्बुशन, एमोनिया आधारित CO_2 सिकवेस्ट्रेशन सिस्टम्स आदि के जरिए कार्बन डाईआक्साइड में कमी और/या CO_2 संग्रह के प्रति अनुसंधान एवं विकास कार्य संचालित किये हैं। 20 प्रतिशत वैट बायोमास और 80 प्रतिशत वैट पल्वराईज़्ड कोयले के साथ 2012–13 के दौरान राइस हस्क और वुड पैलेट्स जैसे बायोमास के साथ को–फायरिंग इंडियन कोल्स का पायलट स्केल डिमांस्ट्रेशन संचालित किया गया और ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर लिये गये। वर्तमान में बीएचईल–त्रिची में 400 कि.वा. ऑक्सी–फ्यूल कम्बुशन टैस्ट रिग की स्थापना प्रगति पर है। स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन के तत्वावधान में बीएईएल आईजीसीएआर, एनटीपीसी और अन्य संगठनों के साथ मिलकर है।

बीएचईएल स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन के तत्तवावधान में आईजीसीएआर, एनटीपीसी और अन्य संगठनों के साथ मिलकर एडवांसड अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल टेक्नोलॉजी का

विकास कर रहा है। हरित ऊर्जा प्रयासों के अनुरूप, बर्बाद उष्मा के दोहन के लिए 100–140 मेगावाट अनुप्रयोग हेतु एक ऊर्जा दक्ष सबसे बड़ा एकल सिलेंडर नॉन–रिहीट स्टीम टरबाईन पहले ही विकसित किया जा चुका है।

सम्पूर्ण 2012–13 वर्ष के दौरान सीपीसीबी/एसपीसीबी से कोई कारण बताओ या अवांछनीय टिप्पणी/रिपोर्ट नहीं है।

सिद्धांत 7: नीति समर्थन

बीएचईएल व्यापार और चैम्बर/एसोसिएशन्स का सदस्य है। इनमें से कुछ हैं–सीआईआई, स्कोप, फिक्की, आइमा, डब्ल्यूईसी और एसोचैम

बीएचईएल जानकारी के आदान प्रदान के जरिए कंपनी के हितों को बढ़ावा देने हेतु इन संस्थाओं के जरिए नीतिगत बहस में भाग लेता है। उदाहरण स्वरूप इसकी हाल की सार्वजनिक बहस की गतिविधियां भारतीय विद्युत क्षेत्र और भारतीय विनिर्माण उद्योग के विकास, देश में प्रौद्योगिकी आधार को सुदृढ़ करने और बेहतर अभिशासन के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के विकास पर केंद्रित रही हैं।

सिद्धांत 8 : समावेशी विकास

बीएचईएल का समावेशी विकास और समतुल्य विकास के प्रति संरचित सीएसआर कार्यक्रम है। कंपनी स्वैच्छिक संगठन, सरकारी एजेंसी आदि जैसी विशेषीकृत एजेंसी के जरिए परियोजनाएं संचालित करके देशभर में कई सामाजिक पहलों का समर्थन करती है।

विभिन्न सीएसआर पहलों के प्रति 2012–13 में ₹ 63 करोड़ की कुल राशि ख़र्च की गई है। वर्ष के दौरान संचालित किये गये विभिन्न कदमों के विवरण के लिए वार्षिक रिपोर्ट 2012–13 में प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण के अधीन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत विकास का संदर्भ लें। बाद में इन कदमों का प्रभाव मूल्यांकन किया जाएगा।

सिद्धांत 9: ग्राहक मूल्य

ग्राहक मूल्य हमारी कारपोरेट संस्कृति में समाहित है। ग्राहक फोकस हमारे दृष्टिकोण, मिशन और मूल्य अभिव्यक्तियों का हिस्सा है। ग्राहकों और उत्पादों के अंतिम उपयोगकर्ताओं के प्रति फ़ोकस इस बात का सबूत है कि भारत की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में, बीएचईएल के लगे हुए विद्युत संयंत्र करीब 66 प्रतिशत बिजली का उत्पादन करते हैं जो इसके उत्पादों और सेवाओं की उच्चतर ग्राहक मूल्य प्रस्थापना का सबूत है।

बीएचईएल के विविध और बड़े पैमाने पर प्रचालनों को देखते हुए ग्राहक शिकायतों की देखरेख संबंधित व्यवसाय इकाइयों/परियोजना प्रभागों द्वारा की जाती है। ग्राहकों की फीडबैक नियमित रूप से ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षणों, ग्राहक मुलाकातों और आमने–सामने विचार–विमर्श के जरिए प्राप्त की जाती है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी के किसी भी स्टेकहोल्ड की ओर से अनुचित व्यापार व्यवहारों, ग़ैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/अथवा प्रतिस्पर्धा–विरोधी व्यवहार के लिए कोई मामला दायर नहीं किया गया है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली–110049

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सदस्यों की 49वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 20 सितंबर, 2013 को प्रातः 10.00 बजे फिक्की आडिटोरियम, बाराखंबा रोड (तानसेन मार्ग), नई दिल्ली–110001 में निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगीः–

सामान्य कार्य

1. दिनांक 31 मार्च, 2013 की यथास्थिति कंपनी के लेखापरीक्षित तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि तथा उसके साथ उस पर निदशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना।

2. वर्ष 2012–13 के लिए लाभांश घोषित करना।

3. श्री पी. के. बाजपेयी के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना जो चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने पर स्वयं की पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं।

4. श्री अतुल सराया के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना जो चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने पर स्वयं की पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं।

5. 2013–14 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत करना।

विशेष कार्य

6. सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और अगर सही माना जाए तो आशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना।

   'संकल्प किया जाता है कि सुश्री कुसुमजीत सिधू, जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 260 के साथ पठित कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसरण में दिनांक 10.05.2013 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित करने हेतु नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के उपबंधों के अनुसरण में एक सदस्य से लिखित सूचना प्राप्त हुई है और एतद्द्वारा उन्हें कंपनी की निदेशक नियुक्त किया जाता है।

7. सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और अगर सही माना जाए तो आशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करनाः

   "संकल्प किया जाता है कि श्री डब्ल्यू वी के कृष्णा शंकर, जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 260 के साथ पठित कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसरण में दिनांक 01.08.2013 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित करने हेतु नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के उपबंधों के अनुसरण में लिखित सूचना प्राप्त हुई है और एतद्द्वारा कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है जिनके चक्रानुक्रम आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

हस्ता./–

(आई.पी. सिंह)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 अगस्त, 2013

टिप्पणियां

1. बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए हकदार सदस्य स्वयं अपने बदले बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। विधिवत पूरा भरा गया प्रतिनिधि फार्म वार्षिक आम बैठक में निर्धारित समय के अड़तालीस घंटों (48 घंटों) पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। खाली प्रतिनिधि फार्म संलग्न है।

2. ऊपर यथानिर्धारित विशेष कार्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(3) के अनुसरण में संगत व्याख्यात्मक विवरण यहां इसके साथ संलग्न है।

3. नियुक्ति और पुनः नियुक्ति के प्रस्तावित प्रत्येक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध–2 के रूप में दिया गया है।

4. सर्वश्री पी. के. बाजपेयी और श्री अतुल सराया निदेशक चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होंगें और पात्र होने पर स्वयं पुनःनियुक्ति के लिए प्रस्ताव करेंगे। तथापि, उनकी नियुक्ति की शर्त के अनुसार पी. के. बाजपेयी और श्री अतुल सराया का कंपनी के निदेशकों के रूप में कार्यकाल क्रमशः 31 मई, 2015 और 30 नवंबर, 2013 को समाप्त होगा।

5. सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर अंतरण बहियां सदस्यों द्वारा अनुमोदित लाभांश के भुगतान, यदि कोई हो, के प्रयोजनार्थ दिनांक 11 सितंबर, 2013 से 20 सितंबर, 2013 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

6. सदस्यों को कंपनी को ईसीएस के माध्यम से प्रेषण करने में समर्थ बनाने के लिए विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित फार्म (वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया) में अपने इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग सर्विस (ईसीएस) का अधिदेश प्रस्तुत करने का सुझाव दिया जाता है।

7. निदेशक मंडल ने वर्ष 2012–13 के दौरान अदा किए जा चुके 106 प्रतिशत (₹ 2.12 प्रति शेयर) प्रतिशत के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त, कम्पनी की चुकता शेयर पूंजी पर 164.5 प्रतिशत (₹ 3.29 प्रति शेयर) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

8. दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, जब कंपनी की वार्षिक आम बैठक में स्वीकृत किया जाता है, सदस्यों द्वारा लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर अर्थात दिनांक 19 अक्तूबर, 2013 को अथवा उसके पूर्व उन शेयरधारकों, जिनका नाम :

   i. शेयरों के संबंध में एन एस डी एल/सी डी एस एल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूची के अनुसार 10 सितंबर 2013 को कारोबारी घंटो के बंद होने के समय शेयरों के लाभभोगी मालिक के नामों में इलैक्ट्रानिक मोड में रखा गया और

   ii. वास्तविक रूप में उन सभी वैद्य शेयरों के अन्तरण अनुरोधों को प्रभावी बनाने के पश्चात कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में है जो 10 सितंबर, 2013 को कारोबारी घंटों के बंद होने पर अथवा उससे पूर्व कम्पनी/आर टी ए के साथ दर्ज कराया गया।

9. यथासंशोधित कंपनी अधिनियम की धारा 205 ग के साथ पठित धारा 205क(5) के अनुसरण में लाभांश की राशि जो 7 वर्षों की अवधि के लिए अदत्त/अदावाकृत रहती है, को केन्द्र सरकार की निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित करना अपेक्षित है। इसके बाद सदस्यों का उक्त राशि पर चाहे किसी भी प्रकार का दावा नहीं रहता। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए अंतिम लाभांश, वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए अंतरिम लाभांश, वित्तीय वर्ष 2005–6 के लिए विशेष अंतरिम लाभांश, जो अदावाकृत रहता है, को उक्त खाते में क्रमशः दिनांक 21 अक्तूबर, 2013, 1 मार्च, 2014 को अंतरित किया जाना है।

   जिन सदस्यों ने दिनांक 31 मार्च, 2006 को समाप्त अथवा उसके बाद किसी वित्तीय वर्ष (वर्षों) के लिए अभी तक अपने अंतिम लाभांश का दावा/नकदीकरण नहीं किया है, निर्दिष्ट 7 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व भुगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

10. सदस्य फार्म–2 ख (वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया) में ऐसे किसी व्यक्ति को, जिनमें उनकी मृत्यु की दशा से कंपनी में उनके शेयर विहित होंगे, नामित करके कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 109क के अनुसार नामांकन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

11. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 (8) (कक) के साथ पठित धारा 619 (2) के अनुसरण में किसी सरकारी कंपनी

के लेखापरीक्षक भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त अथवा पुनः नियुक्त किए जाते हैं और उनका पारिश्रमिक वार्षिक आम बैठक में कंपनी द्वारा नियत किया जाता है। कार्य की मात्रा में वृद्धि और विद्यमान मुद्रास्फीति पर विचार करने के बाद आम बैठक वर्ष 2013–14 के लिए लेखापरीक्षकों का उपयुक्त पारिश्रमिक नियत करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत कर सकती है।

12. कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बोर्ड प्रस्ताव की विधिवत प्रमाणित प्रति/पावर ऑट अटार्नी भेजें, जिसमें उन्होंने वार्षिक आम सभा में उनकी ओर से अपने प्रतिनिधि को उपस्थित होने और वोट देने के लिए अधिकृत किया गया है।

13. सदस्यों के पते में किसी परिवर्तन को तत्काल अधिसूचित करने का अनुरोध किया जाता है,

    i. अपने इलेक्ट्रानिक शेयर खाते के संबंध में अपने निक्षेपागार भागीदार (डीपी) को, और

    ii. लाभांश वारंट की तत्काल और सुरक्षित प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनी फोलियो संख्या, बैंक का नाम और खाता संख्या बताते हुए अपने वास्तविक शेयरों, अगर कोई हो, के संबंध में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड) को भेजें।

14. सदस्य, जो अमूर्त रूप में शेयर धारित करते हैं, वे अपनी ग्राहक और डीपी आईडी संख्या लिखने का और जो वास्तविक रूप में शेयर धारित करते हैं, उनसे बैठक में भाग लेने के लिए उपस्थिति पर्ची में अपनी फोलियो संख्या लिखने का अनुरोध किया जाता है। तथापि, ऑडिटोरियम में प्रवेश स्थल पर काउंटर में उपलब्ध और उपस्थिति पर्ची से बदली जाने वाली प्रवेश पर्ची के आधार पर सख्ती से होगा।

15. सदस्यों से निम्नलिखित अनुरोध किया जाता है:

    i. बैठक के समय अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, सूचना और उपस्थिति पर्ची लाएं।

    ii. सभी पत्राचार में अपनी फोलियो संख्या/डीपी एवं ग्राहक आईडी संख्या बताएं।

    iii. यह नोट कर लें कि सुरक्षा कारणों से ऑडिटोरियम के भीतर कोई ब्रीफकेस अथवा बैग ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

    iv. यह नोट कर लें कि वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार वितरित नहीं किया जाएगा।

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–

स्थान : नई दिल्ली **(आई.पी. सिंह)**
दिनाक : 14 अगस्त, 2013 कंपनी सचिव

सूचना का अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(2) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

निम्नलिखित व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ दिनांक 14 अगस्त 2013 की सूचना के मद सं. 6 और 7 में उल्लिखित कार्य से संबद्ध वास्तविक तथ्यों का वर्णन करता है।

मद संख्या 6

57 वर्षीय, **सुश्री कुसुमजीत सिधू** अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएस एंड एफए) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय हैं। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार सुश्री कुसुमजीत सिधू को 10.05.2013 तक कंपनी की अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार नियुक्त किए जाने पर सुश्री कुसुमजीत सिधू कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67(iv) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 260 द्वारा आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित करेंगी और नियुक्त किए जाने की पात्र हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के अनुसार कंपनी ने कंपनी के निदेशक पद पर सुश्री कुसुमजीत सिधू की उम्मीदवारी के लिए ₹ 500 की जमा राशि के साथ एक सदस्य से प्रस्ताव करते हुए लिखित सूचना प्राप्त की है।

सुश्री कुसुमजीत सिधू को छोड़कर कंपनी के किसी भी निदेशक का इस संकल्प से कोई संबंध अथवा हित नहीं है।

निदेशक मंडल संकल्प को शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

मद संख्या 7

58 वर्षीय श्री. डब्ल्यू. वी. के. कृष्णा शंकर यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैय्या कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, बंगलौर यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उनके पास प्रबंधन में डिप्लोमा है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार श्री. डब्ल्यू. वी. के. कृष्णा शंकर को पांच वर्ष की अवधि अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, दिनांक 01.08.2013 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार नियुक्त किए जाने पर श्री. डब्ल्यू. वी. के. कृष्णा शंकर कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67(iv) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 260 द्वारा आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित करेंगे और नियुक्त किए जाने के पात्र हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के अनुसार कंपनी ने कंपनी के निदेशक पद पर श्री. डब्ल्यू. वी. के. कृष्णा शंकर की उम्मीदवारी के रूप में एक सदस्य से ₹ 500 की जमा राशि के साथ प्रस्ताव करते हुए लिखित सूचना प्राप्त की है।

श्री डब्ल्यू. वी. के. कृष्णा शंकर को छोड़कर कंपनी के किसी भी निदेशक का संकल्प से संबंध अथवा हित नहीं है।

निदेशक मंडल संकल्प को शेयरधारकों ने अनुमोदन की सिफारिश करता है।

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–

स्थान : नई दिल्ली **(आई.पी. सिंह)**

दिनाक : 14 अगस्त, 2013 कंपनी सचिव

यहां से काटिए

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

एक महारत्न कंपनी

पंजीकृत कार्यालय, बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली–110049

प्रतिनिधि का फार्म

फोलियो नं./डीपी आईडी/ग्राहक आईडी सं.

शेयरों की संख्या

मैं/हम.....

जिला.....

.....

का/के.....

..... **भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड**

कंपनी का/के सदस्य हूं/हैं और एतद्द्वारा..... जिला..... को अथवा .....

.....उनकी अनुपस्थिति में ..... जिला .....

.....को मेरे/हमारे प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करता हूं/करते हैं, जो 20 सितम्बर, 2013 को आयोजित होने वाली 49वीं वार्षिक आम बैठक में मेरी/हमारी ओर से मतदान करेंगे।

कृपया राजस्व टिकट चिपकाएं

टिप्पणियां : क) फार्म पर कंपनी में दर्ज हस्ताक्षर के अनुसार टिकट के ऊपर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।
ख) यह फार्म बैठक के आयोजन से अड़तालीस घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाना चाहिए।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

एक महारत्न कंपनी

पंजीकृत कार्यालय, बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली–110049

उपस्थिति पर्ची

49वीं वार्षिक आम बैठक
शुक्रवार, 20 सितंबर, 2013 को प्रातः 10.00 बजे
फिक्की आडिटोरियम, बाराखंबा रोड (तानसेन मार्ग), नई दिल्ली–110 001 में होनी है।

उपस्थित सदस्य का नाम (साफ अक्षरों में भरें)	
फोलियो/डीपी आईडी–ग्राहक आईडी सं..	
धारित शेयरों की सं.	
प्रतिनिधि का नाम (साफ अक्षरों में भरें, यदि सदस्य के स्थान पर प्रतिनिधि भाग ले रहा हो)	

मैं एतद्द्वारा 20 सितम्बर, 2013 को आयोजित 49वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूं।

सदस्य/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

विधिवत भरी गई इस पर्ची को बैठक कक्ष में प्रवेश द्वार पर सौंपा जाए।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय, बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली–110049

एक महारत्न कंपनी

प्रिय शेयरधारक/शेयरधारकों,

संदर्भ : इलेक्ट्रानिक समाशोधन देयताएं (एनईसीएस) राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन द्वारा लाभांश का भुगतान

सेबी ने परिपत्र सं. सीआईआर/एमआरडी/डीपी/10/2013 दिनांक 21.03.2013 के अनुरूप यह अनिवार्य कर दिया है कि जिन कंपनियों की प्रतिभूतियां शेयर बाजारों में सूचीगत होती है वे प्रत्यक्ष अथवा अपने आरटीए के जरिए, ईसीएस/एनईसीएस आदि जैसे आरबीआई अनुमोदित भुगतान की इलेक्ट्रानिक पद्धति को अपनाएंगे।

यदि आपने पहले से हमारे रजिस्ट्रारों यानि मैसर्ज कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड या निक्षेपागार सहभागी (डीमैट होल्डिंग के मामले में), को एनईसीएस/ईसीएस/बैंक खाता विवरण प्रेषित नहीं किए है, तो आपसे हमारा अनुरोध है कि नीचे दिए गए फॉर्मेट में उक्त विवरण उपलब्ध कराएं, ताकि 20 सितंबर, 2013 को आयोजित होने वाली कंपनी की 49वीं वार्षिक आम बैठक में घोषित होने वाले लाभांश का शीघ्र सुरक्षित एवं सही भुगतान किया जा सके।

कृपया सुनिश्चित करें कि रजिस्ट्रारों/निक्षेपागार सहभागी को आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण सही हैं, क्योंकि उनमें कोई त्रुटि होने पर लाभांश की राशि गलत खाते में जमा हो जाएगी।

एनईसीएस/ईसीएस द्वारा और/अथवा नामोदिष्ट बैंक खाते में लाभांश का भुगतान, जो कि लाभांश वारंट पर लिखा होगा, लाभांश वारंट के कपटपूर्ण नकदीकरण को रोकने में सहायक होगा।

कृपया आपकी बेहतर सेवा करने में हमारी मदद करें।

भवदीय

हस्ता./–

(आई. पी. सिंह)

कंपनी सचिव

विशेष टिप्पणीः यदि आपके पास डीमैट रूप में शेयर हैं तो अपने निक्षेपागार सहभागी को आपके बैंक खाता विवरणों/एनईसीएस/ईसीएस अधिदेश पर ध्यान देने का परामर्श दें।

यहां से काटिए

एनईसीएस/ईसीएस अधिदेश/बैंक खाता विवरणों के लिए फार्म

मैं/हम.....एतद्द्वारा बीएचईएल/अपने निक्षेपागार सहभागी को

- ☐ मेरे/हमारे लाभांश वारंट पर निम्न विवरण छापने
- ☐ एनईसीएस/ईसीएस द्वारा बैंक खातें में मेरी लाभांश राशि जमा करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं
  (जो लागू न हो, कृपया उसे काट दें)

मेरा/हमारा फोलियों सं..... डीपी आईडी सं. ..... ग्राहक खाता सं.....

बैंक खाते का विवरण :

क.	बैंक का नाम	:	.....
ख.	शाखा का नाम (केवल अधिदेश के लिए पता)	:	....
ग.	एमआईसीआर चैक में दिए गए बैंक और शाखा के 9 अंकों की कोड संख्या	:	.....
घ.	आईएफएससी कोड	:	.....
ड.	खाते का प्रकार (बचत/चालू)	:	.....
च.	चैक बुक में दिए गए अनुसार खाता सं.	:	.....
छ.	शेयरधारक का एसटीडी कोड एवं दूरभाष सं.	:	.....

यदि एनईसीएस/ईसीएस कार्यान्वित न हो सकी अथवा बैंक एनईसीएस/ईसीएस को किसी कारण से समाप्त कर देता है, तो मैं/कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराएंगें।

प्रेषित करें

मैसर्ज कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : बीएचईएल
17–24, विट्ठल राव नगर,
माधापुर, हैदराबाद–500081

.....
शेयरधारक के हस्ताक्षर

कृप्या (i) अंकों की कोड सं. की यथार्थता के सत्यापन हेतु आपके उक्त लेखा से संबंधित आपके बैंक द्वारा जारी चैक या खाली रद्द किए गए चैक की प्रति और (ii) अपने पैन कार्ड की एक प्रति संलग्न करें।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

एक महारत्न कंपनी

पंजीकृत कार्यालय, बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली–110049

फार्म 2बी

(कृप्या कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र 1956 का नियम 4गगग और 5घ देखें

नामांकन फार्म

(व्यक्तिगत या संयुक्त रूप में आवेदन करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा भरा जाएं)

मैं/हम..... एवं..... और.....

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के डीपीआईडी..... ग्राहक आईडी...../फोलियो नं..... क्रमांक..... का/के शेयरधारक, नामांकन करना चाहता हूं/करते हैं तथा निम्न व्यक्ति (व्यक्तियों), जिसमें मेरी या जिनमें मेरी या जिनमें हमारी मृत्यु होने पर अंतरण और/अथवा शेयरों से संबद्ध) देय राशि के सभी अधिकार निहित है, को नामित करता हूं/करते हैं।

नामिति/नामितियों के नाम एवं पता

नाम: .....

पता: .....

.....

जन्म तिथि*: .....

(*नामिति के नाबालिग होने के मामले में भरा जाए)

** नामिति नाबालिग है, जिसका अभिभावक .....है।

नाम व पता .....----------.....

(** यदि लागू न हो तो हटा दिया जाएं)

हस्ताक्षर: ..... पता: .....

नाम: ....

दिनांक: .....

हस्ताक्षर: ..... पता: .....

नाम: ....

दिनांक: .....

हस्ताक्षर: ..... पता: .....

नाम: ....

दिनांक: .....

दो गवाहों के पते, नाम एवं हस्ताक्षर

	नाम एवं पता	तिथि सहित हस्ताक्षर
1.		
2.		

निर्देश:

1. केवल उन व्यक्तियों द्वारा ही नामांकन किया जा सकता है, जिन्होंने अपनी ओर से एकल या संयुक्त रूप से शेयरों के लिए आवेदन किया हो या धारक हो। सोसायटी, न्यास, कॉर्पोरेट निकाय, साझेदारी फर्म, हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा धारक सहित गैर–व्यक्ति नामांकन नहीं कर सकते। यदि शेयर संयुक्त रूप से धारित किया जाता है तो सभी संयुक्त शेयरधारक नामांकन फार्म पर हस्ताक्षर करेंगे। नमूने के तौर पर स्थान उपलब्ध कराया गया है। यदि संयुक्त धारक अधिक हैं, तो शेयरों के धारकों तथा गवाह के हस्ताक्षर के लिए अधिक शीटें प्रयोग में लाई जा सकती हैं।
2. शेयरों के धारक द्वारा नाबालिग को नामित किया जा सकता है तथा उस स्थिति में धारक द्वारा अभिभावक का नाम और पता दिया जाएगा।
3. न्यास, सोसायटी, कॉर्पोरेट निकाय साझेदारी फर्म, हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्ता या मुख्तारनामा धारक नामिती नहीं होगा। अनिवासी भारतीय प्रत्यावर्तन के आधार पर नामिती हो सकता है।
4. शेयर के अंतरण पर नामांकन विखंडित हो जाता है।
5. वैध उत्तराधिकारी के विरुद्ध नामिती के पक्ष में शेयर का अंतरण कंपनी द्वारा वैध रूप से डिस्चार्ज किया जाएगा।
6. कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता को नामांकन/नामांकन फार्म के संबंध में सूचना दो प्रतियों में देनी होगी, जो उसकी एक प्रति शेयरधारक को वापस करेगी/करेगा।
7. **यदि आपके पास डीमैट रूप में शेयर है तो कृपया अपने डिपोजिटरी पार्टीसिपेंट को नामाकंन के विवरण की सूचना भेज दें।**

यहां से काटिए

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

असम के कामरूप जिले में अक्षय पात्र फाउंडेशन के जरिए स्कूली बच्चों को गर्म और स्वास्थ्यवर्द्धक दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुंगेर जिला (बिहार) में ग्रामीण महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य–रक्षा के लिए स्वच्छता नेपकीन बनाना सिखाया जा रहा है

300 वंचित बच्चों के लिए 10 समेकित शिक्षण केंद्रों की स्थापना के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा

रामदुर्गा, कोप्पाल जिला, कर्नाटक में बंजर भूमि पर वनरोपण के जरिए पर्यावरण और प्रजातियों का संरक्षण

'हील ए सोल' सीएसआर परियोजना के अधीन हेमोफिलिया से पीड़ित रोगियों की सहायता

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर क्षेत्र में प्रचालन के लिए पावर सेक्टर पूर्वी क्षेत्र से मोबाइल चिकित्सा यूनिट को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

झुग्गी–झोंपड़ी के बच्चों के स्कूल छोड़ने पर रोकथाम के लिए दिल्ली के 10 एमसीडी स्कूलों में ''कथा रीडिंग लीग' परियोजना

भूकंप से नष्ट टाडोंग उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिक्किम में पुनर्निर्माण कार्य किया गया

ठाणे (मुंबई) में रोगियों और थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए ब्लड बैंकों को आसानी से ब्लड पहुंचाने और डे–केअर सेंटर हेतु उपलब्ध कराई गई वैन

जम्मू–कश्मीर राज्य से 50 युवाओं को उनकी रोज़गारपरकता बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के प्रयासों को समर्थन

उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा पीड़ितों के लिए राहत सामग्रियां ले जा रहे बीएचईएल के वाहन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेत्रदान के प्रति प्रेरणा से भरे एक अनोखे अभियान 'बीएचईएल का यह अभियान, मिले सबको दृष्टि का वरदान' के अंतर्गत बीएचईएल कर्मचारियों द्वारा दिए शपथ पत्र, श्री एल.वी. प्रसाद, निदेशक, आई इंस्टीट्यूट, हैदराबाद को सौंपते हुए

बैंकर्स

- इलाहाबाद बैंक
- आंध्रा बैंक
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- केनरा बैंक
- कॉरपोरेशन बैंक
- सेंट्रल बैंक
- इंडियन बैंक
- इंडियन ओवरसीज बैंक
- ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
- पंजाब नेशनल बैंक
- पंजाब एण्ड सिंध बैंक
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
- सिंडिकेट बैंक
- स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकौर
- यूको बैंक
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया
- विजया बैंक
- आईडीबीआई बैंक
- सिटि बैंक एन. ए.
- डच बैंक ए जी
- दि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लि.
- स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
- दि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एन. वी.
- जे पी मोरगन
- एक्सिस बैंक
- दी फेडरल बैंक लि.
- एचडीएफसी बैंक
- कोटेक महिन्द्रा बैंक लि.
- आईसीआईसीआई बैंक
- इंडसइंड बैंक
- येस बैंक

शेयर अंतरण एजेंट

मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट: **बीएचईएल**

दिल्ली: 105–108, अरूणाचल बिल्डिंग,
19 बाराखंबा रोड,
नई दिल्ली–110001
टेली.: 011–23324401, 43681700 / 01 / 02 / 21
फैक्स: 011–23730743
ई–मेल: ksbldelhi@karvy.com

हैदराबाद: 17–24, विट्ठल राव नगर,
माधापुर, हैदराबाद–500 081
टेली: 040–44655000
फैक्स: 040–44655024
ई–मेल: madhusudhan.ms@karvy.com
einward.ris@karvy.com
वेबसाइट: www.karvycomputershare.com

लेखापरीक्षक

एस. एन. धवन एंड कं., नई दिल्ली
गांधी मिनोचा एंड कं., नई दिल्ली
विनय कुमार एंड कंपनी, इलाहाबाद
जवाहर एंड एसोसिएट्स, हैदराबाद
वी. नारायणन एंड कं., तिरूचि
पटेल मोहन रमेश एंड कं. बेंगलौर
एस. एल. छाजेड एंड कं. भोपाल
जे. वी. रामानुजम, चेन्नई

लागत लेखापरीक्षक

जुगल के. पुरी एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली
के एल जयसिंह एंड कं., नोएडा
डीजेडआर एंड कं., हैदराबाद
आरकेएमएस एंड एसोसिएट्स, चेन्नई
विश्वनाथ भट्ट एंड कं., बेंगलौर
सुनील सिंह एंड कं., लखनऊ

वित्तीय वर्ष	लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख़	लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट जमा करने की वास्तविक तारीख़
2011–12	28.02.2013	07.01.2013
2012–13	27.09.2013	अंतिम तारीख़ से पहले जमा कर दी जाएगी

पंजीकृत कार्यालय

बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट,
नई दिल्ली–110049 (भारत)
फोन: 011–66337000 (15 लाइनें)
फैक्स: 011–66337533
वेबसाइट: http://www.bhel.com

बी एच ई एल

BHEL

एक महारत्न कंपनी

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली–110 049, भारत

वेबसाइटः **www.bhel.com**

पॉवर | ट्रांसमिशन | उद्योग | परिवहन | अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत | तेल एवं गैस

प्रगति को गति... जीवन को ज्योति
भारत के हर घर से जुड़ा